इकाई 1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश का महत्व, प्रकृति, क्षेत्र एवं विधियां

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 अवधारणात्मक संरचना
1.2.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का विकास
1.2.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की विशेषताऐं
1.3 अन्तर्देशीय बनाम अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय
1.3.1 स्वतन्त्र देश
1.3.2 विविध विधिक प्रणालियॉ
1.3.3 विभिन्न मौद्रिक प्रणालियॉ
1.3.4 उत्पादन के साधनों की न्यून गतिशीलता
1.3.5 बाजार विशेषताओं में अन्तर
1.3.6 कार्य विधियों एवं प्रलेखीकरण में अन्तर
1.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ
1.5 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की विधियां
1.5.1 निर्यात
1.5.1.1 अप्रत्यक्ष निर्यात
1.5.1.2 प्रत्यक्ष निर्यात
1.5.2 लाइसेन्सिंग
1.5.3 फ्रेंचाइजिंग
1.5.4 प्रबन्ध संविदाऐं
1.5.5 टर्नकी परियोजनाऐं
1.5.6 विदेशी राष्ट्रों में स्थानीय निर्माण करना
1.5.6.1 ठेका निर्माण
1.5.6.2 विदेशी असेम्बली
1.5.7 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
1.5.7.1 संयुक्त उपक्रम
1.5.7.2 पूर्णतया स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कम्पनियॉ
1.5.8 व्यूहनीतिक सहबंध
1.6 प्रवेश व्यूहनीति के चयन को प्रभावित करने वाले कारक
1.7 सारांश
1.8 शब्दावली
1.9 बोध प्रश्न
1.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
1.11 स्वपरख प्रश्न
1.12 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा को समझ सकें।

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभों, बाधाओं एवं विशेषताओं को जान सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश को विभिन्न विधियों को समझ सकें।
- प्रवेश की विभिन्न विधियों के लाभों एवं सीमाओं को समझ सकें।

1.1 प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अध्ययन का उद्देश्य व्यावसायिक परिचालनों को समझना है, जिस प्रकार वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंग में परिचालित होते हैं। विकीपीडिया के अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय' शब्द समस्त व्यावसायिक लेन–देनों (निजी, सरकारी, विक्रय, विनियोग, समर्थन संरचना और परिवहन) को सामूहिक रुप में वर्णित करने में प्रयुक्त होता है, जो दो या अधिक क्षेत्रों, देशों एवं राष्ट्रों के मध्य उनकी राजनीतिक सीमाओं के परे घटित होते हैं। सामान्यतया, निजी कम्पनियॉ ऐसे लेन–देनों को लाभ के लिए करती है सरकारें इसे लाभ और राजनीतिक कारणों से करती हैं। इसका आशय ऐसी समस्त व्यावसायिक गतिविधियों से है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों में दो या अधिक देशों के मध्य सीमा–पार के लेन–देन सम्मिलित होते हैं। आर्थिक संसाधनों के लेन–देनों में पूॅजी, कौशल व्यक्ति इत्यादि सम्मिलित होते हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं जैसे वित्त, बैकिंग, बीमा, निर्माण इत्यादि।

यद्यपि देशी और विदेशी बाजारों में वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन के लिए समान सिद्धान्त लागू होते हैं, किन्तु कुछ ऐसी ध्यान देने योग्य विशिष्ट बातें हैं जिन्हें विदेशी बाजारों में प्रवेश की व्यूहनीति तैयार करते समय विचार में लाया जाना चाहिए। यहॉ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के अत्यधिक विकसित बाजार हैं, जिन्हें जापान एवं जर्मनी जैसे अन्य देशों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

1.2 अवधारणात्मक संरचना

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की कुछ परिभाषाऐं निम्नवत दी जा सकती हैः

1. अनेक देशों में व्यक्तियों एवं व्यवसायों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं में विनिमय।
2. एक विशिष्ट संस्था जैसे एक बहुराष्ट्रीय निगम या अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय कम्पनी जो अनेक देशों के बीच व्यवसाय में संलग्न रहती है।
3. अर्न्तराष्ट्रीय व्यवसाय में राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के सृजन, प्रेषण और विक्रय के लिए आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियॉ सम्मिलित होती हैं। (नूका)

इस विस्तृत परिभाषा में एक बहुत छोटी फर्म जो मात्र एक देश को बहुत कम मात्रा में निर्यात (या आयात) करती है, के साथ–साथ बहुत बड़ी वैश्विक फर्म, जिसके विश्व भर में एकीकृत परिचालन एवं व्यूहनीतिक समूह होते हैं, सम्मिलित होती है। इस व्यापक अभिसीमा में, विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय फर्मो के विभिन्न प्रकारों में अन्तर प्रायः किया जाता है और यह अन्तर एक फर्म की व्यूहनीति, संगठन और क्रियात्मक निर्णयों (उदाहरणार्थ, इसके वित्तीय, प्रशासनिक, विपणन, मानव संसाधन या परिचालनात्मक निर्णयों) को समझने में सहायक होते हैं। एक अन्तर, जो एक अन्तर्देशीय बहुल क्रियाओं को घरेलू फर्म और एक वैश्विक फर्म, जो अर्न्तराष्ट्रीय

परिचालनों को घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित एवं परस्पर जुड़ी हुई एकीकृत सहायिकाओं के माध्यम से करती है, के बीच किया जाता है, वह भी इसे समझने में सहायक हो सकता है। इसे निरन्तरता के दो सिरों, जिसके बीच में अपार संभावनाऐं निहित हैं, के रुप में विचार किया जा सकता है। इस निरन्तरता के एक सिरे पर फर्मों का होना कठिन हैं क्योंकि वे प्रायः अन्तर्देशीय बहुल परिचालनों और वैश्विक परिचालनों के क्षेत्रों को संयुक्त कर लेती हैं। यद्यपि मूल रुप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय निर्यात विपणन ही है, किन्तु विपणन साहित्य में इसका व्यापक अर्थ है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समान नहीं है, किन्तु तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय विपणन को भी शासित करता है। राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को समझने के लिए सिद्धान्त आधारशिला हैं। यद्यपि इसके परिणाम पर्याप्त जटिल हो जाते है, किन्तु सिद्धान्त का सार अपने आप में बहुत सरल है।

1.2.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का विकास

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय बीसवीं शताब्दी के विगत उत्तरार्द्ध में आंशिक रुप से व्यापार एवं विनियोग दोनों के उदारीकरण और अंशतः वैश्विक रुप में व्यापार करना अपेक्षाकृत सरल हो जाने के कारण विकसित हुआ है। उदारीकरण की दृष्टि से प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (गैर) की वार्ताओं के विभिन्न दौरों से व्यापारिक उदारीकरण उत्पन्न हुआ है और यह 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ–साथ जारी रहा है। साथ ही, विश्व व्यापक स्तर पर पूॅजी का प्रवाह अधिकांश सरकारों के द्वारा विशेष रुप से कोषों के इलेक्ट्रॉनिक स्थानान्तरण के प्रादुर्भाव से उदारीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2012 में नवीन यूरोपियन मौद्रिक इकाई 'यूरो' के प्रारम्भ हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ा है। यूरो यूरोपियन संघ की मुद्रा है, जिसकी सदस्यता मार्च 2005 में 25 देशों ने ग्रहण की थी और यूरो ने इन देशों की पूर्व मुद्रा को प्रतिस्थापित किया था। 2005 के प्रारम्भ में, अमेरिकी डालर यूरो के सापेक्ष लगातार संघर्ष कर रहा था और इन प्रभावों को विश्वव्यापक स्तर पर उद्योगों के बीच अनुभव किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने की सरलता की दृष्टि से, दो प्रमुख शक्तियॉ महत्वपूर्ण हैं :

(अ) तकनीकी विकास जिसने वैश्विक संचार एवं परिवहन को अपेक्षाकृत तीव्र एवं सुविधाजनक हो गया है, और

(ब) साम्यवादी देशों के महत्वपूर्ण भाग के परिदृश्य से बाहर हो जाने से विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाऐं निजी व्यवसायों के लिए खुल गयी हैं।

1.2.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की विशेषताऐं

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की कुछ प्रमुख विशेषताऐं हैं :

(अ) वृहत स्तरीय परिचालन : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में, समस्त परिचालन बहुत बड़े स्तर पर संचालित किए जाते हैं। उत्पादन एवं विपणन क्रियाऐं वृहत स्तर पर संचालित होती हैं। यह अपने माल को सर्वप्रथम स्थानीय बाजार में बेचती हैं और तत्पश्चात अवशेष माल को निर्यात करती हैं।

(ब) अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक देश से

वित का उपयोग करता है, श्रम को दूसरे देश से और अवस्थापना किसी अन्य देश की उपयोग करता है। यह उत्पाद को किसी एक देश में डिजायन करता है, इसके विभिन्न भागों को भिन्न–2 देशों में उत्पादित करता है और उत्पाद की असेम्बली किसी अन्य देश में करता है। यह उत्पाद का विक्रय कई देशों में अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करता है।

(स) प्रतिभागी देशों को लाभ प्रदान करता है : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय समस्त प्रतिभागी देशों को लाभ प्रदान करता है। किन्तु विकसित देशों को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उन्हें विदेशी पूंजी एवं तकनीकी प्राप्त होती है। देश तीव्र औद्योगिक विकास को प्राप्त करते हैं। उन्हें अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होते हैं। इन सबसे विकासशील देशों का आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार, विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उदार नीतियों के माध्यम से खोल सकते हैं।

(द) प्रतियोगिता : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को विश्व बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यह प्रतियोगिता असमान प्रतिस्पर्धियों के मध्य होती है, अर्थात विकसित और विकासशील देशों के मध्य। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में विकसित देश और उनके बहुराष्ट्रीय निगमों को अनुकूल स्थिति मिली है क्योंकि विकसित देशों के विश्व बाजार में अनेक सम्पर्क होते हैं। अतः विकासशील देश विकसित देशों से प्रतियोगिता को अत्यधिक कठिन पाते हैं।

(य) विज्ञान एवं तकनीकी : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय विज्ञान एवं तकनीकी को अत्यधिक महत्व देता है। विज्ञान एवं तकनीकी (एस0एण्डटी0) व्यवसाय को वृहत स्तरीय उत्पादन करने में सहायता करती है। विकसित देश उच्च तकनीकी का प्रयोग करते हैं। अतः वे वैश्विक व्यवसाय में वर्चस्व बनाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय उन्हें ऐसी उच्चतर तकनीकी विकासशील देशों को हस्तान्तरित करने में सहायता करता है।

(र) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबन्ध : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय पूँजी, तकनीकी एवं वस्तुओं के अर्न्तप्रवाह एवं बर्हिप्रवाह में कई प्रतिबन्धों का सामना करता हैं। कई सरकारें कई व्यवसायों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं देती हैं। उनके कई व्यापारिक ब्लाक, प्रशुल्क बाधाऐं एवं विदेशी विनिमय प्रतिबन्ध आदि होते हैं। इन सबसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में बाधा पहुँचती है।

1.3 अन्तर्देशीय बनाम अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय

अन्तर्देशीय के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोक्ताओं को सुपुर्द करके उन्हें सन्तुष्ट करने की प्रतियोगिता का एक ही मन्त्र होता है।

यह भी आवश्यक है कि स्थानीय एवं वैश्विक दोनों ही बाजारों में ख्याति निर्मित की जाय। अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय बाजार में प्रमुख अन्तर उस वातावरण में निहित होता है, जिसमें वह घटित होते हैं। अन्तर के मुख्य बिन्दु हैं :

1.3.1 स्वतन्त्र देश

प्रत्येक देश एक स्वतन्त्र सम्प्रभु राजनीतिक इकाई होता है और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात करने पर उनके द्वारा अनेकों प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में व्यापारियों को इन प्रतिबन्धों को अवलोकित करना होता है। यह निम्नांकित वर्गों की हो सकती हैं :

(1) वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात पर प्रशुल्क एवं उपभोक्ता कर लगाना ताकि आयातक देश में उन्हें महँगा बनाया जा सके और देश में उनके प्रवेश को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जा सके।

(2) मात्रात्मक प्रतिबन्ध भी इस इरादे से लगाये जाते हैं कि विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने के उद्‌देश्य से कुछ विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबन्धित कर दिया जाय।

(3) विनिमय नियंत्रण अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध हैं, जो प्रायः समस्त सम्प्रभु राष्ट्रों के द्वारा लगाए जाते हैं। सरकार कुछ दशाओं में देश में वस्तु के प्रवेश पर रोक नहीं लगाती बल्कि आयातक को आयातित वस्तु के मूल्य के भुगतान के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

1.3.2 विविध विधिक प्रणालियॉ

विभिन्न देशों में भिन्न–भिन्न विधिक प्रणालियां हैं, जो व्यवसाय के कार्य को और अधिक कठिन कर देती हैं। जैसे ही वस्तुऐं राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रवाहित होती हैं, उन्हें कानूनों के भिन्न समूहों का सामना करना पड़ा है और व्यापारियों को यह निश्चित करना कठिन होता है कि उनके लेन–देन पर कौन सी प्रणाली लागू होगी।

1.3.3 विभिन्न मौद्रिक प्रणालियॉ

प्रत्येक देश की अपनी पृथक मौद्रिक प्रणाली होती है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक देश की विनिमय दरें निश्चित की जाती है। इस प्रकार वह न्यूनाधिक रुप में निश्चित होती है।

1.3.4 उत्पादन के साधनों की न्यून गतिशीलता

गृह देश की तुलना में अन्य राष्ट्रों के बीच विभिन्न उत्पादन के साधनों की गतिशीलता कम होती है। किन्तु, वायु यातायात के अभ्युदय से, मानव संसाधनों की गतिशीलता कई गुना बढ़ गयी है।

1.3.5 बाजार विशेषताओं में अन्तर

बाजार विशेषताऐं बाजार के प्रत्येक भाग में भिन्न–भिन्न होती हैं, अर्थात मांग की प्रवृत्ति, वितरण के माध्यम, प्रवर्तन की विधियॉ इत्यादि बाजार से बाजार तक पर्याप्त भिन्न होती हैं। यदि हम एक देश को एक पृथक बाजार की तरह से लें, तो वहॉ पर विभिन्न बाजार विशेषताऐं मान सकते हैं। यह अन्तर सरकारी नियन्त्रणों एवं नियमनों से उत्पन्न हुए हैं। किन्तु यह मात्रात्मक अन्तर मात्र हैं।

1.3.6 कार्य विधियों एवं प्रलेखीकरण में अन्तर

देश के कानून एवं व्यापार की परम्परायें एवं रीति–रिवाज प्रत्येक देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात की विभिन्न कार्य विधियों एवं प्रलेखीकरण आवश्यकताओं की मांग करते हैं। देश की सीमाओं के अन्दर रहने वाले व्यापारियों को इन नियमनों एवं परम्पराओं का पालन करना पड़ता है, यदि वह वस्तुओं एवं सेवाओं को आयात अथवा निर्यात करना चाहते हैं।

अन्तरों के उपर्युक्त बिन्दु अर्थात दो व्यावसायिक प्रणालियों के प्रकार –अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एक–दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं। जैसे प्रत्येक देश को अपने राजनीतिक एवं वित्तीय हितों की सुरक्षा करनी होती है, इस कारण उन्हें विदेशी व्यापार पर कुछ निश्चित प्रतिबन्ध लगाने होते हैं जो घरेलू विपणन की तुलना में पर्याप्त भिन्न होते हैं। प्रतिबन्ध घरेलू विपणन में भी होते हैं, किन्तु कार्यविधियॉ,

प्रणालियॉं और नियम एवं नियमन देश के सभी भागों में समान रुप से लागू होते हैं और यह सभी सम्बन्धित व्यापारियों की जानकारी में भी होते हैं।

1.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ

वर्तमान समय में, व्यवसाय के वैश्वीकरण की उच्च मात्रा से, कोई भी व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कुछ लाभ निम्नवत हैं :

(अ) उत्तरजीविता : जब अस्तित्व ही संकट में हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा केवल चयन का एक विषय नहीं रह जाता है। क्योंकि बाजार के आकार, संसाधनों एवं अवसरों के सम्बन्ध में अधिकांश देश उतने भाग्यशाली नहीं होते हैं, जितने कि कुछ सीमित देश होते हैं, अतः उन्हें अपनी उत्तरजीविता के लिए एक–दूसरे से व्यापार करना चाहिए।

(ब) विदेश बाजारों की संवृद्धि : आर्थिक एवं विपणन संबंधी समस्याओं के बावजूद विकासशील देश उत्कृष्ट बाजार हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों हेतु प्रस्तावित एक प्रतिवेदन के अनुसार लैटिन अमेरिका और एशिया/प्रशान्त महासागरीय अर्थव्यवस्थाऐं सुदृढ़तम आर्थिक संवृद्धि का अनुभव कर रही हैं।

(स) विक्रय एवं लाभ : विदेशी बाजार, अनेक फर्मो जिन्होनें बुद्धिमानी से विदेशी बाजारों का पोषण किया है, के कुल व्यापार के बडे अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनेक बड़ी अमेरिकी फर्मे विदेशी उपभोक्ताओं के कारण अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। आई0बी0एम0 और कॉम्पेक घरेलू बाजार की अपेक्षा विदेशों में अधिक कम्प्यूटर बेचती हैं। कोका कोला की सफलता स्पष्टतया विदेशी बाजारों के महत्व को रेखांकित करती है।

(द) मुद्रा स्फीति एवं कीमतों का नियमन :निर्यातों के लाभ स्वयं सिद्ध हैं। एक देश के लिए आयात भी अत्यधिक लाभप्रद हो सकते हैं क्योंकि वह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए संचित क्षमता निर्मित करते हैं। बिना आयातों या प्रतिबन्धित आयातों के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था में कार्यरत फर्मो के लिए कीमतों को कम रखने की कोई प्रेरणा नहीं होती है। आयातित उत्पादों के विकल्पों के अभाव में उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान हेतु विवश होना पड़ता है, जिससे स्फीति एवं घेरलू फर्मों के अधिकाधिक लाभ उत्पन्न होते हैं। इससे कामगारों की उच्चतर मजदूरी की मांगों को बल प्राप्त होता है, फलस्वरुप स्फीति की समस्या में और अधिक वृद्धि होती है।

(य) रोजगार अवसरों में वृद्धि :गैर प्रतिबन्धित व्यापार विश्व की जी0एन0पी0 (सकल शुद्ध उत्पाद) में सुधार करता है और सभी राष्ट्रों के लिए सामान्यतः रोजगार में वृद्धि करता है। राष्ट्र को उत्पादों को आयात करना और विदेशी स्वामित्व लाभ प्रदान कर सकता है। भारत की तरह एक विकासशील राष्ट्र में, बेरोजगारी की समस्या का कुछ सीमा तक, निर्यातों के स्तर में वृद्धि करके समाधान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं को निर्यात करने के नए बाजार का सर्वेक्षण भी किया गया है और अनेक व्यक्तियों को निर्यात व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से संलग्न किया गया है।

(र) जीवन स्तर में वृद्धि :अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय राष्ट्रों एवं उनके नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करता है जो कि बिना व्यापार के अन्यथा संभव नहीं है। उत्पादों की कमी व्यक्तियों को कम के लिए भुगतान हेतु विवश करती है। निर्यात

रोजगार अवसरों को बढ़ाते है जो कि बाद में लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करते हैं, जिससे वे उपभोग हेतु अधिक क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार, निर्यात देश के औद्यौगीकरण में भी वृद्धि करते हैं। अब उपभोग हेतु ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिनसे जीवन स्तर बढ़ता है।

(ल) **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** :अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न होता है। विकसित राष्ट्र विभिन्न देशों और विभिन्न वस्तुओं के लिए अपना आयात कोटा निश्चित करते हैं। एक देश अपने आयात कोटा की सीमा में निर्यात कर सकता है। कुछ निश्चित सामान्य मुद्दों का समाधान करने के लिए कुछ देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान हेतु एक सामान्य मंच अथवा समूह गठित कर सकते हैं। ओपेक (ओ0पी0ई0सी0) और ई0ई0सी0 ऐसे ही समूह हैं।

1.5 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की विधियां

एक फर्म जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने की इच्छा रखती है, वह इसमें अनेक विधियों के द्वारा प्रवेश कर सकती है। निम्नांकित चर्चा में इनमें से कुछ विधियों को समझाया गया है :

1.5.1 निर्यात

निर्यात विदेशी बाजार तक पहुंचने का सर्वाधिक परम्परागत मार्ग है। अनेक कम्पनियों के लिए यह बहुप्रचलित प्रवेश व्यूहनीति है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उन फर्मों के द्वारा किया जाता है, जो विदेशी बाजार में घरेलू स्तर पर उत्पादित माल को बेचती हैं। निर्यात को लघु एवं वृहत कम्पनियों के द्वारा एक प्रारम्भिक प्रवेश व्यूहनीति की भांति अधिमान दिया जाता है या फिर इसे विदेशी बाजारों को सेवा प्रदान करने में सतत आधार पर भी अपनाया जा सकता है। यह फर्मों को बिना किसी महत्वपूर्ण जोखिम के विदेशी बाजारों में प्रवेश के योग्य बनाती है। मूलभूत रुप में, निर्यातक फर्म उत्पादन, वितरण एवं प्रशासन के लिए वर्तमान स्थापित क्षमता का उपयोग करता है और घरेलू उत्पादन के एक भाग को विदेशी बाजारों के लिए आबंटित कर देती है।

निर्यात निम्नांकित दशाओं में एक उपयुक्त व्यूहनीति मानी जाती है :

(1) बाजार संभावना इतनी अधिक न हो कि विदेशी बाजारों में उत्पादन का औचित्य ठहराया जा सके।

(2) विदेशी बाजार में उत्पादन की उच्च्च लागत हो।

(3) विदेशी बाजार वाले देश में विनियोग के साथ राजनीतिक व अन्य जोखिम जुड. हों।

(4) विदेशी बाजार में अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पादन में बाधाऐं उत्पन्न हो रही हों।

(5) विदेशी बाजार वाले देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है।

(6) विक्रेता को विदेशी बाजार में स्थायी रुचि नहीं हो सकती है।

(7) गृह देश की सरकार पर्याप्त निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती हो।

(8) निर्यातक बढ़े हुए विक्रय के माध्यम से उत्पादन स्तर की बचतें प्राप्त कर सकते हों, जिससे उन्हें तुलनात्मक लाभों का घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर दोनों में अनुभव हो सके।

(9) निर्यातक विदेशी बाजारों में परिचालन का अनुभव प्राप्त करने को अधिमान देते हों। ऐसे अनुभवों से विदेशी बाजार में संलग्नता के अन्य प्रारुपों के माध्यम से आगे और विस्तार किया जा सकता है।

निर्यात की कार्यविधि में विदेशी क्रेता के द्वारा आदेश दिया जाना, आयात लाइसेन्स यदि आवश्यक हो प्राप्त करना सम्मिलित होता है। साथ ही इसमें विश्वसनीय परिवहन एवं मार्गस्थ बीमा और आयातक देश द्वारा लगायी गयी शर्तो की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सम्मिलित होती है। इन आवश्यकताओं का सम्बन्ध तटकर के भुगतान, घोषणा, प्रलेखों एवं निरीक्षणों इत्यादि से होता है।

निर्यात करने के दो मुख्य प्रकार हैं :

1.5.1.1 अप्रत्यक्ष निर्यात

1.5.1.2 प्रत्यक्ष निर्यात

1.5.1.1 अप्रत्यक्ष निर्यात : इस विधि में घरेलू बाजार में उत्पादित वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बाहय एजेन्टों एवं फर्मो को निर्यात करने से सम्बन्धित क्रियाओं को हस्तान्तरित या प्रत्यायोजित करके किया जाता है। इसमें अत्यधिक रोकड़ परिव्यय एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। फर्म केवल एजेन्ट या फर्म जो विदेश में विपणन क्रियाऐं सम्पन्न करती है, के निर्देशों को मानती है।

अप्रत्यक्ष निर्यातों को प्रभावित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध है।

1. **निर्यात के लिए क्रेता** : ऐसे अनेक व्यापारिक निर्यात/आयात गृह है, जो भारतीय निर्माताओं से माल क्रय करते हैं और उन्हें विदेशी बाजार में बेचते हैं।

2. **घरेलू बाजार में विदेशी क्रेता** : विदेशी फर्मे उत्पादों को निर्यातक देशों के आपूर्तिकर्ता कार्यालयों के माध्यम से क्रय करती हैं। यह फर्मे फुटकर व्यापारी या थोक व्यापारी हो सकती हैं जो विदेशों में पुनः विक्रय हेतु उत्पादों को क्रय करती हैं जैसे अमेरिकी विशाल फुटकर व्यापारिक फर्मे जैसे सियर्स एण्ड मर्सीज की अन्य देशों में विदेशी क्रेता कार्यालय हैं। मर्सीज के 30 देशों में क्रेता कार्यालय है। वॉलमार्ट के भी बहुत कार्यालय है। कुछ अन्य कम्पनियॉ भी लगातार समान उद्देश्य के लिए क्रेता दलों को भेजती हैं। समान उद्देश्य हेतु इन विदेशी क्रेता दलों के द्वारा महत्वपूर्ण व्यवसाय किया जाता है, एवं विदेशी क्रेता क्रियाऐं भी की जाती हैं। विदेशी केता, सामान्यतया, विकासशील देशों में परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों को अपनाने की कार्यविधियों में सहयोग करते हैं।

3. **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियॉ/विदेशी आयात गृह** : जापान जैसे देशों के विशाल आयात गृह ऐसे विदेशी बाजारों में प्रवेश के वैकल्पिक प्रारुप उपलब्ध कराते हैं। इन कम्पनियों के अनेक देशों में क्रेता कार्यालय होते हैं। यह फर्में गृह देशों के बाजारों जिनमें वह परिचालन करती हैं, को विदेशी माल की आपूर्ति करती हैं। जापान की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक

कम्पनियॉं जैसे मित्सुबिसी, मित्सुआई और सोनी जापान के कुल निर्यातों का लगभग आधा भाग आच्छादित करती हैं। इन व्यापारिक कम्पनियों के माध्यम से विक्रय अपने आप यह सुनिश्चित करता है कि माल महत्वपूर्ण वितरकों तक पहुँच जाएगा और उनके माध्यम से फुटकर व्यापारियों/उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जाएगा।

4. **निर्यात प्रबन्ध कम्पनी :** ऐसी कम्पनियॉं, अपेक्षाकृत लघुमात्रा के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को करने वाली फर्मो या उन कम्पनियों के लिए जो अपने कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संलग्न करने की इच्छुक नहीं हैं, के एजेन्ट या मध्यस्थ के रुप में कार्य करती हैं। इनका अपना स्वयं का कोई उत्पादन नहीं होता है और यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय विपणन एजेन्ट की तरह कार्य करती हैं और अपने द्वारा निष्पादित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर निर्माताओं से कमीशन प्राप्त करती हैं। निर्यात प्रबन्ध कम्पनियॉं (ई0एम0सी0) निर्यातकों को अपने उत्पादों का विपणन अधिक कार्यक्षमता एवं प्रभावपूर्ण से ढंग करने के लिए सहायता करती हैं। ई0एम0सी0 एक ही समय में कई फर्मों के लिए कार्य करती हैं। एक निर्यातक ई0एम0सी0 के साथ घनिष्ठ सहयोग करता है और इसके माध्यम से किए गए व्यवहारों पर पर्याप्त नियंत्रण रखता है। ई0एम0सी0 प्रायः निर्माताओं के 'लैटर पैड' का उपयोग करते हैं, फर्म की ओर से सौदेबाजी करते हैं और आदेशों एवं इसके मूल्य उद्धरणों पर अनुमोदन प्राप्त करते हैं। अधिकांश ई0एम0सी0 उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से विदेशी साख स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार ई0एम0सी0 दृष्टिकोण लघु आकार की फर्मो को आकार एवं ज्ञान की सीमाओं को दूर करने में सहायक होता है, जबकि इसका निर्यात व्यवहारों पर पर्याप्त नियंत्रण बना रहता है।

अप्रत्यक्ष निर्यात के लाभ एवं सीमाऐं :

अप्रत्यक्ष निर्यात एक लघु फर्म को भी सीमित प्रबंधकीय एवं वित्तीय संसाधनों के बावजूद विदेशी बाजार में प्रवेश के योग्य बनाते हैं। निर्माताओं को लम्बे समय के लिए अपनी पूँजी को फॅसाने की आवश्यकता नहीं होती हैं क्योंकि निर्यातक व्यापारी उन्हें प्रायः क्रय के सापेक्ष भुगतान कर देते हैं। लघु निर्माता जो विपणन शोध एवं विदेशी उपभोक्ताओं को सम्पर्क करने में बड़ी धनराशि व्यय करने में सक्षम नहीं होते हैं, व्यापारिक निर्यातकों या एजेन्टों से आदेश प्राप्त करते हैं। अतः, वह अपने स्वयं के ब्रांडों को सृजित नहीं करते। किन्तु निर्माता कम्पनियां निर्यात गृहों/ विदेशी क्रेताओं पर निर्यात व्यवसाय के लिए निर्भर करती है। साथ ही, निर्यातक व्यापारी का अर्जित होने वाले कमीशन या लाभ से निर्माताओं का प्रत्याय कम हो जाता है।

1.5.1.2 प्रत्यक्ष निर्यात

इस विधि में, घरेलू निर्माता फर्म, निर्यात के कार्य को अन्यों को हस्तांतरिंत करने के स्थान पर स्वयं सम्पादित करती है। इसमें फर्म के लिए माल के विक्रय एवं सम्प्रेषण के समस्त कार्यो में अपेक्षाकृत अधिक संलग्नता आवश्यक होती है। फर्म निर्यात बाजारों एवं उन बाजारों में फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेन्टों या वितरकों का चयन कर सकती है। वह वितरकों को मूल्य निश्चित करने के लिए

अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करती है। साथ ही, वह प्रस्तावित उत्पाद, अपनायी जा सकने वाली अभिप्रेरक व्यूहनीतियों के सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है।

अप्रत्यक्ष निर्यात की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य एवं जोखिमपूर्ण होने के बावजूद, अनेक फर्में प्रत्यक्ष निर्यात का चयन करती हैं। स्पष्ट रुप में, प्रत्यक्ष निर्यात में अप्रत्यक्ष निर्यात की तुलना में अधिक विक्रय होता है। इससे उन्हें अपेक्षाकृत अच्छा लाभ अवशेष प्राप्त होता है। अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात में निर्माता निर्यातक को अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इन सबसे अधिक, निर्माता विदेशों में ब्राण्ड स्थापित कर सकते हैं एवं कम्पनी की छवि निर्मित कर सकते हैं। इससे उत्पादों को अपनाने, और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रेताओं की आवश्यकाओं को पूर्ण करने की सुविधा भी प्राप्त होती है।

अनेक कम्पनियों के लिए अप्रत्यक्ष निर्यात से ही प्रत्यक्ष निर्यात का उद्भव हुआ है। जैसे–जैसे विदेशी बाजारों का ज्ञान एवं अप्रत्यक्ष निर्यात के द्वारा अर्जित विक्रय बढ़ रहा है, फर्म अपना प्रत्यक्ष निर्यात करने का निर्णय कर सकती है।

निर्यात कई बार, सीमा पार निवेश की अन्य विधियों से अधिक महंगा हो सकता है। साथ ही आयोजक देश निर्यातों में नयी टैरिफ दरों को लगाकर बाधाऐं उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थितियों में विदेशी बाजार में प्रवेश की अन्य विधियों का अनुसरण करना पड़ सकता है।

1.5.2 लाइसेन्सिंग

अन्तर्राष्ट्रीय लाइसेन्सिंग के अन्तर्गत, एक देश की एक फर्म, अन्य देश की एक फर्म को अपनी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों जैसे पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, तकनीकी एवं विपणन कौशलों को अधिकार शुल्क (रायल्टी) या शुल्क के भुगतान के सापेक्ष प्रयोग की अनुमति देती है। ऐसे अधिकारों के आपूर्तिकर्ताओं को लाइसेन्स प्रदाता कहा जाता है। तकनीकी ज्ञान एवं निर्माण अधिकारों को प्राप्त करने वाली फर्म को लाइसेन्सी (लाइसेन्स प्राप्तकर्ता) फर्म कहा जाता है। लाइसेन्स प्रदाता विदेशों में उत्पादन सुविधाओं और विपणन क्रियाओं में निवेश करने से बचता है। अतः, लाइसेन्स प्रदानकर्ता की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संलग्नता अत्यन्त कम स्तर की हो जाती है।

लाइसेन्सिंग समझौते में स्पष्ट रुप में प्रत्येक पक्षकार को अनुमन्य अधिकार, उत्तरदायित्व, सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजारों और रॉयल्टी की धनराशि को निर्दिष्ट करना पड़ता है। अनेक देशों में, रॉयल्टी या शुल्क की धनराशि का नियमन सरकार करती है। लाइसेन्सिंग समझौता सौदाकारी शक्तियों पर निर्भर करता है और प्रत्येक स्थिति में भिन्न हो सकता है।

एक लाइसेन्सिंग समझौता एक क्रॉस लाइसेन्सिंग भी हो सकता है। इसमें ज्ञान और अथवा पेटेन्ट का परस्पर विनिमय भी सम्मिलित होता है। ऐसी दशा में, कोई मौद्रिक भुगतान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लाइसेन्सिंग समझौते विभिन्न समयावधियों के लिए किए जाते हैं। विदेशी लाइसेन्स एक लम्बे समय के लिए मशीनरी एवं अन्य संपत्तियों में किए गए प्रारंम्भिक विनियोग को वसूल करने के लिए भी हो सकता है। लाइसेन्सिंग समझौते में सामान्यया नवीनीकरण का विकल्प भी सम्मिलित किया जाता है।

लाइसेन्सिंग समझौता लाइसेन्स प्रदाता के नियंत्रण के विविध अंशों को भी सन्निहित करता है। कई बार समझौता यह आवश्यक करता है कि पुर्जों या

अन्तरिम उत्पादों को लाइसेन्स प्रदाता से क्रय करना आवश्यक होगा। समझौते में यह भी निर्दिष्ट किया जा सकता है कि किन गुणवत्ता मानकों को पूर्ण किया जाएगा अथवा इसके द्वारा विपणन क्षेत्र को सीमित भी किया जा सकता है।

लाइसेन्सिंग के लाभ एवं दोष :

क्योंकि लाइसेन्सिंग में संसाधनों की न्यूनतम प्रतिबद्धता निहित होती है, अतः यह उस फर्म के लिए उपयुक्त है, जिसके पास ज्ञान अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में सक्रिय रुप में संलग्न रहने के लिए समय का अभाव है। एक ऐसी कम्पनी के लिए जिसके संसाधन सीमित हैं, यह लाभदायक हो सकता है कि एक विदेशी साझेदार, एक लाइसेन्सिंग संविदा को हस्ताक्षरित कर, उसके उत्पादों का विपणन करे। लाइसेन्सिंग सीमित प्रबंधकीय संसाधनों को अधिक आकर्षक बाजारों में उपयोग करने की अनुमति एक फर्म को देता है। यह तब भी एक उपयुक्त चयन होता है, जब लक्षित बाजार की बाजार संभाव्यता एक निर्माणी क्रिया को समर्थित करने के लिए बहुत कम होती है। लाइसेन्सिंग आयोजक देश में लाइसेन्सी फर्म के छोटे आकार के दृष्टिगत सरकारी नियमन में आने की जोखिम को कम करता है। लाइसेन्सिंग ऐसे बाजार में कई अच्छी प्रवेश करने की विधि है, जहां सरकारी नियमन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आयात प्रतिबन्धित होता है। लाइसेन्सी को अपनी स्वयं की तकनीकी के विकास की आवश्यकता नहीं होता है। यह शोध एवं विकास में निवेश आवश्यकताओं में कमी करता है और परिणामस्वरुप इनकी असफलता का जोखिम भी कम हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक एवं व्यापारिक जोखिम दोनों कम हो जाते हैं।

सरकारी आदेश की पूर्ति करने वाले उच्च राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों में, स्थानीय सरकारें, प्रायः स्थानीय निर्माताओं से क्रय करना पसन्द करती हैं। इससे एक 'क्लब' का निर्माण होता है, जहॉं विदेशी प्रतियोगी कोई भी बाजार अंश पा सकना कठिन पाते हैं। ऐसी स्थिति में, विदेशी प्रतियोगी अपने किसी सदस्य को लाइसेन्सिंग के द्वारा 'क्लब' में सम्मिलित हो सकते हैं।

लाइसेन्सिंग का एक मुख्य दोष यह है कि लाइसेन्स स्वयं एक प्रतियोगी के रुप में, लाइसेन्सिंग समझौते की समाप्ति के पश्चात, सामने आा है। लाइसेन्स प्रदाता रॉयल्टी प्राप्त करते हैं, जिसे सामान्यतः विक्रय की मात्रा के प्रतिशत के रुप में भुगतान किया जाता है। रॉयल्टी की धनराशि, उस स्थिति में जबकि लाइसेन्स प्राप्तकर्ता का विपणन कौशल कम विकसित होता है, अपेक्षित स्तर से कम हो सकती है। यही नहीं, लाइसेन्सिंग शुल्क सामान्यतः उस लाभ से बहुत कम होता है जिसे निर्यात करके अथवा स्थानीय निर्माण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था।

1.5.3 फेंचाइजिंग

'फ्रेंचाइजिंग' विशिष्ट प्रकार की लाइसेन्सिंग है, जिसमें फेंचाइज प्रदानकर्ता अधिकार आपूर्तिकर्ता होता है, जो किसी अन्य स्वतन्त्र फर्म को ऐसे अधिकार स्वीकृत करता है, जिसे 'फ्रेचाइज' कहा जाता है। यह एक निर्धारित ढंग से व्यवसाय करने का अधिकार होता है। 'फेंचाइज' समझौता, सामान्य नियमित लाइसेन्सिंग समझौते की तुलना में फ्रेचाइज को निर्दिष्ट कुल परिचालनों के सम्बन्ध में, कहीं अधिक विस्तृत होता है। फेंचाइज प्रदानकर्ता उपलब्ध कुल विपणन कार्यक्रम बनाता है, जिसमें ब्राण्ड का नाम, चिन्ह या 'लोगों' उत्पाद और परिचालन की विधियां सम्मिलित होती हैं। बदले में, फेंचाइज प्राप्तकर्ता पूंजी का

विनियोग करता है और आयोजक देश के वातावरण के सम्बन्ध में ज्ञान उपलब्ध कराता है।

लाइसेन्सिंग एवं फ्रेंचाइजिंग में मुख्य अन्तर यह है कि फ्रेंचाइज प्रदानकर्ता न केवल फ्रेंचाइज प्राप्तकर्ता को अधिकार प्रदान करता है बल्कि उसे उसके परिचालनों में कच्चे माल और अन्य आगतों की आपूर्ति के द्वारा सहायता भी करता है, जबकि लाइसेन्सिंग में केवल ज्ञान का विक्रय होता हैं। फ्रेंचाइज प्रदानकर्ता के पास लाइसेन्स के अन्तर्गत उत्पाद का बेहतर नियन्त्रण होता है।

फ्रेंचाइजिंग के मुख्य प्रारुप निर्माता–फुटकर प्रणालियां (जैसे वाहन डीलरशिप), निर्माता–थोक प्रणालियां (जैसे–साफ्ट ड्रिक्स कम्पनियां) और सेवा–फुटकर व्यवसाय में फ्रेंचाइज लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। अनेक कम्पनियां विदेशी फ्रेंचाइज समझौतों के माध्यम से विदेशी बाजारों में अवसरों का लाभ उठा रही हैं। इन कम्पनियों में मैकडोनाल्ड, बर्जर किंग, कैण्ट की फ्रायड चिकन और अन्य अमेरिकन फास्ट फूड चेन्स, जिनके लैटिन अमेरिका, एशिया एवं यूरोप में परिचालन हैं, सम्मिलित हैं। फ्रेंचाइज डील अथवा सौदे की शर्तों के अनुसार पेप्सी–कोला और कैडबरी स्कवैप्स, के मध्य फ्रेंचाइज सौदे में पेप्सी कैडबरी स्कवैप्स के ब्रॉड को बॉटल एवं वितरण पोलैन्ड, हंगरी एवं स्लोवाकिया में करेगी। सेवा कम्पनियां जैसे होलिडे इन, हर्ट्ज एण्ड मैनपॉवर कार्पोरेशन, ने भी विदेशी बाजारों में प्रवेश हेतु फ्रेंचाइजिंग समझौते को अपनाया है।

1.5.4 प्रबन्ध संविदाऐं

एक प्रबन्ध संविदा विदेशी बाजार में प्रवेश की न्यून जोखिमपूर्ण पद्धति है और यह प्रारम्भ से ही आय प्रदान करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक कम्पनी, दूसरी कम्पनी को एक निर्धारित शुल्क के बदले में प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराती है। प्रबंधकीय तकनीकी ज्ञान प्रदान करने वाली फर्म के द्वारा प्रबन्ध किए जाने वाले उपक्रम में कोई समता अंश धारण नहीं किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता कौशलों के एक पैकेज को साथ आता है और अपने उपभोक्ता को एक एकीकृत सेवाऐं किसी जोखिम और स्वामित्व लाभ के बिना उपलब्ध कराता हे। इस प्रकार की व्यवस्था अपेक्षाकृत आकर्षक हो जाती है, यदि संविदारत फर्म को प्रबन्धित कम्पनी के कुछ अंशों के क्रय का विकल्प एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत प्रदान कर दिया जाता है। प्रबंध संविदायें फर्मो के परिचालनों के राष्ट्रीयकृत अथवा स्वामित्व विहीन हो जाने पर भी प्रयोग की जा सकती हैं। कुछ निश्चित स्थितियों में, एक विदेशी कम्पनी को सरकारी दबाव, परिचालनों को आयोजक देश में विक्रय करने या नियंत्रण त्याग देने हेतु विवश कर देता है। ऐसी स्थितियों में आय सृजित करने का एक विकल्प व्यवसाय के प्रबन्ध हेतु सरकार के साथ प्रबन्ध संविदा हस्ताक्षरित करना या नए स्वामी के साथ संविदा करना हो सकता है। नए स्वामी में तकनीकी एवं प्रबन्धकीय विशेषज्ञता का अभाव हो सकता है और यह आवश्यक हो सकता है कि पूर्व स्वामी तब तक निवेश का प्रबन्ध करें जब तक स्थानीय कर्मचारी निवेश सेवा के प्रबन्धन के योग्य नहीं हो जाते हैं। प्रबन्धकीय नियंत्रण प्रबन्धकीय कम्पनी हेतु अतिरिक्त आय सृजित करने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह प्रबन्धित कम्पनी के निर्यात व्यवसाय या अन्य उत्पादों की अधिप्राप्ति भी कर सकता है। इसे उन आगतों की

आपूर्ति के लिए भी कहा जा सकता है, जिसे प्रबन्धित कम्पनी को आवश्यकता होती है।

कुछ भारतीय कम्पनियॉ–जैसे टाटा टी, हैरिसन मलियालम और ए0वी0टी0 के पास श्रीलंका में कई प्लांटेशनों (चाय बागानों) की प्रबन्धन संविदाऐं हैं।

1.5.5 टर्नकी परियोजनाऐं

टर्नकीपरियोजना' परिचालन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विक्रेता क्रेता को ऐसी पूर्ण सुविधाऐं प्रदान करता है, जिसे क्रेता के कर्मचारी तुरन्त परिचालित कर सकते हैं। इसके उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत ठेकेदारों या उपठेकेदारों को तलाशनें की आवश्यकता नहीं होती है। एक टर्नकी परियोजना के प्रारुप में पैकेज व्यवस्था एक इकाई के संचयों एवं दायित्वों को अनुमति प्रदान करती है। इस प्रकार, यह विचार विमर्श, पर्यवेक्षण एवं जबावदेही के कार्य को अत्यन्त सरल बनाती है।

इस प्रकार की व्यवस्था सामान्यतः वृहत आकार की परियोजनाओं जैसे उत्पादन प्लाण्ट या उपयोगिता निर्माणों में पायी जाती है। इस प्रकार यह परियोजनाऐं उन फर्मो के द्वारा विदेशों में क्रियान्वित करने हेतु हाथ में ली जाती है जो विस्तृत वित्तीय तकनीकी एवं प्रबन्धकीय संसाधनों के प्रक्रियन के द्वारा परियोजनाऐं संचालन के कार्य में संलग्न होती हैं। एक 'टर्न की परियोजना' के अन्तर्गत ठेकेदार विभिन्न चरणों/भागों को उप ठेके पर देते हैं।

यह विधि उन विदेशी राष्ट्रों के लिए उपयुक्त है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबन्धित करते हैं और देशी उद्योगों को विकसित करना चाहते हैं।

1.5.6 विदेशी राष्ट्रों में स्थानीय निर्माण करना

कभी–कभी निर्यातक फर्में अपने घरेलू आधार से समस्त विदेशी बाजारों में आपूर्ति को असम्भव या अवांछनीय पा सकते हैं। एक निर्माणी व्यूहनीति का लक्ष्य एक लक्षित बाजार देश के भीतर, इसमें प्रवेश के एक साधन के रुप में एक आधार का निर्माण हो सकता है। इस विधि का एक अन्य परिवर्तित स्वरुप पूर्ण निर्माण से ठेका निर्माण एवं आंशिक निर्माण तक विस्तृत हो सकता है। कई कम्पनियॉ यह लाभप्रद पाती हैं कि अन्य साधनों पर उत्पादित उत्पादों के साथ विशिष्ट बाजार में आपूर्ति के स्थान पर स्थानीय स्तर पर निर्माण किया जाय।

एक कम्पनी विदेशों में निर्माण सुविधाओं में विनियोग करने को क्यों प्राथमिकता देती है। इस प्रश्न के अनेक कारण हैं। इसके मुख्य कारणों में कच्चे माल तक सरल पहुॅच, कम श्रम लागतें, अन्य उत्पादन के कारकों जैसे ऊर्जा की बहुतायत, कम परिवहन लागतें, कम जोखिम, बाजार का आकार, तटकर बाधाऐं एवं राजनीतिक विचारणीय बिन्दु इत्यादि सम्मिलित होते है। इन कारकों की उपस्थिति के कारण आयातित वस्तुऐं प्रतिस्पर्धा विहीन हो जाती हैं। होंडा कम्पनी की कार विक्रय का 68 प्रतिशत निर्यात से आता है और 43 प्रतिशत अमेरिकी बाजार से आता है। कम्पनी ने भावी समस्याओं से बचने के लिए ओहियो में प्लाण्ट स्थापित किया है। कम्पनी ने भावी समस्याओं से बचने के लिए ओहियो में प्लाण्ट स्थापित किया है। एक बन्दूक निर्माता कम्पनी 'बेरेटा' ने मैरीलैण्ड यू0एस0ए0 में हैंडगन्स के निर्माण के लिए इकाई स्थापित की है, ताकि कानूनी आवश्यकताऐं पूर्ण की जा सकें, जिनके कारण कम खर्चीली छोटी बैरल वाली पिस्तौलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगता है।

सकारात्मक कारको में फर्मों को विदेशों में उत्पादन करने हेतु प्रेरित करना भी सम्मिलित हो सकता है। कुछ बाजार जैसे यूरोपियन यूनियन –कार्यक्षमता पूर्ण प्लाण्ट के आकार को सुनिश्चित करने के योग्य विशाल आकार के हैं। साथ ही, स्थानीय उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर ध्यान में रखता है, जिनमें उत्पाद का डिजायन, वितरण और सेवा भी सम्मिलित है। अन्त में, विदेशी राष्ट्रों में प्लाण्ट को स्थानीयकरण के पीछे अभिप्रेरणा नए बाजारों में प्रवेश के स्थान पर लागतों में कमी होती है।

विदेशी विनिर्माण के दृष्टिकोण

विदेशी विनिर्माण के विभिन्न दृष्टिकोण उत्पादन एवं विपणन में संलग्नता की सीमा के अनुसार भिन्न–भिन्न होते हैं। यह दृष्टिकोण निम्नवत हैं :

1.5.6.1 ठेका निर्माण

ठेका निर्माण के अन्तर्गत एक कम्पनी अपने उत्पाद का निर्माण ठेके के आधार पर एक स्वतन्त्र स्थानीय कम्पनी के द्वारा किए जाने की व्यवस्था करती है। निर्माता का उत्तरदायित्व उत्पादन तक सीमित होता है। तत्पश्चात विक्रय, प्रवर्तन और वितरण के विपणन संबंधी उत्तरदायित्व अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी के द्वारा लिए जाते हैं। एक प्रकार से, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी स्थानीय फर्म की उतपादन क्षमता को किराए पर ले लेती है, ताकि वह अपने उत्पाद के आयात पर लगने वाले व्यापार प्रतिबन्धों से या अपना स्वयं का प्लान्ट स्थापित करने से बच सकें। ठेका निर्माण लाइसेन्सिंग से भिन्न है, जिसमें स्थानीय फर्म (निर्माता) अन्तर्राष्ट्रीय फर्म के द्वारा प्रदत्त आदेशों के आधार पर उत्पादन करता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय फर्म आदेश देने के आगे कोई प्रतिबद्धताऐं नहीं करती है। किन्तु, गुणवत्ता नियन्त्रण प्रायः एक समस्या बनी रहती है जबकि उत्पादन कार्य दूसरी फर्म द्वारा किया जाता है।

1.5.6.2 विदेशी असेम्बली

विदेशी असेम्बली में, फर्म एक उत्पाद के पुर्जों या आगतों को सम्पूर्ण रुप में या इनके समूहों को घरेलू स्तर पर उत्पादित करती है और तब उन्हें असेम्बली के लिए विदेशी बाजारों में भेज देती है (असेम्बली का अर्थ है बिखरे हुए पुर्जो या उपकरणों की फिटिंग या उन्हें एक साथ जोड़ना)। इस व्यूहनीति में प्रत्येक देश का तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक उत्पाद के विभिन्न पुर्जों को विभिन्न देशों में उत्पादित किया जाता है। पूॅजीगत निवेश के पुर्जों को विकसित राष्ट्रों में उत्पादित किया जाता है। पूॅजीगत निवेश के पुर्जों को विकसित राष्ट्रों में उत्पादित किया जाता है, जबकि श्रम गहन असेम्बली को कम श्रम लागत वाले कम विकसित देशों में उत्पादन किया जाता है। यह व्यूहनीति उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स के निर्माण में सामान्यतः प्रयुक्त होती है। असेम्बली परिचालन को प्रोत्साहित करने का एक अन्य कारण निर्मित माल की अपेक्षा पुर्जों एवं उपकरणों पर कम आयात कर का होना है। इसके अतिरिक्त, असेम्बली परिचालन 'स्थानीय सामग्री' की मांग को कुछ सीमा तक संतुष्ट भी करता है।

1.5.7 प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ0डी0आई0) से आशय एक कम्पनी की पूॅजी, सम्पत्तियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय सीमाओं से परे सुनिश्चित करना है। इसमें नए परिचालनों की स्थापना के साथ–साथ विद्यमान कम्पनियों की सम्पत्तियों का क्रय भी सम्मिलित होता है। विश्वव्यापक स्तर पर एफ0डी0आई0 की

बढ़ती हुई लोकप्रियता के पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं। घरेलू बाजार में सीमित बाजार अवसर, संवृद्धि की आकांक्षा, विदेशी परिचालनों की गुणवत्ता का संरक्षण करना, विदेशी परिचालनों पर अपेक्षाकृत अधिक नियन्त्रण स्थापित करना और आयात प्रतिबन्धों के द्वारा उत्पन्न व्यापार बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता इत्यादि एफ0डी0आई0 प्रवाह के मुख्य कारण हैं। स्वामित्व की दृष्टि से, विदेशी निवेश संयुक्त उपक्रम या आयोजक देश में पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी का स्वरुप ग्रहण करते हैं।

1.5.7.1 संयुक्त उपक्रम

संयुक्त उपक्रम ऐसी कार्पोरेट साझेदारियां हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय निगम एवं अन्य पक्षकारों के बीच में आयोजक देश के कानून के अन्तर्गत किया जाता है। संयुक्त उपक्रम की आवश्यक विशेषता विदेशी फर्म और स्थानीय फर्म के बीच में स्वामित्व एवं प्रबन्ध में भागीदारी है। कुछ दशाओं में, इसमें दो साझेदारों से अधिक संलग्न होते हैं। उदाहरणार्थ 'पेप्सी' के भारतीय संयुक्त उपक्रम में ' वोल्टास' और पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन सम्मिलित हैं।

एक अत्यधिक भिन्न प्रकार का संयुक्त उपक्रम 50/50 उपक्रम है। जिसमें दो पक्षकार होते हैं, जिनमें प्रत्येक स्वामित्व में 50 प्रतिशत अंशधारित करता है और परिचालन नियन्त्रण में प्रतिभाग करने हेतु प्रबंधकीय दल में योगदान करता है किन्तु कुछ फर्में ऐसे संयुक्त उपक्रमों को पसन्द करती हैं जिनमें उनका बहुमत आधारित अंश हो और इस प्रकार उन्हें कठोर नियंत्रण शक्ति प्राप्त हो।

संयुक्त उपक्रम के कई लाभ हैं। प्रथम, एक फर्म को आयोजक देश की प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों, संस्कृति, भाषा, राजनीतिक प्रणाली और व्यावसायिक प्रणाली के विषय में स्थानीय साझेदार के ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। दूसरे, जब विदेशी परिचालनों को प्रारम्भ करने की विकास लागत और/अथवा जोखिम उच्च हो, एक फर्म इन लागतों और/अथवा जोखिम को स्थानीय साझेदार के साथ बॉटकर लाभान्वित हो सकती है। तीसरे, कई देशों में, राजनीतिक कारण संयुक्त उपक्रम की विधि को एक मात्र प्रवेश का मार्ग बनाते हैं।

इन लाभों के बाबजूद, संयुक्त उपक्रम के कई मुख्य दोष भी हैं। प्रथम, एक फर्म जो संयुक्त उपक्रम में सम्मिलित होती है, वह अपने साझेदार को अपनी तकनीकी के नियंत्रण को प्रदान करने का जोखिम भी उठाती है। दूसरा दोष यह है कि एक संयुकत उपक्रम एक फर्म को अपनी सहायक कम्पनी पर कठोर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है, जिसकी उसे अनुभव वक्र या स्थानीयकरण अर्थशास्त्र को अनुभव करने के लिए आवश्यकता होती है। एक तीसरा दोष यह है कि संयुक्त उपक्रमों में स्वामित्व व्यवस्था में भागीदारी से निवेशकर्ता फर्मों में नियन्त्रण के लिए संघर्ष एवं लड़ाई की संभावनाओं को बल मिलता है, यदि उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में परिर्वतन हो या 'क्या व्यूहनीति अपनायी जाय' के सम्बन्ध में उनमें मत–भिन्नता हो। यह संघर्ष तब और बड़े हो जाते हैं, जब उपक्रम दो भिन्न राष्ट्रीयताओं की फर्मों के बीच में हो और वे प्रायः उपक्रम के समापन के द्वारा इसे समाप्त कर लेते हैं।

1.5.7.2 पूर्णतया स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कम्पनियॉ

पूर्णतया स्वामित्व का अर्थ है अन्तर्राष्ट्रीय फर्म के द्वारा शत प्रतिशत स्वामित्व प्राप्त करना। एक पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में, पैतृक

कम्पनी 100 प्रतिशत मतदान शक्ति प्राप्त करती है किन्तु इसका दायित्व उस सहायक कम्पनी की सम्पत्तियों तक सीमित होता है। यह विदेशी उत्पादन स्वामित्व का एक प्राथमिकता प्राप्त प्रारुप है क्योंकि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी को बेहतर नियंत्रण एवं लोच प्रदान करता है। यह बहुराष्ट्रीय परिचालनों में समन्वय की सुविधा भी प्रदान करता है।

एक अन्तर्राष्ट्रीय फर्म पूर्णतया स्वामित्व वाली विदेशी उत्पादन सुविधाओं को दो प्रकार से प्राप्त कर सकती है :

- विदेशी उत्पादक या संयुक्त उपक्रम साझेदारों को क्रय करना–अधिग्रहण विधि अथवा
- प्रारम्भ से अपनी स्वयं की सुविधाओं की स्थापना एवं विकास।

पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की सीमाओं में पूंजी संसाधनों की अपर्याप्तता, प्रबन्धकीय कार्मिकों की कमी, नकारात्मक आयोजक देश की सरकार और जन सम्पर्क प्रभाव आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत स्वामित्व फर्म को स्थानीय व्यवसाय और सांस्कृतिक ज्ञान एवं राष्ट्रीय साझेदार के संपर्कों से वंचित कर सकता है।

1.5.8 व्यूहनीतिक सहबंध

व्यूहनीतिक सहबंध अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में लोकप्रिय हो गए हैं, परस्पर प्रतियोगिता करने के स्थान पर अपने प्रतिस्पर्धियों से मैत्री कर फर्म के तुलनात्मक लाभ में अभिवृद्धि करना इस व्यूहनीति का मन्तव्य है। एक सहबंध में, साझेदार एक विशिष्ट संसाधन या कौशल को साथ में लाते हैं, प्रायः उसे जो पूरक प्रकृति का हो। संसाधनों में प्रतिभागिता करके दोनों साझेदार एक दूसरे के अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। इस व्यवस्था में एक नई संस्था का निर्माण हो भी सका है अथवा नहीं भी हो सकता है। विशेषतः, सहबन्ध में यातों वितरण तक पहुंच के तकनीकी हस्तांतरण या उत्पादन तकनीकी संलग्न होती है, जिसमें प्रत्येक साझेदार उपक्रम में भिन्न–भिन्न तत्व का योगदान करता है।

आटोमोबाइल उद्योग के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों में कई सहबंध स्थापित हुए हैं। जापान की इशुजू मोटर्स लिमिटेड और फूजी हैवी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने यू0एस0ए0 में फूजी के लिए कारों और इशुजू के लिए ट्रकों को समान आटो लाइन पर बनाने के लिए एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया हैं भारत में 'टाटा टी' ने 'टेटले' के साथ सहबंध में प्रवेश किया है, ताकि 'टेटले' का विपणन अनुभव टाटा चाय को विदेशों में विपणन करने के काम में आ सके।

एक व्यूहनीतिक सहबंध से आशय है : (क) कि एक सामान्य उद्देश्य हो (ब) कि एक साझेदार कमजोरी को दूसरे साझेदार के द्वारा दूर किया जाय (स) उद्देश्य को अकेले प्राप्त करना काफी व्यय साध्य अधिक समय लेने वाला या अत्यधिक जोखिमपूर्ण है और (द) साथ में उनकी पृथक शक्तियां मिलकर उस कार्य को संभव बनाती है जो अन्यथा सम्पन्न करने में असंभव है। संक्षेप में, एक व्यूहनीतिक सहबंध एक ' सिनर्जी' युक्त मैलीसम्बन्ध है, जिसे दोनों पक्षकारों के लाभ के लिए एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है।

फर्मे परस्पर अपने वास्तविक या प्रत्याशित प्रतिस्पर्धी के साथ विभिन्न व्यूहनीतिक उद्देश्यों के लिए सहबंध स्थापित करती हैं। प्रथम, इससे विदेशी बाजारों में प्रवेश की सुविधा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, मोटरोला' ने प्रारम्भ में जापानी सैल्यूजर टेलीफोन बाजार में प्रवेश प्राप्त करना अत्यधिक कठिन अनुभव किया था। 1980 के दशक के मध्य में, ने जापान के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यापार प्रतिबन्धों की जोर–शोर से शिकायत की थी। मोटरोला के लिए परिवर्तन का बिन्दु 1987 में आया जबकि इसने 'टोशिबा' के साथ माइक्रोप्रोसेसर बनाने के लिए सहबंध स्थापित किया। समझौते के अनुसार टोशिबा ने मोटरोला को विपणन सहायता प्रदान की, जिसमें उसके कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रबन्धक भी थे। इस सहबंध ने मोटरोला को जापान के बाजार में प्रवेश की सरकारी अनुमति प्राप्त करने में सहायता की।

व्यूहनीतिक सहबंध फर्मो को स्थिर लागतों और सम्बन्धित जोखिमों, जो नए उत्पाद के विकास एवं प्रक्रिया में आती हैं, को बांटने की सुविधा प्रदान करता है। मोटरोला का टोशिवा के साथ सहबंध माइक्रोप्रोसेसर निर्माण के परिचालन की स्थापना में निहित उच्च स्थिर लागतों को बांटने की इच्छा से आंशिक रुप से अभिप्रेरित था। माइक्रोप्रोसेसर उद्योग इतना अधिक पूंजी गहन है कि मोटरोला और टोशिबा में प्रत्येक ने सुविधा की स्थापना के लिए लगभग 1 बिलियन डालर का योगदान किया, जिसे लागत और जोखिम को बहुत कम फर्मे स्वयं उठाने का साहस कर सकती है। इसी प्रकार, बोइंग और कई जापानी कम्पनियों के द्वारा 767 को स्थापित करने के लिए सहबंध निर्मित करना भी एयर क्राफ्ट को विकसित करने के लिए आवश्यक 2 बिलियन डालरों के अनुमानित निवेश को बांटने की इच्छा से अभिप्रेरित था।

1.6 प्रवेश व्यूहनीति के चयन को प्रभावित करने वाले कारक

सीमापार बाजारों में प्रवेश की विधियों का चयन व्यूहनीतिक निर्णयों में से एक है, जिसे बहुराष्ट्रीय उपक्रमों को संसाधनों के निवेश के पूर्व करना होता है। सही विधि का चयन करने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है और न ही कोई एक प्रवेश विधि है, जो विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। प्रायः, कोई कम्पनी लाभदायकता एवं सवंद्धि के लिए नए बाजार की ओर जाती है। वैकल्पिक प्रवेश विधियों का विश्लेषण, प्रत्याशित विक्रय स्तर, लागतों एवं सम्पत्तियों के स्तर जिनसे अन्ततः लाभदायकता निर्धारित होती है, के लिए किया जाना चाहिए अन्य महत्वपूर्ण ध्यान में रखने योग्य बातें जो प्रवेश की विधि के चयन को प्रभावित करती है, में फर्म का आकार, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फर्म का अनुभव, फर्म के उत्पाद की उत्पाद जीवन चक्र की स्थिति, विभिन्न प्रवेश विधियों के साथ निहित जोखिम स्तर, और संबंधित विदेशी राष्ट्र का राजनीतिक एवं विधिक वातावरण सम्मिलित हैं।

1.7 सारांश

एक विदेशी बाजार में प्रवेश की विधि एक कम्पनी के समक्ष, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का निश्चय करती है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं और कम्पनी को यह सावधानीपूर्वक निर्धारित करना होता है कि कौन सा विकल्प चयनित किया जाय। प्रवेश की विधियों में अप्रत्यक्ष निर्यात,

प्रत्यक्ष निर्यात, लाइसेन्सिंग, फ्रेचाइजिंग, प्रबन्ध संविदायें, टर्न की परियोजनाऐं, संयुक्त उपक्रम और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इत्यादि सम्मिलित हैं। फर्मे सामान्यतया अप्रत्यक्ष विधि से प्रारम्भ करती हैं और अन्ततः एक समयावधि के अन्त में प्रत्यक्ष निवेश के चरण तक पहुंचती हैं। ज्यों–ज्यों कम्पनियां अप्रत्यक्ष निर्यातों से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश तक गतिमान होती हैं, वैसे ही लाभों, नियंत्रण एवं जोखिमें भी बढ़ती हैं। प्रत्येक विधि के कुछ निश्चित गुण एवं दोष हैं।

किन्तु, विदेशी बाजार में प्रवेश की सही विधि के चयन की सुविधा प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट नियम नहीं है और न ही कोई ऐसी एकमात्र प्रवेश विधि है जो विभिन्न देशों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।

किसी विशिष्ट प्रवेश विधि का चयन, इस प्रकार, कई कारकों पर निर्भर करता है। सामान्यतः, कोई भी कम्पनी जो नए बाजार की ओर जाना चाहती है, लाभदायकता एवं संवृद्धि, परिचालनों का नियन्त्रण एवं सन्निहित जोखिम को देखती है। अतः कम्पनियों को प्रवेश की विभिन्न वैकल्पिक विधियों का विश्लेषण इन मानकों का उपयोग करके करना चाहिए और तब प्रवेश की किसी विशिष्ट विधि पर निर्णय लेना चाहिए।

1.8 शब्दावली

निर्यात प्रबन्ध कम्पनी : ऐसी कम्पनियॉ, जो एजेन्ट या मध्यस्थ के रुप में कार्य करती हैं। इनका अपना स्वयं का कोई उत्पादन नहीं होता है और यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय विपणन एजेन्ट की तरह कार्य करती हैं और अपने द्वारा निष्पादित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर निर्माताओं से कमीशन प्राप्त करती हैं।

प्रबन्ध संविदाः विदेशी बाजार में प्रवेश की न्यून जोखिमपूर्ण पद्धति है, जिसके द्वारा एक कम्पनी, दूसरी कम्पनी को एक निर्धारित शुल्क के बदले में प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराती है।

टर्नकी परियोजना'ःएक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विक्रेता क्रेता को ऐसी पूर्ण सुविधाऐं प्रदान करता है, जिसे क्रेता के कर्मचारी तुरन्त परिचालित कर सकते हैं। इसके उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत ठेकेदारों या उपठेकेदारों को तलाशनें की आवश्यकता नहीं होती है।

'फ्रेंचाइजिंग'ः विशिष्ट प्रकार की लाइसेन्सिंग है, जिसमें फ्रेंचाइज प्रदानकर्ता अधिकार आपूर्तिकर्ता होता है, जो किसी अन्य स्वतन्त्र फर्म को एक निर्धारित ढंग से व्यवसाय करने काअधिकार स्वीकृत करता है, जिसे 'फ्रेचाइज' कहा जाता है।

लाइसेन्सिंगःःएक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश की एक फर्म, अन्य देश की एक फर्म को अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों जैसे पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, तकनीकी एवं विपणन कौशलों को अधिकार शुल्क (रायल्टी) या शुल्क के भुगतान के सापेक्ष प्रयोग की अनुमति देती है।

ई0एम0सी0 : निर्यात प्रबन्ध कम्पनियॉ,

एफ0डी0आई0 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश,एस0एण्डटी0, विज्ञान एवं तकनीकी,

ओ0पी0ई0सी0(ओपेक) ः पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन,

ई0ई0सी0 ः यूरोपीय आर्थिक समूह

1.9 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(1) .... उद्योग लाइसेन्सिंग को एक प्रवेश विधि के रुप में अन्य विधियों से अधिक पसन्द करता है।

(2) मेकडोनाल्ड ने भारतीय बाजारों में प्रवेश .... विधि का प्रयोग करके किया है।

(3) भारतीय रेलवे ने अन्य देशों को .... परियोजनाऐं निर्यात की है।

(4) बहुराष्ट्रीय निगम विदेशी राष्ट्रों में प्रवेश की विधि के रुप में .... को उपयोग करना पसन्द करते हैं।

(5) प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश आयोजक देश में .... सृजित करते हैं।

(ब) सत्य/असत्य बताइए।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा व्यापक शब्द है।

(2) दीर्घकाल में भी, फर्मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से बिना किसी प्रभाव के लगातार विकसित होती हैं।

(3) फर्में तब निर्यात करती हैं, जब वह स्वयं को घरेलू बाजार में स्थापित कर लेती हैं।

(4) अप्रत्यक्ष निर्यात प्रत्यक्ष निर्यात की अपेक्षा दीर्घकाल में समान तुलनात्मक लाभ प्रदान करता है।

(5) निर्यात विदेशी बाजारों में प्रवेश की अच्छी विधि नहीं है जब उच्च तटकर दरें आयातक देश के द्वारा लगायी जाती हैं।

1.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) (1) सेवा (2) फ्रेंचाइजिंग (3) टर्नकी (4) स्थानीय (5) निर्माण (6) रोजगार।

(ब) (1) सत्य (2) असत्य (3) सत्य (4) असत्य (5) सत्य।

1.11 स्वपरख प्रश्न

1. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यात के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।
2. लाइसेन्सिंग समझौता क्या है। विदेशी बाजारों में प्रवेश की लाइसेन्सिंग विधि के गुण एवं दोष बताइए।
3. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :
   (अ) व्यूहनीतिक सहबंध
   (ब) टर्नकी परियोजनाऐं
4. एक फर्म, जो केवल फ्रेंचाइजिंग को प्रवेश व्यूहनीति के रुप में उपयोग करती है, को किन कठिनाइयों का सामना करना अपेक्षित होता है

1.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. कीगन, डब्ल्यू जे0, ''ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमैन्ट'', 5th एडीसन, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इन्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली, 1996
2. ओंकविजित, सैक एण्ड शॉ, जॉन जे0, ''इन्टरनेशनल मार्केटिंग एनालिसिस एण्ड स्ट्रेट जी'', फर्स्ट एडीशन, मैरिल पब्लिशिंग कम्पनी, 1993.
3. फिलिप कोटलर, स्वी हून ऐंग, स्यू मेंग लियोंग, एण्ड चिन तियांगतेन, ''मार्केटिंग मैनेजमेन्ट–एन एशियन पर्सपेक्टिव'' प्रैन्टिस हॉल, साइमन एण्ड स्क्न्यूसटर (एशिया) प्रा0लि0, सिंगापुर, 1996 पेज 107–143.
4. फिलिप आर0 केट्यूरा, एण्ड जॉन एल0 ग्राहम, ''इन्टरनेशनल मार्केटिंग'', 10th एडछीसन, टाटा मैक्ग्रा पब्लिशिंग कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 2001.
5. टर्पेस्ट्रा, वर्न एण्ड सेरॉथी, रवि, ''इन्टरनेशनल मार्केटिंग'' 7th एडीसन, द ड्राईडन प्रेस, 1997.
6. विलियम जे0 स्टॉनटन, माइकल जे0 इट्रजेल, एण्ड ब्रूस जे0 वॉकर, ''फण्डामैन्टल्स ऑफ मार्केटिंग'', मेक्ग्रा हिल इन्टरनेशनल, यू0एस0ए0।

इकाई 2 व्यापार से लाभ, व्यापार की शर्तें एवं विदेशी व्यापार गुणक

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना
2.2 व्यापार से लाभ
2.3 व्यापार से लाभों का मापन
2.4 व्यापार से लाभों को प्रभावित करने वाले कारक
2.5 व्यापार से स्थैतिक एवं प्रावैगिक लाभ
2.6 व्यापार की शर्तें
2.7 दो देशों का मॉडल
2.8 बहु–वस्तु ,बहु राष्ट्र मॉडल
2.9 विदेशी व्यापार गुणक
2.10 एक बन्द अर्थव्यवस्था मे एक गुणक से आय निर्धारण
2.11 एक खुली अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार गुणक
2.12 विदेशी व्यापार गुणक के विषय में अन्य दृष्टिकोंण
2.12.1 मान्यतायें
2.12.2 बॉथटब सिद्धान्त
2.12.3 शुद्ध निर्यात प्रभाव
2.12.4 खुली अर्थव्यवस्था मॉडल की मान्यतायें
2.12.5 गुणक प्रभाव
2.13 सारांश
2.14 शब्दावली
2.15 बोध प्रश्न
2.16 बोध प्रश्नों के उत्तर
2.17 स्वपरख प्रश्न
2.18 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- व्यापार से लाभ की अवधारणा को समझ सकें।
- व्यापार की शर्तों की व्याख्या कर सकें।
- विदेशी व्यापार गुणक की अवधारणा को समझ सकें।
- एक बन्द अर्थव्यवस्था में गुणक के माध्यम से आय सृजन प्रक्रिया को जान सकें।
- एक खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार गुणक के माध्यम से आय सृजन प्रक्रिया को जान सकें।
- विदेशी व्यापार में गुणक के प्रभाव को समझ सकें।

2.1 प्रस्तावना

परम्परागत सिद्धान्त के अनुसार विशिष्टीकरण पर आधारित तुलनात्मक लागतों के लाभ का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का मुख्य श्रोत है । एक अतिरिक्त श्रोत व्यवसाय के आकार की मितव्ययताओं के विदोहनकी सम्भावनाओं का है, जब बाजार के आकार को एक देश के स्वतन्त्र विदेश व्यापार के माध्यम से विस्तारित किया जाता है। साथ ही व्यापार की शर्ते (टी0ओ0टी0) से आशय आयातों के शब्दों में निर्यातों के सापेक्षिक मूल्य से है और इसे निर्यात मूल्यों का आयात मूल्यों के साथ अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे आयातित माल की धनराशि, जिसे एक अर्थव्यवस्था प्रति ईकाई निर्यात माल के रूप में क्रय कर सकती है, के रूप में निर्वचन भी किया जा सकता है। एक राष्ट्र की व्यापार शर्तो के लाभ में सुधार यह है कि वह देश निर्यातों के दिये हुए स्तर के सापेक्ष अधिक आयातों का क्रय कर सकता है। व्यापार की शर्ते विनिमय दर से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि देश की करेन्सी के मूल्य में वृद्धि इसके आयातों के घरेलू मूल्यों में कमी कर देती है। किन्तु उन वस्तुओं की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित नही कर सकती है, जिसे यह निर्यात करता है। साथ ही विदेशी व्यापार गुणक एक अवधारणा है, जो यह बताती है कि शुद्ध निर्यात (निर्यात में से आयातों को घटाकर प्राप्त निर्यात) राष्ट्रकी आय के प्रभाव को व्यापक कर सकते है।

2.2 व्यापार से लाभ

अर्थशास्त्र में, व्यापार से लाभ का आशय एजेन्टों को एक–दूसरे से ऐच्छिक व्यापार में वृद्धि करने से हुए शुद्ध लाभों से है। तकनीकी शब्दों में यह कम प्रशुल्क दरों की अथवा व्यापार के उदारीकरण से उपभोक्ताकी बचत एवं उत्पादक के अवशेष का योग है। व्यापार से लाभों को सामान्यतया निम्नांकित से उत्पन्न हुआ वर्णित किया जाता है :

(i) फार्मो, व्यवसायों, स्थानीयकरणों एवं अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा उत्पादन के प्रकारों मे श्रम विभाजन, आकार की बचतों, उत्पादन के साधनों के क्षेत्र, आकार, सापेक्षिक उपलब्धता से उत्पादन का विशिष्टीकरण।

(ii) कुल उत्पादन सम्भावनाओं में कुल अभिवृद्धि और,

(iii) बाजारों के माध्यम से विक्रय, एक प्रकार के उत्पादन का अन्य के बदले विक्रय, अपेक्षाकृत उच्चतर मूल्य की वस्तुओं का विक्रय ।

व्यापार प्रेरणायें जो उत्पादन एवं आगतों की कीमतों में प्रतिबिम्बित होती है, उन्हें तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन के कारकों, जिसमें श्रम भी सम्मिलित है, को क्रियाओं में आकर्षित करने के लिए सैद्धान्तीकृत किया जाता है, जिसके लिए उनकी प्रत्येक की निम्न अवसर लागत होती है। उत्पादन के साधनों के स्वामी, तत्पश्चात, ऐसे विशिष्टीकरणों से बढ़ी हुई अपनी आय को अधिक मूल्यवान वस्तुओं के क्रय करने मे व्यय करते हैं जो कि अन्यथा उच्च लागत वाले उत्पादकों की हो सकती थी। अतः उन्हें व्यापार से लाभ होता है। इस अवधारणा को एक सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में व्यापार न करने या व्यापार करने के विकल्पों के लिए अपनाया जा सकता है। व्यापार से कुल लाभों का एक माप उपभोक्ता की बचत और उत्पादक के अवशेष के योग अथवा और अधिक मोटे तौर पर व्यापार के फलस्वरूप उत्पादन में विशिष्टीकरण से बढ़ा हुए उत्पादन है। व्यापार से लाभ से आशय एक देश को व्यापार की बाधाओं जैसे आयात प्रशुल्कों

को कम करने से हुआ शुद्ध लाभ भी है। डेविड रिकार्डो ने 1857 में सर्वप्रथम तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त को प्रतिपादित एवं सिद्ध किया जिसे व्यापार से लाभों के श्रोतों के लिए आधारभूत विश्लेषणात्मक व्याख्या, भी कहा जाता है। किन्तु 1976 में एडम स्मिथ की पुस्तक 'वैल्थ आफ नेशन्स' के प्रकाशन से यह तर्क दिया जाने लगा कि प्रतियोगिता एवं बाजार अपूर्णताओं की अनुपस्थिति से ऐसे लाभ मुक्त व्यापार की ओर गतिमान होने में और व्यापार न किये जाने या प्रतिबन्धात्मक उच्च आयात प्रशुल्क दरों से दूर जाने मे सकारात्मक होते हैं। यह मान्यता लगातार व्यक्त किए गये प्रारंभिक समसामयिक कथनों की जिन शर्तो के अन्तर्गत की गयी, वह सैम्युलसन के द्वारा 1939 एवं 1962 में पाये गये है। व्यापार हीनता अथवा व्यापार न किये जाने (औटार्की) से मुक्त व्यापार की ओर गतिमान होने में किसी के भी नहीं हारने की स्थितियों के निर्धारण के लिए एरो डेब्रु वस्तुओं के सामान्य उदाहरण को विश्लेषणात्मक रूप में अध्ययन करने में पहला औपचारिक प्रमााण 1972 में आया। इसने यह अवधारणा कि एक अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रशुल्क विहीनता का है, का अनुसरण नहीं किया। इसके स्थान पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था, अन्य अर्थव्यवस्थाओं की कीमत पर अपने लाभ के लिए करों एवं अनुदानों को निश्चित करने में सक्षम होती है। बाद में कैम्प एवं अन्य के निष्कर्षो ने यह प्रदर्शित किया कि एक एरो डैब्रू संसार मे, जिसमें दिए हुए देशों के उपसमूह (जिसे समूह की अर्थव्यवस्थाओं में मुक्त व्यापार एवं प्रशुल्कोंका एक सामान्य समूह होने के द्वारा वर्णित किया गया) हेतु प्रशुल्क समझौते के अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की एक प्रणाली होती है। विश्व के प्रशुल्कों का एक सामान्य समूह इस प्रकार का होता है कि कोई भी देश लघुत्तर प्रशुल्क वाले समझौते के देशों की तुलना मे हानि पर न रहे। सुझाव यह है कि यदि एक प्रशुल्क समझौते से एक अर्थव्यवस्था के लिए लाभ है, तो विश्व व्यापक स्तर पर प्रशुल्क समझौता विश्व के प्रत्येक देश के लिए लाभकारी होगा।

2.3 व्यापार से लाभों का मापन

परम्परागत अर्थशास्त्र के अनुसार व्यापार से लाभों के मापन की दो विधियॉ हैः प्रथम अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करता है जो कम कीमतों पर आयात मे सहायता करता है, और अन्ततः लाभों को व्यापार के शब्दों में मापन करता है। व्यापार से लाभों का मापन करने के लिए उत्पादन लागत की घरेलू एवं विदेशों राष्ट्रों में तुलना करने की आवश्यकता होती है। किन्तु घरेलू देश की उत्पादन लागत एवं आयातों की लागत का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है।अतः व्यापार से लाभों के मापन में व्यापार की शर्तोंकी विधि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2.4 व्यापार से लाभों को प्रभावित करने वाले कारक

अन्तराष्ट्रीय व्यापार से लाभों को निर्धारित करने वाले कई कारक हैः

(i) **लागत अनुपात में अन्तरः** अन्तराष्ट्रीय व्यापार से लाभ वयापार करने वाले दो देशों में तुलनात्मक लागत अनुपातों के अन्तर पर निर्भर करता है। विनिमय दर और उत्पादन लागत मे अन्तर जितना कम होगा, व्यापार से लाभ उतने ही कम होंगे या इसके विपरीत होने पर स्थिति भी विपरीत हो जायेगी।

(ii) **मांग एवं पूर्तिः** यदि एक देश की मांग एवं पूर्ति लोचपूर्ण है, तो व्यापार से लाभ कम होंगे और यदि मांग एवं पूर्ति बेलोच है तो व्यापार से उच्च लाभ होंगे।

(iii) **उत्पादन कारकों की उपलब्धताः** अन्र्तराष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकरण पर आधारित है और एक देश का विशिष्टीकरण उत्पादन के कारकों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। इससे घरेलू लागत अनुपात में वृद्धिकारी परिवर्तन होगा और तद्नुसार व्यापार से लाभों में भी परिवर्तन होगा।

(iv) **देश का आकारः** यदि एक देश आकार में छोटा है तो उसके लिए यह एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना और अवशेष उत्पादन को निर्यात करना तुलनात्मक रूप में सरल होगा और और इससे अन्र्तराष्ट्रीय व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जबकि, यदि एक देश आकार में बड़ा है तब उसे एक से अधिक वस्तुओं में विशिष्टीकरण करना होगा क्योंकि एक वस्तु मे अतिरेक उत्पादन को पूर्णतया एक लघु आकार के देश को निर्यात नही किय जा सकता है, क्योंकि वस्तु की मांग में कई बार कमी हो सकती है। अतः आकार जितना छोटा होगा, व्यापार से लाभ उतने ही अधिक होंगे।

(v) **व्यापार की शर्ते** :व्यापार से लाभ व्यापार की शर्तो पर निर्भर करते है। यदि लागत अनुपात और व्यापार की शर्ते एक दूसरे के निकट है, तो प्रतियागी देशों को व्यापार से लाभ अधिक होंगे।

(vi) **उत्पादक कार्यक्षमताः** किसी देश की उत्पादक कार्यक्षमता में एक वृद्धि व्यापार से उसके लाभों को निर्धारित करती है क्योंकि यह उत्पादन लागत तथा वस्तुओं की कीमतों को कम करती है। परिणामस्वरूप आयातक देश सस्ती वस्तुओं को आयात करके लाभान्वित होते है।

2.5 व्यापार से स्थैतिक एवं प्रावैगिक लाभ

व्यापार से लाभों को स्थैतिक एवं प्रावैगिक लाभों मे वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थैतिक लाभ का आशय देश के संसाधन आबंटन या संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के कारण राष्ट्रीय उत्पादन के अधिकतमीकरण के फलस्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि से है। व्यापार से प्रावैगिक लाभ वह लाभ है, जो प्रतिभागी देशों की आर्थिक संवृद्धि में त्वरित वृद्धि करते हैं । स्थैतिक लाभ विदेशी व्यापार के क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के परिचालन के फलस्वरूप होते हैं। इस सिद्धान्त के आधार पर देश अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, ताकि उनका राष्ट्रीय उत्पादन अधिक हो, जो कि देश में सामाजिक कल्याण के स्तर को उठाता है। जब अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार को प्रारम्भ किया जाता है, तब परिणाम को व्यापार से स्थैतिक लाभ कहा जाता है। व्यापार से प्रावैगिक लाभों का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। सर्वोत्तम उपयुक्त वस्तुओं के उत्पादन हेतु देश का विशिष्टीकरण, जो बड़ी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के रूप में सामने आता है, सवृद्धि को प्रवर्तित करता

है। इस प्रकार घरेलू बाजार से विदेशी बाजार में विस्तारण आर्थिक संवृद्धि में त्वरित वृद्धि करता है।

2.6 व्यापार की शर्ते

ऐतिहासिक रूप में, व्यापार की शर्ते, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेंक विलियम टॉसिंग ने अपनी पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 1927 में किया। किन्तु इस अवघारणा के पूर्व संस्करण को अंग्रेजी अर्थशास्त्री राबर्ट टॉरेन और उनकी पुस्तक 'बजट' ऑन कामर्शियल एण्ड कालोनियल पॉलिसी, जो 1884 में प्रकाशित हुई थी के साथ–साथ जॉन स्टुअर्ट मिल के निबन्ध, ''ऑफ द लॉज ऑफ इन्टर चेन्ज बिटवीन नेशन्स, और 'द डिस्ट्रीव्यूसन ऑफ गेन्स ऑफ कॉमर्स एमंग द कन्ट्रीज आफ द कॉमर्शियल वर्ल्ड, जो उसी वर्ष प्रकाशित हुई थी, यद्यपि यह कथित रूप में 1829–30 में पहले ही लिखी जा चुकी थी, से सम्बन्धित किया जा सकता है।**व्यापार की शर्ते या टर्म ऑफ ट्रेड्रस (टी0ओ0टी0)** इस बात का माप है कि निर्यात की एक ईकाई के लिए कितने आयात एक अर्थव्यवस्था प्राप्त करेगी। उदाहरणार्थ, यदि एक अर्थव्यवस्था केवल सेवों का निर्यातकर रही है और केवल नारंगियों का आायात कर रही है, तब व्यापार की शर्ते सरलतम शब्दों मे सेवों की कीमतों का नारंगियों की कीमत पर अनुपात है। दूसरे शब्दोंमें, एक सेव के लिए आपको कितनी नारंगियॉ प्राप्त होंगी। क्योंकि अर्थव्यवस्थायें अनेक वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करती है। टी0ओ0टी0 के मापन के लिए निर्यातित एवं आयातित माल की कीमतों को परिभाषित करने एवं दोनों की तुलना की आवश्यकता होती हैं। अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में निर्यात की गयी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से टी0ओ0टी0 में भी वृद्धि होगी जबकि आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि इस कम कर देगी। उदाहरणार्थ वह देश जो तेल निर्यात करता है, उसके टी0ओ0टी0 में वृद्धि होगी जब तेल की कीमतों बढ़ जाती है, जबकि तेल आयातक देशों की टी0ओ0टी0 में कमी होगी।

2.7 दो देशों का मॉडल

दो देशों और दो वस्तुओं की सरलीकृत स्थिति में, व्यापार की शर्तो को कुल निर्यात आय, जो एक देश अपनी निर्यात वस्तुओं से प्राप्त करता है, का कुल आयात आय, जो कि यह अपनीआयातित वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, के साथ अनुपात है। इस दशा में, एक देश के आयात दूसरे देश के लिए निर्यात होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक देश 100 डालर मूल्य के आयातित उत्पाद के बदले में 50 डालर के मूल्य के उत्पाद का निर्यात करता है, तो उस देश की व्यापार शर्ते 50/100= 0.5 होंगी। अन्य देश के लिए व्यापार शर्ते उपरोक्त का विपरीत (अर्थात 100/50= 2) होंगी। जब इस संख्या में कमी आयेगी, तब यह कहा जाएगा कि देश की व्यापार शर्तो का अवनयन (गिरावट) हो रहा है। यदि इसे 100से गुणा कर दिया जाय तो यह गणनायें प्रतिशत में (50% और 200% क्रमशः) व्यक्त की जा सकती है। यदि एक देश की व्यापार शर्ते माना 100% से गिरकर 70% रह जाती है। (अर्थात 1.0 से 0.7 हो जाती है), तो इसका अर्थ यह है कि उसकी व्यापार शर्तो मे 30% की गिरावट हुई है। जब समय प्रवृत्ति गणनायें (टाइम

सीरीज कैलकुलेशन्स) की जाती है तो निर्वचन के परिणामों को सरल बनाने कि लिए एक मूल्य को आधार वर्ष के रूप में निश्चित करना एक सामान्य नियम हैं। मूल समष्टि अर्थशास्त्र मे, व्यापार शर्तो को सामान्यतया दो देशों की दी हुई वस्तुओं की अवसर उत्पादन लागतों के मध्य के अन्तराल में निश्चित किया जाता है । व्यापार शर्ते देश के निर्यात मूल्य सूचकांक के आयात मूल्य सूचकांक के साथ अनुपात को 100 से गुणा करके प्राप्त की जा सकती है । व्यापार शर्ते एक वस्तु या सेवा के साथ दूसरी वस्तु या सेवा की विनिमय दर है, जब दो देश एक–दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं।

2.8 बहु–वस्तु बहु राष्ट्र मॉडल

अनेक राष्ट्रों के बीच में अनेक वस्तुओं के विनिमय की वास्तविक दशा में, व्यापार की शर्तो की लॉस्पेयर्स इण्डैक्स का प्रयोग करके गणना की जा सकती है। इस दशा में, एक देश की व्यापार की शर्ते लॉस्पेयर्स के निर्यातों के सूचकांक एवं लॉस्पेयर्स के आयातों के सूचकांक का अनुपात है। लॉस्पेयर्स का निर्यात सूचकांक आधार अवधि के निर्यातों के चालू मूल्य को आधार अवधि के निर्यातों के आधार वर्ष के मूल्य से विभाजित करने पर ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार,लॉस्पेयर्स का आयात सूचकांक आधार अवधि के आयातों के चालू मूल्य को आधार अवधि के आयातों के आधार वर्ष के मूल्य से विभाजित करने पर ज्ञात किया जा सकता है।

$$(p^{c}_{x}q^{o}_{x}/ p^{o}_{x}q^{o}_{x}) \div (p^{cm}q^{om}/p^{om}q^{om})$$

जहाँ–

$p^{c}x$ =चालू अवधि में निर्यातों का मूल्य

$q^{o}x$= आधार अवधि में निर्यातों की मात्रा

$p^{o}x$= आधार अवधि में निर्यातों की कीमत

p^{cm} = चालू अवधि में आयातों का मूल्य

p^{om} = आधार अवधि मे आयातों की कीमत

q^{om} = आधार अवधि में आयातों की मात्रा

आधारभूत रूप में, आयात कीमत पर निर्यात कीमत 100 गुना होती है। यदि यह प्रतिशत 100 से अधिक है, तब अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही हैं। (पूँजी एकत्रीकरण)यदि यह प्रतिशत 100 से कम है, तब अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर पा रही है (अर्थात अन्दर आने की अपेक्षा ज्यादा मुद्रा बाहर जा रही है)। किन्तु व्यापार की शर्तो को सामाजिक कल्याण अथवा यहॉ तक कि परेटो के आर्थिक कल्याण के पर्यायवाची के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। व्यापार की शर्तो की गणना से हमें देशों के निर्यातों की मात्रा का पता नहीं चलना चाहिए बल्कि देशों के बीच केवल सापेक्षिक परिवर्तनों का ही ज्ञान होना चाहिए। एक देश की सामाजिक उपयोगिता कैसे परिवर्तित होती है, यह जानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार की मात्रा में परिवर्तनों, उत्पादकता एवं संसाधन आबंटन मे परिवर्तनों तथा पूँजी प्रवाहों में परिवर्तनों को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। एक देश से निर्यातों की कीमत मुद्रा की कीमत (मूल्य) से अत्यधिक प्रभावित होती है और यह तत्पश्चात उस देश मे ब्याज दरों से अत्यधिक प्रभावित होती है , यदि एक विशिष्ट देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि उसकी ब्याज की दरों में वृद्धि से होती है, तो व्यापार की शर्तो में सुधार होने की कोई भी अपेक्षा कर सकता है। किन्तु

इसका यह आशय नहीं है कि क्योंकि अन्य देशों द्वारा निर्यातों की कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशा से निर्यातों को मात्रा कम हो जायेगी, अतः देश में जीवन स्तर में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप देश के निर्यातक ऊँची कीमतों का आनन्द उठाने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुऐं विक्रय करने हेतु संघर्ष कर सकते हैं। वास्तविक विश्व में 200 से अधिक देश, हजारों से अधिक उत्पादों में व्यापार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मे व्यापार की शर्तो की गणना अत्यधिक जटिल हो जाती है। अतः त्रुटियों की सम्भावना भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

2.9 विदशी व्यापार गुणक

गुणक का मूल विचार आर0एफ0 कॉन ने दिया। यह रोजगार गुणक था। रोजगार गुणक रोजगार में प्रारम्भिक परिवर्तन की तुलना मे आय में अधिक परिवर्तनों के होने पर रोजगार में परिवर्तनों का आय मे परिवर्तनों पर प्रभाव का अध्ययन करता है।यह रोजगार गुणक के माध्यम से कार्य करता है।

बीजगणितीय रूप में $\Delta Y = ke \times \Delta E$

ΔYआय में परिवर्तनको व्यक्त करता है, ke रोजगार गुणक को व्यक्त करता है। ΔE रोजगार में प्रारम्भिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। लार्ड जे0एम0केन्स ने विनियोग गुणक का विचार आर0एफ0कॉन के रोजगार गुणक से लिया। केन्स के बाद के अर्थशास्त्रियों ने बन्द अर्थव्यवस्था हेतु निर्मित केन्स गुणक को खुली अर्थव्यवस्था हेतु निर्मित विदेश व्यापार गुणक तक विस्तारित किया। विदेश व्यापार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन श्री लेहटन ने किया।

2.10 एक बन्द अर्थव्यवस्था मे एक गुणक मे आय निर्धारण

एक बन्द अर्थव्यवस्था में, कुल राष्ट्रीय आय समस्त निजी व्ययों के योग के बराबर होती है अर्थात C + Iऔर सरकारी व्यय अर्थात G. जब राष्ट्रीय आय को कुल व्यय के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो यह देश की कुल राष्ट्रीय आय के व्यय पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है।

बीजगणितीय रूप में $Y = C+I+G$

y कुल राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है,

C कुल उपभोग व्यय को व्यक्त करता है,

I कुल विनियोग व्यय को व्यक्त करता है,

G सरकारी व्यय को व्यक्त करता है।

क्योंकि सरकार अर्थशास्त्र के नियमोंको कठोरता से नहीं अपनाती है, अतः इसकी भूमिका को छोड़ दिया गया है। अतः एक बन्द अर्थव्यवस्था में कुल राष्ट्रीय आय उपभोग एंव विनियोग व्ययों के योग के बराबर होगी।

बीजगणितीय रूप में,

$Y=C=I \qquad C+f\ (y)$

क्योंकि उपभोग एक देशी चर है, यह कुल राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। जैसे–2 आय बढ़ती है , उपभोग भी बढ़ता है क्योंकि यह ह्रासमान दर से बढ़ता है।

$I \# f\ (y)$

क्योंकि विनियोग एक वाहय चर है, अतः यह कुल राष्ट्रीय आय का चर नही है।

Y= C+SY= C+I

C को दोनों समीकरणों से निरस्त करने पर प्राप्त बचतें, विनियोगों के बराबर होंगी, बीजगणितीय रूप में

S=I अथवा I=S

यदि हम बचतों एवं विनियोगों पर समय के प्रभाव को भी सम्मिलित कर दे ंतो इससे बचतों एवं विनियोगों में परिवर्तन होगा। बचतों में परिवर्तन विनियोगों में परिवर्तनों के बराबर होगा या इसके विपरीत स्थिति होगी।

बीजगणितीय रूप में,

$\Delta S = \Delta I$ अथवा $\Delta I = \Delta S$

केन्स का गुणक सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (एम0पी0सी0) पर निर्भर करता है। बीजगणितीय रूप में, K=f (MPC)

जहॉ, k गुणक का संकेतक है, f क्रियात्मक संम्बन्ध को व्यक्त करता है, MPCसीमान्त उपभोग प्रवृत्तिया या मार्जिनल प्रोपैन्सिटी टू कनजयूम को व्यक्त करती है।

MPCउपभोग में परिवर्तन को आय मे परिवर्तन से विभाजित करने के बराबर होती है।

बीजगण्तिीय रूप में,

$MPC = \Delta C/\Delta Y$

MPCको सीमित करने वाले दो परिसीमन कारक होते हैं अर्थात

(i) MPCसदैव सकारात्मक होती है अर्थात यह शून्य से अधिक होती है,

(ii) MPCकभी भी 1 के बराबर नहीं होती है।

अतः एम0पी0सी0 शून्य एवं 1 के दो सिरों के बीच ही रहेगी।

गणितीय रूप में,

$o > \Delta C/\Delta Y < 1 [k = (\Delta C/\Delta Y)]$

क्योंकि गुणक एम0पी0सी0 का फंक्शन है, गुणक के भी दो परिसीमन कारक होंगे अर्थात YCfk

(i) गुणक सदैव 1 से अधिक होगा तथा

(ii) गुणक कभी भी अनन्त के बराबर नहीं होगा।

गणितीय रूप में,

$I < K < a$

यदिk, 1के बराबर है, तब गुणक का कोई अर्थ नहीं होगा,

क्योंकि मूल मूल्य परिवर्तित नहीं होगा। उदाहणार्थ 10*1=1

इसका आशय है कि गुणक तब ही अर्थपूर्ण होगा, जबकि यह 1 से अधिक है। उदाहरणार्थ 10*2=20.

K आय में वृद्धि और विनियोग में वृद्धि का अनुपात है।

बीजगणितीय रूप में, $k = \Delta Y/ \Delta I$

kगुणक के लिए संकेतक है, Δy राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को व्यक्त करता है,

ΔI विनियोग में परिवर्तन को व्यक्त करता है।

क्योंकि हम विनियोग में प्रारम्भिक परिवर्तन के फलस्वरूप गुणक के माध्यम से आय के फैलाव मे रूचि रखते हैं।

माना हम Δy को उपरोक्त समीकरण से बाहर करते हैं,

$\Delta Y = k. \Delta I$

इसका अर्थ है आय में अन्तिम वृद्वि विनियोग में परिवर्तन का kगुना होगी अर्थात $\Delta I*k$

$k=(\Delta C/ \Delta Y) I= \Delta C/ \Delta Y + \Delta S/ \Delta Y$

अर्थात 1 बराबर है MPC+MPS

MPCसीमान्त उपभोग प्रवृत्ति को व्यक्त करती है

MPSसीमान्त बचत प्रवृत्ति को व्यक्त करती है,

गुणक की गणना हेतु सूत्र–

$k= 1/1- \Delta c/ \Delta y$. $k= 1/=(\Delta s/ \Delta y)$

$\Delta y=k. \Delta I$

K MPS का व्युत्क्रम है।

आइए, यह मान लें कि ΔI का मूल्य 1000 करोड़ रूपये है और mpcका मूल्य अर्थात $\Delta C/ \Delta Y =3/4$ अर्थात $\Delta S/ \Delta Y = ¼$ सूत्र में मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर, हमे ज्ञात होता है, $k=1/ (1-3/4)$ अतः $k=4$

$\Delta Y= k. \Delta I$

मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर

$\Delta Y =4*$ रू0 1000 करोड़ अर्थात $\Delta y=$ रू0 4000 करोड़

2.11 एक खुली अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार गुणक

बन्द अर्थव्यवस्था मे केन्स की गुणक की अवधारणा को खुली अर्थव्यवस्था मे श्री लेहटन के द्वारा विदेशी विनिमय गुणक के रूप में विस्तारित किया गया । इसे निर्यात गुणक, भी कहा जाता है। विदेशी विनिमय गुणक आय में परिवर्तनों पर निर्यातों के प्रभाव को व्यक्त करता है। एक खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात वाहय कारक होते हैं अर्थात वे एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय पर निर्भर नहीं करते है। इन्हें वाहय कारकों जैसे विदेशी राष्ट्र के निवासियों के स्वाद एवं पसन्द तथा विदेशी राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहॉ आयात एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय के द्वारा निर्धारित होते हैं (आयात अन्तर्देशीय कारक हैं)

बीजगणितीय रूप में,

$M=f (Y)$

M आयातों को व्यक्त करता है। f क्रियात्मक सम्बन्ध व्यक्त करता है।

Y कुल राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है,

आयातों एवं राष्ट्रीय आय में एक प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक सम्बन्ध होता है। जैसे ही कुल राष्ट्रीय आय बढ़ती है, आयात भी बढ़ते हैं और इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है।

x # f (y) एक्स निर्यातों को व्यक्त करता है,# नहीं की पहचान है, f क्रियात्मक सम्बन्ध व्यक्त करता है, y कुल राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है।

एक खुली अर्थव्यवस्था मे राष्ट्रीय आय का एक साम्य स्तर स्थापित होता है जबकि बचतें विनियोग के बराबर हो जाती हैं और आयात ,निर्यातों के बराबर हो जाते हैं।

बीजगणितीय रूप में,S=I एवंM=X

Sबचतों को व्यक्त करता है। I विनियोगों को व्यक्त करता है।

M आयातों को व्यक्त करता है, तथा X निर्यातों को व्यक्त करता है।

एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की साम्य की शर्त निम्नवत होंगीः

Y=C+I+X- M

एक बन्द अर्थव्यवस्था में आय का साम्य तब होगा जबकि बचतें, विनियोगों के बराबर होती हैं।

बीजगणितीय रूप में, I+X=S+M

I=Xविनियोग एवं निर्यातों को व्यक्त करते हैं, जो इन्जेक्सन्स हैं।

वे जब अर्थव्यवस्था में इन्जैक्ट (प्रवेश)कराये जाते हैं, वे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि लाते हैं।

S+Mबचतों एवं विनियोगों को व्यक्त करते हैं। ये 'रिसाव' हैं। ये राष्ट्रीय आय का रिसाव कर देते हैं। इस प्रकार जब,

(i) I+S>S+Mविस्तार घटित होगा,

(ii) I+X<S+Mसंकुचन घटित होगा,

जब हम परिवर्तन को प्रारम्भ करते हैं, तब सूत्र इस प्रकार होगा।

ΔS+ΔM=ΔI+ΔS

ΔS बचतों में परिवर्तन को व्यक्त करता हैं,

ΔMआयातों में परिवर्तन को व्यक्त करता है,

ΔI विनियोगों में परिवर्तन को व्यक्त करता है,

ΔX निर्यातों में परिवर्तन को व्यक्त करता है।

बचतों की सीमान्त प्रवृत्ति अर्थात ΔS/ ΔYबचतों में परिवर्तन का निर्धारण करती है जो S के द्वारा प्रदर्शित है जबकि सीमान्त आयात प्रवृत्ति आयातों में परिवर्तन को निर्धारित करती है।

ΔM/ ΔY

अतः समीकरण इस प्रकार होगाः

(S+M) ΔY= ΔI+ ΔX

ΔY= (ΔI+ ΔX)/ (S+M)

विदेशी व्यापार गुणक सीमान्त बचत प्रवृत्ति एवं सीमान्त आयात प्रवृत्ति के योग का फंक्शन है।

k f को विदेशी व्यापार गुणक निश्चित किया गया है।

k f = f (S+M)

k f विदेशी व्यापार गुणक को व्यक्त करता है।

f क्रियात्मक सम्बन्ध को व्यक्त करता है।

Sसीमान्त बचत प्रवृत्ति को व्यक्त करता है।

Mसीमान्त आयात प्रवृत्ति को व्यक्त करता है।

S+M और kf के बीच विपरीत सम्बन्ध होता है। S+M जितना कम होगा kf उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत S+Mके अधिक होने पर kf कम होगा।

अतः विदेशी व्यापार गुणक के माध्यम से आय का फैलाव का सूत्र निम्नवत होगाः

$\Delta Y= (\Delta I+ \Delta X)/ (S+M)$

K= 1/ MPS+MPM

MPS का मूल्य =0.25 और MPM का मूल्य 0.15

मूल्यों को प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त होता है,

kf= 1/(0.25+0.15) अर्थात kf= 2.5

$\Delta Y =kf\, \Delta X$

यदि निर्यात 200 से बढ़ जाय अर्थात वह 300 से 500 हो जाय।

$\Delta Y=kf.\, \Delta X$

यदि निर्यातों में 200 की वृद्धि हो जाय अर्थात वह 300 से 500 हो जाय।

$\Delta I=0Y=2.5*200=500$

Y E I= YE+Y= 1000+500=1500

$\Delta S =S\Delta Y =0.25*500=125$

$\Delta M = m\Delta Y+0.15*500=75$

राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर में परिवर्तन के बिन्दु पर

$\Delta I+ \Delta X=\Delta S+ \Delta M$

0+200= 125+75 अर्थात 200 = 200

K=4 (एक बन्द अर्थव्यवस्था में) जबकि kf=2.5 (एक खुली अर्थव्यवस्था में)

Kf<K (दो रिसावों अर्थात बचतों एवं आयातों के कारण)

2.12 विदेशी व्यापार गुणक के विषय में अन्य दृष्टिकोंण

अन्य शब्दों में, विदेशी व्यापार गुणक को निर्यात गुणक के नाम से भी जाना जाता है, जो केन्स के विनियोग गुणक की तरह कार्य करता है। इसे उस धनराशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्यातों पर घरेलू विनियोग में एक इकाई की वृद्धि से एक देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही निर्यात बढ़ते हैं, उसके साथ ही निर्यात व्यापार से समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की आय भी बढ़ती है। इससे बाद में वस्तुओं की मांग बढ़ती है। किन्तु, यह उनकी सीमान्त बचत प्रवृत्ति (MPS) और सीमान्त आयात प्रवृत्ति (MPM)पर निर्भर करती है। इन सीमान्त प्रवृत्तियों में जो भी कम होगा गुणक का मूल्य उतना ही अधिक या इसके विपरीत होगा, बहुत सामान्य शब्दों में, हम कह सकते है कि

विदेश व्यापार गुणक एक अवधारणा है जो यह बताती है कि शुद्ध निर्यातों (निर्यात–आयात)से राष्ट्रीय आय पर प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। यह अवधारणा को निम्नांकित बिन्दुओं से स्पष्टतया समझा जा सकता है:

2.12.1 मान्यतायें

विदेश व्यापार गुणक निम्नांकित मान्यताओं पर आधारित है:

(i) घरेलू अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है।

(ii) वस्तुओं के निर्यात एवं आयात करने में घरेलू एवं विदेशी राष्ट्र में एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और यह कि देश किसी भी अन्य विदेशी राष्ट्र से आकार में छोटा नहीं है।

(iii) यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर होता है। गुणक तत्काल प्रक्रिया पर बिना किसी समय बिलम्बना के होता है और घरेलू विनियोग पूर्ववत बने रहते हैं।

(iv) कोई त्वरक विद्यमान नहीं होता है और विश्लेषण केवल दो राष्ट्रों पर लागू होता है।

(v) कोई प्रशुल्क बाधायें और विनिमय नियंत्रण नहीं है।

(vi) सरकारी व्यय स्थिर रहता है।

2.12.2 बॉथटब सिद्धान्त

बॉथटब सिद्धान्त एक (एनॉलॉजी)है, जो राष्ट्रीय आय पर निर्यातों एवं आयातों के प्रभाव की व्याख्या करती है। बॉथटब में प्रयोग की गयी के अनुसार राष्ट्रीय आय का स्तर बॉथटब मे जल की तरह है। निर्यात, सरकारी व्यय और विनियोग टब में अतिरिक्त जल को प्रविष्ट कराते हैंऔर इस प्रकार जल स्तर बढ़ता है, जबकि आयातों ,बचतों और करों से रिसाव होता है। समान एनॉलॉजी के अनुसार जल स्तर पर (राष्ट्रीय आय पर) निष्क्रिय प्रभाव होगा यदि निर्यात आयातों के बराबर होते हैं, विस्तारणीय प्रभाव होगा, यदि निर्यात आयातों से अधिक होते हैं और अन्त में, संकुचनकारी प्रभाव होगा यदि आयात निर्यातों से अधिक होते हैं।

2.12.3 शुद्ध निर्यात प्रभावः

(i) **निष्क्रिय प्रभाव** :आयात निर्यातों के बराबर होते हैं, इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) परिवर्तित नहीं होती हैं। बॉथटब के शब्दों में प्रविष्टियॉ (इन्जैक्शन्स) आहरणों के बराबर होती हैं और जल स्तर को समान बनाये रखती है।

(ii) **विस्तारणकारी प्रभावः** निर्यात, आयातों से अधिक होते हैं, इस प्रकार जी0डी0पी0 में वृद्धि होती है। बॉथटब के शब्दों में प्रविष्टियॉ (इन्जैक्शन्स) आहरणों से अधिक होते हैं, जिससे बॉथटब का जल स्तर बढ़ जाता है।

(iii) **संकुचनकारी प्रभावः** निर्यात आयातों से कम होते हैं, इस प्रकार जी0डी0पी0 में कमी होती है। बॉथटब के शब्दों मे , इन्जैक्शन्स (प्रविष्टियॉ) आहरणों से कम होती है, जो बॉथटब में जल स्तर को कम करती हैं।

2.12.4 खुली अर्थव्यवस्था मॉडल की मान्यतायें

(i) आयात राष्ट्रीय आय के स्तर पर निर्भर करता हैं। जैसे ही राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है, तब आयातों पर घरेलू व्यय बढ़ता है। इस प्रकार, सीमान्त आयात प्रवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जाता हैः

MPM= आयातों में परिवर्तन / आय में परिवर्तन

(ii) निर्यातों का राष्ट्रीय आय के स्तर से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इस प्रकार वह स्वतन्त्र होते हैं।

2.12.5 गुणक प्रभावः

(i) उपर्युक्त वर्णित मान्यताओं के होने पर , निर्यातों में हुई वृद्धि घरेलू आय में वृद्धि की प्रवृत्ति रखती है। किन्तु बढ़ी हुई आय कुछ आयातों को प्रोत्साहित करती है जो कि ''रिसाव'' की तरह कार्य करती है। इनसे पूर्ण गुणक प्रभाव में कमी की प्रवृत्ति होती है, जो कि तब विद्यामान रहेगी यदि आयात स्थिर रहें।

(ii) खुली अर्थव्यवस्था का आय आबंटन है–**एम0पी0सी0+एम0पी0एस0+एम0पी0एम0=1**, इस प्रकार, एम0पी0एम0 आय में किसी भी वृद्धि का एक भाग है, जो आयातों में रिसाव करता है।

(iii) विदेशी व्यापार गुणक को समस्त रिसावों, जिनमें आयात भी सम्मिलित है, के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है।

विदेशी व्यापार गुणक=1 (एम0पी0एस0 + एम0पी0एम0)=1 / रिसाव

(iv) यदि एम0पी0एस0 स्थिर रहता है, तब एम0पी0एम0 का एम0पी0सी0 के साथ विपरीत सम्बन्ध होता है। जैसे –जैसे अधिक आयातों का उपभोग होता है, तब घरेलू वस्तुओं पर कम धनराशि का उपभोग होता है।

उदाहरण 2.1

यदि एम0पी0एस0 =0.15 और एम0पी0एम0 = .05, कुल रिसाव 2.0 है। अतः विदेशी विनिमय गुणक=1 / (0.15+ 0.05)=5

कुल व्यय में एक इकाई के परिवर्तन से जी0डी0पी0 में 5 इकाई परिवर्तन होगा इसके विपरीत, एक बन्द अर्थव्यवस्था के लिए एक सामान्य गुणक 1 / .15=6.67

उदाहरण 2.2

आइए निम्नांकित मान्यता करें:

MPC= 0-4; MPM+0.4 औरΔX=2000 मिलियन

जहॉ MPS सीमान्त बचत प्रवृत्ति और MPM सीमान्त आयात प्रवृत्ति है। विदेशी वयापार गुणक की गणना कीजिए।

<u>उत्तरः</u>

विदेशी व्यापार गुणक की गणना का सूत्र है–kf=1/MPS+MPMजहॉ MPS= ΔSऔर MPM=ΔM

ΔY= 1/(MPS+MPM)* ΔX

=1(0.4+0.4)*2000

=1(0.8)*2000

=2500.

इससे यह प्रदर्शित होता है कि निर्यातों में 500 मिलियन डालर की वृद्धि से विदेशी व्यापार गुणक के माध्यम से राष्ट्रीय आय मे 2500 मिलियन डालर की वृद्धि हुई है, जबकि एम0पी0एस0 और एम0पी0एम0 के मूल्य प्रदत्त हैं।

उदाहरण 2.3

एक अर्थव्यवस्था की निम्नांकित विशेषताये हैं:

उपभोग–C= 120 + 0.9yd;

विनियोग–I=20;

सरकार – G=20

व्यय:

टैक्स–T=o;

निर्यात–x=40;

आयात– M=20+0.05Y

(i) साम्य आय क्या है?

(ii) व्यापार शेष की गणना कीजिए?

(iii) विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य क्या है?

(i) राष्ट्रीय आय:

Y= C=1 +G+Nx = 120+ 0.9Yd +20+20+40- (20-0.05Y)

=120+0.9(Y-T)+20+20+40-20-0.05y=180+0.85y=1200

(ii) व्यापार संतुलन =X-M = 40-(20+0.05y)

y के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर

व्यापार संतुलन = 40-[20+0.5(1200)]

= 40-20-60=-40

व्यापार संतुलन घाटे मे है।

(iii) विदेशी व्यापार गुणक =1/(1-b+m)

जहॉ b सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति एवंm सीमान्त आयात प्रवृत्ति है।

विदेशी व्यापार गुणक=1/(1-0.9+0.05)=1/(0-15)=6.67

उदाहरण 2.4

एक अर्थव्यवस्था का व्यावहारिक एवं संरचनात्मक समीकरण इस प्रकार है:

C=200+b (Y100-tY)

I= 100

G=100

X=20

M=10+0.1Y

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति b बराबर है 0.08, और आनुपातिक आय कर की दर ,t= 0.25

ज्ञात कीजिए:

(i) साम्य राष्ट्रीय आय

(ii) विदेशी व्यापार गुणक

(iii) आयातों का साम्य मूल्य

(iv) यदि साम्य राष्ट्रीय आय पूर्ण रोजगार से 100 डालर कम रह जाय, तब सरकार को अपने व्यय को कितना बढ़ाना होगा, यदि पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है।

(i) साम्य आय के लिए समीकरण कालधूरूप हैः

Y=1/1-b(1-t)+m*(a-bT+I+G+X-t)

चरों एवं मानकों के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा–

Y=1/(1-.8)(1-0.25)+0.1)*(200-100*0.8)+100+100+20-10

=330/0.05

=660

(ii) विदेशी व्यापार गुणकः

= 1/1-b(1-t)+m

= 1/1-0.8(1-0.25)+0.1

=0.5

(iii) आयातों का साम्य मूल्य आयात फंक्शन में साम्य आय 660 को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार,

M =10+0.1y

= 10+0.1(660)

=10+66=76

(iv) 100 डालर की आय– वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सरकारी व्ययों मे आवश्यक वृद्धि को निम्नवत प्राप्त किया जा सकता हैः

ΔY =विदेशी व्यापार गुणक * ΔG

ΔY =2*ΔG

अथवा ΔG=ΔY/2=100/2=50

उदाहरण 2.5

अर्थव्यवस्था मे निम्नांकित समीकरण प्रदत्त हैः

C=400+bYd;

I=140 ;

टैक्स T=120

सरकारी व्ययG =140;

निर्यातx = 40 ;

आयातM= 20+0.1 Y ;

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति b=0.8

ज्ञात कीजिएः

(i) साम्य स्तर की आय

(ii) विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य

(iii) आयातों का साम्य स्तर

उत्तरः

(i) उपभोग फंक्शन हैः C=400+0.8Yd

C=400+.8(Y-T)

C=400+.8(Y-120)

साम्य की शर्त दी गयी है, Y=C+I+G+X-M

अतः

Y=400+0.8(Y-120)+140+140+40-20-0.1Y

Y=400+0.8Y-96+140+140+40-20-0.1y

Y= 604+0.7Y= 604/0.3

अतः आय का साम्य स्तर 2013.33 है।

(ii) विदेशी व्यापार गुणकः

ΔY=1/(1-b+m)

Δy =1(1-b+m)=0.3

(iii) साम्य स्तर पर आयातः

M=20+0.1Y

=20+0.1(2.013.33)

=20+201.333

=221.333

आयातों का साम्य स्तर 221.333 है।

2.13 सारांश

आकार की बचतें एवं विशिष्टीकरण अन्तराष्ट्रीय व्यापार से लाभ के मुख्य श्रोत है। व्यापार की शर्तो से आशय आयातों के शब्दों मे निर्यातों की सापेक्षिक कीमतों से है और इसे निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के अनुपात के रूप मे परिभाषित किया जा सकता हैं। इसका निर्वचन आयातित वस्तुओं की उस मात्रा के रूप में किया जा सकता है जिसे एक अर्थव्यवस्था निर्यात वस्तुओं की एक इकाई से क्रय कर सकती है। लॉर्ड जे0एम0 केन्स के द्वारा प्रदत्त गुणक, विनियोग गुणक था जिसे बन्द अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिपादित किया गया, केन्स के गुणक को खुली अर्थव्यवस्था तक विस्तारित किया गया, जिसे विदेश व्यापार गुणक के नाम से जाना जाता है। विदेश व्यापार गुणक शब्द श्री लेहटन के द्वारा प्रदान किया गया। बन्द अर्थव्यवस्था के गुणक को k के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो कि एम0पी0सी0 का फंक्शन है। विदेश व्यापार गुणक एम0पी0एस + एम0पी0एम0 का फंक्शन है।

2.14 शब्दावली

व्यापार की शर्ते – इस बात का माप है कि एक अर्थव्यवस्था निर्यात की एक ईकाई के लिए कितने आयातों को प्राप्त करेगी।

प्रावैगिक लाभ– वह लाभ है, जो प्रतिभागी देशों की आर्थिक संवृद्धि में त्वरित वृद्धि करते हैं ।

स्थैतिक लाभ– वह लाभ है, जो विदेशी व्यापार के क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के परिचालन के फलस्वरूप होते हैं।

जी0डी0पी0–सकल घरेलू उत्पाद , **टी0ओ0टी0–टर्म ऑफ ट्रेड्स** ,

MPC–सीमान्त उपभोग प्रवृत्तिया या मार्जिनल प्रोपैन्सिटी टू कनजयूम,

MPS – सीमान्त बचत प्रवृत्ति ,

MPM –सीमान्त आयात प्रवृत्ति,

इन्जैक्शन्स–प्रविष्टियॉ ,

2.15 बोध प्रश्न

सत्य/असत्य लिखिए।

1. घरेलू बाजार से विदेशी बाजार में विस्तारण आर्थिक संवृद्धि में त्वरित वृद्धि करता है।
2. अयातोंमें की गयी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से टी0ओ0टी0 में भी वृद्धि होगी।
3. व्यापार से प्रावैगिक लाभों का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास से सम्बन्धित है।
4. एक देश के आयात दूसरे देश के लिए निर्यात होते हैं।
5. जिस गुणक का मूल विचार आर0एफ0 कॉन ने दिया, वह रोजगार गुणक था।
6. विदेश व्यापार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन श्री लेहटन ने किया।
7. एक बन्द अर्थव्यवस्था में, कुल राष्ट्रीय आय समस्त निजी व्ययों के योग के बराबर होती है।
8. MPC कभी भी 1 के बराबर नहीं होती है।
9. गुणक सदैव 1 से कम होगा।
10. विदेशी विनिमय गुणक को निर्यात गुणक भी कहा जाता है।

2.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.सत्य 2. असत्य 3, सत्य 4. सत्य 5. सत्य 6. सत्य 7. सत्य 8. सत्य 9. असत्य 10. सत्य

2.17 स्वपरख प्रश्न

1. व्यापार से लाभ की अवधारणा का परीक्षण कीजिए।
2. व्यापार से लाभ का आप कैसे मापन करेंगे? व्याख्या कीजिए।
3. व्यापार से लाभ को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए।
4. स्थैतिक एवं प्रावैगिक व्यापार से लाभों में अन्तर कीजिए।
5. दो देशों के बीच व्यापार की शर्तो की व्याख्या कीजिए।
6. व्यापार की शर्तो के विभिन्न मॉडलों को समझाइए।
7. विदेश व्यापार गुणक से आप क्या समझते है? समझाइए।
8. एक बन्द अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण की कार्य विधि का वर्णन कीजिए।
9. एक खुली अर्थव्यवस्था मे विदेश व्यापार गुणक की क्या भूमिका है?

10. मान्यताओं एवं बॉथटब सिद्धान्त पर एक टिप्पणी लिखिए।

2.19 सन्दर्भ पुस्तकें

1. हिल, चार्ल्स डब्ल्यू0एल0 (2005), इन्टरनेशनल बिजनैस, बोस्टन, एम0ए0, टाटा मैक्ग्रा हिल/इरविन।
2. मित्तल, विवके (2011) विजनैस इन्वारयरनमैन्ट टैक्स्ट एण्ड केसेज (2nd एडीसन), नई दिल्ली,एक्सेल बुक्स।
3. पॉल,जस्टिन,(2008): इन्टरनेशनल बिजनैस (4thएडीसन),नई दिल्ली, पी0एच0आई0 लर्निंग प्रा0लि0।
4. एच0टी0पी0पी0/न्यू.एजू/रिसार्सेज/हट इज इन्टरनेशनल ट्रेड थियरी।
5. ऑबस्टफील्ड, एम0रोगॉफ के0 (1996): फाउन्डेशन ऑफ इन्टरनेशनल मैक्रोइकॉनामिक्स, व्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक एालिसिस,
6. एम0बी0(2009) टर्म्सऑफ ट्रेड इफैक्ट्रसः थियरी एण्ड मैजरमैन्ट, व्यूरो ऑफ इकॉनामिक एनालिसिस,
7. मार्शल,रैन्सडॉर्फ (2009) टमर्स आफ ट्रेड इफैक्ट्रसः थिरी एण्ड मैनेजमैन्ट, वर्किंग पेपस ,बी0ई0ए0,
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Gains_from_trade
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_of_trade
10. http://www.preservearticles.com/2012012721662/what-are-thegains-of-international-trade.html
11. http://www.wisdomsupreme.com/dictionary/bathtub-theorem.php
12. http://mises.org/books/international_trade_machlup.pdf
13. http://www.jstor.org/pss/1812859
14. (2009) इकॉनामिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एण्ड फायनॉन्स स्टडी मैटीरियल फॉर एम0कॉम (आई0डी0ई0 स्टूडेन्ट्रस),यूनिवर्सिटी आफ मुम्बई,

इकाई 3 सूचना–प्रौद्योगिकी एवं विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता (भागीदारी)

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना

3.2 प्रतिस्पर्धात्मकता एवं सूचना–प्रौद्योगिकी एवं सूचना–प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवाओं के बाजार का आकार

3.2.1 सरकारी अधिप्राप्ति क्षेत्र

3.2.2 भारतीय सूचना–प्रौद्योगिकी डद्योग का सलाट विश्लेषण एवं उभरते परिदृश्य

3.3 विदेशी अधिप्राप्ति बाजार में पहुँच (दृष्टि) अवसर

3.4 यूरोपीय संघ एवं भारत

3.5 उत्तरी अमेरिका एवं भारत

3.6 कनाडा एवं भारत

3.7 विदेशी अधिप्राप्ति बाजार में प्रवेश में अवरोध बाधायें

3.8 भारतीय सरकार से देख–रेख (ध्यान) पाने हेतु आवश्यक अपेक्षायें

3.9 साराँश

3.10 शब्दावली

3.11 बोध प्रश्न

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.13 स्वपरख प्रश्न

3.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- भारत में सूचना–प्रौद्योगिकी प्रास्थिति (स्थिति/स्तर) का परीक्षण कर सकें।
- सरकारी अधिप्राप्ति बाजार की अद्वितीय विशेषताओं का वर्णन कर सकें ।
- भारत एवं विदेशों में भावी बाजार के आरम्भ होने के पद के संदर्भ में संभावित परिदृश्यों का परीक्षण कर सकें ।

3.1 प्रस्तावना

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में सरकारी क्षेत्र में सूचना–प्रौद्योगिकी पर सर्वाधिक व्यय करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहने की अपेक्षा है जोकि सम्पूर्ण विश्व में आई.टी. कम्पनियों के लिये (के) सरकारी अधि प्राप्ति बाजार को आय (आगम)का एक प्रमुख स्तोत्र बना रहा है। यूरोप, अमेरिका एवं एशिया में बढ़ते उम्र के लोगों की तेजी से बढ़ती आबादी (जनसंख्या) बढ़ती जटिलताओं तथा श्रेष्ठतर एवं सस्ती जन–सेवाओं के निवेदन (माँग) ने सरकारों को अपने प्रशासनिक प्राणलियों को आधुनिक करने (बनाने) हेतु बाध्य किया है। इन विकासों को बढ़ाने (जागृत करने) में आई.टी. एवं आई.टी. समर्थकृत सेवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, क्योंकि ये अन्य सेवाओं के मध्य बहुमूल्य है तथा कमलागत पर (कम/अल्प/घटी हुयी लागत) सार्वजानिक क्षेत्र की कुशलता को बढ़ाती है। वर्तमान में अधिकांश सरकारें अपने प्रशासनिक संरचनाओं के आधुनिकीकरण एवं सरल बनाने कगे साथ इनकी कुशलता (दक्षता) बढ़ाने एवं लोचशीलता लाने (स्थानपन) पर संकेन्द्रित हो रही है। आई. टी. उत्पाद एवं सेवाएँ इन लक्ष्यों को प्रदान करने हेतु श्रेष्ठतम पसंद हैं।

प्रौद्योगिकी (तकनीक) के आधुनिकीकरण (उन्नति) के साथ आई.टी. आधारभूत संरचना का प्रमुख संघटक बन गया है, जो अर्थव्यवस्था में सूचना के प्रावाह को सुगम बनाता है। सूचना–प्रौद्योगिकी में अधिप्राप्ति वस्तुओं, सेवाओं एवं कार्यों की अधिप्राप्ति को सम्मिलित करती है। सूचना–प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में लागतों एवं प्रबंधक के उत्तरदायित्वों को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है।

अ. प्रणाली को गठित करने वाले घटकों (अंशों) के प्रारम्भिक अधिग्रहण की लागत, तथा

ब. प्रणाली के प्रबंध, अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण/अद्यतन करने (उन्नयन) की लागत।

सरकारी क्षेत्र (कम्पनियाँ इत्यादि) के समक्ष यह विकल्प होता है, कि वे या तो तकनीकी (प्रौद्योगिकी)/साफ्टवेयर को क्रय कर लें अथवा सेवा–प्रदाता के द्वारा बनवायें/सरकारी क्षेत्र (सत्व/कम्पनियाँ/विभाग इत्यादि) यह विकल्प भी रखे हुये होती है, कि वे स्वयं सरकार के भीतर इस सूचना प्रौद्योगिकी समाधान का सृजन/निर्माण (रचना) कर लें।

इसके अतिरिक्त सूचना–प्रौद्योगिकी एवं सूचना–प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवाओं की अधिप्राप्ति की कुछ अद्वितीय (विशेष) विशेषतायें होती है, जो इस प्रकार है,

(अ) जब सरकार द्वारा अधिप्राप्ति की जाने वाली आई.टी. सेवाओं की संविदा निरस्त की जाती है, तो विशेष प्रकार (प्रकृति) क अनुबंध (पूर्वापेक्षा/करार) एवं उत्पादन के लिये गये पैमाने (उत्पादन के आकार) के कारण इसे अन्यत्र कहीं बेचा नहीं जा सकता है, जो इसके क्रिया–वयन (लागू करने में) में कठिनाई उत्पन्न करता है।

(ब) कभी–कभार सरकार कतिपय उत्पादों को विशेषीकृत/उल्लिखित (स्पष्ट रूप से बताना) कर सकती है जो रुद्ध (बंद) होते (कर दिये) है तथा अन्य किसी को नहीं बेचे जा सकते हैं।

(स) यह आवश्यक है कि, जो कुछ भी अधिरप्राप्त (खरीदा जा रहा) किया जा रहा है, उसके अनुरक्षण को आई.टी. अधिप्राप्ति के सूक्ष्म (विवेचनात्मक) पदो के रूप में सम्मिलित किया जाये–इस दशा में घरेलू आपूर्तिकर्ता अधिक सुविधाजनक (उपयुक्त होगे) होगे न कि विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय) आपूर्तिकर्ता कुशल (दक्ष) आई.टी. क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का एक अति–महत्वपूर्ण गुण (विशेषता) है।

तर्कसाध्य रूप से विकसित देश विकासशील देशों की सरकारों की अपेक्षा अधिक व्यापक ढंग (रूप में) प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपने शासन – संचालन कार्यो (गतिविधियों) में करते है। हालाकि यह धारणा (राय) तेजी से परिवर्तित हो रही है, जिस प्रकार से विकासशील व्रीवता से इसे (आई.टी. प्रयोगों को) पकड (अपना) रहे, ऐसे देश यथा शानील एंव भारत बहुत शीध्र ही सूचना– प्रौद्योगिकी प्रणाली के बडे उपयोगकर्ता बन (हो) जायेगे ।

वर्तमान में, भारत सरकार ने कल्याणकारी शाँशन (श्रेष्ठ शासन) हेतु सूचना– प्रौद्योगिकी के नियोजन द्वारा सभी सरकारी कार्यो (गतिविधियों) के प्रबन्ध / संचालन को विकसित (प्रबंधकृत) करने के कई पहल किये है। वर्ष 2011 एक सुनियोजित (सोउद्वेश्य) सुधारों की लहर का साक्षी बना जो अपने कल्याणकारी कार्यो के निष्पादन हेतु अपने जनसंख्या सम्बन्धित थी ।

खाद वितरण योजनाये, शिक्षा का अधिकार, नियोजन के अधिकार का विद्यालय तथा वित्तीय समावेशन से सभी अपने सफल कियान्वयन में सूचनाओं के सटीक प्रबंधन के कारण ही सफल हो सके ।

प्रशाषनिक प्रणाली के कार्य – प्रणाली में आई. टी. की रणनीतिक भूमिकाएं तथा भारतीय प्रशाषनिक प्रणाली का समान्तर विशाल दीर्घ आकार इस बात का गवाह है, कि भारत में आई. टी. सेवाओं की अधिप्राप्ति आय एंव श्रम का एक महत्वपूर्ण (प्रमुख) स्रोत है, आमंत्रित (प्रस्तुत) करती है तथा देश को उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में सेएक में रूपान्तरित करने में

महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः यह अनिवार्य है, कि आई. टी. समर्थकृत सेवाओं का अध्ययन एंव इसकी नीतियों का अध्ययन किया जाये ।

3.2 प्रतिस्पर्द्धात्मकता एंव सूचना–प्रौद्योगिकी एवं सूचना–प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवाओं के बाजार का आकार

3.2.1 सरकारी अधिप्राप्ति क्षेत्र

भारतीय उत्पादक सेवाओं की आउटसोर्सिगं (बाहरी स्त्रोत से सेवाएँ प्राप्त करनां) के व्यावसायिक प्रतिमान पर निर्भर करते (भरोसा/विस्वास) है। जो उन्हे विकसित देशों की तुलना में कम न्यूज) श्रम लागत वाले देशों में पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त करने में सहायता करता है। सूचना– प्रौद्योगिकी तथा सूचना– प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवाएँ, भारतीय आर्थिक विकास की एक प्रमुख वाहक शक्तियाँ (बलं) है। देश में आई. टी. एवं आई. टी. समर्थकृत सेवाओं का अर्थव्यवस्था में योगदान 1997–98 में 1.2प्रतिशत से अधिक मात्रा में बढ़ा है,

जो 2011–2012 के लिए 7.5 प्रतिशत अनुमानित है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र रोजगार (नियोजन) , निर्यात – संवर्द्वन, आय (राजस्व) सृजन, तथा जीवन – स्तर के पदों (मदों/शीषकों) में भी अर्थब्यवस्था के बढ़ते विकास में मूल्यवान /महत्वपूर्ण भूमिका का विर्वहन करता है। सूचना– प्रौद्योगिकी उद्योग लगभग 3.5 लाख (3.5 मिलियन) युवा–स्नातको के समुच्चय (समूह), अत्यन्त श्रेष्ठ तकनीकी मंच, स्थिर वार्षिक 24 प्रतिशत की वृद्वि, तथा इसके साथ ही 20 वर्षो की आई0 टी0 सेवाएँ प्रदान करने के अनुभव पर विश्वास (भरोसा) करता है। भारत ने आई0 टी0 के क्षेत्र में अपने आपको उत्कृष्टता के प्रधान क्षेत्र के रूप स्थापित करने का प्रयास करता रहा है। इसके साथ ही भारत अन्य देशों में अपनी आई. टी. कम्पनियों तथा आई. टी. परामर्शकों के बाजार में प्रवेश (पहूँच/पैठ/अभिगमन) के लिये प्रयास करता रहा है। यह क्षेत्र केवल आय–सृजन एवँ रोजगार के पदों (मदों/के लिए) में नहीं वरण् औद्यौगिक विकास के पदों में भी राणनीतिक महत्व रखता/प्रस्तुत करता है। 2008–2009 में आई.टी.साफट्वेयर तथा सेवाओं में कुल नियोजन 2.20 मिलियन अनुमानित है। इसकी तुलना यदि 7 (सात) वर्ष पूर्व से की जाय जबकि (2001–2002) इसमें कार्यरत व्यत्तियों की संख्या 0.52 मिलियन था, तो इस उद्योग ने 3 गुना विध्दि प्राप्त की है। इसके साथ ही (समानाँतर) उद्योगों से सम्बन्धित 8.2 मिलियन रोजगार सृजित किये है। यह कुल मिलाकर 10.4 मिलियन रोजगार में रूपान्तरित (अनुदित) हुआ जो इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया । यह क्षेत्र विशाल राजस्व (आगम/आय) अर्जित करता है, भारतीय अर्थब्यवस्था के तेजी से बढ़ते (विकसित होते) क्षेत्रों में से एक है। सारणी 3.1 दर्शाता है,कि निर्यात बाजार आगम के बड़े अंश को सृजित करता है। जबकि घरेलू बाजार हाल के वर्षो में प्रमुखता से बढ़ा (विकसित) है।

सारणी 3.1

वर्ष /मद	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2005–07	2007–08	2008–09	CAGR
निर्यात	7.6	9.5	12.9	17.7	23.6	31.1	40.4	46.3	28.6
घरेलू	2.6	3.0	3.8	3.9	6.7	8.2	11.7	12.4	22.2
कुल	10.2	12.5	12.5	16.7	30.3	39.3	52.0	58.7	26.9

स्त्रोतः. संचार एवं सूचना– प्रौद्योगिकी मंत्रालय नास्काम

आई.टी. एवं आई.टी. समर्थकृत सेवाओं के अधिप्राप्ति के संदर्भ में, हाल के वर्ष गवाह रहें, कि सम्पूर्ण विश्व में सरकारें सूचना–प्रौद्योगिकी पर अधिक व्यय करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरी है, जो आवश्यक सेवाओं के अधिप्राप्ति में वृद्धि के रूप में इंगित होता है। आई.टी. एवं आई. टी समर्थकृत सेवाओं की अधिप्राप्ति का महत्व भिन्न–भिन्न अर्थ (मायने) रखती है। विकसित

दुनिया में, विकसित देश राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनतान्त्रिकी परिवर्तनों के नाम पर (के लिये) अधिक धनराशि सूचना–प्रौद्योगिकी पर व्यय कर रहे हैं, जबकि विकासशील देशों में, भारत समेत, देश अभी भी अपनी आई.टी. आधारभूत संरचना स्थापित कर रहे है, ई–प्रशासन (ई–गर्वनेस) एवं कागजात प्रबन्धन के पदों में सूचना–प्रौद्योगिकी के अधिप्राप्ति पर व्यय कर रहे हैं। विश्व भर में नवीन उन्मेंजनें (पहले) पर भी रुचि में वृद्धि दिखायी दे रही है। कलाइड कम्प्यूटिंग, ग्रीन–प्रोक्योरमेन्ट (हरित–अधिप्राप्ति) उनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण पहल (नवोन्मेष) हैं। इसके अलावा सरकार करदाताओं/नागारिकों की अपेक्षानुरूप वस्तु एवं सेवाएँ प्रदान करने तथा अपनी उत्पादकता बढ़ाने उन्नत करने पर भी ध्यान दे रही है। भारत में घरेलू आई.टी.बाजार अपने संक्रमण काल (चरण/अवस्था) में है, जो तेजी से विकसित होते सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारभूत संरचनाओं, बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता, बढ़ती उपभोक्ता की व्यय करने की अभियोगिता तथा तकनीक को व्यवसाय के साम्यर्थकारक (सामर्थ्य प्रदान करने/मजबूत करने वाले) घटक के रूप में स्वीकृत सेवाओं के उदय (अभ्युदय) तथा अर्थव्यवस्था के साथ इसके बढ़ते रूकीकरण के कारण व्यापक एवं नाटकीय परिवर्तन हुआ है। आई.टी./आई.टी. समर्थकृत उद्योग आर्थिक वृद्धि (विकास) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (त्री.डी.पी.) में 5.6 प्रतिशत का हिस्सा रखता है तथा 2.3 मिलीयन प्रत्यक्ष तथा इससे बहुत अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र की पश्चातवर्ती (पूर्ववर्ती) दशकों में स्निर वृद्धि (क्षेत्र में 24 प्रतिशत से अधिक दर के संयुक्त वार्षिक विकास दर सी.ए.जी.आर. के साथ वृद्धि की है) आने वाले समय में इसकी क्षमता एवं क्षेत्र की परिचायक (संकेत करने वाली) है। लोक–प्रशासन की कुशलता बढ़ाने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर विश्वास की सार्वजानिक क्षेत्रों की बढ़ती आवश्यकता इस क्षेत्र के विकास कस एक प्रमुख कारण (वाहक) है। यह खण्ड आई.टी. अधिप्राप्ति के वर्तमान (चालू बाजार) बाजार एवं भारतीय सूचना–प्रौद्योगिकी की स्थिति पर दृष्टि आरोपित करेगां

3.2.2 भारतीय सूचना–प्रौद्योगिकी उद्योग के उभरते परिदृश्य एवं स्लॉट विश्लेषण–

सूचना–प्रौद्योगिकी विकसित हुई है तथा उस स्थिति को प्राप्त कर ली है जहाँ यह भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह समस्त क्षेत्रों एवं प्रमुख आर्थिक गतिविधियों यथा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, खुदरा एवं वितरण सेवाएं, तथा विनिर्माण में व्याप्त है। यह सेवाओं तथा उपभोक्ता अंर्तक्रिया सेवाओं यथा, आँकड़ा खोज (डेटा सर्च) शोध, परामर्शक (परामर्शदात्री), साफ्टवेयर उत्पादों तथा अन्य सेवाओं की भी सुगम बनाती है (सरल करती) है।

सारणी 3.2 भारतीय आई.टी. उद्योगका (स्लॉट) विश्लेषण ताकत

	(मजबूती/बल (Strenghts)	सीमितताएँ (Limit)
आन्तरिक घटक	1.विघ्दि की विशाल क्षमता युक्त वृहत बाजार 2. श्रेष्ठ एवं लागत– प्रतिर्स्पदी विनिमार्ण आधार 3. विशेषज्ञों की उपलब्धता 4. श्रेष्ठ तकनीकी कौशल (दक्षता)	1.कमजोर/अपर्याप्त नियामक ढाचा 2. कतिपय अधि अधिप्राप्ति क्षेत्रो प्रतिर्स्पध्दा का अभाव दुर्बल /कमजोर आई0टी0 विनिर्माणी उद्योग
वाहय घटक	अवसर (Oppurtunities)	आशंका (डर/खतरा)Threats
	1.बढ़ती वैश्विक बाजार क्षमताः यूरोपीय, अमेरिकी एवं अन्य विकसित बाजारों की	1. कई बाजारों में कडें नियामक मानकों की

	उपलब्धता 2.आई0टी0 उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंर्त प्रवाह की सम्भावनायें	उपस्थिति ।

इन विकासों के साथ यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में उभरा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास (वृद्धि) में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यह आपेक्षित है कि आने वाले समयों में इसका प्रसार (प्रवेश) /भेदन और व्यापक एवं विस्तृत (सबको मिलकर/समावेशी) होगा।

3.3. विदेशी अधिप्राप्ति बाजारों में बाजार प्रवेश (पहुँच) के अवसर

आई.टी. एवं आई.टी. समर्थकृत सेवा क्षेत्र वैश्विक निर्यात की इच्छा रखने वाली भारतीय कम्पनियों के लिये एक अति लाभप्रद (लाभ–प्रदायक) क्षेत्र हैं भारतीय कम्पनियाँ पिछले दो दशकों से समुद्रपार (समुद्र तटीय) के देशों को आई.टी.सेवाएं प्रदान कर रही हैं, तथा अपनी कुशलता (दक्षता) एवं लागत–प्रभावकारिता (मितव्ययिता) के कारण उत्तरोत्तर ख्याति एवं सम्मान प्राप्त कर रही है। आई.टी. सेवाओं के सरकारी अधिप्राप्ति का वैश्विक बाजार कच्चे रूप में (सामान्यतः) दो बड़े समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

एक तरफ विकासशील देशों की सरकारें है, जो बाजार का 10 से 15 प्रतिशत प्रायः (सामान्यतः) बड़े खरीददार नहीं होते हैं, तथा वे आई.टी. के ऊपर उतना विश्वास नहीं करते जितना कि विकसित देश तब भी (तथापि/फिर भी) समय बीतने के साथ–साथ विकासशील देशों की हिस्सेदारी (अंश/प्रतिशत) आई.टी. सेवाओं के बाजार में अंततोगतत्वा बढ़ी है। उदाहरणार्थ ब्राजील, चीन, द0 अफ्रीका है, जो अपने देश की प्रशासानिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर संकेन्द्रित हे। दूसरी ओर विकसित देश हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल उन देश (अमेरिका, यूनाईटेड, किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैण्ड, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया) सरकारों के आई. टी. वैश्विक व्यय का 80 प्रतिशत भाग संघटित करते है। ये सभी देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं तथा सरकारी अधिप्राप्ति अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ता है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ के देशों की सरकारों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल व्यय लगभग 180–200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है तथा इन सकारों का प्रमुख ध्यान (संकेन्द्रण) दक्षता उन्नयन एवं लागत अनुकूलता पर है। इसलिये यह अपेक्षित है, कि आई.टी. आउट सोर्सिंग का बाजार 6 प्रतिशत वार्षिक विकास दर की गति से बढ़ेगा और 2020 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचेगा। आउटसोर्सिंग का अधिकांश भाग (ज्यादातर सेवाएं) कुल राशि का लगभग 60 प्रतिशत, आई.टी.सेवाओं पर संक्रेदित है। जबकि आई.टी. समर्थकृत सेवाओं का अंश अल्प है। इसका कारण सरकारों का निजता एवं सुरक्षा विषयों (मामलों) के प्रति ध्यान (परवाह, चिंता) है जो सरकारों को अन्मेलित (कम अनुकूल) सेवायें प्रदान करती है।

आरम्भ (शुरू–शुरू में) ऐसा जाना चाहिये कि अन्य क्षेत्रों के विपरीत आई.टी. तथा विशेषकर आई.टी. समर्थकृत सेवाएं भाषा–सम्बन्धी बाधाओं से आसानी से प्रभावित होने वाली (अति संवेदनशील) है। भारतीय आई.टी. सेवा–प्रदाता अधिकांशता, अंग्रेजी भाषा के उत्पाद की आपूर्ति कर रहे हैं, जिसके कारण इनका विश्लेषण यूरोप, संयुक्त–राज्य अमेरिका तथा कनाडा तक ही सीमित होगा।

3.4 यूरोपीय संघ एवं भारत

यूरोपीय संघ 27 राज्यों का सम्भावित (सम्भाग्य) बाजारों को रखता है। इनमें से भारतीय कम्पनियाँ केवल कुछ मुट्ठी भर राज्यों के बाजार को सफलतापूर्वक लक्षित कर सकती

है। यूनाइटेड किंगडम, मॉल्टा एवं आयरलैण्ड वे तीन देश है, जहाँ अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है इनमें से यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) सर्वाधिक आशाजनक लक्ष्य है। वास्तव में ऐसी नीति अपनायी है, जो अल्प (कम/घटी हुयी) बजट–व्यय के साथ (के द्वारा) बढ़ी दक्षता के मिलान का प्रयास करती है। ऐसा करने के लिये (करने में) यह समुद्रतटीय व्यापार पर इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकेन्द्रित होती है। यू.के. में अधिप्राप्ति प्रणाली (पद्धति) अत्यन्त पारदर्शी है तथा यह विदेशी एवं यूरोपीय सेवा–प्रदाताओं के मध्य मुक्त–प्रतिर्स्पद्धा को सुनिश्चित करता है, हालांकि (यद्यपि) कभी–कभार सरकार उच्च बेरोजगारी दर से निपटने के लिये संरक्षणवादी नीति अपनाती है। यू. के. के विधान द्वारा वर्णित शर्तों (आवश्यकताओं) के अनुसार आई.टी.सी. आपूर्तिकताओं को अपने खातों में अपने लाभ, उप ठेकेदारों परियोजनाओं के अन्य घटकों के वर्णन में अन्य बातों के अलावा पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी। कतिपय आई.टी., बी.पी.ओ. (बिजनेस प्रोसेस आउट सेसिंग) फर्म के द्वारा उद्छ्राटित जानकारियों (जो उन्होंने साक्षात्कार के दौरान बतायी) के अनुसार यू.के. बाजार में प्रवेश हेतु कतिपय बाधायें (अवरोध) है, यथा अभी यू. के. सरकार ने बाहरी उद्यमों के लिये एक ऊपरी सीमा का निश्चयन किया है, जिसके अनुसार एक कम्पनी (उद्यम) को कुल आउट सोर्सिंग राशि की सीमा में बाँध दिया गया है।

इसके पीछे यह औचित्य किसी एकल सेवा–प्रदाता पर अतिशय निर्भरता को रोकना (कम करना) तथा उप ठेकेदारी को बढ़ाना (प्रोत्साहित करना) जिससे लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के बाजार में विकास को सुनिश्चित किया जो सके। संविदा प्रायः यह दशा भी लगाती आरोपित करती है कि, सुपुर्दगी हेतु स्थानीय उपस्थिति आवश्यक है, यह कई देश के सरकारों के साथ अनुबंध में अंकित होने वाली सामान्य शर्त है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय कम्पनियाँ सीमा–पार आधार पर सेवाएं प्रदान करने में समर्थ (करने के योग्य) नहीं रहेगी। यह विशेषतः आई.टी. समर्थकृत सेवाओं हेतु व्यावहारिक है जो इस प्रकार के व्यावसायिक प्रतिमानों के आधार पर सेवाएं देती है। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय कम्पनियों यू. के. उपस्थिति प्राप्त करें।

माल्टा और आयरलैण्ड के अलावा शेष यूरोपीय बाजार में प्रवेश और कठिन है। जैसा कि उपरिवर्णित है, कि भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ भाषायी अवरोध सबसे बड़ी बाधा है तो दूर करने में कठिनाई प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश यूरोपीय देश कठोर श्रम–विधियों को सेवाओं में लेने (नियोजित करने) तथा बड़े श्रम–मानकों (आवश्यकताओं) का पालन करने पर जोर देते है, जो आउट सोर्सिंग सेवाओं के आमंत्रण को बाधित कर सकती है, विशेष सीमा पार आधार पर।

3.5 उत्तरी अमेरिका एवं भारत

संयुक्त राज्य सरकारी अधिप्राप्ति विशेषतः समुद्र तटीय (समुद्र पार) सेवाओं हेतु एक चुनौतीपूर्ण बाजार है। सन् 2007 में अमेरिकी सरकार ने आई.टी. वस्तुओं के अधिप्राप्ति पर 65 मिलीयन अमेरिकी डालर व्यय किये। यह अनुमानित है कि कम्प्यूटर पर हुये कुल व्ययों का 11 प्रतिशत सरकार द्वारा किया गया।

कुल मिलाकर केन्द्रीय यू. एस. प्रशासन तथा उप–केन्द्रीय प्रशासनों का सामुहिक तटीय (समुद्रपार) व्यापार के प्रति अल्प अनुकूल रवैया है जो यू.एस. सीमा सुरक्षा विधेयक एव 9/11 रेस्पान्डरस विधेयक में अपनी पराकाष्टा पर पहुँचा जिसने इस प्रकार की सेवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध /अवरोध लगाये । उदाहरणार्थ , ओहियो राज्य ने स्थानीय सेवा आपूतिकर्ताओं के पक्ष लेने हेतु समुद्रतटीय स्थानों पर सरकारी आई. टी. सर्मथकृत सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। संयुक्त राज्य में भाषा का अवरोध नही व्याप्त हैं इसके बावजूद भी विभिन्न 34 बाजारो में सरकारी अधिप्राप्त खण्ड–खण्ड में विभाजित है। क्योंकि यह प्रत्येक राज्य द्वारा स्वतत्र रुप से नियमित (शाषित) है। इसके अतिरिक्त यदि संविदा सन्घीय एवं प्रान्तीय के मिश्रित निधि से

वितयन प्राप्त करता है, तो सेवा –प्रदाता हेतु यह आवश्यक है, कि वह सघीय एव प्रान्तीय दोनो विधानो (प्रावधानों/नियम–कानूनों) को पूर्ण/पालन करे। वीजा नीतियाँ भी भारतीय पेशेवंरो के लिए एक भारस्वरूप आवश्यकतायें है। तथा से गंभीर रूप से सेवा प्रावधानों को (कार्य स्थल पर) बाधित करती है। 31 मई 2011 से यू0स0 सरकार ने संधीय अधिग्रहण विधानों (फेडरल एक्विजिशन रेग्युलेशन्स) को आई.टी.सी. उत्पादों एव सेवाओं को बाय अमेरिकन एक्ट, 1933 के कड़े प्रावधानों से मुक्त (छुट) करने हेतु संशोधित किया है।

3.6 कनाडा एँव भारत

कनाडा अपने दक्षिणी पडोसी की भाँति जटिलता को नही रखता, अधिक (ज्यादा) उदार सरकारी अधिप्राप्ति शाषन–पक्ष /व्यवस्था आई0टी0 के लिए रखता है। इसके बावजूद भी (तथापि) यूरोप अथवा संयुक्त राज्य की तुलना में कनाड़ा के बाजार का मूल्य अतिसीमित है।

3.7 विदेशी अधिप्राप्ति बाजार में प्रवेश में बाधाये

भारतीय कम्पनियाँ मुक्त अतराट्रीय सरकारी अधिप्राप्ति बाजार में प्रवेश का लाभ नहीं पा रही है। इसके बावजूद भी जी0पी0ए0 में भारतीय अभिवृध्दि भारतीय कम्पनियों को परदेशों के जी0पी0 रू0 अधिप्राप्ति बाजार में प्रवेश अधिकार के अवसर प्रदान कर सकती है। यह कहना वाघ्यकारी है। कि यह महत्वपूर्ण ध्यातव्य तथ्य है, कि जी0पी0 ए0 में ख्याती (अभिवृध्दि) सरकारी अधिप्रात्ति की समस्त बाधाओं को दूर करना सुनिशिचित नही करता है। ऐसी कतिपय बाधाओं जो भारतीय सेवा–प्रदाताओं के अंतराट्रीय सरकारी अधिप्राप्ति बाजार में प्रवेश में रोड़े (बाधा) अटकाती है, निम्नलिखित है,:,

(1) वीजा–प्रतिबंध जो आई0टी0 परामर्शको के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश में बाधा उत्पन्न (रोड़े अटकाती) करती है,

(2) कतिपय देशों में लधु एवं मघ्यम उद्योगों का पक्ष लेने की वरीयता नीतियाँ

(3) सुपुर्दगी के स्थान पर आपूर्तिकर्ता कम्पनी की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होना :,

सारणी 3.1 इन बाधाओं को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करती है।

7–10 बिलियन अमेंरिकी डालर निम्न लटकते फल यू0के0 केद्वीय सरकार यू0के0 प्राँतीय एवं स्थानीय सरकार	1.कार्यस्थल (साइट) पर सुपूर्दगी की बहुलता 2. स्थानीयकरण 3.मुक्त–प्रतिर्स्पर्धा का 4. पारदर्शी प्रकियाये 5. खुली किताब
35–38 बिलियन अमेंरिकी डालर सरकार की पूर्ण धारणायें जिनमें परिवर्तन आवश्यक ।	1.संरक्षण वादिता 2. सधन लाबिइंग 3.शत–प्रतिशत 4.सुपूर्दगी साइट पर होना 5. स्थानीयकरण
संयुक्त राज्य संधीय सरकार संयुक्त राज्य प्राँतीय एवँ स्थानीय सरकार ।	1.कड़े क्षम विधान 2.भाषा की बड़ी समस्या(अवरोध) 3.स्थानीयकरण 4.साइट पर सुप्रर्दगी
28–32 बिलियन अमेंरिकी डालर	

प्रवेश की बड़ी बाधायें	
यूरोपीय आयोग पश्चिमी यूरोप (पूर्व यू0 के0)	

उच्च प्रवेश की बाधायें निम्न

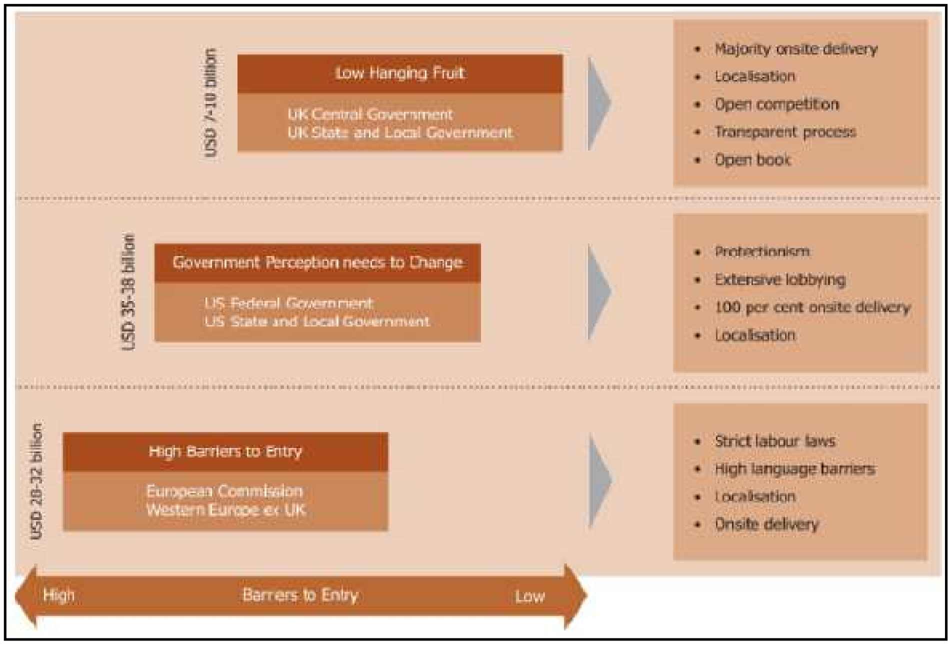

स्रोत: Nasscom Study, "Indian IT-BPO Opportunities in the Indian Procurement Market Globally", 2011

3.8 भारतीय सरकार से देख–रेख (ध्यान) पाने हेतु आवश्यक अपेक्षायें

साफटवेयर उद्योगों के सर्वोच्च संगुटिका (संपिडन/कंगलोमेंरट) द्वारा किये गयें अध्ययन से संकेत प्राप्त होता है। कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप द्वारा आई0 टी0 / बी0पी0ओ पर कृत सरकारी व्यय में भारतीय कम्पनियों (भारतीय उद्योग) का पहुँच योग्य बाजार 2020 तक अनुमानतः 70–80 बिलियन अमेरिकी डालर होने की संम्भावना है। हालाँकि अबतक (2010 में) भारत कुल पहुँचनीय बाजार के मात्र 2 प्रतिशत का ही उपयोग करपाने में सक्षम (सफल) हो सका है। जोकि मात्र 0.5 बिलियन अमेंरिकी डालर ही है। नियामक बाधाओं यथा, वीजा–प्रतिबंध, भाषा अवरोध, यूरोपीय संध एवं संयुक्त–राज्य की सरकारो में बिड्ंग करने में भारतीय कम्पनियों की अनुभव हीनता, प्रूवेनस वाक्य के निराशाजनक प्रभाव इत्यादि वे कारण है जिनके कारण भारतीय आई0टी0 उद्योग इस बाजार में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सका। जैसा अघ्ययन में रेखाँकित किया गया है। कि भारत भले ही सन 2020 तक पहुँचनीय बाजार के 10 प्रतिशत भाग को प्राप्त कर लेगा किन्तु फिर भी यह उसे बाजार का प्रमुख खिलाड़ी (उद्योग देश) के रूप में उभरने हेतु पर्याप्त नहीं होगा । इसके बावजूद भारतीय आई0टी0 कम्पनियाँ सरकारी अधिप्राप्ति बाजार को प्रतिरूर्प की बनाने हेतु अपने व्यावसायिक प्रतिमान (बिजनेस माडल) करे उन्नत कर सकती है।

जब हम भारत की अंतर्रास्ट्रीय सरकारी अधिकारी अधिप्राप्ति बाजार में भागीदार बनने के बारे में बात करतें है,तो हमें निम्न लिखित बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

(1) सूचना–प्रोद्योगिकी क्षेत्र, विशेषकर साफ्टवेयर सेवा खण्ड (क्षेत्र/भाग) सर्वाधिक क्षमतावान (आशावान) क्षेत्रों में से एक है, जिसमें (जहाँ) भारत एक आक्रामण

(आक्रामकता के साथ) रूप से अपना हित रख सकता है, तथा तत्पश्चात विदेशी अभिप्राप्ति बाजार में प्रवेश का प्रयदन कर सकता है। हालाँकि भारत के लिये अभी भी (फिर भी) यह आवश्यक होगा कि वह आई.टी. के अन्य प्रखण्डों यथा, हार्डवेयर विकास एवं शोध एवं विकास को मजबूत करे जिससे कि किसी द्वि–पक्षीय अथवा बहु–पक्षीय समझौतों में सम्मिलित होने से पूर्व निर्यात प्रतिर्स्पद्धात्मकता को प्राप्त करे तथा इससे लाभ उठाये।

(2) जैसा कि ऊपर बताया गया है, कि अन्य देशों में कतिपय सामान्य तथा कुछ अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिबंध व अवरोध (बाधाएँ) व्याप्त है, जिनके लिये व्यापक सौदेबाजी की रणनीति की आवश्यकता है। यह भी प्रमुखतः ध्यातव्य है, कि आई.टी. समर्थकृत सेवाएँ, सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, प्रथमतः इसका अनुप्रयोग भारत में सरकारी अधिप्राप्ति में आवश्यक है। घरेलू विधानों तथा गेट के व्यापार सम्भावनाओं के प्रावधानों ने तथा उसके अनुसंगी परावर्तनों ने प्रत्येक देश के प्रस्तावों (आमंत्रणों) में बाजार पहुँच दशाओं एवं राष्ट्रीय व्यवहार विशेषताओं को परिवर्तित किया है।

दूसरा जैसा कि पूर्व में कहा गया है, भारतीय सरकार के अधिप्राप्ति गतिविधि में सम्मिलित होने का विचारण करते समय निम्नलिखित धारणाओं को ध्यान में (मस्तिष्क) रखना आवश्यक है।

आई.टी. अधिप्राप्ति के प्रभावी संचालन हेतु सर्वाधिक निर्णायक बात जो आवश्यक है वह ये है कि आवश्यकता के कथन का निरूपण जो विभाग की सटीक (यथार्थ) आवश्यकता को रूपांकित करती है। इस सन्दर्भ में जो गुण/विशेषतायें सम्मिलित की गयी है, उनको आवश्यक/अनावश्यक किन्तु वरीय आदि में वर्गीकृत करना सहायक होगा, जो विभाग को प्रभावी सौदेबाजी के योग्य बतायेगा तथा उपर्युक्त लागत–प्रणाली को प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

सूचना–प्रौद्योगिकी के कतिपय अन्य विशिष्ट पहलू जो सूचना–प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति को प्रभावित करते है, वे यह है कि सरकार को संयोजित (व्यवस्थित/रखी गयी) प्रणाली के अंर्त–संचालन को सुनिश्चित करना चाहिये यह ये सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है, कि सूचना–प्रबन्ध सुचारू रूप से चाले है तथा समय के साथ तकनीकी विकासों का सामना कर सकता है। यह निर्धारित करने के क्रम में कि नये अधिप्राप्ति उत्पाद (वस्तु/मद) वास्तव में आरम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है, यह जटिल है कि सुपुर्दगी प्राप्त वस्तुओं को पूर्व आवश्यकताओं के सापेक्ष परीक्षित किया जा सके।

सूचना–प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति में सम्मिलित होने के समय सुरक्षा तत्वों को ध्यान (सम्मान) रखना महत्वपूर्ण है, यह विचारण आवश्यक है कि इण्टरनेट पर भंडारित सूचनाओं की भेछता का स्तर क्या है। सरकारी निकायों को हार्डवेयर के मर्यादित क्रय के विकल्प में सम्मिलित होने का अथवा भारत में सरकारी अधिप्राप्ति के विकल्प को खोजना चाहिये। घरेलू विधान (नियमन) तथा व्यापार संभावना (क्षमता) साफ्टवेयर कुछ लागत–लाभ की वसूल की सुनिश्चितता हेतु खोजे जा सकते है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के सरकारी अधिप्राप्ति बाजार को भेदने हेतु अथवा इस क्षमता को बढ़ाने हेतु कुछ रणनीतियाँ है जिन पर विचार किया जा सकता है,

(1) वीजा आवश्यकतायें तथा प्रक्रियायें आई.टी. सेवाओं के प्रावधान में प्रधान बाधायें है। ये वस्तुतः (दरअसल) यूरोपीय संघ एवं उत्तरी अमेरिकी बाजारों में विदेशी पेशेवरों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करती है तथा जी.पी.ए. द्वारा नहीं सम्बोधित है तथा द्विपक्षीय सौदेबाजी द्वारा दूर करना सम्भव है। भारत अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से गेस्ट शासन व्यवस्था के अन्तर्गत मोड–4 उदारीकरण पर लम्बे समय से सौदेबाजी हेतु लगा रहा है

तथा साथ ही कतिपय वर्गों में आई.टी. विशेषज्ञ कार्मिक भी इनमें से एक, वरीय प्रवेश पाने को सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्न कर रहा है।

(2) श्रम–विधियाँ प्रायः भारी (भद्दे) आवश्यकताओं बताती है, यथा न्यूनतम मानक एवं स्थानीय व्यक्तियों का नियोजन। इन बाधाओं को दूर करना कठिन है, यहाँ तक् कि द्विपक्षीय स्तर पर भी क्योंकि प्रायः ये आंतरिक राजनैतिक दबाव का परिणाम होती है। भारत द्विपक्षीय बहुपक्षीय अनुबंधों के द्वारा इन बाधाओं को हटाने हेतु सौदेबाजी का प्रयास कर सकता है।

(3) सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु भौतिक रूप से साइट पर उपस्थित वह शर्त है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा आरोपित की जाती है। यह भारतीय कम्पनियों हेतु एक सशक्त बाधा हो सकती है। भारत बहुत लम्बे समय से सेवाओं के लिये, सेवाओं की आउट सोसिंग के व्यावसायिक प्रतिमान पर भरोसा करता रहा है जो सीमापार सेवाओं की सुपुर्दगी पर विचार (गौर) करता है (मोड–1) सेवा–प्रदाताओं (आपूर्तिकर्ताओं) की भारत में उपस्थिति पैमाने की मितव्यादिता प्राप्त कराती है तथा मूल्य गिराती है, जो कि भारतीय आई.टी. क्षेत्र के विकास के दो प्रमुख वाहक हैं तथा इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता की जड़े हैं। भारतीय सरकार इस मामले का अनुगमन कर सकती है तथा गेटस के मोडन पर विनिमय बाजार प्रवेश तथा भारत की ओर से संस्तुतियाँ (छूटें/राहतें) प्राप्त कर सकती है।

3.9 साराँश

भारत की विनिर्माण, सेवाओं व व्यापार में अपनी दक्षता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना होगा जिससे कि ये संतोषजनक व प्रभावी रूप वैश्विक सरकारी अधिप्राप्ति बाजार में एक खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सके। जब भारत इस स्तर की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्राप्त कर लेगा तभी वह अपने आक्रामण एवं सुरक्षात्मक हितों को विश्व व्यापार संगठन एवं सरकारी अधिप्राप्ति अनुबंधों से अपने लाभ हेतु सौदेबाजी कर सकेगा तथापि, दीर्घकाल में, वैश्विक क्षमता से युक्त एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के लिये यह आवश्यक होगा कि वह गतिक (गतिशील) संदर्भ में प्रवेश को जारी रखे। सार्वजनिक (सरकारी) अधिप्राप्ति प्रणाली के प्रशासन को उन्नत बनाने के लिये इसे अपने यहाँ जारी आँतरिक गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा तथा साथ ही इसकी बढ़ती बाजार प्रति स्पर्द्धात्मकता तथा अन्य सम्बन्धित घटकों एवं डब्लू टी ओ गी0पी0ए0 में इसके प्रवेश से लाभों को भी ध्यान में रखना होगा।

3.10 शब्दावली

अधिप्राप्ति–किसी वस्तु के अधिकार को प्राप्त करने का कृत्य ।

W.T.O. (विश्व व्यापार संगठन)

आई.टी. समर्थकृत–दूर नियंत्रित से बाये जो संक्रियाओं के पिण्ड (समुच्चय) को सामाहित करती है, जो आई.टी. का प्रयोग किसी संगठन की दक्षता उन्नयन में प्रयुक्त होती है।

प्रमुख राज्य.– सरकारी अधिप्राप्ति अनुबंध ।

दक्षता– कार्य करने की तकनीक के ज्ञान का स्तर ।

यूरोपीय संघ– यूरोप के कई देशों का समूह ।

3.11 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान की पूर्ति करें–

1. एक दक्ष .... प्रतिस्पद्धात्मक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख गुण है।

2. भारत वर्तमान में वैश्विक बाजार पहुँच के .... प्रतिशत का ही लाभ उठा पा रहा है।
3. वीजा आवश्यकतायें एवं .... प्रधान बाधाये है जो भारतीय आई.टी. पेशेवरों के सम्मुख होती है।

सत्य अथवा असत्य–

1. साइट पर शारीरिक उपस्थिति की शर्त सुपुर्दगी के लिये कई देशों द्वारा आरोपित की जाती है।
2. अमेरिका में कम्प्यूटरों की कुल खरीद का 11 प्रतिशत अंश वहाँ की सरकार व्यय करती है।
3. भारत 2020 तक सरकारी अधिप्राप्ति बाजार के पहुँच योग्य बाजार में 20 प्रतिशत का अंश प्राप्त कर लेगा।

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

रिक्त स्थान की पूर्ति करें

1. आई.टी.क्षेत्र
2. 2 प्रतिशत (0.6 बिलियन)
3. प्रक्रियायें

सत्य अथवा असत्य–

1. सत्य
2. सत्य
3. असत्य (सही उत्तर 10 प्रतिशत)

3.13 स्वपरख प्रश्न

1. भारत के आई.टी. उद्योग के वर्तमान परिदृश्य का वर्णन कीजिए।
2. आई.टी. एवं आई.टी. समर्थकृत सेवाओं की प्रति स्पर्द्धात्मकता एवं बाजार आकार से आप क्या समझते हैं। वर्णन कीजिए।
3. भारतीय सूचना–प्रौद्योगिकी उद्योग के उभरते परिदृश्य एवं स्लॉट विश्लेषण पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।
4. वैश्विक स्तर पर भारतीय आई.टी. उद्योग की भागीदारी पर टिप्पणी लिखिए।
5. भारतीय आई.टी. उद्योग के समक्ष उपस्थित बाजार प्रवेश अवसरों का उल्लेख कीजिए।
6. आई.टी. उद्योग के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा कौन–कौन से कदम उठाये जाने चाहिए। वर्णन कीजिए।

3.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Report by Price Waterhouse Coopers India, (2011), 'Changing Landscapes and Emerging Trends: Indian IT and ITeS Industries', New Delhi.
2. Department of Electronics and Information Technology: Employment, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India, accessed on 23 April, 2012, at:http://deity.gov.in/content/employment
3. Department of Electronics and Information Technology: Overall Performance, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India, accessed on 20 April, 2012 at:http://deity.gov.in/content/overall-performance#tab1
4. Report by NASSCOM and ZINNOV Management Consulting, (2011),'India's Domestic IT-BPO Market: Winds of Change' Nasscom, New Delhi.

5. Enhancing value in public procurement, Special address by ShriPratyushSinha, CVC, Conference on Competition, Public Policy and Common Men, 16th November 2009, New Delhi.
6. National e-Governance Plan (NeGP), Presentation by R. Chandrashekhar, Secretary, Department of Information Technology, 2009.
7. The National eGovernance Plan (NeGP) is an initiative by thegovernment of India to connect eGovernance systems throughout the country and create a nation-wide network for electronic delivery of government services.
8. According to the CII-PWC study entitled ‘Changing landscape and emerging trends’, (2011), the Indian software product industry can leverage on emerging businesses from sources such as the UID project-the world’s largest biometric project – that is slated to provide new business worth US$4bn by 2015. 9. NASSCOM, (2010), ‘eGovernance& IT Services Procurement Issues, Challenges, Recommendations – A NASSCOM Study’, New Delhi.
10. ‘Electronic e-Newsletter for Electronics System Design &Manufacturing (EDSM) Sector’, Vol 4, February 2012, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
11. Wang P., (2007), ‘Coverage of the WTO’s Agreement on Government Procurement: Challenges of Integrating China and other Countries Government Procurement in India: Domestic Regulations & Trade Prospects with a Large State Sector into the Global Trading System’, Journal of International Economic Law, pp 887-920.
12. NASSCOM, (2011), ‘Indian IT-BPO Opportunities in the Government Procurement Market Globally’, NASSCOM. 16 Simo, M, J. Pastor and R. Macao, (2008), ‘Public Procurement of IS/IT Services, Past Research and Future Challenges’, chapter in Open IT-Based Innovation: Moving Towards Cooperative IT Transfer and Knowledge Diffusion p. 444.
13. CUTS International (2012), “Report on “Government Procurement in India-Domestic Regulations & Trade Prospects”, Jaipur.
14. Mittal, Vivek (2011), “Business Environment-Text and Cases” (2nd ed.), New Delhi: Excel Books.
15. Paul, Justin (2008), “International Business” (4th ed.), PHI Learning Private Limited.
16. Charles Hill, “International Business” (5th ed.)”, New Delhi: Tata McGraw-Hill.
17. Daniels, John and Lee Radebaugh (2005), “International Business”, New Delhi: Pearson Education.
18. Porter, Michael E. (1990), “The Competitive Advantage of Nations”, New York: Free Press.

इकाई 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एवं सिद्धाँत

इकाई की रुपरेखा

4.1 प्रस्तावना
4.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँत
4.3 राष्ट्रीय अथवा देश–आधारित व्यापार सिद्धाँत
    4.3.1 वणिकवाद
    4.3.2 पूर्ण (परम) लाभ
    4.3.3 प्रतिस्पर्धात्मक /तुलनात्मक लाभ
    4.3.4 हेक्सर –ओहलिन सिद्धाँत (साधन अनुपात सिद्धाँत)
    4.3.5 ल्योंटॉफ विरोधाभास
4.4 आधुनिक अथवा फर्म–आधारित व्यापार सिद्धाँत
    4.4.1 देशीय सदृश्यता का सिद्धाँत
    4.4.2 उत्पाद जीवन चक्र सिद्धाँत
    4.4.3 वैश्विक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता सिद्धाँत
    4.4.4 पोर्टर का राष्ट्रीय तुलनात्मक लाभ–सिद्धाँत
4.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँतों का निहितार्थ (संबंध /विवक्षा)
4.6 साराँश
4.7 शब्दावली
4.8 बोध प्रश्न
4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
4.10 स्वपरख प्रश्न
4.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझ कर सकें।
- विभिन्न व्यापार सिद्धाँतों की तुलना कर सकें।
- यह निर्धारित कर सकें कि वर्तमान में कौन सी व्यापारिक विधि व्यवहारिक है, तथा यह किस प्रकार से निरंतर रहती है ।

4.1 प्रस्तावना

सामान्य विवेक इंगित (बताता/वर्णित) करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी के लिए लाभप्रद होता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन्स (1776) में लिखते हुए एड्म स्मिथ तर्क देते हैं, कि व्यापार इसलिए लाभप्रद है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लागत में विभिन्न देशों के मध्य भिन्नता है। अपने सभी समकालीनों के समान स्मिथ ने मूल्य के श्रम सिद्धाँत को माना (स्वीकारा/अपनाया), जिसके अनुसार किसी वस्तु की लागत से उत्पादित करने में प्रयुक्त श्रम–समय के द्वारा आंकी गयी (प्रदान की गयी/दी गयी) थी। इसलिए (अंतः) किसी वस्तु विशेष को उत्पादित करने की लागत की विभिन्न देशों में भिन्नता (अंतर) प्रत्येक देश की श्रम कुशलता में (श्रम दक्षता) में विभेद (अंतर/भिन्नता) को दर्शाता है। हालाँकि प्रत्येक देश को प्रत्येक उस वस्तु का जिसकी कि

वे उत्पादन कर सकते हैं ,को उत्पादन हेतु बढ़ने (उत्पादन करने) के स्थान पर उन वस्तुओं के उत्पादन का प्रयास करना चाहिए (उत्पादन करना चाहिए)जिन पर वे अन्य देशों के ऊपर लागत लाभ रखते हों अर्थात प्रत्येक देश की मूलभूत/ सबसे महत्वपूर्ण (सार/तत्व) दक्षता ही उस देश विशेष में वस्तुओं के उत्पादन का आधार होनी चाहिए। इसका परिणाम पूर्व की अपेक्षा उचित (अच्छा/श्रेष्ठ) होगा। इस सिद्धाँत को समझाने हेतु स्मिथ ने एक आँकिक उदाहरण का प्रयोग किया।

(इकाई)	देश A	देश B	कुल
वस्त्र	100	250	350
चावल	200	160	360

मान लीजिए दो देश A व B हैं जो समान (समरूप) श्रम संसाधन रखते हैं , जिन्हें वे अपने दो कार्यों (गतिविधियों) वस्त्र व चावल के मध्य बराबर (समान रुप से) विभाजित किए हुए हैं। निम्न आँकड़े प्रत्येक देशों के लिए सक्षम उत्पादों के इकाई (मात्रा) उत्पादन को उस दशा के अंतर्गत वर्णित कर रही हैं, जबकि श्रमिक पूर्णतः रोजगार में है ।

सारणी से स्पष्ट है, कि देश A चावल तथा देश B वस्त्र के उत्पादन में कुशल है। अतः यह A को चावल एवं B को वस्त्र में विशेषज्ञता प्रदान करता है, इसलिए A अपने समस्त संसाधनों को चावल उत्पादन में तथा B अपने समस्त संसाधनों को वस्त्र के उत्पादन में लगाते (स्थांतरित) है। इस दशा में जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है वह निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत हैः

	वस्त्र	चावल
देश A	0	400
देश B	500	0
कुल	500	400

4.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँत

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्णन करने वाले विभिन्न सिद्धाँत है। व्यापार दो व्यक्तियों अथवा दो सत्ता /संस्था के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो भिन्न देशों के व्यक्तियों /संस्थाओं के मध्य वस्तुओं अथवा /और सेवाओं के विनिमय का सिद्धांत है। व्यक्ति या संस्थाएँ व्यापार इसलिए करती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उन्हें लाभ होगा। उन्हें (देश या व्यक्ति /संस्थाओं को) वस्तु अथवा सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। जबकि धरातल पर यह एक बहुत ही साधारण बात (ध्वनि/गूँज) है। बहुत से सिद्धाँत, नीति तथा व्यवसायिक रणनीतियाँ है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निर्माण करते हैं। आधुनिक व्यापार के विकास को समझने के लिए यह जानना (समझना) महत्वपूर्ण होगा कि किस प्रकार पहले (भूतकाल में)देशों के मध्य व्यापार होता था। समय समय पर अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक व्यापार की कार्य संरचना को समझाने (वर्णन करने) हेतु सिद्धांत विकसित किए है । प्रमुख ऐतिहासिक सिद्धाँतों को शास्त्रीय सिद्धाँत कहा जाता है, तथा ये देशों के पहलुओं (परिपेक्ष्य) से संबंधित अथवा देश आधारित होते हैं। बीसवीं सदी के मध्य में यह सिद्धाँत देश के परिपेक्ष्य के स्थान पर व्यापार अथवा फर्म के वर्णन की ओर बढ़ना (खिसके, अग्रसर) आरंभ किए। ये सिद्धाँत आधुनिक तथा फर्म

आधारित अथवा कंपनी आधारित थे। इन दोनों, शास्त्रीय एवं आधुनिक, वर्गों के अंतर्गत विविध (विभिन्न) अंतरराष्ट्रीय सिद्धाँत सम्मिलित हैं।

4.3 राष्ट्रीय अथवा देश आधारित व्यापार सिद्धाँत (व्यापारिक सिद्धाँत)

4.3.1 वणिकवाद

वणिकवाद के सिद्धाँत का प्रचार 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में हुआ जिसने यह अभिव्यक्त (विचार देना/समर्थन करना) प्रदान किया कि देशों को एक साथ (एक ही समय म) निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करना चाहिए। वणिकवाद इस धारणा पर आधारित है, कि निर्यात आरंभ से ही अच्छा (उत्तम) होता है, क्योंकि यह अमुक देश के लिए स्वर्ण कमाता है, जबकि आयात आरंभ से ही अनुचित/बुरे/खराब (अलाभदायक) होते हैं, क्योंकि इसके कारण देश के सोने का वाहयप्रवाह (बाहर गमन) होता है। इसके साथ ही देश को आयातों पर अपनी निर्भरता कम करने हेतु उन वस्तुओं का उत्पादन करने की दिशा में बढ़ना चाहिए जो वे आयात कर रहे हो। व्यावहारिक अर्थों (पदा) में यह सुझाव प्रासंगिक है, कि सरकारी नीतियाँ आयात पर प्रशुल्क लगाकर तथा देश में आज्ञा प्राप्त (अनुमन्य) वस्तुओं के आयात की मात्रा पर प्रतिबंध लगाकर (प्रतिबद्व) आदातों को रोकने (कम करन) का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार से निर्यात को बढ़ाने (अधिक करने) हेतु समस्त (प्रत्येक) संभव उपाय किए जाने चाहिए। यदि एक देश विशाल निर्यात आधिक्य को प्राप्त करने में सफल होती है, तो ऐसा तभी होता है, जब अन्य देश समान व्यापार घाटे में है। इसके अनुसार (यह परिणाम देता है)यदि सारे देश इस नीति का अनुसरण करने लगेगें तो उनके मध्य संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। या तो एक देश अन्य देशों के व्ययों पर सफल होगा अथवा सभी देश अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो जाएंगे। अन्य शब्दों में 16वीं शताब्दी में विकसित वणिकवाद आर्थिक सिद्धाँत को विकसित करने का प्रारंभिक प्रयास था। इस सिद्धाँत ने बताया कि किसी देश की संपत्ति का निर्धारण उसके द्वारा धारित स्वर्ण एवं चांदी (रजत) की मात्रा के आधार पर होता था। अपने सरलतम (साधारण रुप स) अर्थ में यह सिद्धाँत इस पर विश्वास रखता था कि देशों को अपने स्वर्ण एवं रजत के भंडार की मात्रा निर्यात को प्रोत्साहित एवँ आयात को हतोत्साहित करके करना चाहिए। अन्य शब्दों में यदि अन्य देश के व्यक्ति आप को स्वयं के द्वारा बिक्रित वस्तु की तुलना में आप से (किसी देश से)अधिक मात्रा में क्रय करते हैं , तो इस अंतर का (विक्रय एवं क्रय के मध्य के अंतर का) भुगतान वे स्वर्ण या रजत (चाँदी) में करेंगे। प्रत्येक देश का उद्देश्य व्यापार आधिक्य अर्थात वह स्थिति प्राप्त करना था जिसमें (जहाँ)निर्यात की मात्रा (निर्यात मूल्य) आयात की मात्रा (आयात मूल्य) से अधिक होता था तब उस स्थिति से बचना जिससे व्यापार घाटा (व्यापार हानि) कहते हैं, अर्थात वह स्थिति प्राप्त करने से बचना जहां आयात का मूल्य (आयात की मात्रा) निर्यात मूल्य से अधिक हो।

15 वीं से 18 वीं शताब्दी के विश्व इतिहास का निकटता से अवलोकन हमें वणिकवाद के विकास के वर्णन करने में सहायक करता है ।15 वीं शताब्दी को नवराष्ट राज्यों के उदय के रूप में चिन्हित किया गया जिसमें ऐसे शासकों

का अभ्युदय हुआ जो राष्टीय संस्थानों एवं विशाल सेनाओं के द्वारा अपने देश को मजबूत (शक्तिशाली) बनाना चाहते थे।व्यापार एवं निर्यात के वर्धन के द्वारा यह शासक अपने देश के लिए और अधिक स्वर्ण एवं संपत्ति अर्जित करने में समर्थ थे। एक ऐसा रास्ता (तरीका/ढंग/विधि) जिसके द्वारा बहुत से ऐसे नवीन राष्ट्र निर्यात को बढ़ाने में सफल हो सके वह आयात पर प्रतिबंध लगाना था। इस रणनीति को संरक्षणवाद कहते हैं, तथा यह संपत्ति भी प्रयुक्त होती है ।

राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों का प्रयोग करके अपनी संपत्तियों का संपूर्ण विश्व में अपनी संपत्तियों का विस्तार किया तथा अधिक व्यापार एँव अधिक जनता तक पहुँच को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य इसका एक सफल उदाहरण था, इन्होंने अपने संपत्ति को बढ़ाने हेतु अपने उपनिवेश के संसाधनों को एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका प्रयोग किया। इनके उपनिवेशों में वर्तमान के अमेरिका एवं भारत जैसे देश सम्मिलित थे।फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल,स्पेन भी बड़े औपनिवेशिक साम्राज्यों के स्थापना (निर्माण) में सफल हुए जिसने उनके शासित राष्ट्रों के लिए अत्यधिक संपदा (संपत्ति/धन) अर्जित किया।

यद्यपि वणिकवाद प्राचीनतम व्यापार सिद्धाँतों में से एक है, किंतु यह वर्तमान आधुनिक विचारों (विचारधाराओं) का भी भाग है। कतिपय देश यथा जापान, चीन, सिंगापुर, ताइवान तथा यहां तक कि जर्मनी भी नव वणिकवाद के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करते हैं, जिसके अंतर्गत देशों द्वारा संरक्षणवादी नीतियों एवं प्रतिबंध के संयोजन तथा घरेलू उद्योगों को सब्सिडी (अनुदान/ राहत/ छूट/ सरकारी सहायता) प्रदान की जाती है। लगभग सभी देश किसी एक बिंदु (विषय/ क्षेत्र) अथवा दूसरे बिंदु पर अपने अर्थव्यवस्था में अपने उद्योगों के संरक्षण हेतु संरक्षणात्मक नीतियों को लागू करते हैं। जहां एक ओर निर्यातोन्मुखी प्राय (सामान्यतया) संरक्षणवादी नीतियों का समर्थन करती है ,जो कि इन फर्मों अथवा कंपनियों के लाभ का हेतु होते हैं ,किंतु दूसरी ओर अन्य कंपनियाँ एवं उपभोक्ता संरक्षणवाद से परेशान (दुखी/व्यथित) होते हैं। करदाता कुछ चायनीत निर्यातों पर सरकारी सब्सिडी हेतू कर चुकाते हैं। आयात पर प्रतिबंधों के कारण उपभोक्ता को वस्तुयें अधिक मूल्य पर प्राप्त होती हैं , जो वे इन विदेश निर्मित वस्तुओं /सेवाओं को प्राप्त करने हेतु चुकाते हैं। जहां मुक्त व्यापार समस्त वैश्विक समुदाय के लिए लाभकारी होता है वहीं वणिकवाद की संरक्षणवादी नीतियाँ, उपभोक्ताओं एवं अन्य कंपनियों के खर्च पर केवल कुछ चुने हुए उद्योगों के लिए, उद्योग के अंदर एवं बाहर, लाभदायक होती है।

4.3.2 पूर्ण (परम) लाभ

सन 1773 ई में एडम स्मिथ ने अग्रिम समय के वणिकवाद सिद्धाँत पर अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाए। स्मिथ ने एक नया सिद्धाँत पूर्ण (परमलाभ) प्रस्तुत किया जो एक देश के किसी अन्य देश (देशों) के किसी वस्तु के उत्पादन में अधिक कुशलता (दक्षता) पर केंद्रित था। स्मिथ नें तर्क दिया कि देशों के मध्य का व्यापार सरकारी नीतियों एवं दखल के द्वारा नियमित अथवा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि व्यापार मुक्त रूप से बाजार की शक्तियों (बाजार बलों) के अनुसार प्रवाहित होना चाहिए। दो देशों की एक काल्पनिक दुनिया के उदाहरण में यदि देश अ(A)देश ब(B) की

तुलना में किसी वस्तु विशेष (अमुक वस्तु) का उत्पादन शीघ्रता से एवं सस्ते में (तुलनात्मक रुप से अल्प लागत में) करता है तो अ देश उस पर लाभ (विशेष लाभ) रखता है, तथा उस देश को उसी वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित होना चाहिए। इसी प्रकार यदि देश ब(B) किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में श्रेष्ठतर है, अर्थात वह वस्तु विशेष को कम लागत पर तथा शीघ्रता से उत्पादित करने की विशेषज्ञता रखता है, तो उसे उसी वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित होना चाहिए। विशेषज्ञता के द्वारा देश कुशलता (दक्षता) का सृजन करेंगी (कर सकेगी) क्योंकि समान प्रकार का कार्य करने के कारण उनका श्रम बल (श्रम शक्ति) और अधिक कुशल होगा। उत्पादन भी और कुशल होगा क्योंकि विशेषज्ञता (विशेषीकरण) को बढ़ाने हेतु श्रेष्ठतर एवं त्वरित उत्पादन प्रविधि विकसित करने हेतु प्रेरक उपलब्ध होंगे। स्मिथ के सिद्धांत ने यह तर्क दिया कि (कारण बताया) वर्धित (बढ़ी हुई) कुशलता के कारण दोनों देशों के व्यक्ति लाभांवित होंगे तथा व्यापार प्रोत्साहित होना चाहिए। उनके सिद्धँात के अनुसार देश की समृद्धि (संपत्ति) का अधिनिर्णय (निर्णय) इस बात से नहीं करना चाहिए कि उस देश में स्वर्ण अथवा रजत की कितनी मात्रा है, वरन उस देश के व्यक्तियों के जीवन यापन स्तर (रहन सहन के स्तर) के आधार पर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्ण लाभ (परम लाभ) जलवायु कारकों, भूमि की गुणवत्ता, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवक्ता, श्रम पूंजी, तकनीकी व उद्यमिता विभेद के कारण प्राप्त की जा सकती है। कुछ देश खनिज तेल के स्वामी होते हैं और कुछ नहीं। प्रत्येक देश के लिए यह समझदारी से युक्त कदम होगा कि वह उन वस्तुओं में विशेषज्ञता पाने का प्रयास करें जिनमें उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त है तथा जिन वस्तुओं में व्यापार हानि रखते हैं उन वस्तुओं की आवश्यकता अनुसार प्राप्ति सुनिश्चित करें।

4.3.3 प्रतिस्पर्धात्मक /तुलनात्मक लाभ

पूर्ण (परम) लाभ सिद्धँात के समक्ष सर्वप्रमुख चुनौती यह आयी कि कुछ देश दोनों वस्तुओं (वे वस्तुयें जो अन्य देश उत्पादित करता है उसमें तथा जो वह स्वयं उत्पादित करता है उसमें भी) के उत्पादन में श्रेष्ठतर योग्यता एवं विशेषज्ञता रखे होने के कारण कई (अनेक) क्षेत्रों में लाभ (अग्रणी) रखे हुए हो सकती है। इसके विपरीत दूसरे देश कोई भी पूर्ण लाभ नहीं रखे हुए हो सकते हैं। इस प्रश्न के समाधान (उत्तर के रूप में) के उत्तर में अंग्रेज अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने सन 1817 ई में तुलनात्मक लाभ का सिद्धँात प्रतिपादित किया।

रिकार्डो ने कारण बताया (तर्क दिया) कि यदि देश अ दोनों वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता के कारण पूर्ण लाभ रखता है, तब वह दो देशों के मध्य व्यापार हो सकता है। तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता (आता है/उत्पन्न होता)है जब एक देश किसी उत्पाद विशेष को अन्य देश की तुलना में दक्षतापूर्वक नहीं उत्पादित कर सकती किंतु वह इस उत्पाद को अपने द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक कुशलता से उत्पादित करती है । इन दो सिद्धँातों के मध्य अंतर सुक्ष्म (जटिल/गूढ) है। तुलनात्मक लाभ सापेक्षिक उत्पादकता अंतर (विभेद) पर केंद्रित होता है, जबकि पूर्ण (परम लाभ) लाभ, पूर्ण (परम)उत्पादकता पर ध्यान देता है ।

इसके विपरीत हम 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ग में डेविड रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का सामना करते हैं। यह सिद्धँात

तुलनात्मक लागत विभेद पर जोर देता है, न कि पूर्ण लागत विभेद पर। सिद्धाँत प्रमाणित करता (दिखाता है) है ,कि एक व्यापारिक साझेदार के पूर्ण (परम) लाभ रखे हुए होने पर भी दो देशों के मध्य परस्पर लाभदायक (हितकारी) व्यापार हो सकता है। यह एक देश के लिए समझदारीपूर्ण कदम होगा कि वह उस/उन उत्पाद/उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल (प्राप्त) करें जिन्हे वह अन्य देशों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक उत्पादित कर सकता है।यह सिद्धाँत इस धारणा पर बल देता है, कि तुलनात्मक लाभ उत्पादकता में विभेद के कारण उत्पन्न होता है। रिकार्डो श्रम उत्पादकता पर केंद्रित थे तथा उन्होंने तर्क दिया कि देशों के मध्य श्रम उत्पादकता में अंतर तुलनात्मक लाभ की धारणा को रेखांकित करता है। इस प्रकार क्या फ्रांसीसी शराब के उत्पादन में अंग्रेजों की तुलना में अधिक कुशल है ,यह किस पर निर्भर करता है, कि वे अपने संसाधनों का कितना उत्पादकता युक्त (उत्पादकतापूर्ण) उपयोग करते हैं।

इन सिद्धांतों के मध्य सूक्ष्म अंतर को प्रस्तुत करने हेतु एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मिरांडा एक वाल स्ट्रीट वकील है, जो अपनी विधिक सेवाओं हेतु 500 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा प्राप्त करती है (मांगती है) यह पाया (देखा) गया है, कि मिरांडा अपने कार्यालय के प्रशासनिक सहायक से तेज टाइप (अंकण कार्य) कर सकती है, जिन्हें प्रति घंटे 40 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होते हैं। भले ही मिरांडा स्पष्ट रुप से दोनों कौशलों में पूर्ण (परम) लाभ रखती (धारण करती) है, किंतु क्या उसे दोनों कार्य करने चाहिए? नहीं! प्रत्येक उस घंटे के लिए जब मिरांडा विधिक कार्य करने के स्थान पर टाइप (अंकण) करने का निर्णय करती है वह अपनी 460 अमेरिकी डॉलर (प्रति घंटे) की आय का त्याग करेगी। उसकी उत्पादकता एवं आय उस स्थिति में अधिकतम होगी जब वह उच्च भुगतान वाली विधिक सेवाओं के कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करेगी तथा एक बहुत तेज किंतु मिरांडा की तुलना में कमतर, अंकण (टाइप) करने वाले प्रशासनिक सहायक को रखेगी। मिरांडा एवं उसके सहायक दोनों के अपने अपने कार्य पर केंद्रित होने से एक टीम (दल) के रूप में उनकी कुल उत्पादकता अधिकतम होगी। यह तुलनात्मक लाभ है। एक व्यक्ति अथवा एक देश उसमें विशेषज्ञ होगा (विशेषज्ञता प्राप्त करेगा) जो वह सापेक्षिक (तुलनात्मक रुप से) रुप से श्रेष्ठतर ढंग से कर सकता है। यथार्थत विश्व की अर्थव्यवस्था अति जटिल है तथा एक से अधिक देशों एवं उत्पादों को सम्मिलित करती है । व्यापार में बाधाएं (अवरोध) हो सकती है, तथा उत्पादों (वस्तुओं) का अवश्य ही परिवहन, भंडारण एवं वितरण किया जाना चाहिए। तथापि यह सरलतम उदाहरण तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के आधार को प्रदर्शित करता है।

4.3.4 हेक्सर ओहलिन सिद्धाँत (साधन अनुपात सिद्धाँत)

स्मिथ तथा रिकार्डो के सिद्धांत देशों की यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करते कि कौन सा उत्पाद किसी देश को लाभ देगा दोनों सिद्धाँतों का यह मानना है कि मुक्त एवं खुला बाजार देशों एवं उत्पादकों को यह निर्धारण करने में सहायता करेगा कि कौन कौन सी वस्तुओं का वे कुशलतापूर्वक (दक्षतापूर्वक) उत्पादन कर सकते हैं । 19वीं शताब्दी के आरंभ में स्वीडन के दो अर्थशास्त्रियों, एली हेक्सर एवं बर्टिल ओहलिन ने इस तथ्य पर ध्यान संकेंद्रित किया कि, किस प्रकार एक देश उन उत्पादों के उत्पादन द्वारा, जो उन संसाधनों से निर्मित होते

हैं, जिसकी कि उस देश में प्रचुरता (बहुलता) है, तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनका सिद्धाँत देश के उत्पादन घटकों, भूमि, श्रम एवं पूँजी पर आधारित है, जो संयत्र एवँ उपकरण में निवेश हेतु वित्त प्रदान करते हैं। उन्होंने निर्धारित किया कि वह किसी साधन (घटक) अथवा संसाधन की लागत माँग व पूर्ति का प्रकार्य (फलन) है। वे साधन जो माँग की तुलना में (सापेक्ष) अधिक मात्रा में है, सस्ते होंगे तथा वह साधन जिनकी माँग उनकी आपूर्ति की तुलना में (सापेक्ष) अधिक है, महँगे होंगे । उनका यह सिद्धाँत जिसे साधन अनुपात सिद्धाँत भी कहा जाता है, यह वर्णित करता है, कि देश उन वस्तुओं का उत्पादन व निर्यात करेंगे जो उन साधनों अथवा संसाधनों से निर्मित होते हैं, जो उस देश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके विपरीत देश उन वस्तुओं का आयात करेंगे जिनके उत्पादन हेतु आवश्यक साधन/ संसाधन की आपूर्ति उस देश में अल्प (कम) है किंतु उनकी मांग अधिक है।

उदाहरणार्थ चीन और भारत श्रम के विशाल समुच्चय (पूल) के घर है अतः ये देश श्रम सधन (श्रम आधारित) उद्योगों यथा वस्त्र एवं परिधान हेतु अनुकूलतम स्थान है ।

4.3.5 ल्योंटाफ विरोधाभास

सन 1950 के प्रारंभ में रूस में जन्में अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्लू ल्योंटाफ ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था का निकटता से अध्ययन किया तथा पाया कि संयुक्त राज्य में पूंजी की बहुलता है, अतः उसे पूंजी आधारित (पूँजी साध्य/ पूंजीसधत) वस्तुओं का अधिक निर्यात करना चाहिए। हालाँकि वास्तविक आँकड़ों पर आधारित उनके शोध के विपरीत परिणाम प्राप्त हुए अर्थात संयुक्त राज्य पूँजी सधन (पूँजी साध्य) वस्तुओं का अधिक आयात कर रहा था। सधन अनुपात सिद्धाँत के अनुसार संयुक्त राज्य को श्रम सधन (श्रम साध्य/ श्रम आधारित) वस्तुओं का आयात करना चाहिए किंतु इसके स्थान पर वह पूंजी साध्य (पूंजी सधन) वस्तुओं का आयात कर रहा था। उनके विश्लेषण को ल्योंटाफ विरोधाभास के नाम से जाना गया क्योंकि यह साधन अनुपात सिद्धाँत द्वारा अपेक्षित निष्कर्षों के विपरीत था। पश्चातवर्ती (अनुगामी /बाद में आने वाले) वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने ध्यान से देखा कि पूर्व में (ऐतिहासिक काल में)उस समयावधि में संयुक्त राज्य में श्रम अन्य देशों की अपेक्षा अधिक अविचल (नियमित) रूप में एवं अधिक उत्पादकता के साथ उपलब्ध था, अतः यह समझदारी भरा (विवेकपूर्ण) कदम था कि श्रम साधन (श्रम आधारित) वस्तुओं का निर्यात किया जाए। पिछले कई दशकों में कई अर्थशास्त्रियों ने विरोधाभास का वर्णन करने एवं इसके प्रभावों को कम करने हेतु सिद्धाँतों एवं आकड़ों का उपयोग किया। तथापि यह स्पष्ट रुप से परिलक्षित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जटिल है, तथा विभिन्न बहुदा (प्रायः) परिवर्तित घटकों से प्रभावित है। व्यापार को एक सिद्धाँत से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं वर्णित किया जा सकता तथा यह भी एक अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संर्दभ में हमारी समझ निरंतर बढ़ती (विकसित) रहती है।

सरल शब्दों में हेक्सर ओहलिन सिद्धाँत के प्रयोग से वेस्ली ल्योंटाफ ने अभिगृहीत किया कि चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों की तुलना में पूंजी बाहुल्य देश है अतः संयुक्त राज्य को पूँजी सधन वस्तुओं का निर्यातक तथा श्रम आधारित वस्तुओं का आयातक होना चाहिए। हालांकि (तथापि) अपने विस्मय में

उन्होंने पाया की संयुक्त राज्य का निर्यात, उसके आयात की तुलना में कम (अल्प) पूँजी साधन था। क्योंकि परिणाम सिद्धाँत अनुमान के विचलन (विसरण) युक्त थे अर्थात अनुमान के विपरीत विरोधाभास के नाम से जाना गया।

4.4 आधुनिक अथवा फर्म आधारित सिद्धाँत

शास्त्रीय देश आधारित के विपरीत फर्म आधारित सिद्धाँतों का उद्भव द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात हुआ तथा यह अर्थशास्त्रियों द्वारा ना होकर व्यवसयिक स्कूल के आचार्यों (प्रोफेसर) द्वारा विकसित किया गया। फर्म आधारित सिद्धाँतों का विकास बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वृद्धि के साथ हुआ। देश आधारित सिद्धाँत बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा अतः उद्योग व्यापार (जो कि दो देशों के मध्य समान उद्योग में उत्पादित वस्तुओं से संबंधित है) को परिभाषित (संबोधित) नहीं कर सके। उदाहरणार्थ जापान टोयोटा वाहन जर्मनी को निर्यात करता है तथा जर्मनी से मर्सिडीज बेंज स्वचालित वाहन आयात करता है। देश आधारित सिद्धाँतों के विपरीत फर्म आधारित सिद्धाँत अन्य उत्पाद एवं सेवा घटकों (साधनों) यथा ब्रांड व ग्राहक निष्ठा प्रौद्योगिकी, एवं गुणवत्ता को ,व्यापार प्रभाव को समझने (जानने) हेतु सम्मिलित करते हैं।

4.4.1 देशीय सादृश्यता (समानता) का सिद्धाँत

स्वीडिश अर्थशास्त्री स्टीफॅन लिंडर ने देशीय सदस्यता (समानता) के सिद्धाँत को सन 1961 में विकसित किया, इस प्रकार उन्होंने अंतः उद्योग व्यापार को वर्णित करने का प्रयास किया। लिंडर के सिद्धाँत में प्रस्तावित किया (बताया) कि देशों के उपभोक्ता को विकास की समान अथवा सदृश्य अवस्था (चरण) में हैं, सम्मान वरीयता (पसंद) रखेंगें। लिंडर ने बताया कि, कंपनियाँ सर्वप्रथम (पूनमतः) घरेलू उपयोग के लिए उत्पादन करती है। जब वे निर्यात संभावनाओं (निर्यात की) की खोज (अन्वेषण) करती हैं तो कंपनियाँ प्रायः यह पाती हैं, कि वह बाजार जो ग्राहक वरीयता (पसंद) के पदों में समान (सदृश) दिखता है, सफलता की अधिक (सर्वाधिक) संभावनाएं (क्षमता) प्रस्तुत करता है । लिंडर का देशीय सदृश्यता का सिद्धाँत इसके अतिरिक्त यह भी बताता है, कि विनम्र विनिर्मित वस्तुओं में अधिकांश व्यापार समान प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के मध्य होगा तथा अंतः उद्योग व्यापार समान होगा। यह सिद्धाँत प्रायः उन वस्तुओं के व्यापार को जानने में उपयोगी होता है, जहाँ ब्रॉड का नाम तथा उत्पाद की ख्याति (प्रतिष्ठा) खरीददार के निर्णयन एवं क्रय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक होते हैं ।

4.4.2 उत्पाद जीवन चक्र सिद्धाँत

सन 1964 ई. में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के आचार्य (प्रोफेसर) रेमण्ड वर्नान ने उत्पाद जीवन चक्र सिद्धाँत प्रतिपादित (विकसित) किया। यह सिद्धाँत जो कि विपणन के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, बताता है कि एक उत्पाद जीवन चक्र की तीन अवस्थाएं (चरण) होती है, 1.नवीन उत्पाद 2.परिपक्व उत्पाद (परिपक्वता अवस्था) 3.मानकीकृत उत्पाद। यह सिद्धाँत यह मानता है, कि नवीन उत्पाद का उत्पादन पूर्णतः उसी गृह देश में होगा जहाँ यह खोजा गया (प्रथम निर्मित /उन्मेषित) है। सन 1964 ई में संयुक्त राज्य की विनिर्माणी क्षेत्र में सफलता के वर्णन हेतु यह सिद्धाँत बहुत उपयोगी था। संयुक्त राज्य का विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर प्रभावी (प्रभावशाली) उत्पादक था।

इस सिद्धांत का यह वर्णन करने के लिए भी किया गया कि किस प्रकार पर्सनल कंप्यूटर अपने उत्पाद जीवन चक्र की स्थिति को प्राप्त किया। पर्सनल कंप्यूटर 1970 में नवीन उत्पाद था, 1980 व 1990 के दौरान मैं यह परिपक्व उत्पाद के रूप में विकसित हुआ। संप्रति (वर्तमान) पर्सनल कंप्यूटर मानकीकृत उत्पाद अवस्था में है, तथा अधिकांश विनिर्माण एवं उत्पादन प्रक्रियायें निम्न लागत देशों यथा एशिया एवं मेक्सिको में संपादित की जा रही है।

उत्पाद जीवन चक्र सिद्धाँत वर्तमान व्यापार पद्धति (प्रणाली) जिसमे विश्वभर में घटित हो रहे (स्थान ले रहे) पहलों (नवोन्मेषों) एवं विनिर्माण का प्रमुख स्थान है, को वर्णित करने में सक्षम हुए। उदाहरणार्थ, वैश्विक कंपनियां विकासशील बाजारों में भी जहां की उच्च कुशल श्रम एवं समुदाय सुविधाएं सस्ते दर पर उपलब्ध है, शोध एवं विकास संचालित करवाते हैं। भले ही सोच शोध एवं विकास विशिष्ट रुप से प्रथम अथवा नवीन उत्पाद चरण (अवस्था) से संबंधित हूं इसलिए गरीब देश में पूर्ण की जाती हो, यह विकासशील अथवा उदीयमान–बाजार देश यथाः भारत प्रचीन वैश्विक फर्मों को कुशल श्रम व नवीन शोध सुविधाएं, दोनों, प्रदान (प्रस्तुत) करते हैं। आइए प्रतिलिपि मशीन (फोटोकॉपी) के प्रकरण का अध्ययन करते हैं। यह उत्पाद सर्वप्रथम 1960 के प्रारंभ में जेरॉक्स (XEROX) कंपनी द्वारा विकसित किया गया था तथा आरम्भतः बेचा जाने लगा। जेरॉक्स संयुक्त राज्य से फोटो कॉपी मशीन का निर्यात करती थी प्रधान जापान एवं आधुनिक (विकसित) देशों को करती थी जैसे ही विदेशों में मांग भरना प्रारंभ हुई जापान ने संयुक्त उपक्रम में प्रवेश किया था था जापान में फ्यूजी–जेराक्स (Fuji-Xerox) तथा भारत में मोदी जेरॉक्स (Modi-Xerox) इत्यादि नामों से उत्पादन आरंभ किया। फलतः संयुक्त राज्य से निर्यात गिरा तथा संयुक्त राज्य के उपयोगकर्ताओं (ग्राहकों) ने निम्न लागत वाले देशों यथार्थ जापान (विशेषता) से फोटोकॉपी मशीन का आयात करना प्रारंभ कर दिया कर दिया यह विकास क्रम (क्रमिक विकास) विदेशी व्यापार की प्रणाली में उत्पाद जीवन चक्र के समान ही था।

4.4.3 वैश्विक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता सिद्धाँत,

वैश्विक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सिद्धाँत का उद्‌भव 1980 में हुआ तथा यह अर्थशास्त्रीयों पाल क्रूगमन केल्विन लंकास्टर के कार्यों पर आधारित था। इनका सिद्धाँत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं उनके उद्योगों में सक्रिय अन्य वैश्विक फर्मों पर तुलनात्मक लाभ लेने के उनके प्रयासों पर केंद्रित था। फर्में अपने उद्योगों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करेगीं तथा समृद्धि प्राप्त करने हेतु उन्हें अवश्य ही तुलनात्मक लाभ प्राप्त (विकसित) करना चाहिए। वे उपयोगी (काम के /ठीक) कदम (ढंग) जिनके द्वारा फर्म स्थायी (टिकाऊ) तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकती है, उस उद्योग में प्रवेश में बाधा (अवरोध) कहलाते हैं। प्रवेश में अवरोध उन बाधाओं से संबंधित है जिनका एक नवीन फर्म किसी उद्योग अथवा नए बाजार में प्रवेश के प्रयास के दौरान सामना कर सकती है । वे बाधायें जो एक निगम सबसे बेहतर ढंग से उपयोग में ला सकती है, शोध एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार का स्वामित्व, पैमाने की मितव्ययिता, अद्वितीय (विशिष्ट) व्यावसायिक प्रक्रियायें, अथवा विधियां उद्योग में सधन अनुभव, तथा संसाधनों का नियंत्रण अथवा कच्चे माल की अनुकूल प्राप्ति (पहुंच)।

4.4 4 पोर्टर का राष्ट्रीय तुलनात्मक लाभ सिद्धाँत

माइकल पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ख्याति प्राप्त आचार्य (प्रोफेसर) हैं। उन्होंने यह जानने के लिए कि क्यों कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं, 10 देशों में 100 उद्योगों का व्यापक (विस्तृत) अध्ययन किया। पोर्टर ने इस प्रतिमान को अपनी पुस्तक The Competitive Advantage of Nations (द कम्पटिटीव एडवांटेज ऑफ नेशंस) में प्रस्तुत किया। उन्होंने वर्णन करना चाहा कि क्यों कोई देश किसी उद्योग विशेष में सफलता प्राप्त करता है। क्यों भारतीयों ने सॉफ्टवेयर उद्योग में अच्छा किया? जापानी लोग स्वचालित वाहन उद्योग में क्यों अच्छा कर पा रहे हैं? हेक्सर ओहलिन तथा तुलनात्मक लाभ, दोनों सिद्धाँत, सिद्धाँत यह वर्णन कर पाने (बता पाने/व्याख्या करने) में आंशिक रूप से ही सक्षम है।

पोर्टर के अनुसार, एक राष्ट्र तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त कर पाता है, जबकि (यदि) उसकी फर्म में प्रतिस्पर्धात्मक है। पहले नवप्रवर्तन (नवीन खोज) करना चाहिए। नवप्रवर्तन के अंतर्गत उत्पाद अथवा उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी सुधार (उन्नति) सम्मिलित होते हैं । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँतों के क्रमिक विकास के क्रम (निरंतरता में) माइकल पोर्टर ने (हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के आचार्य) सन 1990 में राष्ट्रीय तुलनात्मक लाभ की व्याख्या (वर्णन) करने हेतु एक नवीन प्रतिमान (प्रतिदर्श) प्रस्तुत किया। पोर्टर के सिद्धाँत के अनुसार, किसी राष्ट्र की एक उद्योग में प्रतिर्स्पधात्मकता, उद्योग के नव–प्रवर्तन एवं सुधार करने (कोटि उन्नयन) की क्षमता पर निर्भर करती है। उनका सिद्धाँत इस (तथ्य) बात के वर्णन पर संकेन्द्रित था, कि क्यों कतिपय देश कुछ उद्योगों में अधिक प्रतिर्स्पद्धात्मक है। इसके वर्णन हेतु पोर्टर ने चार निर्धारको को चिन्हित किया जिन्हें उन्होने साथ–साथ बद्ध (जोड़ा) किया। ये चार निर्धारक हैं,

(1) स्थानीय बाजार संख्या धन एवं क्षमतायें (अभियोग्यतायें),
(2) स्थानीय बाजार माँग दशाएँ,
(3) स्थानीय आपूतिकर्ता एवँ पूरक उद्योग
(4) स्थानीय फर्म की चारित्रिक विशेषतायें।

(1) स्थानीय बाजार संसाधन एवं क्षमताएँ (साधन दशाएं/वातावरण)

पोर्टर ने साधन–अनुपात सिद्धाँत, के मूल्य को पहाचाना (मान्यतादी) जो देश के संसाधनों को (प्रकृतिक संसाधनों एवं उपलब्ध श्रम) को यह निर्धारित करने के क्रम में विचारित (ज्ञापित/आवश्यक/महत्वपूर्ण/उपयोगी) करता है, कि देश कौन –कौन से उत्पाद निर्यात एवं आयात करेगा। पोर्टर ने इन घटकों में आधुनिक (अग्रणी) घटकों को टिकाऊ प्रतिर्स्पद्धात्मक लाभ प्रदान करने वाले साधनों के रूप में देखा।

(2) स्थानीय बाजार माँग–दशाएं

पोर्टर का विश्वास था कि परिष्कृत गृह बाजार जारी नव–प्रर्वतनों की सुनिश्चिता हेतु ठीक (काम का) होता है, फलत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सृजित करता है। वे कंपनियां जिनके गृह बाजार (घरेलू बाजार) परिष्कृत, चलन स्थापित करने वाले तथा माँग से पूर्ण (दक्षतापूर्ण) होते हैं, सतत प्रर्वतन तथा नवीन उत्पादक व प्रौद्योगिकी के विकास को विवश (मजबूर) करती है। कई सव्रोतों दक्षतापूर्ण संयुक्त राज्य के उपभोक्ताओं, को संयुक्त राज्य की सॉफ्टवेयर कंपनियों

को सतत और प्रवर्तन हेतु बाध्य (विवश) करने का श्रेय देते हैं ,इस प्रकार वे सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं सेवाओं हेतु संवहनीय (टिकाऊ) प्रतिर्स्पद्वात्मक (तुलनात्मक) लाभ का सृजन कर रहे हैं।

(3) <u>स्थानीय आपूर्तिकर्ता एवं पूरक उद्योग</u>

प्रतिर्स्पद्वी बने रहने हेतु विशाल वैश्विक फर्में सुदृढ़, दक्ष, सहायक एवं संबंधित उद्योग रखती हैं, जिससे उन्हें उनके उद्योग हेतु आवश्यक आगत प्राप्त होता है। कतिपय उद्योग भौगोलिक रूप से एक ही स्थान पर भारी संख्या में होता होती है (झुंड बनाती है)जो दक्षता एवं उत्पादकता प्रदान करता है।

(4) <u>स्थानीय फर्म की चारित्रिक विशेषताएं</u>

स्थानीय फर्म की विशेषताओं में, फर्म की रणनीति, औद्योगिक संरचना तथा औद्योगिक प्रतिद्वंदिता, आदि सम्मिलित होते हैं। स्थानीय रणनीति किसी फर्म की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। स्थानीय फर्मों के मध्य स्वस्थ प्रतिद्वंदिता नवप्रवर्तन एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रेरित (तीव्र /बढ़ाना) करेगा।

डायमंड के चार निर्धारकों के अलावा पोर्टर ने यह भी पाया (ध्यान दिया/संज्ञान में लिया) कि सरकार एवं अवसर, उद्योगों की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में भूमिका का निर्वहन करने हैं।सरकार अपने कार्यों एवं नीतियों के द्वारा फर्म की एवं कभी कभी संपूर्ण उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा देती है।

पोर्टर का सिद्धाँत अन्य आधुनिक फर्म आधारित सिद्धाँतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलनों का रोचक निर्वचन प्रस्तुत करता है। तथापि ये सापेक्षत नवीन एवं अल्प (न्यूनतम) परीक्षित सिद्धांत बने रहे।

4.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँतों के निहितार्थ (संबंध/विवक्षा)

इस इकाई में वर्णित समस्त व्यापारिक सिद्धाँत व्यवसाय में अपने निहितार्थ रखते हैं।इन निहितर्थों को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है,

(1) <u>स्थान के लिये रणनीति</u>

अधिकांश व्यापार सिद्धाँतों ने जोर दिया कि, विभिन्न उत्पादन साधनों के कारण विभिन्न देश विभिन्न उत्पादन गतिविधियों (कार्यों) में लाभ प्राप्त (रखती) करती है । अतः यह फर्म के लिए विवेकपूर्ण होगा कि वह अपने उत्पादन गतिविधियों को छितरा (फैलाव/ छिटकाना/ यत्र वत्र/बिखरा देना)दे जिससे फर्म को अधिकतम कुशलता प्राप्त होगी।उत्पादक गतिविधियों का यह वैश्विक जाल फर्मों द्वारा उस समय प्रयोग किया जाता है जब वह प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेने हेतु वैश्वीकरण को अपनाती है। अतः अभिकल्पन कार्य(डिजाइन) सार्वधिक कुशलतापूर्वक जर्मनी में संपादित की जा सकती है तो यह सुविधा जर्मनी में ही स्थित की जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि विनिर्माण का कार्य सार्वधिक किफायती (सस्ते) ढंग से भारत में संपादित किया जा सकता है ,तो विनिर्माण सुविधायें भारत में ही स्थित (अवस्थित) की जानी चाहिए। यदि फर्म ऐसा नहीं करती है, तो वह उन फर्मों के सापेक्ष जो ऐसा करती है, के सापेक्ष स्वयं को प्रतिस्पर्धात्मक हानि की दशा में पा सकती है।

(2) <u>नीति क्रिया वयन</u>

फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में बड़े (प्रधान) खिलाड़ी होते हैं चूंकि वे आयात एवं निर्यात दोनों करते हैं। फर्म गुटबाजी (गुटों) की ओर व्यापार प्रतिबंधों

को बढ़ने अथवा व्यापार के प्रोत्साहन हेतु प्रवृत हो सकते हैं । हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँत यह दावा करते हैं, की मुक्त व्यापार (खुला व्यापार) देश हित के लिए उत्तम (अच्छा) होता है, फिर भी यह फर्म विशेष के हित में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पोर्टर का सिद्धाँत नीति निहितार्थ भी समाहित करता है।यह संस्तुतित (बताती) करती है, कि यह फर्म के व्यवसायिक हितों के लिए सर्वोत्तम (सर्वश्रेष्ठ) होगा कि वह उत्पादन के आधुनिक (अग्रणी / अग्रिम) साधनों के कोटि उन्नयन यथा श्रेष्ठतर प्रशिक्षण एवं शोध एवं विकास में निवेश, हेतु निवेश करें। इंफोसिस इस प्रकार की एक फर्म है, जिसने इस रणनीति से बहुत लाभ प्राप्त किया है । इस प्रकार यह पोर्टर के समस्त हीरक (डायमंड)घटकों (अवयवों) को अनुकूल बनाता है । अतः सरकार को समस्त अग्रणी /आधुनिक घटकों, शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं आधारभूत (प्राथमिक) शोध, में निवेश को बढ़ाना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियों को भी अपनाना चाहिए जो घरेलू बाजार के भीतर मजबूत (सुदृढ) प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें इस प्रकार यह फर्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने की समर्थता (सशस्त्रता) प्रदान करेगा।

संक्षेप में इन सिद्धाँतों ने अंर्तराष्ट्रीय व्यापार को समझने तथा इसे किस प्रकार प्रोत्साहित, नियमन एवं प्रतिबंधित किया जाए, में अर्थशास्त्रियों, सरकारों एवं व्यवसाय की सहायता की है । ये सिद्धांत कभी–कभी वास्तविक जगत की घटनाओं के विरोधाभासी होते हैं । देश उत्पादन अथवा सेवाओं के कई क्षेत्रों में पूर्ण (परम) लाभ नहीं रखते तथा उत्पादन के साधन देशों के मध्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं वितरित हुए होते हैं। कतिपय देश असंगत (अनुपातहीन रूप से) रूप से कुछ घटकों का लाभ रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि रखता है ,जिसका कृषि उत्पादक की विशाल मात्रा (क्षेत्र) हेतु प्रयोग किया जा सकता है। संयुक्त राज्य पूंजी की व्यापक मात्रा रखता है ,जबकि (हालांकि) इसके यहां का श्रम सर्वाधिक सस्ता नहीं हो सकता है, किंतु यह विश्व में सर्वाधिक शिक्षित है।उत्पादन के साधनों के इन लाभों ने संयुक्त राज्य की विश्व की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक धनवान (अमीर) अर्थव्यवस्था बनने में सहायता की है। तथापि संयुक्त राज्य भारी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात भी करता है, क्योंकि संयुक्त राज्य उपभोक्ता अपने धन को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं/सेवाओं हेतु व्यय करते हैं तथा उन वस्तुओं को चाहते (पाना चाहते हैं) जो वर्तमान में अन्य देशों में निर्मित हुई है, तथा जिन्होंने अपने सस्ते श्रम, भूमि अथवा सस्ती उत्पादन लागतों से अपना प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निर्मित किया है। परिणामस्वरुप यह स्पष्ट नहीं है, कि कोई एक (कौन सी) सिद्धाँत संपूर्ण विश्व में प्रभावशाली है। इस खण्ड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँत की मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया गया है, जिससे कि आप उन वास्तविकताओं को समझने में समर्थ हो सके जिनका वैश्विक व्यापार सामना करता है। व्यवहार में सरकारें एवं कंपनियां इन सिद्धाँतों के संयोजन का प्रयोग चलन के निर्वचन एवं रणनीति विकास हेतु करती हैं। पिछले 500 (पांच सौ)वर्षों में विकसित ये सिद्धाँत, नए साधनों के प्रभाव के कारण जनित नवीन परिवर्तनों को आत्मसात करती रहेंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अघटन परिवर्तनों के सुसंगत बनाने का प्रयत्न करती रहेंगी।

4.6 सारांश

व्यापार दो व्यक्तियों अथवा संस्थानों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय का सिद्धाँत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह विनिमय (विनिमय का यह प्रकार) दो भिन्न देशों के व्यक्तियों अथवा संस्थानों के मध्य होता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा सरल है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले घटक जटिल है, और अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण शताब्दी भर व्यापार सिद्धाँतों के माध्यम से चलनों एवं घटकों के निर्वचन का प्रयत्न किया । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 वर्ग है यथा शास्त्रीय, देश आधारित तथा आधुनिक फर्म आधारित। पोर्टर का सिद्धाँत यह बताता है कि किसी उद्योग में किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मकता उसके नवप्रवर्तन एवं कोटि उन्नयन की क्षमता पर निर्भर करती है। उन्होंने चार प्रमुख निर्धारकों को चिन्हित किया (1)स्थानीय बाजार संसाधन एवं क्षमताएँ (साधन दशाएं) (2) स्थानीय बाजार मांग दशाएं (3)स्थानीय आपूर्तिकर्ता एवं पूरक उद्योग तथा (4) स्थानीय फार्म की विशेषताएं

सभी व्यापारिक सिद्धाँतों ने यह वर्णन करने का प्रयास किया की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होना किसी देश के लिए क्यों लाभप्रद है, तथा विश्व अर्थव्यवस्था में अवलोकित (प्रेक्षित) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पद्धति (प्रणाली/ तरीका) का भी वर्णन किया। स्मिथ,रिकॉर्डो एवं हेक्सर ओहलिन के सिद्धाँतों ने मुक्त, अप्रतिबंधित (प्रतिबंधित रहित) व्यापार की वकालत की। जबकि वणिकवाद में अनुदान के (सब्सिडी) द्वारा निर्यात संवर्धन तथा तटकर एवं कोटा (मात्रा)पद्धति के माध्यम से आयात सीमित करने के कदम द्वारा सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया। अंर्तराष्ट्रीय व्यापार की पद्वति का वर्णन करने के क्रम में, वणिकवाद के अपवाद के अतिरिक्त, अन्य समस्त सिद्धाँतों ने पूरक स्पष्टीकरण (व्याख्या) दिया है। एक साथ समस्त सिद्धाँतों ने बताया कि कौन से घटक महत्वपूर्ण है ।प्रतिस्पर्धात्मक (तुलनात्मक) लाभ ने वर्णित किया की उत्पादकता विभेद महत्वपूर्ण है । हेक्सर ओहलिन ने मत दिया कि साधनों का स्वामित्व मायने रखता है, उत्पाद जीवन चक्र सिद्धाँत ने बताया कि नवीन उत्पाद कहाँ विकसित हुआ यह महत्वपूर्ण है, पोर्टर ने वर्णित किया कि यह सभी घटक महत्वपूर्ण है, जहां तक कि ये राष्ट्रीय चतुस्कोण के चार अवययों को प्रभावित करते हैं।

4.7 शब्दावली

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो भिन्न देशों के व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के मध्य वस्तुओं /सेवाओं का विनिमय ।

उत्पादन के घटक उत्पादन हेतु अनिवार्य साधन यथा भूमि, श्रम, पूंजी मानव ।

शास्त्रीय प्राचीन परंपरागत ।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ साधनों के स्वामित्व से लागत में कमी का विशेष लाभ ।

नवप्रवर्तन उत्पादन विधियों या प्रद्योगिकी में नवीन /अनूठी पद्धतियों के प्रयोग का कार्य ।

उत्पाद जीवन चक्र एक उत्पाद की प्रवेश, परिपक्वता एवं मानकीकृत होने की विभिन्न अवस्था को संयुक्त रूप से उत्पाद जीवन चक्र कहा जाता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनी /कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में हो।

4.8 बोध प्रश्न

A. रिक्त स्थान की पूर्ति करें

1. व्यापार दो व्यक्तियों एवं ....के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय है।
2. पोर्टर ने ....मुख्य निर्धारकों को चिन्हित किया।
3. उत्पाद जीवन चक्र में प्रवेश, परिपक्वता एवं ....की अवस्थाएं होती हैं ।

B. सत्य/असत्य

1. शास्त्रीय सिद्धाँत को फर्म आधारित सिद्धांत भी कहा जाता है।
2. वणिकवाद मुक्त एवं प्रतिबंध रहित व्यापार का समर्थन करता है।
3. हेक्सर ओहलिन के अनुसार संसाधनों का स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मायने रखता है।
4. एडम स्मिथ ने पूर्ण (परम) लाभ का सिद्धाँत प्रस्तुत किया।

C. समूह का मिलान कीजिए

अ	ब
1.स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सर ओहलिन	1.सरकारी हस्तक्षेप
2.माइकल पोर्टर	2.पाल क्रूगमेन व लंकास्टर
3.वणिकवाद	3.मुक्त एवं अप्रतिबंधित व्यापार
4.वैश्विक रणनीतिक प्रतिद्वंदिता सिद्धाँत	4.राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सिद्धाँत

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

A. 1.संस्थाओं 2. चार 3. मानकीकृत

B. 1.असत्य 2.असत्य 3.सत्य 4.सत्य

C.

अ	ब
1	3
2	4
3	1
4	2

4.10 स्वपरख प्रश्न

1. वणिकवाद परम लाभ एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के सिद्धाँतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
2. हेक्सर ओहलिन सिद्धाँत (आधुनिक सिद्धांत) तथा ल्योंटाफ विरोधाभास के मध्य अंतर स्थापित कीजिए।
3. उत्पाद जीवन चक्र सिद्धाँत को प्रस्तुत (प्रदर्शित) कीजिए।
4. पोर्टर के डायमंड (चतुष्कोणीय) प्रतिमान के चार लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा वास्तविक जगत के साथ इसकी बद्धता का विश्लेषण कीजिए।
5. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है?
6. शास्त्रीय, देश आधारित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का सार प्रस्तुत कीजिए। इन सिद्धांतों में क्या अंतर है तथा किस प्रकार यह सिद्धांत विकसित हुए?
7. आधुनिक फर्म आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धाँतों का वर्णन कीजिए।

8. किस प्रकार एक व्यवसाय अपनी व्यवसायिक रणनीतियों के विकास हेतु व्यापार सिद्धाँतों का प्रयोग कर सकता है? अपने स्पष्टीकरण में पोर्टर के चार निर्धारकों का प्रयोग कीजिए।

4.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Hill, Charles W. L. (2005). *International Business*. Boston, MA:McGraw Hill/Irwin.
2. Mittal, Vivek (2011), "Business Environment-Text and Cases" (2nd ed.), New Delhi: Excel Books.
3. Paul, Justin (2008), "International Business" (4th ed.), New Delhi:PHI Learning Private Limited.
4. https://new.edu/resources/what-is-international-trade-theory
5. Charles Hill, "International Business" (5th ed.)", New Delhi: Tata McGraw-Hill.
6. Daniels, John and Lee Radebaugh (2005), "International Business", New Delhi:Pearson Education.
7. Porter, Michael E. (1990), "The Competitive Advantage of Nations", New York: Free Press.

इकाई 5 टैरिफ, कोटा और अन्य उपाय और उनके प्रभाव

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना

5.2 टैरिफ

5.2.1 टैरिफ के प्रयोजन और प्रभाव

5.2.2 टैरिफ के प्रकार

5.2.3 एक देश के समग्र टैरिफ का मापन

5.2.4 टैरिफ़ का प्रभाव

5.3 गैर टैरिफ बाधाएं और उनका प्रभाव

5.3.1 अनुदान

5.3.2 आयात कोटा और स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध

5.3.3 निर्यात कोटा

5.3.4 प्रतिपाटन शुल्क

5.3.5 देशी/स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं

5.3.6 प्रशासनिक व्यापार नीतियाँ

5.3.7 सेवाओं पर प्रतिबंध

5.3.8 मदद/सहायता और ऋण

5.3.9 सीमा शुल्क मूल्यांकन

5.3.10 विशेष शुल्क, न्यूनतम मूल्य स्तर और सीमा शुल्क जमा करने का समय

5.4 गैर–टैरिफ़ बाधाओं का मापन

5.5 सारांश

5.6 शब्दवाली

5.7 बोध प्रश्न

5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.9 स्वपरख प्रश्न

5.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- मुक्त व्यापार की अवधारणा को समझ सकें।
- टैरिफ के महत्व और उसके उगाहने का विश्लेषण कर सकें।
- कीमतों पर टैरिफ के प्रभाव को समझ कर सकें।
- मात्रा पर टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर सकें।
- टैरिफ के प्रकार को समझ सकें।
- गैर–टैरिफ बाधाओं का अध्ययन कर सकें।
- मूल्यांकन की अवधारणा को समझ सकें।

5.1 प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के द्वारा दूसरे देश से आयात और उसको निर्यात करने से बना है. एक देश को आयात या निर्यात क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न के निम्नलिखित कारण हैं:

अ. अलग अलग देशों में उत्पादन के विभिन्न कारकों (जैसे भूमि, पूंजी और उद्यमिता) की तुलनात्मक उत्पादकता में अंतर होता है। यह अंतर विभिन्न देशों के उत्पादों की मात्रा, गुणवत्ता और लागतों (कीमतों) में अंतर का कारण बनता है. एक देश अन्य देशों के बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम लागत वाले उत्पादों को आयात करना चाहता है।

ब. विभिन्न देशों के बीच उत्पादों की उपलब्धता में अंतर होता है. कुछ देशों में कोई एक उत्पाद नहीं होते हैं लेकिन उन्हें उन उत्पादों की आवश्यकता होती है. ये देश उन देशों से आयात करते हैं, जिनके पास वो उत्पाद उपलब्ध होते हैं।

स. ऐसे देश जिनके पास कुछ उत्पाद उनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में होता हैं, ये उन देशों की पहचान करते हैं जहां वह उत्पाद अनजान होते है, परन्तु ये उत्पाद उनकी जरूरतों को पूरा करने या उनके लोगों की कुछ समस्याएं हल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसे देशों ने अन्य देशों में अपने उत्पादों को निर्यात करके इन उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

देशों के बीच आयात और निर्यात आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं लेकिन देशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 'मुक्त व्यापार' की अनुमति नहीं देती है। देशों के बीच मुक्त व्यापार का अर्थ है कि इन देशों की सरकार अपने नागरिकों के लिए 'खरीद' (आयात) या माल और सेवाओं की बिक्री (निर्यात) पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (कारोबार) की राजनीतिक वास्तविकता है । देशों की सरकार वाणिज्यिक नीति के अपने उपकरणों (अन्य शब्दों में, व्यापार नीति के साधन) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हस्तक्षेप करती है।

वाणिज्यिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं: टैरिफ, कोटा, अनुदान, स्वैच्छिक निर्यात रोकथाम, स्थानीय सामग्री की आवश्यकताओं, प्रतिपाटन शुल्क. इस इकाई में, आप वाणिज्यिक नीति के उपरोक्त उपकरणों और उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे।

5.2 टैरिफ

आयात पर लगाए गए कर (टैक्स) को टैरिफ कहा जाता है । एक राष्ट्रीय सीमा या एक आधिकारिक सीमा पार करने पर टैरिफ लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई भारतीय व्यापारी किसी दूसरे देश के खरीदार को सामान बेचता है और माल भारत से खरीदार के देश जाता है, तो टैरिफ लगाई जाती है। टैरिफ माल की लागत को बढ़ा देता है । क्रेता माल की कीमत के साथ टैरिफ का भी भुगतान करता है ।

एक आधिकारिक सीमा कदाचित एक राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह जैसे यूरोपीय संघ (EU) हो सकती है। EU ने अपने गुट में प्रवेश करने पर माल पर एक समान टैरिफ लगा रखी हैं ।

5.2.1 टैरिफ के प्रयोजन और प्रभाव

एक टैरिफ सामान्यतः एक प्रकार से व्यापार प्रतिबंधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है । इससे व्यापार में प्रयुक्त माल की लागत बढ़ जाती है। किसी देश के लिए टैरिफ लगाने के चार कारण होते हैंरू

1. किसी ख़ास माल / वस्तु के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए
2. देश के लिए राजस्व उत्पन्न करना
3. आयात को हतोत्साहित करने के लिए
4. दूसरे देशों के एक जैसे या मिलते जुलते सामान के उत्पादकों को हतोत्साहित करके प्रतिस्पर्धा में घरेलू उद्योग को बचाने या उन्हें पृथक् करने के लिए ।

एक देश व्यापारिक घाटे के संतुलन को कम करने के लिए व्यापक आर्थिक नीति के एक उपकरण के रूप में टैरिफ / शुल्कों का उपयोग करता है। जब आयात के लिए विदेशियों को भुगतान विदेशियों के निर्यात के लिए रसीदों से अधिक होता है, व्यापार घाटे की स्थिति का संतुलन होता है। इस घाटे को कम करने के लिए, एक देश माल की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए टैरिफ लगाता है। यही कारण है कि टैरिफ व्यापक आर्थिक नीति का एक उपकरण है ।

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, एक घरेलू उद्योग (जो क्रमागत उन्नति के चरण में है) को विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस सुरक्षा के लिए, आयात पर टैरिफ लगाई जाती है । फलस्वरूप, आयात महंगा हो जाता है । घरेलू उत्पादकों को घरेलू बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के अवसर मिलते हैं। वे ऐसी कीमतों पर बेच सकते हैं जो जीवित रहने और क्रमागत उन्नति में सहायक होते हैं। घरेलू उत्पादकों को मूल्यों और बिक्री की मात्रा, दोनों में, विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में सुरक्षा मिलती है।

टैरिफ को 'चुंगी (ड्यूटी)' भी कहा जाता है यह चुंगी 'मूल्य' और 'मात्रा' (बिक्री की मात्रा) दोनों को प्रभावित करता है। कीमत पर चुंगी का प्रभाव नीचे दी गई चित्र A द्वारा दिखाया गया है:

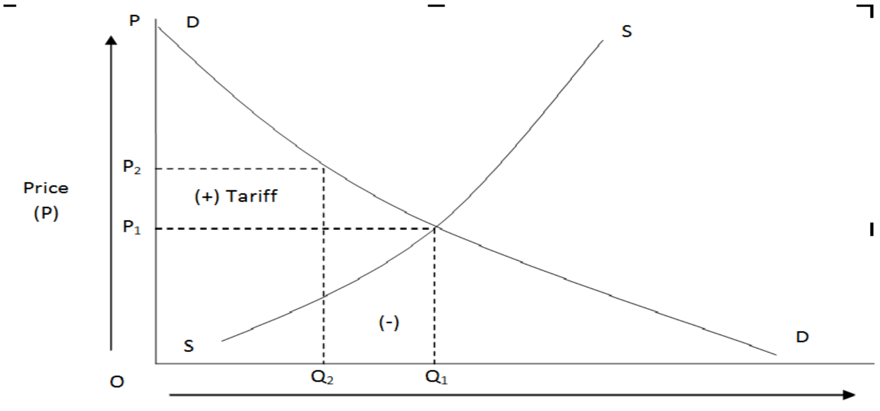

चित्र 5.1: बिक्री की मात्रा पर प्रत्यक्ष मूल्य प्रभाव

चित्र 5.1 में, आयात पर शुल्क (टैरिफ) लगने से P1 में टैरिफ जुड़ जाता है एवं फलस्वरूप मूल्य P1 से P2 को बढ़ जाता है ।

P2, P1 से अधिक है. कीमत (P2) में बढ़ोतरी के कारण, माल की मांग में Q1 से Q2 तक की गिरावट हो जाती हैं । हम जानते हैं कि कीमत जितनी अधिक होगी, उतनी उपभोक्ता कम मात्रा में मांग करेंगे।

हम यह भी जानते हैं कि आपूर्तिकर्ताओं (विक्रेताओं) अधिक कीमत पर और अधिक बेचना चाहते हैं. लेकिन उच्च कीमत पर, मांग कम हो जाती हैं। फलस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं कम ही बेचने में सक्षम होंगे. कम कीमत (P1) पर बेची गई मात्रा (Q1) थी जो कीमत के बढ़ने (P2) से मात्रा और कम (Q2) हो जाएगी। इस प्रवृत्ति को नीचे दिखाया गया है:

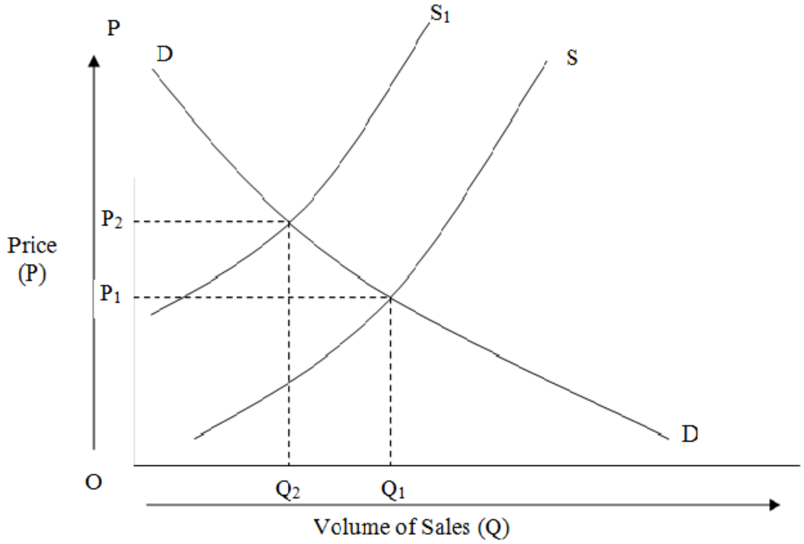

चित्र 5.2: मूल्य पर प्रत्यक्ष मात्रा प्रभाव

चित्र 5.2, आयात पर मात्रा की सीमा को दर्शाता है। P1 (कम कीमत) पर प्रतिबंधों के बिना आयात की मात्रा Q1 है । जब आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यह वक्र S1 द्वारा दिखाए गए आपूर्ति को कम कर देता है। प्रतिबंधों के कारण बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा Q1 से Q2 तक गिरती है। आपूर्ति में कमी (Q2) के परिणामस्वरूप, कीमत P1 से P2 तक बढ़ जाती है। मूल्य में यह वृद्धि प्रत्यक्ष मात्रा का प्रभाव है । विक्रेता मूल्यों को P1 से P2 बढ़ा देते हैं ।

चित्र 5.1 और चित्र 5.2 में अंतर व्यापार नियंत्रण के दो रूपों के कारण है। चित्र 5.1 में, उत्पादक कम बेच पाते हैं क्योंकि टैरिफ ने कीमत बढ़ा दी है। चित्र 5.2 में बेची जाने वाली मात्रा पर प्रतिबंध के फलस्वरूप, क्षतिपूर्ति हेतु उत्पादकों ने मूल्य में वृद्धि की ।

कीमत और बिक्री की मात्रा पर टैरिफ के प्रभाव को समझाने के लिए एक सरल संख्यात्मक उदाहरण नीचे दिया गया है ।

उदाहरण

एक वस्तु की कीमत ₹1,000 प्रति यूनिट है . इस कीमत पर, मांग की मात्रा 5,000 इकाइयां है । अब, सरकार 20% की एक टैरिफ लगा देती हैं। यदि बाकी चीज़े समान रहे, तो उपभोक्ताओं द्वारा उनके द्वारा ऐच्छिक मांग पर टैरिफ के प्रभाव को दिखाये

समाधान

खरीद पर खर्च की गई कुल राशि = 5,000 इकाई (₹1,000) = ₹ 50,00,000

टैरिफ के साथ, मूल्य प्रति यूनिट = ₹ 1,000 + 20% (₹ 1,000)
= ₹ 1,200
उच्च मूल्य के साथ, उपभोक्ता इकाइयों की कम संख्या की मांग करेंगे। ₹50,00,000 की बिक्री राजस्व के लिए, नीचे की गणना के अनुसार निर्माता 4,167 इकाइयां बेचने के प्रयास करेंगे
बिक्री (इकाइयों में) = ₹ 50,00,000/₹1,200 = 4,167 इकाई
निर्माता लाभ नहीं कमाते हैं । मूल्य वृद्धि सरकार के लिए कर राजस्व है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
खरीद पर खर्च की गई राशि के रूप में कुल बिक्री राजस्व =₹ 50,00,000
सरकार के लिए कर राजस्व = (प्रति इकाई टैरिफ) (बेची गई इकाइयां)
=(₹200) (4,167 इकाई) = ₹ 8,33,400
उत्पादकों के लिए बिक्री राजस्व = (प्रति इकाई शुद्ध आय) (बेची गई इकाइयां)
= (₹ 1,200 –₹ 200) (4,167 इकाई)
= ₹ 41,67,000
निर्माता की बिक्री राजस्व ₹50,00,000 से ₹41,67,000 तक घट गई है। निर्माता कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं । टैरिफ ने पहले ही कीमत बढ़ा दी है.
यह उदाहरण मात्रा पर टैरिफ के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाता है। टैरिफ कीमतों को बढ़ाता है, बिक्री की मात्रा घट जाती है, शुद्ध राजस्व (कुल आय – टैरिफ) उत्पादकों के लिए घट जाती है। उच्च कीमत पर खरीदार द्वारा की गई मांग घट जाती है।
आयात पर टैरिफ आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ाती है । घरेलू उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए एक सापेक्ष मूल्य लाभ मिलता है । एक टैरिफ घरेलू उत्पादकों के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है, भले ही उनके उत्पाद विदेशी उत्पादों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में न हों।
उदाहरण के लिए, यदि कोई देश आयातित वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम करना चाहता है जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, तो सरकार आयात के लिए मांग को कम करने के लिए ऐसे सामानों और सेवाओं पर टैरिफ लागू करेगी। इस तरह की कटौती घरेलू उत्पादकों जिनके उत्पाद आयातित उत्पादों के करीबी विकल्प हों या ना हों, उनके लिए अप्रत्यक्ष संरक्षण के रूप में काम करती है

5.2.2 टैरिफ के प्रकार

(a) **आयात शुल्क / टैरिफः** यह एक शुल्क है जिसे माल और सेवाओं के आयात पर लगाया जाता है।

(b) **निर्यात शुल्क / टैरिफः** यह कच्चा माल और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर कर है, जिसके लिए अन्य देशों में अच्छी मांग है।

(c) **संचारित शुल्क / टैरिफः** यह एक देश के द्वारा वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क है जो वहां से संचारित होती हैं । लेकिन दो या दो से अधिक सरकारों के बीच सरकारी संधियों की वजह से, ट्रांसमिट टैरिफ गायब हो रहे हैं।

(d) **विशिष्ट टैरिफ (ड्यूटी):** जब प्रति यूनिट आधार पर टैरिफ लगाया जाता है, इसे एक विशिष्ट ड्यूटी (शुल्क) कहा जाता है।

(e) **मूल्यानुसार टैरिफ (ड्यूटी):** यह ड्यूटी (शुल्क) है जो वस्तु के मूल्य के

प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है।

(f) **यौगिक टैरिफ (ड्यूटी):** यदि एक सरकार एक ही उत्पाद पर एक विशेष शुल्क और एक मूल्यानुसार शुल्क दोनों लागू करती है, तो दोनों प्रकार के शुल्कों का संयोजन होता है। शुल्कों का यह संयोजन एक यौगिक टैरिफ (शुल्क) कहलाता है

टैरिफ के उदाहरण

1. अगर भारत जापान से आयात किए गए कलाई घड़ी की 150 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ का शुल्क लेता है, तो यह विशिष्ट टैरिफ है ।

2. अगर भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित शर्ट के मूल्य पर 15ः की शुल्क लगाया जाता है, तो यह मूल्यानुसार टैरिफ (शुल्क) है ।

5.2.3 एक देश के समग्र टैरिफ का मापन

टैरिफ दरें सभी उत्पादों में भिन्न हैं। एक देश अलग–अलग सामानों पर अलग–अलग टैरिफ दरों को लागू करता है। इसलिए टैरिफ संरक्षण के समग्र स्तर का निर्धारण करने के लिए, विभिन्न टैरिफ दरों के कुछ प्रकार की औसत गणना की जाती है। समग्र टैरिफ संरक्षण निर्धारित करने के लिए दो तकनीक या दृष्टिकोण होती हैं :

(a) **सरल अभारित औसत टैरिफ दरः** इस तकनीक को समझाने के लिए, हम निम्नलिखित उदाहरण ले सकते हैंः

देश X दो वस्तुओं का आयात करता है, अर्थात् A और B । A के आयात पर 20% टैरिफ है । B के आयात पर 25% टैरिफ है.

देश X के लिए अभारित औसत टैरिफ = (.20 + .25)/2 = .45/2

= .225 or 22.5 प्रतिशत

यह तकनीक उस देश के लिए उपयोगी है, जो अलग–अलग सामानों की लगभग बराबर मात्रा में आयात करता है। अगर उपर्युक्त उदाहरण में देश X कमोडिटी । के लिए 10,000 और कमोडिटी B के लिए ₹10,000 या ₹11,000 का आयात करता है, तो अभारित औसत टैरिफ की गणना नीचे की गई है रू

वस्तु A के लिए टैरिफ	= (.20) (₹ 10,000)	=₹2,000
वस्तु B के लिए टैरिफ	= (.25) (₹10,000)	=₹2,500
कुल टैरिफ		=₹4,500

अभारित या साधारण औसत शुल्क दर

= (कुल टैरिफ राशि) / आयात के कुल मूल्य

= 4,500/₹ 20,000 = 0.225 or 22.5ः

जब वस्तुओं के आयात बिल्कुल बराबर राशि में नहीं होते हैं, लेकिन रकम लगभग बराबर होती है, तो अभारित औसत टैरिफ दर की गणना निम्नानुसार की जाती है:

वस्तु A के लिए टैरिफ	= (.20) ₹10,000	=₹2,000
वस्तु B के लिए टैरिफ	= (.25) ₹11,000	= 2,750
कुल टैरिफ		=₹ 4, 750

अभारित औसत शुल्क दर =₹4,750 /₹ 21,000 = 0.226 या 22.6ः

टैरिफ संरक्षण के समग्र स्तर के बीच अंतर आयात की बिल्कुल बराबर मात्रा के

साथ (₹10,000 +₹ 10,000) या लगभग बराबर मात्रा (10,000 + 11,000) के साथ महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अंतर केवल 0.1% = 22.6% − 22.5% है।

जब दो वस्तुओं के आयात की मात्रा काफी असमान होती है, तो साधारण औसत टैरिफ दर टैरिफ सुरक्षा के समग्र स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह निम्नलिखित उदाहरण की मदद से दिखाया गया है जिसमें टैरिफ की कुल राशि की गणना की गई है और फिर टैरिफ के समग्र स्तर को जानने के लिए उपयोग किया गया है:

उदाहरण

मान लीजिए: वस्तु A के लिए टैरिफ दर 20% है और इसके आयात का मूल्य ₹10,000 है; वस्तु B के लिए टैरिफ रेट 25% है और इसके आयात का मूल्य ₹30,000 है। इन वस्तुओं के आयात मूल्यों में काफी असमानता हैं। इन वस्तुओं के आयात के मूल्य को ध्यान में रखते हुए औसत टैरिफ दर की गणना करें

समाधान

वस्तु A के लिए टैरिफ की राशि = 0.20 (₹ 10,000) = ₹2,000 राशि

वस्तु B के लिए टैरिफ की राशि = 0.25 (₹30,000) = ₹7,500 राशि

कुल टैरिफ = ₹9, 750

आयात के कुल मूल्यों में से : के रूप में कुल टैरिफ = ₹9,500 /₹40,000

= 0.237 या 23.7%

इस प्रकार, टैरिफ का समग्र स्तर 23.7% है जो साधारण औसत टैरिफ दर 22.5ः से काफी भिन्न है। ऐसा । और B के आयात की काफी असमान मात्रा के कारण हुआ है।

(b) **भारित – औसत टैरिफ दरः** यह दृष्टिकोण या तकनीक समग्र वस्तुओं का कुल आयात में उनके मूल्यों के आधार पर वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को मानता है। भारित – औसत उपाय समग्र आयातों में वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को मानता है। उदाहरण के लिए पहले दिए गए आंकड़ो को लें। आयात के मूल्यों के आधार पर, वस्तु B, वस्तु A के मुकाबले तीन गुणा अधिक महत्वपूर्ण है, यह महत्व भारित औसत टैरिफ दर की गणना के लिए वजन के रूप में उपयोग किया जाता है। भारित औसत टैरिफ दर की नीचे गणना की गई हैः

वस्तु	टैरिफ दर (R)%	बिक्री मूल्य (₹)	बिक्री मूल्य के आधार पर भार (W)	R × W
A	.20	10,000	.25	0.050
B	.25	30,000	.75	0.187
Total		40,000	1.00	0.237

भारित – औसत टैरिफ दर = 23.7

वस्तु A के लिए वजन = A की बिक्री / कुल बिक्री = 0.25

वस्तु B के लिए वजन = ₹30,000 /₹ 40,000 = 0.75

मूल्यों के अनुपात के संदर्भ में भी वजन व्यक्त किया जा सकता है, जैसा की नीचे दिया गया हैं :

A की बिक्रीः B की बिक्री

=₹10,000: ₹30,000 या 1:3 or ¼: ¾

भारित औसत टैरिफ दर = .20 (¼) + .25 (=) = .20 (.25) + .25 (.75)

= 0.05 + 0.187 = 0.237 or 23.7%

यह भारित औसत टैरिफ दर वस्तुओं A और B (जो की 23.7% है) के लिए टैरिफ की मात्रा के आधार पर गणना की गई टैरिफ दर के बराबर है। भारित – औसत टैरिफ दर वास्तविकता का बेहतर प्रतिनिधि है

(c) **निषेधात्मक टैरिफ / शुल्कः** एक टैरिफ है जिसे वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने और प्रतिबंधित करने के लिए लगाया जाता है। यह बहुत अधिक होता है । यह इतना अधिक होता है कि आयात काफी कम हो जाता है या गायब हो जाता है।

उपरोक्त उदाहरण में, अगर वस्तु B पर टैरिफ वर्तमान 25% से 80% तक बढ़ा दी जाती है, तो इस वस्तु के आयात में काफी हद तक गिरावट या व्यापारियों द्वारा रोका जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो दोनों सरल अभारित औसत टैरिफ दर और भारित – औसत टैरिफ दर देश के समग्र व्यापार प्रतिबंधों के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण इस कथन को विस्तृत रूप से समझाते हैं ।

उदाहरण

एक देश की टैरिफ दरें और दो वस्तुओं का आयात हैरू

वस्तु – Aः टैरिफ दर 20% है और आयात की राशि है ₹10,000

वस्तु – Bः टैरिफ दर 25% है और आयात की राशि है ₹30,000

कुल आयात है =₹40,000

अब, देश वस्तु B पर 80% की एक टैरिफ दर लागू कर देता है जिससे कि इसके आयात को हतोत्साहित और प्रतिबंधित किया जा सके। फलस्वरूप, वस्तु B का आयात ₹10,000 तक गिर जाता हैं. वस्तु A का सापेक्ष आकर्षण बढ़ता है और इसका आयात ₹10,000 से 30,000 तक बढ़ जाता है । दोनों वस्तुओं के कुल आयात एक ही स्तर पर रहता है, जो कि ₹40,000 है

गणना करें (a) सरल अभारित औसत टैरिफ दर और (b) भारित – औसत टैरिफ दर। व्यापार प्रतिबंध या व्यापार उदारीकरण के स्तर पर टिप्पणी करें

समाधान

(a) साधारण अभारित औसत टैरिफ दर:

(.20 + .80)/2 = .50 या 50%

(इ) भारित – औसत टैरिफ दर

= (.20 ×₹30,000) + (.80 ×₹10,000) / कुल आयात

= (₹6,000 +₹ 8,000)/₹40,000

= 0.35 or 35%

आयात की कुल राशि, अर्थात, ₹40,000 वस्तु B पर निषेधात्मक टैरिफ दर लगाने से पहले और बाद में समान ही रहती हैं । तथ्य यह है कि वस्तु B का आयात 80% निषेधात्मक शुल्क लगाकर 10,000 तक प्रतिबंधित किया गया है। वस्तु B के

प्रति निषेधात्मक टैरिफ लागू होने के बाद वस्तु A के आयात में ₹10,000से 30,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। 50% की साधारण अभारित औसत टैरिफ दर कुल आयात को प्रतिबंधित नहीं करती है। इसी तरह, 35% की भारित औसत टैरिफ दर व्यापार उदारीकरण के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह देश के समग्र प्रतिबंधों (या उदारीकरण) को मापने में रुकावट है।

5.2.4 टैरिफ़ का प्रभाव

उत्पादन, उपभोग, मूल्य और देश के कल्याण पर टैरिफ के प्रभावों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद देश आयात शुल्क लगाती हैं। आयात शुल्क लगाने वाले देश के आकार और उसके आर्थिक विकास का स्तर के अनुसार आयात शुल्क लागू करने में भिन्नता आती हैं ।

माल के आयात पर टैरिफ के प्रभाव निम्नलिखित हैं:

(i) सरकार को लाभ होता हैं उसके राजस्व में वृद्धि के मामले में

(ii) विदेशी प्रतियोगियों से सुरक्षा के मामले में घरेलू उत्पादकों का लाभ मिलता हैं. यदि टैरिफ लगाया जाता है, तो आयातित विदेशी सामान की लागत बढ़ जाती है, जो खरीदारों को हतोत्साहित करती है. खरीददारों का झुकाव घरेलू उत्पादों की खरीद पर ज्यादा होता है जो अब विदेशी उत्पादों की तुलना में सस्ते हो गए हैं।

(iii) टैरिफ निर्माताओं के हित का और उपभोक्ता–विरोधी होता हैं। आयात शुल्क उच्च मूल्यों के रूप में उपभोक्ताओं के लिए माल को महंगा बनाते हैं।

(iv) आयात शुल्क उत्पादकों की क्षमता को कम करते हैं । एक सुरक्षात्मक आयात टैरिफ घरेलू कंपनियों पर लागत कम करने के लिए कुशलता से उत्पादन करने पर दबाव नहीं डालती। इससे बहुमूल्य संसाधनों का निष्फल उपयोग होता है। कभी–कभी, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किसी अनुत्पादक तरीके से किया जाता है।

(v) निर्यात टैरिफ सरकार के लिए राजस्व अर्जित करती हैं । यह देश के किसी विशिष्ट उद्योग से निर्यात को कम करता है। यह राजनीतिक कारणों से भी लागू होता है।

5.3 गैर टैरिफ बाधाएं और उनका प्रभाव

गैर–टैरिफ बाधाओं का उपयोग करके व्यापार को सीमित करने के लिए सरकार कीमतों और उत्पादों की मांग को प्रभावित करती है। इनमें से कुछ गैर–टैरिफ बाधाएं हैंरू

(a) अनुदान

(b) आयात कोटा और स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध

(c) निर्यात कोटा

(d) प्रतिपाटन शुल्क

(e) देशी / स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं

(f) प्रशासनिक व्यापार नीतियाँ

(g) सेवाओं पर प्रतिबंध

(h) मदद / सहायता और ऋण

(i) सीमा शुल्क मूल्यांकन

(j) विशेष शुल्क, न्यूनतम मूल्य स्तर और सीमा शुल्क जमा करने का समय

इन अवरोधों का विवरण उन्हें और उनके प्रभावों को समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

5.3.1 अनुदान

सरकार द्वारा किसी संगठन या फर्म को भुगतान किया हुआ वह पैसा जिससे माल बनाने या सेवाओं को देने की लागत में कमी हो जाती है अनुदान कहलाती हैं । अनुदान का उद्देश्य माल / सेवाओं की कीमतों को कम बनाये रखना है।

(A) निर्यात अनुदान: जब घरेलू कंपनियां कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कम कीमत पर विदेशों में बेचती हैं, तो उन्हें नुकसान होता है . कई देशों की सरकार समय–समय पर इस तरह के निर्यात को प्रोत्साहित करती है। विदेशों में बेचते समय सरकारें निर्यात कंपनियों जिनकी हानि हुई है, को सीधे भुगतान करती हैं । घरेलू कंपनियों को सरकारों द्वारा इस तरह के भुगतानों को निर्यात अनुदान कहते हैं । अनुदान घरेलू उत्पादकों की मदद करता हैं। उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है । वे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचने में सक्षम होते हैं।

सामान्यतः पाए जाने वाले अनुदान निम्नलिखित हैंः

(i) नकद अनुदान

(ii) कम ब्याज पर ऋण

(iii) कर में रियायत

(iv) घरेलू कंपनियों में सरकार द्वारा समान हिस्से (इक्विटी) की भागीदारी

दुनिया के कई देशों में अनुदान का सबसे बड़ा लाभार्थी कृषि क्षेत्र है। कृषि अनुदान की तुलना में गैर–कृषि अनुदान कम होता है। लेकिन ये अनुदान महत्वपूर्ण होते हैं । अनुदान उन उद्योगों को विकसित करने में सहायता करती है जहां पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं ।

अर्थव्यवस्थाओं के कल्याण के लिए अनुदान के दो बड़े नुकसान हैं । सबसे पहले, यह अक्षम उत्पादन की रक्षा कर सकता है। दूसरा, इसके परिणामस्वरूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। अकुशल उत्पादकों के उदाहरण कृषि में पाए जाते हैं। देशों को अनुदान वाले कृषि उत्पादों को अधिक उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुदान कृषि उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कम करते हैं। अनुदान नकारात्मक कर हैं . एक गतिविधि का समर्थन करने के लिए नकारात्मक करों को सरकारों द्वारा भुगतान किया जाता है।

अनुदान कभी–कभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कारोबार विवादों की ओर ले जाती है। निम्न विचारों के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं**:**

(i) आयात करने वाले देश का विचार: घरेलू उद्योग विदेशी उद्योगों से "अनुचित" प्रतिस्पर्धा के बारे में शिकायत करते हैं, जिन्हें निर्यात करने के लिए विदेशी सरकारों द्वारा अनुदान दी जाती है । जैसा कि अनुदान एक नकारात्मक कर है, यह विदेश से आयातित माल की कीमत कम करता है, जिस पर घरेलू उपभोक्ता उन्हें खरीदते हैं। घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित एक ही तरह के सामान

या मिलते जुलते सामान या घनिष्ठ विकल्प की कीमत गिरती है। कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू उत्पादकों के लिए मुनाफा कम हो जाता हैं। कम कीमत वाले उत्पादों के आयात से घरेलू कंपनियों की बिक्री की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए, आयात करने वाले देशों के उत्पादक, विदेश से 'अनुचित' सब्सिडी वाले उत्पादों से सुरक्षा के लिए लॉबी बनाते हैं।

व्यापार भागीदारों के निर्यात अनुदान द्वारा प्रदत्त प्रतिस्पर्धी लाभ को संतुलित (ऑफसेट) करने के लिए डब्ल्यूटीओ (WTO) के नियमों के तहत प्रतिकारी शुल्क का प्रावधान किया गया है। प्रतिकारी शुल्क आयात–देश के उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा देता है। आयात करने वाले देश के दृष्टिकोण से, एक प्रतिकारी शुल्क 'घरेलू उत्पादकों की जीत का प्रतिनिधित्व करती है जो सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं'।

एक प्रतिकारी शुल्क से निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ हैं:

(a) यह अनुदान द्वारा बनाए गए या प्रोत्साहित उपभोग और उत्पादन अक्षमताओं को रद्द कर देता है।

(b) यह कुल कल्याण को बेहतर बनाता है क्योंकि आम तौर पर निर्यातक देशों को अनुदान की लागत आयातक देशों को अनुदान के लाभ से अधिक होती है।

(ii) निर्यात करने वाले देश का विचार: देश के अनुदान वाले उत्पादकों को निर्यात करके देश के उपभोक्ताओं और / या करदाताओं को निर्यात करने की कीमत पर लाभ मिलता है। अनुदान के वित्तपोषण के लिए करदाता भुगतान करते हैं . लाभ से अधिक कल्याणकारी नुकसान हो जाते है। अगर कई निर्यातक देश अनुदान देते हैं, तो निर्यात बाजार में कीमत गिरती है . निर्यात बाजार में कीमत में गिरावट अनुदान द्वारा दर्शायी जाती है। निर्यात अनुदान घरेलू उत्पादकों को अपने निर्यात बाजारों को बनाए रखने में मदद करती है।

5.3.2 आयात कोटा और स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध

'एक आयात हिस्सा (कोटा) एक देश में आयात किए जाने वाले कुछ वस्तु की मात्रा पर एक सीधा प्रतिबंध है' (हिल और जैन, पृष्ठ 264)। आयात हिस्सा (कोटा) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए है। आयात कोटा लगाने के लिए कारण आयात शुल्क लागू करने के कारणों के समान हैं। कोटा विदेशी प्रतियोगियों से घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करता है । आयात कोटा फर्मों / कुछ व्यापारिक कंपनियों को आयात अनुज्ञापत्र जारी करके लागू किया जाता है। आयात कोटा उत्पाद का एक विशिष्ट मात्रा आयात करने का अधिकार देता है । कुछ उत्पादों (उदाहरण के लिए, चीनी और वस्त्रों का आयात) के मामले में, कोटा निर्यातक देशों की सरकारों को आवंटित किया जाता है।

एक व्यापार अवरोध टैरिफ और हिस्सा (कोटा) का एक संकर (मिश्रण) हो सकता है । मिश्रण का नाम 'टैरिफ दर हिस्सा (कोटा)' है । एक टैरिफ दर कोटा में, कोटा पर आयात के लिए टैरिफ दर की तुलना में कोटा में आयात के लिए टैरिफ रेट कम है। निम्नलिखित उदाहरण व्याख्या करता हैं।

उदाहरण: देश X चावल आयात करता हैं देश Y से । कोटा में चावल के आयात पर 10% का एक यथामूल्य टैरिफ दर है। कोटा से अधिक चावल के आयात के

लिए टैरिफ दर 30% है . चावल के आयात का कोटा 5,00,000 टन है। देश X, 8,00,000 टन चावल आयात करता हैं. 5,00,000 टन के लिए टैरिफ दर 10% है दृ 3,00,000 टन (कोटा से अधिक) के लिए टैरिफ दर 30% है।

कृषि में, टैरिफ दर कोटा सामान्य है। टैरिफ दर कोटा लगाने का उद्देश्य कोटा से अधिक आयात प्रतिबंधित करना है।

स्वैच्छिक निर्यात अंकुश (VER): स्वैच्छिक निर्यात अंकुश (VER) व्यापार पर एक प्रकार का कोटा है। निर्यात देश इस अंकुश को लागू कर सकता है। आयात करने वाले देश की सरकार, स्वैच्छिक निर्यात अंकुश के लिए निर्यातक देश की सरकार से अनुरोध कर सकती है। अच्छे राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए, निर्यातक देश निर्यात कोटा और स्वैच्छिक निर्यात अंकुश को लागू करने के लिए आयातक देश के अनुरोध से सहमत हो सकता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उत्पादकों को बचाने में आयात कोटे और स्वैच्छिक निर्यात अंकुश, दोनों ही मदद करते हैं। आयात कोटे और स्वैच्छिक निर्यात अंकुश दोनों एक आयातित वस्तु की कीमत बढ़ा देते हैं. इसलिए, घरेलू उपभोक्ता सामानों के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करते हैं। आयात कोटे और स्वैच्छिक निर्यात अंकुश घरेलू उपभोक्ताओं के हित में नहीं होता हैं।

कोटा और स्वैच्छिक निर्यात अंकुश द्वारा लगाए गए सामानों की आपूर्ति पर प्रतिबंधों के कारण, निर्यातकों को उच्च मूल्य मिलते हैं । इससे विदेशी उत्पादकों के लिए अतिरिक्त लाभ होता है । यह अतिरिक्त लाभ कोटा किराया कहलाता है। अगर घरेलु उत्पादकों के पास घरेलू उत्पाद की कीमतों में वृद्धि की शक्ति है, तो कोटा और स्वैच्छिक निर्यात अंकुश के कारण आयातित वस्तुओं की ऊंची कीमतों को ध्यान में रखते हुए कोटा किराया उन्हें भी फायदा पहुंचा सकता है । अगर घरेलू उत्पादक कीमतों को विश्व कीमत से अधिक एवं टैरिफ भी लेते हैं, तो ऐसी संभावना हैं की उपभोक्ता घरेलू कंपनियों से कम खरीदें या खरीदना बंद कर दे। नतीजतन, घरेलू उद्योग को एक सिकुड़ते बाजार का सामना करना पड़ सकता है।

5.3.3 निर्यात कोटा

निर्यात कोटा आयात कोटा से कम प्रचलित होता है । एक निर्यात कोटा निर्यात की जाने वाली वस्तु की इकाइयों की संख्या को प्रतिबंधित करता है। छोटे देश उपभोक्ताओं के हित में घरेलू बाजार में सस्ते सामान हेतु निर्यात कोटा लागू कर देते हैं। बड़े देश विदेशी बाजारों में अपने सामान के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने हेतु निर्यात कोटा लागू करते हैं।

एक निर्यात कोटा विदेशी बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति को सीमित करता है। बाकी चीजें समान रहें तो, छोटे देशों द्वारा लगाया गया निर्यात कोटा घरेलू उत्पादन घटाता है, घरेलू खपत में बढ़ोतरी करता है और घरेलू कीमतों को कम करता है। निर्यात की कोटा बड़े देशों में घरेलू उत्पादन घटा देता है, घरेलू खपत में कमी आती है, घरेलू कीमतें कम कर देता है और दुनिया के बाजार पर बिक्री के लिए वस्तुओं की मात्रा को सीमित करके दुनिया के मूल्यों को बढ़ा देता है।

5.3.4 प्रतिपाटन शुल्क

'पाटन' का आशय किसी अन्य देश में उन्हें बहुत कम कीमत पर बेचकर माल से छुटकारा पाने से है । पाटना/मूल्य गिराना (डंपिंग) की दो परिभाषाएं हैं। एक मूल्य–आधारित परिभाषा है । एक अन्य लागत आधारित परिभाषा है । जब

एक कम्पनी (फर्म) विदेशी बाजार में किसी ऐसी कीमत पर वस्तु को बेचता है जो कि इसके घरेलू बाजार की कीमत से कम है, तो यह मूल्य आधारित पाटना कहलाता है। जब एक कम्पनी (फर्म) विदेशी बाजार में एक ऐसी कीमत पर वस्तु को बेचता है जो इसके उत्पादन लागत से भी कम है, तो यह लागत आधारित पाटना कहलाता है ।

पाटने की तीन श्रेणियां होती हैं:

(a) छिटपुट पाटना

(b) लगातार पाटना

(c) परभक्षी पाटना

(a) छिटपुट पाटना: इसका अर्थ विदेशी बाजार में थोड़े समय के लिए वस्तुओं की बिक्री से है। बिक्री मूल्य घरेलू कीमत या उत्पादन की लागत से नीचे होता है। यह एक विदेशी बाजार में 'बिक्री' की तरह ही है । यह एक निर्यातक देश द्वारा अवांछित वस्तुओं का निपटान करने के लिए किया जाता है।

छिटपुट पाटन घरेलू बाजार को असंतुलित करता हैं । घरेलु उद्योग संभवतः जख्मी नहीं होता. छिटपुट पाटन की अवधि के दौरान, घरेलू उपभोक्ता काफी कम कीमतों पर आयातित वस्तुओं के लाभ का आनंद उठाते हैं।

(b) लगातार पाटना: यह पाटन एक लंबी अवधि के लिए होता है। निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद की कीमत जो कि वे अपने घरेलू बाजार में चार्ज करते हैं, विदेशी बाजारों में कीमतों की तुलना में कम रखी जाती है। पाटन के लिए यह कम कीमत मूल्य भेदभाव की अवधारणा पर आधारित है। कम्पनी (फर्म) के उत्पाद के लिए मांग के विभिन्न लोच रखने वाले समूहों में निर्यात फर्म को अपने ग्राहकों को भेद / अलग करने में सक्षम होना चाहिए। फर्म घरेलू बाजार में खरीदार पर एक उच्च कीमत चार्ज करने में सक्षम होना चाहिए, अगर विदेशी बाजार में उत्पाद की मांग की लोच के मुकाबले घरेलू बाजार में उत्पाद की मांग का लोच कम हैं । अगर विदेशी बाजारों में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है तो घरेलू बाजार में कम्पनी (फर्म) को विदेशी बाजार में भेदभाव की कीमत का अवसर मिलता है । अन्य चीज़े यदि यथावत रहे तो, विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि कीमत में कमी के जवाब में घरेलू बाजार में मांग की लोच को पार करती है। इस स्थिति में फर्म को भेदभाव की कीमत में प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए विदेशी बाजारों में कीमत घरेलू बाजार में कीमत से कम होती है। यह मूल्य आधारित लगातार पाटन की महत्वपूर्ण विशेषता है।

लागत–आधारित परिभाषा के तहत लगातार पाटना का अर्थ है दीर्घ अवधि की लागत से नीचे माल की बिक्री। यदि लागत का मतलब फर्म की उत्पादन की सीमांत लागत से हैं , तो कोई फर्म अपनी सीमांत लागत से नीचे की कीमत पर बेचने को तैयार नहीं होगा, वह भी एक लंबी अवधि के लिए। पाटने की लागत–आधारित परिभाषा निर्यात फर्म की सीमांत लागत का उपयोग नहीं करती। अल्प अवधि में, एक निर्यात फर्म द्वारा औसत कुल लागत से नीचे की कीमत पर बेचने की संभावना होती है। एक फर्म, जिसकी कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा निश्चित लागत होता है, अपने उत्पाद की कम मांग की अवधि में, अपनी औसत कुल लागत से नीचे के मूल्य पर बेच सकता है। इस अवधि को सामान्यतः मंदी के

रूप में जाना जाता है । एक लाभ–अधिकतम फर्म उत्पादन और बिक्री करना चाहेगा अगर विक्रय राजस्व को परिवर्ती लागत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि तय लागत पहले ही प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति में मूल्य परिवर्ती लागत के बराबर होगा, जो औसत कुल लागत से कम है। औसत कुल लागत से बेचना फर्म को उत्पादन जारी रखने में मदद करता है।

पाटने की लागत–आधारित परिभाषा में विदेशी उत्पादन लागतों को निर्धारित करने की समस्या है . विदेशी उत्पादन लागतों को निर्धारित करना अक्सर मुश्किल होता है। लागत का प्रत्यक्ष उपाय, अक्सर उपलब्ध नहीं होता हैं इसलिए, लागतों का अप्रत्यक्ष उपाय उपयोग किया जाता है, जो अक्सर गलत / अधीर होते हैं। अगर किसी देश के उत्पादकों को तुलनात्मक लाभ होता है और इसलिए, वे विदेशी बाजारों में कम कीमत पर बेचने में सक्षम होते हैं, तो उन पर उन बाजारों में पाटने का आरोप लगाया जाता है (जिनका तुलनात्मक नुकसान होता है)।

लागत आधारित पाटने को निर्धारित करना मुश्किल है, अगर उत्पादक देश, देश के बाजार मूल्य निर्धारित निवेश का उपयोग नहीं करते हैं। जब निर्माता अपने वस्तुओं को घरेलु बाजारों में बेचने में अक्षम होते है तो मूल्य–आधारित पाटन का निर्धारण बहुत मुस्किल हो जाता हैं, और इसलिए, घरेलु मूल्य उपलब्ध नहीं हो पाता हैं जिससे की उसकी तुलना विदेशों में लिए जाने वाले शुल्क से की जा सके। यह पाया जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन निर्यात के लिए होता है।

(c) परभक्षी पाटना

जब विदेशी कंपनियां बाजार से घरेलू कंपनियों को बाहर निकालने के लिए उत्पादन की अपनी लागत से कम कीमत पर घरेलू बाजार में बेचती हैं, तो इसे परभक्षी पाटन कहा जाता है । परभक्षी पाटना घरेलू कंपनियों को अपने व्यवसाय को बंद करने के लिए मजबूर करती है। नतीजतन, विदेशी उत्पादक बाजार में प्रमुख विक्रेता बन जाते हैं । घरेलू बाजार में प्रभुत्व हासिल करने के बाद, विदेशी उत्पादक उच्च मूल्य से चार्ज करके घरेलू खरीदारों का शोषण शुरू करते हैं। इसके अलावा, परभक्षी पाटन की अवधि के दौरान हुई पिछली हानियों के क्षतिपूर्ति के लिए वे उच्च मुनाफे हेतु अनुचित रूप से उच्च कीमतों का भुगतान मांगते हैं। तथ्य और आंकडें के साथ श्परभक्षी पाटनश साबित करना मुश्किल है । परभक्षी पाटना एक दीर्घ अवधि के लिए जारी नहीं रह सकता क्योंकि इसे 'अनुचित प्रतिस्पर्धा' माना जाता है। घरेलू कंपनियां कारोबार में रहने के लिए धनराशि उधार ले सकती हैं और विदेशी कंपनियों को परभक्षी पाटन छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती हैं।

जब विदेशी उत्पादक अपने "निष्पक्ष" बाजार मूल्य के नीचे घरेलू बाजार में बेचते हैं, तो यह भी पाटना कहलाता है। "अच्छा 'बाजार मूल्य का उत्पाद, उत्पादन की लागत से अधिक होना चाहिए क्योंकि इसमें" निष्पक्ष " मुनाफा सीमा शामिल होता है:

प्रतिपाटन शुल्क क्या है? घरेलू फर्मों की शिकायतों पर घरेलू सरकार पाटन की घटना और घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान की जांच करने के लिए जांच का आयोजन कर सकती है। अगर घरेलू सरकार को पता चलता है कि परभक्षी पाटन

मौजूद है और घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचाती है, तो सरकार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है । एक प्रतिपाटन शुल्क एक आयात शुल्क है जो कम से कम पाटन सीमा के बराबर है। व्यवहार में परभक्षी पाटन शुल्क बहुत अधिक है क्योंकि पाटन सीमा अस्पष्ट होती हैं और निश्चित रूप से निर्धारित नहीं होती हैं। पाटन की लागत–आधारित परिभाषा में फर्म उच्च लागत का अनुमान लगाती है। घरेलू कंपनियों को सुरक्षा की चाहत होती हैं एवं वे लागत की जानकारी प्रदान करने में पक्षपाती हो सकती है और उनके द्वारा लागत अनुमान वास्तविक लागत से अधिक होने की संभावना होती है। परिणामस्वरूप, यह बड़ी पाटन सीमा हो सकती हैं और इसलिए, उच्च प्रतिपाटन शुल्क लग सकता हैं ।

प्रतिपाटन शुल्क के उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों से "अनुचित" प्रतियोगिता से बचाना होता हैं। प्रतिपाटन शुल्क को 'प्रतिकारी शुल्क' भी कहा जाता हैं. प्रतिपाटन शुल्क उपाय एक सरकारी कार्यवाही माना जाता है, जो एक विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य के क्षेत्र में आयातित वस्तुओं के पाटन को रोकना और प्रतिपाटन शुल्क लगाने के उपाय करता है। प्रतिकारी उपाय (जिसे 'प्रतिकारी शुल्क' के रूप में भी जाना जाता है) आयात करने वाले देश द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन या निर्यात के लिए प्रदान किए गए किसी भी सब्सिडी को बराबर करने के उद्देश्य से एक आयात करने वाले देश द्वारा लगाए गए विशेष शुल्क या कर का उल्लेख करता है। उत्पाद का निर्यात '(विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और विकास केंद्र, नई दिल्ली, पी। 37 और पी। 38।

5.3.5 देशी / स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं

स्थानीय सामग्री की आवश्यकता का मतलब है कि घरेलू हिस्से में किसी (विशेष) वस्तु का कुछ भाग उत्पादन किया जाना होता है। इस आवश्यकता का दो तरह से उल्लेख किया गया है:

(a) भौतिक शर्तो में, (b) मूल्य शर्तों में

शारीरिक शर्तो का उदाहरणरू एक वस्तु के घटक भागों का 50 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाना है। मूल्य शर्तों का उदाहरणरू किसी वस्तु के मूल्य का 40 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर उत्पादित किया जाना है। आम तौर पर, विकासशील देशों ने स्थानीय सामग्री की आवश्यकता लागू करती है । विकसित देशों में स्थानीय सामग्री की आवश्यकता का भी उपयोग होता है । विकासशील देशों का उद्देश्य एक उत्पाद के घटक भागों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना है जो विदेशी देशों में निर्मित भागों के साथ इकट्ठा किया जाता है। विकसित देशों का उद्देश्य स्थानीय नौकरियों के स्तर को बनाए रखने और स्थानीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए है।

स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं का मुख्य उद्देश्य विदेशों से प्रतिस्पर्धा को सीमित करना है . घटकों के उत्पादन में घरेलू उत्पादकों का लाभ अर्जित होता हैं । आयातित घटकों की कीमतें उनके आयात पर प्रतिबंध के कारण बढ़ जाती हैं। परिणामस्वरूप अंतिम उत्पादों के खरीदार उच्च मूल्यों का भुगतान करते हैं।

5.3.6 प्रशासनिक व्यापार नीतियाँ

ये नौकरशाही नियम हैं जो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं। ये अनौपचारिक व्यापार अवरोध हैं । इनमें तकनीकी उत्पाद मानकों और नियामक मानदंड और सरकारी खरीद नीतियां शामिल हैं।

स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण के विचारों के आधार पर तकनीकी बाधाएं डाली जाती हैं। उदाहरण के लिए, 'सरकारों को स्वास्थ्य सम्बन्धी मानकों को पूरा करने के लिए आयातित खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, खिलौने और ऑटो धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता जानकारी प्रदान करने एवं धोखाधड़ी रोकने के लिए लेबलिंग कानूनों के अनुकूल आयात करने की ज़रुरत होती है (यार्ब्रा, बेथ वी। और यार्ब्रा, रॉबर्ट एम।, पी। 205)।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए तकनीकी और नियामक बाधाओं के उच्च मूल्य होते हैं। इन बाधाओं, वास्तव में, कई मामलों में, संरक्षणवादी इरादा को प्रतिबिंबित करता हैं । देश घरेलू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए एवं विदेशी बनाये गए माल की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए इन बाधाओं का आविष्कार करते हैं । तकनीकी बाधा उत्पादन लागत में वृद्धि करती हैं . उदाहरण के लिए, यदि लेबल की स्थिति लागू की जाती है, तो प्रत्येक निर्यात बाजार के लिए लेबल को अनुवाद की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में, एक बड़ी संख्या में उत्पाद बनाने हेतु एक से अधिक देशों से कच्चे माल, घटकों और डिजाइनों का उपयोग करते हैं। इसलिए इन निवेशों में मिश्रित मूल होता है। कंपनियों के लिए उत्पादों के लेबल पर राष्ट्र / देश / उनके निर्माण की जगह का संकेत करना मुश्किल हो जाता है। कुछ सरकारों को आयातकों या निर्यातकों को उनके व्यापार लेनदेन के लिए सरकारी प्राधिकारियों की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है इस अनुमति को आयात / निर्यात अनुज्ञापत्र के रूप में जाना जाता है । एक विदेशी मुद्रा नियंत्रण के लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा को सुरक्षित करने के लिए आयातक की आवश्यकता होती है। यह भी एक बाधा है और विदेशी व्यापार को बाधित करती है।

संभव है की इनवेन्ट्री ले जाने की लागत में वृद्धि करने हेतु, जानबूझकर प्रशासनिक देरी की जाती हैं । उदाहरण के लिए, प्रशासनिक प्रणालियों में कमी के कारण सीमा शुल्क में विलम्ब होता हैं. यह देरी व्यापार के लिए बाधा के रूप में काम करती है ।

पारस्परिक आवश्यकताए भी व्यापार बाधाएं हैं । ये आवश्यकताएं दो प्रकार के हैं: (a) निर्यातकों को अपनी बिक्री के लिए भुगतान के रूप में विदेशी व्यापारिक माल नहीं लेना चाहिए, और (b) निर्यातकों को विदेशों में माल या सेवाओं को खरीदने का वादा करना होता है, जिसके लिए वे निर्यात करते हैं; उनकी खरीदारियां उनके निर्यात के मूल्य के बराबर होने की संभावना होती है। रक्षा उद्योगों / वायुमंडल उद्योगों के मामले में ये आवश्यकताएं मिलती हैं। पारस्परिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले देशों में उनके घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा अपने देशों में नौकरियों या तकनीक हासिल करने का उद्देश्य होता है। पारस्परिक आवश्यकताएँ सिर्फ वस्तु विनिमय लेनदेन की तरह होती हैं । इन वस्तु विनिमय लेनदेनों को संतुलित करना (काउंटरट्रैड) या बराबर करना (ऑफ़सेट) भी कहते हैं । व्यापारी काउंटरट्रैड से दूर रहना चाहते हैं। कारण: कई

बार, उन्हें उन सामानों के लिए बाज़ार खोजना पड़ता है जो उनके अनुभव और विशेषज्ञता की तर्ज पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें काउंटरट्रेड समझौतों के तहत रखना होता हैं।

5.3.7 सेवाओं पर प्रतिबंध

राजस्व प्राप्त करने के लिए देश विदेशी बाजारों में सेवाएं बेचते हैं . आम सेवाएं ऐसी हैं: बीमा, बैंकिंग परिवहन, परामर्श और ऐसे कुछ । 'सेवाओं' में एक विस्तृत श्रृंखला की गतिविधियों को शामिल किया गया है । विश्व व्यापार संगठन सचिवालय ने 12 क्षेत्रों में सेवावों को वर्गीकृत किया है – व्यापार (पेशेवर और कंप्यूटर सहित); संचार; निर्माण और इंजीनियरिंग; वितरण, शैक्षिक; पर्यावरण; वित्तीय; स्वास्थ्य; पर्यटन और यात्रा; मनोरंजन; सांस्कृतिक और खेल; परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है . 'दूरसंचार और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने लगभग सभी सेवाओं को सीमाओं के पार व्यापार योग्य बनाया है' (आर्थिक सर्वेक्षण: 2010–11, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 170)। देश में सेवाओं में व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए तीन कारण हैं: (1) अनिवार्यता, (2) मानक और (3) आव्रजन

देशों के नागरिकों को सामाजिक सहायता के आधार पर एक सेवा की अनिवार्यता का न्याय किया जाता है। इन देशों की सरकारों का मानना है कि कुछ सेवाएं 'लाभ के लिए बेची नहीं जानी चाहिए' 'गैर–लाभकारी सेवाओं' में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, शिक्षा, मेल और अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सेवाएं। देशों ने इन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए विदेशी कंपनियों को प्रतिबंधित किया है । वे मूल्य नियंत्रण और / या सरकारी स्वामित्व वाली सेवा संगठनों को सब्सिडी की व्यवस्ता करते हैं। सेवाओं के निर्यातकों के लिए प्रतिबंधित, या निर्वहन दोनों।

सरकार आवश्यक सेवाओं के स्थानीय स्वामित्व को पसंद करती है । यह प्राथमिकता विदेशी कंपनियों के लिए बाधा के रूप में काम करती है। सरकार विदेशी कंपनियों द्वारा परिवहन गतिविधियों के लिए अपने घरेलू मार्गों का उपयोग प्रतिबंधित करती है (उदाहरण के लिए, विमानन); मीडिया, बैंकिंग, उपयोगिताओं, संचार सेवाएं हैं जिन्हें कई देशों द्वारा आवश्यक सेवाएं माना जाता है । इन देशों की सरकारें इन सेवाओं में व्यापार पर बाधाएं डालती हैं, और विदेशी कंपनियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करती हैं।

मानक का इस्तेमाल पेशेवरों (उदाहरण के लिए, लेखाकार, शिल्पकार, इंजीनियर, हेयर स्टाइलिस्ट, चिकित्सक, अचल सम्पत्ति दलाल, शिक्षक, वकील और इनके जैसे) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर को बनाए रखने के लिए व्यापार अवरोधों के रूप में किया जाता है। इस तरह के पेशेवरों को विदेशों में और साथ ही घरेलू ग्राहकों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञापत्र की आवश्यकता होती है। कई आवश्यकताएं हैं जो समय लगाती हैं और किसी देश के मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। (उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण (इंटर्नशिप), पाठ्यक्रम, एक स्थानीय विश्वविद्यालय में परीक्षा लेने आदि)

आव्रजन आवश्यकता नौकरी के अवसरों की सुरक्षा और एक देश में नागरिकों की सुरक्षा से है। किसी देश के योग्य कर्मियों को दूसरे देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता से विदेशियों को किराए पर लेना मुश्किल हो गया है। आव्रजन आवश्यकता सेवा उद्योग में व्यापार बाधा के रूप में काम करती है। इससे पहले कि उन्हें विदेशों में सेवा देने का अवसर मिले, कई देशों में उनके संगठनों को स्थानीय स्तर पर सेवा कर्मियों को खोजने के लिए सभी प्रयासों को निकालने की आवश्यकता होती है। स्थानीय कार्यबल के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता ही प्रभाव है।

5.3.8 मदद / सहायता और ऋण

सरकार दूसरे देशों के लिए वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करती है । ये मदद और ऋण 'बंधे' होते हैं. बंधुआ मदद या बंधे हुए ऋण के लिए प्राप्तकर्ता देश को दाता के देश में धन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। बंधी मदद प्रतियोगिता से दाता देशों में आपूर्तिकर्ताओं की रक्षा करते हैं । बंधुआ ऋण के लिए प्राप्तकर्ता देश को उपकरणों की खरीद या पता करने और तकनीकों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। बंधे हुए ऋण का प्रभाव बंधे हुए मदद के समान होता है । बंधे ऋण के प्राप्तकर्ता, ऋणदाता देशों के उत्पादकों से खरीदने के लिए बाध्य होते हैं, यहां तक कि दुनिया के बाजारों की कीमतों की तुलना में अधिक कीमतों पर भी । यह व्यापार पर एक बाधा है।

5.3.9 सीमा शुल्क मूल्यांकन

निर्यातकों और आयातकों जानबूझकर चालान पर कम कीमत लिखते है ताकि कम विज्ञापन मूल्य टैरिफ का भुगतान करना पडे. चालानों पर उल्लिखित मूल्यों के बारे में संदेह होने पर , सीमा शुल्क के अधिकारि उन मूल्यों का आकलन करने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किया करते है जो संभवतः बहुत उच्च और मनमानी होती है। यह अभ्यास माल के आयात को रोकता है।

कई अलग–अलग उत्पादों में व्यापार मूल्यांकन में समस्या पैदा करता है । कुछ समय, उत्पादों को गलत वर्गीकृत किया जाता है और सीमा शुल्क टैरिफ खराब कर देते हैं और गलत तरीके से गुमराहित होते हैं। प्रभावित व्यापारी विवाद उत्पन्न करते हैं और मामले को कानून के अदालत में ले जाते हैं। यह स्थिति व्यापार बाधा के रूप में काम करती है और मूल्यांकन और कीमतों को प्रभावित करती है।

5.3.10 विशेष शुल्क, न्यूनतम मूल्य स्तर और सीमा शुल्क जमा करने का समय

कभी–कभी, विशेष शुल्क (जैसे सीमा शुल्क निकासी और दस्तावेजों के लिए), जहाजों में लदाई से पहले कस्टम ड्यूटी जमा करने की आवश्यकता होती है, और सीमा शुल्क निकासी के बाद सामानों को न्यूनतम मूल्य स्तर पर लगाया जा सकता है–सभी को बाधाओं के रूप में देखा जाता है।

5.4 गैर–टैरिफ़ बाधाओं का मापन

गैर–टैरिफ बाधाओं की सूची केवल उदाहरण दे सकती है। इसका कारण यह है कि गैर–टैरिफ बाधा की प्रकृति उचित रूप से वर्णित नहीं होती है । हालांकि, किसी देश ने गैर–टैरिफ बाधाओं (NTB) की सूची में शामिल करने के लिए तय गैर–टैरिफ बाधाओं की अपनी सूची तैयार की है।

गैर–टैरिफ बाधाओं को मापने के लिए चार तरह के उपाय किए गए हैं:

(a) गैर–टैरिफ बाधाओं का कवरेज अनुपात;

(b) सम्पूर्ण टैरिफ;

(c) निर्माता–सब्सिडी समकक्ष और

(d) उपभोक्ता–सब्सिडी समकक्ष

NTB कवरेज अनुपात = NTB के अधीन आयात का मूल्य / कुल आयात

गैर–टैरिफ बाधा कवरेज अनुपात का उदाहरण: देश । आयात करता हैं वस्तु X का जिसका मूल्य है ₹100 करोड़. वस्तु X आयात कोटा द्वारा सीमित किया गया है . वस्तु X के लिए अधिकतम आयात कोटा ₹100 करोड़ हैं । देश A₹300 करोड़ के एक अन्य वस्तु Y का भी आयात करता हैं । वस्तु Y के आयात के लिए गैर–टैरिफ बाधा नहीं हैं। कुल आयात, इस प्रकार,₹400 करोड़ की राशि हो जाती हैं. गैर–टैरिफ बाधा कवरेज अनुपात की गणना करें।

उत्तररू देश । का गैर टैरिफ बाधा कवरेज अनुपात = ₹100 /₹400 = 0.25

सम्पूर्ण शुल्क, टैरिफ और कोटा के बीच समानता का उपयोग करता है । टैरिफ दर निर्धारित की जाती है जिससे कि व्यापार पर पड़ने वाला प्रभाव कोटा या गैर टैरिफ बाधा के व्यापार के प्रभाव के बराबर हो । यह टैरिफ दर अप्रत्यक्ष टैरिफ है जिसे शुल्क–रहित बाधाओं के माप के रूप में लिया जाता है।

निर्माता–सब्सिडी समकक्ष (पीएसई) में अंतर के उपाय (a) टैरिफ और गैर टैरिफ बाधा के साथ उत्पादकों की आय और (b) आय उत्पादकों को टैरिफ नहीं मिलेगा और कोई गैर टैरिफ बाधा नहीं होगा । यह अंतर बाधाओं के बिना, आय का प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

उदाहरणरू यदि उत्पादकों कोटा के साथ 10 करोड़ रुपये कमाते हैं और अगर वे मुफ्त व्यापार (कोटा का कोई बाधा नहीं) के तहत ₹5 करोड़ कमाते हैं, तो निर्माता अनुदान समतुल्य (पीएसएफ) = (₹10 करोड़ –₹5 करोड़) /₹5 करोड़ = 1 या 100%

आम तौर पर, कई देशों में कृषि उत्पादों के लिए पीएसई का आकलन किया जाता है।

उपभोक्ता–सब्सिडी समकक्ष (सीएसई): आयात कोटा के कारण, उपभोक्ता को सीमित मात्रा में उपलब्ध के लिए अधिक मूल्य का भुगतान करने की संभावना होती है। चूंकि उपभोक्ताओं को कोटा प्रणाली के बिना भुगतान किए जाने वाले मूल्यों की तुलना में कोटा सिस्टम के तहत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए उन्हें नकारात्मक अनुदान मिलती है। उच्च मूल्यों का भुगतान नकारात्मक अनुदान में होता है।

उदाहरण: निम्न जानकारी की सहायता से उपभोक्ता–अनुदान (सब्सिडी) की गणना करें:

एक वस्तु X के लिए आयात कोटा है। X की खरीद के लिए उपभोक्ताओं ने ₹10 करोड़ का भुगतान किया है। अगर X के लिए कोई कोटा नहीं था, तो उपभोक्ताओं को₹7 करोड़ में X मिल जाता

समाधान: कोटा का उपभोक्ता – सब्सिडी समतुल्य (सीएसई) = (₹7 करोड़ –₹10 करोड़) /₹7 करोड़ = –₹3 करोड़ /₹7 करोड़ = –0428 या –42.8 प्रतिशत . नकारात्मक संकेत इसलिए है क्योंकि उपभोक्ताओं को कोटा बाधा के कारण अधिक कीमतें देना पड़ता है।

एक उद्योग के लिए, एनटीबी (गैर–टैरिफ बाधाएं) उत्पादकों और उपभोक्ताओं को विपरीत तरीकों से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, उपर्युक्त स्थिति = (₹10 करोड़– 7 करोड़) /₹7 करोड़ = ₹3 करोड़ / 7 करोड़ = 0.428 या 42.8% के लिए पीएसई । यह उत्पादकों के लिए सकारात्मक सब्सिडी है।

5.5 सारांश

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले टैरिफ, कोटा और अन्य उपाय देश के वाणिज्यिक नीति के साधन होते हैं। वे व्यापार के लिए बाधाएं हैं. वे व्यापार प्रतिबंध हैं । ऐसे प्रतिबंधों के लिए आर्थिक तर्कसंगतता बेरोजगारी, शिशु उद्योग के लिए सुरक्षा, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण, और अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध हैं । ऐसे प्रतिबंधों के लिए कोई भी आर्थिक तर्कसंगतता जैसे गैर–मित्र देशों के साथ व्यापार की रोकथाम, राष्ट्रीय पहचान का संरक्षण, आवश्यक उद्योगों की सुरक्षा और इस तरह की अन्य।

व्यापार अवरोध मात्रा (उत्पादन और उपभोग), मूल्य और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। टैरिफ, अनुदान, मनमाने तरीके से सीमा शुल्क मूल्यांकन विधिया और विशेष शुल्क सीधे कीमत को प्रभावित करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मात्रा को प्रभावित करते हैं। कोटा, VER, 'स्थानीय मुद्रा खरीद', मनमाना मानकों, लाइसेंसिंग व्यवस्था, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, प्रशासनिक देरी, और श्बदले में वस्तु लेनाश की आवश्यकताएं सीधे मात्रा को प्रभावित करती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कीमत को प्रभावित करती हैं।

5.6 शब्दवाली

टैरिफः आयात पर लगाए गए कर (टैक्स) को टैरिफ कहा जाता है ।

यौगिक टैरिफ (ड्यूटी)ः यदि एक सरकार एक ही उत्पाद पर एक विशेष शुल्क और एक मूल्यानुसार शुल्क दोनों लागू करती है, तो दोनों प्रकार के शुल्कों का संयोजन होता है।

5.7 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरें

1. एक राष्ट्रीय सीमा या एक आधिकारिक सीमा पार करने पर .... लगाया जाता है।
2. जब प्रति यूनिट आधार पर टैरिफ लगाया जाता है, इसे एक ....कहा जाता है।
3. ....एक टैरिफ है जिसे वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने और प्रतिबंधित करने के लिए लगाया जाता है।
4. सरकार द्वारा किसी संगठन या फर्म को भुगतान किया हुआ वह पैसा जिससे माल बनाने या सेवाओं को देने की लागत में कमी हो जाती है ....कहलाती हैं ।

5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.	टैरिफ	2.	विशिष्ट ड्यूटी (शुल्क)
3.	निषेधात्मक टैरिफ / शुल्क	4.	अनुदान

5.9 स्वपरख प्रश्न

प्रश्न (लघु उत्तर)

1. औसत टैरिफ क्या है?
2. यथामूल्य शुल्क (एड वोरोरम टैरिफ) क्या है?
3. 'सब्सिडी'(अनुदान) को परिभाषित करें ।
4. 'विशिष्ट शुल्क' क्या है?
5. 'भारित – औसत शुल्क दर' क्या है?
6. 'निर्यात कोटा' क्या है?
7. 'स्थानीय सामग्री की आवश्यकता' क्या है?

प्रश्न (दीर्घ उत्तरीय)

1. पाटन (डंपिंग) से आपका क्या तात्पर्य है? पाटन (डंपिंग) की श्रेणियां क्या हैं?
2. 'टैरिफ' क्या है? टैरिफ के कारणों और प्रभावों के बारे में बताएं ।
3. अनुदान (सब्सिडी) के संबंध में आयात करने वाले देशों और निर्यातक देशों के विचारों का वर्णन करें ।
4. 'आयात कोटा और स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध' को उदाहरणों के साथ समझाएं ।

अभ्यास: 1

उत्पादक ₹1,000 प्रति यूनिट की कीमत पर 6,000 इकाइयों को बेचता हैं। अब सरकार 4,000 इकाइयों तक बिक्री की मात्रा पर प्रतिबंध लगाती है। मूल्य पर मात्रा प्रतिबंध का प्रभाव दिखाएं ।

उपाय:

कुल बिक्री = (मूल्य) (मात्रा) = (₹1,000) (6,000)

=₹60,00,000

मात्रा प्रतिबंधों के बाद इस बिक्री स्तर को प्राप्त करने के लिए, उत्पादकों द्वारा मूल्य बढ़ाया जाएगा।

अब, मूल्य = वांछित बिक्री राजस्व / अनुमति के साथ बेचीं जाने वाली इकाइयां

=₹60,00,000 / 4,000 इकाइयों =₹1,500

उत्पादक मात्रा पर प्रतिबंध से प्रतिपूर्ति करने के लिए मूल्य को ₹1,000 प्रति यूनिट सेृ 1500 तक बढ़ाते हैं। मूल्य में यह वृद्धि प्रत्यक्ष मात्रा का प्रभाव है ।

अभ्यास : 2

एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये प्रति यूनिट है और इस कीमत पर, मांग 20,000 इकाइयां हैं । अब, सरकार 25% का टैरिफ लागू करने का फैसला करती है। उत्पादकों के लिए मांग की गई मात्रा और बिक्री से आय पर टैरिफ का प्रभाव दिखाएं, अन्य चीजें यथावत् है ।

अभ्यास : 3

एक वस्तु की मांग ₹600 प्रति यूनिट की कीमत पर 3,000 यूनिट है। सरकार अब 2,000 यूनिट तक किसी वस्तु के आयात को प्रतिबंधित करती है। वस्तु की कीमत पर मात्रा प्रतिबंध के प्रभाव को दिखाएं ।

5.10 सन्दर्भ पुस्तकें

1. सेंटर फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट (CENTAD), नई दिल्ली,विश्व व्यापार संगठन को विस्थापित करना और विकास ।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण, 2010–11, (नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011)
3. जॉन डी. डेनियल, ली एच. राडेबॉघ, और डैनियल पी. सुलिवान, इंटरनेशनल बिजनेस, 10 वें संस्करण (दिल्ली, पियर्सन एजुकेशन, 2004), अध्याय 7 ।
4. बेथ वी. यार्ब्रा और रॉबर्ट एम. यार्ब्रा, द वर्ल्ड इकोनॉमीरू ट्रेड एंड फाइनेंस, 7 वें संस्करण (थॉमसन साउथ–वेस्टर्न, फर्स्ट इंडियन रीप्रिंट, 2007), अध्याय 6 और 7 ।
5. चार्ल्स डब्लूएल हिल और अरुण के जैन, इंटरनेशनल बिजनेस, 6 वें संस्करण (नई दिल्ली. टाटा मैकग्रा–हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, 2009), अध्याय 6 ।

इकाई 6 चालू और पूंजी खाते के घटक और लेखा प्रणाली

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना
6.2 भुगतान संतुलन
6.2.1 मुद्रा अन्तर्वाह और बहिर्वाह के विषय
6.2.2 भुगतान संतुलन (BoP) के घटक
6.2.3 चालू खाते का अर्थ और घटक
6.2.4 चालू खाता की शेष राशि
6.2.5 पूँजी खाते का अर्थ और घटक
6.2.6 भुगतान संतुलन (BoP) की उपयोगिता
6.2.7 चालू खाता और पूँजी खाते के बीच संबंध
6.3 लेखा प्रणालियां
6.4 चालू और पूंजी खाता शब्दावली
6.5 सारांश
6.6 शब्दवाली
6.7 बोध प्रश्न
6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
6.9 स्वपरख प्रश्न
6.10 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- चालू खाते और पूंजी खाते के अर्थ को समझ सकें।
- किसी भुगतान संतुलन (BoP) विवरण में मुद्रा अन्तर्वाह और मुद्रा बहिर्वाह वस्तुओं को समझ सकें।
- चालू खाते के घटकों का विश्लेषण कर सकें।
- पूंजीगत खाते को विकसित करना और चालू खाते एवं पूंजी खाते के बीच संबंध स्थापित कर सकें।
- लेखा प्रणाली को समझाने के लिए जिसका भुगतान संतुलन (BoP) विवरण तैयार कर सकें।

6.1 प्रस्तावना

इस इकाई में, आप भुगतान संतुलन (बीओपी) के दो हिस्से, अर्थात् चालू खाता और पूँजी खाता, और भुगतान संतुलन (बीओपी) की तैयारी में उपयोग की जाने वाली लेखा प्रणाली के बारे में जानेंगे।

6.2 भुगतान संतुलन

चालू खाता और पूँजी खाता भुगतान संतुलन (बीओपी) के तीन घटकों में से दो हैं। भुगतान संतुलन (बीओपी) का तीसरा घटक 'आधिकारिक भंडार खाता' है ।

'भुगतान संतुलन एक लेखा वक्तव्य है जो गृह देश के निवासियों और अन्य सभी देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन–देन का सार प्रस्तुत करता है' (एलन सी, शापिरो, पृष्ठ 127)

'भुगतान संतुलन देश के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का दस्तावेज़ है'। (डेनियल, राडेबॉघ और सुलिवन, पृष्ठ 122)

पॉल ए. सैमुएलसन ने भुगतान संतुलन (बीओपी) को "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी गतिविधियों का संतुलन" या 'अंतरराष्ट्रीय भुगतान का संतुलन' बताया (पृष्ठ 631)। सैमुअलसन के अनुसार, भुगतान संतुलन (बीओपी) विवरण की व्याख्या: आने वाला (घरेलु राष्ट्र में) एवं बाहर जाने वाला (घरेलु राष्ट्र से अन्य देशों में) निम्नलिखित हैं:

- सभी पूंजी ऋणों का मूल्य　　सभी वस्तुओं का मूल्य (या "10 Us (यूज़)")
- सभी सोने का मूल्य　　सभी उपहारों का मूल्य और विदेशी मदद

उपरोक्त सभी लेन–देन आर्थिक/व्यावसायिक लेनदेन हैं जो दो देशों के बीच हुए हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन हैं । इन लेनदेन के कुछ उदाहरण हैंः

1. संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ फर्मों को सामान निर्यात करने वाली भारतीय व्यापारिक कंपनियां
2. ग्रेटब्रिटेन (यूके) में माल के परिवहन प्रदान करने वाली भारतीय व्यापारिक कंपनिया
3. अमेरिकी फर्मों को संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय व्यापारिक कंपनियों द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति में आवास प्रदान करना और इस सेवा के लिए किराए पर चार्ज करना।
4. भारतीय कंपनियां इटली के कॉर्पोरेट संगठनों के ऋण–पत्र / प्रतिज्ञा पत्र खरीदने और रुचि पाने में।
5. दक्षिण अफ्रीका में विनिर्माण संयंत्र खरीदने वाली भारतीय कंपनियां ।

6.2.1 मुद्रा अन्तर्वाह और बहिर्वाह के विषय

इन सभी उदाहरणों में, मुद्रा अन्तर्वाह और बहिर्वाह हैं। भुगतान संतुलन (BoP) विवरण में, मुद्रा के सभी प्रवाह जमा (क्रेडिट) के रूप में दर्ज किए जाते हैं और प्लस चिह्न (+) के साथ दिखाए जाते हैं; मुद्रा के सभी बहिर्वाह उधार (डेबिट) हैं और एक शून्य चिह्न (–) के साथ दिखाया गया है। निम्नलिखित विवरण 'उधार (डेबिट)' वस्तुओं की सूची और 'जमा (क्रेडिट), भुगतान संतुलन (बीओपी) के विषय प्रस्तुत करते हैं:

विवरण I: घरेलू देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) विवरण में मुद्रा अन्तर्वाह के विषय मुद्रा अन्तर्वाह आकलित किया गया हैं (+)

मद (आइटम्स)	जमा (क्रेडिट) (+)
1. माल का निर्यात	(+)
2. विदेशियों को सेवाओं की बिक्री	(+)
3. विदेशियों से रुचियां, लाभांश, किराए और रॉयल्टी की प्राप्ति	(+)
4. विदेशियों से उपहार और मदद	

5.	गृह देश/स्वदेश में विदेशियों द्वारा शेयर समूह (पोर्टफोलियो) निवेश।	(+)
6.	गृह देश / स्वदेश में विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	(+)
7.	विदेशियों पर दीर्घकालिक दावें ।	(+)
8.	विदेशियों के लिए दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि	(+)
9.	विदेशियों पर अल्पकालिक दावें ।	(+)
10.	अल्पकालिक देयताओं में वृद्धि	(+)
11.	सोने के आधिकारिक भंडार में कमी	(+)
12.	विदेशी मुद्रा के आधिकारिक भंडार में कमी	(+)
		(+)
		(+)

विवरण II: गृह देश के भुक्तान संतुलन (बीओपी) विवरण में मुद्रा बहिर्वाह के मद मुद्रा बहिर्वाह डेबिट किए जाते हैं

	मद (आइटम्स)	उधार (डेबिट) (–)
1.	सामानों का आयात	(-)
2.	विदेशियों से सेवाओं की खरीद	(-)
3.	विदेशियों को ब्याज, लाभांश, किराए और रॉयल्टी का भुगतान	(-)
4.	विदेशियों को उपहार और अन्य देशों को दिए गए मदद	(-)
5.	एक विदेशी देश में गृह देश के निवासियों द्वारा शेयर समूह (पोर्टफोलियो) निवेश।	(-)
		(-)
6.	विदेशी देशों में गृह देश के निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश।	(-)
7.	विदेशियों पर दीर्घकालिक दावें ।	(-)
8.	विदेशियों के लिए दीर्घावधिक देयताओं में कमी	(-)
9.	विदेशियों के लिए अल्पकालीन दावें	(-)
10.	अल्पकालिक विदेशी देनदारियों में गिरावट।	(-)
11.	सोने के आधिकारिक भंडार में वृद्धि	(-)
12.	विदेशी मुद्रा के आधिकारिक भंडार में वृद्धि	(-)
		(-)

6.2.2 भुगतान संतुलन (बीओपी) के घटक

भुगतान संतुलन विवरण में निम्नलिखित घटक होते हैं:

1. **चालू खाता:** यह खाता माल (मर्चेंडाइज़), सेवाओं और स्थानान्तरण के अन्तर्वाह और बहिर्वाह का अभिलेख प्रस्तुत करता है।
2. **पूंजी खाता:** यह खाता सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के निवेश और उधार गतिविधियों के अभिलेख प्रस्तुत करता है।
3. **सरकारी भंडार खाता:** यह खाता आधिकारिक मौद्रिक संस्थानों द्वारा सोने और विदेशी मुद्रा की जमा पूँजी में हुए परिवर्तनों के अभिलेख को प्रस्तुत करता है ।

6.2.3 चालू खाते का अर्थ और घटक

चालू खाता माल और सेवाओं में व्यापार का अभिलेख है और विदेशी देशों में स्वामित्व वाली संपत्तियों से आय है। किसी भी खाते की तरह, इसके दो पक्ष हैं: क्रेडिट और डेबिट। मुद्रा की अंतर्वाह क्रेडिट में लिखी जाती है और जोड़ (+) के संकेत द्वारा चिह्नित की जाती है। मुद्रा का बहिर्वाह डेबिट में लिखे जाते हैं और घटाव के चिन्ह (–) से चिन्हांकित किए जाते है।

चालू खाते में दर्ज लेनदेन के क्रेडिट (+) पहलू से संबंधित हैं:

1. माल का निर्यात (माल)
2. सेवाओं का निर्यात
3. अंतरराष्ट्रीय निवेश पर प्राप्त मौजूदा आय
4. एकतरफा स्थानान्तरण जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा अंतर्वाह होता है।

चालू खाते में दर्ज लेन–देन के डेबिट (–) पहलू से संबंधित हैं:

1. माल के आयात
2. सेवाओं का आयात
3. अंतरराष्ट्रीय निवेश पर वर्तमान आय का भुगतान
4. एकतरफा हस्तांतरण जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा का बहिर्वाह होता है।

उपर्युक्त लेनदेन के कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. **माल का निर्यात:** उदाहरण के लिए, भारत के निवासी फर्म द्वारा रत्न और आभूषण की बिक्री एक कम्पनी को जो कि अमेरिका की निवासी फर्म है को की गई. देश से माल का निर्यात देश में मुद्रा अंतर्वाह का कारण बनता है। इसलिए, निर्यात क्रेडिट है और जोड़ (+) के चिन्ह से चिह्नित है।

2. **सेवाओं का निर्यात:** इसमें यात्रा, यात्री किराया, किसी भी अन्य परिवहन, राजस्व (रॉयल्टी) और अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) शुल्क, सरकारी सेवाएं, निजी सेवाएं शामिल हैं। भारत से निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख सेवाएं हैं सॉफ्टवेयर सेवाए, यात्रा, परिवहन, गैर–सॉफ्टवेयर सेवाएं जैसे कि व्यावसायिक सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, संचार सेवाएं . सेवाओं के निर्यात का परिणाम विदेशों से मुद्रा का अंतर्वाह है इसलिए, सेवाओं का निर्यात क्रेडिट और जोड़ (+) के चिन्ह द्वारा चिह्नित है।

3. **अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर वर्तमान आय:** इसमें विदेशों में देश के स्वामित्व वाली संपत्ति पर किराए की रसीदें, विदेश में प्रत्यक्ष निवेश पर लाभांश, विदेशों से गृह देश की सरकार को प्राप्तियां, विदेशों में भारतीय स्वामित्व वाली विनिर्माण संयंत्रों पर लाभ, वाराणसी/हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थानों पर जापानी पर्यटकों द्वारा खर्च शामिल है।/समुन्दर पार काम कर रहे भारतीयों से प्रेषण । ये सभी रसीद विदेशों से मुद्रा के प्रवाह हैं और क्रेडिट, जोड़ (+) के चिन्ह द्वारा चिह्नित हैं।

4. **एकतरफा हस्तांतरण प्राप्ति:** इसमें विदेशों में कार्यरत कामगारों (भारतीयों), विदेशी सरकारों से प्राप्त अनुदान और सहायता, विदेशी सरकारों से पेंशन की प्राप्तियां शामिल हैं। एकतरफा हस्तांतरण माल या सेवाओं की बिक्री या खरीद नहीं हैं । भारत में एकतरफा स्थानान्तरण मुद्रा अंतर्वाह होता है और इसलिए, ऋण के जोड़ (+) चिह्न द्वारा चिह्नित किया जाता है।

5. **सामान का आयात:** उदाहरण के लिए, भोजन का आयात या खरीद, खाद्य तेलों और दालों, ईंधन आयात । जैसे की सामान का आयात होता है, आयात के लिए भुगतान भी होता है । मुद्रा का बहिर्वाह, घटाव के चिह्न (–) द्वारा चिह्नित होता है।

6. **सेवाओं का आयात:** उदाहरण के लिए, व्यापार सेवाओं के आयात, यात्रा, परिवहन, बीमा, सॉफ्टवेयर सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, संचार सेवाएं, सरकार ने और कहीं शामिल नहीं किया है, अर्थात् जीएनआईई (GNIE), सरकारी विविध सेवाएं । सेवाओं के आयात में व्यवसाय सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी हैं - सेवाओं के आयात

से मुद्रा का बहिर्वाह होता है - इसलिए, सेवाओं का आयात डेबिट है और इसे घटाव से चिन्हित किया गया है (–)

7. **वर्तमान आय भुगतान:** उदाहरण के लिए, भारत में विदेशी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों पर अंतरराष्ट्रीय निवेशों पर भुगतान, प्रत्यक्ष निवेशों पर भुगतान, अन्य निजी भुगतान, सरकारी भुगतान, विदेशी कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान । ये भुगतान मुद्रा का बहिर्वाह करती है और डेबिट हैं, जो घटाव से चिह्न (–) चिन्हित होती है।

8. **भारत से विदेशों में किए गए एकतरफा हस्तांतरण:** उदाहरण के लिए, भारत से अपने खुद के देशों में विदेशियों के प्रेषण, विदेशों में रहने वाले भारत के पूर्व निवासियों को दिया पेंशन, भारत सरकार द्वारा अन्य देशों के लिए वस्तुओं का उपहार। ये स्थानान्तरण भारत से मुद्रा का बहिर्वाह के कारण है इन्हें, इसलिए, डेबिट, ऋण के चिह्न (–) से चिह्नित किया गया है।

6.2.4 चालू खाता की शेष राशि

एक देश का चालू खाता शेष विश्व के साथ लेनदेन अधिशेष या घाटा दिखा सकता है । एक चालू खाता अधिशेष एक प्रकार से एक व्यक्ति की वर्तमान व्यय से अधिक उसकी वर्तमान आय को प्रदर्शित करता हैं । एक चालू खाता घाटा का मतलब है वर्तमान मुद्रा का बहिर्प्रवाह मौजूदा अन्तर्वाह से अधिक है।

चालू खाते में अधिशेष तब होता है जब जमा (क्रेडिट) > उधार (डेबिट्स) । चालू खाता घाटे में पाया जाता है जब जमा (क्रेडिट्स) < उधार (डेबिट्स). अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन, जिसके परिणामस्वरूप आय प्रवाह (मुद्रा अंतर्वाह) और एक वर्ष (वर्तमान अवधि) के भीतर होने वाले भुगतान प्रवाह (मुद्रा बहिर्वाह) को चालू खाते में दर्ज किया जाता है।

चालू खाते में निम्नलिखित शामिल नहीं किए जाते हैं:

- उधार लेना और उधार देना सम्बन्धी गतिविधियों
- संपत्ति की खरीद और बिक्री (उदाहरण के लिए, विदेश में एक भारतीय कंपनी द्वारा खरीदा गया एक घर)
- पैसे के संतुलन में बदलाव

चालू खाता 'अधिशेष' का इस्तेमाल गृह देश में किया जा सकता है:

- पैसे उधार देना।
- पुराने ऋण का भुगतान करना
- संपत्ति की खरीद
- धन संतुलन में वृद्धि

चालू खाता 'घाटे' के कारणवश देश को उधार लेने, संपत्ति बेचने, धन के संतुलन को कम करने की आवश्यकता हो सकती है। चालू खाता शेष की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:

सभी क्रेडिट (+) ———————————————

घटाएं रू सभी डेबिट (–) ———————————————

चालू खाता शेष ———————————————

चालू खाता शेष निम्नलिखित चरणों में आते हैं:

1. सौदा / मर्चनडाईस (निर्यात और आयात) व्यापार संतुलन
2. अदृश्य संतुलन
3. सामान और सेवाएं संतुलन

व्यापार संतुलन निर्यात और आयात में परिवर्तन दर्शाता है । अदृश्य संतुलन सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गैर–निवासियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़े आय, श्रम, संपत्ति और सीमावर्ती स्थानांतरण, मुख्य रूप से श्रमिकों के प्रेषण से संबंधित लेनदेन के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है।

अदृश्य लेनदेन को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(A) सेवाएं: यात्रा, परिवहन, बीमा, सरकार कहीं और शामिल नहीं हैं (जीएनआईई) और विविध (जैसे संचार, निर्माण, वित्तीय, सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी, प्रबंधन और व्यावसायिक सेवाओं);

(B) आय और

(C) स्थानान्तरण (अनुदान, उपहार, प्रेषण, इत्यादि) जो कि किसी भी तरह के रिवर्स (वापसी या समतुल्य में कुछ) नहीं है।

उदाहरण के तौर पर, तालिका 1 में भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) के चालू खाते का सारांश दिया गया है:

सारणी 6.1 :भारत का भुगतान संतुलन : चालू खाता (अरब / बिलियन में यूएस डॉलर लगभग)

क्रं. संख्या	सूची	वर्ष	
		2008-09	2009-10 (*PR)
1	निर्यात	+ 189	182
2	आयात व्यापार संतुलन (निर्यात–आयात)	-309 -120	301 -119
3	अदृश्य (शुद्ध)रू (A) + (B) + (C) (A) गैर–कारक सेवाएं (B) आय (C) स्थानांतरण	+92 54 -07 45	80 36 -08 52
4	सामान और सेवाएं संतुलन = (व्यापार संतुलन) + (गैर–कारक सेवाएं)	-66	-83
5	चालू खाता शेष= (व्यापार संतुलन) + (अदृश्य)	-28	-39

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2010–11, भारत सरकार पी .377 (यह आरबीआई आंकड़े पर आधारित है)

*PR = आंशिक रूप से संशोधित

6.2.5 पूंजी खाते का अर्थ और अवयव / घटक

"पूंजी खाता अंतरराष्ट्रीय उधार और ऋण एवं खरीद और संपत्ति की बिक्री रिकॉर्ड करता है" (याब्रों और याब्रों, द वर्ल्ड इकोनॉमी, पी, 413)। यह पूंजी प्रवाह को दर्शाता है । यह एक देश में पूंजी अंतर्वाह और उस देश से पूंजी के बहिर्वाह को दिखाता है। कुछ सरकारों की रिपोर्ट में, पूँजी खाते का पूरा नाम 'पूँजी एवं वित्तीय खाता' है।

पूंजी बहिर्वाह: दो देशों के बीच निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन के कारण एक देश से दूसरे देश में पूंजी का बहिर्वाह होता है:

1. विदेशी संपत्तियों की खरीद (परिसंपत्तियों के लिए शीर्षक का आयात)
2. विदेशी उधारकर्ताओं को ऋण।

किसी देश के निवासी द्वारा किसी विदेशी संपत्ति की खरीद के परिणामस्वरूप उस देश के पूंजी में बहिर्वाह होता है। इसी प्रकार, किसी देश के निवासी द्वारा किसी विदेशी देश के उधारकर्ता (गैर–निवासी) को ऋण देने के परिणामस्वरूप ऋणदाता के देश से पूंजी बहिर्वाह होता है ।

पूँजी बहिर्वाह पूँजी खाते में डेबिट किया जाता हैं । पूंजी खाते में डेबिट को समझना आसान है । आपको यह सोचना होगा कि जब भारत की निजी व्यावसायिक कंपनियों या भारतीय सरकारी एजेंसी द्वारा विदेशी संपत्ति खरीदी जाती है, तब भारत कुछ परिसंपत्तियों का आयात कर रहा है। आयात के लिए लेखांकन का सामान्य नियम 'जो अंदर आए डेबिट करो' है । वास्तविक खाते के मामले में यह नियम लागू होता है। संपत्ति का आयात वास्तविक खाते से संबंधित है। जब संपत्ति का आयात होता है, संपत्ति आती है और पूँजी बाहर जाती है, अर्थात् पूंजी बहिर्वाह होता हैं ।

जब भारतीय कंपनियां, व्यक्ति या कंपनियां या सरकार विदेशी पार्टियों को उधार देते हैं, तो उन्हें 10Us (यूज) मिलते हैं। 10U (यू) एक लिखित वादा होता है जिससे कि भविष्य की तारीख को लेखक बकाया धनराशी को भविष्य में किसी को देने का वचन देता हैं । यह लिखने का एक तरीका है 'मैं आपका ऋणी हूँ'. इस प्रकार 10 यूस का आयात होता है . भारतीय पक्षों से उधार लेने वाले विदेशी पार्टियों को व्यक्तिगत खाते के रूप में माना जाता है। व्यक्तिगत खाते से संबंधित लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए सामान्य लेखा नियम 'प्राप्तकर्ता को डेबिट' है । किसी विदेशी देश के उधारकर्ता को भारत से पूंजी का बहिर्वाह करने का मतलब है कि उधारकर्ता एक प्राप्तकर्ता है . इस प्रकार उधार देने के लिए (भारत से पूंजी बहिर्वाह), प्राप्तकर्ता है . प्राप्तकर्ता डेबिट किया जाता है

खरीदी गई संपत्ति विदेशी देशों की कंपनियों के बॉन्ड/डिबेंचरों/शेयरों के रूप में हो सकती है या भारत के किसी निवासी द्वारा विदेश में खरीदा गया घर हो सकता है। भारत से पूंजी बहिर्वाह विदेशी संपत्तियों के स्वामित्व में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है । विदेशों में दलों के लिए उधार देने के जरिए भारत से पूंजी का बहिर्वाह के परिणामस्वरूप विदेशियों के खिलाफ वित्तीय दावों का निर्माण होता है। पूंजी खाते में डेबिट होने वाले पूँजी बहिर्वाह के उदाहरण हैं:

1. भारत से विदेशी निवेश जिसका मतलब है कि किसी दूसरे देश में संपत्ति का प्रत्यक्ष या शेयर समूह (पोर्टफोलियो) स्वामित्व है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

(एफडीआई) एक निवेश है जो भारतीय निवेशक को एक विदेशी कंपनी में एक नियंत्रण (प्रबंध) के हित देता है।

2. शेयर समूह (पोर्टफोलियो) निवेश या तो कर्ज या सामान्य शेयर (इक्विटी) के रूप में एक निवेश है जो भारतीय निवेशक को किसी भी कंपनी में एक नियंत्रित हित या विदेशी देश से संबंधित उद्यम नहीं देता है।

कुछ अन्य उदाहरण:

1. आदित्य बिड़ला ग्रुप के हिंडाल्को का निवेश, जो भारत के बाहर अपनी संपत्ति का 61% है।
2. एसबीआई द्वारा अपने विदेशी विस्तार के लिए अमेरिका और यूरोप में बैंकों से संपत्ति की खरीद करना ।
3. भारत स्थित रैनबॉक्सी लेबोरेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा ऑटो आधारित इंजेक्टरों के लिए यूएस आधारित सनेटिक के पेटेंट, ट्रेडमार्क और स्वचालित विनिर्माण उपकरण की खरीद।
4. टाटा मोटर द्वारा कोरिया में देवू (Daewoo) वाणिज्यिक वाहन का खरीदना
5. चीन में महिंद्रा एंड महिंद्रा के संयुक्त काश्तकार, एक जियांलिंग और युएदा यानचेंग के साथ ट्रैक्टरों के उत्पादन में।

पूँजी अंतर्वाह: दो देशों के बीच लेनदेन के निम्नलिखित प्रकार के कारण दूसरे देशों से घरेलू देश (भारत) में पूंजी अंतर्वाह होता है।

1. विदेशियों को संपत्ति की बिक्री
2. विदेशी उधारदाताओं से उधार लेना।

पूँजी खाते में पूँजी अंतर्वाह क्रेडिट होता हैं

कुछ उदाहरणः

1. एक जापानी फर्म द्वारा भारतीय स्थिर संपत्ति (रियल एस्टेट) की खरीद।
2. सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
3. एबीबी– एक स्विस–स्वीडिश कंपनी द्वारा एबीबी इंडिया में निवेश
4. दक्षिण कोरियाई इस्पात निर्माता पोस्को के जस्ती इस्पात शीट संयंत्र के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निवेश।

निम्नलिखित तालिका में भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) के पूंजी खाता का संक्षेप प्रस्तुत किया गया हैरू

तालिका 6.2 :भुगतान संतुलन: पूंजी खाता (यूएस डॉलर, अरब में, लगभग)

क्रं. संख्या	विषय	वर्ष	
		2008-09	**2009-10 (PR)***
1	बाहरी सहायता	02	03
2	बाहरी वाणिज्यिक उधार (शुद्ध)	08	03
3	अल्पावधि ऋण	02-	08
4	बैंकिंग पूँजी (शुद्ध)	03-	02
5	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / एफडीआई (शुद्ध)	20	19
6	पोर्टफोलियो (शुद्ध)	14-	32
7	अन्य प्रवाह (शुद्ध) ʼʼ	04-	13-

	पूँजी खाते का शेष	07	54

स्रोतरू आर्थिक सर्वेक्षण 2010–11, पी। 137 (आरबीआई आंकड़ो पर आधारित)

*PR (पीआर) आंशिक रूप से संशोधित

**अन्य प्रवाहों में, दूसरों के बीच में, निर्यात प्राप्तियां में देरी और रुपया ऋण सेवा

पूंजी खाता शेष राशि शुद्ध पूंजी प्रवाह है । उदाहरण के लिए, 2009–10 में, सकल पूंजी अंतर्वाह + 345.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था, और सकल पूंजी बहिर्प्रवाह + 292.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था। नतीजतन, शुद्ध पूंजी प्रवाह 53.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था (तालिका 2 में अनुमानित 54 बिलियन)।

2009–10 में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का अंतर्वाह 33.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा . प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बहिर्प्रवाह 14.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. नतीजतन, शुद्ध एफडीआई (आते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जाता हुआ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटाकर) 18.8 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जो तालिका 2 में अनुमानित 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

आधिकारिक भंडार खाता: आरक्षित भंडार भुगतान संतुलन (बीओपी) का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। एक आधिकारिक बाह्य स्थिति का विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिसमें खाते के अधिकारियों के भंडार को लेना चाहिए। ये भंडार शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए)
- सोना
- विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर)
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में आरक्षित किश्त की स्थिति (आरटीपी)

अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन जैसे प्रमुख मुद्राओं में विदेशी मुद्रा संपत्तियां (एफसीए) बनाए रखी जाती हैं। सुविधा के लिए, आरक्षित निधि को अमरीकी डॉलर में निरूपित और व्यक्त किया जाता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए, आरबीआई दो उद्देश्यों, जैसे सुरक्षा और तरलता, द्वारा निर्देशित है।

विदेशी विनिमय में विदेशी मुद्रा नोट्स (उदाहरण के लिए, + 10) या विदेशी मुद्रा में यात्री चेक या विदेशी बैंक में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट या विदेशी मुद्रा में लिखे गए विदेशियों पर अल्पकालिक दावों में शामिल होता है।

तालिका 3 :कुल शेष राशि का सारांश (चालू खाता शेष, पूंजी खाता संतुलन और त्रुटियों और चूक) और भंडार दिखाता है।

तालिका 3 :भुगतान संतुलन: सम्पूर्ण शेष का सारांश, और संचय (यूएस + अरब में, लगभग(

क्रं. संख्या	विषय	वर्ष	
		2008-09	2009-10
1 2	चालू खाता शेष पूँजी खाता शेष	28-	39-

3 4 5	=ुटि और चूक समग्र संतुलन भंडार बढ़ना (–) घटाएं (+)	07 01 20- 20	54 02- 13 13-

स्रोतरू आर्थिक सर्वेक्षण 2010–11, पी। 137

6.2.6 भुगतान संतुलन की उपयोगिता

सभी भुगतान संतुलन (बीओपी) लेनदेन में दोहरी पहलू होती हैं। व्यापारिक व्यापार में अधिशेष भुगतान संतुलन के कुछ अन्य घटकों में घाटे से समायोजित हो सकता है, उदाहरण के लिए, निवेश आय में कमी । भुगतान संतुलन के निम्नलिखित उपयोग हैं:

1. भुगतान संतुलन (बीओपी) देश की आर्थिक स्थिरता का एक व्यापक सूचक है, विशेष रूप से विश्व बाजार में वित्तीय स्थिरता।

माल व्यापार में कमी का अर्थ है कि देश के उपभोक्ता अन्य देशों से अधिक खरीदने के लिए अपनी मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। इसका आशय है कि दूसरे देशों में देश की मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है । इससे देश की मुद्रा के मूल्य में मूल्यह्रास हो सकती है

2. किसी देश के व्यवसाय फर्म के प्रबंधक दूसरे देश में व्यवसाय करने या न करने का निर्णय लेने में भुगतान संतुलन (बीओपी) आंकड़ो का उपयोग करते हैं। मुद्रा अस्थिरता को ठीक करने के लिए कारक या असंतुलन सुधारने के लिए सरकारी कार्य, अपने अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लिए एक फर्म की रणनीति तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। उदाहरण के लिए, एक व्यापार घाटा को निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है । कंपनियों को अधिक निर्यात करने के लिए प्रेरित करने हेतु, देश की सरकार निर्यातकों को प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान कर सकती है।

3. किसी देश की मौद्रिक नीति भुगतान संतुलन (बीओपी) के ब्योरे को ध्यान में रखती है। चालू खाता घाटा वाले एक देश अल्पकालिक पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा, देश चालू खाता घाटे (सीएडी) को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित कर सकता है।

6.2.7 चालू खाता और पूँजी खाता के बीच संबंध

निम्नलिखित तर्क चालू खाते और पूंजी खाते के बीच के सम्बन्ध को इंगित करते हैं:

1. शुद्ध पूंजी बहिर्वाह चालू खाते पर शेष के बराबर होना चाहिए। अन्य देशों को निर्यात करके किसी देश द्वारा अर्जित किसी भी विदेशी मुद्रा या तो विदेशों के खिलाफ दावों के लिए आयात पर आदान–प्रदान पर खर्च किया जाता है (आईओयूएस / IOUs)। एक देश का पूंजी बहिर्वाह IOUs की शुद्ध राशि के बराबर होता है

2. किसी देश के चालू खाते में अधिशेष का आशय है कि देश पूंजी का शुद्ध निर्यातक है। इसी तरह, देश के चालू खाते में घाटे का आशय है कि देश शुद्ध पूंजी आयातक है।

माल और सेवा में व्यापार का एक उदाहरण की सहायता से इसे समझाया जा सकता है । मान लीजिए कि भारत और जापान वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार में शामिल हैं । दोनों देश निर्यात और आयात कर रहे हैं । यदि भारत का जापान के साथ व्यापार घाटा हैं, तो इसका मतलब है कि भारत द्वारा जापान को किए गए निर्यात से अधिक वों जापान से सामान और सेवाएं खरीद रहा है। इसका यह भी मतलब है कि भारत जितना जापान में निवेश कर रहा है, जापान भारत में उससे अधिक निवेश कर रहा है। इस प्रकार भारत और जापान के बीच, चालू खाते में कोई भी कमी पूंजी खाते में अधिशेष के बराबर है। इस प्रकार निम्नलिखित समीकरण सही हैं:

शुद्ध विदेशी निवेश = निर्यात – आयात

6.3 लेखा प्रणालियां

भुगतान संतुलन निधि के श्रोत एवं उपयोग का एक विवरण होता हैं । यहां निधि से तात्पर्य विदेशी मुद्राओं से है । एक लेखा वर्ष (एक देश के लिए वित्तीय वर्ष) के लिए, सभी स्रोतों का जोड़ , विदेशी मुद्रा के सभी उपयोगों के जोड़ के बराबर होता है।

निधि के स्रोतों और उपयोग का विवरण, किसी देश और बाकी दुनिया के बीच खरीद, बिक्री, भुगतान और रसीदों का प्रवाह के अभिलेख रखते हैं । ये सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन वास्तविक संपत्ति और वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित हैं।

असली संपत्ति माल, सभी प्रकार के अन्य भौतिक संपत्ति और सेवाए होती हैं । वित्तीय परिसंपत्तियां वित्तीय दावों जैसे शेयर, डिबेंचर, बांड, अन्य वित्तीय पत्र (विनिमय विपत्र, आईओयूएस / IOŬ) या किसी अन्य वित्तीय साधनों की तरह होते हैं

सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में दो खाते शामिल होते हैं । व्यापार लेनदेन के लिए लेखांकन प्रविष्टियां इन दोनों खातों में एक साथ किए जाते हैं। एक लेनदेन में (a) एक चालू खाते और एक पूंजी खाते, (b) दो चालू खाते या (c) दो पूंजी खातों के संयोजन शामिल हो सकते हैं।

संयोजन के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. एक भारतीय फर्म अमेरिका की फर्म को सामान निर्यात करता है। इस निर्यात के लिए बीजक (इनवॉइस) यूएस + में है

इस लेन–देन के दो पहलू व्यापारिक निर्यात और विदेशी मुद्रा दावे हैं।

व्यापारिक निर्यात (मर्चैंडाइज निर्यात) चालू खाते का एक आइटम है और चालू खाते में दर्ज किया जाएगा। विदेशी मुद्रा दावे पूँजी खाते का एक आइटम है और इसे पूँजी खाते में लिखा जाएगा।

2. एक भारतीय कंपनी विदेशी फर्म से खाद्य तेलों का आयात करता हैं और बदले में आयात की कीमत के बराबर के तैयार वस्त्रों को निर्यात करता है।

इस सौदे में माल आयात (खाद्य तेल) और व्यापारिक निर्यात (तैयार कपडें) शामिल हैं। दोनों व्यापारिक आयात और व्यापारिक निर्यात चालू खाते के विषय हैं और दोनों को चालू खाता में दर्ज किया जाएगा।

3. बैंक ऑफ इंडिया ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा जारी किए गए बांड खरीदता है और ग्रेट ब्रिटेन के एक बैंक में अपने खाते से पाउंड (£) में इस खरीद के लिए भुगतान करता है।

बैंक में बांड और जमा, दोनों ही वित्तीय संपत्ति हैं। वित्तीय संपत्तियां पूँजी खाते के विषय होते हैं . बांड की खरीद और ग्रेट ब्रिटेन के बैंक में खाते से भुगतान दोनों पूँजी खाते में दर्ज किए जाएंगे।

4. भारत सरकार ने लीबिया की सरकार को चिकित्सा आपूर्ति सौंपी है, जो कि + में मूल्यवान है। चिकित्सा आपूर्ति व्यापारिक निर्यात की तरह है और उपहार का मूल्य भारत से लीबिया में स्थानांतरण है। यह स्थानांतरण एक एकतरफा हस्तांतरण है । इसे "अनबिलाषित स्थानांतरण" कहा जाता है । अनबिलाषित हस्तांतरण प्रेम और दया के भाव से बाहर होता है । लाभों का कोई आदान–प्रदान मौद्रिक शर्तें में नहीं होता है । दोनों निर्यात (औसत दर्जे की आपूर्ति का उपहार) और अनबिलाषित हस्तांतरण चालू खाते के विषय हैं। दोनों को चालू खाते में दर्ज किया जाएगा।

5. दक्षिण अफ्रीका के एक 'धर्मशाला' (एक अस्थायी आवास) को एक भारतीय कंपनी ने 1 करोड़ रुपये की राशि उपहार में दी । यह उपहार भारत के एक बैंक में 'धर्मशाला' के खाते में जमा किया गया है। इस सौदे के कारण, भारत की विदेशी देनदारियों में वृद्धि हुई है। उपहार एकतरफा अनबिलाषित हस्तांतरण है और यह चालू खाता का एक विषय है। इससे भारत की देनदारी एक विदेशी धर्मशाला में बढ़ गई है। इसलिए, यह पूँजी खाते का एक विषय भी है। इस उपहार (दान) को चालू खाता और पूँजी खाता दोनों में दर्ज किया जाएगा।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लेखांकन के सामान्य नियमों के बाद, किसी देश के लिए भुगतान संतुलन को तैयार किया जाता है। भुगतान संतुलन के लिए लेखांकन अनिवार्य रूप से एक दोहरी प्रविष्टि बहीखाता हैं । प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन का प्रभाव उसी राशि से दो बार दर्ज किया जाता है; एक बार डेबिट पक्ष में और दूसरी बार, संबंधित खातों में 'क्रेडिट तरफ' ('चालू खाते के दोनों किनारों या पूंजी खाते के दोनों किनारों या चालू खाते के एक तरफ और पूंजी खाते की दूसरी तरफ)

लेन–देन की प्रविष्टि या सुरक्षित विवरण एक दो–चरण प्रक्रिया है:

चरण 1. खातों का निर्धारण: चालू या पूंजी या दोनों खातें

चरण 2. खाते का किनारा निर्धारित करना: 'डेबिट' या 'क्रेडिट'

चरण 1 के लिए, चालू खाता और पूँजी खाते की मदों की सूची सहायक होते हैं।

चरण 2 :देश के विदेशी विनिमय (विदेशी मुद्रा) की मांग करने वाला एक लेन–देन 'डेबिट' होता है और लेन–देन में विदेशी विनिमय की आपूर्ति करने वाला लेन–देन संबंधित खातों में 'क्रेडिट' होता है। दूसरे शब्दों में, देश से विदेशी मुद्रा का 'बहिर्वाह' डेबिट है, और देश में विदेशी मुद्रा का 'अंतर्वाह' 'क्रेडिट' होता है।

लेनदेन के प्रभाव दर्ज करते समय निम्नलिखित लेखांकन समीकरण का पालन किया जाता है:

डेबिट = क्रेडिट

संपत्ति = देनदारियों
डेबिट, घटाव के चिह्न द्वारा इंगित किया जाता है, अर्थात् (–)
संपत्ति में वृद्धि
देनदारियों में कमी
क्रेडिट, जोड़ संकेत चिह्न द्वारा चिन्हित हैं, अर्थात् (+)
संपत्तियों में कमी
देनदारियों में वृद्धि

उदाहरण:

वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन निम्नलिखित हैं:

1. भारत कोरिया से 1,000 डॉलर मूल्य के माल का आयात करता है
2. भारत 2,000 डॉलर मूल्य के सामान लिबिया में निर्यात करता है
3. भारत अमरीका से 10,000 डॉलर मूल्य के रसायनों के बदले, अमरीका को 10,000 डॉलर के रत्न और आभूषणों का निर्यात करता है।
4. एक भारतीय बैंक हांगकांग की सरकार द्वारा जारी किए गए बांडों को 20,000 डॉलर में खरीदता हैं , और एक चेक ज़ारी करता हैं अपने हांगकांग के संवाददाता बैंक के पास जिसमे उसका खाता हैं।
5. भारत ने इंडोनेशिया के लोगों के लिए 30,000 डॉलर मूल्य की कंबल और तैयार कपड़ों का उपहार दिया।
6. ब्रिटेन के एक निवासी ने झारखंड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक गैर सरकारी संगठन को उपयोग के लिए 10,000 डॉलर का उपहार दिया।
7. एक जापानी कंपनी ने ऑटोमोबाइल पाट्र्स बनाने हेतु अपने कारखाने के निर्माण के लिए यू.पी. में भूमि का एक टुकड़ा खरीदा - संपत्ति का मूल्य 10,00,000 अमेरिकी डॉलर था।
8. एक भारतीय कंपनी ने सिंगापुर के एक निर्माता से अहमदाबाद में अपने संयंत्र के लिए एक मशीन 50,000 डॉलर में खरीदी।

अपेक्षित:

भारत के भुगतान संतुलन खातों के शेष के लिए प्रविष्टियां लिखें ।

उपाय:

दोहरी लेखा बहीखाता रखने का अनुप्रयोग इस प्रकार वर्णित है।

किसी व्यवसाय इकाई के खाते की पुस्तकों की प्रविष्टियों के लिए, खाते को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता। इस लेनदेन में, वास्तविक खाता (मर्केंडाइज का आयात) और व्यक्तिगत खाता (निर्यातक) इसमें शामिल हैं। व्यक्तिगत खाते को रिकॉर्ड करने का नियम 'प्रप्त्कार्ता को डेबिट और दाता को क्रेडिट' है । वास्तविक खाते को दर्ज करने का नियम 'डेबिट क्या आता है और क्रेडिट जो बाहर निकलता है'
प्रविष्टियां और वस्तुओं की प्रकृति के सामान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्रविष्टियां चालू खाते और पूँजी खाते में दर्ज की जाएंगी।

लेनदेन (a)

भारत द्वारा कोरिया से माल का आयात चालू खाता का एक मद है। आयात में वास्तविक या संभावित (संभवतः होने या होने वाला) विदेशी विनिमय का भुगतान शामिल होता है. जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, यह एक दायित्व है । एक देयता 'पूँजी खाता' के एक मद है।. चालू खाता और पूँजी खाते में प्रविष्टियां नीचे दी गई हैं।

चालू खाता		
	डेबिट (-)	**क्रेडिट (+)**
मर्केंडाइज का आयात	10,000	

पूँजी खाता		
	डेबिट	**क्रेडिट**
अल्पकालिक देनदारियों में वृद्धि (क्रेडिट करें निर्यातक को या आयातक के बदले निर्यातक को भुगतान करने वाली विदेशी बैंक को)		10,000

बहीखाता रखने के सामान्य नियमों के अनुसार, जर्नल और लेजर के माध्यम से लेनदेन लेने के द्वारा और स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है।

जर्नल		
खरीदते समय (आयात)	**डेबिट ($)**	**क्रेडिट ($)**
खरीद A/C (माल का आयात) ज्व विक्रेता A/C (निर्यातक A/C) (मर्चेंडाइज एक वास्तविक खाता है और यह आ रहा है। इसलिए, मर्चेंडाइज A/C की खरीद 'डेबिट' होगी; विक्रेता या निर्यातक एक व्यक्तिगत A/C है . विक्रेता दाता है । इसलिए, विक्रेता A/C 'क्रेडिट' होगा)	10,000	10,000
भुगतान के समय		
विक्रेता A/C (निर्यातक A/C) To विदेशी बैंक A/C (निर्यातक देश में आयातक का संवाददाता बैंक खाता) इस प्रविष्टि से आयातक देश के विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह दिखाई देता है। विक्रेता खाता और बैंक खाता दोनों ही व्यक्तिगत खाते हैं। प्राप्तकर्ता को डेबिट और दाता को क्रेडिट करें का नियम लागू होता हैं।	10,000	10,000

लेजर (जर्नल प्रविष्टियों को दर्ज करने के लिए)

डेबिट खरीद A/C (आयात A/C)

क्रेडिट

	राशि)$(		**राशि) $(**
To, विक्रेता A/C (निर्यातक A/C)	10,000	By बैलेंस c/d	10,000
To बैलेंस b/f	10,000		

डेबिट विक्रेता (निर्यातक) A/C

क्रेडिट

	राशि) $(		**राशि)$(**
,Toविदेशी बैंक A/C	10,000	By खरीदारी A/C)आयात A/C(	10,000

	10,000		10,000

डेबिट विदेशी बैंक A / C
क्रेडिट

	राशि) $(		राशि)$(
,To बैलेंसd/c	10,000	,Toविक्रेता A/C) निर्यातक A/C)	10,000
		By बैलेंस b/f	10,000

संतुलन परीक्षण (ट्रायल बैलेंस)
(सारांश प्रभाव के लिए)

लेखा (एकाउंट्स)	शेष राशि	
	डेबिट ($)	क्रेडिट ($)
खरीद (माल का आयात) विदेशी बैंक (आयातक की ओर से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह)	10,000	 10,000
कुल	10,000	10,000

नोटः आयात भुगतान संतुलन (बीओपी) के चालू खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। विदेशी बैंक का भुगतान करने के लिए विदेशी बैंक से अल्पकालिक उधार, विदेशी मुद्रा का एक प्रवाह है और यह पूँजी खाते का एक हिस्सा है और पूँजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा।

लेनदेन) b)

डेबिट चालू खाता
क्रेडिट

	राशि		राशि
		मर्चेंडाइज का निर्यात (सामान जा रहा है / संपत्तियों में कमी)	$2000

डेबिट पूँजी खाता
क्रेडिट

	राशि		राशि
लीबिया में आयातक से 'आईओयू' (विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह / विदेशी बैंकों पर दावों में बढ़ोतरी / मौजूदा संपत्तियों में वृद्धि)	$2000		

लेनदेन (c)

इस लेन–देन में, जवाहरात और आभूषणों के निर्यात और रसायनों के आयात, दोनों ही चालू खाते की मद हैं। इसलिए, प्रविष्टियां चालू खाते में बनाई जाएंगी।

डेबिट चालू खाता
क्रेडिट

	राशि		राशि
रसायन पदार्थो (केमिकल्स) का आयात (जो आए उसे डेबिट करें / संपत्तियों में वृद्धि)	$10000	जवाहरात और आभूषणों का निर्यात (जो जाए उसे क्रेडिट करें / संपत्ति का घट जाना)	$10000

लेनदेन (d)

इस लेन–देन में, बांडों की खरीद ने विदेशियों पर एक दावा किया है और एक चेक को ज़ारी करना विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह है। बांड और चेक दोनों वित्तीय संपत्ति हैं और इसलिए, पूँजी खाते की मदें हैं. नीचे दी गई प्रविष्टियों को पूँजी खाते में दर्ज किया जाएगा।

डेबिट चालू खाता

क्रेडिट

	राशि		राशि
बांड की खरीद (विदेशी बांड होल्डिंग्स के रूप में वित्तीय संपत्तियों में वृद्धि)	$20000	हांगकांग की सरकार का दावा (देनदारी में वृद्धि, विदेशी बैंक जमा में कमी आएगी)	$20000

लेनदेन (e)

इस लेन–देन में चालू खाता का एक मद है, अर्थात उपहार। इसके प्रभाव में यह माल के निर्यात के समान है । लेकिन विदेशी मुद्रा का कोई भी अंतर्वाह नहीं है । यह एक अनबिलाषित स्थानांतरण है। लेखन केवल चालू खाते में बनाया जाएगा । चूंकि इस उपहार से संपत्ति घट जाती है और संपत्ति बाहर जा रही है, व्यापारिक उपहारों को चालू खाता (नियम: डेबिट में क्या आता है, जो बाहर निकलता है, क्रेडिट) में क्रेडिट दिखाया जाएगा।

डेबिट चालू खाता

क्रेडिट

	राशि		राशि
अनबिलाषित स्थानांतरण	$30000	मर्चेंडाइज निर्यात (कंबल और तैयार कपड़ों का उपहार)	$30000

लेनदेन (f)

विदेशी मुद्रा की अंतर्वाह हैं. भौतिक संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई प्रासंगिक बहिर्वाह नहीं है । विदेशी मुद्रा का यह अंतर्वाह पूंजी खाता का एक हिस्सा है क्योंकि हस्तांतरण ग्रेट ब्रिटेन के एक बैंक में एनजीओ के खाते को जमा करने से प्रभावित होगा। विदेशी मुद्रा का यह अंतर्वाह भारत को अनबिलाषित हस्तांतरण की एक प्रकृति का एक उपहार है। इसे पूँजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा और चालू खाता में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि देश के स्तर पर अनबिलाषित स्थानान्तरण (इकाई स्तर पर एनजीओ को उपहार प्राप्त हो रहा है, इसलिए 'अनबिलाषित हस्तांतरण' के समूह नाम के तहत प्राप्तकर्ता डेबिट होगा)।

डेबिट चालू खाता

क्रेडिट

	राशि		राशि
अनबिलाषित स्थानांतरण	$10000		

डेबिट चालू खाता

क्रेडिट

	राशि		राशि
		विदेशी देनदारियों में वृद्धि (विदेशी मुद्रा का प्रवाह)	$10000

लेनदेन (g)

इस लेनदेन में, दोनों पहलुओं, भूमि की बिक्री और खरीद विचार का भुगतान, पूँजी खाते के मद हैं। यह लेनदेन विदेशी विनिमय (विदेशी मुद्रा का प्रवाह) की आपूर्ति

में वृद्धि का परिणाम है। विदेशी मुद्रा में वृद्धि पूँजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की गई है।

डेबिट चालू खाता क्रेडिट

	राशि) $(		राशि) $(
जापानी कंपनी को भूमि की बिक्री (देनदारियों में कमी / विदेशी दावों में कमी)	10,00,000	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) देनदारियों में वृद्धि	10,00,000

लेनदेन (h)

मशीन की खरीद और भावी भुगतान दोनों ही पूँजी खाते के मद हैं ।

डेबिट पूँजी खाता क्रेडिट

	राशि) $(		राशि) $(
मशीन की खरीद (संपत्ति में वृद्धि, विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि)	50,000	विदेशी देनदारियों में वृद्धि	50,000

याद रखने योग्य लेखांकन के नियम

1. एक लेनदेन के कारण विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि होना एक 'डेबिट' प्रविष्टि है।
2. एक लेनदेन के कारण विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना एक 'क्रेडिट' प्रविष्टि है।

सुझाव

भारत के भुगतान संतुलन पर लेखांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, चालू खाते और पूंजी खाते में लेनदेन दर्ज करें।

6.4 चालू और पूंजी खाता शब्दावली

- भुगतान संतुलन
- व्यापार अधिशेष
- चालू खाता में कमी
- एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश)
- एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)
- एकतरफा हस्तांतरण

6.5 सारांश

चालू खाता और पूँजी खाता भुगतान संतुलन (बीओपी) के तीन घटकों में से दो घटक हैं। भुगतान संतुलन (बीओपी) का तीसरा घटक 'आधिकारिक भंडार खाता' है । चालू खाता माल और सेवाओं में व्यापार का अभिलेख है और विदेशी देशों में स्वामित्व वाली संपत्तियों से आय है। माल व्यापार में कमी का अर्थ है कि देश के उपभोक्ता अन्य देशों से अधिक खरीदने के लिए अपनी मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। भारत के भुगतान संतुलन पर लेखांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, चालू खाते और पूंजी खाते में लेनदेन दर्ज करने चाहिए ।

6.6 शब्दवाली

भुगतान संतुलनः एक लेखा वक्तव्य है जो गृह देश के निवासियों और अन्य सभी देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन–देन का सार प्रस्तुत करता है।

पूंजी खाता: यह खाता सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के निवेश और उधार गतिविधियों के अभिलेख प्रस्तुत करता है।

6.7 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरें

1. .... खाता आधिकारिक मौद्रिक संस्थानों द्वारा सोने और विदेशी मुद्रा की जमा पूँजी में हुए परिवर्तनों के अभिलेख को प्रस्तुत करता है ।
2. ....हस्तांतरण माल या सेवाओं की बिक्री या खरीद नहीं हैं ।

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सरकारी भंडार 2. एकतरफा

6.9 स्वपरख प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. व्यापार अधिशेष क्या है?
   उत्तरः किसी देश के लिए, उसकी माल के आयात से अधिक, माल का निर्यात होना व्यापार अधिशेष कहलाता है।
2. चालू खाता में घाटा समझाएं ।
   उत्तरः चालू खाते में घाटा तब होता है जब क्रेडिट डेबिट से कम होता हैं (क्रेडिट <डेबिट)
3. 'आईओयू' क्या है? जर्मनी के आयातक से भारतीय फर्म द्वारा प्राप्त 'आईओयू' को भुगतान संतुलन (बीओपी) में कैसे उपचारित किया जाएगा?
   उत्तरः 'आईओयू' का छोटा रूप है 'मैं आपका ऋणी' - भविष्य की तारीख में किसी को (इस मामले में, भारत के निर्यातक), पैसे देने का लिखित वादा है। IOU को जर्मनी के आयातक द्वारा लिखा गया है - IOU आयातक द्वारा भावी भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है । इससे भारत में विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह आता है . चालू खाते में यह क्रेडिट (+) है । यह विदेशी दावों को बढ़ाता है।
4. 'एकतरफा हस्तांतरण' क्या है? एकतरफा हस्तांतरण के उदाहरण दें ।
   उत्तरः एकतरफा स्थानान्तरण विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रकार के बहिर्वाह/अंतर्वाह के बिना विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह/बहिर्वाह हैं। उदाहरण, विदेश में कार्यरत भारतीय श्रमिकों से प्रेषण प्रेषित हैं, भारत में अपने स्वयं के प्रान्तों में नियोजित विदेशियों के प्रेषण।
5. चालू खाता 'अधिशेष' का क्या उपयोग होता है?
   उत्तरः चालू खाते में अधिशेष का इस्तेमाल धन उधार देने, पुराने ऋणों का भुगतान, संपत्ति खरीदने और/या धन संतुलन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
6. भारत के भुगतान संतुलन में अदृश्य (इनवीबिलल्स) की श्रेणियां क्या हैं?
   उत्तरः ये गैर–कारक सेवाएं, आय और स्थानान्तरण हैं ।

7. भुगतान संतुलन में 'पूँजी खाता' क्या है?
उत्तरः यह अंतरराष्ट्रीय उधार लेने और उधार देने एवं खरीद और संपत्तियों की बिक्री का रिकॉर्ड है

8. विदेशी मुद्रा भंडार के मद क्या हैं?
उत्तरः सामान (आइटम) विदेशी मुद्रा की संपत्ति, सोने, विशेष निकाशी अधिकार, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित किश्त की स्थिति है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. 'चालू खाता' को परिभाषित करें । चालू खाता की सामग्री का वर्णन करें।
2. विदेशी मुद्रा प्रवाह की सूची उनके प्लस/माइनस संकेतों के साथ बनाएं।
3. पूंजी बहिर्वाह क्या हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से और लेखांकन उपचार देने की व्याख्या करें।
4. चालू और पूंजी खाते के बीच संबंध में प्रश्न क्या है?

6.10 संदर्भ पुस्तकें

1. जॉन डी. डेनियल, ली एच. राडबॉघ और डैनियल पी. सुलिवान, इंटरनेशनल बिजनेस, 10 ए एड. (दिल्ली; पियर्सन एजुकेशन, 2004), अध्याय –4,पीपी 123–124
2. बेथ वी. यार्ब्रा और रॉबर्ट एम. याबौं, द वर्ड इकोनॉमी: ट्रेड एंड फाइनेंस, सातवीं संस्करण (थॉमसन साउथ – वेस्टर्न, फर्स्ट इंडियन रीप्रिंट, 2007), अध्याय –13; 'भुगतान संतुलन खातों का बैलेंस'
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक प्रभाग, आर्थिक सर्वेक्षण – 2010–11,(नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011), पीपी 136–142
4. मीकल आर. झीकोटाटा, इक्का ए. रॉनकेनेंन और मीकल एच. मोफ्फ़ेट, इंटरनेशनल बिजनेस, 7 वें संस्करण (नई दिल्ली, दक्षिण–वेस्टन केनगे लर्निंग, द्वितीय भारतीय पुनर्मुद्रण। 2008), अध्याय –6
5. एलन सी. शापिरो, बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन, फॉरवर्ड एडीशन (नई दिल्ली, प्रेंटिस – हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 1996), अध्याय –6
6. पॉल ए. सैमुएलसन, श्अर्थशास्त्ररू एक परिचयात्मक विश्लेषणश, सातवीं संस्करण (न्यूयॉर्क, मैकग्रॉ–हिल बुक कंपनी, 1967), अध्याय –33

इकाई 7 निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य निर्धारण विनियमन में मुद्दें

इकाई की रूपरेखा

7.1 प्रस्तावना

7.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निवेश

7.2.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है?

7.2.2 अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो निवेश क्या है?

7.2.3 निवेश में मुद्दें (विदेशी निवेश)

7.2.3.1 बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का मुद्दा

7.2.3.2 बीमा क्षेत्र में निवेश का मुद्दा

7.2.3.3 आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश का मुद्दा

7.2.3.4 अंतर्राष्ट्रीय मुल्यांकन के मुद्दे

7.2.3.5 खुदरा (रिटेल) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

7.2.3.6 कराधान से संबंधित मुद्दे

7.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: अर्थ और मुद्दे

7.3.1 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विशिष्ट मुद्दे क्या हैं?

7.4 मूल्य निर्धारण विनियमों में मुद्दें

7.4.1 टैरिफ और मूल्य

7.4.2 अनुदान और मूल्य

7.4.3 पाटना (डंपिंग) और मूल्य

7.4.4 विदेशी विनिमय दर और मूल्य

7.5 सारांश

7.6 शब्दवाली

7.7 बोध प्रश्न

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.9 स्वपरख प्रश्न

7.10 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निवेश के मुद्दों, प्रकृति और मुद्दों की संभावना के साथ परिचित हो सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अर्थ और आवश्यकता की व्याख्या कर सकें और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विभिन्न मुद्दों की रूपरेखा समझ सकें।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कीमतों के नियमों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकें।

7.1 प्रस्तावना

निवेश के मुद्दे (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के संदर्भ में) पूंजी प्रवाह के लिए और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी, 1995 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित निवेश और बौद्धिक संपदा के विभिन्न मुद्दों पर समझौतों को सुलझाने के प्रयास कर रहा हैं। बौद्धिक संपदा के मुद्दे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से निकटता से संबंधित हैं। मूल्य निर्धारण के नियम माल, सेवाओं और वित्तीय संपत्तियों के लिए बाजार आकर्षक या सुस्त बनाते हैं, और व्यवस्थित जोखिमों में कमी / वृद्धि में योगदान करते हैं। इसलिए, मूल्य निर्धारण नियमन के सामान, सेवाओं और पूंजी बाजार की गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव हैं।

7.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निवेश

अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी निवेश किसी देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) को प्रभावित करते हैं। दोनों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के कारण भारत की भुगतान स्थिति में संतुलन तनाव में आता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) के चालू खाते को पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया गया है। जब भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सामान्य शेयर (इक्विटी) बाज़ार में बेचते हैं, भारतीय मुद्रा गिरता है (टाइम्स ऑफ़ इण्डिया / TOI, नई दिल्ली, 3 मई, 2012)

निवेश सुनिश्चित करने में विशेष रूप से संयुक्त उद्यमों के रूप में सीमा–पार से व्यापार में सुधार उपयोगी होता है। बहुत मजबूत व्यापार और निवेश संबंध स्थापित करना, प्रतिकूल राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने सहायक हो सकता हैं । उदाहरण के लिए, आदी गोदरेज, गोदरेज समूह के अध्यक्ष और CII के अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पड़ोसियों (भारत और पाकिस्तान) के व्यापारियों के बीच बढ़ती हुई बातचीत भी राजनीतिक संबंधों की मरम्मत में मदद करेगी, और व्यापार संबंधों में सुधार सम्पूर्ण दक्षिण एशिया के लिए फायदेमंद होगा। (टाइम्स ऑफ़ इण्डिया/TOI, नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2012)।

कई मेजबान सरकार एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देश के भुगतान संतुलन पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभाव पर विचार करते हैं। एफडीआई और भुगतान संतुलन खातों के बीच संबंध होता है । इस सम्पर्क को नीचे समझाया गया हैरू –

(a) चालू खाते में दर्ज 'निवेश आय' में घरेलू देश के निवासियों के विदेशी निवेश से आय (ब्याज, लाभांश आदि) शामिल है और घरेलू देश में विदेशी निवेशकों को किए गए भुगतान (ब्याज, लाभांश, राजशुल्क / रॉयल्टी) शामिल हैं।

(b) पूंजी खाता संपत्ति की खरीद और बिक्री का अभिलेख रखता हैं (दोनों वास्तविक और वित्तीय) . पूंजी खाते में एक क्रेडिट के परिणामस्वरूप पूंजी अंतर्वाह होता है (प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो) । विदेश में निवेश के परिणामस्वरूप, पूँजी खाते में एक डेबिट घरेलू देश से विदेशी देशों में पूंजी बहिर्वाह करता हैं ।

व्यापार संबंधित निवेश उपाय (TRIMS) मेजबान देशों द्वारा अपने क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है। इसमें वित्तीय प्रोत्साहनों और देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की मेजबानी करने की

आवश्यकताएं शामिल होती हैं। आवश्यकताए (a) स्थानीय सामग्री की आवश्यकताओं, (b) विनिर्माण आवश्यकताओं, (c) निर्यात प्रदर्शन आवश्यकताओं, (d) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या लाइसेंस की आवश्यकताओं आदि के रूप ले सकते हैं। ये उपाय मेजबान देश में निवेश के प्रवेश के लिए नियम और शर्तों का गठन करते हैं । विश्व बैंक द्वारा स्थापित बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) इन आवश्यकताओं को पहचानती है (एमबी राव और मंजुल गुरू, पी. 120)।

वित्तीय लाभों के अतिरिक्त, विदेशी निवेश करने का निर्णय करते समय निवेशक आराम और लाभ, नुकसान और उपर्युक्त आवश्यकताओं की कठिनाइयों का मूल्यांकन करते हैं। इन आवश्यकताओं को निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य निर्धारण विनियमन के मुद्दों के रूप में देखा जा सकता है। इन मुद्दों को इस इकाई में वर्णित किया गया है। इन मुद्दों को समझना निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य निर्धारण विनियमन से संबंधित अवधारणाओं के बारे में ज्ञान की आवश्यकता है। आगे के विवरण में, आपको इनके और इनसे संबंधित मुद्दों के बारे में पता चलेगा ।

7.2.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है?

'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तब होता है जब कोई फर्म किसी विदेशी देश में उत्पादन और/या बाज़ार की उत्पाद में सीधे निवेश करता है' (चार्ल्स डब्लूएल. हिल, पृष्ठ 214)। यहां उत्पाद में सेवा भी शामिल है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित रूपों में लागू होता है:

(a) ग्रीन फील्ड निवेश: इसमें विदेशी देश में एक संपूर्ण नया कार्य (व्यवसाय) शामिल करना शामिल है।

(b) विदेशी देश में एक मौजूदा फर्म के साथ अधिग्रहण या विलय करके निवेश ।

(c) विदेशी देश में मौजूदा व्यापार इकाई के संचालन के विस्तार और विविधीकरण (संबंधित और साथ ही असंबंधित) के लिए।

एफडीआई एक सक्रिय निवेश है । प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, विदेशी अर्थव्यवस्था में किसी उद्यम की मतदान की शक्ति को भी प्राप्त करता है।

(a) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या एक कंपनी को शामिल करके, या

(b) किसी संबद्ध उद्यम में अंशो/शेयरों को प्राप्त करने से; या

(c) एक असंबंधित उद्यम के अधिग्रहण के साथ या विलय द्वारा; या

(d) एक अन्य निवेशक या उद्यम के साथ सामान्य शेयर (इक्विटी) संयुक्त उद्यम में भाग लेने से।

सीधे निवेश करने में विदेशी निवेशकों के उद्देश्य (a) सस्ता मजदूरी का लाभ लेना है; (b) कर–छूट या कर–छुट्टी जैसे विशेष निवेश विशेषाधिकारों की पेशकश; (c) बाजारों के लिए शुल्क–मुक्त पहुंच; (d) विशाल बाजार की क्षमता; (e) प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, मुख्य रूप से संयुक्त उद्यमों के रूप में; (f) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पीजेड); (ह) मुफ्त भूमि और / या भूमि अनुदान; (h) बुनियादी ढांचा अनुदान;

(i) शोध एवं विकास (आर एंड डी) समर्थन;(j) नियमों और नियंत्रणों से वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि को मुक्त करने के लिए नियामक

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य विदेशों में काम कर रहे उद्यमों में स्थायी प्रबंधन हित प्राप्त करना है। इसमें आम तौर पर उत्पादन, वितरण और/या विपणन जैसी कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रबंधन, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और विशेषज्ञता में भागीदारी शामिल है। जब सीमा पार व्यापार शुरू होता है, तो निवेश भंडार खोलने और विनिर्माण सुविधाओं के प्रतिष्ठानों के रूप में विस्तार कार्य प्रारंभ होता है। दोनों निवेश को प्रभावित करते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्राष्ट्रीय कारक गतिविधियों (पूंजी, उद्यमशीलता क्षमता और प्रतिभा) का प्रतिनिधित्व करती है । एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, एफडीआई कौशल, नौकरी के अवसरों और स्थानीय उत्पादकता वृद्धि के स्थानांतरण को बढ़ाता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शेयर बाजारों (पूंजी बाजार का द्वितीयक बाजार) से शेयरों की खरीद के माध्यम से निवेश को शामिल नहीं करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में समस्याओं की पहचान करने और समझने के लिए मेजबान देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) पर इसके प्रभाव का आंकलन होना चाहिए। (एक मेजबान देश किसी भी विदेशी देश में एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी संचालित करता है।)। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी जानकारियों, पौधों और प्रबंधकीय प्रतिभाओं के आयात के लिए मेजबान देश को मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्रदान करता है। मेजबान देश अपने विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग भी करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों से शुरुआती पूंजी प्रवाह मेजबान देश के लिए सकारात्मक होती हैं। लेकिन एक समय अवधि में, निवेशकों द्वारा अपने देशों के लिए प्रेषण (लाभांश, भंडार का अंतरण और अधिशेष) से अधिक हो सकता है, कुछ मामलों में, प्रारंभिक पूंजी अंतर्वाह यदि ऐसा होता है, तो यह मेजबान देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह निवेश देश या घरेलू देश के बीओपी पर एफडीआई का सकारात्मक प्रभाव है।

7.2.2 अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो निवेश क्या है?

अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो निवेश, जिसे आमतौर पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) कहा जाता है, निवेश के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय सीमाओं में धन का प्रवाह होता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) विदेशी वित्तीय बाजारों में व्यक्तियों, फर्मों या सार्वजनिक निकायों (जैसे राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों) द्वारा निवेश किया जाता है (उदाहरण, सरकारी बॉन्ड, विदेशी स्टॉक या इक्विटी) । इस प्रकार, एफपीआई देशों के बीच धन हस्तांतरित करता है

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से अलग होता है । विदेशी व्यापार इकाई में एक महत्वपूर्ण सामान्य शेयर (इक्विटी) हिस्सेदारी लेने के लिए एफपीआई नहीं किया जाता है, जबकि एफडीआई एक महत्वपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी लेने के लिए किया जाता है। एफपीआई को प्रभावित करने वाले कारक एफडीआई को प्रभावित करने वाले कारकों से अलग हैं। इसलिए, एफपीआई में उठाए गए मुद्दे एफडीआई में उठाए गए मुद्दों से अलग होते हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अत्यधिक चलनशील होता है । यह धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से प्रभावित किया जा सकता है। इसकी लेन–देन की लागत बहुत कम होती है । अनुमति और अनुमोदन प्राप्त करने के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अक्सर अधिक लंबा समय लगता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) एक निष्क्रिय निवेश है । इसमें उन उद्यमों के प्रबंधन और परिचालन नियंत्रण में रुचि नहीं है जिनकी वित्तीय संपत्तियां खरीदी गई हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक सक्रिय निवेश है । एफपीआई, एफडीआई के जैसे, भुगतान संतुलन आंकड़ो (बीओपी डेटा) के पूंजी खाते की एक मद है। एफपीआई में एक साल से अधिक परिपक्वता के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद शामिल होती है। यह अल्पकालिक निवेश से अलग है । अल्पकालिक निवेश एक वर्ष से कम अवधि की परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों (वित्तीय संपत्ति) की खरीद होती है। एफपीआई की तरह, अल्पकालिक निवेश, भुगतान संतुलन (बीओपी) के पूंजी खाते का एक हिस्सा है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के निवेशकों का उद्देश्य वैश्विक पूंजी बाजार में प्रवेश करके व्यापक निवेश के अवसरों को प्राप्त करना है। निवेशक अपने जोखिम को कम करने और उनकी प्रतिफल (रिटर्न) बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पोर्टफोलियो को विविधता लाने के लिए निर्णय लेते हैं। एक निवेशक पोर्टफोलियो में जैसे ही स्टॉक की संख्या को बढ़ाता है, जोखिम में गिरावट आ जाती है। समय की अवधि में निवेशक के पोर्टफोलियो का जोखिम बाज़ार के व्यवस्थित जोखिम पर पहुंच जाता है। व्यवस्थित जोखिम स्टॉक पोर्टफोलियो के मूल्य में गतिविधियों को संदर्भित करता है जिससे आर्थिक अर्थव्यवस्था में सभी कंपनियों को प्रभावित करने वाले व्यापक आर्थिक बल के कारण होता है। व्यवस्थित जोखिम अर्थव्यवस्था में गैर–विविधतापूर्ण जोखिम का स्तर है। एफपीआई में व्यवस्थित जोखिम का स्तर एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है

व्यवस्थित जोखिमों के स्तर में योगदान करने वाली कुछ व्यापक आर्थिक शक्तियां हैं: सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति और सरकार द्वारा अविनियमन. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) बाजार, जोखिम, विनिमय दरों, ब्याज दरों, क्रेडिट–योग्यता और इनके जैसे के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी का उपयोग करता है। निम्नलिखित प्रकार के निर्णय ऊपर वर्णित जानकारी पर आधारित हैं:

– कहां निवेश करें और कितना निवेश करें

– कब निवेश करना

– कॉरपोरेट बॉन्ड, शेयर, सरकारी प्रतिभूतियां और मुद्रा सहित वित्तीय संपत्तियों के मूल्यों और जोखिम क्या होता है

सरकारों द्वारा अविनियमन किया जाता हैं जैसे वाणिज्यिक बैंकों को निवेश बैंकों के कार्य करने की इजाजत देनी पड़ती है, जिससे विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों में महत्वपूर्ण इक्विटी स्तर खरीदने की इजाजत मिलती है, जिससे आर्थिक और राजनीतिक विचारों पर मुक्त बाजार की विचारधारा की स्वीकृति बढ़ रही है । अविनियमन ने कई महत्वपूर्ण देशों में अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार के विकास में मदद की है ।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए अविनियमन कदमों के हालिया उदाहरण, (a) सरकारी प्रतिभूतियों में

विदेशी संस्थागत निवेशकों की मौजूदा सीमा 5 अरब अमेरिकी डालर से बढ़कर 15 अरब अमरीकी डॉलर तक कर दी गई है; (b) कॉरपोरेट बॉन्ड्स में 5 अरब अमेरिकी डालर तक विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई निवेश) की मौजूदा सीमा में वृद्धि, सीमा को 20 अरब डॉलर तक बढ़ाकर (5 अरब डॉलर की वृद्धिशील सीमा सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है); (c) पहुँच बढ़ाने के लिए भारतीय पूंजी बाजार में, क्यूएफआई (योग्य विदेशी निवेशक) को जनवरी 2012 में सीधे भारतीय इक्विटी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई थी, यह निवेशकों की कक्षा को चौड़ा करने, अधिक विदेशी निधियों को आकर्षित करने, बाजार की अस्थिरता को कम करने और भारतीय पूंजी बाजार को गहरा करने के लिए किया गया था। (आर्थिक सर्वेक्षण 2011– 12 [पीपी 124–125) कॉर्पोरेट बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश की कुल सीमा 60 अरब अमेरिकी डॉलर है।

वित्तीय सेवाओं के उद्योग को अविनियमन करने के अलावा, '1970 के दशक के शुरू में कई देशों ने पूंजी नियंत्रण को समाप्त करना शुरू कर दिया, विदेशियों द्वारा आवक निवेश पर प्रतिबंध और दोनों अपने नागरिकों और निगमों द्वारा बाह्य निवेश पर रोक लगाया। 1980 के दशक तक, यह प्रवृत्ति विकसित देशों से दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक फैल गई। लैटिन अमेरिका, एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजी प्रवाह पर दशकों पुराने प्रतिबंधों को समाप्त करना शुरू कर दिया था ' (चार्ल्स डब्ल्यू. एल. हिल, पृष्ठ 388)

'सरकार और सरकारी एजेंसियों के फैसले में देरी' एक प्रबंधकीय मुद्दा है जिसमें सभी प्रकार के विदेशी निवेश शामिल होता हैं । विश्व की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी, आर्सेलर मित्तल के भारत में जन्मे चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल, ने एक साक्षात्कार में कहा, "मुझे नहीं लगता है कि नीति में पक्षाघात है, लेकिन भारत निर्णय लेने में बहुत धीमी है"। यह टिप्पणी आर्सेलर मित्तल की भारत में 30,000 करोड़ रुपये का योजनाबद्ध निवेश से भी संबंधित थी। (टाइम्स ऑफ़ इण्डिया / TOI] नई दिल्ली, मई 12, 2012)

मई 2012 में एक नियामक मुद्दा सामने आया है, जो कि होल्डिंग कंपनियों के गठन से संबंधित है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मूल निवेशक कंपनियों के लिए 'प्रवासी निवेश (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन, 2012' तैयार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, किसी भी प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) जो विदेशी क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में निवेश करेगी, को खुद को आरबीआई के साथ पंजीकृत करना होगा। एक मुख्य निवेश कंपनी समूह कंपनियों में प्रमोटरों के हिस्से के मालिक होने के उद्देश्य से बनाई गई एक निवेश इकाई है। इस प्रकार की कंपनियां वित्त कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं । वे अपने दम पर व्यवसाय नहीं करते हैं। आरबीआई ने भारतीय कॉरपोरेट से विदेशी निवेश के लिए जटिल धारण संरचना बनाने पर रोक लगा दी है। विदेशों में स्थापित सभी सहायक और संयुक्त उद्यमों को काम करने वाली (ऑपरेटिंग) संस्थाए होना चाहिए। (टाइम्स ऑफ़ इण्डिया / TOI, 12 मई 2012)।

7.2.3 निवेश में मुद्दें (विदेशी निवेश)

विदेशी निवेश (वर्तमान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों) में मौजूदा कुछ सामान्य मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यहां वर्णित है। विदेशी निवेश (वर्तमान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों) में मौजूदा कुछ सामान्य मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यहां वर्णित है।

7.2.3.1 बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का मुद्दा

बैंकिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेशकों के लिए वोटिंग अधिकार की सीमा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहां तक कि अगर किसी विदेशी निवेशक के पास बैंक में 40% हिस्सेदारी (इक्विटी निवेश) है, तो उसका मतदान अधिकार 10% पर आ गया है। उदारीकरण की दिशा में एक कदम में, भारत सरकार ने इस मतदान अधिकार को 26% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। यह कितना सार्थक है? 26% वोट निवेशक को वीटो (अस्वीकार) के प्रस्तावों को सक्षम कर देगा। लेकिन विदेशी निवेशकों को प्रबंधन नियंत्रण में अपने अधिकार बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा।

7.2.3.2 बीमा क्षेत्र में निवेश का मुद्दा

बीमा के लिए विदेशी निवेश सीमा 26 प्रतिशत तक है । स्वचालित मार्ग के तहत इस क्षेत्र में दोनों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) की अनुमति है । बीमा क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह की ज़रुरत और मांग की जा रही है। प्रत्येक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक विकासशील बीमा क्षेत्र उच्च महत्व का है। बीमा क्षेत्र (a) बचत आदत को प्रोत्साहित करती है, (b) ग्रामीण और शहरी उद्यमों और उत्पादक व्यक्तियों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है। आग और प्राकृतिक आपदा जैसी जोखिमों से उद्यमों को बचाने के लिए बीमा आवश्यक है । जीवन बीमा क्षेत्र में सक्रिय 23 बीमा कंपनियां हैं । इन कंपनियों में से 20 विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में हैं । गैर–जीवन खंड में 18 निजी बीमा कंपनियां हैं । इन कंपनियों में से 16 विदेशी भागीदारों के सहयोग से हैं। इस प्रकार 31 मार्च 2011 (आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12, पी 127) के अनुसार निजी क्षेत्र में 36 बीमा कंपनियां पूरे विश्व में स्थापित विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से देश में काम कर रही थीं।

बीमा क्षेत्र में वृद्धि की माप 'बीमा प्रवेश' और 'बीमा घनत्व' है । बीमा प्रवेश, किसी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को दिए गए वर्ष में प्रीमियम का अनुपात है। बीमा घनत्व कुल आबादी के लिए दिए गए वर्ष में प्रीमियम का अनुपात है। उदारीकरण के बाद, बीमा क्षेत्र ने 2010 में 2.5 से (जीवन बीमा के लिए 1.8 और गैर–जीवन बीमा 0.7) के लिए 2010 में 5.1 (जीवन बीमा 4.4 और गैर–जीवन 0.7) के लिए बीमा का स्तर उठाया है। भारतीय बीमा, बीमा प्रवेश और घनत्व के निम्न स्तर के साथ अविकसित रही हैं।

बीमा विकसित करने के लिए, अधिक विदेशी निवेश के मुद्दे पर बहस की गई है। सरकार की बीमा में विदेशी निवेश सीमा को 26% से 49% तक बढ़ाने का इरादा है। अतीत में करीब एक दशक तक, इस वृद्धि पर बहस हुई है और राजनीतिक दलों जो सत्तारूढ़ दल नहीं हैं, उनसे समर्थन की कमी के कारण कोई निर्णय नहीं आया है ।

7.2.3.3 आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश का मुद्दा

भारत सरकार की एक हालिया उदारीकरण नीति है कि निर्माताओं (बिल्डरों) को केवल उन परियोजनाओं के लिए विदेशी कर्ज का लेने की इजाजत दी जाएगी, जहाँ 90% डिवीलिंग इकाइयां कम या असंदिग्ध आय समूहों के लिए हो । यह कदम कम लागत वाले आवास परियोजनाओं में विदेशी निधियों के निवेश को प्रेरित करने वाला प्रतीत होता है क्योंकि विदेशों की निधियों को कम दरों पर उठाया जा सकता है।

2009 में, सरकार ने अचल संपत्ति कंपनियों को बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की अनुमति केवल एकीकृत टाउनशिप के लिए दी थी (द इकोनॉमिक टाइम्स, 27 अप्रैल 2012)। नवंबर 2011 में, वैश्विक वित्तीय बाजारों और वृहद् (मैक्रो)–आर्थिक स्थितियों में विकास को ध्यान में रखते हुए ईसीबी नीति संशोधित हुई थी (आर्थिक सर्वेक्षण, 2011–2012, पृष्ठ 125) । ईसीबी की सभी लागतों में वृद्धि हुई थी। यह आवश्यक है कि भारत में रुपया–व्यय के लिए विदेश में उठाए गए ईसीबी की आगम तुरंत खरीदी जानी चाहिए।

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की उच्च स्तरीय समिति ने 15 सितंबर, 2011 को ईसीबी के दायरे का विस्तार करने के लिए कई फैसले लिए। कुछ निर्णय हैं:

(a) निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के लिए ईसीबी जो बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कंपनियों के लिए परियोजना निष्पादन चरण के दौरान ऋण पर जमा होने की अनुमति होगी।

(b) मौजूदा ईसीबी की सीमाएं मौजूदा ईसीबी दिशा–निर्देशों के मुताबिक, उपयुक्त कॉरपोरेट के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर से यूएस + 700 मिलियन तक बढ़ा दी गई हैं।

ये दोनों निर्णय ईसीबी के लिए सुलभ कदम रहे हैं ।

7.2.3.4 अंतर्राष्ट्रीय मुल्यांकन के मुद्दे

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन में अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए संभावनाओं (या संभावनाओं की कमी) के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का आकलन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अर्थव्यवस्था की मूल्यांकन में सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

एक अर्थव्यवस्था (राष्ट्र) का वैश्विक मूल्यांकन इसका दृष्टिकोण दर्शाता है जो विदेशी निवेशकों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश संभावनाओं को प्रभावित करता है. वैश्विक मूल्यांकन एजेंसियों जैसे एसएंडपी / स्टैण्डर्ड – पूअर्स (मानक और गरीब), मूडीज़, फिच, जो लगातार दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते हैं और बड़े आंकड़ों (उपायों) के आधार पर अपना मूल्यांकन देते हैं जैसे विकास संख्या (जीडीपी, जीएनआई), राजकोषीय घाटे (सरकारी खर्चे और सरकारी आय के बीच अंतर), अर्थव्यवस्थाओं के ऋण–बोझ, आर्थिक सुधारों के लिए सरकार की गतिविधियां।

मूल्यांकन के आधार पर, विदेशी निवेशक किसी देश के निवेश दर्जा (ग्रेड) का मूल्यांकन करते हैं (जैसे ए, बी, सी और इसी तरह) उदाहरण के लिए, 25 अप्रैल 2012 को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बीबीबी (माइनस) पर वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर (एसएंडपी) ने रेट किया है, जो कम निवेश ग्रेड मूल्यांकन

का संकेत है। इसने वित्तीय बाजारों और शेयरों, रुपए और बॉन्ड में भावनाओं को प्रभावित किया। (टाइम्स ऑफ़ इण्डिया / टीओआई, 26 अप्रैल, 2012)

मूल्यांकन (रेटिंग) और प्रबंधन के संदर्भ में इसका अंतर्राष्ट्रीय निवेश एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह प्रभावित करता है (a) विदेशी उधार लेने की लागत, (b) निवेश जोखिम (निवेश की कीमत के बदले में परिवर्तनशीलता और रखरखाव)(c) अर्थव्यवस्था के शेयर बाजार में विदेशी मुद्रा का प्रवाह, (d) वित्तीय अनुशासन, (e) अनुदान, (f) माल और सेवाओं की कीमतें, (g) विदेशी विनिमय के लिए मुद्रा का मूल्य, (h) कॉरपोरेट्स जो अंतरराष्ट्रीय वित्त पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, उनकी वैश्विक निवेश योजना (उदाहरण के लिए, स्टैंडड्र्स – पूअर्स (एसएंडपी) ने तीन निजी क्षेत्र की कंपनियों, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो एवं एनटीपीसी, एनएचपीसी और सेल के साथ तीन सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निवेश के लिए अपनी नकारात्मक सूची में डाल दिया है, 26 अप्रैल, 2012)।

कभी–कभी, मूल्यांकन (रेटिंग) सरकारों के बजट में प्रतिकूल घोषणाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है (उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने 2012–13 के बजट में घोषणा की, वोडाफोन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रभावित करने वाले आईटी–अधिनियम में एक पूर्वव्यापी संशोधन)। अर्थव्यवस्था की मूल्यांकन के प्रबंधन के लिए सरकारी नीतियां एक महत्वपूर्ण उपकरण होती हैं ।

1991 में भारत में भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट के कारण, स्टैंडड्र्स – पूअर्स (एसएंडपी) ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए भारत को 'कबाड़ हालत (जंक स्टेटस)' में घटा दिया। लेकिन जनवरी 2007 में, एसएंडपी ने अंतरराष्ट्रीय निवेशों के लिए अनुकूल कारकों के परिणामस्वरूप भारत के सार्वभौम रेटिंग को निवेश ग्रेड में उन्नत कर दिया। भारत की रेटिंग के प्रबंधन के लिए, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को भारत में परिसंपत्तियों के साथ विदेशी कंपनियों से संबंधित कराधान, विलय और अधिग्रहण के बारे में नीति अनिश्चितता को कम करने और दूसरे विश्व के साथ अधिक एकीकरण के लिए पूंजी बाजार सुधार और प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए काम करना चाहिए, जैसे बैंकिंग, बीमा और खुदरा क्षेत्र। सभी अर्थव्यवस्थाओं में, आर्थिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण में हस्तक्षेप किया जाता है। दोनों अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए एक देश की मूल्यांकन (रेटिंग) को प्रभावित करते हैं। इन दृष्टिकोणों को प्रबंधित करना निवेश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

कुछ वैश्विक एजेंसियों द्वारा हाल के समय में भारत की साख़ मूल्यांकन नीचे दी गई हैं:

एजेंसी	मूल्यांकन / रेटिंग	निवेश के लिए दृष्टिकोण
स्टैंडड्र्स – पूअर्स	BBB	नकारात्मक
मूडी	3BAA	स्थिर
फिच	BBB	स्थिर

स्रोतरू द टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 अप्रैल, 2012, पृष्ठ 1

7.2.3.5 खुदरा (रिटेल) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मुद्दा

खुदरा (रिटेल) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ जुड़े फायदे किसानों के लिए बेहतर मूल्य, मध्यस्थों द्वारा शोषण को कम करने, संगठित खुदरा

विस्तार के परिणामस्वरूप नई नौकरियों का सृजन, आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे की स्थापना, एसएमई (छोटे और मध्यम उद्यमों से तीस प्रतिशत खरीद) हैं। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई से संबंधित कुछ मुद्दे ग्राहक खरीदारी अनुभव, अवैयक्तिक रिटेल ऑर्डर और सुविधा, थोक व्यापारी के विस्थापन, अनुबंध खेती, किसानों से सीधे खरीददारी, पड़ोस खुदरा स्टोर पर प्रतिकूल असर जैसे व्यापारिक नौकरियों के नुकसान (यह स्वयं कई लोगों के लिए रोजगार विकल्प हैं) और लाभ (प्रतियोगिता के कारण) अन्य अर्थव्यवस्थाओं में साक्ष्य 'माँ और पॉप' भंडार के विस्थापन को बड़े प्रारूप रिटेल आउटलेटों की स्थापना और विस्तार से, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर खुदरा क्षेत्र मो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण एकाधिकार गड़बड़ी के उद्भव का शोषण करते हैं। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के ऊपर उल्लेखित अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावों के कारण, यह मुद्दा 'है या फिर चुने गए क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए या नहीं?' और अगर अनुमति दी जाती है तो किस हद तक?

भारत में, एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा बिक्री को छोड़कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निषिद्ध है। एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा बिक्री के मामले में, 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी जाती है, जो पूर्व अनुमोदन के अधीन है। मल्टी–ब्रैंड रिटेल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उद्घाटन, सरकार ने 2011 के अंत में घोषित किया जो बहुत ज्यादा दिनों से प्रतीक्षा में था। इस घोषणा को दुनिया भर से प्रशंसा के साथ स्वागत किया गया। लेकिन यह चल नहीं सका। यूपीए सरकार के सत्तारूढ़ दलों के अलावा कई राजनैतिक दलों ने इसका जोरदार रूप से विरोध किया। कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा विदेशी खुदरा विक्रेताओं का प्रवेश अस्थाई रोका गया हैं .सरकार निकटता में इस मुद्दे पर आगे बढ़ सकती है क्योंकि अच्छी संभावना है की बहु–ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई द्वारा मुद्रास्फीति और उच्च खाद्य कीमतों को नियंत्रित कर लेगी ।

7.2.3.6 कराधान से संबंधित मुद्दे

कई सरकारें अपने ही देश में स्थित उद्यमों द्वारा बाहर (कई अन्य देशों में) की गई कमाई/आय पर कर लगाती हैं । उदाहरण के लिए, अमेरिकी सरकार, संयुक्त राज्य में निगमित एक उद्यम की भारतीय सब्सिडियरी की आय पर कर लगा सकती है। दोहरे कराधान होता है जब एक विदेशी सहायक कंपनी की आय पर दोनों, मेजबान देश सरकार और गृह–देश सरकार टैक्स लगा दे। दोहरा कराधान से क्षतिपूर्ति करने के लिए, विदेशी सरकार को दिए गए करों की रकम से गृह सरकार को कर का भुगतान करने के लिए एक इकाई को कर–क्रेडिट की अनुमति दी जाती है। अक्सर वहां दो देशों के बीच एक समझौता होता है जो आय निर्दिष्ट करती है, जिस पर देश की सरकार द्वारा कर की जाने वाली आय होती है। इस समझौते को दो देशों के बीच कर संधि कहलाता है।

विदेशी देशों में निवेश करने वाली व्यावसायिक कंपनियां अपने वैश्विक कर देनदारियों को कम करने का लक्ष्य करती हैं। इस उद्देश्य के लिए, कंपनियां टैक्स स्वर्ग (हेवन) का इस्तेमाल करती हैं । टैक्स स्वर्ग (हेवेन) एक ऐसा देश है जिसमें असाधारण कम या कोई आय कर नहीं लगता है। फर्म कर स्वर्ग में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के द्वारा आय करों से बच जाती हैं या

स्थगित कर देती हैं । इस प्रकार, कराधान अंतर्राष्ट्रीय निवेश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

कर प्रस्तावों के बारे में अनिश्चितता (मौजूदा कर कानूनों के साथ–साथ नए रूप में संशोधन) विदेशी निवेशों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उदाहरण के लिए, भारत में जनरल एंटी–अवॉयडेंस नियम (जीएएआर/गार/GAAR) की शुरुआत होने सम्बन्धी खबर मात्र से विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) अंतर्वाह में गिरावट आ गई । (टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, 21 मार्च 2012)। गार का उद्देश्य आक्रामक कर से बचाव मार्गों का मुकाबला करना है । विदेशी निवेशक सरकार की मंशा के बारे में अधिक चिंतित हैं क्योंकि गार के तहत पुराने मामलों को खोल कर देख सकती हैं कि क्या कर पहले से बचाया गया था।

जनरल एंटी–अवॉयडेंस नियम (GAAR/गार) के तहत, भारत सरकार भारत के बाहर स्थित कंपनियों द्वारा भारतीय संपत्ति के खरीददारों पर पूर्वव्यापी कर के साथ आगे बढ़ना चाहती है । गार की पृष्ठभूमि में सरकार के विचार है कि कई निवेशक दो देशों के बीच करों का भुगतान करने से बचने के लिए दोहरे कर निवारण समझौते का उपयोग कर रहे हैं । गार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य अभ्यास है। सरकार की योजना के मुताबिक यह भारत में संभावित रूप से लागू होने वाला है। यह मुद्दा पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा ।

चूंकि बजट 2012 में टैक्स प्रस्ताव (GAAR/गार) का उल्लेख किया गया था, इसलिए भारत की सरकार दुनिया भर में विदेशी निवेशकों और सरकारों के दबाव में रही है। विदेशी निवेशकों को 1962 से आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए भारत सरकार के इरादे से चिंतित हैं कि यह भारत में परिसंपत्तियों के साथ विदेशी कंपनियों से संबंधित विलय और अधिग्रहण कर सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय लॉबी समूहों और साथ ही ब्रिटिश और अमेरिकी वित्त मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को ख़त्म करने के लिए भारत के वित्त मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाया है (टाइम्स ऑफ इंडिया, 25 अप्रैल, 2012)। भारत का वित्त मंत्रालय प्रस्तावित गार के बाहर विदेशी संस्थागत निवेशकों को रखने की योजना बना रहा है। लेकिन सरकार ने गार के तहत विलय और अधिग्रहण के एक दर्जन विदेशी सौदों पर कर लगाने के लिए दृढ़ निश्चय किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोहरे कर निवारण समझौते का उपयोग करने वाले विदेशी निवेशक किसी भी देश में कर के बिना भुगतान किए बचें नहीं ।

कुछ प्रमुख बाजार निवेशकों ने व्यक्त किया है कि पूर्ववृत्त कराधान करने का विचार एक बड़ी नीतिगत गलती है। विदेशी निवेशकों ने दो भारतीय प्रावधानों पर चिंताओं को उठाया है: अप्रत्यक्ष निवेश कर और टैक्स चोरी का मुकाबला करने की मांग। पहले संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए भारत को पूर्वव्यापी रूप से कर देने की शक्ति देता है। दूसरे लक्ष्य के अन्तर्गत जनरल एंटी–अवॉयडेंस रूल के माध्यम से टैक्स चोरी करने वाले, टैक्स छूट के साथ अन्य देशों में पंजीकृत निवेशकों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए साबित होता है कि वे स्पष्ट रूप से टैक्स से बचने का इरादा नहीं करते हैं। प्रस्तावित गार के कारण, कुछ विदेशी निवेश संस्थान कम निवेश प्राप्तियों के डर से बाहर निकल गए हैं। (टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 मई, 2012)। भारत सरकार ने निवेश माहौल को

पुनर्जीवित करने के लिए एक वर्ष के लिए विवादास्पद गार के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। (टाइम्स ऑफ इंडिया, 8 मई 2012)

7.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: अर्थ और मुद्दे

तकनीक क्या है? प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में UNCTAD प्रारूप इंटरनेशनल कोड के अनुसार, प्रौद्योगिकी "किसी उत्पाद के निर्माण के लिए, एक प्रक्रिया के आवेदन के लिए या किसी सेवा के प्रतिपादन के लिए व्यवस्थित ज्ञान" है। इस परिभाषा में बेची गई या किराए पर ली गई वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्या है? यह कौशल ज्ञान को हस्तांतरित, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण के तरीकों, विनिर्माण के नमूने, करने की प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का उद्देश्य नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों, सामग्री या सेवाओं में प्रौद्योगिकी के और विकास एवं शोषण करना है। यह ज्ञान हस्तांतरण से निकटता से संबंधित है । प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक मूल्य होने पर प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण होता है। इसमें बाजार के लिए नई प्रौद्योगिकियों को लाने के जोखिमों और पुरस्कारों को साझा करने के लिए लाइसेंस समझौते या संयुक्त उद्यमों और साझेदारी की स्थापना शामिल हो सकती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (भारत सरकार) के दृष्टिकोण ने स्वदेशी तकनीकों के विकास एवं कहीं और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आयात पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मुख्य मुद्दा– वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना हैं । संबंधित मुद्दे पेटेंट के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का निर्माण और संरक्षण है । प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक और मुद्दा इसकी उपयोगिता और समयबद्धता है। व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी प्रासंगिक होना चाहिए । अगर विकसित प्रौद्योगिकी पहले के समय से और बहुत परिष्कृत है, तो यह बाजार द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक भारतीय कंपनी मंथन सिस्टम्स, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास, और शीर्ष–स्तरीय उत्पादों का निर्माण करना है। कंपनी अत्यधिक जटिल और उन्नत तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने में सफल रही थी। लेकिन इस उत्पाद को जमीन पर अमेरिकी खुदरा विशाल वॉलमार्ट इंक ने इस आधार पर खारिज कर दिया था, की यह बहुत परिष्कृत और जटिल हैं । इसके बाद कंपनी ने सरलीकृत उत्पादों को विकसित किया, जिन्हें मैकडॉनल्ड्स, क्रॉक्स, एक्वो, एशली स्टीवर्ट और रिपले जैसे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वीकार किया गया था। अब मंथन सिस्टम 20 देशों में संचालित होता है (दी वीक, अप्रैल 29, 2012, पीपी 52–53)। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां अभी भी केवल कुछ क्षेत्रों पर लक्षित उत्पादों को ही चुना करती हैं । सामान्य समस्या यह है कि प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों/प्रक्रियाओं का विकास जो कि क्षेत्र स्वतंत्र हैं और इसलिए, उद्यमों और क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

7.3.1 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विशिष्ट मुद्दे क्या हैं?

कई विकासशील देशों हस्तांतरण के उपयुक्त शर्तों पर तकनीक प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विशिष्ट मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(i) विकासशील और विकसित देशों के बीच संबंध का स्वभाव जिसको प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।

(ii) विकासशील देशों के लिए नई तकनीक को अपनाने के निहितार्थ का आकलन

(iii) पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता

(iv) तकनिकी ने अपने विकास के देशों में अप्रचलित और अक्षम घोषित कर दिया है, लेकिन वे अन्य देशों में व्यावसायिक रूप से उपयोगी हैं जो अपनी प्रौद्योगिकियों के विकास में कमी महसूस कर रहे हैं।

(v) बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रथाओं और नीतियों पर निर्भरता के संबंध।

(vi) प्रबंधकीय शक्ति, स्वामित्व और उद्यमों के नियंत्रण पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रभाव।

(vii) बड़े, केंद्रीकृत और पूंजीगत गहन प्रक्रियाओं के लिए स्थानांतरित प्रौद्योगिकियों के पूर्वाग्रह।

(viii) विदेशों में विकसित नई प्रौद्योगिकियों के समावेशन द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की सीमा को कम करना

(ix) अन्य देशों से नई प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की वजह से स्थानीय मौजूदा आर्थिक गतिविधियों का विस्थापन।

(x) श्रम के मौजूदा स्वरूप, संरचनात्मक बेरोजगारी और शहरीकरण के त्वरण में योगदान का विघटन।

(xi) मौजूदा स्थानीय और स्वदेशी संस्कृतियों, मूल्यों और सामाजिक संगठनों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रभाव।

(xii) खपत के पैटर्न में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वजह से बदलाव, विशेषकर उन उत्पादों के प्रति जिनमे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनके उत्पादन और वितरण में CO_2 और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को जारी करने में योगदान करती है।

(xiii) प्राकृतिक पर्यावरण पर अपनाया जाने वाले नए प्रौद्योगिकी के उपयोग और उनके गोद लेने की पूरी लागत का प्रकटन (उदाहरण के लिए, कचरे के निपटान की आवश्यकताओं पर विचार)

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में ऊपर उल्लिखित मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित समस्याएं हैं:

(a) पारंपरिक ज्ञान और बुद्धिमता के कारण बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण।

(b) पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रक्रियाओं के उपयोग और अनुप्रयोग एवं सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संबंधों को समझना जिसमें वे अभ्यास कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सफलता के लिए, निम्न स्थितियां महत्वपूर्ण हैं:

(a) लागत और लाइसेंस समझौते के संबंध में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए असाधारण शर्तों का प्रावधान; तथा

(b) प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए कानूनी, संस्थागत और तकनीकी बुनियादी ढांचे का विकास करना।

कुछ प्रकार के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लेनदेन हैंः

(i) औद्योगिक संपत्ति के सभी रूपों की कार्यभार (असाइनमेंट), बिक्री और लाइसेंस।

(ii) प्रशिक्षण, सेवाओं (तकनीकी सलाहकार, प्रबंधन कर्मियों और कर्मियों के प्रशिक्षण) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, योजना, आरेख, मॉडल, निर्देश, गाइड, फ़ार्मुले, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और उपकरण के रूप में ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रावधान ।

(iii) पौधों और उपकरणों की स्थापना, संचालन और कार्यप्रणाली और तैयारशुदा परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान का प्रावधान।

अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में, क्षैतिज और लम्बवत स्थानान्तरण पाए जाते हैं। एक परिचालन माहौल से दूसरे तक स्थापित प्रौद्योगिकी की गति को क्षैतिज हस्तांतरण कहा जाता है (उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी का एक कंपनी से दूसरी में हस्तांतरण)। औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में आवेदन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के परिणामस्वरूप विकसित नई तकनीक का संचरण होने पर इसे लम्बवत स्थानांतरण कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अधिकांश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) द्वारा प्रभावित होते हैं। मेजबान देशों (विशेषकर, विकासशील देशों) में एफडीआई के लाभों में से एक यह है कि यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, तकनीकी ज्ञान – जानकारी, निष्कर्षण और तेल के शोधन के संबंध में)

प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का एक अन्य तरीका विदेशी बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई / MNE) से उस तकनीक का लाइसेंस देना है। जापानी कंपनियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर लाइसेंसिंग समझौतों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण पसंद किया था। इस प्राथमिकता का कारण यह है कि मेजबान देश की कंपनियों को रॉयल्टी भुगतानों के बदले मूल्यवान प्रौद्योगिकी के लिए सीधे पहुंच प्रदान की जाती है। एफडीआई के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में, प्रौद्योगिकी को अंततः विदेशी एमएनई द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मेजबान देश की फर्मों को बुनियादी प्रौद्योगिकी तक पहुंच से वंचित किया जाता है। MNE अक्सर जब वे किसी विदेशी देश में निवेश करते हैं तब महत्वपूर्ण तकनीक हस्तांतरित करते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से देश की फर्मों को अपनी तकनीक विकसित करने के लिए मेजबान होने का मौका नहीं मिलता है। लाइसेंसिंग विकल्प एमएनई (MNE) के लिए कम आकर्षक है क्योंकि भविष्य में प्रतियोगी बनाने का जोखिम है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा तकनीक–लाइसेंसिंग या एफडीआई हस्तांतरण करने का तरीका है। यह एमएनई और मेजबान देशों की फर्मों के बीच एक प्रमुख बातचीत का बिंदु है। यदि प्रौद्योगिकी जटिल है और प्रौद्योगिकी के संचालन के लिए पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है, तो एफडीआई प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का वांछित मोड है (चार्ल्स डब्लूएल. हिल, पीपी 245–246)

7.4 मूल्य निर्धारण विनियमों में मुद्दें

मूल्य विनियम एक सरकारी एजेंसी, कानूनी व्यवस्ता या नियामक प्राधिकरण द्वारा मूल्य निर्धारित करने की नीति को दर्शाता है। इस नीति के तहत न्यूनतम और/या अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। मूल्य विनियमन में 'दिशानिर्देश' भी शामिल होते हैं, जो परिमाण को निर्दिष्ट करते हैं जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। विनियमित कीमतों के आधार भिन्न हो सकते हैं । ये 'लागत पर' हो सकते हैं, निवेश, मार्क्स–अप, मार्केट–आधारित कीमत पर लौट भी सकते हैं। विभिन्न लागतों का मूल्य निर्धारण, जैसे कि पूर्ण लागत, सीमांत लागत, प्रधान लागत और विनिर्माण उपरी खर्च आदि के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। मूल्य भी ग्राहकों की क्रय शक्ति से प्रभावित होता है क्योंकि एक फर्म को भुगतान करने की क्षमता पर विचार करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अन्य कारकों के मूल्यों को प्रभावित करते हैं:–

– टैरिफ
– अनुदान
– पाटना (डम्पिंग)
– विदेशी विनिमय दर

उपर्युक्त सभी कारकों के लिए कुछ प्रकार के विनियमन की आवश्यकता होती है।

7.4.1 टैरिफ और मूल्य

टैरिफ की प्रणाली मुख्य रूप से अनुचित और विकृत प्रतियोगिता से सुरक्षा प्रदान करती है। टैरिफ कीमत को प्रभावित करती है । वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन (डब्ल्यूटीओ) शासन टैरिफ दर में कमी के लिए प्रदान किया गया। डब्ल्यूटीओ के व्यक्तिगत सदस्य देशों ने टैरिफ दरों को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध किया। इस प्रतिबद्धता के तहत विकसित देशों ने औद्योगिक उत्पादों पर औसत टैरिफ स्तर को कम करना था। कई विकासशील देश भी अपने टैरिफ को कम करने पर सहमत हुए हैं । इन प्रतिबद्धताओं के कारण, औद्योगिक उत्पादों के लिए लागू शुल्क का भारित औसत स्तर 1 जनवरी 1995 से 5 वर्षों की अवधि में गिरावट की उम्मीद है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

– विकसित देशों में 6.3 प्रतिशत से 3.8 प्रतिशत
– विकासशील देशों में 15.3 प्रतिशत से लेकर 12.3 प्रतिशत तक
– संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में 8.6 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक

टैरिफ में कमी का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मूल्य में कमी।

7.4.2 अनुदान और मूल्य

उत्पादकों को अनुदान देने के लिए कुछ देशों की सरकारें निर्यात लक्ष्य निर्धारित करती हैं । घरेलू उत्पादक को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान कहलाता है। अनुदान उत्पादक को कम कीमत पर निर्यात करने में सक्षम बनाता है, यहां तक कि 'पूर्ण लागत' या 'सीमान्त लागत' से कम कीमत पर। सरकार का उद्देश्य देश में भुगतान संतुलन (बीओपी) और रोजगार स्तर का प्रबंधन करना हो सकता है। इस प्रकार, अनुदान, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम करती है और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाती है। अनुदान के संबंध में मूल्य निर्धारण में समस्याएं कवरेज, आकार और अनुदान का आधार होती है।

कृषि पर दोहा मिनिस्ट्रियल घोषणा, 14 नवंबर 2001 को सभी प्रकार के निर्यात अनुदान को कम करने के लिए बुलाया गया, ताकि बाहर निकलने की दृष्टि से देखा जा सके। कृषि अधिकांश देशों में अनुदान के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है।

7.4.3 पाटना (डंपिंग) और मूल्य

'पाटना (डंपिंग)' एक राष्ट्रीय बाजार में किसी अन्य राष्ट्रीय बाजार में बेचने की तुलना में कम कीमत पर किसी उत्पाद को बेचने की प्रथा का वर्णन करता है। पाटना (डंपिंग) राष्ट्रीय बाजारों के बीच मूल्य भेदभाव है। सरकार विदेशी उत्पादकों द्वारा खराब होने के कारण डंपिंग पर विचार करती है। लंबे समय में, देश के आर्थिक विकास के लिए डंपिंग द्वारा कम कीमत हानिकारक होता है। इसलिए, कई देशों की सरकारों ने एन्टी–डंपिंग नियमों का पारित किया है । इन नियमों में आम तौर पर औसत स्तर से ऊपर की कीमतें बढ़ाने के लिए दंडात्मक एंटीडंपिंग शुल्क शामिल है। इस प्रकार सरकारें घरेलू उत्पादकों पर डंपिंग के हानिकारक प्रभावों पर प्रतिक्रिया करती हैं।

पिछले दशक शुरू की गई जांच में, भारत एंटीडंपिंग उपायों के मामले में शीर्ष उपयोगकर्ता है। एक नियम के रूप में, भारत विश्व व्यापर संगठन (डब्लूटीओ) के कुछ सदस्यों द्वारा किया जाने वाला पूरा डंपिंग मुनाफ़ा अंतर में बाकियों के मुकाबले सबसे कम शुल्क लगाता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि व्यापार उपायों का प्रयोग संरक्षक उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12, पृष्ठ 177 और 175)

7.4.4 विदेशी विनिमय दर और मूल्य

विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर बाजार एक मुद्रा को दूसरे में परिवर्तित कर देता है। विनिमय दर एक मुद्रा की कीमत दूसरे मुद्रा के मुक़ाबले से है . आयात और निर्यात से संबंधित गतिविधियां, विदेश से लेकर और विदेशों में दी गई सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लघु अवधि और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश, विदेशी द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय सहायता और जैसे विदेशी विनिमय दर संतुलन होने के लिए आवश्यक है ।

विनिमय दर विभिन्न देशों में वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों के सापेक्ष मूल्यों की तुलना करने में सहायता करती है। मूल्य विनिमय दर की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। विनिमय दर के प्रबंधन से, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी और विनियमित किया जा सकता है।

विदेशी मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा की कमजोरी के कारण आयात महँगा होता है और लंबी अवधि में व्यापार घाटे को कम कर सकता है, अन्य चीजें अपरिवर्तित रहती हैं। यह निर्यात अधिक आकर्षक बना सकता है और व्यापार घाटे को कम कर सकता है। यह प्रवाशी भारतीय (एनआरआई) प्रेषण को अधिक आकर्षक बनाकर चालू खाता घाटे को कम कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, विनिमय दर (या विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव) में अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण फर्म विदेशी विनिमय जोखिमों के संपर्क में आते हैं। फर्म की परिसंपत्तियों, देनदारियों और परिचालन आय के मूल्यों में विदेशी विनिमय दर में बदलाव के कारण उतार–चढ़ाव होता है। विनिमय दर एक पाइपलाइन की तरह है जो भारत को बाकी दुनिया से जोड़ती है। यह इस पाइप

लाइन के माध्यम से है कि माल, सेवाओं और निवेश का प्रवाह एक देश के अंदर और देश से बाहर निकलता है। एक देश का विकास और मुद्रास्फीति दोनों विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करते हैं।

देशों के केंद्रीय बैंक विनिमय दर की निगरानी करते हैं । भारत में, आरबीआई विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए बाजार में कदम रखता है । उदाहरण के लिए, भारतीय रुपये में तेजी से गिरावट आई है। 27 जुलाई 2011 को विनिमय दर 43.94 रुपये थी और फरवरी 2012 के तीसरे हफ्ते तक घटकर 49 रुपए आ गई और मई 16, 2012 को यह एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 54. 13 रुपए पर आ गया। अमेरिकी डॉलर की कीमत को विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉलर के लिए रुपए को 53.80 रुपए वापस लाने के लिए डॉलर बेचा।

रुपया का मूल्यह्रास के कई कारणों में से एक है देश में विदेशी पूंजी प्रवाह में कमी आना और एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक) का शुद्ध विक्रेता बनना एवं इस तरह पूंजी का शुद्ध प्रवाह बढ़ गया था। विदेशी निवेश विनिमय दर के आंदोलनों और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर उनका प्रभाव के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

भारत में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1 जनवरी, 2000 से प्रभावी हुआ। फेमा का एक उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है। इस अधिनियम के अनुसार, रिज़र्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा बाजार में काफी हद तक पूंजी खाता लेनदेन को नियंत्रित करेगा। इस अधिनियम ने संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में विदेशों में भारतीय निवेश के बारे में व्यापक प्रावधान किए हैं। ऐसे निवेश को अनुमति देने के लिए आरबीआई को अधिकार दिए गए है।

एक अन्य विनियामक निकाय भारत का प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI / सेबी) है जो विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) को पेंशन फंड, निवेश ट्रस्ट, आस्ति प्रबंधन कंपनियों जैसे पंजीकृत करता है। पंजीकृत एफआईआई को भारतीय प्राथमिक और द्वितीयक स्कंध विपणन (स्टॉक मार्केट) में पूर्ण प्रत्यावर्तन आधार पर निवेश करने की अनुमति है।

सेबी में, दूसरों के बीच, शेयरों के बाजार मूल्यों में उतार–चढ़ाव को कम करने का उद्देश्य (शक्ति) है और इस प्रकार विनिमय दर के आंदोलनों और रुपए के संबंध में विदेशी मुद्राओं की कीमतों को प्रभावित करता है।

7.5 सारांश

अंतर्राष्ट्रीय निवेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यापार संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों से निकटता से जुड़े होते हैं। विदेशी निवेश दो रूप लेते हैंरू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)। एफडीआई और एफपीआई दोनों ही भुगतान संतुलन (बीओपी) को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश में कई मुद्दे हैं। इनमें से, अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है: बैंकिंग क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में एफडीआई में वृद्धि; आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए बाधाओं को हटाने; अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन (रेटिंग) (उदाहरण के लिए, भारत का सार्वभौमिक साख़ मूल्यांकन), दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक मूल सिद्धांतों की ताकत का

संकेत देने के लिए; खुदरा क्षेत्र में एफडीआई; आय का कराधान और विदेशी निवेशकों के लाभ।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समस्याएं कई हैं। प्रयोज्यता, समयबद्धता और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की सुरक्षा के सामान्य मुद्दों के अलावा, उठाए गए और बहस के कई अन्य मुद्दों में शामिल हैं/विकसित देशों के बीच संबंधों पर प्रभाव, विकसित और कम विकसित; पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रौद्योगिकी; सहयोगी संगठनों में प्रबंधकीय शक्ति और नियंत्रण साझा करने पर प्रभाव; रोजगार, स्थानीय संस्कृति, मूल्य और सामाजिक संगठन पर प्रभाव।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान देने के साथ मूल्य निर्धारण में कुछ मुद्दे बताए गए हैं। मांग और आपूर्ति के अलावा, कीमतों में टैरिफ, अनुदान, पाटना (डंपिंग) और विदेशी विनिमय दर जैसे उपाय प्रभावित होते हैं। ये सभी परोक्ष रूप से संबंधित हैं, लेकिन किसी भी रूप और दिशा के विदेशी निवेश (विदेशी निवेश के अंतर्वाह और बहिर्वाह) के लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

7.6 शब्दवाली

प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः जब कोई फर्म किसी विदेशी देश में उत्पादन और/या बाज़ार की उत्पाद में सीधे निवेश करता है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरणः यह कौशल ज्ञान को हस्तांतरित, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण के तरीकों, विनिर्माण के नमूने, करने की प्रक्रिया है।

7.7 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरे

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य विदेशों में काम कर रहे उद्यमों में .... प्राप्त करना होता है।
2. ....एक राष्ट्रीय बाजार में किसी अन्य राष्ट्रीय बाजार में बेचने की तुलना में कम कीमत पर किसी उत्पाद को बेचने की प्रथा का वर्णन करता है।
3. .... वह दर है जिस पर बाजार एक मुद्रा को दूसरे में परिवर्तित कर देता है।
4. भारत में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) .... से प्रभावी हुआ।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. स्थायी प्रबंधन हित	2. 'पाटना (डंपिंग)
3. विदेशी विनिमय दर	4. 1 जनवरी, 2000

7.9 स्वपरख प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) क्या है?
2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) क्या है?
3. एफडीआई और एफपीआई एक देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) को कैसे प्रभावित करते हैं?
4. ट्रिम्स (TRIMS) क्या हैं?

5. व्यवस्थित जोखिम क्या है?
6. बीमा क्षेत्र में निवेश का मुद्दा क्या है?
7. टैक्स संग्रह के लिए जनरल एंटी–अवॉयडेंस रूल (जीएआर) क्या है?
8. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के उद्देश्य क्या होता हैं? एफडीआई में कुछ मुद्दों का वर्णन करें।
2. 'एफपीआई एक निष्क्रिय निवेश है' स्पष्ट करें और एफपीआई में कुछ मुद्दों का वर्णन करें।
3. विदेशी निवेश प्रवाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन/रेटिंग (सार्वभौमिक साख़ मूल्यांकन) का क्या महत्व है? यह अंतरराष्ट्रीय निवेश को कैसे प्रभावित करता है?
4. खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मुद्दा क्यों उठाया गया है? खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का पक्ष और विपक्षों का क्या तर्क हैं?
5. विदेशी निवेशों के साथ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किस तरह से किया जाता है? विदेशी निवेश के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं?
6. मूल्य निर्धारण विनियमन में मुद्दे पर एक विश्लेषणात्मक लेख लिखें? इन मुद्दों के कुछ उदाहरण दें ।

7.10 संदर्भ पुस्तकें

1. चार्ल्स डब्ल्यू.एल.हिल, इंटरनेशनल बिजनेस: ग्लोबल मार्केटप्लेस में प्रतिस्पर्धा, 5 वें संस्करण (नई दिल्ली, टाटा मैकग्रा–हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, 2005) अध्याय 6 और 7
2. ड.ठ. राव और मंजुल गुरू, डब्ल्यूटीओ और इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरे संस्करण (नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 2003)। अध्याय 10 और 11
3. राकेश मोहन जोशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रथम संस्करण (नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009) अध्याय 12
4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12, (नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मार्च 2012)। सामग्री संख्या 5 – प्रमुख नीतिगत पहल, पी। 124)
5. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति 2006, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2006 (इस प्रकाशन को समय–समय पर मुद्दों के समाधान के लिए और जब वे मुद्दे उठे हैं)
6. द वीक, 11 दिसंबर, 2011, 'खुदरा पूंछ', (कोच्चि, मलयालम मनामम कं लिमिटेड)
7. आर.एम. श्रीवास्तव, बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन, 12 वें संस्करण (नई दिल्ली, एक्सेल बुक्स, 2008)। अध्याय 13

इकाई 8 अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समकालीन विकास एवं मुद्दें

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना
8.2 'VUCA' दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंध करना
8.2.1 सबप्राइम संकट
8.2.2 यूरोपीय ऋण संकट
8.2.3 भारतीय रुपये में अस्थिरता
8.2.4 व्यापार घाटे को बढ़ाना
8.2.5 कराधान चिंताएं
8.2.6 दोहा विकास कार्यसूची में विफलता
8.2.7 व्यापार और पर्यावरण चुनौतियां
8.3 सारांश
8.4 शब्दवाली
8.5 बोध प्रश्न
8.6 बोध प्रश्नों के उत्तर
8.7 स्वपरख प्रश्न
8.8 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समकालीन चुनौतियों और अवसरों को समझ सकें।
- अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मौजूद प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कर सकें।
- दोहा विकास एजेंडा की विफलता के कारणों की व्याख्या कर सकें।
- भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते व्यापार खाते के घाटे के प्रभाव की व्याख्या कर सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती बहस को समझ सकें।

8.1 प्रस्तावना

दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में होने वाले विकास से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता क्योंकि आर्थिक वृद्धि और उदारीकरण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पिछले दो दशकों में कायान्तरित परिवर्तन देखा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल सभी वाणिज्यिक लेनदेन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक देश से दूसरे स्थान पर हो रहे हैं। ये लेनदेन निर्यात और आयात से संबंधित हो सकता है, इस प्रकार एक देश की व्यापार स्थिति के संतुलन को प्रभावित करता है। व्यापार के संतुलन में हुए परिवर्तनों के बाद के पूंजी और चालू खाता लेनदेन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत व्यापारिक घाटे के संतुलन से ग्रस्त हैं जो कि भारतीय रुपया के कमजोर पड़ने पर नतीजों पर पड़ता है एवं इससे रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है। इसके अलावा, देश की सामान्य

आर्थिक गतिविधियों भी प्रभावित होती है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है, फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा पूँजी प्रतिबंधों का पालन होता है और आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ परामर्श कर वित्त मंत्रालय द्वारा आयातित वस्तुओं पर बढ़ोतरी का आदेश ।

विकसित देश जैसे अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की मांग की कमीयों के कारण, सबप्रिमेइ संकट के बाद भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूरोपीय ऋण संकट के कारण यूरोप में भारतीय निर्यात की उल्लेखनीय मांग रही है। भारतीय निर्यातकों को उत्तरी अमेरिकी और यूरोप के अपने दो बाजारों में खरीदार नहीं मिलने के कारण, भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार वातावरण के रूप में वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने के लिए अफ्रीका, मध्य–पूर्व और लैटिन अमेरिका में चारों ओर पांव मारना पड़ता है, क्योंकि यह तेजी से अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होने वाले सामान्य परिवर्तनों के अतिरिक्त कुछ चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए निम्नलिखित हैं।

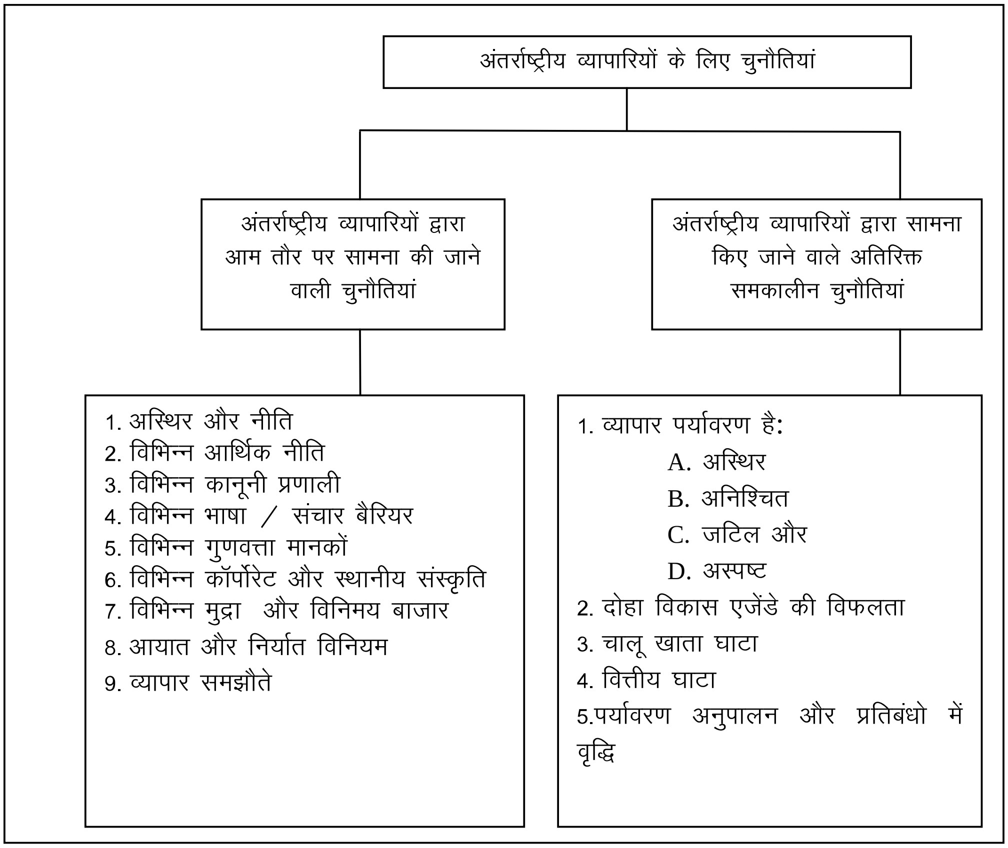

स्रोत : लेखक

भारतीय रुपये की अस्थिरता ने भी भारतीय व्यापारियों और कारोबारियों के लिए बढ़ती चुनौतियों का सामना किया है, क्योंकि एक ओर उससे हमारे आयात मंहगे हुए, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रभाव पैदा हो रहा है। भारतीय

रिज़र्व बैंक ने बैंक दर में वृद्धि की है और सिस्टम में आरक्षित नकदी निधि अनुपात /पुनर्खरीद दर और पुनः पुनर्खरीद दर में तरलता को नियंत्रित करने के लिए अन्य मौद्रिक कदम उठाए हैं। मौद्रिक सख्ती की वजह से राजस्व संग्रह को प्रभावित करने और बेरोजगारी के परिणामस्वरूप राजनीतिक सिस्ट विकास दर को प्रभावित किया है। नतीजतन, सरकार राजकोषीय चुनौतियों का सामना कर रही है क्योंकि राजस्व की रसीद व्यय की तुलना में कम है, जो कि बदले में भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर दबाव बढ़ा रही है।

निर्यात में ढिलाई भी समकालीन समस्या क्षेत्र रहा है क्योंकि भारतीय निर्यातक रूपए में कमजोरी से उत्पन्न यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सभी विकसित प्रमुख बाजारों में गुप्त मांग का भी फायदा नहीं उठा पा रहे । रुपए का मूल्यह्रास और बढ़ी हुई अस्थिरता भारतीय कंपनियों के लिए समस्या क्षेत्र भी रही है, जिन्होंने अपने कारोबार के संचालन के लिए अल्पकालिक ऋण लिया है और रुपये के मूल्यह्रास के कारण पुनर्भुगतान के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। सबसे ऊपर, बढ़ी हुई अस्थिरता ने सवाल उठाए हैं कि क्या आर्थिक संकेतक और भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत बरकरार है या नहीं, जैसा कि विभिन्न बाजार मूल्यांकन एजेंसियों ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अवनति खराब आर्थिक प्रदर्शन के कारण है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, चालू वृद्धि खाता घाटा, खराब औद्योगिक विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी और सुधारात्मक उपाय करने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं की क्षमता, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर लाने के लिए ।

विश्व व्यापर संगठन (डब्ल्यूटीओ) व्यापार वार्ता में दोहा विकास कार्यसूची की विफलता ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया, विशेष रूप से उस क्षेत्र में बंद कर दी है जहां भारतीय सबसे अधिक रुचि रखते हैं, अर्थात सेवाओं में व्यापार। इससे जानबूझकर बढ़ी हुई व्यापार गतिविधियों के लिए भारतीय संभावनाओं और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव पर असर पड़ा है। आज के VUCA माहौल में भारतीय व्यापारियों का सामना करने वाली अन्य समकालीन चुनौतियों से पर्यावरणीय अनुपालन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका के कारण व्यापार प्रतिबंध बढ़े हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण परन्तु ध्यान देने योग्य है कि भारतीय आर्थिक प्रणाली अभी भी औद्योगिक नवाचार, पेटेंट, तकनीकी सफलता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है जो समकालीन कारोबारी माहौल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता की कुंजी है। उपरोक्त प्रकाश में, अध्यायों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और व्यापार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समकालीन चुनौतियों के वैचारिक और व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करना है।

8.2 'VUCA' दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंध करना

शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य की सैन्य द्वारा पहली बार VUCA विश्व की अवधारणा बनाई गई थी। VUCA का अर्थ है अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट वातावरण, जहां कोई निश्चित नहीं है कि उसका कोई राजनीतिक या आर्थिक या सैन्य विरोधी है, क्योंकि बहुराज्यीय दुनिया का उद्भव दोनों राज्यों और गैर–राज्य अभिनेताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ था। प्रौद्योगिकीय सफलता के साथ, यहां तक कि छोटे गैर–राज्य के कर्ता विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्रों की आर्थिक और सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यू.एस. दंग रह गया था, जब 9 सितंबर, 2001 को गैर–राज्य कर्ताओं द्वारा इसे जोड़ा गया था । सभी क्षेत्रों में आने वाली घटनाओं में यह बेहद अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट वातावरण में सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक हो गया है। हालिया समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सामना करने वाली कुछ समकालीन चुनौतियों निम्नलिखित हैं।

8.2.1 सबप्राइम संकट

यू.एस. सबप्रिम ऋण संकट उन घटनाओं और स्थितियों का एक दस्ता था जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय संकट और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके परिणामस्वरूप संभोग का कारण बन गया। सबप्राइम संकट के कई कारण हैं लेकिन मुख्य कारण मौद्रिक नियंत्रण के अत्यधिक ढीले होना, कोई नियामक अनुपालन नहीं होना और प्रतिबंधो एवं बंधक जुर्माने की फौजदारी के कारण ऋण प्रतिभूतियों की कमी होना रहीं । बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (एमबीएस) शुरू में बंधक पर उच्च दरों की ब्याज मिलने के कारण आकर्षक थी; हालांकि, कम साख़ गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर चूक हुई थी। सितंबर 2008 में कई बड़े वित्तीय संस्थान गिर गए, जिसमें कारोबार और उपभोक्ताओं को साख़ के प्रवाह में महत्वपूर्ण व्यवधान और गंभीर वैश्विक मंदी की शुरुआत हुई।

सबप्राइम संकट में सामान्यतः वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर, दीर्घकालिक परिणाम थे। संयुक्त राज्य अमेरिका बैंकिंग प्रणाली का पूरा पतन हुआ था और कई बैंक दिवालिया होने के लिए दायर किए हुए थे। जिन बैंकों ने ऐसे अमेरिकी बैंकों के साथ संपर्क किया है, वे सभी दुनिया भर में आर्थिक नुकसान से गुज़र रहे थे। निवेशक समुदाय को पूरी तरह से झटका लगा था क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में शेयरों की कीमतों में गिरावट के कारण अरबों डॉलर खो दिए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक गंभीर मंदी में प्रवेश कर जाती है. यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2008 और 2009 के दौरान लगभग 9 मिलियन नौकरियों का नुकसान हुआ था, जो आबादी के प्रतिशत में लिए जाने वाले कर्मचारियों का लगभग 6.7% के बराबर था। संपत्ति की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी क्योंकि अमेरिकी आवास की कीमत औसतन 30% गिर गई। नास्डैक (NASDAQ) सूचीबद्ध शेयरों की स्टॉक की कीमत 2009 के शुरुआती दिनों में लगभग 50% गिर गई। सबप्राइम संकट ने हमें यह जानकारी दी है कि यदि बाजार पूरी तरह से अनियमित रहता है और बाजार की घटकों द्वारा नियंत्रित होता है तो आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं। सबप्राइम संकट का खौफ अभी भी पूरी दुनिया में मौजूद है क्योंकि मुख्य रूप से सबप्राइम संकट के कारण अन्य संकटों की श्रृंखला सामने आई है। उदाहरण के लिए, भारतीय रुपया की अस्थिरता तेजी से संघीय प्रोत्साहन मांग के चलते है जो कि संयुक्त राज्य में हो रहा है और जो सबप्राइम संकट के बाद पेश किया गया था ताकि मंदी और औद्योगिक मंदी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।

8.2.2 यूरोपीय ऋण संकट

सबप्राइम संकट का एक परिणाम हैं यूरो क्षेत्र संकट, जो 2009 के उत्तरार्ध से वहां चल रहे आर्थिक संकट के कारण यूरो ज़ोन के देशों को प्रभावित कर रहा है। यह संकट ग्रीस से शुरू हुआ, जहाँ उनके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के

मुकाबले उनका बढ़ता उच्च ऋण था । मुख्य बिंदु, कुछ यूनानी बैंकों द्वारा संयुक्त राज्य में सबप्राइम बंधक के लिए जोखिम में सम्मिलित होना था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बैंकिंग संस्थान गिर जाने के कारण, यूरोप के बैंकिंग प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित किया गया क्योंकि कई यूरोपीय बैंकों ने इन असफल अमेरिकी बैंकों पर कर्ज/निवेश किया हुआ था । कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सबप्राइम के परिणाम के मुकाबले यह अब तक गहरी संकट है क्योंकि उनका कहना है कि यूरोपीय ऋण संकट संप्रभु ऋण संकट, बैंकिंग संकट और विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता संकट का संयुक्त परिणाम है। इसे यूरो संकट के रूप में भी जाना जाता है । यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य, पीटर प्रेट के अनुसार, यूरो ज़ोन संकट निम्नलिखित तीन तथ्यों का परिणाम है:

(i) कि कुछ यूरोपीय संघ के बैंकों की ऋण चुकाने की क्षमता घरेलू स्वायत्त ऋण के लिए महत्वपूर्ण निवेश से परेशान थी;

(ii) कि सरकारी बांडों की बाजार मूल्य में गिरावट से तरलता उपभेद हो गए, क्योंकि इन बांडों को अंतर–बैंक बाजारों में सहायक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था और

(iii) कुछ मामलों में, यूरोपीय देशों की सरकारों ने अपने देशों के कर्ज की कीमत पर, कमजोर घरेलू बैंकों को धन मुहैया कराया था।

यूरो–जोन संकट का नतीजा यह है कि यूरो क्षेत्र में कई यूरोपीय संघ के देशों के लिए तीसरे पक्षों की सहायता के बिना उनकी सरकारी ऋण चुकाने या पुनर्वित्त करने के लिए यह मुश्किल या असंभव बना। कुछ समस्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं क्योंकि यूरो क्षेत्र के कुछ बैंकों को अल्प पूँजी से लैस कर दिया गया है और हाल के वर्षों में चलनिधि समस्याओं का सामना किया गया है। यूरोपीय देशों के लिए सबसे अधिक तनाव का कारण सम्पूर्ण यूरो क्षेत्र का धीमा आर्थिक विकास होना और सदस्य राज्यों में असमान रूप से वितरित किया गया। उदाहरण के लिए, जब जर्मनी आर्थिक रूप से बढ़ रहा था, ग्रीक, पुर्तगाल, स्पेन और इटली जैसे देशों में मंदी का दौर था।

8.2.3 भारतीय रुपये में अस्थिरता

विभिन्न कारणों से भारतीय रुपये में घटने वाला रुझान दिख रहा है। उनके बीच प्रमुख कारण वर्तमान खाता घाटे का बढ़ना हैं क्योंकि निर्यात बढ़ नहीं रहे हैं लेकिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, सोने के आयात, हीरा आयात, खाद्य तेल आयात, कोयला आयात आदि के कारण आयात तेजी से बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर सरकार की नीतिगत पक्षाघात भारतीय रुपया में गिरावट के कारण बढ़ती अस्थिरता में योगदान दे रहा है। रुपया 29 अगस्त, 2013 को ऐतिहासिक स्तर जैसे अमेरिकी डॉलर के रूप में 67 डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है । नीचे की तालिका में हालिया अवधि में रुपए की अस्थिरता के लिए समय श्रृंखला का संकेत मिलता है।

हाल के वर्षों में भारतीय रुपये की अस्थिरता	
8 जनवरी, 2008	39.11
30 अगस्त, 2008	43.80
1 जनवरी, 2009	48.09
1 जनवरी, 2010	46.61

1 जनवरी, 2011	44.70
1 जनवरी, 2012	53.06
1 जनवरी, 2013	54.68
29 अगस्त, 2013	67.70

स्रोत :www..xe.com

भारतीय रुपये की अस्थिरता ने भारत में समकालीन व्यापारिक लोगों के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है। आयातक बढ़ते आयात की लागत की शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डॉलर में परिवर्तित करने के लिए अधिक भारतीय रुपए का भुगतान करना पड़ता है। बढ़ते आयात की लागत के कारण, भारतीय पीओएल की लागत में वृद्धि हुई है इसलिए बाजारों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति है। भारत सरकार ने कई बार पेट्रोल/डीजल/गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। भारतीय रुपए के मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातक वस्तुओं की आगत लागत भी अधिक हो रही है। भारतीय रुपया में बढ़ी हुई अस्थिरता के चलते विभिन्न सेवाओं के आयातक शिकायत करते हैं।

8.2.4 व्यापार घाटे को बढ़ाना

भारतीय रुपयों में बढ़ोतरी में बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में से एक देश का व्यापारिक अंतर है जिसने भारतीय रुपए की खतरनाक स्तर को घटाया है जो की वित्त वर्ष 2012–13 के लिए भारत का व्यापार घाटा 191 अरब अमेरिकी डालर रहा और वित्त वर्ष 2011–12 के लिए यह 185 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर खड़ा था, जो 2010–11 में व्यापार घाटे से 55 फीसदी अधिक है। मजबूत डॉलर एक अन्य कारक है जो रुपए के मूल्यह्रास में योगदान कर रहा है। आयातकों की बढ़ती मांग ने रुपये पर दबाव बढ़ा दिया। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा वित्तीय उत्तेजना पैकेज को बंद करने के कारण पिछले कुछ महीनों में डॉलर वैश्विक रूप से मजबूत रूप से मजबूत हो गया है। 2005–2012 की अवधि के लिए भारत का विदेशी व्यापार प्रदर्शन और व्यापार घाटा स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	आयात	निर्यात	भुगतान संतुलन
2005-06	140	100	40
2006-07	178	121	57
2007-08	218	145	72
2008-09	315	181	133
2009-10	266	176	89
2010-11	350	220	129
2011-12	462	301	160
2012-13	488	289	199

स्रोत :कॉम ट्रेड, जिनेवा

भारतीय नीति निर्माताओं के लिए मुख्य समकालीन चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि देश के निर्यात को विकास के रास्ते में आने चाहिए और देश के विनिर्माण क्षेत्र को उत्पादकता बढ़ाने के साथ बढ़ना चाहिए ताकि विदेशी आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम हो सकें । भारतीय नीति निर्माताओं को उन क्षेत्रों में या उस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौतों/अधिमान्य व्यापार समझौतों पर बातचीत करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है जहां भारतीय निर्यातक तुलनात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का आनंद लेते हैं। अभी तक मुक्त व्यापार समझौतों से निर्यात के विकास में भारत का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा

है और हमारे नीति निर्माताओं को इस चुनौती को जल्द से जल्द संबोधित करने की जरूरत है। एक ऐसा उपाय हाल के दिनों में सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए किया गया है। यह मामला ढांचागत चुनौतियों को दर्शाता है जिससे की सोने के आयात के बढ़ने से भारत के व्यापार घाटा बढ़ जाता हैं।

केस: बढ़ी हुई सोने का आयातरू व्यापार घाटे को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता
भारत विश्व में मात्रा के मामले में 11.2 प्रतिशत के आयात में वृद्धि और 2011–12 के दौरान मूल्य के मामले में 39.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है । गोल्ड पेट्रोल पदार्थ (पीओएल) के बाद भारत का दूसरा प्रमुख आयात मद है और मूल्य के संदर्भ में 2011–12 में इसके कुल आयात में 11.3 प्रतिशत का आयात करता है। सोने के आयात में वृद्धि भारत के उच्च व्यापार घाटे और 2011–12 में सीएडी (CAD) में योगदान करने वाली कारकों में से एक है, जो अपने व्यापार घाटे का 30 प्रतिशत का गठन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्किंग ग्रुप की मसौदा रिपोर्ट में भारत में गैर–बैंकिंग वितीय सन्स्थाये (एनबीएफसी) द्वारा सोने के आयात और गोल्ड लोन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हुए कहा है कि, भारत में सोने का आयात 24 प्रतिशत बढ़ गया है (पिछले तीन वर्षो में विश्व सोने की मांग में सामान्य वृद्धि) 2011–12 के 39 प्रतिशत के मुकाबले, सीएडी लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम होगा और सीएडी–जीडीपी का अनुपात 4.2 प्रतिशत के बजाय 3.9 प्रतिशत होगा। वैश्विक स्तर पर, चीन और भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मांग के कारण सोने की मांग बढ़ रही है। स्वर्ण के आयात के लिए प्रमुख स्रोत देशों में स्विट्जरलैंड शामिल है, जो कि 2011–12 के दौरान कच्चे सोने के भारत द्वारा कुल आयात का 52 प्रतिशत था (जिसके कारण भारत के लिए व्यापार का प्रतिकूल द्विपक्षीय संतुलन हुआ), इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (17.6 प्रतिशत), और दक्षिण अफ्रीका (11.5 प्रतिशत)। सोने के आयात में वृद्धि कई कारकों के कारण है । पीले धातु के लिए भारतीयों का प्यार अच्छी तरह से जाना जाता है। भारत विश्व में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है जिसमें खपत 2006 में 721.9 टन, 2011 में 933.4 टन से बढ़ रही है और 2012 के पहले तीन तिमाहियों में 612 टन, 2011 भारत का विश्व सोने की खपत में 27 प्रतिशत और 2012 में 26.4 प्रतिशत (पहले तीन क्वार्टरों की कुल) का योगदान रहा । सोने के आयात में बढ़ती प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए जो भारत के भुगतान संतुलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, उपायों को सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। 2012–13 में बजट में मानक सोने और प्लेटिनम पर आयात शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और गैर मानक सोना 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। 21 जनवरी 2013 को, सोने और प्लेटिनम पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के बीच एक लिंक प्रदान करने का प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया गया है जिसका उद्देश्य गोल्ड ईटीएफ के तहत म्यूचुअल फंडों द्वारा वास्तविक रूप से आयोजित स्वर्ण के एक भाग को जारी करना और उन्हें सोने के साथ गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत बैंक में जमा करना हैं । **स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार 2013**

8.2.5 कराधान चिंताएं

भारतीय कारोबारी एक और समकालीन चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसमे विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों के बारे में ओछा भावनाओं का मूल कारण करों की चिंताए एवं देश में राजकोषीय घाटे का नतीजा होना है। कराधान पर स्पष्टता की कमी ने विदेशी निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर दी है और इससे फंड अंतर्वाह पर असर पड़ा है। विश्लेषिकी का कहना है कि रुपयों के मूल्यह्रास पर प्रभाव बहुत अधिक गिर गया है। भारत के नीति निर्माताओं गैर सरकारी मर्ज की वजह से राजकोषीय घाटे को चौड़ा करने पर भ्रम को स्पष्ट करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन खराब औद्योगिक वृद्धि के चलते खराब राजस्व प्राप्तियां हुई हैं । भारतीय राजकोषीय स्थिति के व्यापक आर्थिक परिदृश्य को स्पष्ट करते हुए तालिका नीचे दी गई है:

भारत की वित्तीय स्थिति – राजस्व प्राप्ति और व्यय का विवरण और प्रतिशत वित्तीय घाटा			
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	2012-2013	2012-2013	2013-2014
राजस्व प्राप्तियां	935685	871828	1056331
पूंजी रसीदें	555241	558998	608967
कुल प्राप्तियां	1490925	1430825	1665297
गैर–योजना व्यय	969900	1001638	1109975
योजना व्यय	521025	429187	555322
कुल खर्च	1490925	1430825	1665297
राजस्व घाटे	350424	391245	379838
	(3.4)	(3.9)	(3.3)
प्रभावी राजस्व	185752	266970	205182
घाटा	(1.8)	(2.7)	(1.8)
राजकोषीय घाटा	513590	520925	542499
% में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय घाटा	(5.1)	(5.2)	(4.8)

स्रोत :www.indianbudget.nic.in

अशांत समय में, जब पूरी विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का सामना करना पड़ रहा है और रुपया गिर रहा है, भारतीय सरकार को ऐसे उपायों का सहारा नहीं करना चाहिए जो शेयर बाजारों और विदेशी निवेशकों की भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार को जनरल एंटी अवॉयडेंस नियम या गार (जनरल एंटी–अवॉयसन रूल) पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चालू खाता घाटे को चौड़ा करने के साथ, हमारे नीति निर्माताओं के लिए नीतिगत कदम उठाना महत्वपूर्ण है, जो कि देश की भुगतान स्थिति के संतुलन को छेड़ा नहीं करता है।

समकालीन व्यापार परिदृश्य में मध्य–वर्ष के कोर्स में उपयुक्त नीति प्रतिक्रिया के साथ सुधार बढ़ गया। घाटे को विनियमित करने और सकारात्मक कारोबारी माहौल बनाने के लिए व्यय को कम करने के माध्यम से राजकोषीय समेकन, तत्काल आवश्यकता का समय था। सरकार ने तदनुसार अगस्त, 2012 में केलकर समिति को एक महीने की अवधि के भीतर 'राजकोषीय समेकन के लिए दिशानिर्देश' का सुझाव दिया था। केलकर समिति ने वित्त मंत्रालय, संबंधित लाइन मंत्रालयों और योजना आयोग से दी गई समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें कीं। अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए, केलकर समिति ने राजकोषीय घाटे के बढ़ते रुझान को

रोकने के लिए कई उपाय सुझाए। समिति ने पाया कि घरेलू स्रोतों के माध्यम से घाटा वित्तपोषण मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है। उसी समय, जुड़वां घाटे परिकल्पना का अर्थ है कि, निजी बचत के एक निश्चित स्तर को देखते हुए, राजकोषीय घाटे में वृद्धि या तो निजी निवेश में कमी या चालू खाता घाटे में वृद्धि द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों की साक्षी रही है।

भारत सरकार ने इस समकालीन चुनौती को हल करने एवं राजस्व से मिलान करने के लिए योजना और गैर–योजना व्यय दोनों को तर्कसंगत बनाने का प्रमुख अभ्यास किया है। इसलिए, व्यय को तर्कसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलन, योजना में कटौती, योजना में कमी और कार्यान्वयन अनुसूची के आधार पर विज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय, व्यय आदि की गति के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं आदि को सार्वजनिक व्यय रखने के लिए लिया गया। उपलब्ध संसाधन सीमा और राजकोषीय घाटे के लक्षित स्तरों के भीतर रहे, फिर भी सरकार ने अपने खर्च को और राजकोषीय अनुशासन के साथ संसाधनों को ऊपर उठाने के लिए प्रमुख कदम उठाए हैं, विकास पुनरुत्थान के लिए बाजार में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति, बहु–ब्रांड खुदरा बिक्री में एफडीआई की अनुमति, विदेशी बैंकों को अनुमति देने के लिए बैंकिंग विनियमन कानूनों में संशोधन करने, जनरल एंटी–अवॉयडेंस नियम को पारित करने की इजाजत सहित महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया। सरकार को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका खर्चों को सीमित करने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय कदमों के साथ सुधारों ने बाजार की भावनाओं को पुनर्जीवित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में नए आत्मविश्वास को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में कुछ हद तक देखा जाएगा।

8.2.6 दोहा विकास कार्यसूची में विफलता

विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय व्यापार का 9वा दौरा, दोहा विकास एजेंडा नवंबर 2001 में दोहा, कतर में शुरू किया गया, जो 2005 के शुरूआत तक समाप्त होना था । एजेंडे के कुछ मुख्य बिंदु सेवाओं के क्षेत्र में बाधाएं, पर्यावरणीय मुद्दों, और कृषि वस्तुओं में स्वतंत्र व्यापार। इसके अलावा, दोहा विश्व व्यापर संगठन का पहला दौर था जिसमें ब्राजील, चीन या भारत जैसे बड़े उभरते बाजारों से सम्बंधित महत्वपूर्ण बात थी, इस प्रकार वार्ता की जटिलता बढ़ रही थी। हालांकि, बातचीत कई बार ढह गई और समय सीमा लगातार अतिदेय थी । दस सालों के बाद, व्यापार वार्ताकार एक समझौते तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं और निकट भविष्य में दोहा दौर को समाप्त करना चुनौतीपूर्ण लगता है। दोहा के पतन के कारण कई देशों ने विश्व व्यापार संगठन की लंबी बहुपक्षीय प्रक्रिया वार्ता के बजाय द्विपक्षीय वार्ता या क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का सहारा लिया है। दोहा की असफलता बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की विश्वसनीयता की धमकी देती है और 21 वीं सदी की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की पुरानी संरचना को सुधारने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करती है। दोहा विकास की विफलता के कारण बहुत से हैं । असफलता के कुछ कारणों के साथ यहाँ इसकी चर्चा की गई है। सबसे पहले, दोहा की विफलता आंशिक रूप

से, विकसित और विकासशील देशों के बीच विभाजन के कारण थी। उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख बल बन गई हैं और पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली शक्तियां बन रही हैं। उदाहरण के लिए, जब चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया था, तब तक कोई भी यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह 2010 में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन जाए; अब, चीन के टैरिफ प्रोफाइल या रॅन्मिन्बी वैल्यू जैसे मुद्दों पर वैश्विक हित हो गए हैं, जिनसे वार्ता के दौरान चीन को बड़ा प्रभाव मिला।

दोहा की बातचीत के दौरान, उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने अपने समूह के लिए अधिकतम लचीलापन अपनाया और विकसित देशों के बाजार खोलने की जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे महत्वपूर्ण कर्ताओ ने बातचीत में जमीन खो दी है। टैरिफ में सबसे ज्यादा कटौती और सबसे महत्वपूर्ण बोझ विकसित देशों पर पड़ता है, जबकि विकासशील देशों में अधिक आराम से कटौती और धीमी कार्यान्वयन समय का आनंद मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण लचीलापन होता है। इस मायने में, यह देखा जा सकता है कि सत्ता का संतुलन बदल रहा है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक से अधिक प्रभाव प्राप्त होता है जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ का क्षेत्रफल कम हो रहा है।

एक और मुद्दा कृषि व्यापार था, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के लिए एक संवेदनशील विषय जो आर्थिक क्षेत्र को भारी सब्सिडी देते हैं। वार्ताकारों ने यह चिंतित किया कि गंभीर टैरिफ कट कोई भी महत्वपूर्ण लाभ के बिना उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। इसलिए सरकारों के लिए टैरिफ कटौती से सहमत होने के लिए घरेलू हित समूहों को समझना मुश्किल था फिर भी, 2005 में हांगकांग मंत्रिस्तरीय में, सरकारें इस दिशा में एक समझौते पर पहुंच गईं (यूरोपीय संघ ने 2013 तक कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि औद्योगिक देशों ने कम से कम विकसित देशों के निर्यात पर टैरिफ को 97% तक समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की)। इन सभी समकालीन चुनौतियों के अलावा, दोहा दौर को वित्तीय संकट से सामना करना पड़ा था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुई तेजी से बदलाव के साथ जो बातचीत की अप्रचलित संरचना, विकसित और विकासशील देशों के बीच हुई विरोधाभासी रहीं ।

8.2.7 व्यापार और पर्यावरण चुनौतियां

चूंकि पर्यावरणीय समस्याएं अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं के पार होती हैं, इसलिए प्रतिक्रिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाई शामिल होना चाहिए। विश्व पर्यावरण संगठन के सदस्यों ने वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच तालमेल की आवश्यकता को लंबे समय से मान्यता दी है। विश्व व्यापार संगठन–विदेश मंत्रालय के संबंधों पर मौजूदा वार्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और पर्यावरण एजेंडा के बीच सकारात्मक सहयोग बनाने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन सचिवालय और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के सचिवालयों के बीच नियमित और नित्य संपर्क होता है।

पर्यावरण के मुद्देः फ्रांस द्वारा अभ्रक के आयात पर रोक लगाई गई

अभ्रक (क्रायसोनेट एस्बेस्टोस) को आम तौर पर अत्यधिक विषैले पदार्थ माना जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य (जैसे कि एस्बेस्टोसिस, फेफड़े के कैंसर और मेसोथेलियोमा) के लिए महत्वपूर्ण खतरे हैं। हालांकि, कुछ गुणों (जैसे कि अत्यधिक उच्च तापमान के प्रतिरोध) के कारण, क्रायसोनेट एस्बेस्टोस का व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। अभ्रक से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, फ्रांसीसी सरकार, जो पहले से बड़ी मात्रा में क्रायसोनेट एस्बेस्टोस के आयातक थे, ने पदार्थों के साथ–साथ उन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था जो इसमें शामिल थे।

यूरोपीय समुदाय ने मानव स्वास्थ्य संरक्षण के आधार पर इसकी निषेध को न्यायसंगत ठहराया है और यह तर्क दिया कि अभ्रक (एस्बेस्टोस) न केवल लंबे समय तक प्रदर्शन के आधार पर निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था, बल्कि आबादी के लिए कभी–कभी जोखिम के अधीन था।

विश्वव्यापी अभ्रक (एस्बेस्टोस) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन में निषेध का विरोध किया । हालांकि इसने अभ्रक (एस्बेस्टोस) से जुड़े खतरों को चुनौती नहीं दी, लेकिन यह तर्क दिया कि सीमेंट मैट्रिक्स में समेकित रेशेदार फाइबर और क्रिसमस के बीच भेद होना चाहिए। उत्तरार्द्ध, यह तर्क दिया गया, फाइबर को रिहा करने से रोका गया और मानव स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला गया। यह भी तर्क दिया गया था कि फ्रांस जो अभ्रक के विकल्प के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग कर रहा था, उसका पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया गया था और वो (पदार्थ) स्वयं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है।

स्रोत: www-wto-org

वार्ता के वर्तमान दोहा दौर सदस्यों को व्यापार के लिए बाधाओं की निरंतर कमी के माध्यम से वैश्विक पैमाने पर संसाधनों का और अधिक कुशल आवंटन हासिल करने का एक मौका देता है। यह दौर भी व्यापार, विकास और पर्यावरण के लिए जीत–जीत–जीत के परिणामों का पीछा करने का एक अवसर है। उदाहरण के लिए, दोहा दौर में पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और व्यापक उद्देश्य व्यापार और पर्यावरण के आपसी समर्थन को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। सदस्य वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो पर्यावरण को लाभ पहुंचा सकते हैं। वे विश्व व्यापार संगठन के नियमों और विभिन्न समझौतों में विशिष्ट व्यापार दायित्वों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व को बनाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिनसे पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुपक्षीय रूप से बातचीत की गई है। दोहा वार्ता के अन्य हिस्से , उदाहरण के लिए कृषि वार्ता के पहलुओं और मत्स्य पालन अनुदान पर भी अनुशासन, पर्यावरण के लिए भी प्रासंगिक हैं।

भारतीय व्यापारियों को समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (VUCA /वीयूसीए) समय में इन सभी समकालीन चुनौतियों के लिए और भारत को व्यापार करने के लिए एक महान जगह बनाने के लिए अपनी रणनीतियों और निर्णयों का फायदा उठाना होगा ताकि

सभी दौर आर्थिक और समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक समृद्धि प्राप्त की जा सके।

8.3 सारांश

दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में होने वाले विकास से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता क्योंकि आर्थिक वृद्धि और उदारीकरण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पिछले दो दशकों में कायान्तरित परिवर्तन देखा है। सब–प्राइम संकट के पशचात, भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए चुनौती दी गई है क्योंकि विकसित देश जैसे अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की मांग में कमी थी। यूरोपीय ऋण संकट के कारण यूरोप में भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय मांग रही है। भारतीय निर्यातकों को उत्तरी अमेरिकी और यूरोप के दो बाजारों में खरीदार नहीं मिल सकता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वातावरण के रूप में वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने के लिए अफ्रीका, मध्य–पूर्व और लैटिन अमेरिका में चारों ओर पांव मारना पड़ता है, क्योंकि यह तेजी से अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट है।

शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य की सेना द्वारा पहली बार टन्ब। विश्व की अवधारणा बनाई गई थी। VUCA का अर्थ: अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट वातावरण है, जहां कोई निश्चित नहीं है कि उसका राजनीतिक या आर्थिक या सैन्य विरोधी कौन है, क्योंकि बहुराज्यीय दुनिया का उद्भव दोनों राज्यों और गैर–राज्य अभिनेताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ था। बुद्धि प्रौद्योगिकीय सफलता, यहां तक कि छोटे गैर–राज्य के अभिनेता विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्रों की आर्थिक और सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। हालिया समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सामना करने वाली कुछ समकालीन चुनौतिया निम्नलिखित हैं:

- सबप्राइम संकट
- यूरोपीय ऋण संकट
- भारतीय रुपया में अस्थिरता
- व्यापार घाटे को बढ़ाना
- दोहा विकास कार्यसूची की विफलता
- व्यापार और पर्यावरण चुनौतियां

भारतीय व्यापारियों को समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (VUCA) समय में इन सभी समकालीन चुनौतियों के लिए अपनी रणनीतियों और निर्णयों का फायदा उठाना होगा और भारत को व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाना होगा जिससे कि सभी दौर आर्थिक और समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक समृद्धि प्राप्त की जाती है।

8.4 शब्दवाली

- VUCA टाइम्स: VUCA (वीयूसीए) अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट समय को संदर्भित करता है जिसके तहत दुनिया भर में 2008 के आर्थिक संकट की श्रृंखला के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कमी आई है।

- **यूरो जोनः** यूरो जोन यूरोपीय संघ का क्षेत्र है जहां यूरो मुद्रा स्वीकार कर लिया गया है। अब तक यूरोपीय संघ के 28 देशों में से 18 देशों ने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है।
- **दोहा विकास कार्यसूची (एजेंडा):** यह विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ता का दौर है और इसका उद्देश्य कृषि, व्यापार सुविधा, सेवाओं के व्यापार में व्यापारिक बाधाओं को कम करना है एवं विकसित देशों की तरह विकासशील देश के लिए बेहतर बातचीत का अवसर प्रदान करना है।
- **व्यापार घाटाः** व्यापार घाटे में निर्यात की तुलना में अधिक आयात किए जाने की स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह व्यापार संतुलन की प्रतिकूल स्थिति के रूप में भी जाना जाता है।

8.5 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरें

1. जब सरकार का कुल व्यय, राजस्व से अधिक होता है (उधार लिए हुए पैसा को छोड़कर) .... कहलाता है ।
2. रुपए का अपव्यय तब होता है जब रुपया का .... अन्य मुद्राओ जैसे, डॉलर के मुकाबले घटता है।
3. सबप्राइम संकट 2008 में ....में हुआ जो बंधक/गिरवी दोषों को दर्शाता है।
4. विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय व्यापार का .... दौरा, दोहा विकास एजेंडा नवंबर 2001 में दोहा, कतर में शुरू किया गया ।

8.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राजकोषीय घाटा 2. आंतरिक मूल्य 3. संयुक्त राज्य अमेरिका 4. 9वा

8.7 स्वपरख प्रश्न

1. वर्तमान कारोबारी माहौल में भारत को किन मुख्य समकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
2. संयुक्त राज्य की सब–प्राइम संकट और इसके वैश्विक कारोबारी माहौल पर असर को स्पष्ट करें?
3. यूरो जोन संकट पर एक निबंध और समकालीन कारोबारी माहौल पर इसके प्रभाव को लिखें?
4. भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटे के कारणों पर चर्चा करें? 2005–12 से व्यापार घाटे के स्वरूप की व्याख्या करें?
5. भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटे के कारणों और भारतीय रुपये के मूल्यह्रास पर इसका असर होने की वजह को समझाएं?
6. दोहा विकास एजेंडे के कारण क्या हैं? स्पष्ट करें ।

8.8 संदर्भ पुस्तकें

1. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, राज कुमार, एक्सेल प्रकाशन, 2008 ।
2. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, फ्रांसिस चेरुनिलम, मैकग्रा हिल प्रकाशन, 5 वीं संस्करण ।

3. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, स्टीवन हस्टेड और माइकल मेलविन, पियर्सन प्रकाशन, 9 वीं संस्करण।
4. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, जेम्स गरबर, पियर्सन प्रकाशन, 6 वा संस्करण ।
5. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, डी.एम मिथानी, हिमालय पब्लिशिंग हाउस; संस्करण 11 वा, ISBN नं. 8178660962 ।
6. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र: सिद्धांत और नीति, 8 वें संस्करण, पॉल आर. क्रुगमैन, पियर्सन एजुकेशन इंडिया ।
7. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, डॉ निर्मल भालेराव और एसएसएम देसाई, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, 1 संस्करण ।
8. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, एम.एल. झिंगन, वृंदा पब्लिशिंग हाउस ।
9. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, डी. एन. द्विवेदी, आईएसबीएन: 8122005349
10. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, स्टीवन एल. हस्टेड, माइकल मेलविन, हार्पर–कोलिन्स प्रेस ।
11. जोहान डैनियल, और ली एच. राडेबॉघ, इंटरनेशनल बिजनेस पर्यावरण और संचालन, पियर्सन प्रकाशन, 14 वीं संस्करण
12. राकेश मोहन जोशी, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑक्सफ़ोर्ड प्रेस, इंडिया संस्करण ।
13. दोहा दौर असफल होने के कारण द्विपक्षीय और अंतर–क्षेत्रीय विदेशी व्यापार समझौता (एफटीए) क्यों हुआ और वैश्विक स्तर के व्यापार के लिए परिणाम । www-geopolitics-ro के खंड ।

इकाई 9 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का राष्ट्रीय नियमन

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना
9.2 भारत की विदेश व्यापार नीति
9.3 विदेश व्यापार नीति एवं विभिन्न क्षेत्र (सैक्टर)
9.3.1 कृषि क्षेत्र
9.3.2 हथकर्घा एवं दस्तकारिता क्षेत्र
9.3.3 कीमती पत्थरों एवं आभूषणों का क्षेत्र
9.3.4 चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र
9.4 विदेश व्यापार नीति 2009–2014
9.5 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
9.6 विदेशी समता पूँजी निवेश पर सरकारी नीति
9.7 स्वचालित मार्ग की कार्य विधि
9.8 विदेशी निवेशक को लाभ
9.9 आयोजक देश के रुप में भारत के लाभ
9.10 भारत में विदेशी विनियोग की विधियॉ
9.10.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्गत मार्ग
9.10.2 विदेशी संस्थानात्मक निवेश
9.10.3 विदेशी जोखिम पूँजी निवेश
9.10.4 अनिवासी निवेश
9.11 सारांश
9.12 शब्दावली
9.13 बोध प्रश्न
9.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
9.15 स्वपरख प्रश्न
9.16 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- भारत की विदेश व्यापार नीति का वर्णन कर सकें।
- विदेशी समता पूँजी निवेश पर सरकारी नीति का वर्णन कर सकें।
- भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की व्याख्या कर सकें।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्गत मार्ग को समझ सकें।
- आयोजक देश एवं गृह देश दोनों के दृष्टिकोण से एफ0डी0आई0 के नियमन के पीछे औचित्य का परीक्षण कर सकें।
- आर्याजक देश एवं गृह देश दोनों में एफ0डी0आई0 के नियमन की कार्यविधियों पर चर्चा कर सकें।

9.1 प्रस्तावना

व्यापार किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संवृद्धि एवं विकास को स्थायी बनाने का एक अपरिहार्य साधन है। भारत में, विदेश व्यापार के प्रशासन का प्रमुख विधान

विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन), अधिनियम 1992 है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार विदेश व्यापार नीति का निरुपण एवं घोषणा करती है और इसे समय–समय संशोधित करती है। नयी विदेश व्यापार नीति (एफ0टी0पी0) की अगस्त 2004 में घोषणा की गयी। 2004–2009 की पांच वर्षों की अवधि को आच्छादित करने वाली यह नीति भारत के विदेश व्यापार क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत नीति है। इसे दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है :

(1) आगामी पांच वर्षों में विश्व के वस्तु बाजार में भारत के अंश को दोगुना करना, एवं

(2) रोजगार सृजन पर जोर देते हुए व्यापार को आर्थिक संवृद्धि का एक प्रभावशाली उपकरण बनाना।

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय भारत में विदेश व्यापार के प्रवर्तन एवं नियमन से सम्बन्धित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। मंत्रालय की एक व्यापक संरचना व्यापार के विभिन्न आयामों को देखने के लिए विद्यमान है। व्यापार से सम्बन्धित इसके दो महत्वपूर्ण अधिकारी 'डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, (डी0जी0एफ0टी0) और 'डायरेक्टर जनरल ऑफ कामर्शियल इन्टेलीजेन्स एण्ड स्टैटिसटिक्स' (डी0जी0सी0आई0एण्ड एस0) हैं । डी0जी0एफ0टी0 भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति/आयात निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह निर्यातकों को लाइसेन्स भी निर्गमित करता है और उनके सम्बन्धित दायित्वों को क्षेत्रीय केन्द्रों के एक नैटवर्क के द्वारा अनुश्रवण करता है। डी0जी0सी0आई0 एण्ड एस0 नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ–साथ विदेशी क्रेताओं के द्वारा वांछित व्यापारिक सांख्यिकी, और विभिन्न प्रकार की व्यापारिक जानकारियों के संकलन, एकीकरण तथा प्रकाशन/सम्प्रेषण से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करता है। भारत बहुपक्षीय, क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ताओं एवं समझौतों में भी संलग्न है। यह अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू0टी0ओ0), व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र कान्फ्रेन्स (अंकटाड) एशिया एवं प्रशान्त हेतु आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (इस्कैप) आदि के साथ–साथ व्यक्तिगत देशों एवं राष्ट्रों के समूहों के साथ विविध प्रकार के मुद्दों जिसमें प्रशुल्क एवं गैर शुल्क बाधाऐं, अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते, प्राथमिकतापूर्ण/स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाऐं, निवेश संबंधी मामले इत्यादि सम्मिलित हैं, पर अन्तर्क्रिया करता है। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं जिनमें भारत सम्मिलित हो गया है, में सम्मिलित हैं– दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), एशिया–प्रशान्त व्यापार समझौता (आप्टा) फ्रेमवर्क, एकीकृत आर्थिक सहयोग का समझौता आदि हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को सामान्यया विभिन्न प्रकार के नियामक पर्यावरण का अनुपालन करना पड़ता है। इस इकाई में राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के नियमन का अध्ययन किया जा रहा है।

9.2 भारत की विदेश व्यापार नीति

हाल के वर्षों में, व्यापार एवं निवेश नीति पर सरकार का रुख उत्पादकों के संरक्षण से उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की ओर विशेष रुप से प्रदर्शित हुआ है। यह 2004–09 की विदेश व्यापार नीति में प्रतिबिम्बित हुआ है, जो यह

उल्लिखित करता है कि ''भारत को विश्व व्यापार का मुख्य भागीदार बनाने के लिए हमें उन आयातों की सुविधा प्रदान करनी होगी, जो अर्थव्यवस्था को जागृत करने के लिए आवश्यक हैं। ''भारत अब अपेक्षाकृत अधिक उदारीकृत वैश्विक शासन प्रणाली को, विशेषतः सेवाओं के सम्बन्ध में, आक्रामक रुप में अपना रहा है। इसने विकासशील देशों में वैश्विक व्यापार वार्ताओं के सम्बन्ध में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन किया है और दोहा वार्ताओं में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

भारत में, विदेश व्यापार से सम्बन्धित मुख्य विधान विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन), अधिनियम 1992 विदेश व्यापार के विकास एवं नियमन हेतु सुविधा प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकार (1) विदेश व्यापार की सुविधा प्रदान करने तथा इसके नियमन हेतु प्रावधान निर्मित कर सकती है (2) आयातों एवं निर्यातों को समस्त अथवा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिबन्धित, नियंत्रित एवं नियमित कर सकती है तथा साथ ही उनमें छूटें प्रदान कर सकती है। (3) निर्यातों एवं आयातों की नीति के निर्माण तथा इसकी घोषणा करने के लिए अधिकृत है तथा सरकारी गजट में अधिघोषणाओं के माध्यम से उसे समय–समय पर संशोधित कर सकती है। (4) डायरेक्टर जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड' की नियुक्ति के लिए अधिकृत है, जिसमें अधिनियम के उद्देश्य के लिए आयात–निर्यात नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्मिलित है।

इसके अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय को भारत में विदेश व्यापार के प्रवर्तन एवं नियमन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रुप में स्थापित किया गया है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए मन्त्रालय नियमित रुप में उल्लिखित निश्चित उद्देश्यों के लिए व्यापार नीति की घोषणा करता है। पूर्व की व्यापार नीतियॉं आत्मानिर्भरता एवं आत्म पर्याप्तता पर आधारित थी। जबकि, बाद की नीतियां निर्यात केन्द्रित संवृद्धि, कार्यक्षमता में सुधार तथा भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में अभिवृद्धि आदि के द्वारा गतिमान थी।

आर्थिक सुधारों से एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण व्यापार नीतियों के निर्माण का पद प्रदर्शक कारक बन गया है। आगे की नीतियों में उठाये गए सुधारों के उपायों में उदारीकरण, खुलेपन एवं पारदर्शिता पर जोर दिया गया। व्यापार की सुविधाओं के लिए कार्य विधियों के सरलीकरण के द्वारा उनके द्वारा निर्यात के अनुकूल पर्यावरण प्रदान किया गया। 2004–09 में पांच वर्षों के लिए घोषित नयी विदेश व्यापार नीति को अब तक प्रयुक्त एक्जिम (ई0एक्स0आइ0एम0) शब्द का एफ0टी0पी0 (विदेश व्यापार नीति) से प्रतिस्थापित किया जाना इस दिशा में एक और कदम था। इसने भारतीय विदेश व्यापार के विकास का एक एकीकृत दृष्टिकोण लिया और इस क्षेत्र के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया। वैश्विक वस्तु बाजार में भारत के अंश को अगले पांच वर्षो में दोगुना करने की सुदृढ़ निर्यात आधारित व्यूहनीति, जिसमें निर्यातों के विस्तार एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, इस नीति का मुख्य भाग थी। इन सभी उपायों से भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और भारतीय निर्यातों की स्वीकार्यता में और अधिक अभिवृद्धि करना अपेक्षित था। नीति में आधारभूत उद्देश्यों का निर्धारण, मुख्य व्यूहनीतियों की पहचान, जोर दिए जाने वाले पहलपूर्ण प्रयासों का निर्धारण, निर्यात अभिप्रेरणाओं को उल्लिखित किया जाना सन्निहित थे और इसने निर्यात गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यविधियों के

सरलीकरण सहित संस्थानात्मक समर्थन से सम्बन्धित कार्यविधियों के सरलीकरण सहित संस्थानात्मक समर्थन से सम्बन्धित मुद्दों का भी समाधान किया।

उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुख्य व्यूहनीतियॉ निम्नवत हैं :

(1) नियंत्रणों को हटाना और विश्वास तथा पारदर्शिता के वातावरण को सृजित करना;

(2) कार्यविधियों का सरलीकरण एवं लेन–देनों की लागतों में कमी करना;

(3) निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त आगतों पर सभी करों के प्रभाव को समाप्त करना ;

(4) भारत को निर्माणी क्रियाओं, व्यापार एवं सेवाओं में वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए सुविधायें प्रदान करना;

(5) विशेष रुप से अर्द्ध–शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की पहचान एवं विशेष ध्यान केन्द्रित करना;

(6) भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष रुप से पूंजीगत वस्तुओं एवं उपकरणों के आयात के माध्यम से तकनीकी एवं अवस्थानात्मक सुधार एवं उच्चीकरण करना;

(7) अर्न्तमुखी कर संरचना को दूर करना ओर यह सुनिश्चित करना कि घरेलू क्षेत्रों को व्यापार समझौतों में हानि नहीं हो रही है;

(8) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप समस्त विदेश व्यापार श्रृंखला से सम्बन्धित अवस्थापना नेटवर्क का उच्चीकरण करना;

(9) बोर्ड ऑफ ट्रेड को इसकी भूमिका को पुनः परिभाषित करके तथा इसमें व्यापार नीति विशेषज्ञों को सम्मिलित करके पुर्नसशक्तीकृत करना; तथा

(10) निर्यात व्यूहनीति में भारतीय दूतावासों को मुख्य भागीदारों के रुप में सक्रिय करना।

9.3 विदेश व्यापार नीति एवं विभिन्न क्षेत्र

एफ0टी0पी0 ने रोजगार सृजन हेतु संभावनापूर्ण एवं निर्यात विस्तारण के संभाव्यतायुक्त कुछ निश्चित मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है, जिन पर ध्यान दिया जाना है। यह संभावनायुक्त क्षेत्र हैं : (1) कृषि (2) हथकर्घा एवं दस्तकारी; (3) मोती एवं आभूषण; (4) चमड़ा एवं फुटवियर तद्नुसार इन क्षेत्रों के लिए विशेष नीति हस्तक्षेप घोषित किए गए है :

9.3.1 कृषि क्षेत्र

एक नयी योजना जिसे 'विशेष कृषि उपज योजना' (स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्कीम) कहा जाता है, फलों सब्जियों, फूलों, हल्के वन उपजों और उनके मूल्य संवर्द्धन उत्पादों के निर्यातों को तीव्र करने के लिए प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित उत्पादों के निर्यात, आगतों एवं अन्य वस्तुओं के आयात हेतु उत्पादों के निर्यात, प्रशुल्क विहीन (मुक्त) साख अनुमतियों (फ्रीऑन बोर्ड)(एफ0ओ0बी0) निर्यात मुल्यों का 5 प्रतिशत) के लिए योग्य हैः

(1) पूॅजीगत माल निर्यात प्रोत्साहन (ई0पी0सी0जी0) योजनान्तर्गत पूॅजीगत माल का प्रशुल्क मुक्त आयात, जिसमें किसी भी कृषि निर्यात जोन (ए0ई0जेड0) में कृषि हेतु ई0पी0सी0जी0 के अन्तर्गत आयातित पूॅजीगत माल का स्थापित करना अनुमन्य किया गया है।

(2) ए0ई0जेड0 के विकास हेतु 'निर्यातों के लिए अधःसंरचना के विकास हेतु राज्यों को सहायता' (ए0एस0आई0डी0सी0) से कोषों का उपयोग;

(3) बीजों, बल्बों, बेलों एवं प्लान्ट सामग्री के आयात का उदारीकरण एवं प्लान्ट के भागों व्युत्पादनों के निर्यात और रसों का उदारीकरण, जिससे चिकित्सकीय पौधों एवं हर्बल उत्पादों का निर्यात प्रोत्साहित हो सके।

9.3.2 हथकर्घा एवं दस्तकारिता क्षेत्र

(1) हथकर्घा एवं दस्तकारी हेतु ट्रिमिंग एवं सजावट की सामग्री के प्रशुल्क रहित आयात के फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य को 5 प्रतिशत तक बढ़ाना;

(2) काउन्टरवेलिंग प्रशुल्क (डम्पिंग या निर्यात अनुदानों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु प्रशुल्क लगाना) जिसे सी0वी0डी0 भी कहा जाता है, से नमूनों को छूट प्रदान करना;

(3) दस्तकारी निर्यात प्रोत्साहन परिषद को ट्रिमिंग्स, सजावटी सामग्री एवं विधियां एवं लघु निर्माण हेतु नमूनों के आयात हेतु अधिकृत करना;

(4) नये दस्तकारी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस0ई0जेड0) की स्थापना।

9.3.3 कीमती पत्थरों(मोती)एवं आभूषणों का क्षेत्र

(1) स्वर्ण एवं प्लेटिनम के अतिरिक्त अन्य धातुओं की उपभोग्य सामग्री के कर रहित आयात को आयातों के एफ0ओ0बी0 मूल्यों के 2 प्रतिशत तक अनुमति देना;

(2) अस्वीकृत आभूषणों हेतु कर रहित पुनः आयात की अनुमति को निर्यात मूल्यों के एफ0ओ0बी0 मूल्य के 2 प्रतिशत तक अनुमन्य करना;

(3) आभूषणों के वाणिज्यिक नमूनों के कर रहित आयात को रु0 1 लाख तक बढ़ाना; और

(4) 18 कैरेट अथवा अधिक के स्वर्ण आयात को 'रैप्लिसमैन्ट स्कीम' के अन्तर्गत अनुमति देना।

9.3.4 चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र

विशिष्ट नीति हस्तक्षेप मुख्यतया प्लान्ट एवं मशीनरी तथा आगतों पर कस्टम शुल्कों के प्रभाव में कमी करने के रुप में हैं। इनमें निम्नांकित सम्मिलित हैं:

(1) चमड़ा उद्योग हेतु ट्रिमिंग्स, सजावटी सामग्री एवं फुटवियर सामग्री के आयात की कर रहित अनुमतियों को निर्यात मूल्यों (एफ0ओ0बी0) के 3 प्रतिशत तक बढ़ाना और चमड़ा क्षेत्र के अधिसूचित मदों के कर रहित आयात को निर्यात मूल्यों के एफ0ओ0बी0 मूल्य के 5 प्रतिशत तक बढ़ाना;

(2) अनुपयुक्त आयातित सामग्री जैसे कठोर अनटैन्ड चमड़ा एवं नमीयुक्त नीला चमड़ा इत्यादि) के पुनः निर्यात की अनुमति देना; तथा

(3) चमड़ा उद्योग हेतु 'एफलूऐन्ट ट्रीटमैन्ट प्लान्ट्स' के लिए मशीनों एवं उपकरणों को कस्टम कर से छूट के आधार पर आयात करना।

प्रत्येक वर्ष प्रगति एवं नीति उपायों के पुनरावलोकन एवं परीक्षण हेतु पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफ0टी0पी0) पर वार्षिक सप्लीमैन्ट निकालने की मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गयी है :

(1) अप्रैल 2005 में घोषित वार्षिक सप्लीमैन्ट में अतिरिक्त नीति हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया गया है। इसने राज्य सरकारों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को तीव्र करने हेतु अनुकूल वातावरण के सृजन में सक्रिय प्रतिभागिता हेतु सुविधा प्रदान की है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिषदें बनाकर किया जा सकता है। साथ ही कार्यविधियों की सुविधा एवं सरल अनुश्रवण हेतु उच्चतर लाइसेन्सों के विभिन्न वर्गो को एकल वर्ग में मिला दिया गया है। सम्लीमैन्ट ने विशेष कृषि उपज योजना को मुर्गीपालन एवं दुग्ध उत्पादों तक विस्तारण के द्वारा एवं समस्त कृषि निर्यातों को पुनः अतिरिक्त बल प्रदान किया है।

(2) अप्रैल 2006 में लाये गये वार्षिक सप्लीमैन्ट में 'उत्पाद संकेन्द्रण' और 'बाजार संकेन्द्रण' के दो उद्देश्य घोषित किए गए हैं। के लिए 'विशेष कृषि उपज योजना' जिसे 'विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना' का नया नाम दिया गया है, के अन्तर्गत ग्राम एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को सम्मिलित किया गया है। भारत को विश्व का कीमती रत्नों एवं जवाहरातों का केन्द्र बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नांकित सम्मिलित हैं:

(1) कीमती धातुओं की अवशेष सामग्री एवं प्रयुक्त आभूषणों के आयात की अनुमति इन्हें गलाने, शोधित करने और पुनः निर्यात करने के लिए प्रदान करना;

(2) प्रेषण के आधार पर आभूषणों के निर्यात की अनुमति प्रदान करना;

(3) पॉलिस किए हुए कीमती एवं अर्द्धकीमती रत्नों को देश के बाहर अग्रिम प्रक्रिया हेतु निर्यात करने की अनुमति ताकि उनकी गुणवत्ता में अभवृद्धि हो सके और वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उच्चतर मूल्य प्राप्त कर सकें।

(3) इसी प्रकार, विदेश व्यापार नीति का तीसरा वार्षिक सम्पीमैन्ट 19 अप्रैल, 2007 (जो 1 अप्रैल, 2007 से लागू हुआ) को घोषित किया गया। इसमें प्रारम्भ किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत हैं :

(1) देश के बाहर प्रदान की गयी सेवाओं (निर्यात से सम्बन्धित) पर सेवा कर की छूट;

(2) भारत में प्रदत्त सेवाओं और निर्यातकों के द्वारा उपयोग की गयी सेवाओं पर सेवा कर की छूट/या उसे समाप्त करना;

(3) निर्यातकों के वर्गीकरण 'एक से पांच सितारा निर्यात गृह' को परिवर्तित करके 'निर्यात प्रदर्शन परिणामों के मानकों में परिवर्तन सम्मिलित है;

(4) 'बाजार संकेन्द्रण योजना' (एफ0एम0एस0) तथा 'उत्पाद संकेन्द्रण योजना' (एफ0पी0एस0) के अन्तर्गत सीलिंग की सीमा, क्षेत्र एवं आच्छादन का विस्तारण करना।

विदेश व्यापार नीति (2004–2009) के प्रति अन्तिम वार्षिक सम्लीमैन्ट अप्रैल 2008 में घोषित किया गया, जिसमें अनेक नवाचार आधारित कदम उठाए गए। इनमें निम्नांकित सम्मिलित हैं:

(1) ई0पी0सी0जी0 योजना के अन्तर्गत आयात शुल्क को 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक कम करना, ताकि सेवाओं और विनिर्माण के निर्यातों के आधुनिकीकरण को प्रवर्तित किया जा सके;

(2) शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई0ओ0यू0) हेतु आयकर अधिनियम की धारा 10 बी के अन्तर्गत उपलब्ध आयकर लाभ को 2009 के आगे एक और वर्ष के लिए विस्तारित करना;

(3) खेल सामग्री एवं खिलौनों के निर्यात को प्रवर्तित करने तथा उनके द्वारा उठायी गयी हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए 'उत्पाद संकेन्द्रण योजना' के अन्तर्गत प्रदान की जा रही प्रशुल्क क्रेडिट के अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रशुल्क क्रेडिट प्रदान करना;

(4) ताजे फलों, सब्जियों एवं फूलों के हमारे निर्यातों पर भाड़े की लागत का भारी प्रभाव पड़ता है। इस हानि को निष्प्रभावी करने के लिए 'विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना' (वी0के0जी0यू0वाई0) के अन्तर्गत उपलब्ध क्रेडिट के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत की क्रेडिट प्रदान करना;

(5) रुपये के मूल्य में वृद्धि के कारण विपरीत रुप में प्रभावित क्षेत्रों के लिए पूर्व से स्वीकृत ब्याज राहत को एक और अधिक वर्ष के लिए विस्तारित करना;

(6) डी0बी0पी0बी0 योजना को मई, 2009 तक चालू रखना;

(7) 26 फरवरी, 2009 को घोषित व्यापार सुविधा उपाय (विदेश व्यापार नीति, (2004–09) का सप्लीमैन्ट)

(8) डी0बी0पी0बी0 योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स को निर्यातों की धनराशियों की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना निर्गत करना;

(9) चमड़ा एवं कपड़ा क्षेत्र हेतु रु 325 रोड़ के विशेष पैकेट की स्वीकृति;

(10) एस0टी0सी0एल, डायमण्ड इन्डिया, एम0एस0टी0सी0, रत्न एवं आभूषण, ई0पी0सी0 और स्टार ट्रेडिंग हाउसेज को कीमती धातुओं के आयात हेतु नामित अभिकरणों में जोड़ा गया;

(11) रत्न एवं आभूषण निर्यात : कार्य किए गए मूंगा पर आयात प्रतिबन्ध को समाप्त करना;

(12) वस्त्रों एवं हीरों के निर्यात उत्कृष्ट शहरों में भीलवाड़ा एवं सूरत को मान्यता प्रदान करना;

(13) 'प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस' के रुप में मान्यता हेतु निर्धारित सीमा को रु0 7500 तक कम करना;

(14) ई0पी0सी0जी0 योजनान्तर्गत 2008–09 के दौरान किए गए निर्यातों हेतु निर्यात दायित्व को 2009–10 तक विस्तारित करना;

(15) डी0बी0पी0बी0/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स के उपयोग को प्रतिबन्धित मदों के आयात के लिए भी विस्तारित करना;

(16) ड्यूटी ड्राबैक रिफण्ड और टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी रिफन्ड को दावा करने की कार्यविधि का पुनः सरलीकरण;

(17) वी0के0जी0यू0वाई0, एफ0पी0एस0 और एफ0एम0एस0 हेतु 4 प्रतिशत एस0ए0डी0 के पुर्नक्रेडिट की अनुमति देना;

(18) श्रीनगर में डी0जी0एफ0टी0 का एक नया कार्यालय खोला जाना;

(19) डी0बी0पी0बी0 के अन्तर्गत मूल्य की सीमा को दो उत्पादों हेतु संशोधित किया जाना;

(20) अग्रिम रुप में अधिकृत करने और ई0पी0सी0जी0 हेतु इलेक्ट्रानिक्स मैसेजिंग ट्रान्सफर योजना को स्थापित करना;

(21) रत्नों एवं आभूषणों में 100% ई0ओ0यू0 को 10 किलोग्राम सोने को व्यक्तिगत रुप में लाने की अनुमति प्रदान किया जाना;

(22) मॉडबैट/सैनवैट प्रमाण पत्रों की आवश्यकता वाले 1.4.2002 से पूर्व निर्गमित अग्रिम लाइसेन्सों की समाप्ति;

(23) अग्रिम रुप से अधिकृत किए जाने के सापेक्ष निर्यात दायित्व की अवधि को 36 माह के लिए विस्तारित करना;

(24) ईधन पर अतिरिक्त उत्पाद कर की वापसी को ई0ओ0यू0 के लिए भी अनुमन्य करना;

(25) सेवाकर के दावों की शीघ्र वापसी भुगतान एवं वापसी की कार्यविधि का और अधिक सरलीकरण।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के सम्बद्ध कार्यालय के रुप में महानिदेशक विदेशी व्यापार द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्यातों के प्रवर्तन के मुख्य उद्देश्य हेतु विदेश व्यापार नीति/आयात–निर्यात नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। डी0जी0एफ0टी0 निर्यातकों को लाइसेन्स भी जारी करता है और उनके सम्बन्धित उत्तरदायित्वों का अनुश्रवण 32 क्षेत्रीय केन्द्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से करता है, जो अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलौर, बड़ौदा (बड़ोदरा), भोपाल, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, इर्नाकुलम, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, मदुरई, मुरादाबाद, मुम्बई, नई दिल्ली, पणजी, पानीपत, पटना, पांडिचेरी, पुणै, राजकोट, शिलांग, श्रीनगर (जम्मू में क्रियाशील), सूरत तिरुवनन्तपुरम, वाराणसी और विशाखापटनम में अवस्थित हैं।

9.4 विदेश व्यापार नीति 2009–2014

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग (बैबसाइटः एच0टी0टी0पी0://डी0जी0एफ0टी0.जी0ओ0वी0.इन) के हैंडबुक ऑफ प्रॉसीजर्स (वाल्यूम 1)(एच0वी0पी0 V1) , 27 अगस्त 2009;31 मार्च 2014) के चैप्टर 2 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अन्तर्गत निर्यातों एवं आयातों के सम्बन्ध में सामान्य प्रावधान निम्नवत हैं :

(1) आयात/निर्यातों के देश : जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, आयात/निर्यात किसी भी देश को/से विधिमान्य होंगे किन्तु यह प्रावधान समस्त शर्तों या आई0टी0सी0 (एच0एस0) की अनुसूची ए और/अथवा अनुसूची बी के अनुसार आवश्यक अधिकृत करने हेतु आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

(2) आवेदन शुल्क : शुल्क के स्तर, भुगतान विधियां, शुल्क वापसी की कार्यविधियां और शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्तियों के वर्ग एच0बी0पी0 वाल्यूम 1 के परिशिष्ट 21–बी0 में निहित हैं।

(3) क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आर0ए0) की क्षेत्रीय अधिकार सीमा : कोई भी आवेदन जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, आर0ए0 को जमा किया जाना होगा, जैसा कि एच0बी0पी0 वाल्यूम 1 के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित है।

(4) आवेदन पत्र जमा करना : एक अपूर्ण और अनधिकृत आवेदन पत्र को अस्वीकृत का कारण निर्दिष्ट कर अस्वीकृत किया जाएगा। आवेदन पत्र की दशा में, आवेदनकर्त्ता को एम0एस0 वर्ड फार्मेट में आवेदन पत्र की सॉफट कापी भी प्रस्तुत करनी होगी।

(5) आयातकों/निर्यातकों का विवरण : प्रत्येक आयातक/निर्यातक को आयातक/निर्यातक का विवरण आर0ए0 ऐसी सूचना को डाटाबेस में प्रविष्ट करेगा ताकि पुनः सूचना मांगे जाने पर आवश्यकता पूर्ण की जा सके। ए0एन0एफ0 में सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में आयातक/निर्यातक के द्वारा आर0ए0 को सूचित किया जाएगा।

(6) स्वयं का पता लिख एवं टिकटयुक्त लिफाफा : आवेदक को 40x15 से0मी0 आकार का स्वयं का पता लिखा उपयुक्त टिकट युक्त लिफाफा समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ स्पीड पोस्ट से प्रेषित करना होगा।

(7) आयातक निर्यातक कोड (आई0ई0सी0) संख्या से छूट प्राप्त वर्ग : निम्नांकित वर्गों के आयातकों एवं निर्यातकों को आइ0ई0सी0 संख्या प्राप्त करने से छूट प्रदान की गयी है :

(1) विदेश व्यापार (निश्चित दशाओं में नियमों में नियमों के लागू होने से छूट) आदेश, 1993 के वाक्य 3(1)(उपवाक्य(e) और (1) को छोड़कर) से आच्छादित आयातक एवं वाक्य 3(2) (उपवाक्य (i) और (R) को छोड़कर) से आच्छादित निर्यातक;

(2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मन्त्रालय/विभाग;

(3) व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं का आयात/निर्यात करने वाले व्यक्ति जो व्यापार या निर्माण या कृषि से सम्बन्धित नहीं हैं;

(4) नेपाल, म्यामार से भारत–म्यामार सीमा क्षेत्रों के माध्यम से और चीन से गुंजी, नाम गया, छिपकिला और नाथूला दर्रों के माध्यम से वस्तुओं के आयातक/निर्यातक व्यक्ति, बशर्ते कि किसी एक प्रेषण का सी0आई0एफ0 मूल्य रु0 25000 से अधिक न हो; नाथूला की दशा में यह सीलिंग (सीमा) रु0 100000 है। किन्तु आई0ई0सी0 संख्या से छूट प्राप्त करना विशिष्ट रसायनों, जीवाश्मों, सामग्रियों, उपकरणों और तकनीकियों (SCOMET) पर लागू नहीं होगा, जोकि आई0टी0सी0 (एच0एस0) अनुसूची–2 के परिशिष्ट–3 में उपर्युक्त वर्ग (ii) एवं (v) के निर्यातों को छोड़कर, सूचीकृत हैं।

निम्नांकित स्थायी निर्यातक कोड (आई0ई0सी0) संख्या का उपयोग गैर–व्यापारिक पी0एस0यू0 एवं आयातकों/निर्यातकों के वर्ग जो आयात–निर्यात उद्देश्यों से उनके नाम के सम्मुख वर्णित है, के द्वारा किया जायेगा:

क्रमांक	कोड संख्या	आयातक निर्यातक का वर्ग
1	0100000011	केन्द्र सरकार के समस्त मन्त्रालय एवं विभाग और उनके पूर्णतया अथवा आंशिक स्वामित्व वाली एजेन्सियाँ।

2	0100000029	राज्य सरकार के समस्त मंत्रालय एवं विभाग और उनके पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली एजेन्सियॉ।
3	0100000037	भारत में कूटनीतिक कार्मिक, सलाहकार अधिकारी और यू0एन0ओ0 एवं इसके विशिष्ट अभिकरणों के अधिकारी
4	0100000045	बैगेज नियमों के अन्तर्गत लाभों का दावा करने वाले, विदेश यात्रा में आने जाने वाले भारतीय।
5	0100000053	व्यक्ति/संस्थाऐं/अस्पताल जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वस्तुओं का आयात/निर्यात करते हैं और व्यापार, निर्माण या कृषि से सम्बन्धित नहीं है।
6	0100000061	नेपाल से/को वस्तुओं का आयात/निर्यात करने वाले व्यक्ति।
7	0100000070	भारत–म्यामार सीमा क्षेत्रों के माध्यम से म्यामार को/से निर्यात/आयात करने वाले व्यक्ति
8	0100000088	फोर्ड फाउन्डेशन
9	0100000096	ए0टी0ए0 कारनैट के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदर्शन, मेलों/प्रदर्शनियों में उपयोग अथवा समान घटनाओं हेतु माल का आयात करने वाले आयातक इस आई0ई0सी0 संख्या का उपयोग एच0बी0पी0 वाल्यूम 1 के पैरा 2.29 के अन्तर्गत प्रदर्शनियों/मेलों हेतु आयात करने वाले आयातकों द्वारा भी किया जा सकता है।
10	0100000100	निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रुप रिफ्रेन्स लेबोटेट्री, मुम्बई या उनके अधिकृत कार्यालय
11	0100000126	वस्तुओं के आयातक व्यक्ति, पुण्यार्थ संस्थाऐं/पंजीकृत एन0जी0ओ0 जिन्हें प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा उचित प्रयोग हेतु वित्त मन्त्रालय के द्वारा निर्गत अधिघोषणा के द्वारा सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।
12	0100000134	चीन से/को गुंजी, नामगाया, छिपकिला और नाथूला दर्रों के माध्यम से समय–समय पर अधिसूचित अनुमन्य वस्तुओं के आयातक/निर्यातक व्यक्ति, उपरोक्त पैरा 2.8 (IV) के द्वारा एक प्रेषण की धनराशि की सीमा के अधीन रहते हुए।
13	0100000169	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किए गए उपक्रमों के द्वारा गैर–व्यापारिक आयात एवं निर्यात।

(8) **आई0ई0सी0 संख्या की स्वीकृति के लिए आवेदन** : कम्पनियों की दशा में आई0ई0सी0 संख्या की स्वीकृति हेतु आवेदन कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय द्वारा तथा एकल स्वामित्व वाले उपक्रमों, साझेदारी उपक्रमों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (ई0ओ0यू0 और एस0ई0जेड0 इकाइयों को छोड़कर) की दशा में सम्बन्धित आर0ए0 को निर्धारित प्रपत्रों सहित ए0एन0एफ0 2 ए0फार्मेट में करना होगा। एक पैन संख्या के सापेक्ष केवल एक आई0ई0सी0 के संशोधन के निर्गमन हेतु आवेदन

(ए0एन0एफ02ए0) में उस व्यक्ति का नाम एवं पदनाम उल्लिखित किया जाएगा, जिसका चित्र बैंक प्रमाण पत्र पर लगाया गया है। उस व्यक्ति का एक फोटो, उसके नाम एवं पदनाम सहित, निर्गमन योग्य आई0ई0सी0संख्या पर भी लगाया जाएगा।

(9) **आई0ई0सी0 फार्मेट एवं विवरण** : सम्बन्धित आर0ए0 निर्धारण प्रारुप में (परिशिष्ट–18 बी0) में आई0ई0सी0 को निर्गत कर देगा। ऐसे आई0ई0सी0 की संख्या की एक प्रति (ए0एन0एफ02ए0 में प्रदत्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित बैंकर को भी पृष्ठांकित की जाएगी। आर0ए0 के द्वारा निर्गमित आई0ए0सी0 संख्याओं का एक एकीकृत विवरण (परिशिष्ट 18 सी0) परिशिष्ट–18 डी0 में प्रदत्त विवरणानुसार भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियन्त्रण विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

आई0ई0सी0 संख्या की वैधता : एक आवेदक को आबंटित आई0ई0सी0 इसकी सभी शाखाओं/प्रभागों/इकाइयों/कारखानों हेतु वैध होगी।

आई0ई0सी0 संख्या की द्वितीय प्रति : जहॉ आई0ई0सी0 संख्या खो गयी है। अथवा अपने स्थान पर नहीं उपलब्ध है, निर्गमनकर्ता प्राधिकारी, एक घोषणा पत्र के आधार पर आई0ई0सी0 संख्या की द्वितीय प्रति के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर नयी आई0ई0सी0 संख्या निर्गमित कर सकता है।

आई0ई0सी0 संख्या का समर्पण : यदि कोई आई0ई0सी0 संख्या का धारक आंबटित आई0ई0सी0 संख्या का परिचालन नहीं करना चाहता है, तो वह निर्गमन कर्ता प्राधिकारी को सूचित कर उसे समर्पित कर सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर निर्गमन कर्ता प्राधिकारी इसे तत्काल निरस्त कर देगा और इसकी सूचना डी0जी0एफ0टी0 तथा कस्टम अधिकारियों को देगा।

(10) **प्रतिबन्धित मदों के आयात एवं निर्यात हेतु आवेदन** : आई0टी0सी0 (एच0एस0) में प्रतिबन्धित वर्णित आयात निर्यात की मदों के प्राधिकार की स्वीकृति हेतु आवेदन आर0ए0 को हैंडबुक के सम्बन्धित पाठ के अन्तर्गत विशिष्टियों के अनुसार करना होगा।

9.5 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

पिछले दशक में भारत सरकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रुप में परिवर्तित हुआ है। 1980 तक, विदेशी निवेश केवल उन्हीं दशाओं में अनुमन्य किया गया, जहॉ एक वांछित तकनीकी अन्य किसी शर्त पर प्राप्त करने के योग्य नहीं थी। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारम्भ होने के पश्चात् सरकार ने अपेक्षाकृत अधिक उदार दृष्टिकोण लेना प्रारम्भ कर दिया। विशिष्ट उच्च प्राथमिकता पूर्ण उद्योगों में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश तथा मुख्यतया निर्यात गतिविधियों में संलग्न व्यापारिक कम्पनियों को स्वचालित अनुमोदन की अनुमति प्रदान की गयी। वर्ष 2000 में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफ0 डी0आई0) की नीति को और अधिक उदारीकृत कर दिया गया और अब नए एवं विद्यमान कम्पनियों/फर्मों को 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत (जिसमें पूर्व अनुमति/अनुमोदन आवश्यक नहीं था) समस्त मदों/गतिविधियों (केवल विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) में प्रदान की गयी।

विदेशी निवेश, केवल निम्नांकित क्षेत्रों, जहॉ इसे प्रतिबन्धित किया गया, को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में अनुमन्य किया गया : (1) फुटकर व्यापार (2)

परमाणु उर्जा (3) लाटरी व्यवसाय, जुआ एवं बाजी लगाना (4) कृषि जिसमें फ्लारीकल्चरपर, हार्टीकल्चर, बीज विकास, पशुधन, पिसीकल्चर एवं सब्जी उत्पादन, मशरुम इत्यादि सम्मिलित नहीं हैं (5) वृक्षारोपण (चाय के पौधारोपणों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में, भारत में विदेशी निवेश के अनुमोदित दो मार्ग हैं :

(1) स्वचालित मार्ग—भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के द्वारा प्रयोग किए गए प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत।

(2) वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफ0आई0पी0बी0) के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित।

(3) नवीन एवं विद्यमान कम्पनियों में 100 प्रतिशत तक एफ0डी0आई0।

9.6 विदेशी समता पूंजी निवेश पर सरकारी नीति

निम्नांकित के अतिरिक्त समस्त मदों/गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ0डी0आई0) व्यवसायों/फर्मों को अनुमति दी गयी :

(1) ऐसे प्रस्ताव जिन्हें अनिवार्य औद्योगिक लाइसेन्सिंग की आवश्यकता होती है।

(2) जहां जनवरी 12, 2005 को भारत में समान क्षेत्रों में विदेशी सहयोगकर्ता के पास विद्यमान व्यवसाय अथवा साझेदारी समझौता है (समान क्षेत्र का आशय 1987 के एन0आई0सी0 कोड से है) उन स्थितियों को छोड़कर जिसके लिए एफ0आई0पी0बी0 की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

(3) 'सेबी' (एस0ई0बी0आई0) के साथ पंजीकृत उपक्रम पूंजी कोष के द्वारा निवेश।

(4) विद्यमान संयुक्त उपक्रम में किसी भी पक्ष का निवेश 5% से कम है।

(5) विद्यमान संयुक्त उपक्रम ने कार्य करना बन्द कर दिया है या बीमार हो गयी हो।

(6) भारतीय कम्पनी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संलग्न है।

(7) जहां 'सेबी' (अंशों की महत्वपूर्ण अधिप्राप्ति एवं अधिग्रहण) नियमन, 1997 लागू है।

(8) अधिसूचित सेक्टोरल नीति/प्रतिबन्धों से बाहर आने वाले प्रस्ताव अथवा ऐसे क्षेत्र जहां एफ0डी0आई0 अनुमन्य नहीं है।

(9) विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय सूत्रधारी कम्पनी के द्वारा भारत में डाउनस्ट्रीम निवेश माना जाता है) को उपर्युक्त वर्णित एफ0डी0आई0 मार्ग निर्देशों के अनुसार अनुमति दी गयी है। सूत्रधारी कम्पनी के रुप में कार्य करने के लिए एफ0आई0पी0बी0 की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। डाउनस्ट्रीम निवेशों के लिए विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय सूत्रधारी कम्पनी के द्वारा घरेलू कोषों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है।

9.7 स्वचालित मार्ग हेतु कार्यविधि

विदेशी निवेशक को किसी भी पूर्व अनुमोदन को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं। केवल एक तथ्यात्मक विवरण को ही बाद में भारत में उस कम्पनी के द्वार प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, जो विदेशी निवेश प्राप्त कर

रही है। इस प्रस्तुीकरण में रिजर्व बैंक के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित प्रारुप में संबंधित धनराशि के आन्तरिक प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अधिघोषणा को जमा करना और भारतीय कम्पनी द्वारा विदेशी निवेशक को अंशों के निर्गमन के 30 दिन के अन्दर अधिघोषणा को जमा करना सम्मिलित है। सरकारी अनुमोदन, एन0आर0आई0 (जिसमें भारतीय मूल के व्यक्ति पी0आई0ओ0 भी सम्मिलित हैं) के अतिरिक्त अन्य समस्त क्षेत्रों को भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के माध्यम से निवेश को लाने की अनुमति है। सरकार एफ0आई0पी0बी0 के माध्यम से अन्य सभी प्रस्तावों पर विचार करती है, जो स्वचालित अनुमोदन में निहित किसी अथवा सभी मापदण्डों को पूर्ण नहीं करती है।

साथ ही, गैर–प्रत्यावर्तन योजना (अर्थात पूॅजी भारत के बाहर प्रत्यावर्तित या वापस नहीं की जा सकती है। के अन्तर्गत एन0आर0आई0 को उन क्षेत्रों में जहॉ एफ0डी0आई0 नीति के अन्तर्गत सेक्टोरल सीमाऐं लगायी गयी हैं, में भी निवेश करने की अनुमति है। एन0आर0आई0 को पोर्ट फोलियों निवेश योजना के अन्तर्गत अंशों/परिवर्तनशील ऋण पत्रों का क्रय और विक्रय, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमोदित और एक अधिकृत डीलर के द्वारा इस उद्देश्य से अधिकृत निर्धारित शाखा के माध्यम से, कुछ निश्चित शर्तो के पालन करने पर, अनुमन्य हैं।

प्रत्येक एन0आर0आई0 द्वारा धारित कुल अंश/ऋण पत्र, भारतीय कम्पनी के द्वारा निर्गमित कुल चुकता पूॅजी के 5% अथवा निर्गमित परिवर्तनशील ऋण पत्रों की प्रत्येक श्रंखला के चुकता मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो सकती है। साथ ही समस्त एन0आर0आई0 को मिलाकर सभी की कुल धारित प्रतिभूतियां चुकता पूॅजी का 10% अथवा परिवर्तनशील ऋणपत्रों की प्रत्यके श्रंखला के चुकता मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती है, 10% की यह सीमा संबंधित भारतीय कम्पनी के द्वारा अंशधारियों के विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति के द्वारा 24% तक बढ़ायी जा सकती है।

9.8 विदेशी निवेशक को लाभ

(i) **भारत का एक प्रमुख वैश्विक साझेदार के रुप में सामने आना** : वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास (विशेष रुप से सेवा एवं सूचना तकनीकी क्षेत्र में) से विदेशी निवेशकों के लिए अपार संभावनाऐं प्रदान की है।

(ii) **भारत में अविनियमन** : आन्तरिक एफ0डी0आई0 प्रवाह की प्रवृत्ति एफ0डी0आई0 व्यवस्था में सुधार के काल से बढ़ रही है, जिसने सरलीकृत कार्यविधियों एवं नीतियों को उपलब्ध कराया है, जिससे विदेशी निवेशक कम प्रतिबन्धों का सामना कर रहे हैं।

(iii) **निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणायें** अर्थात सरकारी सहायक कम्पनियाँ उधार लेने की आकर्षक दरें।

(iv) **कार्यक्षमता चाहने वाले निवेश** जैसे निम्नतर उत्पादन लागतें आदि।

(v) **बाजार चाहने वाले निवेश** जैसे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था।

9.9 आयोजक अर्थव्यवस्था/ देश के रूप में भारत को लाभ

(i) रोजगार का सृजन होता है।

(ii) तकनीकी, ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रबन्धकीय विशेष ज्ञान का हस्तांतरण होता है।

(iii) अवस्थापना का विकास, अर्थिक एवं सामाजिक प्रगति।

9.10 भारत में विदेशी निवेश की विधियाँ

9.10.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्गत मार्ग

(अ) स्वचालित मार्गः समस्त क्षेत्रों में जहाँ पूर्ण सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, 100% तक एफ0डी0आई0 को स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है। यह स्थिति निम्नांकित दशाओं के अतिरिक्त होती है, जिसके लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती हैः

(i) जहाँ भारत सरकार के द्वारा निर्गमित प्रेसनोट 1 (2005 की श्रंखला) के प्रावधान लागू होते है।

(ii) जहाँ लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के निर्माण हेतु 24% से अधिक विदेशी समता पूँजी को लगाया जाना प्रस्तावित है।

(iii) स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत अनुमन्य क्षेत्रों/गतिविधियों में एफ0डी0आई0 के लिए सरकार अथवा रिजर्व बैंक, किसी से भी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(iv) निवेशकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को धनादेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना देना तथा सम्बन्धित प्रलेखों को एफ0सी0–जी0पी0आर के साथ उस कार्यालय को अनिवासी निवेशकर्ता को अंश निर्गमन के 30 दिन के अन्दर जमा करना आवश्यक है।

(ब) सरकारी मार्गः स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत आच्छादित न होने वाली गतिविधियों में एफ0डी0आई0 के लिए विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफ0आई0पी0बी0) के माध्यम से पूर्ण सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आवेदन पत्र को फार्म एफ0सी0 II में भरा जाता है। समस्त सम्बन्धित जानकारियों से युक्त सादे कागज में आवेदनों को भी स्वीकार किया जाता है। एफ0आई0पी0बी0 के निर्णय को सामान्यतः 4–6 सप्ताह में रिजर्व बैंक को सूचित कर दिया जाता है। तत्पश्चात, भारतीय कम्पनी के द्वारा रिजर्व बैंक को सूचनाऐं प्रदान करनी होती है।

(स) 'फेमा' (एफ0ई0एम0ए0) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की सामान्य अनुमतिः एफ0आई0पी0बी0 मार्ग के माध्यम से भारतीय कम्पनियों को प्रदत्त विदेशी निवेश को अनुमोदन की दशा में आन्तरिक धनादेशों की प्राप्ति और अनिवासी निवेशकर्ताओं को अंशों के निर्गमन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। कम्पनियों के लिए केवल यह आवश्यक है कि वह रिजर्व बैंक के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में आन्तरिक धनादेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर सूचना तथा अनिवासी निवेशकों को अंश निर्गमित करने के 30 दिन के अन्दर एफ0सी0–जी0पी0आर0 फार्म जमा करना आवश्यक है।

9.10.2 विदेशी संस्थानात्मक निवेश

विदेशी संस्थानात्मक निवेशक (एफ0आई0आई0) भारत के बाहर स्थापित अथवा समामेलित संस्थाऐं हैं और भारत में निवेश हेतु प्रस्ताव करती हैं। एफ0 डी0 आई0 और एफ0 आई0 आई0 के बीच यह अन्तर किया जाता है कि जहाँ एफ0डी0आई0 लम्बी अवधि के लिए की जाती है, और एफ0आई0आई0 की तुलना में अल्पकालीन तरलता की समस्याओं से कम प्रभावित होती हैं। अपनी अल्पकालीन अवधि की प्रकृति के कारण एफ0आई0आई0 का अन्य घरेलू वित्तीय बाजार जैसे मुद्रा बाजार, स्कन्ध बाजार एवं विदेशी विनिमय बाजार आदि के प्रत्यायों से दोहरा कारण–परिणाम सम्बन्ध हो सकता है। एफ0 आई0 आई0 के यह निवेश प्रस्ताव उप खातों की ओर से किए जाते है, जिनमें विदेशी कम्पनियाँ, व्यक्ति और कोष और इसी प्रकार सम्मिलित हो सकते हैं। सबसे बड़ा स्रोत जिसके माध्यम से एफ0आई0आई0 निवेश करते हैं, प्रतिभागी नोटस् (पी0 नोट्स) का निर्गमन है, जिसे सीमा पार के डैरीवेटिव्स भी कहा जाता है। एफ आई0 आई0 भारतीय कम्पनियों के अंशों और ऋणपत्रों में निवेश कर सकते हैं। भारत में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में निवेश करने के लिए उन्हें पोर्ट फोलियो इन्वैस्टमैन्ट स्कीम (पी0आई0एस0) के माध्यम से वैन्चर करना पड़ता है। भारतीय रिवर्ज बैंक के नियमन के अनुसार एफ0आई0आई0 के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा भारतीय कम्पनी की चुकता पूँजी का 24% है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों की दशा में यह सीमा चुकता पूँजी का 20% है। किन्तु यदि बोर्ड एवं सामान्य सभा अनुमोदन एवं विशेष प्रस्ताव पारित करे, तो एफ0आई0 के निवेश की 24% की सीमा को एक विशिष्ट क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। एफ0आई0आई0 के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य संस्थाओं की सूची काफी लम्बी है जैसे पेन्शन फण्ड, म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनियाँ, निवेश ट्रस्ट, बैंक, विश्वविद्यालय फण्ड, इन्डोमैन्ट्स, निधियाँ, फाउन्डेशन्स, सम्प्रभु धन के कोष, हैजिंग फन्ड्स, और चैरिटेबिल ट्रस्ट इत्यादि हैं। वास्तव में, सम्पत्ति प्रबन्ध कम्पनियाँ, विनियोग प्रबन्धक, सलाहकार, अथवा संस्थानात्मक पोर्ट फोलियो प्रबन्धक जो अनिवासी भारतीयों के द्वारा स्थापित हैं और/अथवा उनके द्वारा स्वामित्व में हैं, भी एफ0 आई0 आई0 के रूप में पंजीकृत करने के योग्य हैं। एफ0 आई0 आई0 पंजीकरण का नोडल बिन्दु 'सेबी' है और इन्हें केन्द्रीय बैंक के विनिमय नियंत्रण नियमों का भी पालन करना चाहिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजारों की प्रतिभूतियों में निवेश करने के साथ–साथ, एफ0 आई0 आई0, म्युचुअल फण्डों, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, स्कन्ध बाजारों पर व्यापार की जाने वाली डेरीवेटिव्स तथा कामर्शियल पेपर में भी निवेश कर सकते हैं। एफ0 आई0 आई0 भारतीय बाजारों के लिए तरलता के प्रमुख स्रोत हैं। यदि एफ0 आई0 आई0 भारतीय स्कन्धबाजारों में बड़ी धनराशियों का निवेश करते हैं, तब इससे बाजार पर उच्च विश्वास का प्रदर्शन होता है। अतः एफ0 आई0 आई0 प्रायः शुद्ध क्रेता है। बाजार नियामक 'सेबी' ने हाल ही में पी0 नोट्स जैसे वित्तीय उपकरणों के माध्यम से विदेशी निवेश के नए नियम घोषित किए हैं और 18 माह के भीतर पी0 नोट्स को समाप्त कर डेरीवेटिव्स में निवेश करने को कहा है। सेबी ने भी स्पॉट मार्केट में पी0 नोट्स के द्वारा निवेश को प्रतिबन्धित किया है, जहाँ एफ0 आई0 आई0 को उनकी अधिकार में सम्पत्तियों के 40% से अधिक के पी0 नोट्स निर्गमन हेतु अनुमति नहीं है। ऐसी सम्पत्तियों की गणना के लिए संदर्भ तिथि 30 सितम्बर होगी। ऐसे एफ0 आई0

आई0 जिन्होने अपनी सम्पत्तियों के 40% से अधिक के पी0 नोट्स निर्गमित किए हैं, वे ऐसे उपकरणों को तब भी निर्गमितकर सकते हैं जबकि वे 40% से अधिक के पी0 नोट्स को निरस्त, विमोचन या विद्यमान पी0 नोट्स को बन्द कर दें ऐसे एफ0 आई0 आई0, जिन्होंने अपनी सम्पत्तियों के 40% से कम के पी0 नोट्स निर्गमित किए हैं, वे अतिरिक्त उपकरणों को सम्पत्तियों के 5% की दर से निर्गमित कर सकतें हैं।

9.10.3 विदेशी जोखिम पूँजी निवेश

विदेशी विनिमय प्रबन्ध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति हस्तान्तरण एवं निर्गमन) नियमन, 2000 (मुख्य नियमन) में नियमन 2 की उपवाक्य (iii अ) के अनुसार 'विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक' का अर्थ भारत के बाहर समामेलित और स्थापित ऐसे निवेश से है, जो भारत में जोखिम पूँजी कोषों अथवा जोखिम पूँजी अभिकरणों में निवेश का प्रस्ताव करते हैं अैर सेबी (विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक) नियमन 2000 के अन्तर्गत सेबी के साथ पंजीकृत है। नियमन–2 के उपवाक्य (9 अ) के अनुसार ''वैन्चर कैपिटल फन्ड'' का आशय ऐसे फण्ड से है जो एक ट्रस्ट, एक कम्पनी है जिसमें एक समामेलित संस्था भी सम्मिलित है और सेबी (वैन्चर कैपिटल फन्ड) नियमन 1996 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो, जिसमें सम्बन्धित नियमनों के अन्तर्गत निर्दिष्ट ढंग से एकत्रित पूँजी का एक प्रतिबद्ध कोष हो और जो सम्बन्धित नियमन के अनुसार जोखिम पूँजी अभिकरणों में निवेश करती है।

विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के द्वारा निवेश :एक पंजीकृत विदेशी पूँजी निवेशक (एफ0 वी0 सी0 आई0) सेबी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय जोखिम पूँजी अभिकरण (आई0 वी0 सी0 यू0) अथवा ऐसे वी0 सी0 एफ0 द्वारा प्रारम्भ की गयी किसी योजना में निवेश की अनुमति के लिए आवेदन कर सकती है, रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमति आवश्यक शर्तों के अधीन, जिसे वह आवश्यक समझे, दी जा सकती है।

उप – पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत रिंजर्व बैंक के द्वारा अनुमति प्राप्त एफ0 वी0 सी0 आई0 आई0 वी0सी0यू0 या एक वी0सी0एफ0 के समता/समता संबद्ध विलेखों/ऋण/ऋणविलेख को प्रांरभिक सार्वजनिक अभिदान या निजी निवेश या वी0 सी0 एफ0 के द्वारा स्थापित योजनाओं/यूनिटों में क्रय कर सकते हैं। वी0सी0एफ0/आई0वी0सी0यू0 में विनियोग के प्रतिफल की धनराशि को साधारण बैंकिग के मार्ग से अथवा भारत में अधिकृत वित्तीयसंस्था/बैंक की निर्दिष्ट शाखा में चल रहे खाते में रखी गयी धनराशि से भुगतान किया जा सकता है।

9.10.4 अनिवासी विनियोग

अनिवासी निवेशकर्ता (एन0 आर0 आई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पी0 आई0 ओ0) भारतीय रिंजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के माध्यम से सरकारी अनुमोदन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अर्ह हैं। साथ ही गैर प्रत्यावर्तन योजना (अर्थात पूँजी को भारत के बाहर वापस नहीं ले जाया जा सकता है) के अन्तर्गत एन0 आर0 आई0 को उन क्षेत्रों में सीमाऐं निर्धारित कर दी गयी हैं। एन0 आर0 आई0 को इस उद्देश्य के लिए एक अधिकृत डीलर के द्वारा नामित शाखा के माध्यम से, जो आर0 बी0

आई0 से अनुमोदित हो, कुछ निश्चित शर्तो को पूरा करने की शर्त पर पोर्टफोलियों निवेश योजना में अंशों / परिर्वतनशील ऋणपत्रों के क्रय – विक्रय की भी अनुमति हैं। प्रत्येक एन0 आर0 आई0 का कुल धारण चुकता अंश पूँजी के 5% अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा निर्गमित परिर्वतनशील ऋणपत्रों की प्रत्येक श्रंखला के चुकता मूल्य का 5% से अधिक नहीं हो सकता है। इसके साथ ही समस्त एन0आर0आई0 का कुल धारण चुकता अंश पूंजी अथवा परिवर्तनशील ऋण पत्रों की प्रत्येक श्रंखला के चुकता मूल्य का 10% से अधिक नहीं हो सकता है। इस 10% की सीमा को संबंधित भारतीय कम्पनी कें अंशधारियों के विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति के माध्यम से 24 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

9.11 सारांश

यद्यपि भारत ने पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया है किन्तु इसके प्रशुल्क अन्य देशों की तुलना में लगातार अधिक बने हुए हैं और इसके निवेश मापदण्ड अब भी प्रतिबन्धात्मक हैं। इससे कुछ लोग भारत को 'तीव्र वैश्वीकरण कर्ता देश' मान सकते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे एक 'उच्च संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था'के रूप देख सकते हैं। 1990 के प्रारम्भ तक, भारत एक बन्द अर्थव्यवस्था थी, औसत प्रशुल्क 200 प्रतिशत से अधिक थे, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध अत्यधिक विस्तृत थे और विदेशी निवेश पर कड़े प्रतिबन्ध थे। देश ने 1990 आदि के दशक में सावधानीपूर्वक सुधार प्रारम्भ किए और अत्यन्त आवश्यक होने की स्थितियों में ही उदारीकरण किया। उस समय से, व्यापार सुधारों के उल्लेखनीय परिणाम उत्पन्न हुए हैं। 1990 से 2005 की अवधि में भारत का व्यापार से जी0डी0पी0 का अनुपात 15 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है और अर्थव्यवस्था अब विश्व भर में तीव्रतम दर से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में हो गयी है।

औसत गैर कृषि प्रशुल्क 15 प्रतिशत से नीचे गिर गए हैं, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गए हैं और अनेक क्षेत्रों के लिए विदेशी निवेश के मापदण्डों में रियायतें प्रदान की गयी हैं। किन्तु भारत आवश्यकता उत्पन्न होने पर संरक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृषि प्रशुल्क का औसत 30 से 40 प्रतिशत है, व्यापार के संरक्षण हेतु एन्टी डम्पिंग उपायों कों उदारतापूर्वक प्रयोग किया गया है और देश विश्व के कुछ ही देशों में से है, जहाँ फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश प्रतिबन्धित किया गया है। यद्यपि हाल ही में नीति को कुछ उदार बनाया गया है, किन्तु यह अब भी महत्वपूर्ण रूप में प्रतिबन्धात्मक हैं। पिछलें दशक के दौरान विदेशी निवेश के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोंण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हैं 1980 के दशक तक विदेशी निवेश को उन्हीं परिस्थितियों में अनुमति दी गयी, जहाँ वांछित तकनीकी अन्य किसी शर्त पर उपलब्ध करने योग्य नहीं थी। 1991 की औद्यौगिक नीति कथन की घोषणा के उपरान्त सरकार ने अपेक्षाकृत अधिक उदार दृष्टिकोंण लेना प्रारम्भ कर दिया है। निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश को और निर्यात गतिविधियों में मुख्यतया संलग्न व्यापारिक कम्पनियों को स्वचालित अनुमोदन स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2000 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ0 डी0 आई0) नीति को और आगे उदारीकृत किया गया है और अब, नवीन एवं विद्यमान कम्पनियों/फर्मों के लिए स्वचालित मार्ग (अर्थात जिसमें पूर्व अनुमोदन की

आवश्यकता नहीं है) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश अनुमन्य किया गया है।

9.12 शब्दावली

विदेश व्यापार नीति (एफ0टी0पी0)–पांच वर्षों की अवधि को आच्छादित करने वाली यह नीति भारत के विदेश व्यापार क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत नीति है।

विशेष कृषि उपज योजना' (स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्कीम)– फलों सब्जियों, फूलों, हल्के वन उपजों और उनके मूल्य संवर्द्धन उत्पादों के निर्यातों को तीव्र करने के लिए प्रारम्भ की गयी है।

स्वचालित मार्ग –इस कार्यविधि में विदेशी निवेशक को किसी भी पूर्व अनुमोदन को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं। केवल एक तथ्यात्मक विवरण को ही बाद में भारत में उस कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, जो विदेशी निवेश प्राप्त कर रही है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, (डी0जी0एफ0टी0)

डायरेक्टर जनरल ऑफ कामर्शियल इन्टेलीजेन्स एण्ड स्टैटिसटिक्स' (डी0जी0सी0आई0एण्ड एस0)

अनिवासी निवेशकर्ता (एन0 आर0 आई)

भारतीय मूल के व्यक्ति (पी0 आई0 ओ0)

आयातक निर्यातक कोड (आई0ई0सी0)

'बाजार संकेन्द्रण योजना' (एफ0एम0एस0)

'उत्पाद संकेन्द्रण योजना' (एफ0पी0एस0)

9.13 बोध प्रश्न

सत्य/असत्य बताइए।

1. यद्यपि भारत ने पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया है किन्तु इसके प्रशुल्क अन्य देशों की तुलना में लगातार अधिक बने हुए हैं और इसके निवेश मापदण्ड अब भी प्रतिबन्धात्मक हैं।
2. स्वचालित मार्ग हेतु कार्यविधि में विदेशी निवेशक को किसी भी पूर्व अनुमोदन को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं।
3. एफ0 आई0 आई0 प्रायः शुद्ध विक्रेता है।
4. एन0 आर0 आई0 का कुल धारण चुकता अंश पूँजी के 5% अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा निर्गमित परिर्वतनशील ऋणपत्रों की प्रत्येक श्रंखला के चुकता मूल्य का 5% से अधिक नहीं हो सकता है।

9.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) सत्य (2) सत्य (3) असत्य (4) सत्य ।

9.15 स्वपरख प्रश्न

1. विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों को लिखिए।
2. कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार हेतु विभिन्न प्रावधानों को समझाइए।
3. हथकर्घा एवं दस्तकारी उत्पादों के विदेशी व्यापार हेतु विभिन्न प्रावधानों की विवेचना कीजिए।
4. विदेश व्यापार नीति 2009–14 हेतु विभिन्न प्रावधानों को समझाइए।

5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं इसके मार्गों को परिभाषित कीजिए।
6. विदेशी समता पूँजी निवेश पर भारत सरकार की नीति में प्रदत्त प्रावधानों को समझाइए।
7. विदेशी निवेशकर्ता के लाभों एवं हानियों को बताइए।

9.16 सन्दर्भ पुस्तकें

1. हिल, चार्ल्स डब्ल्यू0 एल0 (2005); इन्टरनेशनल विजनैस बोस्टन, एम0 ए0; मैक्ग्रा हिल/ इरविन।
2. पॉल, जस्टिन (2008): इन्टरनेशनल बिजनैस (4th ed.) नई दिल्ली; पी0एच0आई0 लर्निंग प्रा0 लिमिटेड,
3. सरन, व्युप्तकेश (2010) : इन्टरनेशनल बिजनैस, कन्सैप्ट, इन्वायरनमैण्ट एण्ड स्ट्रेटजी (3rd ed.), नई दिल्ली; पियर्सन एजूकेशन इण्डिया,
4. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/EXTSARREGTOPINTECOTRA/0,,contentMDK:20592520~menuPK:579454~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:579448,00.html
5. http://business.gov.in/trade/index.php
6. http://business.gov.in/trade/foreign_trade.php
7. इन्डियाः फॉरेन डायरेक्ट इन्वैस्टमैन्ट–पालिसी एण्ड प्रासीजर्स, डब्लयू0 डब्लयू0 आई0 सी0 ई0 एफ0 ऑर्ग।

इकाई 10 व्यापार एवं विनियोग का बहुराष्ट्रीय नियमन

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना
10.2 व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौता
  10.2.1 व्यापार की तकनीकी बाधाऐं
  10.2.2 समझौते के मुख्य प्रावधान
  10.2.3 विकासशील देशों के लिए प्रावधान
  10.2.4 व्यापार में तकनीकी बाधाओं की समिति
10.3 सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को लागू करने पर समझौता
  10.3.1 सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय
  10.3.2 सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को लागू करने पर समझौता
  10.3.3 विकासशील देशों के लिए प्रावधान
  10.3.4 सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी समिति
10.4 व्यापार सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमनकारी मुद्दे
  10.4.1 पर्यावरण
  10.4.2 श्रम मानक
10.5 व्यापार आधारित निवेश उपायों (ट्रिम्स) पर समझौता
10.6 व्यापार आधारित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (ट्रिप्स) पर समझौता
10.7 बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली और आर्थिक संक्रमण वाले देश
10.8 आर्थिक संक्रमण वाले देशों हेतु लाभ
10.9 बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में प्रवेश कठिनाइयॉं
10.10 बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में प्रवेश में आर्थिक संक्रमण वाले देशों के द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयॉं
  10.10.1 व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता
  10.10.2 सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों के उपयोग पर समझौता
  10.10.3 पर्यावरण
  10.10.4 श्रम मानक
  10.10.5 व्यापार सम्बन्धित विनियोग उपायों पर समझौता
  10.10.6 व्यापार सम्बन्धित क्षेत्रों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर समझौता
10.11 सारांश
10.12 शब्दावली
10.13 बोध प्रश्न
10.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
10.15 स्वपरख प्रश्न
10.16 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्‌देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या कर सकें ।
- व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौतों को जान सकें।
- सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौतों को जान सकें।

- सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को लागू करने पर समझौतों का विश्लेषण कर सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी अन्य नियामक मुद्दे जैसे पर्यावरण एवं श्रम मानकों को जान सकें। ।
- व्यापार सम्बन्धित निवेश उपायों (ट्रिम्स) पर समझौतों का विश्लेषण कर सकें।
- व्यापार सम्बन्धित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (ट्रिप्स) पर समझौतों का विश्लेषण कर सकें।
- बहुराष्ट्रीय व्यापारिक प्रणाली और आर्थिक संक्रमण वाले देशों के बारे में जान सकें।
- आर्थिक संक्रमण वाले देशों के लाभ और बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में प्रवेश में आर्थिक संक्रमण वाले देशों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयॉ जान सकें।

10.1 प्रस्तावना

मानकों की अनेक भूमिकाऐं एवं कार्य होते हैं। वे न केवल विक्रेताओं एवं क्रेताओं के मध्य एक सामान्य व्यापार की भाषा को स्थापित करते हैं, बल्कि वे साथ ही राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर और बाहर जनसुरक्षा एवं पर्यावरण की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। यही नहीं, आज के वैश्वीकृत उत्पादन प्रणाली में मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमा पार उत्पादित हिस्से जुड़े और नेटवर्क सुसंगत हों। नियमन एवं मानक और अनुपालन मूल्याकंन कार्यविधियों के माध्यम से उनके उपयोग के सत्यापन के कई लाभ हैं। किन्तु उपयुक्त नियमनों की कमी से व्यापारिक साझेदार देशों में तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च लागतें एवं कार्यक्षमताओं में कमी आती है, जिसके अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम होते हैं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू0टी0ओ0) एक स्वतन्त्र एवं बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सदस्य देशों के द्वारा पांच आधारभूत सिद्धान्तों के अनुपालन हेतु प्रोत्साहित करके, समर्थन देता है। यह सिद्धान्त निम्नांकित हैं :

(1) विभेद न करना अर्थात पक्षपातहीनता, जिसका अर्थ है एक देश को घरेलू स्तर पर उत्पादित एवं आयातित उत्पादों के साथ–साथ व्यापार के साझेदार देशों में भी विभेद नहीं करना चाहिए,
(2) व्यापार की बाधाओं को कम करना,
(3) व्यापार के साझेदारों में आत्म विश्वास बढ़ाना ताकि वह मनमाने प्रशुल्कों से पीड़ित न हो सके,
(4) उचित एवं खुले व्यापार के माध्यम से प्रतियोगिता में वृद्धि,
(5) डब्ल्यू0टी0ओ0 समझौते के अन्तर्गत विकासशील देशों हेतु विशिष्ट प्रावधान।

इन सिद्धान्तों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यू0टी0ओ0 सदस्यों के द्वारा कई समझौते किए गए हैं जो व्यापार में तकनीकी बाधाऐं उत्पन्न करने वाले नियमनों को समाप्त करने की ओर प्रारम्भ किए गए हैं। इनमें तकनीकी व्यापार बाधाओं पर समझौता (टी0बी0टी0), सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों

(एस0पी0एस0) को लागू करने पर समझौता और निवेश उपायों एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों जैसे व्यापार सम्बन्धित अन्य नियामक मुद्दे सम्मिलित हैं।

पर्यावरण एवं श्रम मानकों के व्यापार सम्बन्धित क्षेत्रों में भी विचार विमर्श होता रहा है। हाल के वर्षों में, विकासशील देशों के द्वारा और आर्थिक संक्रमण वाले देशों द्वारा डब्लय0टी0ओ0 समझौते को क्रियान्वित करने तथा इन मुद्दों का समाधान करने में सामना की जा रही बाधाओं का विशेष संज्ञान लिया गया है।

10.2 व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौता

10.2.1 व्यापार की तकनीकी बाधाऐं

व्यापार की एक तकनीकी बाधा कई स्वरुप ग्रहण कर सकती है। सर्वाधिक सर्वप्रचलित टी0बी0टी0 में गैर एकीकृत तकनीकी नियमन और मानक दोहरी एवं जटिल अनुपालन मूल्याकंन कार्यविधियां, लागू किए जाने वाले कानूनों एवं तकनीकी नियमनों में पारदर्शिता का अभाव, नौकरशाही की कुछ निश्चित कार्यविधियॉ, और खुले व्यापार के साथ संगतियुक्त निजी मानक संस्थाओं हेतु परिचालन विधियों का अभाव सम्मिलित हैं, जैसे–जैसे वैश्विक प्रशुल्क दरों में कमी हुई है, यह चिन्ता बढ़ी है कि घरेलू उद्योगों के संरक्षण एवं आयात प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए टी0बी0टी0 को सृजित करने के लिए बड़ी संख्या में नियमनों का प्रयोग बढ़ रहा है। इस चिन्ता के उत्तर में, और व्यापार के वैश्विक बाधाओं को कम करके एक बहुराष्ट्रीय स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए डब्ल्यू0टी0ओ0 सदस्यों के द्वारा बहुपक्षीय व्यापार की उरुग्वे दौर की वार्ताओं में व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौते को अंगीकार किया गया है, जो 1994 में सम्पन्न किया गया। जून 1998 तक, 132 सरकारों के द्वारा डब्ल्यू0टी0ओ0 उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया गया एवं इस प्रकार टी0बी0टी0 समझौते को अपनाया गया है।

10.2.2 समझौते के मुख्य प्रावधान

टी0बी0टी0 समझौते के अन्तर्गत विशिष्ट प्रावधान तकनीकी नियमनों, मानकों, अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियों, अधिघोषणा आवश्यकताओं और मानक विकास संस्थाओं से सम्बन्धित हैं। यह मानक कोड के अन्तर्गत किए गए पूर्व प्रावधानों से भिन्न हैं, जिन्हें 1979 के टोकियो राउन्ड के दौरान अंगीकृत किया गया। तकनीकी नियमनों एवं मानकों से सम्बन्धित मुख्य प्रावधानों में उत्पाद की विशेषताओं से सम्बन्धित प्रक्रियाओं एवं उत्पादन विधियॉ सम्मिलित हैं, न कि प्रमाप कोड जो कि केवल निर्माणी उत्पादों को सम्मिलित करता है। विशेषतः, तकनीकी नियमनों एवं मानकों के क्षेत्र में टी0बी0टी0 समझौता उल्लिखित करता है कि सदस्यों को चाहिए कि :

(1) वह उत्पादों के राष्ट्रीय व्यवहार को सुनिश्चित करें अर्थात आयातित उत्पादों के साथ वही समान व्यवहार करें, जो कि वह घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तुओं के साथ करते हैं,

(2) वस्तुओं के मूल स्रोत पर ध्यान दिये बिना, समस्त समान आयातित वस्तुओं के साथ समान व्यवहार करें,

(3) यह सुनिश्चित करें कि मानव, जानवरों या पेड़–पौधों अथवा स्वास्थ्य या पर्यावरण के सुरक्षण के लिए प्रयुक्त कोई तकनीकी नियम एवं मानक आवश्यकता से अधिक व्यापार प्रतिबन्धात्मक नहीं हैं।

(4) जहां तक सम्भव हो, तकनीकी नियमनों हेतु आधार के रुप में सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को, पूर्णतः या आंशिक रुप में, प्रयोग करें।
(5) समुचित तकनीकी नियमनों एवं मानकों के विकास एवं उन्हे अपनाने के लिए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रतिभाग करें,
(6) अन्य सदस्यों के तकनीकी नियमनों को समान रुप में मान्यता दें बशर्ते कि यह नियमन अपने स्वयं के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं,
(7) डिजायन या वर्णनात्मक आवश्यकताओं की तुलना में उत्पाद के प्रदर्शन परिणाम आवश्यकताओं पर जोर दें।
(8) प्रस्तावित तकनीकी नियमनों और मानकों, जो व्यापार को महत्वपूर्ण रुप में प्रभावित करते हैं, को अन्य सदस्यों को सूचित करें।

सुनिश्चित अनुपालन मूल्याकंन प्रावधानों को न केवल परीक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रमों बल्कि निरीक्षण, पंजीकरण, प्रयोगशाला प्रत्यायन एवं गुणवत्ता प्रणाली पंजीकरण को भी सम्मिलित करने के लिए मानक कोड द्वारा विस्तारित किया गया है। विशिष्ट प्रावधान सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं कि वह :

(1) उत्पादकों के प्रति गैर–विभेद पूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करें,
(2) सुनिश्चित अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियों के उपयोग को जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक बाधाऐं उत्पन्न करते है, प्रतिबन्धित करें,
(3) अन्तर्राष्ट्रीय मानक विकास संस्थाओं के द्वारा निर्गमित मानकों एवं तकनीकी नियमनों के सुनिश्चित अनुपालन के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मार्गदर्शनों अथवा संस्तुतियों को उपयोग में लायें,
(4) सुनिश्चित अनुपालन कार्यविधियों के एकीकरण अथवा सामंजस्यीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सुनिश्चित अनुपालन मार्गदर्शनों एवं संस्तुतियों का विकास करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं में प्रतिभाग करें।
(5) उन प्रस्तावित सुनिश्चित अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियों को अन्य सदस्यों को सूचित करें जो व्यापार को महत्वपूर्ण रुप में प्रभावित करती हैं,
(6) अन्य सदस्यों के सुनिश्चित अनुपालन मूल्याकंन कार्यविधियों को समान रुप में मान्यता दें, बशर्ते कि यह कार्य विधियॉ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की उतनी ही गारन्टी देती हैं, जितनी कि उनकी अपनी कार्य विधियॉ देती हैं।
(7) अन्य सदस्यों की सीमाओं में अवस्थित सुनिश्चित अनुपालन मूल्याकंन संस्थाओं को समान रुप से अपनी अथवा अन्य किसी देश की सीमा में अवस्थित सुनिश्चित अनुपालन मूल्यांकन संस्था में प्रतिभाग करने की अनुमति दें।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त टी0बी0टी0 समझौते में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कई अन्य महत्वपूर्ण संरचनाऐं भी सम्मिलित की गयी हैं। समझौते का अनुच्छेद 10 यह आवश्यक करता है कि प्रत्येक सदस्य एक पूछताछ केन्द्र को स्थापित एवं रखरखाव करेगा। यह पूछताछ केन्द्र तकनीकी नियमनों, मानकों एवं सुनिश्चित अनुपालन मूल्याकंन कार्यविधियों के सम्बन्ध में अन्य देशों के अनुरोधों का उत्तर देने तथा व्यापार को महत्वपूर्ण रुप में प्रभावित करने वाले प्रस्तावित सरकारी एवं राष्ट्रीय तकनीकी नियमनों, मानकों एवं सुनिश्चित अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियों को अन्य देशों को सूचित करने के

लिए उत्तरदायी होगा। यह पूछताछ केन्द्र प्रस्तावित विदेशी नियमनों के विषय में रुचि रखने वाले घरेलू पक्षकारों को सूचनाऐं भी प्रदान करेगा।

टी0बी0टी0 समझौते में मानकों को तैयार करने, अपनाने एवं लागू करने (संलग्नक–3) के लिए उत्तम व्यवहार कोड भी सम्मिलित किया गया है। यह कोड निजी क्षेत्र की मानक संस्थाओं के द्वारा मानकों को तैयार करने एवं उपयोग में लाने के लिए सामान्य मार्गनिर्देशों का उल्लेख करता है। यह मानक संस्थाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने, आयातित उत्पादों के प्रति विभेद न करने, जहॉ तक संभव हो राष्ट्रीय मानकों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से एकीकृत करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधक नियमनों के क्रियान्वयन को प्रतिबन्धित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। निजी मानक संस्थाओं के लिए खुले व्यापार की पद्धतियों के अनुकूल परिचालनों को उल्लिखित करने वाला यह पहला उल्लेखनीय कोड है। इस कोड को स्वैच्छिक रुप में अपनाने में 60 से अधिक राष्ट्रीय मानक संस्थाओं ने अब तक इसका अनुपालन किया है।

10.2.3 विकासशील देशों के लिए प्रावधान

यह समझौता उन कठिनाइयों को मान्यता प्रदान करता है जो विकासशील देशों को इसके प्रवाधानों का पालन करने में होती हैं। यह विशिष्ट तौर पर यह मानता है कि मानकों के विकास एवं क्रियान्वयन, सुनिश्चित अनुपालन कार्यविधियों और तकनीकी नियमनों के लिए आवश्यक अवस्थापना अविकसित और यहॉ तक कि विद्यमान नहीं भी हो सकती है। अतः यह समझौता विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को प्रावधानों के किसी भी क्षेत्र में या समस्त क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देने हेतु अनुरोध करता है। यह समझौता यह भी व्यक्त करता है कि विशेष परिस्थितियों में विकासशील देशों को समझौते के प्रावधानों के अनुपालन से दूर प्रदान की जा सकती है, यदि उनकी विशेष विकासात्मक वित्तीय एवं व्यापार आवश्यकताऐं हैं।

10.2.4 व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समिति

एक खुली विश्व अर्थव्यवस्था हेतु समझौते के पूर्ण एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्वों के एक भाग के रुप में टी0बी0टी0 समिति समझौते के परिचालन के मूल्याकंन का त्रिवर्षीय परीक्षण आयोजित करती है। अपने प्रथम परीक्षण में, जो कि नवम्बर 1997 में प्रस्तुत किया गया था, समिति ने यह प्रतिवेदन किया कि समझौते के राष्ट्रीय क्रियान्वयन का अंश संतोशजनक नहीं था। समिति ने यह संज्ञान लिया कि उत्पादन कार्यक्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्वहन की जाने वाली भूमिका महत्वपूर्ण है। किन्तु, इसने यह अनुभव किया है कि सदस्य देश मानकों एवं तकनीकी नियमनों के विकास के सम्बन्ध में समझौते में उल्लिखित कार्यविधियों को पूर्ण अनुपालन नहीं करते हैं।

उदाहरणार्थ कई सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के विकास की प्रक्रिया में पूर्णतया प्रतिभाग नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय मानक विद्यमान हैं, जो समस्त प्रभावित पक्षों के हितों को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

सुनिश्चित अनुपालन मूल्याकंन के सम्बन्ध में समिति ने प्रतिवेदन किया कि जटिल एवं दोहरी सुनिश्चित अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियॉ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति अनावश्यक, अधिक लागत वाली बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। यह सहमति हुई कि समिति **'एक प्रमाप, एक परीक्षण'** के सिद्धान्त पर शोध करे जो सभी स्थानों पर स्वीकृत हो ताकि उन आवश्यकताओं को सरलता से पूर्ण करने में राष्ट्रों की सहायता की जा सके, जो वस्तुओं की बाजार में पहुॅच के लिए अन्य देश और क्षेत्रीय समूह लागू करते हैं। समिति का यह भी विचार था कि आई0एस0ओ0 / आई0ई0सी0 मार्ग निर्देशों की तरह सामान्य कार्य विधियों को अपनाकर अन्य डब्ल्यू0टी0ओ0 सदस्य देशों के सुनिश्चित अनुपालन मूल्याकंन कार्यविधियों में विश्वास स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाए जाने चाहिए।

समिति ने व्यापार पर प्रतिकूल प्रभावों के उदाहरणों को सन्दर्भित करते हुए राष्ट्रीय मानक विकास संस्थाओं को उत्तम व्यवहार पद्धतियों के कोड (आचार संहिता) के अनुसरण करने हेतु प्रोत्साहित किया कि राष्ट्रीय संस्थाऐं अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों का अनुपालन करें और जहॉ तक संभव हो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को अपनायें। राष्ट्रीय मानक विकास संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में अधिक भूमिका का निर्वहन करने तथा अपने विशिष्ट देशों एवं क्षेत्रों में अन्य प्रमाप विकास संस्थाओं के साथ अपनी संलग्नता को समन्वित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

समिति ने यह मान्यता भी दी थी कि विकासशील देशों को टी0बी0टी0 के अन्तर्गत आवश्यक सूचना कार्यविधियों के अनुसरण में कठिनाइयॉ आ सकती हैं। समिति के भावी परीक्षण हेतु संज्ञान के लिए गए मुद्दों में क्षमता विकास, टी0बी0टी0 के विषय में ज्ञान के प्रस्फुटन, अन्तर्राष्ट्रीय मानक विकास संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका और विकासशील देशों में अर्न्तराष्ट्रीय टी0बी0टी0 सम्बन्धित बैठकों का आयोजन इत्यादि सम्मिलित हैं।

10.3 सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को लागू करने पर समझौता

10.3.1 सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय

अगस्त 1997 में डब्ल्यू0टी0ओ0 विवाद समाधान बोर्ड के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपिनयन यूनियन परिषद के निर्देश 81 / 602 / ई0ई0सी0, निर्देश 88 / 299 / ई0ई0सी0 के सम्बन्ध में एक मामला प्रस्तुत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह दावा किया कि यह निर्देश कई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता, जिनमें डब्ल्यू0टी0ओ0 का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को लागू करने पर हुआ समझौता भी सम्मिलित है, का उल्लंघन करता है। यह निर्देश जानवरों के मीट के उस आयात को प्रतिबन्धित करता है जिसमें जानवरों के विकास को प्रवर्तित करने वाले हारमोनों को नियंत्रित किया गया है और ऐसे जानवरों के मीट को बाजार में स्थान देने को प्रतिबन्धित किया गया है। यह दावा करते हुए कि यह आयातो को रोकने वाला संरक्षणकारी उपाय है, संयुक्त राज्य ने द्विपक्षीय विचार विमर्श के द्वारा स्थिति के समाधान का प्रयास किया। जब यह प्रयास असफल हो गए, तो संयुक्त राज्य ने इस मामले को आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड और नार्वे जो तृतीय पक्ष की तरह से पेनल की कार्यवाही में प्रतिभाग का अधिकार सुरक्षित रखे हुए थे, के साथ विवाद समाधान बोर्ड के समक्ष रखा। डब्ल्यू0टी0ओ0 का मानना था कि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा जानवरों एवं पेड़ पौधों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबन्ध आवश्यक थे किन्तु ऐसे उपायों का डब्ल्यू0टी0ओ0 नियमों के अनुसार औचित्य ठहराया जाना चाहिए। अन्यथा, सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी नियमनों को अनावश्यक एवं औचित्यहीन ढंग से घरेलू उद्योगों को आयात प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करने में उपयोग किया जा सकता है।

10.3.2 सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों को लागू करने पर समझौता

डब्ल्यू0टी0ओ0 का सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों को लागू करने का समझौता (एस0पी0एस0) उपरोक्त मुद्दों पर विचार करता है। यह एक स्टैण्ड एलोन (एकाकी) समझौता है जो कि समस्त घरेलू उत्पादित खाद्य या स्थानीय जानवरों, पेंड पौधों, कीटों एवं बीमारियों के साथ ही समस्त आयातित उत्पादों पर लागू होता है। यह समझौता पूर्व 'गैट' उपायों पर आधारित है, व्यापार संरक्षण के लिए एस0पी0एस0 उपायों के उपयोग को प्रतिबन्धित करने के लिए किया गया है। इस समझौते के विशिष्ट प्रावधान निम्नांकित हैं :

(1) सदस्यों को सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों को लागू करने के माध्यम से स्वास्थ्य के संरक्षण का अधिकार है, बशर्ते कि यह उपाय पर्याप्त स्तर के स्वास्थ्य संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक नहीं हैं और यह कि यह उपाय वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं।

(2) सदस्यों को सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, मार्गनिर्देशों एवं संस्तुतियों से जहॉ तक अधिक से अधिक संभव हो, सामंजस्य करना चाहिए।

(3) सदस्यों को प्रासंगिक अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठनों जो सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी मानकों, मार्गनिर्देशों और संस्तुतियों का विकास करते हैं, में प्रतिभाग करना चाहिए।

(4) सदस्यों को समस्त देशों के एस0पी0एस0 उपायों को समान आधार पर स्वीकृत करना चाहिए जब निर्यातक देश यह प्रदर्शन करें कि उनके द्वारा उठाए गए उपाय आयातक देश के द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा के स्तर को प्राप्त करते हैं।

(5) सदस्यों को सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों के लिए आधार के रुप में समुचित जोखिम मूल्यांकन विधियों का विकास करना चाहिए।

(6) सदस्यों को सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से एकीकृत नहीं करना चाहिए जब तक वैज्ञानिक प्रमाण यह संकेत नहीं देते कि स्वास्थ्य जोखिम सन्निहित होने से ऐसा करना देश के लिए आवश्यक है।

(7) सदस्यों को सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी वस्तुओं के सम्बन्ध में मानकों एवं तकनीकी नियमनों को अन्य सदस्य देशों को सूचित करना चाहिए।

(8) सदस्यों को नियंत्रण, निरीक्षण एवं अनुमोदन के लिए कार्यविधियों का अवलोकन करना चाहिए। जहॉ, एस0पी0एस0 समझौता देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से अधिक कठोर राष्ट्रीय मानकों के विकास एवं क्रियान्वयन से प्रतिबन्धित नहीं करता है। सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि वे राष्ट्रीय आवश्यकताओं को अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ एकीकृत नहीं करेगे, तो उन्हें अधिक कठोर मानकों के कारणों

का औचित्य सिद्ध करना होगा कि क्या यह मानक व्यापार को प्रतिबन्धित करते हैं। एस0पी0एस0 समझौता विशिष्ट रुप में संज्ञान लेता है कि व्यापार बाधाओं के विकल्प मौजूद हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण को भी सुनिश्चित करते हैं। उदाहरणार्थ बीमार पशुओं को अलग से रखना, इलाज और निरीक्षणों में वृद्धि आदि।

10.3.3 विकासशील देशों हेतु प्रावधान

व्यापार बाधाओं को कम करके, समझौते में ग्राहकों को और खाद्य एवं कृषि उत्पादों के उद्योगों को समस्त डब्ल्यू0टी0ओ0 देशों में लाभ पहुँचाने की संभावनाऐं हैं। इसमें यह भी क्षमता है कि विकासशील देशों को अधिक लाभ पहुॅचे। टी0बी0टी0 समझौते की तरह एस0पी0एस0 समझौते में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान हैं। कई विकासशील देशों के पास खाद्य सुरक्षा तथा जानवरों एवं पेड़ पौधों, स्वास्थ्य संरक्षण की अपर्याप्त प्रणालियॉ हैं।

अतः विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को अपनी अवस्थापना के क्रियान्वयन के लिए सहयोग किया जाना चाहिए। समझौता विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में एस0पी0एस0 आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अधिक समय देता है। अन्तरिम अवधि में, विकासशील देशों के एस0पी0एस0 उपायों को एस0पी0एस0 समझौते में निर्दिष्ट उपायों/प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। विकासशील देशों के लिए समझौते का एक अन्य लाभ यह है कि समझौते का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है, जिसका अर्थ यह है कि समान एस0पी0एस0 उपाय समस्त देशों के लिए समान रुप से लागू होंगे। किसी भी देश के द्वारा सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उत्पादों के सम्बन्ध में अन्य कारणों के आधार पर विभेद पूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समझौते का यह मत है कि मूल स्थान को ध्यान दिए बिना, समस्त खाद्य एवं कृषि उत्पादों को आयात के लिए स्वीकार किया जाऐगा, जब तक कि प्रश्नगत उत्पाद आयातक देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

10.3.4 सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी समिति

समझौते के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु एक सेनिटरी एवं फाइटोसेनिटरी समिति की स्थापना की गयी है। यह वर्ष में दो बार बैठकें करती है और इस प्रकार सूचना प्रदान करने की आवश्यकताओं, जोखिम मूल्यांकन कार्यविधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के उपयोग के अनुश्रवण के सम्बन्ध में मुद्दों के समाधान का कार्य करती हैं।

10.4 व्यापार सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमनकारी मुद्दे

कई अन्य व्यापार सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय नियमनकारी मुद्दे हैं, जिनमें व्यापार के लिए अनावश्यक बाधाऐं सृजित करने की क्षमता है, जो व्यापार में कमी कर सकते हैं। यह मुद्दे विकसित एवं विकासशील डब्ल्यू0टी0ओ0 सदस्य देशों, दोनों को प्रभावित करते हैं और इनमें पर्यावरण, श्रम मानक, व्यापार सम्बन्धित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) और व्यापार सम्बन्धित विनियोग उपाय (ट्रिम्स) सम्मिलित हैं।

10.4.1 पर्यावरण

डब्ल्यू0टी0ओ0 पारदर्शिता प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि सदस्यों की पर्यावरणीय एवं व्यापार नीतियॉ एक पूरक ढंग से क्रियान्वित हों। वे यह सुनिश्चित

करने में सहायता करते हैं कि पर्यावरणीय आवश्यकताऐं जैसे लेबलिंग एवं पैकेजिंग आवश्यकताऐं अनावश्यक व्यापार प्रतिबन्धों को न उत्पन्न करें। किन्तु, यदि परिस्थितियॉ उत्पन्न हो जाय, तो डब्ल्यू0टी0ओ0 के सदस्य देश व्यापार प्रतिबन्धों का क्रियान्वयन न करने के डब्ल्यू0टी0ओ0 उत्तरदायित्व से आगे जाकर पर्यावरण, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को रख सकते हैं। ऐसी दशा में, पर्यावरणीय उपायों , जो व्यापार प्रावधानों को सम्मिलित करते हैं, ने घरेलू वस्तुओं एवं आयातों में विभेद नहीं करना चाहिए और न ही विभिन्न व्यापारिक साझेदारों के बीच विभेद किया जाना चाहिए।

आई0एस0ओ0 14001 (अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबन्धन प्रणालियों की आवश्यकताओं के मानक) पर अत्यधिक विचार विमर्श और बहस आर्थिक संक्रमण वाले देशों के द्वारा की गयी है। जहॉ यह स्पष्ट है कि उत्पाद आधारित पर्यावरण लेबिल और सम्बन्धित मानक टी0बी0टी0 समझौते से आच्छादित हैं, वहीं पर्यावरणीय प्रबन्ध प्रणालियों के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह प्रश्न कि क्या प्रबन्धन मानक (जैसे आई0एसओ0 9000 एवं 14000) या केवल वह मानक जो उत्पादों से प्रत्यक्ष रुप से सम्बन्धित हैं, समझौते से आच्छादित हों, यह डब्ल्यू0टी0ओ0 में आन्तरिक विचार विमर्श का विषय रहा है। अब तक आई0एस0ओ0 14000 श्रंखला के मानकों से होने वाले व्यापार पर प्रभावों का कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है।

पर्यावरणीय उद्देश्य हेतु स्वीकृत व्यापार सम्बन्धित उपायों में वे उपाय सम्मिलित हैं, जो बहुराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों (एम0ई0ए0) के फ्रेमवर्क या संरचना के अन्तर्गत किए गए हैं। यद्यपि अधिकांश एम0ई0ए0 ऐसे पर्यावरणीय उपायों को सम्मिलित नहीं करते हैं, किन्तु कुछ अन्य गैर विभेदकारी एवं पारदर्शिता के सम्बन्ध में प्रावधानों को सम्मिलित करते हैं। डब्ल्यू0टी0ओ0 संज्ञान लेता है कि एम0ई0ए0 को व्यापार की रुकावटों के प्रभावी विकल्प को सीमा–पार की पर्यावरणीय समस्याओं का बहुराष्ट्रीय समाधान प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है। अन्य व्यापार प्रतिबन्धों की शनैः शनैः समाप्ति विशेषतः प्रशुल्क, गैर–प्रशुल्क बाधाओं के साथ–साथ निर्यात एवं आयात प्रतिबन्धों को हटाने से विकसित एवं विकासशील विश्व दोनों में यह आशा उत्पन्न हुई है कि एक अधिक खुली बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पर्यावरण के संरक्षण एवं स्थायी विकास के प्रयासों की प्रगति में सहायता प्रदान करेगी।

10.4.2 श्रम मानक

श्रम मानकों से आशय उन आधारभूत मानकों से है जो उन तरीकों को शासित करते है, जिनके द्वारा श्रमिकों से व्यवहार किया जाता है। वर्तमान में श्रम मानकों के उत्तरदायित्व के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) है। यद्यपि डब्ल्यू0टी0ओ0 ने इस विषय पर कोई अध्ययन नहीं करवाया है, कुछ डब्ल्यू0टी0ओ0 सदस्य यह अनुभव करते हैं कि श्रम मानकों को भी एक समुचित विषय के रुप में डब्ल्यू0टी0ओ0 के द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। अब तक डब्ल्यू0टी0ओ0 ने विभिन्न कारणों से श्रम अधिकारों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है।

प्रथम मुद्दा व्यापार की क्रिया तथा आधारभूत श्रम अधिकारों के बीच सम्बन्ध को स्थापित करने के औचित्य से सम्बन्धित है। कुछ सदस्य यह दावा

करते है कि ऐसा करन से संरक्षणवाद के लिए बहाना मिल जायेगा। यहॉ पर एक केन्द्रीय प्रश्न यह है कि क्या वे देश जो श्रमिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, को अनुशासनात्मक व्यापार कार्यवाही के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा इस दावे से सम्बन्धित है कि निम्नस्तरीय श्रम मानकों वाले देशों को एक अनुचित निर्यात लाभ प्राप्त होता है, यह दावा यदि सही सिद्ध हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि श्रम मानकों को डब्ल्यू0टी0ओ0 के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। डब्ल्यू0टी0ओ0 के कई विकसित सदस्य देश यह सोचते हैं कि श्रम मानक डब्ल्यू0टी0ओ0 के मंच पर विचार करने हेतु उचित मुद्दा नहीं है। वे यह तर्क देते हैं कि डब्ल्यू0टी0ओ0 से प्रोत्साहन अन्य सदस्यों को काम की दशाओं में सुधार के लिए शक्तिशाली अभिप्रेरणा होगी। अन्य सदस्य अनुभव करते हैं कि श्रम मानकों और बहुराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में एक सम्बन्ध स्थापित करने से संरक्षणवाद को एक सरल औचित्य मिल जाएगा। अब तक अन्य देश यह अनुभव करते हैं कि डब्ल्यू0टी0ओ0 में श्रम मानकों पर विचार विमर्श को लाने का प्रयास विकसित देशों के द्वारा देशों के तुलनात्मक लाभ को कम करने का एक षड़यन्त्र है, विशेषतः यह निम्न मजदूरी वाले विकासशील देशों के विरुद्ध है, जिसे डब्ल्यू0टी0ओ0 सिंगापुर 1996 मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान संज्ञान में लिया गया है।

10.5 व्यापार सम्बन्धित विनियोग उपायों पर समझौता (ट्रिम्स)

व्यापार सम्बन्धित विनियोग उपायों पर समझौता (ट्रिम्स) गैट मान्यता का एक विस्तरण है कि निवेश उपाय व्यापार को प्रतिबन्धित एवं कम कर सकते हैं। इस बात का संज्ञान लेते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय निवेश आर्थिक संवृद्धि को प्रवर्तित करता है, इस समझौते का उद्देश्य स्वतन्त्र व्यापार का प्रवर्तन एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेश की सुविधा प्रदान करना है। टी0बी0टी0 और एस0पी0एस0 समझौतों के समान, ट्रिम्स समझौते के प्रावधान यह उल्लिखित करते है कि :

(1) समस्त उत्पादों को मूल स्थान पर ध्यान दिए बिना राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान किया जायेगा,

(2) सदस्य समस्त गैर अनुमन्य ट्रिम्स को, एक निश्चित अवधि में इन्हें समाप्त करने के लक्ष्य से सूचित करेंगे,

(3) सदस्य अपने संक्रमण कालीन अवधि में गैर अनुमन्य ट्रिम्स को नए उद्यमों पर लागू कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी कार्यवाही के लिए कारण स्थापित उद्यम को अलाभप्रद स्थिति में लाना नहीं है जो कि ट्रिम्स के विषयान्तर्गत है और यह कि ट्रिम्स को निश्चित समय–संरचना में समाप्त कर दिया जाएगा।

(4) सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रिम्स पारदर्शी हैं।

ट्रिम्स समझौते में गैर अनुमन्य ट्रिम्स क`उदाहरणों की सूची सम्मिलित है। गैर अनुमन्य ट्रिम्स के दो उदाहरण स्थानीय सामग्री की आवश्यकता का होना और व्यापार सतुलन की आवश्यकताऐं हैं। गैर अनुमन्य ट्रिम्स को समाप्त करने की समय सीमा विकसित देशों के लिए 2 वर्ष और विकासशील देशों के लिए 5 वर्ष है तथा सबसे कम विकसित देशों के लिए 7 वर्ष निर्धारित है। यह उल्लेख करने कि विकासशील देशों के पास गैर अनुमन्य ट्रिम्स को समाप्त करने के लिए अपेक्षाकृत लम्बी अवधि है, के अतिरिक्त यह जोर दिया गया है कि विकासशील सदस्य राष्ट्र

निवेश के सम्बन्ध में समझौते से अधिकतम लाभ प्राप्त करें, जिससे आर्थिक संवृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह भी माना गया कि विकासशील देशों की विशेष व्यापार, विकास एवं वित्तीय आवश्यकताऐं होती हैं जिन्हें समझौते के क्रियान्वयन के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

10.6 व्यापार सम्बन्धित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (ट्रिप्स) पर समझौता

बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यक्तियों को अपने स्वयं के सृजन पर अधिकार हैं। अधिकार एक निश्चित समयावधि के लिए दूसरों को वंचित करते हुए व्यक्तियों को प्रदत्त विशेषाधिकार हैं। व्यापक रुप से भिन्न मानकों, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण एवं लागू करने वाली संस्थाओं की विभिन्नताओं के कारण कॉपीराइट एवं औद्योगिक सम्पदा के क्षेत्रों में व्यापार में बाधाऐं उत्पन्न हुई हैं। चोरी और नकल अत्यधिक है। व्यापार सम्बन्धित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर समझौता (ट्रिप्स) बर्न, पेरिस और रोम समझौतों से व्युत्पन्न उत्तरदायित्वों पर निर्मित किया गया है। यह कापीराइट, ट्रेडमार्क, भौगौलिक संकेतकों, औद्योगिक डिजायनों, पेटेन्टों, लाइसेन्सिंग पद्धतियों, गैर प्रकटीकृत सूचनाओं का संरक्षण और इन्टीग्रेटेड सर्किट्स का ले–आऊट डिजायन इत्यादि से सम्बन्धित मुद्दों को आच्छादित करता है। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में संरक्षण के न्यूनतम मानकों को स्थापित किया गया है।

अन्य डब्ल्यूय0टी0ओ0 समझौतों के समान, यह समझौता सदस्यों से आग्रह करता है कि :

(1) पूर्व समझौतों में हुई सहमतियों के दायित्वों का सम्मान करें,

(2) सम्बन्धित घरेलू उत्पादित एवं आयातित उत्पादों एवं व्यापारिक साझेदारों के मध्य विभेद न करें,

(3) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण करें एवं इन्हें लागू करें कि इससे तकनीकी नवाचारों, तकनीकी हस्तांरण एवं सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण का प्रवर्तन हो,

(4) सार्वजनिक स्वास्थ्यऔर कल्याण एवं सार्वजनिक हित के समाजार्थिक सैक्टरों एवं तकनीकी विकास में प्रवर्तन हेतु उपायों को अपनाऐं, जहॉ तक यह उपाय समझौते के अन्य प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हैं।

(5) यह सुनिश्चित करें कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की कार्यविधियॉ इस प्रकार लागू हों कि व्यापार में बाधाओं को उत्पन्न न करें।

(6) यह सुनिश्चित करें कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को लागू करने का दुरुपयोग न हो जिसके द्वारा व्यापार विपरीत रुप में प्रभावित हो सकता है और

(7) यह सुनिश्चित करें कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को लागू करने की कार्यविधियॉ खुली एवं निष्पक्ष हों।

यह समझौता विकासशील देशों तथा आर्थिक संक्रमण वाले देशों के लिए विशेष प्रावधानों को सम्मिलित करता है। जहॉ विकसित सदस्य देशों को एक वर्ष में अपने दायित्वों को पूर्ण करना है, वहीं विकासशील देशों और आर्थिक संक्रमण वाले चुने हुए देशों को 5 वर्षों तथा न्यूनतम विकसित देशों को ग्यारह वर्षों में

अपने दायित्वों को पूर्ण करना है। आर्थिक संक्रमण वाले देशों, जो इस श्रेणी में आते हैं, वे देश हैं जो बौद्धिक सम्पदा कानूनों को तैयार करने एवं क्रियान्वित करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन देशों को यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में जो भी नियमन किए जायेंगे, वह ट्रिप्स समझौते का उल्लंघन न करें। एस0पी0एस0 और टी0बी0टी0 समझौते की भांति, यह समझौता भी विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीकी सहायता का आग्रह करता है।

10.7 बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली और आर्थिक संक्रमण वाले देश

एक बाजार प्रणाली में आर्थिक संक्रमण वाला देश विश्व व्यापार में प्रतिभाग करने में विशिष्ट बाधाओं से भिन्न हो सकता है। इन बाधाओं को समझने के लिए, डब्ल्यू0टी0ओ0 के मुख्य उद्देश्यों का पुनरावलोकन करना होगा। यह उद्देश्य हैं :

(1) विभेद न करना सुनिश्चित किया जाना,
(2) व्यापार की बाधाओं को कम करना,
(3) व्यापारिक साझेदारों द्वारा आत्मविश्वास में वृद्धि करना ताकि वह मनमाने प्रशुल्कों के विषयान्तर्गत न हो सकें,
(4) निष्पक्ष एवं खुले व्यापार के माध्यम से प्रतियोगगिता में वृद्धि करना और
(5) यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताऐं पर्याप्त रुप में बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में पूर्ण की गयी हैं।

10.8 आर्थिक संक्रमण वाले देशों हेतु लाभ

आर्थिक संक्रमण वाले कुछ देश पहले ही डब्ल्यू0टी0ओ0 के सदस्य हैं। अन्य डब्ल्यू0टी0ओ0 की सदस्यता ग्रहण कर रहे है या इस पर विचार कर रहे हैं। डब्ल्यू0टी0ओ0 सदस्य देशों के बीच खुली व्यापार प्रणाली की सुविधा प्रदान करने में पारदर्शी व्यापार शासन सत्ताओं के महत्व पर जोर देता है। एक आर्थिक संक्रमण वाली अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता व्यापारिक संबंधों के विकास और सुधार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने में सहायता करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एक बार सुधारों को प्राप्त हो जाने पर उन्हें घरेलू संरक्षणवादी भावनाओं के बाबजूद बनाए रखा जा सकेगा। तत्पश्चात यह सुधार अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकतृ बेहतर तरीके से बाजार प्रणालियों की ओर संक्रमण को पूर्ण करने में सक्षम बनाऐंगे। इस बात पर बहस हो गयी है कि क्या डब्ल्यू0टी0ओ0 की सदस्यता इस संक्रमण को तीव्र करेगी अथवा क्या एक शीघ्र संक्रमण धीमे संक्रमण से बेहतर हैं धीमी गति से सुधारों को अपनाने वाले देशों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह व्यूहनीति उन्हें संक्रमण की उच्च लागतों को बेहतर ढंग से वित्तीयन करने में सहायता करती है जबकि शीघ्र संक्रमण में जाने वाले देश यह दावा करते हैं कि वे गिरते उत्पादन को रोकने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक स्थायी विकास के रास्ते पर बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में सक्षम हुए हैं। जहॉ इस बात पर कोई निश्चित स्थिति अध्ययन नहीं किया गया है कि डब्ल्यू0टी0ओ0 की सदस्यता से संक्रमण प्रक्रिया की दर पर कोई प्रभाव पड़ा है, कई देश जो संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यह विश्वास करते हैं कि सदस्यता इस प्रक्रिया को त्वरित करती है।

संक्रमण वाले देशों हेतु, डब्ल्यू0टी0ओ0 निष्पक्ष व्यापार का मंच प्रदान करता है। डब्ल्यू0टी0ओ0 अपने समस्त सदस्यों को समान रुप में बिना किसी भोगौलिक स्थान अथवा आकार पर ध्यान दिए, व्यवहार करता है। यह समान व्यवहार डब्ल्यू0टी0ओ0 के विवाद समाधान संरचना तक विस्तृत है जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार संबंधी विवादों का निष्पक्ष ढंग से समाधान किया जाय।

10.9 बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणालियों में प्रवेश करना :कठिनाइयॉ

संक्रमण वाले कुछ देशों के लिए डब्ल्यू0टी0ओ0 के उद्देश्यों को पूर्ण करना कठिन हो सकता है। इन देशों को इसलिए, सावधानीपूर्वक यह विचार करने की आवश्यकता होती है कि उन्हें एक डब्ल्यू0टी0ओ0 सदस्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। टी0बी0टी0 और एस0पी0एस0 समझौते में 6 सामान्य प्रावधान निहित हैं :

(1) मानव या जानवरों और पेड़ पौधों के जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण की सुरक्षा के उपायों को अनुमति देना जहॉ तक यह उपाय आवश्यकता से अधिक व्यापार प्रतिबन्धात्मक नहीं हैं।

(2) विभेद न करना,

(3) अन्य देशों के व्यापार और एस0पी0एस0 उपायों की स्वीकृति जब तक कि वह आयातक देश के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं,

(4) अन्तर्राष्ट्रीय नियमनों के साथ तकनीकी नियमनों का एकीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय मानक विकास संस्थाओं में प्रतिभाग करना,

(5) तकनीकी नियमनों की पारदर्शिता,

(6) विकासशील देशों के लिए, संक्रमण वाले देशों को कई परिवर्तन करने होंगे। उन्हें सुदृढ़ नियामक, विधायी, प्रवर्तन और संस्थानात्मक संरचना के विकास एवं इसके रखरखाव की आवश्यकता है। एक नियामक शासन प्रणाली जिसमें जटिल एवं गलत ढ़ंग से क्रियान्वित नियमन होते हैं, वह आर्थिक संवृद्धि प्रतिस्पर्धात्मकता, विदेशी निवेश और रोजगार सृजन में रुकावटें उत्पन्न करेगी और प्रशासनिक लागतों में वृद्धि करेगी। दूसरी ओर, ऐसे नियमन जिन्हें उचित रुप में निर्मित एवं क्रियान्वित किया गया है, प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सृजन एवं जीवन स्तर में वृद्धि में सहायता कर सकते हैं।

आर्थिक संक्रमण वाले देशों के लिए सुदृढ नियामक शासन प्रणाली का विकास एवं क्रियान्वयन कठिन हो सकता है। एक रुकावट उनकी तकनीकी विशेषज्ञता एवं सूचनाओं तक सीमित पहुॅच है। जब नियामक सुधारों से सम्बन्धित विधान को तैयार किया जाता है, तब कई देश स्वयं को सूचनाओं के पर्याप्त स्रोतों एवं विशेषज्ञता के विषय में अभावग्रस्त पाते हैं। उन्हें अपने चालू नियामक मुद्दों की जानकारी एवं इस विषय में विशेषज्ञता न होने के कारण अनुचित ड्राफ्ट और अप्रभावशाली विधान निर्मित होते हैं। एक अन्य समस्या क्रियान्वयन या प्रवर्तन की भी है।

चाहे उचित रुप में लिखित विधान विद्यमान हों, इन देशों के पास ऐसे विधानों को लागू करने के लिए आवश्यक संरचना का अभाव हो सकता है। इसके

लिए उन्हें समस्याओं, उपकरणों, कार्मिकों एवं प्रशिक्षण में विनियोग करने की आवश्यकता होती है।

10.10 बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली में प्रवेश में आर्थिक संक्रमण वाले देशों द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयॉ

10.10.1 व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौता

टी0बी0टी0 समझौते का केन्द्रीय सिद्धान्त देशों के द्वारा लायी गयी व्यापार की बाधाओं एवं अन्य विविध विकृतियों में कमी करना है। जब बाधाओं को प्रभावशाली ढंग से कम किया जाता है, तो इसका दोहरा प्रभाव आर्थिक संक्रमण वाले देशों पर होता है। प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का अनुभव घरेलू उत्पादन प्रणाली एवं नियमनों में परिवर्तन करता है और इसके द्वारा घरेलू उत्पादकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। दूसरे, व्यापार नीति सुधारों की गहराई से क्रियान्वयन किए जा रहे संरचनात्मक परिवर्तनों के क्षेत्र एवं दर प्रभावित होते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों के द्वारा यह सुझाव दिया जाता रहा है कि आर्थिक संक्रमण वाले देशों को अपनी प्रतिभागिता बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में बढ़ाने के लिए कुछ सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नांकित के द्वारा किए जा सकते हैं :

(1) व्यापार एवं समष्टि आर्थिक नीतियों में संगति को सुनिश्चित करना,

(2) गैर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए व्यापार नीतियों की संरचना के उपयोग पर विचार करना, यदि आवश्यक हो (जैसे आय का संकलन),

(3) आर्थिक संक्रमण वाले देशों के द्वारा विकसित देशों के बाजार में पहुॅच बनाने में सामना की जा रही कठिनाइयों से उत्पन्न भुगतान शेषों की समस्याओं के समाधान के साधन के रुप में डब्ल्यू0टी0ओ0 के द्वारा अनुश्रवण किये जाने वाले आयात करारोपण के उपयोग पर विचार करना।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का विकास करने वाली संस्थाओं में प्रतिभाग करने से सम्बन्धित टी0बी0टी0 की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, कई देशों ने यह संकेत दिया है कि विकासशील देशों और आर्थिक संक्रमण वाले देशों की स्थिति विकसित देशों से भिन्न है। कम विकसित देशों के पास इन गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु धनराशि नहीं होती है। वे यह तर्क देते हैं कि इन अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को तकनीकी रुप से विकसित देशों पर आधारित बनाया गया है। वे यह भी कहते हैं कि जिन देशों के द्वारा मानकों के विकास में प्रतिभाग नहीं किया जा सकता है उनके पास इन मानकों के अनुपालन करने के वित्तीय या तकनीकी संसाधनों का होना भी प्रत्याशित नहीं है।

विकासशील देश एवं आर्थिक संक्रमण वाले देश, उदाहरण के लिए, सुनिश्चित अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियों को स्थापित करने में होने वाले संभावित उच्च व्ययों का उल्लेख करते हैं, जिनसे उन्हें स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गमित करने में सहायता मिल सकेगी। कई देशों के पास परिचालनात्मक प्रत्यायन अवस्थापना ही नहीं है, जो विदेशी बाजारों में परीक्षण परिणामों को मान्य करने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आधार उपलब्ध करा सके। उनके पास आवश्यक

उपकरणों के क्रय के लिए जरुरी कोषों का भी अभाव है। एक और अधिक महत्वपूर्ण समस्या कुछ देशों में प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव भी है।

10.10.2 सेनिटरी एवं फाईटोसेनिटरी उपायों को लागू करने पर समझौता

एस0पी0एस0 समझौता घरेलू एवं आयातित खाद्य या स्थानीय जानवरों एवं पेड़ पौधों, कीटों एवं बीमारियों में व्यवहार करता है। यह सामान्यतया सहमति है कि यह समझौता इन वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण से दूर जाने की शुरुआत का चिन्ह है और धीरे–धीरे अपेक्षाकतृ अधिक बाजार नियन्त्रित प्रणाली को अनुमति प्रदान करेगा। आर्थिक संक्रमण वाले देशों के लिए, एस0पी0एस0 उपायों के द्वारा शासित वस्तुओं के चालू निर्यात निराशाजनक रहे हैं क्योंकि गन्तव्य देशों में आवश्यक सेनिटरी एवं गुणवत्ता मानकों को पूर्ण करने में उत्पादक अक्षम रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस कमी के साथ कृषि उद्योग में विद्यमान निम्न उत्पादकता एवं उच्च आगत लागतों जैसे कारक इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि क्यों घरेलू उत्पादक प्रायः उन आधारभूत कृषि उत्पादों को क्रय करने योग्य नहीं हैं जिनसे वह निर्मित वस्तुऐं बना सके। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकता है। यह आधारभूत सामग्री प्रायः निर्मित वस्तुऐं बनाने के लिए निर्यात कर दी जाती है जो बाद में पुनः देश में वापस आयात की जाती हैं।

यह रुकावटें, तब हल की जा सकती हैं जबकि प्रभावशाली एस0पी0एस0 उपायों की प्रणाली को क्रियान्वित किया जाय। व्यापार नीतियों की तरह, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा संसाधनों की पुर्नसंरचना एवं कृषिनीतियों के पुर्नगठन हेतु दबाव उत्पन्न करेगी। समुचित वैधानिक एवं संस्थानात्मक अवस्थापना संरचना के सृजन एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए, विकसित देशों को एस0पी0एस0 समझौते के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

10.10.3 पर्यावरण

संक्रमण वाले देश यह मानते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दे निजीकरण की प्रक्रिया में नजरअन्दाज नहीं किए जा सकते हैं। वे यह भी मानते हैं कि डब्ल्यू0टी0ओ0 समझौते के प्रकाश में, उन्हें ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करना चाहिए जो आवश्यक होने की अपेक्षा व्यापार प्रतिबन्धात्मक अधिक हैं, जब पर्यावरण के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण का बेहतर समाधान करने के लिए पर्यावरण नीतियों एवं जोखित मूल्याकंन विधियों के विकास में अधिक विनियोग की आवश्यकता है। पर्यावरणीय निवेश के प्रश्न के समाधान के लिए आर्थिक संक्रमण वाले देश दो मुख्य तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम, इस आलेख में वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों से विकासशील देशों को तकनीकी सहायता की पुकार होती है। दूसरा तरीका इन देशों के लिए यह हो सकता है कि वे अपनी पर्यावरणीय चिन्ताओं के समाधान हेतु पर्यावरण में सुधार के अन्य दूसरे साधनों से व्युत्पन्न आय को चिन्हित करें। किन्तु, यह प्रायः कठिन है कि प्रदूषण व्यय एवं अन्य शुल्कों को एकत्रित किया जाय, जो इन कोषों के लिए आय का मुख्य स्रोत हो। साथ ही, कई नौकरशाही से सम्बन्धित कठिनाइयॉ हो सकती हैं, जो पर्यावरणीय कोषों के प्रबन्धन में आ सकती हैं।

10.10.4 श्रम मानक

श्रम मानकों के सम्बन्ध में कई आर्थिक संक्रमण वाले देशों में वर्तमान में श्रम कानूनों को लागू करने हेतु समुचित संरचना का अभाव है। इसके अतिरिक्त, कई श्रम कानून चालू सामाजिक नीतियों जैसे अधिवर्षता प्रेरणाओं के साथ पूरक नहीं हैं। आर्थिक संक्रमण वाले देशों को, यदि उन्हें प्रभावशाली ढंग से पुर्नसंरचना करनी है तथा गैर–स्फीतिक संवृद्धि को बनाए रखना है, तो उन्हें अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती हैं (किन्तु विभिन्न उद्योगों में श्रम संसाधनों के भिन्न–भिन्न आबंटन के साथ) । ऐसा करने के लिए, उन्होंने अपनी श्रम शक्ति में निवेश को प्रशिक्षण एवं पद स्थापना जैसी सेवाऐं प्रदान करने के द्वारा प्रारम्भ कर दिया है।

इन देशों को श्रम मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रभावशाली संरचना को विकसित करने की भी आवश्यकता है। जहॉ कई ने अपनी प्रवर्तन संरचना को पुर्नसंरचित करना प्रारम्भ कर दिया है। वहीं अन्य ने अब तक ऐसा महत्वपूर्ण सीमा तक नहीं किया है। इसे विचार करते हुए, कई आर्थिक संक्रमण वाले देश यह तर्क देते हैं कि वर्तमान में श्रम मानकों को व्यापार क्रिया के साथ जोड़ना उचित नहीं है। ऐसा करने से अन्य देशों को श्रम मुद्दों से संरक्षणवाद को छुपाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिससे व्यापार को हानि हो सकती है और इस प्रकार, आर्थिक संक्रमण वाले देशों का उत्पादन भी कम हो जाएगा।

10.10.5 व्यापार सम्बन्धित निवेश उपायों पर समझौता

ट्रिम्स समझौता अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को संवृद्धि के इंजन के रुप में प्रस्तुत करता है। निवेश को आकर्षित करने के लिए, देश के आर्थिक स्थायित्व में विश्वास होना चाहिए। अतः देशों को वित्तीय सैक्टर में सुधारों को क्रियान्वित करना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली और पूॅजी बाजारों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, स्फीति पर नियंत्रण होना चाहिए और चालू खाते के घाटे को स्थिर रखा जाना चाहिए। ऐसे उद्यम जो अब तक राज्य के स्वामित्व में हैं, का निजीकरण किया जाना आवश्यक है और देशों को समस्त गैर अनुमन्य 'ट्रिम्स' को समाप्त कर देना चाहिए।

10.10.6 व्यापार सम्बन्धित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर समझौता

ट्रिप्स समझौता आर्थिक संक्रमण वाले देशों के लिए विशेष चुनौती प्रस्तुत करता है। बौद्धिक सम्पदा की चोरी एवं नकल सम्पूर्ण विश्व में किन्तु विशेषतः विकासशील देशों एवं आर्थिक संक्रमण वाले देशों में व्यापक रुप से फैली हुई है। तकनीकी रुप से विकसित देश, विकासशील देशों एवं आर्थिक संक्रमण वाले देशों के ऊपर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की कार्यविधियों को लागू करने का भारी दबाव बना रहे हैं किन्तु, जैसा अन्य डब्ल्यू0टी0ओ0 समझौतों के साथ है, वैसे ही बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पर्याप्त मात्रा में अनुश्रवण करने के लिए आवश्यक अवस्थापना संक्रमण वाले देशों में उपलब्ध नहीं है। एक अन्य दोष यह है कि लागू करने की लागतें अपेक्षाकृत अधिक हो सकती हैं। अन्त में, यह तथ्य कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का अधिक उल्लंघन भूमिगत रुप में या काले बाजारों में होता है, ऐसे उल्लंघनों का अनुश्रवण अत्यन्त कठिन होता है। अतः आर्थिक संक्रमण वाले देशों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को लागू करने के लिए एक सुदृढ़ नियामक एवं विधायी संरचना के विकास की आवश्यकता होती है। एक लाभ इन देशों को यह भी है कि ट्रिप्स उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने वाले देशों के कई पुनरावलोकन

पहले ही हो चुके हैं। इन पुनरावलोकनों के परिणाम इन देशों को अपने स्वयं के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के कानूनों के क्रियान्वयन में एक मॉडल का कार्य कर सकते हैं।

10.11 सांराश

एक बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली जो इसके समस्त सदस्यों को निष्पक्ष व्यापार उपलब्ध करा सके और आर्थिक संवृद्धि का प्रवर्तन कर सके, को प्राप्त करने में कई बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। व्यापार की संभावित बाधाओं में मानकों, तकनीकी नियमनों, सुनिश्चित अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियों, श्रम मानकों, व्यापार आधारित निवेश उपायों के साथ–साथ व्यापार आधारित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। कुल मिलाकर, अधिकांश आर्थिक संक्रमण वाले देशों को अपनी संस्थानात्मक, विधायी एवं नियमनकारी संरचना को पुर्नसंरचित करने की आवश्यकता होगी। साथ ही विश्व बाजार में प्रभावशाली प्रवेश के लिए मानव संसाधनों एवं उपकरणों में विनियोग करने की भी आवश्यकता हैं । इस सम्बन्ध में विकसित देश वित्तीय निवेश एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से सहायता कर सकते हैं। डब्ल्यू0टी0ओ0 ने पहले ही कुछ समझौतों का उनकी प्रभावपरकता के लिए परीक्षण किया है और उसके पास वर्णित किए गये अन्य क्षेत्रों में से अधिकांश के परीक्षण हेतु आवश्यक संरचना विद्यमान है। समस्त समझौते एवं विचार–विमर्शों में एक सामान्य विशेषता ज्ञात होती है। यह सभी इस उल्लिखित अवधारणा को सम्मिलित करते हैं कि एक दिन समस्त वैश्विक बाजार एक सही वैश्विक बाजार का स्थान बन जाएगा जहॉ पर समस्त उत्पादक अपनी वस्तुऐं बिना किसी भय के एवं बिना व्यापार में विभेद या प्रतिबन्धों का सामना किए विक्रय कर सकेंगे।

10.12 शब्दावली

व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौता (टी0बी0टी0)– इसके अन्तर्गत तकनीकी नियमनों, मानकों, अनुपालन मूल्यांकन कार्यविधियों, अधिघोषणा आवश्यकताओं और मानक विकास संस्थाओं से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान हैं।

सेनिटरी एवं फाईटोसेनिटरी उपायों को लागू करने पर समझौता(एस0पी0एस0)– घरेलू एवं आयातित खाद्य या स्थानीय जानवरों एवं पेड़ पौधों, कीटों एवं बीमारियों में व्यवहार करता है।

डब्ल्यू0टी0ओ0 : विश्व व्यापार संगठन,

टी0बी0टी0 : व्यापार बाधाओं पर समझौता ,

एस0पी0एस0 : सेनिटरी और फाइटोसेनिटरी उपायं,

आई0एल0ओ0 : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,

ट्रिम्स : व्यापार सम्बन्धित विनियोग उपायों पर समझौता ,

ट्रिप्स : व्यापार सम्बन्धित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर समझौता।

10.13 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(1) विश्व व्यापार संगठन एक स्वतन्त्र एवं बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सदस्य देशों के द्वारा ....आधारभूत सिद्धान्तों के अनुपालन हेतु प्रोत्साहित करके, समर्थन देता है। ।

(2) व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौते(टी0बी0टी0) को .... अंगीकार किया गया।

(3) सेनिटरी एवं फाइटोसेनिटरी समिति वर्ष में ....बार बैठकें करती है।

(4) ट्रिम्स समझौता अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को संवृद्धि के ....के रुप में प्रस्तुत करना है।

(5) टी0बी0टी0 और एस0पी0एस0 समझौते में .... सामान्य प्रावधान निहित हैं।

(ब) सत्य/असत्य बताइए।

(1) मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमा पार उत्पादित हिस्से जुड़े और नेटवर्क सुसंगत हों।

(2) कई सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के विकास की प्रक्रिया में पूर्णतया प्रतिभाग नहीं करते हैं।

(3) एस0पी0एस0 समझौता एक स्टैण्ड एलोन (एकाकी) समझौता नही है।

(4) अब तक आई0एस0ओ0 14000 श्रंखला के मानकों से होने वाले व्यापार पर प्रभावों का कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है।

(5) कई आर्थिक संक्रमण वाले देशों में वर्तमान में श्रम कानूनों को लागू करने हेतु समुचित संरचना का अभाव है।

10.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) (1) पांच (2) 1994 में (3) दो(4) इंजन (5) 6।

(ब) (1) सत्य (2) सत्य (3) असत्य (4) सत्य (5) सत्य।

10.15 स्वपरख प्रश्न

1. व्यापार के विषय में बहुपक्षीय नियमनों की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
2. व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौते के विभिन्न प्रावधानों को समझाइए।
3. व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते के प्रति विकासशील देशों हेतु विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
4. सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी उपायों को लागू करने के समझौते के विषय में प्रावधानों को लिखिए।
5. विभिन्न व्यापार आधारित अन्तर्राष्ट्रीय नियमनकारी मुद्दों को समझाइए।
6. व्यापार सम्बन्धित निवेश उपायों (ट्रिम्स) के समझौते के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
7. व्यापार आधारित क्षेत्र के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर समझौते (ट्रिम्स) से आप क्या समझते हैं ? समझाइए।
8. बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली और आर्थिक संक्रमण वाले देशों की अवधारणा को समझाइए।
9. आर्थिक संक्रमण वाले देशों के लिए क्या लाभ हैं?
10. आर्थिक संक्रमण वाले देशों को बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली में प्रवेश करने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं? समझाइए।

10.16 सन्दर्भ पुस्तकें

1. यूनाइटेड नेशनस इकॉनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप स्टैन्डर्ड्स एण्ड रेगुलेशन्स इन इन्टरनेशनल ट्रेड (1998) समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ राउन्ड टेबिल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ स्टैन्डर्डस ऑन इन्टर नेशनल ट्रेड, जेनेवा जून 15, रिट्रीव्ड फ्रॉम htpp://www.unece.org/fileadmin/DAM/ tradecited/wp6/document/ece-trd-248.pdf on Nov 29, 2013.
2. हिल, चार्ल्स डब्ल्यू0 एल0 (2005) इन्टरनेशनल बिजनैस, बोस्टन एम0ए0मैक्ग्रग्रा हिल/इरविन।
3. पॉल, जस्टिन (2008) इन्टरनेशनल बिजनैस (4th एडी0) नई दिल्ली : पी0एच0आई0 लर्निग प्राइवेट लिमिटेड।
4. शरन, व्युप्तकेश (2010) इन्टरनेशनल बिजनैस : कन्सैप्ट, इन्वायरनमैन्ट एण्ड स्ट्रेटजी (3rd एडीसन) नई दिल्ली : पिर्यसन एजूकेशन इन्डिया.

इकाई 11 क्षेत्रीय आर्थिक एकता

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 क्षेत्रीय आर्थिक एकता की संकल्पना

11.2.1 व्यापार मुक्त क्षेत्र

11.2.2 सीमा शुल्क संघ

11.2.3 आम बाजार/सामान्य बाजार

11.2.4 आर्थिक संघ

11.3 क्षेत्रीय आर्थिक एकता के लाभ और हानि

11.4 क्षेत्रीय आर्थिक एकता और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

11.4.1 उत्तरी अमेरिका NAFTA

11.4.2 दक्षिण अमेरिका MERCOSUR

11.4.3 CARICOM और **ANDEAN समूह**

11.4.4 CAFTA : DR

11.4.5 यूरोप : EU

11.4.6 एशिया : ASEAN

11.4.7 एशिया : APEC

11.4.8 मध्य पूर्व एवं अफ्रीका : GCC

11.4.9 मध्य पूर्व एवं अफ्रीका : AEC

11.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्षेत्रीय व्यापार समझौता का प्रभाव

11.6 सारांश

11.7 शब्दावली

11.8 बोध प्रश्न

11.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.10 स्वपरख प्रश्न

11.11 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की अवधारणा की व्याख्या कर सकें।
- प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्रों की पहचान कर सकें।

11.1 प्रस्तावना

एक आर्थिक एकीकरण दो या अधिक क्षेत्रों के बीच एक व्यवस्था को कम करने या व्यापार बाधाओं को समाप्त करने के लिए और मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच समन्वय बनाए रखता है। आर्थिक एकीकरण का उद्देश्य, उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के लिए लागत को कम करने के साथ–साथ भाग लेने वाले देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए समझौते करना है। यहां आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्तर है, तरजीही – व्यापार समझौते (PTA), मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA), सीमा शुल्क युनियन, सामान्य बाजार और आर्थिक और मौद्रिक यूनियन (संघ) भी शामिल है। जब अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था बनती है।

तब कम व्यापार बाधाएँ मौजूद होती है, और ज्यादा अधिक आर्थिक और राजनैतिक समन्वय सदस्य देशों के मध्य रहता है। एक से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करके, शुल्क सूची (टैरिफ) और अन्य व्यापार अवरोधों के उपयोग से अल्पावधि लाभ कम हो गया है। इसी समय में, अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्थाएँ बनती है। कम शक्ति, वाले सदस्य देशों की सरकारों को समायोजन करना पड़ता है। इससे स्वयं को लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक विकास की अवधि में, एकीकृत होने के कारण अधिक दीर्घकालिक आर्थिक लाभ हो सकते है। हालांकि, कमजोर विकास की अवधि में एकीकृत किया जा सकता है, अतः वास्तव में चीजो को बदतर बना सकता है।

11.2 क्षेत्रीय आर्थिक एकता की संकल्पना

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की अवधारणा से तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र के देशों की भागीदारी के एक साथ होने पर व्यापार और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने से है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक सीमा शुल्क संघ, एक साझा बाजार, एक आर्थिक संघ, या उसके सबसे चरम रूप में प्रकट कर सकते है, एक राजनीतिक संघ के रूप में। NAFTA की विस्तृत चर्चा नीचे करेंगे। जो कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का उदाहरण है, जबकि यूरोपीय संघ (EU) क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का एक साझा बाजार केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। (अर्थात् यूरोपीय साझा बाजार) जो एक आर्थिक संघ के लिए विकसित किया गया है। संक्षेप में, क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रीत करने के लिए साथ ही पड़ोसी देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया है।

11.2.1 मुक्त व्यापार क्षेत्र

यह आर्थिक सहयोग का सबसे बुनियादी रूप है। इसके तहत सदस्य देशों के मध्य स्वयं के व्यापार करने के लिए सभी बाधाओं को हटाते है। लेकिन गैर सदस्य राष्ट्रों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार नीतियों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। इसका उदाहरण है, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA)

11.2.2 सीमा शुल्क संघ

एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान करता है, इस क्षेत्र में व्यापार के लिए बाधाओं को सदस्य देशों के बीच से हटा दिया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का प्राथमिक अन्तर यह है, कि यहां सदस्यों द्वारा एक समान तरीके से गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए मनाया या सहमत किया जाता है। खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) इसका एक उदाहरण है।

11.2.3 आम–सामान्य बाजार

बाजार का यह प्रकार सदस्य देशों के बीच आर्थिक रूप से एकीकृत बाजारों के निर्माण की अनुमति देता हे। इसमें व्यापार अवरोधों को हटा दिया जाता है, क्योंकि सदस्य देशों के मध्य श्रम और पूंजी के आंदोलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। सीमा शुल्क संघों की तरह, यहां एक सामान्य व्यापार नीति होती है जो कि गैर–सदस्य देशों के साथ व्यापार, के लिए नीति होती है। श्रमिकों को प्राथमिक लाभ यह होता है कि उन्हें एक आम बाजार के दूसरे सदस्य देश में

कार्य करने के लिए अब वीजा या वर्क परमिट की आवश्यकता नही हैं एक आम बाजार का उदाहरण है पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के लिए आम बाजार (COMESA)

11.2.4 आर्थिक संघ

यह प्रकार जब बनाया जाता है जब देश एक आर्थिक समझौते में प्रवेश करते है, बाधाओं को दूर करने के लिए व सामान्य आर्थिक नीतियों केा व्यापार में अपनाने के लिए इसका उदाहरण यूरोपीय संघ (EU) है।

पिछले दशक में यह चर्चा है कि एक सौ से अधिक समझौते के साथ इन व्यापार ब्लाकों (समूहों) में वृद्धि हुई है। एक व्यापार ब्लॉक (समूह) मूल रूप से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र या निकट—मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जो कि दो या अधिक देशों के मध्य एक या एक से अधिक कर, टैरिफ और व्यापार समझौते द्वारा गठित होते है।

आर्थिक सहयोग को लेकर एक दूसरे के बीच सम्बन्धों को और अधिक ढोस बनाने हेतु कुछ बाजार गुट में समझौता हुआ है। यहां पर क्षेत्रीय समझौतों केा लेकर पक्ष/विपक्ष का माहौल भी रहता हे जो कि होना स्वाभाविक है।

11.3 क्षेत्रीय आर्थिक एकता के लाभ व हानि

क्षेत्रीय समझौता को बनाने में निम्नलिखित लाभ शामिल है।

1. व्यापार के निर्माण

इस प्रकार के समझौते देशों के एक दूसरे के साथ व्यापार के लिए और अधिक अवसर पैदा करते है। व्यापार एवं निवेश की बाधाओं को हटाने के द्वारा। शुल्कों में कमी या उन्हें हटाने के कारण, आपसी सहयोग के कारण ब्लॉग (गुट) देशों द्वारा परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत प्रदान की जाती है। अध्ययनों से यह संकेत प्राप्त होते है कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अल्प विकसित देशों में अपेक्षाकृत उच्च विकास दर प्राप्ति के लिए योगदान देता है।

2. रोजगार के अवसर

श्रम आन्दोलन पर प्रतिबंध को हटाने के द्वारा, आर्थिक एकीकरण रोजगार के अवसरों के विस्तार कर मदद करते हैं।

3. आम सहमति एवं सहयोग

सदस्य राष्ट्र, छोटे देशों के साथ आसानी से आपसी सहमति प्राप्त कर लेते है। आपसी व्यापार के सन्दर्भ में/क्षेत्रीय समझ व समानताएँ भी घनिष्ठ राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देते है।

क्षेत्रीय समझौतो को बनाने में निम्नलिखित हानियाँ भी शामिल है—

(1) व्यापार दिक्परिवर्तन (मोड़)

व्यापार दिक्परिवर्तन निर्माण, व्यापार करने का दूसरा पहलू है। सदस्य देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ अधिक व्यापार किया जाता है न कि गैर सदस्य देशों के साथ।

अर्थात् सदस्य देशों के बीच व्यापार, गैर सदस्य देशों से ज्यादा होता है। इसका यह मतलब है कि व्यापार में बढ़ोतरी, एक कम कुशल या अधिक मंहगे निर्माता (उत्पादक) के साथ क्योंकि यह एक सदस्य देश में है। इस प्रकार, कमजोर कंपनियों को अंजाने संरक्षित किया जा सकता है। गुट समझौते के साथ

एक व्यापार बाधा के रूप में। संक्षेप में, क्षेत्रीय समझौते के द्वारा नए व्यापार बाधाओं का गठन किया है, उन राष्ट्रों के साथ जो व्यापार गुट के बाहर की है।

(2) रोजगार में बदलाव और कटौती

देश अपने उत्पादन को सस्ते श्रम बाजार में सदस्य देशों की ओर स्थानांतरित कर सकते है। इसी प्रकार श्रमिक बेहतर रोजगार और मजदूरी प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित कर सकते है। रोजगार में अमानक बदलाव सदस्य देशों के संसाधनों में कर (Tax) के द्वारा कर सकते हैं।

(3) राष्ट्रीय संप्रभुता की हानि

एक क्षेत्रीय गुट के भीतर चर्चा और समझौतों के प्रत्येक नए दौर के साथ, राष्ट्रों को अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को छोड़ देना होगा।

शुरूआती केस अध्ययन में आपने सीखा कैसे ग्रीस में आर्थिक संकट, यूरोपीय संघ को न केवल धमकी दे रहा है, बल्कि ग्रीस और अन्य सदस्य देशों के अधिकार भी स्वयं की घरेलू आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने के लिए है।

11.4 क्षेत्रीय आर्थिक एकता एवं सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

यहां सौ से अधिक क्षेत्रीय व्यापार समझौते है। एक ऐसी संख्या जो निरन्तर विकसित हो रही हैं क्योंकि देश अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों और प्राथमिताओं को पुनः समनुरूप करते है। साथ ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) का विस्तार छोटे क्षेत्रीय समझौतो का कारण बना है। जो अप्रचलित हो गए है। कुछ क्षेत्रीय गुटो ने व्यापार समझौते और समझो की एक वेब का निर्माण किया है जो कि क्षेत्रीय समूहों के साथ पक्ष समझौतों का निर्माण है।

11.4.1 उत्तरी अमेरिका : NAFTA (नाफ्टा)

उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA) एक अवधि के दौरान अस्तित्व में आया। जब मुक्त व्यापार और व्यापारिक पत्र को लोकप्रिय और सकारात्मक रूप से माना जाता था।

सन् 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने कनाडा–संयुक्त राज्य मुक्त व्यापार समझोते पर हस्ताक्षर किए। इसे अनुमोदित और कार्यान्वित करने के कुछ समय पश्चात, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेक्सिको के साथ एक समान समझौते पर बातचीत शुरू कर दी थी। जब कनाडा ने सबसे अधिक पसंदीदा राष्ट्र खण्ड (MFN) के तहत अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए किसी भी वार्ता के पक्ष में कहा, वार्ता NAFTA के लिए शुरू हुई जो अंततः 1992 में हस्ताक्षर हुई, और 1994 में कार्यान्वित हुई। NAFTA का लक्ष्य कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करना है, टैरिफ और व्यापार अवरोधों को कम करके, देशों को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की उम्मीद है, कम्पनियाँ माल (उत्पाद) के हस्तांतरण से लाभान्वित हो सकती हैं 1980 के दशक में, मेक्सिको का टैरिफ चुनिंदा स्थानों पर 100 प्रतिशत के बराबर था। समझौते के पहले दशक में, मेक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य लगभग सभी टैरिफ चरणबद्ध थे। सामग्री की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम NAFTA की कुंजी है। एक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में, सदस्य देशों द्वारा गैर सदस्य देशों के लिए अपने स्वयं के व्यापार नियम स्थापित कर सकते है। NAFTA (नाफ्टा) के नियम यह सुनिश्चित करते है कि विदेशी निर्यातक नाफ्टा

देश में केवल गैर सदस्य देशों के लिए सबसे कम टैरिफ के साथ व्यापार नही करेगा। नाफ्टा के नियम के अनुसार, कि ज्यादातर उत्पादों की शुद्ध लागत का कम से कम 50 प्रतिशत नाफ्टा क्षेत्र से आने वाला या नाफ्टा क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। जूते और कारों के लिए उच्च आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सामग्री नियम की यह उत्पत्ति यह सुनिश्चित करती है कि सस्ते एशियाई निर्माताओं ने एक नाफ्टा देश के साथ कम टैरिफ के लिए बातचीत नहीं की होगी। जैसे कि मेक्सिको, और सस्ते उत्पाद को कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में छोड़ देना (डम्प) चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में प्रवेश करने से पहले मैक्सिकन मैक्लिाडोर्स ने इस व्यवस्था में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैक्लिडोरा उत्पादन सुविधाओं मेक्सिकों में सीमा शहरों में स्थित है जो आयातित सामग्रियों को लेती है और निर्यात के लिए तैयार वस्तुओं का उत्पादन करती है, मुख्यतः कनाडा और संयुक्त राज्य के लिए।

कम लागत वाली मैक्सिकन कृषि उत्पादों से कनाडा और अमेरिकी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इसी प्रकार कनाडा और अमेरिकी कंपनियों ने विस्तारित मैक्सिकन घरेलू बाजार में प्रवेश करने की मांग की हे। कई कनाडाई और अमेरिकी कम्पनियों ने एशिया के बजाय मेक्सिको में अपने विनिर्माण या उत्पादन सुविधाओं का पता लगाने के लिए चुना है। जो भौगोलिक दृष्टि से अपने उत्तर अमेरिकी ठिकानों से दूर थे।

जब इसे शुरू किया गया था, नाफ्टा अत्यधिक विवादास्पद था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां कई लोगों ने महसूस किया कि वह मेक्सिको में अमेरिकी नौकरियों को विस्थापित करेगां लम्बे समय में नाफ्टा प्रभावशाली नही रहा, क्योंकि इसके समर्थकों ने आशा व्यक्त की थी, न ही मजदूरों और कम्पनियों के लिए हानिकारक के रूप में इसके आलोचकों का डर था। नाफ्टा के हिस्से के रूप में, श्रम और पर्यावरण मानको को संबोधित करने वाले दो पक्ष समझौतों को स्थान दिया गया था। इससे यह उम्मीद थी कि इन पक्षों के समझौतों से यह सुनिश्चित होगा कि मेक्सिको को कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की और बढ़ना पड़ा। मैक्सिको नाफ्टा से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि व्यापार में नाटकीय वृद्धि हुई है। मैक्सिकों में माक्किलाडोर्स ने आय में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देखी गई है। और बड़े पैमाने पर, कनाडाई नाफ्टा के सहायक रहे है और इस क्षेत्र में निर्यात कार्यान्वयन के बाद से इस अवधि में वृद्धि हुई है।

1994 में नाफ्टा लागू होने के बाद से "त्रि– पार्ख" (व्यापारिक) व्यापार लगभग तीन गुना हो गया है। 2008 में यह 1 खरब डॉलर (US) में सबसे ऊपर था। 2008 के वैश्विक आर्थिक मन्दी और यूरोपीय संघ पर चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव को देखते हुए, यह संभावना नही है कि नाफ्टा मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थिति से आगे और अधिक व्यापक (जैसे कि यूरोपीय संघ के आर्थिक संघ) बढ़ेगा। आपने पूर्व में कैस अध्ययन में पढ़ा है आप यूरोपीय संघ पर दबाव और यूरोप में हर सरकार की प्रतिरोध के बारे में पढ़ सकते हैं। ताकि मंदी को सम्बोधित करने के लिए नीतिगत समायोजन किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाफ्टा में सबसे बड़े देश के सदस्य के रूप में, स्वतंत्र रूप से अपनी आर्थिक और व्यापार–नीतियों को निर्धारित करने के अधिकार नही छोड़ेंगे। पर्यवेक्षकों ने यह आकलन किया कि लैटिन

अमेरिका में अन्य देशों को शामिल करने के लिए नाफ्टा का विस्तार करने का अवसर हो सकता है।

सन् 1994 में चिली को नाफ्टा का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति क्लिंज ने इस निर्णय को औपचारिक रूप देने की अपनी क्षमता में कांग्रेस द्वारा बाधा उत्पन्न की थी। तब से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में से प्रत्येक ने चिली के साथ द्विपक्षी व्यापार समझौते पर बातचीत की, लेकिन फिर भी कभी–कभी यह उल्लेख किया गया है कि चिली एक दिन NAFTA में शामिल हो सकता है।

11.4.2 दक्षिण अमेरिका MERCOSUR

दक्षिण के सामान्य बाजार 'Mercado Comun de Sur' or MERCOSUR, मूल रूप से सन् 1988 में ब्राजील और अर्जेटिना के मध्य एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते के रूप में स्थापित किया गया था। और फिर 1991 में उरूग्वे और पैराग्वे को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। पिछले एक दशक में बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू सहयोगी सदस्य बन गए है, और वेनेजुएला पूरी सदस्यता के लिए प्रक्रिया में है। MERCOSUR के घटकों ने लैटिन अमेरिका के साथ–साथ 40 प्रतिशत आबादी में लगभग आधे धन का मिर्नाण किया। अब यूरोपीय संघ, नाफ्टा और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (ASEAN) के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक समूह, अपने घटकों की अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए रणनीतिक रूप से उन्मुख हो रहा है। ताकि उन्हें अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करना ताकि वे बन्द बाजार क्षेत्र पर भरोसा न करना पड़े। MERCOSUR ने लम्बे समय तक खड़ी प्रतिस्पर्धाओं के साथ राष्ट्रों को एक साथ लाया है। हालांकि यह एक आर्थिक व्यापार पहल है, लेकिन यह स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्यों के साथी भी तैयार किया गया है। MERCOSUR लोकतंत्र के समेकन के लिए प्रतिबद्ध है और दक्षिणी कोने से पूरी शांति का समायोजन किया है। उदाहरण के लिए, यह परमाणु क्षेत्र में ब्राजील और अर्जेन्टीना के बीच समझौतो तक पहुंचाने के लिए कदम उठाया है। MERCOSUR क्षेत्र में सबसे अधिक गतिशील और कल्पनाशील पहलो में से एक के रूप में उभरा है। व्यापार को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना और उत्पादन का विस्तार आर्थिक संकेतक है जो समूह की उल्लेखनीय उपलब्धि को इंगित करता है। इसके अलावा एकीकरण, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों और पूरे विश्व के साथ राष्ट्रीय सहयोग को बदलने में मदद कर रहा है, साझा नेतृत्व और साझा उद्देश्य का एक नया अर्थ स्थापित कर रहा है, जो महाद्वीप में और उससे आगे की आशा की लहरो को भेज रहा है।

11.4.3 CARICOM और ANDEAN समूह

कैरेबियन समुदाय और साझा बाजार (CARICOM) या कैरेबियन समुदाय केवल 1973 में कैरेबियन देशों में माल सेवाओं श्रम और निवेश के मुक्त प्रवाह के साथ एक बाजार बनाने के इरादे से स्थापित किया गया था। एंडीयन समुदाय (1996 तक एंडीन संधि कहा जाता है) 1969 में बोलिविया, चिनी, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के बीच हस्ताक्षरित एक मुक्त व्यापार समझौता हैं अततः चिली को बाहर कर दिया गया, जबकि वेनेजुएला लगभग बीस वर्षों तक शामिल रहा और 2006 में छोड़ दिया गया। यह व्यापार समूह का अपना अस्तित्व पहले दो

दशकों के लिए सीमित प्रभाव का रहा, लेकिन MERCOSUR के कार्यान्वयन के बाद रूचि के नवीनीकरण का अनुभव हुआ। सन् 2007 में MERCOSUR के सदस्य रिडियन समुदाय के सहयोगी सदस्य बन गए और व्यापार समूह के बीच और अधिक सहकारी बातचीत की उम्मीद है।

11.4.4 CAFTA-DR

डोमिनिकन गणराज्य–मध्य अमेरिका–संयुक्त राज्य मुक्त व्यापार समझौता (CAFTA-DR) एक मुख्य व्यापार समझौता है जो 2005 से अस्तित्व में है। मूलरूप से समझौता (मध्य अमेरिका युक्त समझौता या CAFTA) ने अमेरिका और कोस्टारिका, एलसाल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होण्डुरास और निकारागुआ के मध्य अमेरिकी देशों के बीच चर्चा को शामिल किया। अधिकाधिक हस्ताक्षर करने से एक वर्ष पहले डोमिनिकन गणतंत्र वार्ता में शामिल हो गया, और इस समझौते का नाम CAFTA-DR था। समझौते का लक्ष्य नाफ्टा के समान एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण है। मुक्त व्यापार अधिवक्ताओं के लिए CAFTA-DR को अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTAA) की अंतिम स्थापना की ओर एक मील के पत्थर के रूप में स्थापित कियां एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए अधिक महत्वाकांक्षी समूह, जो सभी दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियाई देशों तथा साथ ही उत्तर और मध्य अमेरिका (क्यूबा को छोड़कर) को शामिल करेगा। कनाडा वर्तमान मे ंएक ऐसी संधि पर बातचीत कर रहा है जिसे कनाडा सेंट्रल अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट कहा जाता है। ऐसा होने की संभावना है कि किसी भी परिणामी समझौते को नाफ्टा के साथ–साथ किसी भी अन्य मौजूदा समझौतों के साथ नियमों और विनियमों में अंतर करना होगा।

11.4.5 यूरोप : EU

यूरोपीय संघ (EU) आर्थिक सहयोग का सबसे एकीकृत रूप है। जैसा कि आपने ओपन केस अध्ययन में सीखा है, यूरोपीय संघ ने मूल रूप से 1950 में यूरोप में पड़ोसी देशों के बीच लगातार युद्ध को समाप्त करने के लिए शुरू किया था। छः संस्थापक राष्ट्र फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली और बेनेक्स के देशों (बेल्जियम, लक्जमबर्ग, और नीदरलैण्ड) थे। जिन सभी ने एक आम प्रबन्धन के तहत अपने कोयला और इस्पात उद्योग चलाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए कोयला और इस्पात उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया। 1957 में छः देशों ने रोम की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की स्थापना की और सदस्यों के बीच एक सामान्य बाजार बनाया। अगले पचास वर्षों में, EEC ने नौ सदस्यों को जोड़ा और 1970 में यूरोपीय समुदाय (EC) और 1993 में यूरोपीय संघ (EU) को दोबार अपना नाम बदल दिया। EEC से EU के परिवर्तन तक का पूरा इतिहास एक विकासवादी प्रक्रिया रही है। हालांकि, मास्ट्रिच की संधि 1993 में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में सामने आई है, यह तब होता है जब वास्तविक आर्थिक संघ बनाया गया था। इस संधि के साथ, यूरोपीय संघ ने तीन उद्देश्य की पहचान की, पहला था एक एकल सामान्य मुद्दा स्थापित करना जो 1999 में लागू हुआ था। दूसरा सदस्य देशों के लिए मौद्रिक ओर राजकोषीय लक्ष्यों को स्थापित करना था। तीसरी, संधि एक राजनीतिक संघ के लिए बुलाई गई, जिसमें एक आम विदेशी

और रक्षा नीति और आम नागरिकता का विकास शामिल होगां प्रारम्भिक केस अध्ययन में इन मौजूदा चुनौतियों को संबोधित किया गया जिसका सामना यूरोपीय संघ को करना पड़ रहा है, क्योंकि इन लक्ष्यों के प्रभाव का ही परिणाम हैं चुनौतियों के बावजूद, यूरोपीय संघ अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ सहने की संभावना है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के विकास के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य यह है कि यूरोपीयों को एहसास हुआ कि उन्हें अमेरिका और चीन और भारत के उभरते बाजारों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बड़ा व्यापार मंच की आवश्यकता है। व्यक्तिगत तौर पर यूरोपीय देशों में कभी भी आर्थिक शक्ति नहीं होती जो वे अब यूरोपीय संघ के रूप में सामूहिक रूप से करते है। आज, यूरोपीय संघ के 27 देश हैं क्रोएशिया, आइसलेण्ड, मैसेडोनिया और तुर्की भविष्य की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों का अगला सेट है। 2009 में, 27 यूरोपीय संघ के देशों ने लिस्बन की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो पिछली संधियों में संशोधन करता है। इन्हें यूरोपीय संघ को अधिक लौकतांत्रिक, कुशल और पारदर्शी बनाने एवं वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे जलवायु परिवव्रन, सुरक्षा और संपोषणीय (टिकाऊ) विकास आदि। 1 जनवरी 1994 को यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) की स्थापना की गई थी। यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) और EC (बाद में EU) के सदस्य राज्यों के बीच एक समझौते के बाद हुआ।

विशेष रूप से, उसने आइसलेंड (अब EU के उम्मीदवार) लिकटेस्टीन और नार्वे को यूरोपीय संघ की सदस्यता के बिना यूरोपीय संघ के एकल बाजार में भाग लेने की अनुमति दी है। स्विटजरलैण्ड ने आपको EU में शामिल होने हेतु चुना हैं हालांकि यह समान द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है।

यूरोपीय संघ की सदस्यता का सबसे बड़ा लाभ मौद्रिक संघ है। आज सोलह सदस्य देश यूरो का उपयोग करते है। इनकी शुरूआत वे वाद से, यूरो अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आरक्षित मुद्रा बन गया है। इसके लिए कई बातों को याद रखना महत्वपूर्ण है सबसे पहले यूरोपीय संघ में यूरोप के महाद्वीप के समान देशों में शामिल नहीं है। दूसरा यहां यूरोपीय संघ देशों की तुलना में यूरो उपयोग करने वाले देशों की संख्या अधिक है। यूरो बाजार, या यूरो देशों द्वारा यूरो का उपयोग किया जाता है। यूरोपीय एकल बाजार को यूरोपीय संघ के सदस्य होने का सबसे बड़ा लाभ है। यूरोप के अनुसार, जो यूरोपीय संघ (http//europaea) की अधिकारिक वेब स्थल है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने पांच लाख से अधिक लोगों के साथ एक बाजार का गठन किया है, जो विश्व की आबादी का 7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते है। यह एकल बाजार EU के भीतर माल, सेवा, पूंजी और लोगों के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। यद्यपि एक यूरोपीय सघं के देश में प्रवेश करने वाले सामानो पर एकल टैरिफ है, बाजार में एक बार ही, माल पर अतिरिक्त टैरिफ या टैक्स (कर) लगाए जा सकते है।

यूरोपीय संघ में एक देश के साथ कारोबार करने वाले व्यवसाय अब इसे कई मामलों, अन्य यूरोपीय संघ के देशों के साथ कारोबार करने के लिए आसान और सस्ता करते हैं अब मुद्रा विनिमय दर पर कोई जोखिम नही है, और यूरो बाजारों के भीतर मुद्राओं को बदलने की आवश्यकता को समाप्त करने से लेनदेन

की लागत कम हो जाती है। इसके अलावा, एक मुद्रा होने से देश और बाजारों के बीच मूल्य निर्धारिण अधिक पारदर्शी और सुसंगत होता है। कथित लाभ के बावजूद, EU में आर्थिक नीति निर्माताओं ने स्वीकार किया कि संघ में श्रम बाजार बठोरता, विनिमय, और टैक्स संरचनाओं से पीड़ित है जो उच्च बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि को कम व रोजगार में कमी की जवाबदेही में योगदान दिया है। यह मामाला है खासकर अपेक्षाकृत कम कुशल श्रम के लिए लागू होता है।

यूरोप की अर्थव्यवस्था में गहरी मन्दी ओर धीमी पुनर्लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका या दुनिया के अन्य हिस्सों की मुलना में होती है। क्योंकि यूरोपीय संघ के 1814 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30 प्रतिशत हिस्सा बना रही है। इनकी खराब (गलत) संभावनाओं से संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया और अन्य क्षेत्रों को पुनर्लाभ होने की संभावना है। यूरोपीय संघ की बैंकिंग प्रणाली को तय करना (फिक्स) करना विशेष रूप से मुश्किल है, क्योंकि 21 देशों में से 16 यूरो मुद्रा और एक केन्द्रीय बैंक का हिस्सा है, लेकिन यहां बैंकिंग विनिमय ज्यादातर राष्ट्रीय सरकारों के नियंत्रण में रहता है। यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत यूरोप 2020 की रणनीति 21 शताब्दी के लिए यूरोपीय संघ के सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था का एक नजारा दिखाती है।

यह प्रदर्शित करता है कि EU कैसे इस संकट में मजबूत हो सकता है और यह कैसे एक स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी अर्थव्यवस्था में बदल सकता है जो उच्च स्तर के रोजगार, उत्पादकता और समाजिक सामंजस्य प्रदान कर सकती है। यह तीव्रता से और स्थायी परिणाम देने के लिए मजबूत आर्थिक संचलन की मांग प्रेषित करता है।

11.4.6 एशिया : ASEAN (आसियान)

एसोसेशियन ऑफ साउथ ईशट नेशन्स (ASEAN) को 1967 में पांच संस्थापक देशों मलेशिया, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, सिंगापुर ओर फिलीपिंस द्वारा बनाया गया था। स्थापना के बाद से म्यांमार (बर्मा), वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, और ब्रुनेई एसोसेशियन (संघ) में शामिल हो गए है।

आसियान (ASEAN) का प्राथमिक ध्यान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ओर तकनीकी सहयोग पर केन्द्रित है साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना भी है। हालांकि आज कम जोर दिया जा रहा है, परन्तु आसियान के प्राथमिक प्रारंभिक मिशन में से एक था। बाहरी शक्तियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के वर्चस्व को रोकने के लिए विशेष रूप से चीन, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में। सन् 2002 में, आसियान और चीन ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 2010 में आसियान चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र (ACFTA) के रूप में लागू हुआ था। सन् 2009 में आसियान और भारत ने एशियान–भारत मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए (FTA)। सन् 2009 में आसियान ने न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन् 2015 तक आसियान आर्थिक समुदाय को बनाने की उम्मीद है, जबकि इसका फोकस और कार्यप्रणाली दस सदस्य देशों में मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने के लिए है, व उन्हें सक्षम करने के लिए है, वे यूरोपीय संघ और

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करे।

11.4.7 एशिया : APEC

सन् 1989 में एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (APEC) की स्थापना की गई थी। एक अनौपचारिक मंच के रूप में 12 देशों द्वारा/प्रशांत महासागर के दोनो किनारों अर्थव्यवस्था को लेकर अब यहाँ 21 देश है। APEC केवल क्षेत्रीय व्यापार समूह है जो सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग करता है। चीन को छोड़कर दूसरे अन्य सदस्य देश। ताइवान को मंच में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन केवल चीनी ताइपे नाम के तहत।

प्रशांत महासागर सम्बन्ध के परिणामस्वरूप, यह भौगोलिक समूह जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, चिली, पेरू, रूस, पापुआ शामिल है, न्यू गिनी, न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया उनके एशिया प्रशांत रिम के साथ समकक्ष रूप से शामिल है। अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों का यह वर्गीकरण कई बार होता है, कभी–कभी इन्हें दिलचस्प और गर्म चर्चा के लिए बनाया जाता है। ये मुख्य रूप से आर्थिक विकास और सहयोग पर केन्द्रित रहती है। क्षेत्रीय समूह ने सफलता के साथ मुलाकात की है उदारीकरण और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही व्यापार को सुविधाजनक बनाने में भी, और आर्थिक व तकनीकी सहयोग सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के मध्य बढ़ाने हेतु भी इनका सहयोग रहा है। साथ में विश्व व्यापार संगठन के साथ दोहा दौर की बैठकें, APEC के सदस्यों की एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर चर्चा। इसकी व्यापक सदस्यता को देखते हुए एशियन की तुलना में, APEC को अच्छी सफलता मिल गई है। उसके सदस्य देश इस बात से सहमत है, दोनों संगठन प्रायः अपने सामान्य लक्ष्यों को साझा करते है और अपने प्रयासों का समन्वय कर इन्हें खोजते रहने में प्रयत्नशील है।

11.4.8 मध्य पूर्व एवं अफ्रीकाः GCC

खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, जिसे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के नाम से भी जाना जाता है सन् 1981 में बनाई गई थी। इसके अन्तर्गत 6 सदस्यीय राज्य बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हे। एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन के रूप में यह राज्य समूह व्यापार, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केन्द्रित है। GCC एक राजनीतिक संगठन होते हुए आर्थिक संगठन भी है। इनके विभिन्न पहलु के तहत, GCC संयुक्त सैन्य समन्वय का कार्य करता है। पैनिस्वेला शील्ड फोर्स की उपस्थिति में।

सन् 1989 में, GCC और EU ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय संघ और जीसीसी देशों के मध्य वर्ष 2009 में E79 बिलियन व्यापार FTA के तहत बनना चाहिए एवं मजबूत आर्थिक सम्बन्धों के दौरान पारस्परिक सम्बन्धों के लिए आधार बना रहे, यूरोपीय संघ एवं जीसीसी कई क्षेत्रों में अपने वक्तव्यों को साझा करते है, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के संकल्प में योगदान व अन्य पर्यावरणीय चिन्ताएँ, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय नीतियों में उचित सुधार, और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में व्यापक वृद्धि।

सन् 2008 में GCC ने एक सामान्य बाजार का गठन किया, जिससे व्यापार के मुक्त प्रवाह को सक्षम किया जा सके निवेश व श्रमिक के सन्दर्भ में। दिसम्बर 2009 में बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने अततः एक मौद्रिक परिषद का निर्माण किया और साझा मुद्रा नीति को अपनाया। इसकी रचना के बाद GCC ने केवल व्यापार के विस्तार में ही नही अपितु व अपने देशों के विकास के लिए भी बढ़ावा दिया व नागरिक कल्याण के साथ ही शांति और स्थिरता पर भी कार्य किया। अपने क्षे में।

11.4.9 मध्यपूर्व और अफ्रीका AEC

(AEC) अफ्रीकी आर्थिक समुदाय का एक संगठन है, अफ्रीकी संघ राज्यों में 1991 में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर, इसे 1994 में कार्यान्वित किया गया। यह क्षेत्रिय आर्थिक समझौता एक के एक चरणबद्ध एकीकरण हेतु स्थापित किया गया है। कई क्षेत्रीय समझौते (AEC) के स्तम्भ के रूप में कार्य करते है।

1. साहेल–सहाराण राज्यों का समुदाय। (CEN-SAD)
2. पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए सामान्य बाजार (COMESA)
3. पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC)
4. मध्य अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECCAS/CEEAC)
5. पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS)
6. (IGAD)
7. दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (SADC)
8. अरब माघरेब संघ (AMU/UMA)

महत्वाकांक्षी रूप से, 2017 में और उसके बाद, AEC मुक्त व्यापार क्षेत्र अपने क्षेत्रीय ब्लाक में सीमा शुल्क संघ को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। इसके अलावा एक साझा मुद्रा और अंतिम आर्थिक और मौद्रिक संघ के लिए आशाओं का निर्माण करना।

11.5 क्षेत्रीय व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर प्रभाव

कुल मिलाकर वैश्विक व्यवसायों ने निवेश और व्यापार के साथ–साथ प्रवेश के लिए बाधाओं को कम करने के लिए अधिक सुंसगत मानदण्डों के द्वारा क्षेत्रीय व्यापार समझौते से लाभान्वित किया है। उस देश में निर्माण करने वाली कम्पनियों को, उस व्यापार समूह के सदस्य देशों के मध्य माल को स्थानांतरित करने के लिए आसान और सस्ता लगता है, बिना किसी शुल्क या अतिरिक्त नियमों के।

व्यवसायों के लिए चुनौतियों में एक नए व्यापारिक गुट के बाहर खुद को शामिल करना शामिल है, या नए व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप उनके उद्योग में परिवर्तन के लिए नियम होने पर। पिछले कुछ दशकों में, यहां द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतो में वृद्धि हुई है। इस अक्सर "स्पेगेटी कटोरा" वैश्विक द्विपक्षीय औश्र बहुपक्षी व्यापार समझौता कहा जाता है। क्योंकि समझौते साधारणतः रेखीय किस्म के नही है। वे क्रिसक्रासिंग किस्मों का एक गन्दा मिश्रण है जैसे स्पेगेटी का कटोरा, यह जोड़ व्यापारिक गठजोड़ों के स्वावलम्बन में देशों और व्यापारिक समूहों को दर्शाता है। व्यवसायों के लिए इन उभरते व्यापार समझौतो

पर नजर रखने और नेविगेट करना होग, यकीनन प्रमुख देशों में एक या एक से अधिक समझौतो से उनके व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव नही पड़ता है। यह एक कारण है कि वैश्विक व्यवसाय में की WTO की निगरानी पैशेवरी द्वारा की जाती है जो कि घर (In-house) के समूहो के होते है। साथ ही क्षेत्रीय व्यापार गठबन्धन द्वारा भी की जाती है। उदाहरण के तौर पर, अमेरिकन कंपनियां एशियान में से एक में व्यापार कर रही है, वहीं देश अक्सर यू एस–आसियान व्यापार परिषद के सदस्य बनने को प्राथमिकता देते है। ताकि वे मॉनिटर कर सके और संभावित रूप से नए व्यापार को प्रभाविक कर पाये, नियमों के साथ–साथ सरकार के साथ अपने व्यावसायिक हितो को आगे बढ़ाते है।

यह देखना आसान है कि रिश्ते केवल एक व्यापारिक गुट के साथ कैसे हो सकते है। उत्तर अमेरिका में परिचालन के साथ एक वैश्विक फर्म, यूरोपीय संघ और एशिया आसानी से प्रतिस्पर्धा व्यापारिक हितों के क्रॉसहेयर में आसानी से पा सकता है। वकालत विभाग में वकीलों के साथ कार्यरत, वैश्विक फर्म सभी इच्छुक पाटियों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए काम करते हे। यदि आप व्यापार में एक व्यवसायिक कैरियर के बारे में उत्सुक है, तो आप सबसे अधिक प्रभाव के लिए एक कानूनी डिग्री के साथ्ज्ञ एक व्यावसाकियक डिग्री के संयोजन पर विचार करना चाह सकते है।

11.6 सारांश

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण क्षेत्रीय आधार पर मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है। चार प्रकार के मुख्य्र आर्थिक एकीकरण है जैसे कि–

1. मुक्त व्यापार क्षेत्र आर्थिक सहयोग का सबसे बुनियादी रूप है। सदस्य देश स्वयं के बीच व्यापार करने के लिए सभी बाधाओं को हटाते है लेकिन गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार नीतियों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।
2. सीमा शुल्क संघ आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। व्यापार के लिए बाधाओं को सदस्य देशों के बीच से हटा दिया जाता है, और सदस्य देश सहमत है गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए समान तरीकों के साथ।
3. सामान्य बाजार एक आर्थिक रूप से निर्माण के लिए अनुमति देता है, एकीकृत बाजार के लिए सदस्य देशों के मध्य, व्यापार अवरोध और सदस्य देशों के बीच श्रम और पूंजी के आंदोलन पर प्रतिबंध हटा दिया जाता है। साथ में व्यापार करने के लिए एक सामान्य व्यापार नीति है गैर सदस्य राष्ट्रों, और श्रमिकों को एक सामान्य बाजार के दूसरे सदस्य देश में काम करने के लिए वीजा या कार्य परमिट की आवश्यकता नही है।
4. आर्थिक संघ जब बनाया जाता है जब देश आर्थिक नीतियों को व्यापार और अपनाने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए आर्थिक समझौते में प्रवेश करता है।

सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार सहकारी समझौता यूरोपीय संघ (EU) है, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA) और एशिया–प्रशांत आर्थिक सहयोग

(APEC) है, अफ्रीकी आर्थिक समुदाय (AEC) यूरोपीय संघ, नाफ्टा और एपीईसी से अधिक सदस्य देशों में है लेकिन ये अन्य सहकारी समितियों की तुलना में वैश्विक व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा है।

11.7 शब्दावली

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणः से तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र के देशों की भागीदारी के एक साथ होने पर व्यापार और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने से है।

11.8 बोध प्रश्न

1. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) .... का एक उदाहरण है।
2. सन् 1988 में .... और कनाडा ने कनाडा–संयुक्त राज्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
3. .... को यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) की स्थापना की गई थी।
4. AEC .... आर्थिक समुदाय का एक संगठन है ।

11.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सीमा शुल्क संघ 2. संयुक्त राज्य अमेरिका 3. 1 जनवरी 1994 4. अफ्रीकी

11.10 स्वपरख प्रश्न

1. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से क्या आशय है समझाइये?
2. क्षेत्रीय व्यापार समझौतो के लाभ व हानि को दर्शाये?
3. यूरोपीय संघ (EU) का वर्णन करे, इसे सबसे अधिक एकीकृत आर्थिक सरकारी समझौता क्यों माना जाता है।
4. उन दो तरीकों को समझाइये जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में वैश्विक कंपनियों की सहायता कर सकते है।
5. निशुल्क व्यापार क्षेत्र, सीमा शुल्क संघ, सामान्य बाजार, और आर्थिक संघ को परिभाषित करे।

11.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. हिल, चार्ल्स डब्ल्यू एल (2005) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार। बोस्टन एम ए : मैकग्रा–हिल / इरविन।
2. जोहानसन, जानी के (2006) वैश्विक विपणन। बोस्टन एम ए : मैकग्रा–हिल / इरविन।
3. केम, थामस (1999), "इमर्जेस ऑफ यूरो एम्बॉडीज" यूरोप के लिए चुनौतियां ओर आशाएँ।
4. वॉल स्ट्रीट जर्नल, 4 जनवरी, PPAI और A4
5. केहो, विलियम जे (1998) "जीएटीटी और डब्ल्यू टी ओ : विश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाना," ग्लोबल बिजनेस जर्नल, स्प्रिंग 67–76
6. केहो, विलियम जे / क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक एकीकरण : वैश्विक व्यापार के लिए प्रभाव : वर्जीनिया विश्वविद्यालय।
7. httpsi//new.edu/resources/reginal-economic-integration

इकाई 12 राजनैतिक, कानूनी और आर्थिक परिवेश

इकाई की रूपरेखा

12.1 प्रस्तावना

12.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश के घटक

12.3 आंतरिक (नियंत्रणीय) पर्यावरण

12.3.1 लक्ष्य

12.3.2 रणनीति

12.3.3 संचालन

12.4 बाहरी (बेकाबू) पर्यावरण (परिवेश)

12.5 राजनैतिक वातावरण

12.5.1 राजनीतिक प्रणालियों के प्रकार

12.5.2 राजनीतिक अस्थिरता

12.5.3 राजनीतिक जोखिम

12.5.4 राजनीतिक जोखिम का विश्लेषण

12.6 कानूनी और विनियामक परिवेश

12.6.1 अन्तराष्ट्रीय कानून

12.6.2 कानूनों में टकराव

12.6.3 संविदाओं की स्वतंत्रता

12.6.4 पेटेन्ट और ट्रेडमार्क

12.6.5 द्वन्द्व वियोजन

12.6.6 संसाधन

12.6.7 टैरिफ (कीमत) तंत्र

12.6.8 अपक्षपात (इक्विटी) नियन्त्रण

12.6.9 दस्तावेजीकरण और औपचारिकताएँ

12.7 आर्थिक परिवेश

12.7.1 आर्थिक प्रणाली

12.7.2 बाजार विकास के चरण

12.7.3 विदेशी मुद्रा की समस्या

12.7.4 मुद्रास्फीति

12.8 सारांश

12.9 शब्दवाली

12.10 बोध प्रश्न

12.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.12 स्वपरख प्रश्न

12.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- वैश्विक बाजार के व्यावसायिक वातावरण से परिचित हो सकें ।
- विदेशी बाजारों में कार्यरत कंपनियों को राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक वातावरण के सम्बन्ध में पेश आने वाली गतिशीलता को समझ सकें ।

12.1 प्रस्तावना

वर्तमान बहु–ध्रुवीय दुनिया में, व्यावसायिक कार्यों के उपक्रम की स्थिति पहले की तुलना में अधिक अतिरिक्त और जटिल होती जा रही है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में विदेशी प्रतियोगिता क्षेत्र का निर्माण किया है। हर कम्पनी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ग्राहक के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उन्हें कम्पनियों को वैश्विक कारोबारी माहौल की गतिशीलता को समझना पड़ेगा और मूलाधार के लिए उनकी रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी माहौल का विश्लेषण करने के महत्वपूर्ण महत्व की समझ होनी चाहिए।

किसी भी सफल व्यवसाय रणनीति का सार इसकी पर्यावरण अभिविन्यास है। चूंकि, एक सफल रणनीति के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार के संचालन के बीच कुछ मूलभूत मतभेद है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता है। यह संभावना नहीं है कि एक फर्म विदेशों में प्रचलित विभिन्न कारोबारी परिस्थितियों से उत्पन्न अनिश्चितता के प्रकाश में विदेशी बाजारों में अपनी घरेलू रणनीतियों का विस्तार कर सकता है।

राष्ट्र अपनी रणनीतिक व्यवस्था, उनकी नीतियों, कानूनों, नियमों और विनियमों और आर्थिक स्थितियों में भिन्न है, एक विदेशी देश में व्यवसाय करने में आसानी से इन कारकों से सीधे प्रभावित होगा। सरकार और राजनीतिक नतीजों द्वारा उठाए गए हाल के आर्थिक पैमाने का उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक वातावरण व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणस्वरूप हाल ही में सरकार के फैसले में एफ.डी.आई. (FDI) को शामिल करने की अनुमति है, खुदरा और बीमा क्षेत्रों में व्यापक प्रसार का प्रदर्शन देखा गया है।

कोई भी विदेशी निवेशक अपने पैसों का निवेश करने के निर्णय लेने से पहले राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करेगा। इसी तरह, हाल के दिनों में, वैश्विक आर्थिक मन्दी है। आर्थिक मन्दी के कारण सभी देशों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और निवेशक अपनी उंगलियों को क्रास (मोड़) कर बैठे है, निवेश करे या नहीं कि दशा को देखते हुए। यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के विभिन्न घटकों, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक वातावरण के प्रभाव को दर्शाती है।

12.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण के घटक

विस्तार में राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक वातावरण का अध्ययन करने से पहले, व्यापार वातावरण की मूल बातें एक बार पुनः संशोधित करना प्रासंगिक है। एक फर्म अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में अपने व्यवसाय को शुरु करने के रूप में उसे बाहरी वातावरण के तीन अलग–अलग प्रकारों का सामना करना पड़ता है।

12.2.1 घरेलू वातावरण

12.2.2 विदेशी वातावरण

12.2.3 वैश्विक वातावरण

इन पर्यावरणीय घटकों को निम्नलिखित आरेख द्वारा इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है

।

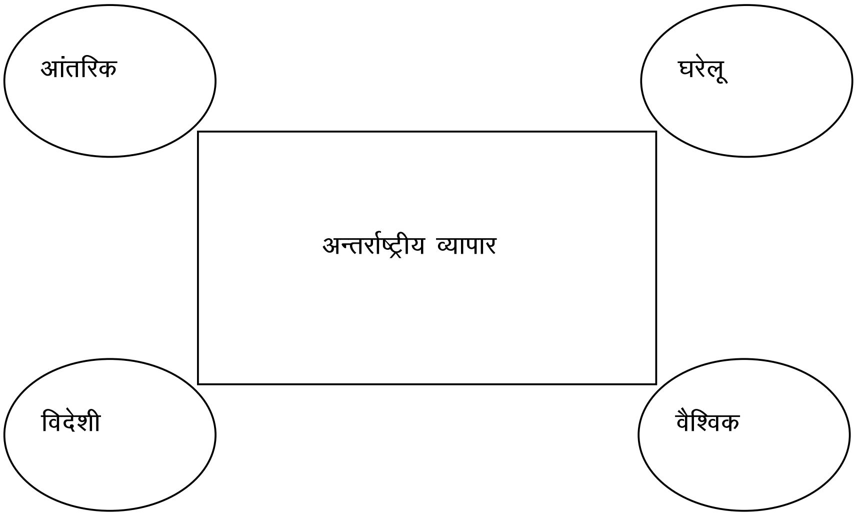

आकृति 12.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के घटक

12.3 आंतरिक (नियंत्रण) वातावरण

एक फर्म के आंतरिक माहौल विदेशी देशों में व्यापार करने की अपनी क्षमताओं और मूल दक्षताओं का आधार बनाता है, चूंकि यह वातावरण फर्म के भीतर ही मौजूद रहता है और यह एक फर्म के शीर्ष प्रबन्धन द्वारा बदला जा सकता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के नियंत्रणीय घटक के रूप में भी माना जाता है। हालाँकि कम्पनी इसे कुछ हद तक नियंत्रित कर सकती है, क्योंकि कई अन्य कारक फर्म के आंतरिक कार्यों में बाधा डाल सकते है। एक फर्म के वातावरण के आंतरिक घटक कुछ इस प्रकार के है।

12.3.1 ध्येय (मिशन) :

फर्म के मिशन में उस कार्यवाही का निर्णय किया जाता है जो एक फर्म को जीवित रहने और बढ़ाने के अनुसरण करेगा। वर्तमान समय में, कम्पनियाँ कुछ मूल दक्षताओं का विकास करती है और अपने सम्पूर्ण वैश्विक व्यवसाय योजना को उसके आधार पर विकसित करती है। वे बहुत सारे व्यवसायों में भाग लेते हुए अपने संसाधनों को नष्ट नहीं करते है, लेकिन अपनी मुख्य शक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते है और बाकी को आउटसोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है।

12.3.2 रणनीति :

यह मिशन रणनीति के रूप में और परिचालन प्रतिमान की व्यवस्था करता है जो विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। फर्म अक्सर प्रमुख क्षमता विकसित करते है, लेकिन केवल कुछ ही इसे सफल व्यवसाय में परिवर्तित कर सकते है। केनन बनाम जेरोक्स का उदाहरण एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं, दोनों कम्पनियों ने ऑप्टीकल स्कैनिंग में अपनी शुरुआत की है, लेकिन कुछ समय से, जीरॉक्स ने अपनी श्रेष्ठ रणनीति के अनुसार पूर्व में मात दी, केनन एक समय में व्यावहारिक रूप से अपने घरेलू देश या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर जीराक्स संचालित था, लेकिन जीरॉक्स ने एक बहुत व्यापक विपणन और ग्राहक सेवा रणनीति विकसित की और फोटोकापियर उद्योग में इसके नेतृत्व को पुनः प्राप्त किया।

12.3.3 संचालन :

परिचालन एक कम्पनी की परिचालन क्षमता को दर्शाता है, अर्थात् यह जमीनी स्तर पर वह कार्य करने में कितनी अच्छी तरह सक्षम है। यह रणनीति का प्रतिमान है, जिसे कार्यान्वित किया जा सकता है। एक फर्म की नेतृत्व क्षमता, उसकी विकास रणनीति, उसकी उत्पाद क्षमता और उसके मानव संसाधन की प्रकृति का एक कम्पनी की सफलता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यद्यपि उपरोक्त घटकों को कारोबारी माहौल के नियंत्रणीय घटकों के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन सख्त अर्थों में, वे हर समय नियंत्रणीय नहीं रह सकते है। बाह्य बेकाबू घटक बहुत शक्तिशाली हो सकते है और एक कम्पनी की रणनीति को प्रभावित भी कर सकते है। उदाहरण के तौर पर जब कोक और पेप्सी को एक समस्या का सामना करना पड़ा था कीटनाशकों की मौजूदगी, बाहरी वातावरण में अचानक विकास के कारण उनकी रणनीतियों को पुनर्वितरित करना पड़ता था। इस मामले में भारत में राजनीतिक वातावरण उनके लिए व्यवसाय करने के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए, वे भारत सरकार के नियमों का पालन करने के बजाय भारतीय बाजार को छोड़ना पसन्द करते थे।

12.4 बाह्य (बेकाबू) वातावरण

बाहरी वातावरण, जिसे बेकाबू कहते है के दो घटक है, जैसे विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय रूप में विभाजित किया गया है। विदेशी वातावरण मेजबान देश में प्रचलित पर्यावरणीय परिस्थितियों में शामिल है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण समग्र संदर्भ देता है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, जो व्यापार के संचालन को प्रभावित करते है, व्यवहार में, इस तरह के विभाजन का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है और बाहरी वातावरण को एक घटक के रूप में अध्ययन किया जाता है। बाहरी वातावरण में कुछ उप–घटक इस प्रकार है –

राजनीतिक वातावरण

कानूनी और नियामक वातावरण

आर्थिक वातावरण

निम्नलिखित चर्चा में, हम बाहरी वातावरण के इन घटकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

12.5 राजनीतिक वातावरण

जब एक फर्म के अन्य देशों में अपने परिचालन शुरू करती है, तब इसे विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं से निपटना होगा। राजनीतिक प्रणालियों के प्रकार में अन्तर है, उन देशों के भीतर सरकारों की स्थिरता और नियमों के प्रचलित प्रकार, राजनीतिक वातावरण के कुछ घटक निम्नलिखित है –

12.5.1 राजनीतिक प्रणालियों के प्रकार :

राजनीतिक व्यवस्थाएँ कई प्रकार की हैं – लोकतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद आदि। यहाँ तक कि प्रत्येक प्रपत्र के भीतर, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक प्रणालिया

प्रबल होती है। सोवियत संघ के अन्त के पश्चात् बड़े पैमाने पर अधिकांश देशों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित कर दिया है। यद्यपि कम्युनिस्ट या समाजवादी सरकार कई तरह के देशों में काम नहीं कर रही है, लेकिन समाजवाद का एक दर्शन के रूप में असर रहता है।

पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देश है जो सरकार की तानाशाही शैली का पालन करते हैं, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश लोकतंत्र का पालन करते है। यहाँ तक कि लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार जैसे राष्ट्रपति पद के रूप में, जैसा कि अमेरिका में प्रचलित है या संसदीय सरकार के रूप में, जैसे ब्रिटेन और भारत में। मध्य–पूर्व के कुछ देशों में एक विशिष्ट आस्तिक–राजनीतिक व्यवस्था है जबकि अन्य देशों में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था विद्यमान है। बाजार में, सरकार के रूप में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रत्येक सरकार के पास अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं का विशिष्ट सेट विद्यमान है। इन देशों के विनियामक तंत्र पर इसका असर है और व्यवसाय को उस देश के कानूनों का पालन करना होगा। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के पास अपने देशों में एक मुक्त बाजार प्रणाली है। चीन जैसे कम्युनिस्ट प्रणाली वाले देश, अभी भी व्यापार पर बहुत तंग नियंत्रण रखते है। मध्यपूर्व के देशों को व्यापार करने की स्वतंत्रता की अनुमति है, लेकिन उनके देशों में माल और सेवाओं के प्रवेश को लेकर बहुत सख्त नियम है। भ्रष्टाचार का स्तर भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार पर कई बार निर्भर करता है, फर्मों को उन देशों में प्रचलित प्रणालियों का पालन करना होता है।

12.5.2 राजनैतिक अस्थिरता :

विविध राजनीतिक व्यवस्थाओं के बावजूद, यदि कोई स्थिर तरीके से काम करता है तो कोई प्रणाली खराब नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब राजनीतिक अस्थिरता होती है। राजनीतिक अस्थिरता के कुछ उदाहरण है –

1. इटली में, 45 से अधिक सरकारें 50 वर्षों में बदल गई।
2. पिछले दशक में जापान में सरकारों में तेजी से परिवर्तन देखा गया हैं।
3. भारत में गठबंधन सरकारों के युग से गुजर चुका है।
4. पाकिस्तान में एक सैन्य तख्तापलट था और फिर एक लोकतंत्र, जो सेवा के तानाशाह द्वारा नियंत्रित था।
5. अफगानिस्तान कट्टरपंथी तालिबान के शासन के अधीन था और फिर एक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।
6. इराक, मिस्त्र और लीबिया ने शसन में बदलाव देखा है, जिसे अमेरिका और पश्चिमी सेनाओं द्वारा लागू किया गया है।
7. सियरा लियोन, इथियोपिया, इरिट्रिया, कांगो और कई अन्य अफ्रीकी देशों में सशस्त्र और नरसंहार है।
8. हाल के दिनों में, भारत में भी उच्च स्तर की राजनीतिक अनिश्चितता है और सरकार इस वजह से कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकती है।

उपरोक्त सभी उदाहरणों में से प्रत्येक में, हम राजनीतिक अनिश्चितता का एक तत्व पाते है। सरकार बदलाव के रूप और इसलिए उस देश के साथ व्यापार करने की प्रवृत्ति रखते है। अपने उत्पादों को विदेशी बाजार में विक्रय करने हेतु इच्छुक कम्पनियों के लिए, उन्हें सावधानीपूर्वक राजनीतिक व्यवस्था और स्थिरता के प्रकार का अध्ययन करना होगा। ऐसे देशों में, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर है, व्यापार अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों को लेता है और अपने कार्यों को निर्यात या संयुक्त उद्यमों के परिचालनों को रोकता है। हालाँकि वह उच्च राजनीतिक स्थिरता वाले देशों में, व्यापार पर प्रत्यक्ष निवेश करता है।

एक कम्प्युनिस्ट देश होने के बावजूद, चीन ने सरकार की एक स्थिर समर्थक व्यापार खाईयाँ अपनाने के कारण अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया है। एक समाजवादी राज्य होने के बावजूद चीन ने स्वयं को समय की जरूरतों के हिसाब से बदल दिया है और तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया है। दूसरी तरफ, भारत में पूर्व काल के विनियामक सेटअप को देखते हुए हम यहाँ कम निवेश देखते है।

यहाँ तक कि भारत के भीतर, हम सत्ता में वामपंथी पार्टियों की वजह से केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कम निवेश देखते है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में बहुत अधिक निवेश किया गया है। जबकि उत्तरी राज्यों में व्यापार में लगभग कोई निवेश नहीं देखा है। फर्क इसलिए है क्योंकि सरकार की व्यापार के प्रति मित्रता का व्यवहार और कुछ राज्यों में उचित कानून और व्यवस्था, संरचना का व्यापार का समर्थन करने के लिए न होना है। विभिन्न राजनीतिक दलों के निवेश के प्रति अलग नीतियाँ है। उदाहरण के लिए, एनडीए सरकार की समर्थक व्यापार नीतियों के कारण भारत में बड़े निवेश देखे गए है। यूपीए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र और मनरेगा जैसी तैयारी की गई योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसमें बुनियादी ढ़ाँचे से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक निवेश के लिए धन का उपयोग किया गया है, जो भारत में कम विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।

12.5.3 राजनीतिक जोखिम :

हालाँकि, यह देखा गया है कि राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक जोखिम हमेशा एक साथ नहीं होते है। उपरोक्त पैरा में दिए गए पहले तीन उदाहरणों में हमने पाया है कि भारत, जापान और इटली में सरकारें तेजी से बदलती है, परन्तु सरकार की बुनियादी नीतियों में बदलाव नहीं हुआ है। इन देशों में व्यवसाय करते समय व्यापार को लेकर सुरक्षा की भावना विद्यमान रहती थी। हालांकि, अफगानिस्तान और इराक में युद्ध से कारोबार पर भारी असर व्याप्त हुआ है। इस कारण को देखते हुए कई कम्पनियों ने इन देशों में व्यवसाय करने की पहल नही की है। वे स्थितियों के सामान्य होने तक का इंतजार करना उचित समझते है।

राजनीतिक जोखिम, अनिश्चितता और अप्रत्याशितता के साथ राजनीतिक दलों के साथ जुड़े रहते है किसी देश की सत्ता को लेकर।

असल में, राजनीतिक जोखिम दो कारकों पर निर्भर करता है –

(1) किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार की इच्छा।

(2) स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की क्षमता।

राजनीतिक व्यवस्था का सावधानीपूर्वक विश्लेषण द्वारा संबंधित जोखिमों को बहुत कम किया जा सकता है।

12.5.4 राजनीतिक जोखिम का विश्लेषण :

सुन्दरम और ब्लैक ने निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में राजनीतिक जोखिम के विश्लेषण का सारांश दिया है।

प्रथम चरण :

– कंपनी के लिए प्रासंगिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक/व्यावसायिक मुद्दों का निर्धारण करें।

– इन मुद्दों के सापेक्ष महत्व का आकलन करें।

द्वितीय चरण :

– संबंधित राजनीतिक घटनाओं का निर्धारण।
– उनके होने की संभावना निर्धारित करें।
– कारण और प्रभाव संबंध निर्धारित करे।
– सरकार की क्षमता और जबाव देने की इच्छा का निर्धारण करें।

तृतीय चरण :

– संभावित परिदृश्यों के शुरुआती प्रभाव का निर्धारण करें।
– शुरुआती प्रभावों की संभावित प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करें।
– प्रारम्भिक एवं अंतिम राजनीतिक जोखिम को निर्धारित करें।

12.6 कानूनी और नियामक वातावरण

विपणनक को देशों में प्रचलित कानूनी और नियामक प्रणाली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जिसका परिणाम किसी संघर्ष को बढ़ावा दे और विदेश के कानूनों की गलतफहमी या पूरी तरह से उल्लास हो। कानूनी और नियामक वातावरण कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार के है –

12.6.1 अंतर्राष्ट्रीय कानून :

सोलहवीं शताब्दी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में है, यद्यपि कुछ वर्षों से इसमें महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और क्षैत्रिय समूह अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों के विकास में सहायक हे। इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भाग लेने वाले देशों द्वारा इनका कड़ाई से पालन भी करने हेतु वातावरण का निर्माण करते है। इसलिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये व्यवसाय को सही ढ़ंग से समझना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO, IMF आदि के दबाव के कारण, अन्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के साथ मिलकर अपने कानून बदल रहे है। उदाहरण के लिए, भारत ने अपने पेटेन्ट कानूनों को बदल दिया है, प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची को भी कम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों का अनुपालन करने के लिए FDI (एफडीआई) आदि को मंजूरी देने की प्रक्रियाओं को अपनाया है।

12.6.2 कानूनों का टकराव :

पूरे देश में व्यवसाय करते समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जब दो या अधिक देशों के कानून परस्पर विरोधी हो सकते है। व्यवसायियों को इन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए और ऐसी स्थिति में पकड़े जाने से बचने के लिए उपाय भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व के अधिकांश देशों को यह करना चाहिए कि माल को उन जहाजों में ही भेजा जाएँ, जो इजराइल के बंदरगाहों पर नहीं जाते है। क्योंकि इस संबंध में शिपिंग लाइन से प्रमाण–पत्र मांगते है। यदि एक निर्यातक इस कानू की उपेक्षा करता है, तो वह बहुत मुश्किल स्थिति में हो सकता है ओर उसे भारी नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह लैटिन अमेरिकी देशों में कांउसेलर चालान माँगते है और अमेरिका में खाद्य उत्पादों के आयात के लिए कड़े नियम है। एक निर्यातक को देश के बीच कानूनों के बीच संघर्षों या मतभेदों का अध्ययन करना चाहिए और उनके पालन करना चाहिए।

12.6.3 संविदाओं की स्वतंत्रता :

विकसित देशों के पास बहुत अच्छी कानून प्रणाली है, अनुबंध के सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाता है और कानून का कड़ाई से लागू व पालन किया जाता है। हालांकि, कुछ देशों में, सरकार इन सिद्धान्तों में हस्तक्षेप करती है और इन सिद्धान्तों के साथ हस्तक्षेप करने से व्यापारी को नुकसान हो सकता है। विशेष रूप से वैश्विक निविदिाओं, लम्बी अवधि की परियोजना में भाग लेने के दौरान व्यापारी को सतर्क रहना चाहिए।

उदाहरण के लिए, भारत में एनरॉन के अनुबंध का मामला ले, भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा में बिजली खरीदने पर सहमति जताई, जिससे बिजली की प्रति यूनिट की लागत में वृद्धि हुई, जिससे पूरी परियोजना अव्यवस्थित हो गई और निवेश बेकार हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते समय, फर्मों को बहुत सावधान रहना चाहिए और इन नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और पूर्ण कानूनी राय लेनी चाहिए।

12.6.4 पेटेन्ट और ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) :

एक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इसके पेटेन्टों की सुरक्षा ट्रेडमार्क और बौद्धिक सम्पदा। अधिकांश कंपनियाँ अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करती है। हालांकि, कुछ विकासशील देशों के बेईमान निर्माताओं में इस अन्तर का फायदा उठाया है कि पेटेण्ट कानूनों में किसी अन्य शब्द का उपयोग किया जा सकता है और उत्पादन का डुप्लिकेट (बहुरूप) बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह से मूल निर्माता को नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिन कंपनियों ने आरएण्डडी (R&D) में भारी निवेश किया है उन्हें इन स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए और सुरक्षात्मक उपायों को अपनाना चाहिए। इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा संबोधित किया गया है, जिसमें मूल निर्माताओं के नुकसान से बचने के लिए ट्रिप्स (व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक संपदा अधिकार) तंत्र स्थापित किया है। कई देशों में, नकली उत्पादों को बाजार में स्वतंत्र रूप से बेचा जाता है। ऐसे बाजारों में, आपके उत्पाद का एक उच्च जोखिम का नकल किया जा रहा है और बाजार में कम कीमत वाले संस्करण बेचे जा रहे है, ये बिक्री को नुकसान पहुँचाते है। उदाहरण के लिए थाईलैण्ड में, आईफोन के एक नकली रूप खोजना आम बात है, जो कि मूल के मुकाबले बहुत कम कीमत होती है, जिससे एप्पल को भारी नुकसान हो सकता है।

12.6.5 संघर्ष समाधान

जब व्यापार के भागीदारों के मध्य कोई संघर्ष नहीं होता है तो एक आदर्श स्थिति को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। संघर्ष होता है, परन्तु संघर्षों के समाधान हेतु एक ठोस प्रणाली होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए निर्धारित सिद्धान्तों के सेट है। व्यवसायियों को इनके बारे में पता होना चाहिए और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए भागीदारों की निष्ठा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। मध्यस्थता के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा विकसित विवाद के समाधान के विवाद तंत्र को हल करने या सुलझाने के लिए वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध है। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय निकायों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए तंत्र स्थापित किया है –

1. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य सदन (ICC)
2. अमेरिकन आर्ब्रिट्रेशन संघ (AAA)
3. इन्टर–अमेरिकन वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) आयोग (IACAC)
4. निवेश विवाद के निपटान के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (ICSD)
5. स्वीडिश मध्यस्थता संस्थान (SAI)
6. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCITRAL)

12.6.6 संसाधन :

कानूनी कार्यवाही के मामले में, कई देशों में कानून का संचालन बहुत लम्बा और महंगी प्रक्रिया का हो सकता है। यदि कोई देश किसी देश के साथ लम्बे समय तक कानूनी विवादों से जुड़ा होता है तो वह समय, धन और प्रयासों के नुकसान के अलावा अपनी वैश्विक छवि को भी खराब करता है। वोडाफोन के मामले में कराधान पर एक उदाहरण है कि कैसे एक फर्म की छवि खराब है और यह भी है कि विदेशी बाजारों में फर्मों के लिए एक कानूनी सहारा कितना मंहगा हो सकता है। इसी प्रकार भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों को आज तक कोई भी उचित मुआवजा नही दिया गया है और इसी कारण से यूनियन कार्बाइड की स्थिति को दुनियाभर में नुकसान हुआ है।

12.6.7 प्रशुल्क तंत्र :

विदेशी देशो के टैरिफ (प्रशुल्क) और कराधान संरचना व्यवसाय में बाद के दौर की जटिलताओं से बचने के लिए स्पष्ट होने चाहिए। हालांकि, टैरिफ संरचनाओं को पूरे देश में मानकीकृत किया जा रहा है, फिर भी यहाँ कुछ अन्तर मौजूद है और इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। टैरिफ नीति राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर है क्योंकि विभिन्न सरकारों के टैरिफ लागू करने के प्रति अलग–अलग दृष्टिकोण है। किसी देश की आर्थिक स्थिति प्रशुल्क (टैरिफ) तंत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि देश अपने उत्पादों में मुफ्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करने या उन्हें बहिष्कृत करने के लिए इसका इस्तेमाल करते है।

12.6.8 न्यायसम्य (इक्विटी) नियंत्रण :

विदेशी भागीदारों की इक्विटी भागीदारी के संबंध में विभिन्न देशों के विभिन्न कानून है। कुछ–कुछ क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे सकते है जबकि निवेश पर कुछ सीमाएँ हो सकती है। कुछ देशों में व्यापार हेतु एक घरेलू साथी की भागीदारी अनिवार्य है। किसी भी निवेश के फैसले लेने से पहले ऐसी विभिन्न स्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत में बीमा और खुदरा क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर सीमाएँ है और हाल ही में सरकार ने इन सीमाओं को बढ़ा दिया है। बीमा क्षेत्र में, विदेशी इक्विटी भागीदारी को 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है और बहु ब्राण्ड खुदरा क्षैत्र में इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि विदेशी कम्पनी के प्रबंधन में बहुत अधिक भागीदारी होगी और वे कम्पनी के मामलों को भी नियमित करेगी।

12.6.9 दस्तावेजीकरण और औपचारिकताएँः

हालाँकि अधिकतर देशों में टैरिफ से संबंधित बाधाओं को खत्म कर रहे है, लेकिन वे अभी तक प्रक्रियाओं को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने

नही दे रहे है। यह बात उल्लेखनीय है कि चीन की आर्थिक सफलता की कहानी में व्यवसाय करने में आसानी के साथ बहुत कुछ है। इसमें थोड़ा लाल–टेपिस्म (लाल फिताबाद) होता है और अधिकांश नियामक आवश्यकताओं को शीघ्रता से मंजूरी मिल जाती है। दूसरी और व्यापारी को भारत में व्यवसाय करने के लिए अनुमोदनों और आवश्यक पंजीकरण पाने के लिए बाधित होना पड़ता है। इसलिए किसी देश में व्यापार सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रचलित प्रणाली का सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है।

12.7 आर्थिक वातावरण

आर्थिक वातावरण बाजार की क्षमता और अवसर का एक प्रमुख निर्धारक है। चूंकि बाजार की क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक आय है, इसलिए देश या क्षेत्र की क्षमता का निर्धारण करने में पहला कदम और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रति व्यक्ति आय है। आम तौर पर, जैसा कि लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है, वे विवेकाधीन खरीद पर अधिक एवं आवश्यकताओं पर कम खर्च करते है। एक उत्पाद के लिए बाजार की क्षमता के निर्धारण के तरीकों में से एक उत्पाद के संतृप्ति स्तरों का मूल्यांकन करना है। सामान्य तौर पर, समान आय स्तर वाले देशों या उपभोक्ता क्षेत्रों के संतृप्ति स्तर की तुलना करना उचित है। देश और बाजार के विकास के विशिष्ट चरणों के माध्यम से जाने जाते है। यद्यपि विकास एक निरन्तरता पर है, अलग–अलग चरणों की पहचान करना और बाजार के प्रकार के बारे में सामान्य अनुमान तैयार करना संभव है, जो कि किसी देश या बाजार में विकास के किसी विशेष स्तर पर मिलेगा। उन्नत देशों में, उदाहरण के लिए, आधे से अधिक GNP सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि माल के विपरित विकसित देशों में, सेवाओं का अनुपात बहुत कम है।

आर्थिक वातावरण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित है –

विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन :

वर्षों से, विश्व अर्थव्यवस्था में कई बदलाव हुए है, जिसने व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है। कीगन ने विश्व अर्थव्यवस्था में पाँच सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान की है जो पिछले दशकों में हुआ है और व्यापार के संचालन को प्रभावित करेगा। ये परिवर्तन है –

1. व्यापार की बजाय पूंजी आंदोलन विश्व अर्थव्यवस्था के मुख्य बल बन गए है। पूंजी आंदोलन निवेश के लिए एक देश के आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के तौर पर चीन ने अनुकूल समर्थक व्यवसाय नीतियों द्वारा अधिकतम निवेश को आकर्षित किया है। आगामी समय में चीन पूरी दुनिया के लिए विनिर्माण आधार के रूप में उभरने की संभावना को जन्म देता है। हालांकि, कई देश व्यापार के मामले में चीन से आगे है, लेकिन वे चीन की आर्थिक क्षमता में अचानक बढ़ोत्तरी के कारण अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा महसूस करते है जो कि वृहद् विदेशी निवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है।
2. उत्पादन रोजगार से अलग हो गया है। हालांकि, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि को छूने का दावा किया है, जबकि विकास एक बेरोजगारी विकास है। उत्पादकता में वृद्धि लोगों के लिए अधिक नौकरियों का सृजन नहीं करती है। ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्थाओं के

लिए लम्बी अवधि के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक गतिविधियों से बाहर हो जाएगा।

3. प्राथमिक उत्पाद औद्योगिक अर्थव्यवस्था से अलग हो गए है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में, केन्द्रीयकरण, नवीनता और मूल्य वृद्धि पर केन्द्रित है न कि मात्र मूल्य की वृद्धि पर। माइकल पोर्टर ने अपनी पुस्तक 'द कॉम्परेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन्स' में कहा है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था की प्रगति, उत्पादन के कारकों, अर्थात् भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन द्वारा संचालित होती है। हालांकि एक चरण के बाद, यह उत्पादन के मात्र कारकों से लाभ उठाने से रोकता है। व यह धन आधारित अर्थव्यवस्था बन जाता है। यहाँ धन और धन उत्पन्न करता है। हालाँकि लम्बे समय में, ऐसी रणनीति परिणाम देने के योग्य नहीं है। यदि एक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने की इच्छा रखती है तो उसे नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था बनना होगा।

4. विश्व की अर्थव्यवस्था नियंत्रण में है। राष्ट्रवाद की सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अब आर्थिक परिणामों को नियंत्रित नहीं करते है। कीगन ने अर्थव्यवस्था और राजनीति के बीच एक क्रमिक अलगाव को देखा, हालांकि यह बदलाव काफी सूक्ष्म है। अर्थव्यवस्था बाजार ताकत के नियंत्रण में है, क्योंकि अधिक से अधिक सरकारें आ रही है और व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत दी जा रही है।

5. पूंजीवाद और समाजवाद के बीच 75 वर्षीय प्रतियोगिता खत्म हो गई है। साम्यवादी केन्द्रित रूप से नियंत्रित मॉडल पर पूंजीवादी व्यवस्था की स्पष्ट सफलता ने आर्थिक गतिविधि के संगठन और एक विचारधारा के रूप में साम्यवाद के पतन को प्रेरित किया है। उपरोक्त स्थिति के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विश्व अर्थव्यवस्था एक नए विश्व आर्थिक क्र की ओर बढ़ रही है। वामपंथी बलों के रूप में मजबूत नहीं है क्योंकि वे प्राचीन काल में थे। दुनिया अबद्धि–ध्रुवीय दुनिया नहीं हे, लेकिन अब कई क्षेत्रीय आर्थिक समूहों और शक्तियों के साथ एक बहु–ध्रुवीय दुनिया है। लोकतंत्र ने अन्य प्रणालियों पर एक निश्चित बढ़त दिखायी है और बाजार बलों के मुक्त खेलने की अनुमति देने के लिए अधिक से अधिक देशों को मनाने की संभावना है।

12.7.1 आर्थिक प्रणाली :

यद्यपि साम्यवाद को असफल कहा जाता है, लेकिन एक सोशलिस्ट विचार आर्थिक निर्णय लेने पर प्रभाव डालता है। लोगों को लगता है कि आर्थिक विकास के फल को समाज के बड़े वर्गों पर जाना चाहिए। परम्परागत रूप से आर्थिक व्यवस्था को पूंजीवादी और कम्युनिस्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में दो का एक नया मिश्रण उभर रहा है जैसा कि चीन द्वारा सफलतापूर्वक दिखाया गया है। जर्मन, कार्लमार्क्स का ग्रह समाजवादी दर्शन को उच्च सम्मान में रखता है और दूसरी विचारधारा देश के नियामक ढ़ांचे में देखी जा सकती है। कंपनियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में श्रमिकों की उचित भागीदारी है, चीन जेसे देशों में शासन की एक एकल पार्टी व्यवस्था है लेकिन उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए है जहाँ व्यापार के लिए बहुत सी

स्वतंत्रता है। ऐसे क्षेत्रों में निवेश और विनिर्माण के वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरा है, दूसरी ओर बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि जैसे देशों में मुक्त बाजार व्यवस्था है, लेकिन प्रणालीगत समस्याओं के कारण वे अपने देशों में आर्थिक विकास और निवेश हासिल करने में नाकाम रहे है।

12.7.2 बाजार विकास के चरण :

धन के अप्रत्यक्ष वितरण के कारण, बाजार विकास के विभिन्न चरण है। उच्च आय वाले समूह के कुछ 27 देश है, जबकि एक बड़ी संख्या (55 प्रत्येक) ऊपरी मध्यम आय समूह और निचले मध्यम आय समूह के देशों में है, यहाँ पर 42 देश है, जिन्हें कम आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। व्यापार के वैश्वीकरण के साथ–साथ आर्थिक असमानताओं की वृद्धि बढ़ गई है, जैसा कि मानव विकास पर विभिन्न रिपोर्टों में दिखाया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित समस्याओं का अक्सरर सामना करना पड़ता है क्योंकि देश की आर्थिक सेहत खराब होती है।

1. मन्द औद्योगिकरण
2. कृषि पर उच्च निर्भरता
3. उच्च जन्म दर
4. कम (अन्य) साक्षरता दर
5. राजनीतिक अस्थिरता और अशांति
6. लोगों की कम शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर

इस तरह की समस्या लोगों के क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है और इस प्रकार इस क्षेत्र में व्यवसाय की संभावनाओं को जन्म देती है।

भुगतान का संतुलन :

कई गरीब देशों को भुगतान के प्रतिकूल संतुलन की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, सरकार आयात को हतोत्साहित करती है और निर्यात को प्रोत्साहित करती है। किसी देश की भुगतान स्थिति का संतुलन अपने आर्थिक स्वास्थ्य का सूचक है। यदि यह बहुत प्रतिकूल है, जो मेजबान देश द्वारा भुगतान के अभाव (चूक) होने की संभावना है और इस प्रकार व्यापार में जोखिम बढ़ता है। भारत में भुगतान संतुलन की एक बहुत ही अनुकूल स्थिति थी और यहाँ विदेशी मुद्रा भण्डार एकक खरब के निशान तक पहुँच गया था। लेकिन मुद्रा और राजनीतिक अनिश्चितता में उतार–चढ़ाव ने निवेशकों के आत्मविश्वास को कम किया है और व्यापार के संतुलन में बदलाव किया, साथ ही साथ भुगतान संतुलन को बाधित भी किया है।

12.7.3 विदेशी मुद्रा की समस्या :

भुगतान के अनुकूल संतुलन के बावजूद भारत जैसे कुछ देश प्रतिकूल विदेशी मुद्रा दर की स्थिति की एक अनोखी समस्या का सामना करते है। एक मजबूत रूपया निर्यात को हतोत्साहित करता है और आयात को प्रोत्साहित करता है। इसी तरह की स्थिति कई देशों के सामने आती है, जो कि यू एस डालर में व्यापार के साथ मजबूती की स्थिति में है। इन देशों की सरकारें हस्तक्षेप करती है और विनिमय दरों को विनियमित करती है। ऐसी प्रतिकूल मुद्रा दर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश और विपणन रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। पिछले कुछ महीनों में, भारत ने डालर के विनिमय दर और रूपए में बहुत अधिक

उतार–चढ़ाव देखा है। इसने व्यापारियों में बहुत अनिश्चितता पैदा कर दी है और देश के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति बनाई है। आरबीआई को विनिमय दर को स्थिर करने के लिए उपाय करना था, लेकिन इससे ज्यादा ममद नहीं मिली है। हालांकि निर्यातकों ने इस अस्थिरता को फायदा उठाया है, आयातकों को इससे नुकसान हुआ है।

12.7.4 मुद्रास्फीति :

हाल के दिनों में मुद्रास्फीति एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है। जैसे भारत सहित कई देशों में दोहरे अंक मुद्रास्फीति की वजह से नुकसान हुआ है। मुद्रास्फीति माल और सेवाओं की मांग को कम करती है और व्यापार की समग्र भावना को भी कम करती है। लोगों को सुलभ कम आय के साथ छोड़ दिया जाता है और वे कम खरीददारी के लिए बाहर को आते है, जिससे मांग में कमी आती है और निवेश भी होता है। मुद्रास्फीति की समस्या को निपटने में आरबीआई और सरकार के सभी उपाय बड़े पैमाने पर अप्रभावी है और यह एक कारण है कि भारत में विदेशी निवेश कम हुआ है।

12.8 सारांश

व्यापार सामाजिक प्रणाली का एक हिस्सा और समूह हे और यह कई बातों द्वारा प्रभावित होता है। किसी भी व्यापार के सफल होने के लिए, संस्कृति जहाँ व्यापार करना है तो समझ लेना जरूरी है विशेषकर यदि कोई बाजार अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम और अनिश्चितता की मात्रा होती है जो कि मुख्यतः वातावरण के बलो द्वारा संचालित होता है। व्यवसाय प्रबंधकों को अवसरों को जांचना और वातावरण से उत्पन्न खतरों की पहचान करने और उनकी सफलता के लिए एक रास्ता बनाने में सक्षम होना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि वातावरण के विश्लेषण के लिए कई उपकरण और तकनीकें है और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिए मानक पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख करें।

12.9 शब्दवाली

आंतरिक वातावरणः एक फर्म का आंतरिक वातावरण विदेशी देशों में व्यापार करने की अपनी क्षमताओं और मूल दक्षताओं का आधार बनाता है, चूंकि यह वातावरण फर्म के भीतर ही मौजूद रहता है और यह एक फर्म के शीर्ष प्रबन्धन द्वारा बदला जा सकता है।

आर्थिक वातावरणः यह बाजार की क्षमता और अवसर का एक प्रमुख निर्धारक है। चूंकि बाजार की क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक आय है, इसलिए देश या क्षेत्र की क्षमता का निर्धारण करने में पहला कदम माना जाता है ।

12.10 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति करे –

1. एक कम्पनी के दृष्टिकोण और विशेष कार्य वातावरण के .... घटक है।
2. रणनीति .... के परिचालन है।
3. लोकतंत्र एक सरकार का .... रूप है।

4. यदि .... राजनीतिक वातावरण है तो व्यापार अच्छी तरह से काम नही करता है।
5. सरकार के .... स्वरूप के बावजूद, चीन ने बहुत सी विदेशी–निवेश आकर्षित किए है।

(ब) सही एवं गलत बताइये –

1. अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए भारत को पेटेन्ट कानूनों को बदलना पड़ा।
2. एक सरकार की मधुर इच्छा पर टैरिफ लागू कर सकती है।
3. आर्थिक जोखिम सीधे राजनीतिक जोखिम से संबंधित है।
4. मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वृद्धि को दर्शाती है।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रूपये का उच्च मूल्य अच्छा है।

12.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

अ) (1) नियंत्रणीय (2) उद्देश्य (3) स्थिर (4) अस्थिरता (5) कम्प्युनिस्ट
ब) (1) सही (2) गलत (3) गलत (4) गलत (5) सही

12.12 स्वपरख प्रश्न

1. व्यापार के वातावरण को परिभाषित करे, व्यापार वातावरण के नियंत्रणीय और अनियंत्रित घटकों से क्या तात्पर्य है ?
2. दुनिया में प्रचलित विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों को समझाइये ? वे व्यापार को किस प्रकार प्रभावित करती है ?
3. क्या राजनीतिक अस्थिरता का अर्थ भी राजनीतिक जोखिम है ? कारण बताइये?
4. संक्षेप में व्यापार पर कानूनी वातावरण की भूमिका पर चर्चा करे ?
5. हाल की आर्थिक घटनाओं – मुद्रास्फीति, मुद्रा में उतार–चढ़ाव आदि ने भारत में व्यापार को कैसे प्रभावित किया है ?

12.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. हिल, चार्ल्स डब्ल्यू एल (2005) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार। बोस्टन एम ए : मैकग्रा–हिल / इरविन।
2. जोहानसन, जानी के (2006) वैश्विक विपणन। बोस्टन एम ए : मैकग्रा–हिल / इरविन।
3. केम, थामस (1999), "इमर्जेस ऑफ यूरो एम्बॉडीज" यूरोप के लिए चुनौतियां ओर आशाएँ।
4. वॉल स्ट्रीट जर्नल, 4 जनवरी, PPAI और A4
5. केहो, विलियम जे (1998) "जीएटीटी और डब्ल्यू टी ओ : विश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाना," ग्लोबल बिजनेस जर्नल, स्प्रिंग 67–76
6. केहो, विलियम जे / क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक एकीकरण : वैश्विक व्यापार के लिए प्रभाव : वर्जीनिया विश्वविद्यालय।
7. httpsi//new.edu/resources/reginal-economic-integration
8. Cateora Philip R, International Marketing, 9th Edition, Irwin/McGraw HIU,
9. Terpestra, Vern, International Marketing, Halt, Reinhart and Winsten Inc.
10. Sundaram, Anant K. and J. Stewart Black, The International Business Environment: Text and Cases, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.
11. Keegan, Warren J., Global Marketing Mangement, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.
12. Cherunilam Francis, International Business: Text and Cases, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.

इकाई 13 अंतर्राष्ट्रीय पूंजी संरचना एवं पोर्टफोलियो विनियोग निर्णय

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना
13.2 पूंजी संरचना
 13.2.1 निर्णय क्षेत्र
 13.2.2 पूंजी की लागत
 13.2.3 पूंजी की लागत और अंतर्राष्ट्रीय ऋण
13.3 अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग निर्णय
 13.3.1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टफोलियो का विविधीकरण
 13.3.2 जोखिम एवं प्रत्याय विश्लेषण
 13.3.3 घरेलू बनाम विदेशी बाजार विनियोगों से जोखिम एवं प्रत्याय का तुलनात्मक विश्लेषण
13.4 सारांश
13.5 शब्दावली
13.6 बोध प्रश्न
13.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
13.8 स्वपरख प्रश्न
13.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- एक कम्पनी की पूंजी संरचना के निर्णयों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें।
- वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोगों के विषय में समझ विकसित कर सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय पूंजी संरचना एवं पूंजी की लागत समझ सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोगों तथा संबंधित मुद्दों का विश्लेषण कर सकें।

13.1 प्रस्तावना

एक कम्पनी की अनुकूलतम पूंजी संरचना एक वित्तीय प्रबंधक की एक प्रमुख महत्वपूर्ण चिन्ता होती है। वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण, उदारीकरण और अविनियमन से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का क्षेत्र व्यापक हुआ है। अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से पूंजी एवं अन्य व्यवसायिक संसाधनों का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ है। क्योंकि बाजार पूर्णतया एकीकृत नहीं है, अतः बाजार अपूर्णताओं के लाभ को प्राप्त करने की पर्याप्त सम्भावनाऐं हैं। आजकल कम्पनियां, वांछित पूंजी संरचना को प्राप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अवलोकन कर रही है।

विगत कुछ वर्षों से, उदारीकृत वित्तीय पर्यावरण, तीव्र मुद्रा स्थानांतरण प्रणाली, इन्टरनेट आधारित व्यापार एवं तत्काल सम्प्रेषण के कारण निवेशकों को

प्रचुर मात्रा में विनियोग अवसर प्राप्त हुआ है। अधिकांश देशों के अंश पूंजी बाजारों में वृद्धिमान प्रवृत्ति दिखायी देती है। उच्चतर आर्थिक संवृद्धि, देश के पूंजी बाजार की उच्चतर संवृद्धि के साथ –साथ चलती है और इस प्रकार विदेशों से विनियोजकों को आकृष्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग विनियोजकों को विदेशी पूंजी बाजारों में प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से अन्य देशों के तीव्र विकास में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान करती है। विशेष रूप में, विकासशील देशों जैसे भारत, चीन, ब्राजील, एवं सिंगापुर के बाजारों ने तीव्रतर दर पर संवृद्धि की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकर्ता (एफ0आई0आई0) अपने निवेश पर प्रत्याय में वृद्धि करने तथा अपने पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने के लिये विदेशों में निवेश करते हैं।

13.2 पूंजी संरचना

एक फर्म की पूंजी संरचना विभिन्न स्रोतों से एकत्रित पूंजी के अनुपात को व्यक्त करती है। पूंजी संरचना निर्णय लागत के न्यूनतमीकरण एवं जोखिम के न्यूनतमीकरण के बीच साम्य है। अनुकूलतम पूंजी संरचना का अंतिम उद्देश्य प्रत्याय को अधिकतम करना है। व्यापक रूप में, पूंजी के दो स्रोत हैं– समता एवं ऋण। समता पूंजी अंशों को जारी करके प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसे ऋण पत्रों और बाण्डों या वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण लेकर एकत्रित किया जा सकता है। संगठन की वित्तीय नीति पर निर्भर रहते हुए, पूंजी के निश्चित भाग को अंशों और शेष को ऋण उपकरणों एवं उधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पूंजी संरचना निर्णय कम्पनियों के मूल वित्तीय निर्णयों में से एक है। किसी भी स्रोत से एकत्रित पूंजी की कुछ न कुछ लागत होती है। यही कारण है कि प्रबंधकों की चिन्ता उस उचित पूंजी मिश्रण की होती है, जिसमें पूंजी की सम्पूर्ण लागत न्यूनतम होती है। उचित पूंजी मिश्रण को कम्पनी की अनुकूलतम पूंजी संरचना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि प्रबंधकों की चिन्ता अनुकूलतम प्रत्याय प्राप्त करने की होती है, अतः उन्हें निम्नांकित सिद्धांतों के द्वारा मार्गनिर्देशित होने की आवश्यकता होती है :

1. प्रत्याय को अधिकतम करना
2. लागत को न्यूनतम करना
3. नियंत्रण को अधिकतम करना
4. जोखिम को न्यूनतम करना

13.2.1 निर्णय के क्षेत्र :

उचित पूंजी मिश्रण को प्राप्त करने के लिये प्रबंधक को निम्नांकित मुद्दों का समाधान करना चाहिये :

1. ऋण एवं समता पूंजी का उचित मिश्रण क्या होना चाहिये?
2. वित्तीयन की कौन सी विधि होगी?
3. कौन से पूंजी बाजारों तक पहुंच बनानी चाहिये?

1. ऋण एवं समता पूंजी का उचित मिश्रण क्या होना चाहिये?

इस आधारभूत प्रश्न का उत्तर समता और ऋण पूंजी की प्रकृति में निहित है। समता अंश पूंजी जिसमें अंश पूंजी और प्रतिधारित आय सम्मिलित रहती है, स्वामीगत कोषों का प्रतिनिधित्व करती है। अंशधारी लाभ में प्रतिभाग करते हैं और कम्पनी के लाभ में अपना आनुपातिक दावा लाभांश के रूप में प्राप्त करते हैं।

ऋण लिये गये कोषों से कम्पनी को व्युत्पाादित लाभ यह है कि इससे ऋणदाता कम्पनी की खुशहाली में प्रतिभाग नहीं करते। कम्पनी को अनिवार्यतः ऋण ली गयी पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ऋणों पर भुगतान किया गया/देय ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य होता है, जो अंततः पूंजी की लागत को कम करता है। ऋण पूंजी का लाभ यह है कि पूंजी के आपूर्तिदाता लाभों में प्रतिभाग नहीं करते और स्वामित्व को सीमित करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।

अब शर्तों एवं सीमाओं पर निर्भर रहते हुए, कम्पनी को समता, ऋण या दोनों के मिश्रण को निर्धारित करना चाहिये। ऋण पूंजी की दशा में ब्याज का भुगतान कम्पनी के लिये दायित्व है जबकि लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है। परियोजना में निहित जोखिम और कोषों के अनुसार वित्तीय निर्णय निम्नांकित प्रकार से लिये जा सकते हैं :

1. **उच्च जोखिम और विशाल मात्रा में कोष : समता पूंजी**
2. **निम्न जोखिम और सुनिश्चित उच्च प्रत्याय : ऋण पूंजी**
3. **मध्यम जोखिम और मध्यम प्रत्याय : मिश्रित**

पूंजी संरचना निर्णयों को लेते समय, लीवरेज का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। लीवरेज पूंजी संरचना में समता और ऋण का अनुपात है। बिना ऋण पूंजी वाली पूंजी संरचना को लीवरेज मुक्त पूंजी संरचना कहा जाता है। लीवरेज दो प्रकार के होते हैं अर्थात परिचालन लीवरेज और वित्तीय लीवरेज।

परिचालन लीवरेजका आशय कुल लागत में स्थिर लागत की मात्रा है। यदि कुल लागत का एक बड़ा भाग स्थिर है तो फर्म को उच्च परिचालन लीवरेज वाली माना जायेगा। उच्च परिचालन लीवरेज से उच्च जोखिम उत्पन्न होता है जबकि कम्पनी के उत्पाद की मांग कम हो रही हो, तब भी कम्पनी को स्थिर व्ययों पर अधिक व्यय करना पड़ेगा। निम्न परिचालन अनुपात स्थिर लागतों के कम अनुपात अर्थात कम जोखिम को व्यक्त करता है ।

वित्तीय लीवरेज उस सीमा को व्यक्त करता है, जो फर्म की पूंजी संरचना में स्थिर लागत वाले कोषों के प्रयोग का अनुपात होता है। यह उच्च, निम्न और मध्यम हो सकता है। उच्च वित्तीय लीवरेज वाह्य देयताओं की अधिक प्रतिबद्धताओं को उत्पन्न करता है और इसके विपरीत निम्न वित्तीय लीवरेज कम वाह्य देयताओं को उत्पन्न करता है। फर्म के परिचालन और वित्तीय लीवरेज के चार संयोजन हो सकते हैं, जो विभिन्न स्थितियों में फर्म को अनुकूलतम पूंजी संरचना को प्राप्त करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं :

(i) निम्न परिचालन लीवरेज और निम्न वित्तीय लीवरेज
(ii) उच्च परिचालन लीवरेज और निम्न वित्तीय लीवरेज
(iii) उच्च परिचालन लीवरेज और उच्च वित्तीय लीवरेज
(iv) निम्न परिचालन लीवरेज और उच्च वित्तीय लीवरेज

परिचालन एवं वित्तीय लीवरेज का प्रथम संयोजन प्रबंध का उच्चतर दृष्टिकोंण माना जाता है। द्वितीय संयोजन भी सहन करने योग्य माना जाता है, जबकि तीसरा संयोजन अत्यधिक जोखिमपूर्ण है क्योंकि वाह्य पक्षों के प्रति

दायित्व बहुत अधिक होते हैं। चौथा संयोजन कम्पनी के लिये सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें न्यूनतम जोखिम और उच्चतर प्रत्याय होती है।

2. पूंजी बाजार की प्रतिभूतियों को जारी करना तथा सावधिक ऋण परियोजना के वित्तीयन की विधियां हैं। पूंजी बाजार की प्रतिभूतियां जैसे समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, अंतर्राष्ट्रीय समता (ए0डी0आर0 और जी0डी0आर0 के रूप में), ऋणपत्र, बाण्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाण्ड्स एवं यूरो बाण्डों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में जारी किया जा सकता है। क्योंकि प्रतिभूतियों के निर्गमन हेतु विभिन्न संबंधित नियामक प्राधिकारियों के द्वारा प्रावधानित विभिन्न मानकों का अनुपालन आवश्यक होता है, अतः कम्पनियां घरेलू या विदेशी वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण प्राप्त करना निश्चित कर सकती है। विदेशी स्रोतों से एकत्रित ऋण वाह्य वाणिज्यिक ऋण कहलाते है। विभिन्न वित्तीयन विधियों की पूंजी की लागत प्रबंधकों के लिये आधारभूत निर्णय बिन्दु होता है। विभिन्न देशों में ब्याज की दरें एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन में प्रबंधकों को विदेशी विनिमय की दरों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना पड़ता है। मुद्रा के अधिमूल्यन/अवमूल्न का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सौदों पर पड़ता है। परिवर्तनीय बाजार दशाओं को ध्यान में रखते हुए तथा देयताओं के भुगतान करने की इसकी सम्भावित योग्यता को देखते हुए, प्रबंधकों के द्वारा वित्तीयन के उचित उपकरण एवं विधि का चयन किया जाता है।

3. **कौन से पूंजी बाजारों तक पहुंच बनानी चाहिये?**

कम्पनी अपने घरेलू पूंजी बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बना सकती है। यदि कम्पनी समता का रास्ता चुनती है तो वह घरेलू बाजार में समता निर्गमन ला सकती है तथा इसके साथ ही कई पूंजी बाजारों में पहुंच बनाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समता निर्गमन (डी0आर0 के माध्यम से) या यूरो समता निर्गमन भी ला सकती है। इसी प्रकार ऋणपत्र एवं बाण्डों को घरेलू बाजार तक पहुंचने के लिये निर्गमित किया जा सकता है, तथा इसके साथ ही कई देशों के पूंजी बाजारों तक पहुंच बनाने के लिये एक विशिष्ट विदेशी बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाण्ड तथा यूरो बाण्ड लाये जा सकते हैं। बाजार छवि एवं साख योग्यता के आधार पर कम्पनी उचित पूंजी बाजार का निर्धारण कर सकती है, जहां निर्गमित उपकरण के पूर्ण आवेदन प्राप्त हो सकते हैं और तुलनात्मक रूप में वित्तीयन की न्यूनतम सम्भावित लागत हो सकती है।

13.2.2 पूंजी की लागत :

पूंजी की लागत परियोजना में विनियोजित पूंजी के प्रति फर्म की देयताओं को व्यक्त करती है। ऋण पूंजी की लागत ब्याज के रूप में भुगतान की जाती है। ऋण पूंजी की ब्याज दर में जोखिम रहित पूंजी की लागत और जोखिम प्रब्याजि (प्रीमियम) सम्मिलित होते हैं। समता पूंजी की लागत कम्पनी, उद्योग तथा परियोजना से संबंधित जोखिम के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। समता वित्तीयन की लागत में जोखिम रहित पूंजी की लागत तथा बाजार एवं व्यवसाय के विशिष्ट जोखिम का प्रीमियम सम्मिलित होता है।

समता पूंजी की लागत की गणना पूंजी सम्पत्ति कीमत निर्धारण मॉडल (सी0ए0पी0एम0) के आधार पर की जा सकती है। इस विधि के अंतर्गत समता की लागत (अर्थात निवेशकर्ताओं हेतु प्रत्याय) को निम्नवत् समझाया जा सकता है :

RE = RT + β (RM-RF)

RE = समता पर प्रत्याय की दर

RF = जोखिम रहित प्रत्याय की दर

β(बीटा) = बाजार प्रत्याय एवं प्रतिभूति प्रत्याय के बीच सहसम्बंध

RM = बाजार प्रत्याय

KD = ऋण पूंजी की लागत ऋणदाता को भुगतान की गयी ब्याज दर या कूपन ब्याज दर होती है।

यहां पर समता विनियोग पर निवेशकर्ता को प्रत्याशित प्रत्याय को कम्पनी की समता पूंजी की लागत माना जायेगा। जोखिम रहित सम्पत्तियों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियों) में कोषों के विनियोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण का दूसरा भाग अर्थात बीटा (RM-RF) समता धारक को जोखिम प्रब्याजि या प्रीमियम है। इस जोखिम प्रीमियम से आशय उस समता विनियोग में बाजार जोखिम को सहन करने का पुरस्कार है। बीटा बाजार प्रत्याय एवं प्रतिभूति प्रत्यायके बीच सह संबंध है। यह समता प्रत्यायों के बाजार प्रवाहों के प्रभाव को व्यक्त करता है।

ऋण पूंजी लागत जोखिम प्रीमियम को जोड़कर जोखिम रहित विनियोग पर पूंजी की लागत है अर्थात ऋण पूंजी की लागत (के0डी0) = आर0एफ0 + जोखिम प्रीमियम, जहां आर0एफ0 जोखिम रहित प्रत्याय की दर है। अर्थातKD=RF +Risk premium

परियोजनाओं में जोखिम का भिन्न–भिन्न अंश होता है और इस प्रकार उनका जोखिम प्रीमियम भी भिन्न–भिन्न होता है। जोखिम प्रीमियम एवं जोखिम रहित प्रत्याय भी एक बाजार से दूसरे बाजार तक परिवर्तित होती है। इससे घरेलू एवं विदेशी बाजारों में ऋण की लागत में अंतर उत्पन्न होता है। यदि कम्पनी में समता एवं ऋण का मिश्रण है, तो पूंजी की भारित औसत लागत की गणना की जाती है। पूंजी की भारित औसत लागत, पूंजी के अलग – अलग स्रोतों की संयुक्त लागत होती है जैसे कुल पूंजी में समता एवं ऋण के अनुपात के अनुसार भारित औसत लागत दोनों साधनों की संयुक्त लागत होगी। पूंजी सम्पूर्ण लागत को निम्नवत् व्यक्त किया जाता है :

KO = (1-W) KE + W (1-T) KD

KO = पूंजी की सम्पूर्ण लागत

KE = समता पूंजी की लागत

KD = ऋण पूंजी की लागत

W = ऋण पूंजी का भार

पूंजी की सम्पूर्ण लागत इसके संघटकों की लागत पर निर्भर करती है। जैसे – के0ई0 और के0 डी0 और समता एवं ऋण पूंजी का सापेक्षिक अनुपात। प्रतिधारित आय भी पूंजी का एक स्रोत हो सकती है।

13.2.3 पूंजी की लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋण

अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच रखने वाली कम्पनियों को पूंजी की लागत में अंतरों का तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो सकता है। विभिन्न बाजारों की भिन्न–भिन्न ब्याज दरें, ब्याज दर अंतरों के अवसर उत्पन्न करती है। कम्पनियों को तब लीवरेज प्राप्त होता है जबकि वह देशों से कम ब्याज दरों पर कोषों को ऋण के रूप में प्राप्त करती हैं। अतः केवल अपने घरेलू बाजारों से ऋण लेने के स्थान पर कम्पनियां अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से ऋण प्राप्त करके अपनी लाभदायकता में वृद्धि कर सकती है।

इसे दो भिन्न भिन्न वित्तीयन विकल्पों में परियोजनाओं की आंतरिक प्रत्याय की दरों (आई0आर0आर0) की तुलना करके समझा जा सकता है। विनियोग पर प्रत्याय की आंतरिक दर से आशय उस दर से हैं जो कि परियोजनाओं में हानियों से बचने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अत्यावश्यक है। अतः आई0आर0आर0 पूंजी की लागत के बराबर होना चाहिये। यदि ऋण लेने के दो विकल्प हैं– प्रथम विकल्प घरेलू बाजार से KD ब्याज पर दूसरा विकल्प विदेशी पूंजी बाजार से KF ब्याज पर बशर्तें कि KF की तुलना में KD अधिक है।

ID - घरेलू बाजार में प्रत्याय की आंतरिक दर

IF – अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रत्याय की आंतरिक दर

IF – अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रत्याय की आंतरिक दर

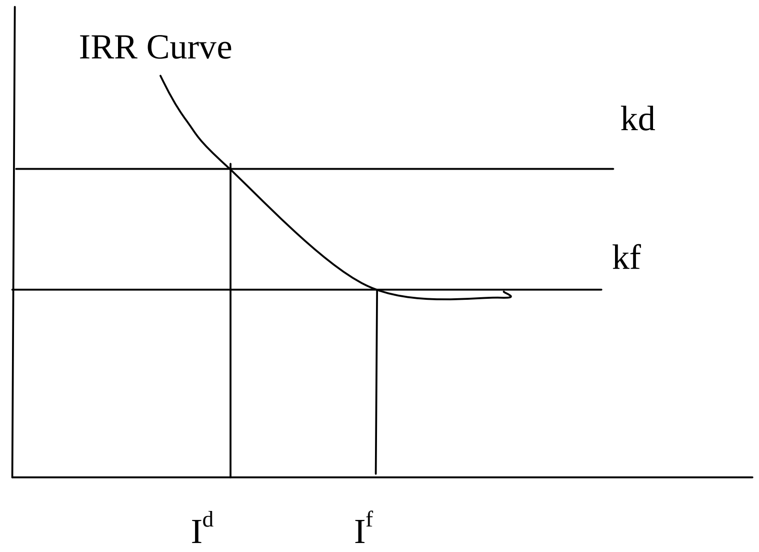

रेखाचित्र–1.1

उपरोक्त रेखाचित्र में, यह सरलता से समझा जा सकता है कि परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन के माध्यम से, कि कम्पनियां किस प्रकार पूंजी की सम्पूर्ण लागत को न्यूनतम कर सकती है। यदि कम्पनी घरेलू बाजार से KD ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना निश्चित करती है, तो इसे ID प्रत्याय की आंतरिक दर प्राप्त करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन की दशा में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन की लागत KF है, इसे प्राप्त करने के लिये वांछित प्रत्याय की आंतरिक दर IF है। यहां पर IF तुलनात्मक रूप से ID से कम होगी, क्योंकिKF घरेलू पूंजी की लागत

KD से कम है। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन के माध्यम से कम्पनी लाभदायकता में कुछ और सम्वर्द्धन कर सकती है अर्थात् ID – IF

अभ्यास– 1 :

1. एक कम्पनी की पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं?
2. पूंजी संरचना निर्णयों के अंतर्गत लिये गये निर्णयों को बताइए।
3. लीवरेज क्या है?
4. विभिन्न देशों में पूंजी की लागत कैसे भिन्न–भिन्न होती है?

13.3 अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग निर्णय

पोर्टफोलियो विनियोग से आशय बाण्डों, अंशों (स्टाक) एवं अन्य वित्तीय बाजार प्रतिभूतियों में विनियोग से हैं। एक पोर्टफोलियो प्रतिभूतियों का वह मिश्रण है, जिनमें विनियोग किया गया है। इसमें समता, ऋण या दोनों प्रकार की प्रतिभूतियां सम्मिलित हो सकती हैं। समता पूंजी विनियोग सर्वोत्तम विनियोजन अवसरों में से एक है। यह एक ऐसा विनियोग है, जिनसे कोई अन्य विनियोग लाभों से पर्याप्त अधिक प्रत्याय प्राप्त कर सकता है। साथ ही, यह बाजार उच्चतर जोखिम अंश का बाजार होता है। स्कंध विपणि एक बहुत संवेदनशील बाजार है, इसमें अनेकों प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटकों का प्रभाव पड़ता है। कम्पनियों के अंशों की कीमतें कम्पनियों के प्रदर्शन परिणामों, उद्योग की सम्भावनाओं, सरकार की नीति, बाजार दशाओं, विगत प्रवृत्तियों, भावी अपेक्षाओं और इसी प्रकार के कई चरों से परिवर्तित होती रहती हैं। उच्च जोखिम लेने वाले विनियोक्ता ऐसे निवेशों की ओर उन्मुख होते हैं। स्कन्ध विपणियों को विश्वव्यापी स्तर पर तीव्र संवृद्धि प्राप्त की है।

13.3.1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग से आशय विदेश आधारित वित्तीय प्रतिभूतियों अर्थात विदेशी पूंजी बाजारों के स्कंध एवं बाण्डों में विनियोग से है। प्रथम दृष्टि में, वैश्विक स्तर पर निवेश करने का विचार उत्तेजक एवं वायदों से परिपूर्ण होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग में कई लाभ सन्निहित होते हैं। विदेशी प्रतिभूतियों में विनियोग करके, निवेशकर्ता अन्य देशों के विकास में प्रतिभाग कर सकते हैं, विनिमय दर जोखिम के सापेक्ष अपने विनियोग मिश्रण को सुरक्षित करने, विविधीकरण प्रभावों को एकत्रित करने और वैश्विक स्तर पर बाजार विभक्तिकरण के लाभ प्राप्त करना इत्यादि कर सकते हैं। यद्यपि यह लाभ आकर्षक प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग के जोखिम एवं बाधाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिये। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग में, वित्तीय विनियोग न केवल मौद्रिक जोखिम एवं राजनीतिक जोखिम से संबंधित होते हैं, बल्कि उनके साथ अनेक महत्वपूर्ण सांस्थानिक दबाव एवं बाधाऐं भी होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो प्रबंध के प्रमुख मुद्दे निम्नवत् हैं :

1. उच्चतर प्रत्याशित प्रत्याय
2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टफोलियो का विविधीकरण
3. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
4. जोखिम प्रबंध

5. घरेलू एवं विदेशी बाजार में निवेश के अंतर्गत जोखिम एवं प्रत्याय की तुलना करना
6. अंतर्राष्ट्रीय विनियोग का प्रदर्शन मापन करना

अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं– अर्थात् उच्चतर प्रत्यायों की प्रत्याशा एवं जोखिम में विदेशी प्रतिभूतियों के उचित मिश्रण के द्वारा कमी करना। क्योंकि राष्ट्रों की आर्थिक संवृद्धि की दरों में प्रतिभाग कर सकते हैं। अंश बाजार को अर्थव्यवस्था का दर्पण कहा जाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि अंशों के मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है। अंतर्राष्ट्रीय विनियोक्ता अपने कोषों को विदेशी बाजारों में अपने स्वयं के बाजारों की अपेक्षा उच्चतर प्रत्याय प्राप्त करने की दृष्टि से गतिमान करते हैं। ऐसे विनियोगों को एफ0आई0आई0 विनियोग कहा जाता है। भारत में, सेबी के मार्ग निर्देशों के अनुसार सेबी के साथ निम्नांकित उपक्रमों को पंजाकृत कराया जा सकता है :

1. पेंशन फण्ड
2. म्युचुअल फण्ड (पारस्परिक कोष)
3. बीमा कम्पनियां
4. विनियोग ट्रस्ट
5. बैंक
6. विश्वविद्यालय फण्ड
7. निधियां
8. प्रतिष्ठान
9. धर्मार्थ ट्रस्ट / धर्मार्थ सोसाइटी

साथ ही निम्नांकित उपक्रमों, जो व्यापक आधार (ब्राड बेस्ड) वाले कोषों की ओर से विनियोग करते हैं, को भी एफ0आई0आई0 में पंजीकरण के लिये अर्ह किया गया है।

1. सम्पत्ति प्रबंध कम्पनियां
2. सांस्थानिक पोर्टफोलियो प्रबंधक
3. ट्रस्टी
4. एटार्नी होल्डर्स की शक्तियां/प्राधिकार

अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो निवेश की तीन विधियां हैं :

1. निवेशकर्ता घरेलू मुद्रा में लाये गये विदेशी कम्पनियों के निर्गमनों (ए0डी0आर0 एवं जी0डी0आर निर्गमों में डिपॉजिटरी रसीदों में विनियोग करना,
2. सम्बंधित बाजार की मुद्रा में विदेशी पूंजी बाजारों में प्रत्यक्ष निवेश,
3. विनियोग अभिकरणों की योजनाओं में अन्य देशों से संबंधित विशिष्ट विनियोग एवं पारस्परिक कोषों के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश।

13.3.2 जोखिम एवं प्रत्याय विश्लेषण

प्रत्याशित उच्चतर प्रत्यायों के साथ अधिक जोखिम की मान्यता की जाती है। जोखिमपूर्ण विनियोगों का प्रमुख उपाय जोखिम प्रीमियम है। अंतर्राष्ट्रीय विनियोग में तीन प्रकार के जोखिम निहित होते हैं :

1. विदेशी विनिमय (फोरेक्स) जोखिम
2. विदेशी बाजार जोखिम

3. स्थानीय बाजार जोखिम

जोखिम एवं प्रत्यायों के समान अंश के साथ, निवेशकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय विनियोग की अपेक्षा घरेलू विनियोग की सलाह दी जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विनियोग में अतिरिक्त फोरेक्स जोखिम निहित होता है। फोरेक्स जोखिम अंतर्राष्ट्रीय विनियोगों में इसलिये उत्पन्न होता है, क्योकि परिपक्वता पर विदेशी मुद्रा आधारित वसूलियों को घरेलू मुद्रा में एक अज्ञात भावी मुद्रा विनिमय दर पर परिवर्तित करना पड़ता है।

समता निवेश पर जोखिम एवं प्रत्याय की गणना निम्नवत् की जाती है :

समता विनियोग पर जोखिम :

मानक विचलन (एस0डी0)= $\Sigma\sqrt{}\ (er\text{-}mr)^2$

समता विनियोग पर प्रत्यायः

आर0आई0 (RI)= $RF + \beta\ (RM\text{-}RF)$

जहां :

एस0डी0(SD) = मानक विचलन

ई0आर0 (er) = समता पर प्रत्याशित प्रत्याय

एम0आर0 (mr)=औसत प्रत्याय

विनियोक्ता को अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन जाखिम एवं प्रत्यायों के मानकों पर करना चाहिये।

पोर्टफोलियो विनियोग से सर्वोत्तम प्रत्याय प्राप्त करने के लिये समय–समय पर सम्बंधित प्रतिभूतियों को पोर्टफोलियों में सम्मिलित करना या हटाना आवश्यक होता है। पोर्टफोलियो प्रत्याय वह प्रत्याय हैं जो इनका धारक संबंधित प्रतिभूतियों को धारण करने के कारण प्राप्त करता है। पोर्टफोलियो प्रत्यायों की मार्कोविट्ज सिद्धांत की सहायता से गणना की जा सकती है। पोर्टफोलियो प्रत्यायों को ज्ञात करने का सूत्र (फार्मूला) निम्नवत् है :

आर0पी0(RP) =Σ(डब्ल्यू0आई0आर0आई0)

जहां,

डब्ल्यू0आई0= कुल पोर्टफोलियो विनियोगों में सुरक्षा का भार

आर0आई0 =सुरक्षा–1 एवं सुरक्षा 2 से क्रमशः प्रत्याय

पोर्टफोलियो जोखिम, पोर्टफोलियो प्रत्यायों की अनिश्चितता का माप है।

पोर्टफोलियो में सम्मिलित दो प्रतिभूतियों के जोखिम की गणना निम्नवत् की गयी है :

पोर्टफोलियो विचरणांश (जोखिम)= (एक्स01 एस0डी01 + (एक्स2 एस0डी0 2+ 2एक्स0 1 एक्स02 एस0डी0 1 एस0डी0 2सहविचरणांश 1 एवं 2)

जहां :

एक्स0 1 और एक्स 2 : प्रतिभूति 1 एवं 2 के क्रमशः भार हैं।

एस0डी0 1 और एस0डी0 2: प्रतिभूति 1 एवं 2 के क्रमशः प्रमाप विचलन हैं।

सह विचरणांश (co-variance)1 एवं **2:** प्रतिभूति 1 एवं 2 के सहविचरणांश हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन :

एक जागरूक निवेशक अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का सावधिक मूल्यांकन करता है। जैसे ही वह कोई दूसरा पोर्टफोलियो, जो विद्यमान पोर्टफोलियो से बेहतर है, को खोज लेता है, तो वह अनुकूलतम प्रत्यायों को प्राप्त करने हेतु अपने पोर्टफोलियो को तद्नुसार परिवर्द्धित कर लेता है। पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का विश्लेषण होना चाहिये और परस्पर तुलना की जानी चाहिये। कभी–कभी पोर्टफोलियो के मूल्यांतर के सौदों के द्वारा विनियोग से प्रत्याय को समान जोखिम पर बिना वित्तीय दायित्वों को परिवर्तन किये बढ़ाया जा सकता है। पोर्टफोलियो के प्रदर्शन परिणामों की तुलना के लिये विभिन्न मूल्यांकनों जैसे शार्प मूल्याकन, मूल्यांकन ट्रेनर और जेन्सन मूल्यांकन को अपनाया जा सकता है। यह पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिये व्यापक रूप में प्रयुक्त एपकरण हैं। पोर्टफोलियो को निम्नांकित शार्प मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा क्रम निर्धारित एवं इसकी तुलना की जा सकती है।

$$\text{शार्प मूल्यांकन} = \frac{RP - RF}{\text{पोर्टफोलियो का एस0डी0(SD)}}$$

जहां :

RP = पोर्टफोलियो पर औसत प्रत्याय की दर

RF = जोखिम रहित विनियोग पर प्रत्याय की औसत दर

SD = पोर्टफोलियो प्रत्याय का मानक विचलन

विदेशी बाजार जोखिम विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग का एक आवश्यक अंग है। अधिमूल्यित प्रतिभूतियों में व्यवहार हानियों को जन्म देता है। प्रत्याय परिकल्पित जोखिम के अनुसार होना चाहिये। एक विवेकपूर्ण विनियोजक एक प्रभावशाली पोर्टफोलियो के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत रहता है। एक प्रभावशाली पोर्टफोलियो वह पोर्टफोलियो है जो प्रतिभूतियों के एक विशिष्ट वर्ग पर न्यूनतम जोखिम वहन करता है या दूसरे शब्दों में एक दिये हुए जोखिम के स्तर यह अधिकतम प्रत्याय प्रदान करता है।

बाजार प्रवेश एवं बाजार को छोड़कर चले जाने के उपयुक्त समय की उचित रूप में पहचान की जानी चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग प्रत्यायों की अवसर लागत घरेलू या विदेशी प्रतिभूतियों से अन्य सम्भावित पोर्टफोलियो प्रत्याय हो सकती हैं। बाजार दशाऐं निरंतर परिवर्तनशील हैं। वचनबद्ध प्रतिभूतियां समय बीतने के साथ अधिक समय तक बचनबद्ध नहीं रहती हैं, अतः स्थानीय बाजारों में परिवर्तनों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिये।

13.3.3 घरेलू बनाम विदेशी बाजार विनियोगों से तुलनात्मक जोखिम एवं प्रत्याय का तुलनात्मक विश्लेषण

अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग विशिष्ट विदेशी बाजार या बाजारों में निवेश को निर्धारित करना तथा अन्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश विकल्पों को दर किनार करना है। बाजार परिवर्तनों को अभिज्ञापित करने हेतु सावधिक बाजार विश्लेषण की आवश्यकता होती है। विनियोक्ताओं को नियमित समय अंतरालों में दो बाजारों की तुलना करनी चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय विनियोग वे निर्धारक घटकों एवं परिस्थितियों को निम्नवत् विचार में लिया जा सकता है :

यदि 1 रूपये को भारतीय समता बाजार में, G वार्षिक वृद्धि दर एवं D^dप्रतिवर्ष लाभांश दर में n वर्षों के लिये विनियोग किया गया है, तो परिपक्वता पर अंतिम धनराशि इस प्रकार होगी :

$$= 1\ (1+D^d + G^r)^n$$
$$= (1+D^d + G^r)^n$$

और, यदि 1 रूपये को अंतर्राष्ट्रीय समता बाजार में, G वार्षिक वृद्धि दर एवं D^fप्रतिवर्ष लाभांश दर n वर्षों के लिये, विनियोग किया गया है, तो परिपक्वता पर अंतिम मूल्य इस प्रकार होगा :

$$= 1 x 1/S^o \ X\ (1 + Df + Gf)^n S^1$$
$$= S^1/S^o X\ (1 + Df+ Gf)^n$$

जहां,

S^1– परिपक्वता धनराशि पर भावी फॉरेक्स दर

S^o–विनियोग करते समय चालू फॉरेक्स दर अब,

अब, विदेशी निवेश केवल तब ही सुझाया जायेगा जबकि अंतर्राष्ट्रीय निवेश से कुल परिणाम, घरेलू निवेश के परिणाम से अधिक होगा, जिसे निम्पांकित सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है :

$$S^1/S^0 X\ (1 + Df+ Gf)\ n \geq\ (1+D^4+G^r)n$$

उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि वृद्धि एवं लसभांश की समान दर से, अंतर्राष्ट्रीय विनियोग तब लाभप्रद होगा, जबकि विदेशी मुद्रा परिपक्वता के समय सुदृढ़ होना प्रत्यशित है। अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग के निर्धारक Df, D^d, Gf, Gd, S^1एवं S^oहै।

अभ्यास 2 :

1. पोर्टफोलियो विनियोग से आप क्या समझते हैं?
2. अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग के उद्देश्य क्या हैं?
3. अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं?
4. भारतीय पूंजी बाजार में किन उपक्रमों को एफ0आई0आई0 की तरह पंजीकृत किया जा सकता है?
5. पोर्टफोलियो जोखिम एवं प्रत्याय की कैसे गणना की जाती है?

13.4 सारांश

पूंजी संरचना निर्णय व्यवसाय के व्यूहनीतिक वित्तीय निर्णयों में से एक है। अनुकूलतम पूंजी संरचना अर्थात ऋण एवं समता पूंजी का उचित मिश्रण पूंजी की सम्पूर्ण लागत को न्यूनतम करता है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों ने कम्पनियों के कोषों के एकत्रीकरण हेतु अनेक विकल्प प्रस्तुत किये हैं। क्योकि पूंजी बाजार पूर्णतया एकीकृत नहीं है, अतः ब्याज दर बाजी या सट्टा लगाने प्रत्यायों में अंतर होने पर बाजार से अधिक प्रत्याय अर्जित करना) का क्षेत्र उपलब्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी संरचना निर्णयों में महत्वपूर्ण निर्णय उपयुक्त लीवरेज का निर्धारण, पहुंच किये जाने वाले बाजारों को निश्चित करना तथा दीर्घकालीन कोषों के

एकत्रीकरण हेतु उपयुक्त पूंजी बाजार उपकरण को निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोगों में महत्वपूर्ण संवृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्थाओं के वैश्वीकरण से उनका एकीकरण एवं पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह उत्पन्न हुआ है। विनियोक्ता राष्ट्रों के विकास में प्रतिभाग कर सकते हैं। विनियोक्ता ए0डी0आर0, जी0डी0आर0 या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अंशों में विनियोग किये बिना अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर सकते हैं। विविधीकृत पोर्टफोलियों से बेहतर प्रत्याय प्राप्त की जा सकती है और साथ ही फोरेक्स जोखिम, घरेलू एवं विदेशी बाजार उच्चावचन जोखिम, राजनीतिक जोखिम एवं अन्य कार्यविधियों संबंधी बाधाओं का समाधान किया जाना चाहिये।

13.5 शब्दावली

परिचालन लीवरेज– कुल लागत में स्थिर लागत की मात्रा है।

वित्तीय लीवरेज–पूंजी संरचना में स्थिर लागत वाले कोषों के प्रयोग का अनुपात होता है।

पूंजी संरचना–विभिन्न स्रोतों से एकत्रित पूंजी के अनुपात को व्यक्त करती है।

पूंजी की भारित औसत लागत– पूंजी के अलग–अलग स्रोतों की संयुक्त लागत होती है।

पोर्टफोलियो–प्रतिभूतियों का वह मिश्रण है, जिनमें विनियोग किया गया है। इसमें समता, ऋण या दोनों प्रकार की प्रतिभूतियां सम्मिलित हो सकती हैं।

पोर्टफोलियो प्रत्याय–वह प्रत्याय हैं जो इनका धारक संबंधित प्रतिभूतियों को धारण करने के कारण प्राप्त करता है।

पोर्टफोलियो– प्रतिभूतियों का समूह

सेबी – भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

जी0डी0आर0 – ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट

ए0डी0आर0 – अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट

फोरेक्स – विदेशी विनिमय

एफ0आई0आई0 – विदेशी संस्थानात्मक निवेशकर्ता

13.6 बोध प्रश्न

सत्य/असत्य लिखिएः

1. लीवरेज पूंजी संरचना में समता और ऋण का अनुपात है।
2. यदि कुल लागत का एक बड़ा भाग स्थिर है तो फर्म को उच्च परिचालन लीवरेज वाली माना जायेगा।
3. पूंजी की लागत परियोजना में विनियोजित पूंजी के प्रति फर्म की देयताओं को व्यक्त करती है।
4. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच रखने वाली कम्पनियों को पूंजी की लागत में अंतरों का तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो सकता है।
5. आई0आर0आर0 पूंजी की लागत के बराबर होना चाहिये।
6. अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग में, वित्तीय विनियोग न केवल मौद्रिक जोखिम एवं राजनीतिक जोखिम से संबंधित होते हैं, बल्कि उनके साथ अनेक महत्वपूर्ण सांस्थानिक दबाव एवं बाधाऐं भी होती हैं।
7. अधिमूल्यित प्रतिभूतियों में व्यवहार हानियों को जन्म नहीं देता है।

8. विनियोक्ताओं को नियमित समय अंतरालों में दो बाजारों की तुलना करनी चाहिये।
9. पूंजी बाजार पूर्णतया एकीकृत है।
10. विविधीकृत पोर्टफोलियों से बेहतर प्रत्याय प्राप्त की जा सकती है।

13.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.	सत्य	2.	सत्य	3.	सत्य	4.	सत्य	5.	सत्य
6.	सत्य	7.	असत्य	8.	सत्य	9.	असत्य	10.	सत्य

13.8 स्वपरख प्रश्न

अभ्यास प्रश्न :

1. एक कम्पनी की पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं?
2. पूंजी संरचना निर्णयों के अंतर्गत लिये जाने वाले निर्णयों का वर्णन कीजिये।
3. लीवरेज क्या है?
4. बहुराष्ट्रीय निगमों की पूंजी की लागत, घरेलू कम्पनियों की लागत से क्यों भिन्न होती है?
5. पोर्टफोलियों विनियोग से आप क्या समझते हैं?
6. अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग के उद्देश्य क्या हैं?
7. अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विनियोग निर्णय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं?
8. भारतीय पूंजी बाजार में कौन से उपक्रमों को एफ0आई0आई0 की तरह पंजीकृत किया जा सकता है?
9. विदेशी बाजार विनियोगों के निर्धारक क्या है? घरेलू विनियोग की जोखिम एवं प्रत्याय की तुलना विदेशी विनियोगों से किस प्रकार की जाती है?

वर्णनात्मक प्रश्न :

1. पूंजी की औसत भारित लागत क्या है? पूंजी के विभिन्न स्रोतों हेतु पूंजी की लागत की कैसे गणना की जाती है?
2. विदेशी पोर्टफोलियो विनियोग के उद्देश्य क्या है? विदेशी बाजार विनियोगों के निर्धारकों को समझाइये।

13.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Shapiro Allen, Multinational Financial Management, Prentice-Hall of India Pvt. Ltd.
2. Vij Madhu, International Financial Management, Excel Publication.
3. Bhall V,K., International Financial Management, Anmol Publication.
4. Apte P.G.International Financial Management,Tata McGraw Hill Publication.
5. Eun & Resnick, International Financial Management, Tata McGraw Hill Publication
6. Sharan V, International Financial Management, Himalya Publishing House.
7. International Portfolio Investment, Theory, Evidence, and Institutional Framework by Söhnke M. Bartram and Gunter Dufey.
8. http://madaan.com/fii.html
9. http://sebi.gov.in/fii.html
10. http://rbi.org.in

इकाई 14 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं पूंजी बाजार

इकाई की रूपरेखा

14.1 प्रस्तावना

14.2 वित्तीय बाजार

14.2.1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार

14.2.2 यूरो मुद्रा बाजार

14.2.3 यूरो मुद्रा बाजार के उपकरण(लेखपत्र)

14.3 अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार

14.3.1 विदेशी समता पूंजी निर्गमन

14.3.2 यूरो समता पूंजी निर्गमन

14.3.3 ऋण उपकरण

14.3.4 विदेशी बॉण्ड निर्गमन

14.3.5 यूरो बॉण्ड निर्गमन

14.3.6 वाह्य वाणिज्यिक ऋण

14.4 सारांश

14.5 शब्दावली

14.6 बोध प्रश्न

14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.8 स्वपरख प्रश्न

14.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विषय को जान सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के प्रति समझ विकसित कर सकें।
- यूरो मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के उपकरणों (लेखपत्रों) का विश्लेषण कर सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के समता एवं ऋण पूंजी उपकरणों (लेखपत्रों) को समझ सकें।

14.1 प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में पहुंच के योग्य राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का समूह सम्मिलित होता है, जो विश्व स्तर पर निवेशकर्ताओं एवं ऋणकर्ताओं को बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। घरेलू बाजार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार व्यापार की सकल मात्रा, उपकरणों की संख्या एवं तरलता की दृष्टि से पर्याप्त विशाल आकार के होते हैं। अल्पकालीन सहायता के लिये, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार एवं यूरो मुद्रा बाजार प्रमापित एवं आवश्यकतानुसार उपकरणों (लेखपत्रों) की सुविधा प्रदान करते हैं। यूरो जमा प्रमाण पत्र, यूरो नोट एवं यूरो व्यापारिक विपत्र यूरो मुदा के सर्वाधिक व्यापार में प्रयुक्त उपकरण (लेखपत्र) हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार विभिन्न देशों में विनियोग एवं ऋण के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराता है। सीमापार ऋण प्रदान करने एवं ऋण लेने में अब भौगौलिक सीमाऐं कोई बाधाऐं नहीं हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं विनियोगों हेतु अपने दरवाजे खोल दिये हैं। विभिन्न देशों की अनेक कम्पनियों में निवेशकर्ता प्रतिभाग कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम विदेशी पूंजी बाजारों तक वाह्य वाणिज्यिक ऋणों एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा वैश्विक वित्तीय प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से अपनी पहुंच बनारहे हैं।

14.2 वित्तीय बाजार

वित्तीय बाजारों से आशय उन बाजारों से है जहां विभिन्न योजनाओं एवं उपकरणों में कोषों का निवेश एवं ऋण प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय बाजारों का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण एवं पूंजी के प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है, ताकि दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। एक प्रभावशाली वित्तीय बाजार में उच्च तरलता एवं गहराई होती है। विविध प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता बाजार के मूल्य को बढ़ाती है। वित्तीय बाजारों के दो पहलू होते हैं – मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां अल्पकालीन निवेश एवं अल्पकालीन ऋण क्रियाऐं सम्पन्न होती हैं। जबकि पूंजी बाजारों में दीर्घकालीन निवेश एवं दीर्घकालीन ऋण क्रियाऐं सम्पन्न की जाती हैं।

इस बाजार के प्रमुख प्रतिभागी केन्द्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कम्पनी गृह, व्यापारी एवं गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां हैं। बैंक एवं गैर वित्तीय कम्पनियां (एन0बी0एफ0सी0) जनता को विभिन्न निवेश योजनाऐं प्रस्तावित करती हैं तथा इनसे लघु बचतें संकलित करती हैं। अनेकों निवेशकर्ताओं से संकलित की गयी लघु बचतों से पूंजी की एक बड़ी राशि संकलित एवं सृजित होती है। इस प्रकिया को पूँजी निर्माण कहा जाता है। सामान्यतया निवेश एवं ऋण वित्तीय उपकरणों(लेखपत्रों) के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। व्यापक रुप में तीन प्रकार के उपकरण होते हैं अर्थात सरकार के द्वारा निर्गमित, बैंकों के द्वारा निर्गमित एवं कम्पनियों के द्वारा निर्गमित । जिन संगठनों को कोषों की आवश्यकता होती है, वे उपकरणों को निर्गमित करते है और अन्य प्रतिभागी जिनके पास अधिक कोष होते हैं, वे बाजार में उपकरणों का क्रय करते हैं। इस प्रकार बाजार में कोषों को गतिमान किया जाता है। भारतीय वित्तीय बाजारों में मुख्य उपकरण (लेखपत्र) निम्नांकित हैं :

मुद्रा बाजार मेंट्रेजरी बिल (टी. बिल), सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ (जी.डी.एस.), जमा प्रमाण पत्र (सी.डी.), सावधि मुद्रा , मांग पर मुद्रा एवं वाणिज्यिक विपत्र तथा पूँजी बाजार में मुख्य उपकरण अंश, जमा पत्र एवं बाण्ड होते हैं।

'वैश्विक वित्तीय बाजार' अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 1980 से पूर्व राष्ट्रीय बाजार मुख्यतः एक दूसरे से पृथक होते थे। और उस देश में वित्तीय मध्यस्थ कार्य करते थे। लंदन स्थित विदेशी विनिमय बाजार, यूरो मुद्रा एवं यूरो बाण्ड बाजार ऐसे अकेले बाजार थे। जिन्हें वास्तव में अपनी क्रियाओं के अनुसार वैश्विक कहा जा सकता था। (अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्ध, आप्टे, पी.जी., टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन, पेज 583, 2010) वैश्विक वित्तीय बाजारों की एकीकृत राष्ट्रीय पूँजी बाजारों की तरह पहचान की जा सकती है, जिसमें वैश्विक बाजार प्रतिभागी

विभिन्न राष्ट्रीय बांजारों तक अपनी पहँच बनाते हैं। इसमें विदेशी विनिमय बाजार, यूरो मुद्रा बाजार, अन्तराष्ट्रीय पूँजी बाजार एवं मुद्रा बाजार सम्मिलित हैं। वैश्वीकरण के इस युग में अधिकांश अर्थव्यवस्थायें खुली अर्थव्यवस्थायें हैं और पूँजी का स्वतंत्र प्रवाहसीमा पार हो रहा है। चूँकि व्यापक आर्थिक चर विभिन्न देशों मे भिन्न–भिन्न होते हैं। अतः विभिन्न देशों में विनियोजित पूँजी पर प्रत्याय भी भिन्न–भिन्न होती है। उच्चतर प्रत्याय की तलाश में विनयोजक विदेशों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकर्ताओं का एक दूसरा उद्देश्य जोखिम के अंश को कम करने के लिये अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति पोर्ट फोलियो को विविधीकृत करना होता है। विभिन्न देशों के अंश पूँजी बाजार के प्रत्यायों में नकारात्मक सह सम्बन्ध अवलोकित किया गया है। ऐसे बाजारों में प्रतिभूतियों का उपयुक्त मिश्रण विनियोजकों के पोर्ट फोलियो जोखिम को कम कर सकता है।

14.2.1 अन्तराष्ट्रीय मुद्रा बाजार

एक अन्तराष्ट्रीय मुद्रा बाजार को उस मुद्रा बाजार के रुप में चिन्हित किया जा सकता है जहाँ अन्य देशों के प्रतिभागी भी प्रतिभाग कर सकते हैं। इस बाजार में स्थानीय कानून उस देश के मुद्रा बाजार में सम्पूर्ण विश्व के प्रतिभागियों को प्रतिभागिता की अनुमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में ऐसे समस्त बाजार सम्मिलित होते हैं जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को उपकरणों मे सौदा करने की अनुमति होती है। लन्दन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार का प्रचीनतम केन्द्र माना जाता है। आजकल फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, जापान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों के प्रमुख केन्द्रों के रुप में उभरे हैं। यूरो मुद्रा बाजार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार का एक भाग है।

14.2.2 यूरो मुद्रा बाजार

यूरो मुद्रा बाजार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार का आधार है। ऐसा बाजार जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं को जमा एवं उधार दिया जा सकता है, यूरो मुद्रा बाजार कहते हैं। यूरो मुद्रा वह मुद्रा है जिसे अपने मूल अर्थव्यवस्था के बाजार से भिन्न दूसरे बाजारों में जमा किया जा सकता है। यूरो किसी भी रुप में यूरोपियन यूनियन की मुद्रा 'यूरो' से संबन्धित नहीं है। ऐसी मुद्रा जिसे अपने मूल देश से बाहर के किसी भी बैंक में जमा कराया जा सकता है, को यूरो मुद्रा बाजार कहते हैं।

उदाहरण : यदि भारतीय रुपये को किसी विदेशी बैंक या भारत से बाहर अवस्थित घरेलू बैंक की विदेशी शाखा में जमा कराया जाता है, तो इसे यूरो रुपये के रुप में जाना जाता है। अमेरिकन डालर (यू.एस.डी.) भारत में किसी बैंक में जमा यूरो डालर हैं और न्यूयार्क के किसी बैंक में जमा किये गये ब्रिटेन के पाउन्ड को यूरो पाउण्डस के नाम से जाना जाता है।

'यूरो मुद्रा बाजार के अभ्युदय को 1950 एवं 1960 के प्रारंभिक दशक से संबन्धित किया जा सकता है, जबकि पूर्व सोवियत संघ व सोवियत समूह के देशों ने स्वर्ण और वस्तुओं का विक्रय कठोर मुद्रा को प्राप्त करने के लिए किया। सोवियत संघ के विरोध की भावनाओं के कारण इन साम्यवादी देशों के द्वारा, इस डर से कि उनकी जमायें बेकार हो जायेंगी या छीन ली जायेंगी, अपनी डालर जमाओं को गैर अमेरिकी बैंकों में कराया गया। इसके स्थान पर उन्होंने अपने डालरों को फ्रांस के बैंकों में जिनका टेलैक्स का पता यूरो बैंक होता था, में जमा कराया। उस समय

से अमेरीका से बाहर जमा कराए गये डालरों को यूरो डालर कहा जाता रहा है और जो बैंक यूरो मुद्रा की जमाऐं स्वीकार करते हैं, उन्हें यूरो बैंक कहा जाता है। (इयन एवं रेनसिस इन्टर नेशनल फाइनेन्सियल मैनेजमैण्ट, पेज 274, टाटा मेक्ग्रा हिल पब्लिकेशन)। एक यूरो बैंक विभिन्न विदेशी मुद्राओं में जमाऐं स्वीकार करता है एवं ऋण देता है। एक गैर अमेरीकी बैंक के द्वारा लन्दन में यू.एस. डालर में प्रदत्त ऋण को यूरो डालर ऋण कहा जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक एवं कम्पनियाँ बाजार के प्रमुख सदस्य हैं। यह एक अल्पकालीन बाजार है। कोषों को एक वर्ष से कम समय के लिए जमा कराया अथवा ऋण लिया जा सकता है। यह बाजार कम विनियमित है क्योंकि यह केन्द्रीय बैंक एवं सरकारी नियमनों से लगभग मुक्त होता है। इस प्रकार प्रतिभागियों को अधिक सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। यूरो मुद्रा सावधि जमा प्रमाण पत्र यूरो मुद्रा बाजार के मुख्य उपकरण हैं। प्रतिभागी यूरो बैंक में एक माह, दो माह, छः माह, नौ माह, या बारह माह की सावधि जमाऐं करा सकते हैं। यह सावधिक जमाऐं अपनी प्रकृति में विनिमय साध्य नहीं होती, अतः उसमें तरलता का अभाव रहता है। दूसरा यूरो मुद्रा बाजार उपकरण यूरो मुद्रा जमा प्रमाण पत्र या सी.डी. कहा जाता है। इन्हें यूरो मुद्रा सावधि जमाओं के सापेक्ष निर्गमित किया जाता है। यूरो सी.डी. विनिमय साध्य है और इनके द्वारा सरलता से द्वितीयक बाजार में सौदा किया जा सकता है। यूरो मुद्रा सी.डी. यूरो मुद्रा बाजार को गहराई एवं तरलता प्रदान करती है। यूरो मुद्रा बाजार के अधिकांश लेन–देन अर्न्त बैंक लेन–देन होते हैं। जिन बैंकों के पास अधिक कोष होते हैं, वे जमाऐं कराते हैं जबकि जिन बैंकों में कोषों का अभाव होता है, वे यूरो मुद्रा बाजार में ऋण लेते हैं । वसूल की गयी व्याज की दरें अर्न्त बैंक यूरो मुद्रा बोली दरें कहलाती हैं। अर्न्त बैंक बोली दरों तथा प्रस्तावित दरों के मध्य साधारणतया 0.012 % का विस्तार रहता है।

यूरो मुद्रा बाजार की व्याज दरें बाजार स्थितियों पर विशुद्ध रुप में निर्भर करती हैं। एक मुद्रा की अधिक मांग उस मुद्रा की उच्चतर दरों की ओर अथवा इसके विपरीत ले जाती है। लन्दन अर्न्त बैंक प्रस्तावित दरें (एल.आइ.बी.ओ.आर.)यूरो मुद्रा बाजार की आधार दरें होती हैं। 'लिबोर' ब्रिटिश बैंक एसोसिएसन के द्वारा प्रतिदिन घोषित संदर्भ दर होती है। इसके अतिरिक्त यूरो मुद्रा बाजार के विभिन्न केन्द्रों पर प्रयुक्त विभिन्न संदर्भ दरें होती हैं। जैसे – सिंगापुर अर्न्तबैंक प्रस्तावित दर (सिबोर) मुम्बई अर्न्त बैंक प्रस्तावित दर (मिबोर) टोक्यो अर्न्त बैंक प्रस्तावित दर (टिबोर) कुछ अन्य यूरो मुद्रा संदर्भ दरें हैं।

अब आप समझ सकते हैं कि यूरो मुद्रा बाजार विश्व भर में फैला हुआ मुद्रा बाजार है, जहाँ विभिन्न मुद्राओं में कोषों को जमा कराया एवं ऋण लिया जा सकता है।

आइये, यह समझें कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में ऐसी जमाऐं एवं ऋण किस प्रकार किये जाते हैं। भारतीय घरेलू मुद्रा बाजार की भांति, बैंक, कम्पनियों एवं सरकार (रिजर्व बैंक के माध्यम से) विभिन्न प्रतिभूतियाँ जैसे – माँग पर मुद्रा प्रमाण पत्र, सावधि जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, टी.बिल, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ एवं वाणिज्यिक विपत्र इत्यादि) को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्गमित करती हैं और दूसरी ओर ऐसे प्रतिभागियों जिनके पास

विनियोग योग्य कोष होते हैं, इन प्रतिभूतियों को तरलता की आवश्यकतानुसार क्रय करते हैं। यूरो मुद्रा बाजार एक अत्यधिक तरल बाजार है, जो तरलता , प्रत्याय, एवं वित्तीयन लागत के आधार पर राष्ट्रीय बाजारों से अधिक लाभप्रद हैं ।

14.2.3 यूरो मुद्रा बाजार के उपकरण

यूरो मुद्रा बाजारों के प्रमुख उपकरण निम्नवत हैं :

1. यूरो मुद्रा सावधि जमा नोट्स
2. यूरो मुद्रा विनिमय साध्य जमा प्रमाण पत्र
3. यूरो नोट्स
4. यूरो क्रेडिट
5. यूरोवाणिज्यिक बैंक

1. यूरो मुद्रा सावधि जमा नोट्स

यूरो मुद्रा सावधि जमा नोट्स जमा कोषों के सापेक्ष यूरो बैंकों के द्वारा निर्गमित सावधि जमा प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र गैर विनिमय साध्य विलेख है। स्थायी जमा नोट्स के अन्तर्गत कोषों को एक दिन से एक वर्ष तक विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए विनियोग किया जाता है। सामान्यतया यूरो मुद्रा बाजार की जमाओं में प्रमुख सावधि जमाऐं 2 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह तथा 12 माह की होती हैं। व्याज दरें विभिन्न परिपक्वता अवधियों के अनुसार परिवर्तित होती हैं। अधिक लम्बी परिपक्वता अवधियों के लिए उच्चतर व्याज दरें भुगतान की जाती हैं।मुद्राओं के विभिन्न समूहों के लिए व्याज की भिन्न–भिन्न दरें होती हैं। यूरो डालरों के लिए व्याज दरें 2.10% से 2.20% प्रतिवर्ष की सीमा में होती हैं तथा यूरो स्टर्लिंग के लिए व्याज दरों की सीमा 5.166% - 5.20% वार्षिक हो सकती है। यद्यपि यह सावधि जमाऐं स्थिर सावधि जमा प्रमाण पत्र होती हैं। किन्तु इन्हें परिपक्वता से पूर्व भी तरल रुप में परिवर्तित किया जा सकता है, यूरो बैंक परिपक्वता से पूर्व प्रमाण पत्रों को तरल बनाने के लिए उच्च दरें वसूलते हैं।यही कारण है कि इन जमाओं को प्रायः परिपक्वता पर ही तरल किया जाता है।

2. **जमाओं के विनिमय साध्य प्रमाण पत्र(एन.सी.डी.)**विनिमय साध्य प्रमाण पत्र हैं। इनका द्वितीयक यूरो मुद्रा बाजार में लेन–देन होता है। यह सावधिक यूरो मुद्रा प्रमाण पत्रों से अधिक लाभप्रद हैं, क्योंकि एन.सी.डी. उच्चतर तरलता प्रदान करते हैं, इन्हें यूरो मुद्रा सावधि जमा प्रमाण पत्रके सापेक्ष निर्गमित किया जाता है। एन.सी.डी. यूरो मुद्रा बाजार को अधिक गहराई मूल्य एवं स्वीकार्यता प्रदान करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक एवं कम्पनियाँ इस बाजार के माध्यम से अपनी अल्पकालीन कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं का प्रबन्ध करते हैं। क्योंकि यह बाजार अनेक अन्तर्राष्टीय मुद्राओं में व्यवहार करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों को यह बाजार अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। एम.एन.सी. के केन्द्रीयकृत प्रबंधकीय प्रणाली के अन्तर्गत अवशेष कोषों को यूरो मुद्रा बाजार के उच्च तरल उपकरणों में विनियोग किया जाता है। यह बाजार आकर्षक है क्योंकि इस बाजार में सरकारी नियमन कम होता हैं।

3. यूरो नोट्स

यूरो नोट्स को वाणिज्यिक बैंकों अथवा विनियोग संस्थाओं के समूह के द्वारा निर्गत एवं लिया जाता है।

4. यूरो वाणिज्यिक विपत्र

वाणिज्यिक विपत्र कम्पनियों के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। यह कम्पनियों के द्वारा लिए गये असुरक्षित ऋण होते हैं। कम्पनियाँ अपनी व्यापक ख्याति एवं साख योग्यता का लाभ उठाकर बैंक ऋणों की अपेक्षा मुद्रा बाजार में बाणिज्यिक विपत्र जारी करती हैं। वाणिज्यिक विपत्रों के माध्यम से, कम्पनी ग्रहों के द्वारा कम लागत वाला ऋण प्राप्त किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार में , वाणिज्यिक विपत्रों का निर्गमन साख श्रेणी कृत होना चाहिए। जैसे स्टैण्डर्ड एण्ड पोअर्स मूडीज, फिट्च, क्रिसिल इत्यादि निर्गमन कर्ता की साख योग्यता के आधार पर उन्हें ए.ए.ए. प्लस, ए.ए. प्लस, ए. प्लस, बी.बी.बी. प्लस, बी.बी. प्लस इत्यादि श्रेणियाँ प्रदान करती हैं।

इसी प्रकार यूरो मुद्रा बाजार में, यूरो वाणिज्यिक विपत्र अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। यूरो वाणिज्यिक विपत्र यूरो मुद्रा बाजार में व्यापक रुप में लेन–देन किए जाते हैं। यह 'लिबोर' ब्याज दरों से ऊपर निर्गत किए जाते हैं। परिपक्वता अवधि सामान्यतया एक माह से छः माह की सीमा में रहती है। अनेक विदेशी मुद्राओं में अन्तर्राष्ट्रीय अल्पकालीन बैंक ऋणों का यह एक अच्छा विकल्प है।

5. यूरो क्रेडिट या यूरो साख

यूरो साख यूरो बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला अल्पकालीन ऋण है। प्रतिभागी यूरो बाजार से यूरो साख उधार लेते हैं। क्योंकि यूरो मुद्रा बाजार विश्व व्यापक है। इस बाजार के अनेक केन्द्र क्रियाशील हैं। यह बाजार अन्तर्राष्ट्रीय ऋण कर्ताओं को उच्चतर गहराई प्रदान करता है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय स्थानों पर यह बाजार अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में ऋण लेने की सुविधा प्रदान करता है। प्रकटीकरण एवं पूर्व घोषणाओं की भी कम अनिवार्यता रहती है। इससे बाजार अधिक आकर्षक बन जाता है।

14.3 अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार

यह पूँजी बाजार दीर्घकालीन जमाओं एवं ऋणों के लिए वित्तीय बाजार है। आधिक्य वाली इकाइयाँ प्रत्याय अर्जित करने हेतु बाजार में कोषों को विनियोजित करती हैं, और जिन इकाइयों को कोषों की आवश्यकता होती हैं, वे उन्हें बाजार से ऋण लेकर उत्पादक कार्यों में उपयोग करती हैं। इस प्रकार पूँजी बाजार का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूँजी के प्रवाह को गतिमान करना है। विनियोगकर्ता, ऋण कर्ता एवं मध्यस्थ इस बाजार के तीन मुख्य स्तम्भ हैं। बाजार मध्यस्थ जैसे अभिगोपक, निर्गम प्रबन्धक, रजिस्ट्रार एवं बैंकर्स ऐसे मुख्य मध्यस्थ हैं, जो बाजार में प्रतिभूतियों को निर्गमित करने में ऋणकर्ताओं की सहायता करते हैं। कोषों को प्रतिभूतियों के विनिमय के माध्यम से गतिमान किया जाता है। प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता संस्थाओं के द्वारा निर्गमित किए जाने वाले उपकरण हैं, और इन्हें निवेश कर्ता संस्थाओं के द्वारा क्रय किया जाता है। इस प्रकार निवेशक एवं

ऋणकर्ता के बीच कोषों का विनिमय होता है। प्रतिभूतियों की व्यापक अभिसीमा पूँजी बाजार को गहराई प्रदान करती हैं। कोषों की तरलता एवं सुरक्षा एक प्रभावशाली पूँजी बाजार के गुण हैं। यद्यपि नियामक प्राधिकारियों को भी मध्यस्थों के कार्यकरण के प्रति सतर्क रहना चाहिए, विनियोग कर्ताओं के हितों का संरक्षण होना चाहिए तथा गड़बड़ियों को रोका जाना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार वह बाजार है जिसमें समस्त विश्व के प्रतिभागियों को प्रतिभाग हेतु आमन्त्रित किया जाता है। ऋणकर्ता एवं निवेशकर्ता विदेशी बाजारों तक पहँच कर सकते हैं। यह वह बाजार है जहाँ सम्प्रभु सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को पूँजीगत लेन–देनों की अनुमति देती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, सरकारें एवं व्यापारी अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार के प्रतिभागी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में व्यापक रुप में दो प्रकार के वित्तीय उपकरण सम्मिलित होते हैं :

1. समता उपकरण
2. ऋण उपकरण

समता उपकरणों के माध्यम से स्वामित्व प्रतिभूतियों के निवेशकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, जबकि बाजार ऋणों को ऋण उपकरणों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। समता निर्गमन के बाजार के आधार पर, समता निर्गमन तीन प्रकार का हो सकता है अर्थात घरेलू बाजार हेतु समता निर्गमन, विशिष्ट विदेशी बाजार हेतु समता निर्गमन, एवं अनेक विदेशी बाजारों हेतु एक–साथ समता निर्गमन (घरेलू बाजार के अतिरिक्त), प्रथम वर्ग को घरेलू समता निर्गमन, दूसरे को विदेशी समता निर्गमन तथा तीसरे समता निर्गमन को यूरो समता निर्गमन के नाम से जाना जाता है। कम्पनियों के द्वारा समता उपकरणों को तब निर्गमित किया जाता है, जब वे जोखिमपूर्ण व्यवसाय में बडी मात्रा में कोष एकत्रित करना चाहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार

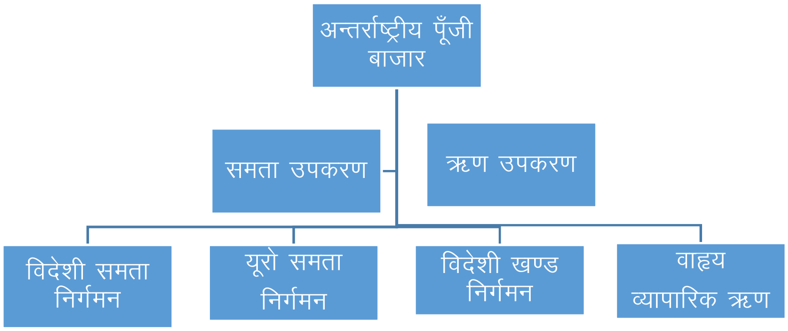

14.3.1 विदेशी समता पूंजी निर्गमन

विदेशी समता निर्गमन से आशय एक निवासी कम्पनी के द्वारा विदेशी बाजार में किये गए समता निर्गमन से है। उदाहरणार्थ : यदि एक कम्पनी जो भारत में पूँजीकृत है, अमेरिकी पूँजी बाजार में अपना डालर आधारित समता निर्गमन लाती है, तो इसे विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय समता निर्गमन कहेंगे। ऐसे निर्गमन में उस अर्थव्यवस्था के निवेशक निर्गमन के लिए आवेदन हेतु अर्ह होते हैं । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय निर्गमन है। जब कम्पनी विदेशी बाजारों को घरेलू बाजार की

तुलना में पहुँच करना अच्छा समझती है, तब कम्पनी ऐसे निर्गमन का चयन करती है, अन्तराष्ट्रीय निर्गमन 'जमाओं की प्राप्तियों' के प्रारुप में किए जाते हैं।

'जमा प्राप्ति रसीद' विदेश में निर्गमित एक विनिमय साध्य उपकरण है, जो अपेक्षाकृत कम विनियमित बाजारों जैसे लक्समवर्ग में सम्बन्धित घरेलू अंशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। जमा प्राप्ति रसीद विदशी निवेशकर्ताओं को सीमा पार मुद्रा के प्रवाह के बिना निर्गमनकर्ता कम्पनी से परिचय को सरल कर देती है। ब्लूम बर्ग आंकडों के अनुसार 1993 से भारतीय कम्पनियों ने विदेशी जी.डी.आर. सूचीयन किया है। ''एक जमा प्राप्ति रसीद का सृजन तब होता है, जब एक दलाल कम्पनी के अंश घरेलू स्कंध विपणि में क्रय करता है और उसे जमाकर्ता के स्थानीय धारणीय बैंक को सौंप देता है और बाद में जमाकर्ता बैंक को जमा प्राप्ति रसीद के निर्गमन का निर्देश देता है। जमा प्राप्ति रसीद को उस देश की मुद्रा में व्यापार और मूल्य सूचीकृत किया जाता है जहाँ उनका व्यापार होता है । उनका विनयमन उस बाजार के व्यापार एवं समाशोधन पद्धति के अनुसार होता है, जहाँ उन्हें निर्गमित किया गया है । जमा प्राप्ति रसीद के लेन–देन एवं समायोजन की सरलता निवेशकर्ताओं को विदेशी कम्पनियों के अंशों के क्रय करने की इच्छा रखने वाले निवेशकर्ताओं को आकर्षक निवेश आकर्षण प्रदान करती है।'' (मधुविज, इन्टरनेशनल फाइनेन्सियल मैनेजमैन्ट, एक्सैल पब्लिकेशन , पेज 589)

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी निर्गमन में कम्पनियाँ विदेशी पूँजी बाजार में उस देश की मुद्रा में जमा प्राप्ति रसीद निर्गमित करती है। विदेश आधरित ऐसा निर्गमन उस बाजार के स्कन्ध विपणि में सूचीकृत होना चाहिए ताकि जमा प्राप्ति रसीद को तरलता प्रदान की जा सके। जमा प्राप्ति रसीद (डी.आर.) में कम्पनी के अनेक अंश सम्मिलित हो सकते हैं। डी.आर. के अंशों में एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।अमेरीका में डी.आर. निर्गमन करने वाली कम्पनियों में इसे अमेरीकन जमा प्राप्ति रसीद(ए.डी.आर) कहा जाता है। भारत में डी.आर. निर्गमन करने वाली गैर भारतीय कम्पनियेां को भारतीय जमा प्राप्ति रसीदें (आइ. डी.आर.) कहा जाता है। विदेशी पूँजी बाजार में डी.आर. का निर्गमन उस देश के नियामक अभिकरणों के अन्तर्गत आता है। भारतीय पूँजी बाजार में सेवी (SEBI) नियामक प्राधिकारी है। आई.डी.आर. निर्गमन से संबन्धित समस्त प्रकरण सेवी की पूर्व स्वीकृति की शर्त पर होते हैं। आई.डी.आर. धारकों को आई.डी.आर. से सम्बन्धित अंशों के संबन्ध में मतदान का अधिकार होता है और निर्गमनकर्ता के प्रस्ताव पर वे मतदान हेतु सामान्यतया अर्ह होते हैं। आई.डी.आर. धारक अपने आई.डी.आर. के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गये अंशों के संबन्ध में मतदान शक्ति का प्रयोग करने के लिए जमा प्राप्तिकर्ता को कुछ निश्चित सीमित दशाओं में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग के पूर्व निर्गमनकर्ता के विविध सलाहकार से अग्रिम में निश्चित विधिक सलाह प्राप्त करने के जमाप्राप्ति कर्ता के अधिकार की शर्त के अन्तर्गत निर्देश देने का अधिकारी है। विभिन्न विदेशी विपणियों के अंतिम मूल्यों के अनुसार 1.87 ट्रिलियन डॉलर (रु 83.4 ट्रिलियन) के मूल्य की नियोजकों की सम्पतियाँ ऐसे अंशों में विदेशी उपक्रमों मे द्वारा रखी गयी थी।

14.3.2 यूरो समता पूंजी निर्गमन

यूरो समता निर्गमन निर्गमनकर्ता कम्पनी के घरेलू बाजार के अलावा एक या अधिक देशों के विदेशी बाजारों की समता में निर्गमन है और निर्गमनकर्ता के गृह देश के अतिरिक्त अन्य मुद्रा में किया जाता है। यूरो समता निर्गमन में विश्व व्यापक स्तर पर निवेशकर्ता के गृह देश के विनियोक्ता को छोडकर, निवेश किया जा सकता है। जिस उपकरण के द्वारा ऐसा निर्गमन किया जाता है, उसे वैश्विक जमा प्राप्ति रसीद (जी.डी.आर.) कहा जाता है। इस प्रकार जी.डी.आर. वह कोष प्राप्ति साधन है, जिसके एक साथ कई बाजारों से कोष एकत्रित किए जा सकते हैं।

जी.डी.आर. निर्गमन विदेशी स्टाक विपणि में पंजीकृत होता है और किसी भी परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में या कुछ परिवर्तनशील विदेशी मुद्राओं में किया जा सकता है। जी.डी.आर. प्रतिभूतियों में एक या अधिक संबन्धित अंश सम्मिलित हो सकते हैं । जी.डी.आर. को संबन्धित कम्पनी के अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है जी.डी.आर. स्वतंत्र रुप से अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में निःशुल्क विनिमय साध्य उपकरण हैं।

14.3.3 ऋण उपकरण

ऋण उपकरण ऋण कर्ताओं को उत्तोलन प्रदान करते हैं। कम्पनी के स्वामित्व को सीमित किए बिना कम्पनी (निर्गमनकर्ता कम्पनियों) के प्रबन्धक परियोजना के लिए दीर्घकालीन पूँजी प्राप्त करते हैं । मध्यम कोषों की आवश्यकता वाली कम जोखिम पूर्ण परियोजनाओं का पूँजी बाजार में ऋण उपकरणों को जारी करके वित्तीयन किया जा सकता है। घरेलू पूँजी बाजार, विदेशी पूँजी बाजार, अनेक विदेशी पूँजी बाजारों तक इस प्रसंग में एक साथ पहुँच बनायी जा सकती है। बाण्ड्स, ऋण पत्र, व्यापारिक साख और बैंक ऋण इत्यादि ऋण बाजार के प्रमुख महत्वपूर्ण उपकरण हैं। अन्तराष्ट्रीय पूँजी बाजार में ऋण उपकरण मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बाण्ड, वैश्विक बाण्ड और वाह्य वाणिज्यिक ऋण इत्यादि हैं।

14.3.4 विदेशी बाण्ड निर्गमन

कम्पनियाँ विदेशी बाजारों में अपने बाण्ड जारी करने के माध्यम से विदेशी पूँजी बाजारों तक पहुँच बना सकती है। विदेशी बाण्डों को निर्गमन या अन्तर्राष्ट्रीय बाण्डों का निर्गमन एक ऐसी घटना है जिसमें बाण्डों को विदेशी कम्पनियाँ उस देश की मुद्रा में जारी करती हैं।

उदाहरण – भारतीय कम्पनियों ने द्वारा अमेरीकी बाजार में यू.एस. डालर के अंकित मूल्य पर बाण्डों का निर्गमन एक अन्तर्राष्ट्रीय बाण्ड निर्गमन है या आस्ट्रेलियाके पूँजी बाजार मे किसी अमेरिकी कम्पनी द्वारा आस्ट्रेलिया के डॉलर में बाण्ड निर्गमन एक अंतर्राष्ट्रीय बॉण्ड निर्गमन है। अंतर्राष्ट्रीय बाण्डों को विशिष्ट विदेशी पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिये निर्गमित किया जाता है। जब कम्पनियां विदेशी बाजारों को ब्याज दर संरचनाओं अथवा आवेदन सम्भावनाओं में घरेलू बाजार से अधिक मूल्यवान पाती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय बाण्डों के निर्गमन की ओर गतिमान होती है। विदेशी बाण्ड निर्गमन को इसके नाम से विशिष्ट विदेशी बाजार की तरह जाना जाता है। जैसे गैर अमेरिकी कम्पनियों के द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय बाण्डों का निर्गमन **यांकि बाण्ड निर्गमन** कहा जाता है। जापानी पूंजी बाजार में बाण्डों का निर्गमन किसी गैर जापानी कम्पनी के द्वारा किये जाने पर

इसे **समुराई बाण्ड्स** तथा ब्रिटेन में गैर ब्रिटिश कम्पनी के द्वारा किये गये निर्गमन को **बुलडॉग बाण्ड निर्गमन** के नाम से जाना जाता है।

14.3.5 यूरो बाण्ड निर्गमन :

यूरो बाण्ड निर्गमन वह निर्गमन है जिसके माध्यम से एक साथ कई पूंजी बाजारों तक पहुंच बनाई जाती है। यूरो बाण्ड निर्गमन में निर्गमनकर्ता गृह देश के अतिरिक्त विश्व भर के अन्य सभी विनियोक्ता आवेदन कर सकते हैं। निर्गमन एक मुद्रा अथवा कई देशों की मुद्राओं में हो सकता है। जैसे यह निर्गमन डॉलर में हो सकता है, तो निवेश यू0एस0डालर में किया जायेगा। कभी कभी यह निर्गमन कई मुद्राओं में किया जा सकता है, जैसे यू0एस0 डॉलर, जी0बी0पी0, जे0पी0वाई0 या ए0यू0डी0। विनियोक्ता निवेश कर सकते हैं तथा अपनी पसंद की मुद्रा में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यूरो बाण्ड निर्गमन एक विस्तृत तरल बाजार है। यह कम्पनियों के लिये आकर्षक है क्योंकि इस बाजार में कम कठोर नियम एवं प्रकटीकरण मानक रहते हैं। पिछले दशक में, यूरो बाण्ड बाजार में द्रुत गति से वृद्धि हुई है, जिसके अनेक कारण विशेषतः बाजारों का अविनियमितीकरण है। 1985 में डॉलर के कमजोर होने से डॉलर की तुलना में यूरो–येन यूरो–डच मार्क निर्गमनों की ओर निवेशक गतिमान हुए हैं। औद्योगिक देशों में मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण से भी वित्तीय सम्पत्तियों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे कम्पनियों के द्वारा बाण्डों के निर्गमनों की संख्या मेंतथा निर्गमन की मुद्राओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यूरो बाण्ड बाजार का मुख्य लाभ यह है कि यह अपेक्षाकृत अनियमनकारी है। इसकी आय मुख्यतया कर रहित होती है और निर्गमनों को विशुद्ध रूप में राष्ट्रीय बाजारों में करने में अपेक्षाकृत अधिक लोचशीलता अवलोकित होती है।

14.3.6 वाह्य वाणिज्यिक ऋण

वाह्य वाणिज्यिक ऋण कम्पनियों के द्वारा एकत्रित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ऋण हैं। कम्पनियों किसी भी विदेशी स्थान पर अवस्थित विदेशी बैंक से दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा में दीर्घकालीन ऋण ले सकता है। वाह्य वाणिज्यिक उधारों का सम्बंध मौद्रिक प्राधिकारियों के अनुमोदन पर निर्भर करता है, क्योंकि इससे भुगतान शेष में कमी या आधिक्य उत्पन्न होता है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुसरण करना होता है। विकासशील देशों को अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास हेतु बड़ी धनराशियों की आवश्यकता होती है। कम्पनियां विकासशील देशों के बैंकों से अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर दीर्घकालीन ऋण लेती है। इन ऋणों में मुख्य जोखिम, मौद्रिक जोखिम होता है। यदि जिस मुद्रा में ऋण लिया गया है, वह ऋण के पुनः भुगतान के समय अवमूल्यित हो जाती है, तो ऋणकर्ता की स्थिति लाभप्रद होगी क्योंकि अवमूल्यन के कारण घरेलु मुद्रा में लिये गये ऋण की अधिक इकाईयां प्राप्त की जा सकती हैं।

14.4 सारांश

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं पूंजी बाजार अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं ऋणों के लिये अत्यधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। यह बाजार बड़ी संख्या में प्रतिभागियों वाले विश्वव्यापक बाजार हैं। इनमें उच्च स्तर की तरलता का गुण है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कार्यखमता पूर्ण ढंग से इन बाजारों का लाभ अपने रोकड़ प्रबंध

प्रक्रिया और अंतरकम्पनी लेन–देनों के निपटारे में ले सकती हैं। उन देशों में जहां मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनशीलता लागू है, वह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के प्रभावशाली केन्द्र हैं।

14.5 शब्दावली

मुद्रा बाजार–वह बाजार है जहां अल्पकालीन निवेश एवं अल्पकालीन ऋण क्रियाऐं सम्पन्न होती हैं।

पूंजी बाजारों–वह बाजार है जहां दीर्घकालीन निवेश एवं दीर्घकालीन ऋण क्रियाऐं सम्पन्न की जाती हैं।

वैश्विक जमा प्राप्ति रसीद (जी.डी.आर.)– वह कोष प्राप्ति साधन है, जिसके एक साथ कई बाजारों से कोष एकत्रित किए जा सकते हैं।

यांकि बाण्ड निर्गमन–गैर अमेरिकी कम्पनियों के द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय बाण्डों का निर्गमन है।

एन0एस0डी0 – गैर परिवर्तनशील ऋणपत्र

एम0एन0सी0 – बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

एस0ई0बी0आई0– भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड

एल0आई0बी0ओ0आर0 – लन्दन इन्टरबैंक ऑफर्ड रेट्स

डी0आर0 –डिपाजिटरी रिसीप्ट्स

एन0एफ0बी0सी0 – गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

ए0डी0आर0 – अमेरिकन डिपाजिटरी रिसीप्ट्स

जी0डी0आर0 – ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीप्ट्स

ओ0टी0सी0 मार्केट – ओवर द काउण्टर मार्केट

यू0के0 – यूनाईटेड किंग्डम, **यू0एस0** – यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका

यू0एस0डी0 – यू0एस0 डॉलर

जी0बी0पी0 – ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड्स

जे0पी0वाई0 – जापानी येन

ए0यू0डी0 – आस्ट्रेलियन डॉलर

14.6 बोध प्रश्न

सत्य अथवा असत्य बताइये।

1. यूरो किसी भी रुप में यूरोपियन यूनियन की मुद्रा 'यूरो' से संबन्धित नहीं है।
2. एक अल्पकालीन बाजार में कोषों को एक वर्ष से कम समय के लिए जमा कराया अथवा ऋण लिया जा सकता है।
3. यूरो बाण्ड निर्गमन एक विस्तृत तरल बाजार है, जो कम्पनियों के लिये आकर्षक है क्योंकि इस बाजार में कम कठोर नियम एवं प्रकटीकरण मानक रहते हैं।
4. अवमूल्यन के कारण घरेलु मुद्रा में लिये गये ऋण की अधिक इकाईयां प्राप्त की जा सकती हैं।
5. कोषों की तरलता एवं सुरक्षा एक प्रभावशाली पूँजी बाजार के गुण हैं।
6. ब्रिटेन में गैर ब्रिटिश कम्पनी के द्वारा किये गये निर्गमन को **समुराई बाण्ड निर्गमन** के नाम से जाना जाता है।

14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. सत्य 5 सत्य 6. असत्य

14.8 स्वपरख प्रश्न

अभ्यास प्रश्न :

1. वित्तीय बाजार से आप क्या समझते हैं? वित्तीय बाजारों की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार क्या है ? इस संदर्भ में यूरो मुद्रा बाजार को समझाइये।
3. 'लिबोर' से आप क्या समझते हैं ?
4. यूरो मुद्रा बाजार के प्रमुख उपकरण कौन से हैं?
5. यूरो मुद्रा बाजार घरेलू बाजार की तुलना में किस प्रकार लाभप्रद हैं?
6. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार क्या है? यह किस प्रकार घरेलू पूंजी बाजारों से भिन्न है?
7. समता पूंजी एवं ऋण उपकरण क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के समता पूंजी उपकरणों को समझाइये।
8. जमा प्राप्ति रसीदें (डिपाजिटरी रिसीप्ट्स) किस प्रकार अंशों में भिन्न है?
9. किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार घरेलू पूंजी बाजार से अधिक लाभप्रद है?
10. यूरो बाण्ड निर्गमन को समझाइये और इसकी तुलना वाह्य व्यापारिक ऋणों से करिये।

वर्णनात्मक प्रश्न :

1. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार क्या है? किन परिस्थितियों में बहुराष्ट्रीय निगम विदेशी बाजारों में अपने अंशों के निर्गमन करते हैं?

2. यूरो मुद्रा बाजार की विशेषता क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के विभिन्न उपकरणों का विस्तृत वर्णन कीजिये।

14.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. शैपाइरो एलेन, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, प्रैन्टिस हॉल आफ इण्डिया प्रा0 लि0
2. विज मधु, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, एक्सैल पब्लिकेशन्स
3. भल्ला वी0के0 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, अन्मोल पब्लिकेशन्स
4. आप्टे पी0जी0 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिकेशन्स
5. इयन एण्ड रैनसिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिकेशन्स
6. सरन, वी0,इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, हिमालया पब्लिशिंग हाउस
7. मेलामेद लियो, इवोल्यूसन ऑफ इंटरनेशनल मनी मार्केट, केटो जर्नल वाल्यूम 8, नं0 2 (फॉल 1988)
8. मारवेजिक चार्ल्स वैन, एन इन्ट्रोडक्सन टू इन्अरनेशनल मनी एण्ड फारेन एक्सचैंज मार्केट्स

इकाई 15 विदेशी विनिमय और ब्याज दरें : व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर प्रभाव

इकाई की रूपरेखा

15.1 प्रस्तावना
15.2 विदेशी विनिमय
    15.2.1 विदेशी विनिमय बाजार के प्रकार
    15.2.2 विदेशी विनिमय बाजार की क्रियाऐं
    15.2.3 विदेशी विनिमय दरें और मूल्यसूचियां
    15.2.4 विपरीत मूल्य सूची उद्धरण की तरह परिवर्तन
    15.2.5 क्रास दरें
    15.2.6 मुद्रा डैरीवेटिव
    15.2.7 विदेशी विनिमय दर का व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर प्रभाव
15.3 ब्याज दरों का व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर प्रभाव
15.4 सारांश
15.5 शब्दावली
15.6 बोध प्रश्न
15.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
15.8 स्वपरख प्रश्न
15.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- विदेशी विनिमय और ब्याज दरों की समझ विकसित कर सकें।
- देश की आर्थिक संवृद्धि पर फॉरेक्स एवं ब्याज दरों के प्रभाव का विश्लेषण कर सकें।
- विदेशी विनिमय फॉरेक्स बाजारों, इनके प्रतिभागियों एवं फॉरेक्स बाजार की क्रियाओं को समझ सकें।
- विनिमय दरों में उच्चावचन का व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर प्रभाव का विश्लेषण कर सकें।
- ब्याज दरों में परिवर्तनों का व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर प्रभाव की व्याख्या कर सकें।

15.1 प्रस्तावना

विदेशी विनिमय एवं ब्याज दरें किसी भी देश की आर्थिक संवृद्धि के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। सरकार विदेशी विनिमय के संचयों को अपनी आयात आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समय–समय पर बाजार क्रियाओं के माध्यम से विदेशी विनिमय दरों को स्थिर करने हेतु रखती हैं। विदेशी विनिमय में प्रारम्भिक रूप में मुख्यतया विदेशी मुद्राऐं सम्मिलित होती हैं। जिन्हें वस्तु एवं सेवाओं के निर्यातों के द्वारा अर्जित किया जाता है और आयातों पर भुगतान किया जाता है। अतः विदेशी विनिमय दर (जिस पर मुद्रा का विनिमय किया जाता है) आयातकों एवं निर्यातकों के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। क्योंकि

विदेशी विनिमय दरों में (फॉरेक्स दरें) प्रकृति में उतार–चढ़ाव होता रहता है, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों एवं विनियोजकों हेतु एक प्रमुख चिन्ता का कारण है। ब्याज दर वह प्रत्याय की दर है जिसे बैंकों एवं अन्य संस्थाओं में कोषों के निवेश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऋण ली गयी पूंजी व्यापारियों के लिये व्यावसायिक पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे इसे वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करते हैं और वे ब्याज को पूंजी कीलागत की तरह भुगतान करते हैं। ब्याज दरों में वृद्धि व्यावसायियों के लिये पूंजी को महंगा बना देती है, जो वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि के रूप में प्रतिबिम्बित होती है , जबकि न्यून ब्याज दरें अर्थव्यवस्था की निर्माणी एवं व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार अथवा वृद्धि को उत्पन्न करती हैं।

15.2 विदेशी विनिमय

विदेशी विनिमय में विदेशी मुद्राऐं, सरकारी बॉण्ड एवं प्रतिभूतियों और मूल्यवान धातुऐं जैसे स्वर्ण एवं चांदी सम्मिलित होती हैं। सरकारें विदेशी विनिमय के संचयों को अपने कोषागार में अपनी सांयोगिक आयात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रखती हैं और विदेशी विनिमय संचयों को फॉरेक्स दर को स्थिर बनाने में प्रयोग करती हैं।

विदेशी विनिमय बाण्ड और विदेशी मुद्राऐं विदेशी विनिमय संचय के प्रमुख संघटक हैं। विदेशी मुद्राऐं एवं बाण्ड धारक देश के लिये सम्पत्तियां हैं क्योंकि उनके मौद्रिक मूल्य की निर्गमनकर्ता देश के द्वारा गारण्टी दी जाती है।

सामान्यतया, विदेशी मुद्राऐं विदेशी विनिमय मानी जाती है। प्रत्येक सम्प्रभु सरकार की अपनी मुद्रा होती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था में परिचालन में होती है। विदेशी मुद्राऐं जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउण्ड, आस्ट्रेलियन डॉलर, जापानी येन, और यूरोपियन यूरो वह महत्वपूर्ण मुद्राऐं हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। बाजार, जहां पर मुद्राओं का विनिमय किया जाता है, विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जाना जाता है। इसे फॉरेक्स बाजार या मुद्रा (करेंसी) बाजार भी कहा जाता है। ऐसा प्रत्येक स्थान जहां मुद्राऐं परस्पर परिवर्तित की जाती है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहा जाता है। फॉरेक्स बाजार विश्व भर में फैला हुआ है। आजकल सूचना तकनीकी के युग में बाजार इलैक्ट्रानिक रूप में जुड़े गये हैं। यह एक वर्चुअल बाजार है जहां किसी भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यह कहीं भी विद्यमान होता है, जहां पर मुद्राओं का परिवर्तन किया जाता है। फॉरेक्स बाजार अधिकृत संगठित वाणिज्यिक बैंकों को एवं मुद्रा डीलरों के द्वारा परिचालित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था को तरलता प्रदान करते हैं। वे इस संबंध में कई मुद्राओं के पोर्टफोलियो को धारित करते हैं। वे उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार विदेशी मुद्राओं का क्रय एवं विक्रय करते हैं। विदेशी मुद्राओं में व्यापार बैंकों के लिये आय का एक प्रमुख स्रोत होता है। बैंक विद्यमान दरों पर मुद्राओं को प्रस्तावित करते हैं। वे क्रय करने हेतु बिड दरें तथा विक्रय हेतु ऑस्क दरें प्रस्तावित करते हैं। इस प्रकार वे फॉरेक्स व्यापारियों की सहायता करते हैं और फॉरेक्स बाजार को एक प्लेटफॉर्म या मंच प्रदान करते हैं।

उदाहरण :माना विनय अपने व्यवसाय के प्रवर्तन हेतु ब्रिटेन जाना चाहता है, तब उसे यात्रा, बोर्डिंग एवं लॉजिंग के व्ययो हेतु लंदन में ब्रिटिश पाउण्ड्स की

आवश्यकता होती है। इसके लिये वह उस बैंक में जायेगा जो विदेशी विनिमय में सौदे करने हेतु अधिकृत है। बैंक उसे एक विशिष्ट दर प्रस्तावित करेगा जिस पर वह ब्रिटिश पाउण्ड की एक इकाई का क्रय भारतीय मुद्रा की एक निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान के द्वारा **(जैसे रू0/पाउण्ड :74)** करता है। इस दर को फॉरेक्स दर कहा जाता है, जिस पर वह कई ब्रिटिश पाउण्ड क्रय कर सकता है। विदेशी विनिमय बाजार विदेशी मुद्रा की उपलब्धता प्रदान करते हैं जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रवर्तन हेतु सहायता करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्राओं का विनिमय संबंधित देशों की चालू क्रय शक्ति के आधार पर होता है। क्रय शक्ति से आशय वस्तु की मात्रा से है जिसे मुद्रा की एक दी हुई इकाई से क्रय किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी मुद्रा की क्रय शक्ति उस मुद्रा की वास्तविक शक्ति या मूल्य है जो बाजार में वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करती है। फॉरेक्स बाजार की अनोखी विशेषता यह है कि विक्रेता एक साथ एक क्रेता एवं साथ ही एक क्रेता एक विक्रेता होता है। व्यापारी एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा के विक्रय के द्वारा क्रय करता है अर्थात जब एक भारतीय फर्म अमेरिका अवस्थित आयातक को वस्तुओं का निर्यात करती है, तो वह विक्रय धनराशि के रूप में अमेरिकी डॉलर या भारतीय रूपया या अन्य तीसरी मुद्रा स्वीकार करती है। यदि यह अपना भुगतान अमेरिकी डॉलर में प्राप्त करती है तो उन डॉलरों को भारतीय रूपये में विनिमय करना पड़ता है। विनिमय प्रक्रिया में यह डॉलर बेचती है और रूपये को क्रय करती है।

सरकारें, केन्द्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, गैर सरकारी संगठन तथा व्यक्ति फॉरेक्स बाजार के प्रतिभागी होते हैं। सरकार इस बाजार में अंतर्राष्ट्रीय निवेश करने, अंतराष्ट्रीय ऋण लेने और सरकारी अभिकरणों के द्वारा निर्यात–आयात करने के द्वारा प्रतिभाग करती है।

विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंक फॉरेक्स दरों में स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिये विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय करते हैं। व्यापारी विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करने के लिये करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय करते हैं और वह कच्चा माल, अन्य वस्तुऐं एवं सेवाऐं विदेशों से क्रय करते हैं, इस प्रकार अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिये उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। कम्पनियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी अपने व्यावसायिक सौदों को निपटाने के लिये विदेशी मुद्राओं का क्रय एवं विक्रय करते हैं।

फॉरेक्स बाजार में व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों से प्रतिभाग करते हैं। व्यक्ति मुद्राओं का लेन देन एन0आर0आई0 भुगतान प्रेषणों, मौद्रिक उपहारों, दानों एवं पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने तथा विश्वभर में भ्रमणकर्ताओं को सुविधा देने हेतु करते हैं।

मुद्राओं को एक विशिष्ट दर पर विनिमय किया जाता है, जैसे फॉरेक्स दर विदेशी विनिमय दर प्रकृति में उच्चावचन वाली होती है, वह बाजार दशाओं पर लगाातार परिवर्तित होती रहती है। कुछ मुद्राऐं अपने मूल्यों में अधिक उच्चावचन वाली होती हैं जबकि कुछ अन्य में यह उतार चढ़ाव कम होता है। कम उच्चावचन वाली मुद्राऐं सुदृढ़ या मजबूत मुद्राऐं मानी जाती है और अधिक उच्चावचन वाली मुद्राऐं कमजोर मानी जाती हैं।

मुद्राओं में उच्चावचन का कारण बाजार शक्तियों में निहित होता है। जैसे फॉरेक्स बाजार इतना विशाल है कि अकेला सौदा मुद्राओं की दर को कम ही प्रभावित कर पाता है। किन्तु सौदों में सामूहिक रूप में समान प्रवृत्ति बाजार दर को परिवर्तित कर सकती है। यदि अमेरिकी डॉलर की बाजार में मांग अधिक है तो इसका मूल्य अन्य मुद्राओं के सापेक्ष बढ़ जायेगा और यदि अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो यह अन्य मुद्राऐं के सापेक्ष कम (ह्रासित) हो जायेगी।

मुद्रा की मांग एवं पूर्ति फॉरेक्स बाजार के प्रतिभागियों जैसे सरकारें, बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों, एफ0डी0आई0, एफ0आई0आई0, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और ऋणकर्ताओं की क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। निवेशक एवं ऋणकर्ता अंतर्राष्ट्रीय सौदों के निपटाने में मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ एल0एम0जे0 इण्टरनेशनल, इण्डिया ने 1 मिलियन डॉलर की चाय भेजी। इसके लिये उसे डॉलर में भुगतान प्राप्त हुआ। जब डॉलरों को रूपये में परिवर्तित कराया गया, तो इससे डॉलर की आपूर्ति हुई एवं रूपये की मांग उत्पन्न हुई।

15.2.1 फॉरेक्स बाजार के प्रकार :

फॉरेक्स बाजार दो प्रकार के होते हैं :

1. स्पॉट फॉरेक्स बाजार और
2. अग्रिम फॉरेक्स बाजार

स्पॉट फॉरेक्स बाजार :

वह बाजार है जहां मुद्राऐं स्पॉट पर लेन–देन का जाती हैं। इस बाजार में, वर्तमान में प्रचलित स्पॉट दरों पर कोई भी मुद्राऐं का विनिमय कर सकता है। वह दर जिस पर स्पॉट बाजार में स्पॉट दर पर मुद्राओं का व्यापार किया जाता है अर्थात इसे (एस) सिम्बल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पॉट कीमतें चालू बाजार रूक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्पॉट दरें निम्नवत् व्यक्त की जाती हैं :

एस (₹ / $) : 54.2376–54.2397

अग्रिम संविदा में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं :

(i) मुद्राओं के दो समूह,
(ii) सौदा की जाने वाली दो मुद्राओं की विशिष्ट मात्राऐं,
(iii) विशिष्ट दर जिस पर मुद्राओं का सौदा किया जाना है,
(iv) मुद्राओं के सौदे की भावी विशिष्ट तिथि।

उदाहरणार्थ :

मैसर्स सावित्री फर्टीलाइजर्स उधार के आधार पर अमेरिकी कम्पनी से 1 जनवरी 2012 को 1,00,000 डालर में सामग्री का निर्यात किया। स्पॉट दर 50.4563 रू0/$ है। यह प्रत्याशित है कि भुगतान 3 माह बाद 31 मार्च, 2012 को प्राप्त किया जायेगा। क्योंकि किसी भावी तिथि की विनिमय दर का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अतः निर्यातक लेन–देन की तिथि को रूपये के अर्न्तप्रवाह के संबंध में असमंजस में रहेगा।

शुद्ध अंर्तप्रवाह डॉलर के सापेक्ष रूपये के मूल्य में वृद्धि/कमी पर निर्भर करेगा। यदि रूपये में वृद्धि होगी तो इससे फॉरेक्स हानियां या इसके विपरीत

परिणाम उत्पन्न होगा। इस अनिश्चितता से बचने के लिये एक प्रबंधक बैंक के साथ एक अग्रिम संविदा कर सकता है। जिसमें वह अग्रिम विनिमय दर को निश्चित कर सकता है।

अग्रिम संविदा निम्नवत् हो सकती हैं –

सौदा	:	1,00,000 लाख डालर रूपये हेतु
अग्रिम दर	:	52.7535 रू0/$
सौदे की तिथि	:	31/03/2012
पक्षकार	:	मैसर्स सावित्री फर्टीलाइजर्स एवं एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0

दोनों पक्षकार संविदा का सम्मान करेंगे और कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना संविदा को भंग नहीं कर सकता है। यदि, एक पक्षकार संविदा का सम्मान करने से मना कर देता है, तो दूसरा पक्षकार संविदा कानून के अंतर्गत न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। अग्रिम संविदाऐं भावी मुद्रा सौदों हेतु लाभप्रद होती है। क्योंकि भावी विनिमय दर अनिश्चित होती है, अतः कोई भी भावी शुद्ध प्रप्तियों/भुगतानों के विषय में निश्चित नहीं हो सकता है। अग्रिम संविदा के माध्म से एक व्यक्ति भावी सौदों हेतु मुद्रा दरें निश्चित कर सकता है और अनिश्चिततासे बच सकता है।

15.2.2 विदेशी विनिमय बाजार की कियाऐं

विदेशी मुद्रा में व्यापार फोरेक्स बाजार की मुख्य क्रिया है। विभिन्न व्यापारी भिन्न भिन्न उद्देश्यों से प्रतिभाग करते हैं। प्रतिभागी प्रायः मुद्राओं का क्रय एवं विकय अपने भुगतानों की आवश्यकताओं के निपटारे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विनियोगों एवं ऋणों के लिये करते हैं। भुगतानों के निपटारे की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, कुछ व्यापारी अन्य उद्देश्यों के लिये भी व्यापार की कियाऐं करते हैं। यह क्रियाऐं हैं :

(i) हैजिंग अथवा विनिमय दरों के परिवर्तन के जोखिम से सुरक्षा

(ii) सट्टा एवं

(iii) आर्बिटेजिंग या दो बाजारों में मौद्रिक अंतरों लाभ अर्जित करना

हैजिंग :

फॉरेक्स दरों में परिवर्तन की जोखिम को आच्छादित करने के उद्देश्य से दिये गये मुद्रा के व्यापार को हैजिंग के नाम से जाना जाता है और ऐसे व्यापारियों को हैजर्स कहा जाता है। क्योंकि फॉरेक्स दरें उच्चावचन से परिपूर्ण होती है उनसे फॉरेक्स लाभ या हानियां हो सकती हैं। इस अनिश्चितता से बचने के लिये हैजर्स विभिन्न हैजिंग तकनीकों जैसे अग्रिम संविदा, भावी संविदा, विकल्प संविदा, स्वैप या मुद्रा बाजार हैजिंग आदि को अपने फॉरेक्स जोखिम से सुरक्षा के लिये अपना सकते हैं।

सट्टा :

फॉरेक्स बाजार में सट्टा लगाने की कियाऐं दूसरी प्रमुख कियाऐं हैं। सट्टा लगाने वाले व्यापारी कुछ मुद्राओं में विनियोग मुद्रा के मूल्य में प्रत्याशित वृद्धि के लिये करतें हैं। यदि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तो उन्हें लाभ होता है

अथवा इसके विपरीत स्थिति होती है। इसमें दृष्टिकोंण मुद्रा की दरों में वृद्धि या कमी से अल्पकालीन लाभ कमाना है।

आरबिट्रेजिंग :

इसे दो बाजारों में किसी वस्तु के कीमतों में अंतरों का लाभ लेने के द्वारा अपनी प्राप्तियों को सुरक्षित करने के रूप में समझा जा सकता है। मुद्रा आर्बिट्रेज किसी एक समय बिन्दु पर दो बाजारों में समान मुद्रा की कीमत में विद्यमान अंतरों से लाभ उठाना है। आर्बिट्रेज दो बाजारों में मुद्रा की कीमतों में अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्रेजर उस बाजार से मुद्रा क्रय करते हैं, जहां मुद्रा सस्ती होती है और मुद्रा को उस बाजार में बेचते हैं, जहां मुद्रा महंगी होती है इस प्रकार वे जो लाभ प्राप्त करते हैं उसे आर्बिट्रेज लाभ कहा जाता है। यदि फॉरेक्स बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार है और इलैक्ट्रोनिक प्रणाली से जुड़ी हुई है। सभी फॉरेक्स बाजारों में एक समय में समान मुद्रा की ही कीमत विद्यमान रहती है। किन्तु अल्पकाल में विशिष्ट मुद्रा की एक बाजार में अधिक आपूर्ति और अल्पकालीन अधिक मांग के कारण अथवा सम्प्रेषण गैप (रिक्त) के कारण एक बाजार में मुद्राओं की कीमतें अन्य बाजारों की तुलना में भिन्न हो सकती हैं।

15.2.3 विदेशी विनिमय दरें एवे मूल्य–दर उद्धरण :

फॉरेक्स दर वह दर है, जिस पर मुद्राऐं एक दूसरे के साथ सौदे के द्वारा विनिमय की जाती है। यह एक मुद्रा की एक इकाई का दूसरी मुद्रा के एक इकाई के बीच अनुपात होता है। फॉरेक्स दर को निम्नांकित ढंग से लिखा जाता है :

रू0 / \$= रू0 53.1675

या\$ 1 = रू0 53.1675

फॉरेक्स दर में प्रत्येक दर में दशमलव के बाद चार अंक सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त दर यह बताती है कि 1 डालर, रू0 53.1675 के समान है। यहां पर सिम्बल (रू0 / \$) में, हर (डिनोमिनेटर) में दी गयी मुद्रा को इकाई मुद्रा माना जाता है। क्योंकि अंश (न्यूमरेटर) में दी गयी मुद्रा की हर (डिनोमिनेटर) में दी गयी मुद्रा के सापेक्ष तुलना की जाती है। मुद्राओं के विभिन्न समूहों के लिये बैंक विभिन्न फॉरेक्स दर प्रस्तावित करती है। क्योंकि बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय करते हैं। वे दो दरें प्रस्तावित करते हैं– एक मुद्रा को क्रय करने के लिये दूसरी उसी मुद्रा के विक्रय के लिये अर्थात –

एस(रू0 / \$) = 53.1675 – 54.565

(बिड दर) (ऑस्क दर)

बिड दर वह दर होती है जिस पर बैंक इकाई मुद्रा (उपरोक्त दर में डॉलर) को क्रय करने हेतु तैयार रहते हैं और **ऑस्क दर** वह दर होती है, जिस पर बैंक इकाई मुद्रा (उपरोक्त दर में डॉलर) को बेचने के लिये तैयार रहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में, डालर की एक इकाई की रूपये की एक इकाई से तुलना की गयी है। बैंक डॉलर को बिड दर (रू0 / \$: 53.1675) पर क्रय करेंगे और बैंक इकाई मुद्रा को ऑस्क दर (रू0 / \$ 54.5650) पर विक्रय करेंगे। ऑस्क दर सदैव बिड दर से अधिक होती है। दोनों दरों के बीच अंतर को फैलाव (स्प्रैड) कहा जाता है। **स्प्रैड** विभिन्न मुद्राओं के समूह के लिये भिन्न भिन्न हो सकता है। यह सुदृढ़ मुद्रा

के संबंध में कम होना प्रत्याशित होता है जबकि स्प्रैड कमजोर मुद्राओं के संबंध में उच्चतर होता है। स्प्रैड की प्रतिशत के रूप में निम्नवत् गणना की जा सकती है :

स्प्रैड प्रतिशत = ऑस्क दर – बिड दर x 100 / ऑस्क दर

फॉरेक्स दर स्पॉट एवं अग्रिम बाजार हेतु पृथक रूप से प्रस्तावित की जाती हैं। स्पॉट बाजार में दरें निम्नवत् दिखायी जाती हैं:

एस (रू0 / $) : 51.6560 – 52.7870

सिम्बल **एस** (रू0 / $) स्पॉट बाजार को व्यक्त करता है।

अग्रिम बाजार दरें भावी लेन–देनों के लिये बैंकों या अधिकृत मुद्रा डीलरों के द्वारा प्रस्तावित दरें होती हैं।

एफ0 1 माह (रू0 / $) = 51.6560 – 52.7870

(1 माह अग्रिम दर) 1 $= रू0 51.6560 – 52.7870

अग्रिम दर को बिड और ऑस्क दर की तरह लिखा जाता है। उपरोक्त दर में बैंक एक डॉलर रू0 51.6560 (बिड दर) पर क्रय करने की दर प्रस्तावित करता है और 1 डालर रू0 52.7870 (ऑस्क दर) पर विक्रय करने की दर प्रस्तावित करता है।

कभी कभी दरों के उद्धरण को संक्षेप में इस प्रकार लिखा जाता है :

एस (रू0 / $) : 52.3835 – 3895 या

एस (रू0 / $) : 52.3835 – 95

इसका अर्थ यह है कि वास्तविक मूल्य उद्धरण **एस** (रू0 / $) : 52.3835 – 52. 3895 है।

यह समझा जा सकता कि मूल्य उद्धरण के अंतिम अंक (अर्थात दो या चार) ऑस्क दर के अंतिम अंकों को प्रदर्शित करते हैं और ऑस्क दर के शेष अंक बिड दर के समान होते हैं।

अग्रिम बाजार में, मूल्य उद्धरण को निम्नवत् लिखा जाता है –

एफ0 1 माह (रू0 / $) : 54:3835 – 55.8680

एफ0 2 माह (रू0 / $) : 54.4560 – 56.9192

एफ0 6 माह (रू0 / $) : 55.1020 – 56.1375

एफ0 (रू0 / $) चिह्न अग्रिम बाजार मूल्य उद्धरण को प्रदर्शित करता है। पूर्व उल्लिखित समय जैसे 1 माह या 2 माह या 6 माह आज से भविष्य में लेन–देन की तिथि को दिखाता है। जैसे (1 माह) **एफ(**रू0 / $) : 54.3835 – 55.8680 आज से 1 माह तक की अग्रिम दर है।

आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, **"भावी तिथि की दर आज कैसे निर्धारित होती है"?** उत्तर यह है कि अग्रिम दरें किसी निर्दिष्ट तिथि को स्पॉट दर नहीं होती है। स्पॉट दर दैनिक आधार पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की दशाओं से निश्चित होती है। अतः, भावी तिथि पर मुद्रा की भावी मांग और पूर्ति सही रूप में परिमाणित नहीं की जा सकती है किन्तु अग्रिम दर संविदारत पक्षकारों के बीच मुद्राओं की पारस्परिक सहमत कीमत होती है। इस कीमत को उस मुद्रा की भावी प्रत्याशित मांग एवं पूर्ति के आधार पर उस तिथि को अवलोकित किया जाता है।

अग्रिम संविदाऐं भावी मुद्रा लेन–देनों के लिये लाभप्रद होती हैं। जिस प्रकार भावी विनिमय दर अनिश्चित होती है, इस कारण कोई भी अपनी भावी शुद्ध प्राप्तियों या

भुगतानों के विषय में सुनिश्चित नही हो पाता है। अग्रिम संविदाओं के माध्यम से एक व्यक्ति भावी लेन–देनों हेतु मुद्रा की दर निश्चित कर सकता है और अनिश्चितता से बच सकता है।

फॉरेक्स मूल्य उद्धरण :

फॉरेक्स बाजार में दो प्रकार के मूल्य उद्धरण होते हैं – प्रत्यक्ष उद्धरण एवं अप्रत्यक्ष उद्धरण। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेक्स दर दो मुद्राओं के मूल्यों का मूल्यांकन या तुलना है। अतः, यह एक मुद्रा की एक इकाई तथा दूसरी अन्य मुद्रा की एक इकाई के बीच का अनुपात है। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा की एक इकाई को घरेलू मुद्रा की एक इकाई को विदेशी मुद्रा की एक इकाई से तुलना की जा सकती है।

प्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण :

प्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण में विदेशी मुद्रा की एक इकाई को घरेलू मुद्रा की एक इकाई के साथ तुलना की जाती है।

उदाहरणार्थः

दिल्ली बाजार में,

एस (रू0 / $) : 51.6550 – 52.1565

यह एक प्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण है जहां विदेशी मुद्रा की एक इकाई (डॉलर) को घरेलू मुद्रा की एक इकाई (रूपये) से तुलना की गयी है।

अप्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण :

अप्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण में, घरेलू मुद्रा की एक इकाई की विदेशी मुद्रा की एक इकाई के साथ तुलना की जाती है।

उदाहरणार्थ–

दिल्ली बाजार में,

एस($/रू0) : 0.01212–0.0214

यह एक अप्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण है क्योंकि घरेलू मुद्रा की ण्क इकाई (रू0) की तुलना विदेशी मुद्रा की एक इकाई (डालर) से की गयी है।

15.2.4 विपरीत मूल्य उद्धरण की तरह रूपांतरण करना

विपरीत उद्धरण का अर्थ दिये गये मूल्य उद्धरण का विपरीत है। जैसे – प्रत्यक्ष उद्धरण, अप्रत्यक्ष उद्धरण का विपरीत उद्धरण है और अप्रत्यक्ष उद्धरण, प्रत्यक्ष उद्धरण का विपरीत मूल्य उद्धरण है। प्रत्यक्ष उद्धरण को इसके विपरीत अथवा अन्यथा परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ :

1. एस (रू0 / $) : 51.3245 मुम्बई फॉरेक्स बाजार के लिये एक प्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण है। इसे मुम्बई फॉरेक्स बाजार के लिये अप्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण में निम्नांकित के द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है :

   एस($/रू0) = 1 / 51.3245 = 0.0195

2. यदि मुम्बई फॉरेक्स बाजार के लिये प्रत्यक्ष मूल्य उद्धरण

   एस (रू0 / $) : 51.3245–52.3456 की तरह है। इसके विपरीत उद्धरण को मुम्बई फॉरेक्स बाजार हेतु निम्नवत् दिखाया जायेगा :

   एस($/रू0) = 1 / 51.3456–1 / 51.3245

एस($/रू0) = 0.0191–0.0195

15.2.5 आड़ी या क्रास दरें :

प्रायः मुद्राओं की दर को कुछ मुद्राओं में ही दिखाया जाता है। अन्य मुद्राओं के लिये मुद्रा दरें आड़ी या क्रास दरों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। क्रास दरें वह मुद्रा दरें होती हैं जो मुद्राओं के मूल्य उद्धरण से निम्नवत् ज्ञात की जा सकती है–

उदाहरणार्थ :

एस(£/€) : 0.6534 – 0.6887

एस(रू0/€) : 65.8975 – 66.0341

उपर्युक्त उद्धरणों से एस(रू0/£) के बीच मूल्य उद्धरण (दरें) ज्ञात की जा सकती है :

अर्थात एस(रू0/£) की बिड दर = बिड दर एस(रू0/€) / ऑस्क दर एस(£/€) = 65.8975 / 0.6887= 95.68389

एस(रू0/£) की ऑस्क दर = ऑस्क दर एस(रू0/€) / बिड दर एस (£/€) = 66.0341 / 0.6534 = 101.06228

अतःएस(रू0/£) : 95.68389 – 101.06228

15.2.6 मुद्रा डैरीवेटिव्स या व्युत्पादक

डैरीवेटिव्स या व्युत्पादक वित्तीय उपकरण का मूल्य है जिसे संबंधित रखी गयी सम्पत्ति से व्युत्पादित किया गया है। मुद्रा व्युत्पादक जैसे मुद्रा फ्यूचर एवं मुद्रा ऑप्सन वित्तीय व्युत्पादक संविदाऐं हैं। उनका मूल्य उनके पीछे रखी गयी मुद्रा के आधार पर निर्धारित होता है। मुद्रा व्यापार का लक्ष्य जोखिम को न्यूनतम करना है। अग्रिम संविदा बाजार और मुद्रा बाजार हैजिंग ओवर द काउन्डर (ओ0टी0सी0) बाजार हैजिंग क्रियाऐं हैं। मुद्रा व्युत्पादक विनिमय आधारित मुद्रा व्यापार उपकरण हैं। मुद्रा व्युत्पादकों को फॉरेक्स जोखिम से सुरक्षा (हैजिंग) के लिये विपरीत स्थिति लेकर उपयोग किया जाता है। भारत में यू.एस.डी.–आई.एन.आर., ई0यू0आर0–आई0एन0आर0, जी0बी0पी0–आई0एन0आर0 और जे0पी0वाई0–आई0एन0आर0 वस्तु एवं मुद्रा विपणियों में उपलब्ध हैं।

15.2.7 व्यापार एवं निवेश प्रवाहों पर विदेशी विनिमय का प्रभाव

व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर विदेशी विनिमय के प्रभावों को निम्नांकित से समझाया जा सकता है :

1. अंतर्राष्ट्रीय लेन–देनों के लिये मुद्रा का चुनाव मुद्रा के स्थायित्व पर निर्भर करता है।
2. घरेलू मुद्रा का बढ़ा हुआ मूल्य सस्ते आयातों की सुविधा देता है।
3. घरेलू मुद्रा के ह्रासित मूल्य से निर्यातों में करेन्सी विनिमय लाभ होता है।
4. फॉरेक्स बाजार में करेन्सी की उच्च मात्रा से करेन्सी मूल्यों में अधिक स्थिरता आती है।
5. मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार व्यापारियों एवं निवेशकों को फॉरेक्स जोखिम के प्रति सुरक्षा में सहायता करता है। किन्तु, साथ ही मुद्रा फ्यूचर्स संविदाऐं मानक संविदाओं के साथ मुद्राओं के सीमित समूहों में उपलब्ध होती है।

6. विदेशी निवेशक मुद्रा का विनियोग प्रत्याय प्राप्त करने तथा उस प्रत्याय को वापस अपने गृह देश में परिपक्वता पर ले जाने हेतु करते हैं। यदि स्थानीय मुद्रा (मुद्रा जिसमें निवेश किया गया है) ह्रासित होती है, तो इससे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विनियोगों से शुद्ध प्रत्याय कम होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विनियोक्ता मुद्राओं में विनियोग भविष्य में इनके मूल्य में वृद्धि की प्रत्याशा से करते हैं।

15.3 व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर ब्याज दरों का प्रभाव

ब्याज दर वह दर है जो बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में जमाओं पर अर्जित की जाती है। दूसरी ओर बैंक एवं अन्य उधारों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक संवृद्धि में ब्याज दर एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। घरेलू व्यवसाय का विकास, बाण्डों पर प्रत्याय, प्रतिभूतियों के बाजार से प्रत्याय और विदेशी विनियोग मुख्यतया अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों पर निर्भर करते है। ब्याज दर बाजार में पूंजी की मांग एवं पूर्ति के अनुसार निश्चित होती है। पूर्ति पक्ष मुख्यतः बचतों की दर पर आधारित होता है एवं मांग देश की उद्यमिता एवं विकास क्रियाओं पर आधारित होती है। केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से देश में मौद्रिक स्थिरता तथा स्थायी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ब्याज दरें मौद्रिक नीति के आवश्यक उपकरण हैं जिन्हें रैपोरेट, रिवर्स रैपोरेट, नकद कोषानुपात (सी0आर0आर0), वैधानिक तरल कोषानुपात (एस0एल0आर0) तथा बैंक दर के माध्यम से नियमन किया जाता है। व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर ब्याज दरों का मुख्य प्रभाव निम्नवत् है –

1. ब्याज दरें पूंजी की लागत एवं व्यापार की मात्रा को निर्धारित करती है। ब्याज की निम्न दरें व्यवसाय के प्रति न्यून लागत पर वित्तीय एवं न्यून उत्पादन लागत में सहायक होती है। वस्तु एवं सेवाऐं ग्राहकों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर प्रस्तुत की जाती है, जिससे व्यापार की मात्रा में वृद्धि होती है।
2. न्यून ब्याज दरें लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करती है। लोग बैंकों से न्यून लागत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में उत्पादन पर व्यय कर सकते हैं, जिससे उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है।
3. निर्यातक भी न्यून ब्याज दरों से लाभ प्राप्त करते हैं क्योंकि सस्ती वित्त आपूर्ति से उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादित करने की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति प्राप्त होती है।
4. पूंजी आधारभूत व्यावसायिक संसाधनों में से एक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सस्ते वित्तीयन सस्ते श्रम एवं संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास की तलाश में अपनी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करती है। इस प्रकार, सस्ता वित्त एवं श्रम उपलब्ध कराने वाले देशों का व्यवसाय अपेक्षाकृत तीव्र दर से विकसित होता है।
5. विकासशील देशों में व्यवसायिक संवृद्धि एवं विकास का अपार क्षेत्र होता है। विकासशील देशों की जी0डी0पी0 वृद्धि दर तीव्र गति से वृद्धिमान होती हुई अवलोकित की जा रही है। ब्रिक्स (बी0आर0सी0एस0) देशों (भारत, चीन, ब्राजील, रूस और दक्षिणी अफ्रीका) की विकास दर अन्य

विकसित देशों की विकास दर से काफी अधिक है। उच्चतर विकास दर व्यावसायिक संसाधनों के साथ–साथ देश में पूंजी की उच्चतर मांग का प्रतीक है। उच्चतर मांग से विनियोजको के द्वारा आपूर्ति की गयी पूंजी की कीमतों में भी वृद्धि होती है। अतः उन्हें विनियोजित पूंजी से अधिक प्रत्याय प्राप्त करने के अवसर इन तीव्र विकासमान अर्थव्यवस्थाओं में प्राप्त होते हैं।

6. उच्चतर ब्याज दरें (प्रत्याय की दरें) विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करती हैं। विदेशी विनियोग विदेशी संस्थानात्मक विनियोग (एफ0आई0आई0) एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ0डी0आई0) के रूप में हो सकता है।

विदेशी संस्थानात्मक निवेश वह निवेश है जो विदेशी निवेश अभिकरण किसी अन्य देश के स्टॉक बाजार में विनियोग के द्वारा करते हैं। इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश की अनुमति नहीं है। केवल पंजीकृत विदेशी संस्थानात्मक निवेशक ही ऐसा निवेश कर सकते हैं। जब विदेशी निवेशक विकासशील देशों की विकास प्रक्रिया में प्रतिभाग करना चाहते हैं और प्रत्याय की उच्च दरों के रूप में इसके विकास का लाभ लेना चाहते हैं, वे एफ0आई0आई0 के साथ निवेश करते हैं।

एफ0आई0आई0 विनियोग में, कोषों को विदेशी कम्पनियों में निवेश किया जाता है। बाजार पेशेवर विशेषज्ञ मंदी बाजार में निवेश के सही समय की पहचान करते हैं और तेजी के बाजार में उपयुक्त समय में वे अपने निवेश को बेच देते हैं। इस प्रकार वे बाजार की गतिशीलता का लाभ उठाते हैं। इस प्रसंग में, आधारभूत एवं तकनीकी विश्लेषण दो प्रमुख विश्लेषण हैं :

एफ0डी0आई0 विनियोग अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा विदेशी स्थानों पर व्यावसायिक परिचालनों को प्रारम्भ करने एवं नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा से किये जाते हैं। एफ0डी0आई0 विनियोगों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं– जैसे बाजार प्राप्त करना, संसाधनों को प्राप्त करना, सस्ती पूंजी, सस्ता श्रम एवं आर्थिक स्थायित्व की तलाश आदि। एफ0डी0आई0 विभिन्न प्रारूपों में जैसे 100%पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां, संयुक्त उपक्रम, विलयन एवं अधिग्रहण आदि में की जाती है।

7. विकासशील देशों में प्रायः पूंजी की कमी होती है। एफ0डी0आई0 और एफ0आई0आई0 विनियोक्ता अपनी पूंजी का निवेश अधिक प्रत्याय अर्जित करने के लिये करते हैं, किन्तु साथ–साथ उन्हें अपने कोषों की सुरक्षा एवं तरलता की चिन्ता भी होती है। आयोजक देश का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को अंतर्राष्ट्रीय विनियोग निर्णयों को लेते समय गहन रूप में जांच की जानी चाहिये।

8. दो देशों की ब्याज दरें मुद्राओं की सापेक्षिक विनिमय दरों को निर्धारित करती है। ब्याज दरों में अंतरों से ब्याज दर आर्बिट्रेज के अवसरों का सृजन होता है और ब्याज आर्बिट्रैजर्स सक्रिय रूप में मुद्राओं को कम ब्याज दरों वाले देशों से उधार लेकर उन देशों में विनियोग करते हैं, जहां

ब्याज दरें अधिक होती हैं, बशर्ते कि मुद्रा जोखिम की तद्नुसार पहचान की जाती है।

15.4 सारांश

इस अध्याय में हमने विनिमय दरों और ब्याज दरों के महत्व और व्यापार एवं विनियोग प्रवाहों पर उनके प्रभावों को समझाया है। क्रय शक्ति का मुद्रा के दो समूहों के विनिमय के माध्यम से प्रतिभागियों के मध्य लेन–देन किया जाता है। दो प्रकार के मौद्रिक बाजार होते हैं– स्पॉट और अग्रिम फॉरेक्स बाजार। विनिमय दरें और ब्याज दरें एक देश में व्यापार एवं विनियोग प्रवाह के मुख्य निर्धारक हैं। घरेलू व्यवसाय का विकास, बाण्ड्स पर प्रत्याय, प्रतिभूति बाजार एवं विदेशी पूंजी से प्रत्याय मुख्यतया अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों पर निर्भर करते हैं।

15.5 शब्दावली

उच्चावचन–तीव्र उतार चढ़ाव

एन0आर0आई0 प्रेषण– विदेशों में काम करने वाले भारतीय निवासियों के द्वारा भारत में अपने संबंधियों एवं परिचितों को प्रेषित धनराशियां/कोष

आयोजक देश– विदेशी राष्ट्र की सरकार जहां कम्पनी के विदेशी परिचालन अवस्थित हैं।

गृह देश– कम्पनी के स्थानीय देश की सरकार

ब्लाक की गयी कोषों की जोखिम– आयोजक देश की सरकार के द्वारा देश से कोषों के स्थानांतरण पर वैधानिक नियमन

ब्याज दर आर्बिट्रेजिंग –दो देशों में ब्याज दर अंतरों का लाभ उठाना, कम ब्याज दरों पर उधार लेना और उच्चतर व्याज दरों पर निवेश करना।

एफ0डी0आई0– विदेशी प्रत्यक्ष निवेश,

एफ0आई0आई0– विदेशी संस्थानात्मक निवेश,

जी0डी0पी0– सकल घरेलू उत्पाद,

सी0आर0आर0– नकद कोषानुपात,

एस0एल0आर0– वैधानिक तरल कोषानुपात

15.7 बोध प्रश्न

सत्य/असत्य बताइए ।

1. वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था को तरलता प्रदान करते हैं।
2. विदेशी मुद्राओं में व्यापार बैंकों के लिये आय का एक प्रमुख स्रोत होता है।
3. स्पॉट बाजार में, वर्तमान में प्रचलित दरें पर कोई भी मुद्राऐं विनिमय कर सकता है।
4. फॉरेक्स दर एक मुद्रा की एक इकाई तथा दूसरी अन्य मुद्रा की एक इकाई के बीच का अनुपात है।
5. ब्याज दर बाजार में पूंजी की मांग एवं पूर्ति के अनुसार निश्चित होती है।
6. न्यून ब्याज दरें लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं करती है।
7. विकासशील देशों में प्रायः पूंजी की कमी होती है।
8. दो देशों में ब्याज दर अंतरों का लाभ उठाना आर्बिट्रेजिंग कहलाता है।

15.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. सत्य 5 सत्य 6. असत्य 7. सत्य 8. सत्य

15.9 स्वपरख प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

1. विदेशी विनिमय से आप क्या समझते हैं?
2. विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? फॉरेक्स बाजार के प्रकारों को समझाइये।
3. मुद्राओं के बीच सट्टा, हैजिंग एवं आर्बिट्रेजिंग में अंतर कीजिये।
4. विनिमय दर उच्चावचनों के कारण बताइये।
5. अग्रिम संविदा क्या है? मुद्रा व्यापारियों के लिये अग्रिम संविदा कैसे लाभप्रद है?
6. बिड और ऑस्क दरें क्या हैं? उदाहरण दीजिये।
7. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फॉरेक्स दर मूल्य उद्धरण क्या हैं?
8. एस(रू0/$) : 51.8975, नई दिल्ली फॉरेक्स बाजार का यह प्रत्यक्ष उद्धरण हैं। इसे विपरीत मूल्य उद्धरण में रूपांतरित कीजिये।
9. एस(£/€) : 0.6334 – 0.6887, क्या यह पेरिस के लिये एक अप्रत्यक्ष उद्धरण है? इसे विपरीत मूल्य उद्धरण में रूपांतरित कीजिये।
10. आड़ी दरों से आप क्या समझते हैं?

वर्णनात्मक प्रश्न :

1. फॉरेक्स बाजार की क्या भूमिका है? इसके प्रकारों तथा फॉरेक्स बाजार के प्रतिभागियों का वर्णन कीजिये।
2. ब्याज दरों एवं विनिमय दरों का देश के व्यापार प्रवाहों पर प्रभाव की विवेचना कीजिये।

15.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. शैपाइरो एलेन, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, प्रैन्टिस हॉल आफ इण्डिया प्रा0 लि0
2. विज मधु, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, एक्सैल पब्लिकेशन्स
3. भल्ला वी0के0 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, अन्मोल पब्लिकेशन्स
4. आप्टे पी0जी0 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिकेशन्स
5. इयन एण्ड रैनसिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिकेशन्स
6. सरन, वी0, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमैंट, हिमालया पब्लिशिंग हाउस
7. सुकुमार नन्दी : फारेन एक्सचेन्ज मार्केट एण्ड एक्सचेन्ज रेट मूवमैन्ट – इंटरनेशनल बिजनैस इन्वायरमैन्ट : टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिकेशन्स
8. शर्मा , सोमनाथ : एन इम्पीरिकल एनालिसिस ऑफ रिलेशन्सिप बिटवीन करेन्सी फ्यूचर्स एण्ड एक्सचेन्ज रेट वोल्टैरिटी इन इण्डिया, डब्लयू0पी0एस0 1/2011.

इकाई 16 अंतराष्ट्रीय लेखांकन एवं करारोपण मुद्दे

इकाई की रूपरेखा

16.1 प्रस्तावना
16.2 अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन
16.2.1 विदेशी मुद्रा लेन–देनों के लिये लेखांकन
16.2.2 विदेशी परिचालनों के लिये लेखांकन
16.3 अंतर्राष्ट्रीय करारोपण
16.3.1 अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण के आधारभूत सिद्धान्त
16.4 सारांश
16.5 शब्दावली
16.6 बोध प्रश्न
16.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
16.8 स्वपरख प्रश्न
16.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन की अवधारणा को समझ सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन से संबंधित मुद्दों का वर्णन कर सकेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय करारोपण एवं संबंधित मुद्दों की व्याख्या कर सकें।

16.1 प्रस्तावना

वैश्वीकरण से विश्व के अनेक देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं के दरवाजे विदेशी व्यापार एवं विनियोगों हेतु खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है। जैसे–जैसे व्यवसाय सीमा पार विस्तारित हुआ है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने वैशविक स्तर पर स्वीकृत लेखांकन, अंकेक्षण एवं करारोपण मानकों को अधिकाधिक रूप में अपनाने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की है। विश्व के प्रमुख पूंजी बाजारों ने वैश्विक रूप में स्वीकृत लेखांकन मानकों को एकल समूह के प्रति एकीकृत करने पर जोर दिया है। उच्च गुणवत्तापूर्ण वैश्विक रूप में संगत एवं सामान्य रूप से अधिनियमित लेखांकन मानक समय की आवश्यकता है। यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन की अवधारणाओं, विश्वस्तर पर इस प्रकरण में कार्यरत संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय करारोपण प्रणाली पर केंद्रित है।

लेखांकन की भाषा के रूप में वित्तीय अभिलेखों को तैयार एवं रखरखाव करने तथा उनके परिणामों को व्यवसाय की क्रियाओं में रूचि रखने वाले पक्षकारों को सम्प्रेषित करने की प्रणाली की तरह कार्य करती है। लेखांकन प्रणाली में नियमों, सिद्धांतों एवं परम्पराओं के विशिष्ट नियमों के समूह सम्मिलित होते हैं, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किये जाते हैं। वित्तीय विवरण एक दिये हुए समय की समाप्ति पर व्यवसाय के परिचालनों के परिणामों को प्रदर्शित करने तथा उसी अवधि की अंतिम तिथि पर वित्तीय स्थिति को दर्शाने में उपयोग किये जाते हैं। जैसे लाभ एवं हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा (लेखांकन अभिलेखों को तैयार करने एवं उनको अंतिम स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया को सामान्यतया एक

राष्ट्र की दशा में मानकीकृत करने के लिये एक वैधानिक संस्था अधिकृत होती है।) भारत में यह 'भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान', (आई0सी0ए0आई0) और अमेरिका में फाइनेंसियल एकाउण्टिंग स्टैण्डर्ड बोर्ड (एफ0ए0एस0बी0) है।

16.2 अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन

अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन से आशय लेखांकन की उस शाखा से है जो विदेशी लेन देनों के अभिलेखन एवं रूपान्तरण, विदेशी वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सामान्यतया स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण का कार्य करता है।

"अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों, अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के परिचालनात्मक पक्षों विदेशी राष्ट्रों और कार्यविधियों, जिनसे वह स्थापित की गयी है में पाये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों एवं कार्य पद्धतियों की तुलना से संबंध रखता है।" (इवांस, टी0जी0टेलर, एम0ई0 एवं हॉल्ज मैन) ।

'यह विभिन्न आयामों जैसे विदेशी मुद्रा के लेन देनों के अभिलेखन मुद्राओं के परिवर्तन/रूपांतरण, एकीकरण, मूल्य परिवर्तन हेतु लेखांकन, विदेशी वित्तीय प्रतिवेदन एवं प्रकटीकरण, अंतर्राष्ट्रीय करारोपण, पर्यावरण लेखांकन, डेरीवेटिव व्यापार और लेखांकन कार्य विधियों के सामंजस्यीकरण को आच्छादित करता है।' (महापात्रा, ए0के0 दास) अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन सीमा पार वित्तीय लेन देनों में संलग्न कम्पनियों के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विभिन्न देशों की लेखांकन पद्धतियों की समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि –

(i) लेखांकन कार्यविधियों के संबंध में राष्ट्रों के मध्य अंतर है।

(ii) स्फीति दरों में अंतर है।

(iii) विभिन्न मुद्राओं में लेन देनों में अंतर है।

(iv) फॉरेक्स दरों में उच्चावचन होता है।

लेखांकन कार्यविधियों में अंतर विभिन्न देशों में अपनाये जा रहे विभिन्न लेखांकन मानकों और पद्धतियों में अंतर के करण है। उदाहरणार्थ– विभिन्न एकीकरण कार्य–विधियां, विभिन्न अंकेक्षण मानक, विभिन्न ह्रास कार्य–विधियां और स्फीति समायोजन के लिये विभिन्न पद्धतियां इत्यादि।

विश्व व्यापार में अपार वृद्धि हुई है। सीमा पार अंतर्कम्पनी लेन–देनों, सीमा–पार विनियोगों और ऋणों में उच्च मात्रा में वृद्धि हुई है। लेखांकन कार्य–विधियों में विविधता से वित्तीय प्रतिवेदन एवं उनको समझने में समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक विभिन्न विदेशी लेखांकन सिद्धांतों में समुचित ज्ञान नही प्राप्त कर सकता है, अतः उसे उस देश के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेखांकन मानकों का सामन्जस्यीकरण समय की आवश्यकता है। सामंजस्यीकरण से आशय विभिन्न देशों में लेखांकन सिद्धांतों और पद्धतियों में समानता से है। यह विश्वव्यापक स्तर पर लेखांकन प्रणालियों में विविधताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। लेखांकन पद्धतियों के गम्भीर विचलनों के कारण, यह सरलता से सम्भव नही है कि विभिन्न देशों में लेखांकन पद्धतियों एवं मानकों का सामंजस्यीकरण अथवा एकीकरण हो सकें। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विश्वव्यापक लेखांकन मानकों के एकीकरण के प्रयास किये हैं। लेखांकन मानक नीति प्रलेख है, जिन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

पेशेवर लेखांकन संस्थाओं ने लेखांकन सूचनाओं के विभिन्न पक्षों के मापन, व्यवहार, प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में निर्गमित किया है। लेखांकन मानकों का मुख्य उद्देश्य की लेखांकन प्रणालियों में विविधताओं को न्यूनतम करना है। क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत प्रतिभूति कमीशन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई0ओ0एस0सी0ओ0), आर्थिक सहयोग एवे विकास हेतु संगठन, इण्टरनेशनल फैडरेशन ऑफ एकाउण्टेंट्स (आई0एफ0ए0सी0) और इण्टरनेशनल एकाउण्टिंग स्टैण्डर्ड कमैटी (आई0ए0एस0सी0) है। इसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों (आई0एफ0आर0एस0) से वर्ष 2000 में प्रतिस्थापित किया गया। आई0ए0एस0सी0 की पुनर्संरचना करके इसे वर्ष 2001 से (आई0ए0एस0बी0) अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड बना दिया गया। आई0ए0एस0जी0 के पास वर्तमान में आई0एफ0आर0एस0 तथा 41 लेखांकन मानक हैं। आई0एफ0आर0एस0 को लेखांकन सिद्धांत माना जाता है अर्थात यह मानकों के समूह हैं जो विस्तृत नियमों के साथ साथ लेखांकन के विशिष्ट व्यवहारों को निर्दिष्ट करते हैं। आई0एफ0आर0एस0 और आई0ए0एस0 की सूची निम्नवत् दी गयी है :

आई0एफ0आर0एस0 विवरणों की सूची :

ई0एफ0आर0एस0–1 : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों को प्रथम बार अपनाया जाना।

आई0एफ0आर0एस0–2 : अंश आधारित भुगतान

आई0एफ0आर0एस0–3 : व्यवसायिक संयोजन

आई0एफ0आर0एस0–4 : बीमा संविदाऐं

ई0एफ0आर0एस0–5 : विक्रय के लिये धारित गैर –चालू सम्पत्तियां एवं बंद किये गये परिचालन

ई0एफ0आर0एस0–6 : खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन

ई0एफ0आर0एस0–7 : वित्तीय उपकरण : प्रकटीकरण

ई0एफ0आर0एस0–8 : परिचालन संभाग

र्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आई0ए0एस0) की सूची :

क्रम संख्या	आई0एफ0आर0एस0 / आई0ए0एस0क्रमांक	नाम
1	आई0ए0एस01	वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण
2	आई0ए0एस02	रहतिया
3	आई0ए0एस07	रोकड़ प्रवाह विवरण
4	आई0ए0एस08	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन पूर्वानुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ
5	आई0ए0एस010	प्रतिवेदन अवधि के उपरांत की घटनाऐं
6	आई0ए0एस011	निर्माण अनुबन्ध
7	आई0ए0एस012	आय –कर

8	आई0ए0एस016	संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण
9	आई0ए0एस017	पट्टे
10	आई0ए0एस018	आय
11	आई0ए0एस019	कर्मचारी लाभ
12	आई0ए0एस020	सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण
13	आई0ए0एस021	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव
14	आई0ए0एस023	ऋण लेने की लागत
15	आई0ए0एस024	सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण
16	आई0ए0एस027	समेकित एवं पृथक वित्तीय विवरण
17	आई0ए0एस028	सहायक कम्पनियों में विनियोग
18	आई0ए0एस029	तीव्र स्फीतिक अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय प्रतिवेदन करना
19	आई0ए0एस031	संयुक्त उपक्रमों में हित
20	आई0ए0एस032	वित्तीय लेखपत्रः प्रस्तुतीकरण
21	आई0ए0एस033	प्रति अशं आय
22	आई0ए0एस034	अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन
23	आई0ए0एस036	सम्पत्तियों का क्षय
24	आई0ए0एस037	प्रावधान,सांयोगिक दायित्व एवं सांयोगिक सम्पत्तियाँ
25	आई0ए0एस038	अमूर्त सम्पत्तियाँ
26	आई0ए0एस039	वित्तीय लेखपत्र : पहचान एवं मापन
27	आई0ए0एस040	विनियोग सम्पत्तियाँ
28	आई0ए0एस041	कृषि

भारतीय लेखांकन मानकों (ए0एस0) की सूची :

1. ए0 एस0 1: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण
2. ए0 एस0 2: रहतिया

3. ए0 एस0 3 : रोकड़ प्रवाह विवरण
4. ए0 एस0 4 : प्रतिवेदन अवधि के बाद की घटनाऐं
5. ए0 एस0 5 : शुद्ध लाभ हानि , असामान्य मदें, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन
6. ए0 एस0 6 : ह्वास लेखांकन
7. ए0 एस0 7 : निर्माण संविदायें
8. ए0 एस0 8 : शोध एवं विकास हेतु लेखांकन
9. ए0 एस0 9 : आय की पहचान
10. ए0 एस0 10 : स्थिर सम्पत्तियों हेतु लेखांकन
11. ए0 एस0 11 : विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों हेतु लेखांकन
12. ए0 एस0 12 : सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन
13. ए0 एस0 13 : विनियोगों के लिए लेखांकन
14. ए0 एस0 14 : एकीकरण के लिए लेखांकन
15. ए0 एस0 15 : अधिवर्षता लाभ योजनाओं का लेखांकन एवं प्रतिवेदन करना
16. ए0 एस0 16 : ऋण लेने की लागत
17. ए0 एस0 17 : उप विभागों हेतु प्रतिवेदन करना
18. ए0 एस0 18 : सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण
19. ए0 एस0 19 : पट्टे
20. ए0 एस0 20 : प्रति अंश आय
21. ए0 एस0 21 : समेकित वित्तीय विवरण
22. ए0 एस0 22 : आय कर के लिए लेखांकन
23. ए0 एस0 23 : सहायक कम्पनियों में विनियोग के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन
24. ए0 एस0 24 : बन्द किए गए परिचालन
25. ए0 एस0 25 : अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन
26. ए0 एस0 26 : अमूर्त सम्पत्तियाँ
27. ए0 एस0 27 : संयुक्त उपक्रमों में हितका वित्तीय प्रतिवेदन
28. ए0 एस0 28 : सम्पत्तियों का क्षय
29. ए0 एस0 29 : प्रावधान , सांयोगिक दायित्व एवं सांयोगिक सम्पत्तियाँ
30. ए0 एस0 30 : वित्तीय लेखपत्र – पहचान एवं मापन
31. ए0 एस0 31 : वित्तीय लेखपत्र – प्रस्तुतीकरण
32. ए0 एस0 32 : वित्तीय लेखपत्र –प्रकटीकरण

लेखांकन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन–देनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश या ऋणों के फलस्वरूप सीमा पार विदेशी करेन्सी के मौद्रिक लेन–देनों में बदल जाते हैं। दूसरे, विदेशें में कार्यरत शाखाओं/सहायिकाओं के विदेशी करेन्सी के खातों का निर्वचन अर्थात विदेशी मुद्रा के लेन–देनों हेतु लेखांकनतथा विदेशी परिचालनों हेतु लेखांकन ।

16.2.1 विदेशी मुद्रा के लेन–देनों हेतु लेखांकन

आयात, निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, ऋण एवं विदेश आधारित सम्पत्तियों का क्रय/विक्रय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन–देनों को उत्पन्न करता है। ऐसे लेन–देनों के अभिलेखन में प्रमुख मुद्दे लेन–देनों हेतु मुद्रा का चुनाव और विनिमय दर को निश्चित करना है। किये जाने वाले लेन–देनों के लिये मुद्रा का चुनाव व्यापारियों के पारस्पिरिक समझौतों पर निर्भर करता है। विनिमय दर की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। यदि विक्रय किश्तों में उधार के आधार पर किया गया है, तो भुगतान की वसूली पर प्रभावी विनिमय दरें, लेन–देनों की स्पॉट दरें से भिन्न होंगी। विनिमय दरों में परिवर्तन से फॉरेक्स लाभ या हानियां होती हैं, जिसकी उसी वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में पहचान की जानी चाहिये। आई0ए0एस0 21 विनिमय दरों के परिवर्तनों के परिणामों के लेखांकन हेतु मार्ग निर्देश प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा आधारित उधार विक्रय के लेन–देनों के लेखांकन व्यवहारों हेतु, प्रारम्भिक प्रविष्टि को लेन–देनों को परिलक्षित करते हुए (स्पॉट विनिमय दर को प्रयोग करके) अभिलिखित किया जाना चाहिये। दूसरी किश्त के संकलन/भुगतान के अभिलेखन हेतु संबंधित स्पॉट विनिमय दर को लिया जायेगा और फॉरेक्स लाभ और हानियों (लेन–देन की तिथि को स्पॉट दर की तुलना में) की पहचान की जानी चहिये। आर्थिक चिट्ठे की अंतिम तिथि को विदेशी मुद्रा आधारित प्राप्य एवं देय खातों को रिपोर्टिंग मुद्रा में रूपाांतरण किया जाता है। इसके लिये लाभ एवं हानि खाते में अंतिम दर और फॉरेक्स लाभ या हानियों की पहचान की जानी चाहिये। इस संबंध में लेखांकन प्रविष्टियों को निम्नांकित उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है :

ए0बी0सी0 लिमिटेड ने 1 जनवरी 2012 को यू0एस0 डॉलर 10,000 के मूल्य के माल का निर्यात किया, जिसे दो समान किश्तों में 28 फरवरी एवं 31 मई 2012 को एकत्रित किया जाना था। कम्पनी अपने खातों को मार्च बंद करती है। फॉरेक्स दर (रू0/$) संबंधित तिथियों पर निम्नवत थी :

1 जनवरी 2012 : 47.55 , 28 फरवरी 2012 : 48.25

31 मार्च 2012 : 47.05 , 31 मई 2012 : 53.56

इन लेन–देनों को ए0बी0सी0 लि0 की पुस्तकों में इस प्रकार अभिलिखित किया जा सकता है :

क्रमांक	तिथि	विवरण	नाम (डेबिट) धनराशि (रू0)	जमा (क्रेडिट) धनराशि (रू0)
1	1 जनवरी 2012	प्राप्य लेखा खाता डेबिट ($ 10,000 x 47.55) विक्रय को (उधार के आधार पर विक्रय किया)	47,75,500	4,75,500
2	28 फरवरी 2012	बैंक खाता डेबिट	2,41,250	

		($ 5000 x 48.25 = 2,41,250) फॉरेक्स लाभ को ($ 5000 x(48.55 – 47.55)) प्राप्य लेखा खाते को (प्रथम किश्त प्राप्त की और फॉरेक्स लाभ प्राप्त हुआ)		3,500 2,37,750
3	1 मार्च 2012	फॉरेक्स हानियां खाता डेबिट (47.55 – 47.05 x $ 5000) प्राप्य खाते को (खाते बंद करते समय फॉरेक्स हानियों की पहचान की गयी)	2,500	2,500
4	31 मई 2012	बैंक खाता डेबिट (53.56 x $ 5000) फॉरेक्स लाभ खाते को (53.56–47.55 x $ 5000) प्राप्यलेखा खाते को (अंतिम किश्त प्राप्त की और फॉरेक्स लाभ वसूल किया)	2,67,300	30,050 2,37,250

उच्चावचन हो रही फॉरेक्स दरों से भावी रोकड़ अंतप्रवाहों में अनिश्चितता होती है। इससे बचने के लिये व्यापारी बैंक के साथ एक अग्रिम संविदा कर सकते हैं। अग्रिम सौदे (संविदा) से आशय ऐसी संविदा से है, जिसमें दो पक्षकार किसी निर्दिष्ट भावी तिथि पर मुद्राओं के दो समूहों की निश्चित दरों पर विनिमय करने को सहमत होते हैं। ऐसा फॉरेक्स जोखिम से बचने के लिये किया जाता है। जैसे मैसर्स ताज एक्सपोर्टर्स ने 10,000 यू0एस0 डॉलर मूल्य के एन्टिक्स को 1 जनवरी 2012 को अमेरिका आधारित व्यापारी को बेचा। भुगतान 1 मई 2012 को वसूल किया जायेगा। लेन – देन की तिथि पर 31 मार्च 2012 संबंधित विनिमय दरें 48 और 51 (रू0/$) हैं। फॉरेक्स हानियों एवं अनिश्चितता से मै0 ताज एक्सपोर्टर्स 1 जनवरी, 2012 को बैंक के साथ 4 माह की संविदा 10000 यू0एस0 डॉलर को 52.

5 (रू0 / $) की दर पर विनिमय करने हेतु अग्रिम संविदा की। 1 मई को स्पॉट दर 53.5 (रू0 / $) इसकी संबंधित लेखांकन प्रविष्टियां निम्नवत् की जा सकती हैं :

क0सं0	तिथि	विवरण	धनराशि डेबिट	धनराशि केडिट
1	1 जनवरी 2012	विविध देनदार खता डेबिट विक्रय को (10000 $x 48) (विक्रय लेन–देन सम्पन्न किया गया)	4,80,000	4,80,000
बैंक के साथ अग्रिम संविदा 52.5 (रू0 / $) की दर पर डॉलर भुगतान करने और रूपये प्राप्त करने हेतु सम्पन्न की।				
2		अग्रिम संविदा (रू0) प्राप्य खाता डेबिट स्थगित प्रीमियम खाता को ((52.5–48) x $ 10000) (अग्रिम संविदा पूर्ण की गयी और अग्रिम संविदा में फॉरेक्स लाभ की पहचान की गयी।)	5,25,5000	45,000 4,80,000
3	31 मार्च 2012	स्थगित प्रीमियम खाता डेबिट (45000 x ¾ = 33750) विदेशी विनिमय लाभ खाता को	33,750	33750
4	1 मई 2012	**लेन–देन को निपटाये जाने पर :** बैंक खाता	4,70,000 10,000	

		डेबिट विनिमय हानि खाता डेबिट (53.5 – 52.5 x $ 10,000) विविध देनदार खाता को (भुगतान एकत्रित किया और हानि की तुलना निपटाने की स्पॉट दर तिथि और अग्रिम दर से की गयी)		4,80,000
5		**अग्रिम संविदा को बन्द करना** (i) अग्रिम संविदा ($) देय खाता डेबिट विदेशी विनिमय लाभ खाताडेबिट रोकड़ को (विदेशी मुद्रा संविदा के अनुसार विदेशी संविदा डीलर को भुगतान किया)	4,80,000 45000	5,25,000
		(ii) रोकड़ खाता डेबिट अग्रिम संविदा (रू0) प्राप्य खाता को (संविदा के अनुसार विदेशी मुद्रा संविदा डीलर से घरेलू मुद्रा (रू0) में भुगतान प्राप्त किया	5,25,000	5,25,000
6		स्थगित प्रीमियम खाता	11,250	

		डेबिट (45000 x ¼ = 11,250) विदेशी विनिमय लाभ खाता डेबिट (स्थगित प्रीमियम आनुपातिक रूप में अपलिखित किया		11,250

16.2.2 विदेशी परिचालनों हेतु लेखांकन :

विदेशी राष्ट्रों में कार्यरत व्यवसायों की सहायक कम्पनियां या विदेशी शाखाऐं अपने वित्तीय विवरणों को विदेशी मुद्रा में संबंधित देश की विशिष्ट लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन करते हुए बनाती है। विवरणों का एकीकरण, विवरणों का रूपांतरण, स्फीतिक लेखांकन और विनिमय लाभ/हानियों का व्यवहार इत्यादि मुद्दे विदेशी परिचालनों हेतु लेखांकन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

सूत्रधारी या पैतृक कम्पनियां सम्पूर्ण परिणामों के प्रदर्शन के विश्लेषण एवं हितधारकों की रूचि हेतु एकीकृत विवरण तैयार करती है। वित्तीय विवरणों के एकीकरण से आशय सहायक कम्पनियों के साथ सूत्रधारी कम्पनियों के विवरणों को (समस्त समूह की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में) एक मुद्रा में प्रदर्शित कर एकीकरण करने से है। विवरणों के एकीकरण की दो विधियां हैं अर्थात सकल एकीकरण विधि और शुद्ध एकीकरण विधि। सकल एकीकरण विधि में, सहायक कम्पनियों की संबंधित सम्पत्तियां और दायित्व सूत्रधारी कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ सकल रूप में सूत्रधारी कम्पनी के धारणाधिकार को ध्यान में न रखते हुए जोड़ी जाती हैं और बाद में दायित्व पक्ष में अल्पसंख्यक अंशधारियों के हित को निरपेक्ष रूप में लिखा जाता है। शुद्ध एकीकरण विधि में सूत्रधारी कम्पनी के धारणधिकार को सीमित करते हुए सहायक कम्पनियों की सम्पत्तियों/दायित्वों के मूल्य को सूत्रधारी कम्पनी के संबंधित सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ जोड़ा जाता है। एक एकीकृत विवरण हितधारकों को संयुक्त एवं सम्पूर्ण सूचनाऐं प्रदान करता है।

अमेरिका में, जहां सहायक कम्पनियों पर नियंत्रण अस्थायी है या जहां बहुसंख्यक स्वामियों के पास नियंत्रण नहीं है, को छोड़कर समस्त कम्पनियों को अपने खातों को एकीकृत करना पड़ता है। ब्रिटेन में कुछ दशाओं को छोड़कर कम्पनी अधिनियम 1989 ने एकीकरण को अनिवार्य किया है। जर्मनी का कानून भी एकीकरण को अनिवार्य बनाता है, विशेष रूप में जहां सूत्रधारी कम्पनियों का सहायक कम्पनियों में महत्वपूर्ण/अधिकांशहित है।

वित्तीय विवरणों के रूपांतरण से आशय विदेशी मुद्रा आधारित वित्तीय विरिणों को प्रतिवेदन करने की मुद्रा (रिपोर्टिंग करेंसी) में रूपांतरण या परिवर्तन करने से है। सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को प्रतिवेदन करने की मुद्रा में रूपांतरण

के लिये विदेश आधारित व्यवसायिक इकाई के प्रतिवेदन को तैयार करने और प्रदर्शन परिणाम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्योंकि फॉरेक्स दर में परिवर्तन होता रहता है, यह निश्चित करना होता है कि किस दर पर रूपांतरण किया जाये। सम्पत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में विदेशी मुद्राओं में रूपांतरण के चार विधियां हैं :

- चालू दर विधि
- चालू, गैर चालू दर विधि
- मौद्रिक, गैर मौद्रिक विधि
- टेम्पोरल विधि

चालू दर विधि के अंतर्गत, सहायक कम्पनियों या विदेशी शाखाओं की समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को रूपांतरण की तिथि को प्रचलित चालू स्पॉट दर पर रूपांतरण किया जाता है। चालू, गैर चालू दर विधि के अंतर्गत, ऐसी समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को स्थिर एवं चालू सम्पत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है स्थिर सम्पत्तियों और दायित्वों को उनकी ऐतिहासिक दरों पर रूपांतरित किया जाता है और चालू सम्पत्तियों एवं दायित्वों को रूपांतरण की तिथि को प्रचलित चालू स्पॉट दर पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक विधि में सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उनकी मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सम्पत्तियों एवं दायित्वों की उन मदों को जो भावी वित्तीय दावों को प्रतिबिम्बित करती है, को मौद्रिक मदे जैसे प्राप्य खाते/देय खाते, देनदार/लेनदार या बैंक अधिविकर्ष इत्यादि माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत समस्त मौद्रिक मदों को चालू दरों पर तथा शेष गैर मौद्रिक मदों को उनकी ऐतिहासिक दर पर रूपांतरित किया जाता है। टेम्पोरल विधि मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक विधि ही की तरह है। अंतर केवल यह है कि टेम्पोरल विधि में रहतिया (स्टॉक) को चालू दरों पर रूपांतरित किया जाता है।

मुद्रा स्फीति लेखांकन की प्रमुख महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। स्फीति कीमत स्तर में वृद्धि को व्यक्त करती है। कीमतें बहुत कम समय में भी परिवर्तित हो सकती है। कच्चे माल, श्रम या अन्य आपूर्तियों की नयी बढ़ी हुई कीमतों की उत्पादित उत्वाद के विक्रय मूल्य को निश्चित करते समय पहचान पुरानी दरों पर की जानी चाहिये।

मुद्रा स्फीति की दरों में परिवर्तन को नजरअंदाज कर देने से भ्रामक एवं अधिक लाभ प्रदर्शित हो सकता है। मुद्रा स्फीति के लिये समायोजन करने की आवश्यकता बेचे गये माल की लागत, स्थगित व्ययों को निश्चित करने तथा सम्पत्तियों पर ह्रास लगाने के मुद्दों के समाधान के लिये होती है। स्फीतिक वातावरण में कार्यरत विदेश आधारित सहायक कम्पनी के लिये स्फीतिक समायोजन की आवश्यकता उचित आय, व्यय एवं लाभों को ज्ञात करने के लिये होती है।

सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में स्फीतिक समायोजन की दो विधियां हैं अर्थात पुर्नअंकित रूपांतरण विधि और रूपांतरण पुर्नअंकित विधि। पुर्नअंकित रूपांतरण विधि में स्फीति को समायोजित किया जाता है और मूल्यों को रिपोर्टिंग करेंसी में रूपांतरित किया जाता है, जबकि पुर्नअंकित रूपांतरण विधि में

मूल्यों को रिपोर्टिंग करेंसी में रूपांतरित किया जाता है और मुद्रा स्फीति को समायोजित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन विदेशी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायता करता है। क्षेत्रवार प्रतिवेदन, संयुक्त उपक्रम हेतु एकाउण्टिंग और अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन अन्य ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन में किया जाता है।

16.3 अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण

''अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण एक अत्यधिक जटिल मुद्दा बन गया है। इसने वैधानिक जगत को विवेकाधीन कर क्षेत्र की वैधानिक प्रणाली पर पुनः सोचने पर विवश किया है। निपटाये गये वैधानिक निर्देशों को लागू करने में नवाचार समय की आवश्यकता है।'' अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण से सम्बन्धित समस्त विवादों का सम्बन्ध घरेलू कानूनों एवं सन्धियों और दोहरे करारोपण से बचाव से संबन्धित परम्पराओं के प्रावधानों के निर्वचन से है।

–मुख्य न्यायाधीश, स्वतन्त्र कुमार, बम्बई हाईकोर्ट ।

अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक अति विशिष्ट मुद्दा है। अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण वातावरण में आयोजक देश तथा गृह देश दोनों की कर नीतियाँ एवं मापदण्ड सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार यह बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। यह निगम कर नियमों का अनुसरण करते हुए साथ में अपने कर दायित्व को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। फर्म की लाभदायकता और हस्तान्तरण कीमत निर्धारण संबन्धी निर्णय देश की कर संरचना पर निर्भर करते हैं। कर नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य कम्पनी समूह के सम्पूर्ण कर दायित्व को न्यूनतम करना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कर नीति आयोजक और गृह देश की सरकारों बीच जटिल अन्तर्क्रियाओं से निर्धारित होती है।

आयकर दायित्व को निर्धारित करने के दो सिद्धान्त :

- आय का स्रोत
- निवास स्थान नियम

आय के स्रोत नियम के अनुसार आय पर कर उस देश में देय होगा, जिसमें आय अर्जित या उदित हुई है, चाहे अर्जनकर्ता निवासी या अनिवासी हो । जहाँ निवास स्थान नियम के अनुसार, कर दायित्व को करदाता के निवास स्थान की स्थिति के अनुसार करते हैं। जबकि कुछ देश दोनों नियमों के मिश्रित स्वरुप को अपनाते हैं। क्योंकि राष्ट्रों की कर संरचना भिन्न–भिन्न होती है। बहुराष्ट्रीय निगम जो विभिन्न देशों में कार्य करते हैं, इस जटिल समस्या का कर–निर्णय लेते समय सामना करते हैं। राष्ट्रों के कर–भार में परिवर्तनों के कारणों का विवरण निम्नवत हैः

1. वैधानिक कर दरें विभिन्न देशों में उच्च कर देशों से कर स्वर्ग (टैक्स हैवन) देशों के मध्य भिन्न–भिन्न होती हैं।
2. सूत्रधारी कम्पनियों तथा इसकी सहायक कम्पनियों में सौदों के व्यवहार में असमानतायें ।
3. दो देशों के मध्य समझौते ।
4. कर प्रभावहीनता का भिन्न–भिन्न निर्वचन ।

5. कर प्रणाली की विभिन्नता ।
6. शुद्ध कर योग्य आय की गणना की विधियों में अन्तर ।
7. दोहरे करारोपण के लिए क्षतिपूर्ति में अन्तर ।

करों के क्रियान्वयन करने की दो स्वीकृत विधियाँ हैं :

1. वैश्विक अर्जित लाभ के आधार पर कर दायित्व को निश्चित करना ।
2. भौगोलिक सीमाओं जिसके अन्तर्गत आय सृजित की गयी है, के आधार पर कर दायित्व को निश्चित करना ।

प्रथम विधि में, कम्पनी की कुल आय (समस्त वैश्विक परिचालनों से) को कर दायित्व के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण में दोहरे कराधान की संभावनाऐं होंगी।

उदाहरणार्थ : एक अमेरिकन कम्पनी की भारत में सहायक कम्पनी को भारत में पहले कर लगाया जायेगा और तत्पश्चात उस कम्पनी को अमेरिका में वैश्विक लाभों के आधार पर कराधान सिद्धान्त के अनुसार कर लगाया जाएगा। दोहरे करारोपण से आशय एक उपक्रम की समान आय पर एक देश से अधिक में कर लगाने से है।कम्पनियों को दोहरे करारोपण के अन्तर्गत आयकर दोबारा देना पडता है। आयोजक के साथ—साथ गृह देश की सरकारें, दोनों एक ही आय पर आय कर वसूल करती हैं। दोहरे करारोपण के घटित होने से कम्पनियों की लाभदायकता कम हो जाती है और इस कारण से विदेशी राष्ट्रों में व्यावसायिक उपक्रमों के प्रति आकर्षण में कमी हो जाती है। अतः राष्ट्र व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए दोहरे करारोपण के कर भार से बचना चाहता है। इसे देशों के बीच विचार – विमर्श या कर समझौतों के द्वारा दूर किया जा सकता है। कर समझौते दो प्रकार के हो सकते हैंः

(अ) द्विपक्षीय कर समझौते
(ब) एक पक्षीय कर समझौते

द्विपक्षीय सहायता करदाता को गृहदेश के द्वारा आयोजक देश एवं गृह देश में समझौते के माध्यम से दी जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 90 भारत सरकार को इस मुद्दे के लिए द्विपक्षीय समझौता करने हेतु अधिकृत करती है। जबकि धारा 91 भारत सरकार को दोहरे करारोपित करदाता को एकपक्षीय सहायता प्रदान करने हेतु अधिकृत करती है।

द्विपक्षीय समझौता दो सम्प्रभु राष्ट्रों के बीच पारस्परिक समझौते के द्वारा किया जाता है। द्विपक्षीय राहत के लिए समझौता निम्नांकित दो प्रकार का हो सकता है :

(I) वह समझौता जिसमें दो देश इस बात पर सहमत होते हैं कि विभिन्न निर्दिष्ट स्रोतों से आय जिसकी दोनों देशों में करारोपित होने की संभावना है को या तो केवल एक देश में कर लगाया जाय या दोनों में से प्रत्येक देश उस आय के एक विशिष्ट निर्दिष्ट भाग पर कर लगाये ताकि दोहरे करारोपण से बचा जा सके ।

(II) इससे बचने का एक दूसरा तरीका करदाता को दो देशों में भुगतान किए गए दोहरे कर के सापेक्ष क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। क्षतिपूर्ति को दोहरे कर के भुगतान के लिए भुगतान करना है यदि यह प्राप्तकर्ता के द्वारा सिद्ध

कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार निम्नांकित समझौते भी कर सकती है :

(अ) आयकर अधिनियम, संबन्धित देशों के नियम या कानून के अन्तर्गत लगाए जाने वाले आयकर अपवंचन अथवा कर से बचाव को रोकने हेतु सूचनाओं का रुपान्तरण ।

(ब) आयकर अधिनियम अथवा देश में लागू कानून के अन्तर्गत कर की वसूली।

सरकारें पारस्परिक समझौतों के द्वारा भी समझौते कर सकती हैं। इस प्रकार देशों के मध्य समझौते एक रुप नहीं होते बल्कि जटिलताओं से बचने के लिए यह वांछनीय होते हैं। कर सन्धियों को अनेकों उद्देश्यों जैसे दोहरे करारोपण को रोकने , कर अनुदानों को निर्दिष्ट करने और कर दायित्वों का पूर्वानुमान लगाने के लिए निरुपित किया जाता है। कर सन्धियों से दो देशों में कर प्रणालियों में सामन्जस्य उत्पन्न होता है जैसे – जैसे सीमा पार व्यापार में वृद्धि हो रही है, करारोपण के विवेकीकरण की आवश्यकता भी हो रही है, ताकि कर कानूनों का उचित एवं अधिक प्रभावी प्रयोग किया जा सके ।

द्विपक्षीय समझौते दो प्रकार के होते हैं – सीमित समझौते और विस्तृत समझौते । सीमित समझौते से आशय उस समझौते से है जो सामान्य की ढुलाई , समुद्री जहाज, भाडा एवं हवाई जहाज के परिचालन से व्युत्पन्न आय से सम्बन्धित दोहरे करारोपण से बचने क लिए किया जाता है। जबकि विस्तृत समझौते में व्यापक प्रकार की आयें जैसे : अचल संपत्ति से आय पूँजीगत लाभ, लाभांश तकनीकी सेवाओं हेतु अधिकार शुल्क इत्यादि सम्मिलित हैं। यह वह प्रलेख है जिसमें विस्तृत रुप में यह उल्लेख होता है कि किस प्रकार विभिन्न शर्षकों के अन्तर्गत आयों को प्रदर्शित किया जाय और किस ढंग से करारोपण किया जाय । एक पक्षीय कर सहायता करदाता को एक पक्षीय कर सन्धियों के अन्तर्गत प्रदान की जा सकती है। यदि अन्य देशों की सरकारों के साथ देश की सरकार का द्विपक्षीय समझौता नहीं है, जहाँ करदाता पर दोहरा करारोपण हुआ है, सरकार आयकर अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत राहत प्रदान कर सकती है। धारा 91 के प्रावधानों को उस दशा में भी लागू किया जा सकता है जहाँ एक व्यक्ति जो भारत में किसी गतवर्ष में निवासी रहा है, सिद्ध कर देता है कि उसकी उस आय के सम्बन्ध में जो गतवर्ष में भारत के बाहर उपार्जित हुई है, के द्वारा किसी भी देश में जिससे धारा 90 के अन्तर्गत दोहरे करारोपण में राहत का कोई समझौता नहीं हुआ है, कर का भुगतान किया गया है । वह उसके द्वारा देय भारतीय आयकर में से उस धनराशि की कटौती हेतु अधिकृत है जो उस देश की कर की दर से या भारतीय कर की दर दोनों में ंजो भी कम हो , से दोहरे कर की आय पर गणना करके ज्ञात की गयी है।

16.3.1 अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण के आधारभूत सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण का मुद्दा विकासशील देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें सुशासन के लिए संतुलन की क्रिया को सम्पन्न करना होता है। घरेलू क्षेत्र और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर शासन के सिद्धान्तों में अन्तर है। प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सुशासन के सिद्धान्तों के विकास हेतु स्वतन्त्र है, जो उसे अपने आदर्शों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूल हों । साथ ही

क्षेत्रीय सहयोग संधियों में वृद्धि के कारण, राष्ट्र अपनी राजनीतिक प्रणाली, सुशासन के सिद्धान्तों एवं प्राथमिकताओं के विषय में पुनः विचार करने हेतु विवश होते हैं। राष्ट्र सीमा पार के लोगों को सामान्य न्यूनतम अधिकारों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं। अन्तराष्ट्रीय कर प्रणाली दो मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है और ये सिद्धान्त कर की समाप्ति और कर समता हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कर नीति आयोजक एवं गृह देशों की सरकारों के मध्य अन्तर्क्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। सामान्यतया, आयोजक सरकार पहले कार्यवाही करती है और गृह देश की सरकार आयोजक देश की सरकार की नीतियों के अनुसार नीतियाँ निर्धारित करती हैं। गृह देश की कर नीतियों को निश्चित करते समय, सरकार को निम्नांकित प्रमापों पर विचार करना पडता है:

(I) विदेशी आय के व्यवहार करने की पद्धति

(II) विदेशी करों को भुगतान करना

(III) करारोपण का समय

विदेशी आय के व्यवहार से आशय कर दरों कटौतियों एवं अनुमन्य राहतें जो देश के बाहर अर्जित अथवा उपार्जित आय पर अनुमन्य हैं, को निर्धारित करने से है। विदेशी आय पर कर को निर्धारित करने की चार विधियाँ हैं :

(I) विदेशी आय पर कोई घरेलू कर नहीं ।

(II) कर– जमा (टैक्स क्रेडिट) की अनुमन्यता (विदेशी सरकार को भुगतान किए गए कर से अधिक कर को वसूल करना)।

(III) विदेशी कर –भुगतान पर कटौतियाँ अनुमन्य करना ।

(IV) विदेशी राष्ट्र में भुगतान किए गए कर को ध्यान में न रखते हुए विदेशी लाभों पर कर लगाना अर्थात दोहरा करारोपण।

अपनी नीतियों के द्वारा गृह देश करदाता के द्वारा भुगतान किए गए विदेशी करों के लिए राहत दे सकता है। यह राहत आय कर अधिनियम की धारा 90 एवं 91 के अर्न्तगत दी जा सकती है, जिसके लिए देशों के मध्य द्विपक्षीय एवं एक पक्षीय सन्धियाँ की जाती हैं।

कर नीतियों के निरुपण के लिए समय तत्व अन्तयन्त महत्वपूर्ण कारक होता है। विदेशी आय पर कर दायित्व दो अवसरों पर लगाया जाता है। प्रथम उस राजकोषीय वर्ष में जिसमें आय अर्जित की गयी है। यह प्रणाली अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में लागू है। दूसरे, कर उस समय लगाया जा सकता है जब लाभांशों के रुप में लाभों को देश में लाया जाता है। कर निष्क्रियता या कर शून्यता की स्थिति से आशय आयोजक एवं गृह देश के कर – प्रावधानो का शून्य प्रभाव है। शून्य प्रभाव का अर्थ है कि पूँजी के प्रवाह पर कर नीतियों एवं कर संरचना को कोई प्रभाव नहीं पडता है (शून्य प्रभाव) । इसे ही कर स्थिति (टैक्स न्यूट्रेलिटी) के नाम से जाना जाता है।

कर निष्क्रियता की स्थिति का सिद्धान्त वैश्विक कल्याण की ओर उन्मुख इसलिए माना जाता है क्योंकि विश्व के उच्च प्रत्याय वाले अवसरों की ओर पूँजी स्वतन्त्र रुप में गतिमान होने को प्रवृत्त होती है। कर निष्क्रिय वातावरण में निवेशक देशों में विद्यमान कर दरों के प्रति तटस्थ होते हैं और इस प्रकार पूँजी को सर्वोत्तम उपयोगी ढंग से वैश्विक कल्याण मे प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु कभी –कभी यह नीति साथ में राष्ट्रीय कल्याण का दावा नहीं करती है,

क्योंकि राष्ट्र की पूँजी बेहतर प्रत्यायों की तलाश मे अन्य देशों को चली जाती है और गृह देश में पूँजी का अभाव बना रहता है जो गृह देश के विकास में बाधक होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण का एक और आधारभूत सिद्धान्त समता है। कर–समता के सिद्धान्त का आशय यह है कि समस्त करदाताओं पर समान स्थितियों में समान कर नियम लागू हों। इसका अर्थ यह है कि विदेशी कम्पनियों एवं घरेलू कम्पनियों से समान आय पर समान कर की दरें से कर वसूल किया जाय, जबकि कम्पनियों की विदेशी आयों एवं अन्य आयों को समान रुप में लिया जाना चाहिए।

16.4 सारांश

वैश्वीकरण के इस युग में, विश्व व्यापार में उच्च मात्रा में वृद्धि हुई है। इन दिनों में सीमा पार अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों–ऋणों, अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त उपक्रमों विलयों एवं अधिग्रहणों की वृद्धि एक सामान्य परिघटना हो गयी है । इस परिदृश्य में, अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन ने अत्यधिक महत्व प्राप्त किया है। अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन संस्थाओं ने विश्वव्यापक स्तर पर लेखांकन नियमों, अवधारणाओं एवं परम्पराओं के मानकीकरण का कार्य कर रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन विदेशी मुद्रा में परिवर्तन, विवरणों के एकीकरण, स्फीति लेखांकन, हस्तान्तरण लागत निर्धारण, विदेशी विवरण विश्लेषण, सम्भाग प्रतिवेदन करने तथा अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन करने इत्यादि मुद्दों का समाधान करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है जिसका कम्पनी के अन्तर्राष्ट्रीयकरण निर्णयों में प्रभाव पडता है। जैसा कि कर दरें, कर संरचना एवं कर नीतियाँ एक देश से दूसरे देश में भिन्न–भिन्न होती हैं। कम्पनियों को विभिन्न वैश्विक स्थानों में कर दायित्वों का विश्लेषण करना पडता है। कर निष्क्रियता, कर साम्यता एवं कर स्वर्ग देशों की समझ कम्पनियों को उनके कर–नियोजन में सहायता करती है।सरकारें कम्पनियों पर दोहरे करारोपण के भार को हटाने के लिए द्विपक्षीय एवं एक पक्षीय कर सन्धियों में सम्मिलित होती हैं।

16.5 शब्दावली

अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन– लेखांकन की वह शाखा है जो विदेशी लेन देनों के अभिलेखन एवं रूपान्तरण , विदेशी वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सामान्यतया स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण का कार्य करता ळें

लेखांकन मानकों का सामन्जस्यीकरण–से आशय विभिन्न देशों में लेखांकन सिद्धांतों और पद्धतियों में समानता से है।

लेखांकन मानक– वह नीति प्रलेख हैं, जिन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर लेखांकन संस्थाओं ने लेखांकन सूचनाओं के विभिन्न पक्षों के मापन, व्यवहार, प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में निर्गमित किया है।

वित्तीय विवरणों के रूपांतरण–से आशय विदेशी मुद्रा आधारित वित्तीय विरिणों को प्रतिवेदन करने की मुद्रा (रिपोर्टिंग करेंसी) में रूपांतरण या परिवर्तन करने से है।

गैप :सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त

आ.ओ.एस.सी.ओ. : प्रतिभूति कमीशनों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

आइ.सी.ए.आइ. : भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान
ओ.इ.सी.डी. : आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
आइ.एफ. आर.एस. : अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक
आइ.एफ.ए.सी. : लेखाकारों का अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेसन
आइ. ए. एस. सी. : अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिती
ए. एस. : एकाउन्टिंग मानक (भारतीय)
आइ. ए. एस. : अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक
फॉरेक्स : विदेशी विनिमय
रिपोर्टिंग करेंसी : पह मुद्रा जिसमें वित्तीय विवरण तैंयार किए जाते हैं।

16.6 बोध प्रश्न

सत्य/असत्य बताइए ।

9. टेम्पोरल विधि मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक विधि ही की तरह है।
10. विनिमय दर की प्रकृति अपरिवर्तनशील होती है।
11. आई0ए0एस0 21 विनिमय दरों के परिवर्तनों के प्रभ्ससव के लेखांकन हेतु मार्ग निर्देश प्रदान करता है।
12. आय के स्रोत नियम के अनुसार आय पर कर उस देश में देय होगा, जिसमें आय अर्जित या उदित हुई है, चाहे अर्जनकर्ता निवासी या अनिवासी हो ।
13. अन्तर्राष्ट्रीय कर नीति आयोजक एवं गृह देशों की सरकारों के मध्य अन्तर्किया के द्वारा निर्धारित होती है।
14. कर निष्क्रियता की स्थिति का सिद्धान्त वैश्विक कल्याण की ओर उन्मुख माना जाता है।
15. कर नीतियों के निरुपण के लिए समय तत्व अन्तयन्त महत्वपूर्ण कारक होता है।
16. दोहरे करारोपण के भार को हटाने के लिए द्विपक्षीय एवं एक पक्षीय कर सन्धियां की जातीं हैं।

16.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. सत्य 5 सत्य 6. सत्य7. सत्य 8. सत्य

16.8 स्वपरख प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

1. अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन से आप क्या समझते हैं ?
2. उधार विक्रय से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सौदों के अभिलेखन की कार्य विधि क्या है?
3. अग्रिम संविदायें क्या हैं? अग्रिम संविदाओं के हैजिंग के अभिलेखन के लिए किस प्रकार लेखांकन प्रविष्टियाँ की जाती हैं?
4. लेखांकन मानकों के सामंजस्यीकरण की क्या आवश्यकता है?
5. विवरणों का एकीकरण क्या है? एकीकरण की विधियों का उल्लेख किजिए।
6. आय–कर दायित्व के निर्धारण के कौन से सिद्धान्त हैं?
7. कर सन्धियों क्या हैं कम्पनियाँ उनसे कैसे लाभ कमाती हैं?

8. कर निष्क्रियता (टैक्स न्यूट्रेलिटी) से आप क्या समझते हैं?
9. अन्तर्राष्ट्रीय कर वातावरण बहुराष्ट्रीय संगठन किस प्रकार चिन्ता करते हैं?

वर्णनात्मक प्रश्न

1. अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अन्तर्राष्ट्रीय एकाउन्टिंग के अन्तर्गत आच्छादित व्यापक क्षेत्रों का वर्णन किजिए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण से आप क्या समझते हैं? अन्तर्राष्ट्रीय कर सन्धियों से दोहरे करारोपण से कैसे बचा जा सकता है ?

16.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. मोहापात्रा ए. के. दास , इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग, प्रेंटिस हाल आफ इण्डिया लिमिटेड।
2. अश्वत्थप्पा के., इन्टरनेशनल विजनैस, टाटा मैक्ग्रा हिल पब्लिशिंग क. लि. ।
3. सेठ ए. के., इण्टरनेशनल फाइनेन्सियल मैनेजमैंट, गलगोटिया पब्लिकेशन्स ।
4. विज मधु, '' '' '' , एक्सैल पब्लिकेशन।
5. मल्ला वी. के. , '' '' '' , अनमोल ''।
6. आप्टे, पी. जी. , '' '' '' , टाटा मैक्ग्रा हिल पब्लिशिंग क. लि.।
7. आइ. ए. एस. बी. : '' आई. एफ. आर.एस. एराउन्ड द वर्ल्ड '' एच. टी. पी. पी. :/ / डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू.आई.ए.एस.बी दृ ऑर्ग /
8. सिंगापुर इलूसट्रेटिव फाईनेन्सियल स्टेटमैंटस 2007 , के.पी.एम.जी. काम. एस.जी. / पब्लिकेशन/ ऑडिट – एस.आई.एफ.एस 2007।
9. एच. टी. पी. पी. :/ /डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. एस.ई.सी. जी. ओ. भी./रुल्स /2008।
10. श्री स्वतंत्र कुमार, चीफ जस्टिस ऑफ बाम्बे हाईकोर्ट, आई. एफ. ए. एण्ड ओ. ए. सी. डी. कान्फ्रेन्स (इन्टरनेशनल टैक्स कान्फ्रेन्स) मे प्रदत्त भाषण से उद्धृत ।

इकाई 17 विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंकटैड (UNCTAD)

इकाई की रूपरेखा

17.1 प्रस्तावना
17.2 विश्व व्यापार संगठन
17.2.1 विश्व व्यापार संगठन के कार्य
17.2.2 विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य
17.2.3 विश्व व्यापार संगठन के सिद्धान्त
17.2.4 डब्लूटीओ की संगठन संरचना
17.3 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
17.3.1 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य
17.3.2 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकाल के विविध चरण
17.4 विश्व बैंक
17.4.1 विश्व बैंक का इतिहास
17.4.2 विश्व बैंक की वित्तीय संरचना
17.4.3 विश्व बैंक के उत्पाद एवं सेवायें
17.4.4 संगठनात्मक संरचना एवं सहयोगी संस्थायें
17.5 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद, अंकटैड (UNCTAD)
17.5.1 अंकटैड की प्रमुख गतिविधियां
17.6 सारांश
17.7 शब्दावली
17.9 बोध प्रश्न
17.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
17.11 स्वपरख प्रश्न
17.12 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- व्यापक आर्थिक वातावरण में वैश्विक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की भूमिका समझ सकें।
- विश्व व्यापार संगठन का इतिहास, कार्य और उद्देश्य को स्पष्ट कर सकें।
- विश्व व्यापार संगठन की संगठनात्मक संरचना से परिचित हो सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के इतिहास, कार्यों एवं भूमिका को स्पष्ट कर सकें।
- विश्व बैंक की स्थापना, इसके कार्य और इसकी संगठन संरचना को समझ सकें।
- अंकटैड (UNCTAD) के कार्यो और प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कर सकें ।

17.1 प्रस्तावना

द्वितीय युद्ध के दौरान बुद्धिजीवियों ने युद्ध के कारण और परिणाम पर गहन चिन्तन किया, इनमें अर्थशास्त्री भी सम्मिलित थे। मानव जाति, पर्यावरण और आधारभूत संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों को चिन्हांकित किया गया। इस विचार मन्थन के परिणामस्वरूप, 1944 में न्यू हैम्पैशायर यूएसए में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कुछ ऐसी आर्थिक संस्थाओं के गठन का मार्ग

प्रशस्त हुआ जो ऐसे आपातकाल में देशों की मदद सुनिश्चित करें जिससे मानवता को सुरक्षा और संरक्षण मिल सके। यह युद्ध के वातावरण का समय था, आर्थिक सहयोग को लेकर देशों में परस्पर भारी अविश्वास था। भारी आर्थिक मन्दी का दौर चल रहा था। कट्टरपंथी ताकतों के सक्रिय होने के लिये अनुकूल समय था। कट्टरपंथ की हठधर्मिता अपने चरम पर थी, द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1939 में प्रारम्भ हो गया।

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के स्थापना का प्रस्ताव किया गया, किन्तु सर्वसम्मति केवल दो संस्थाओं के विषय में बन पाई, इनमें एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था जिसका उद्देश्य था– व्यापक आर्थिक स्थायित्व। दूसरी संस्था थी– विश्व बैंक, जिसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों का पुनर्निमाण किया जाये और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नये स्वतन्त्र हुए देशों का विकास सुनिश्चित किया जाये। तीसरी संस्था जिसकी स्थापना के विषय में विचार विनिमय किया गया, वह था– अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। किन्तु, सदस्य देशों में आम सहमति के अभाव में इसका गठन सम्भव नहीं हो सका। तब, तदर्थ आधार पर, आईटीओ के स्थान पर गैट समझौता सम्पन्न हुआ। गैट के आठ राउण्ड विचार विनिमय के बाद, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई।

व्यावसायिक वातावरण और अर्थव्यवस्थाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन संस्थाओं में प्रमुख हैं– डब्लूटीओ, विश्व बैंक, आईएमएफ और अंकटैड। उदाहरण के लिये, आईएमएफ देशों को नीति निर्धारण की दिशा में सक्रिय सहायता करता है, इसके द्वारा देशों के आर्थिक स्थिति का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाता है कि उनके सम्मुख अवसरों और चुनौतियों की खोज करके उन्हें समुचित मार्गदर्शन दिया जा सके। व्यापक आर्थिक स्थिरता लाने के लिये आईएमएफ आर्थिक सहयोग देता है। साथ ही, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये भी आर्थिक सहायता देता है। विश्व बैंक सरकारों और व्यक्तियों को भी साख सुविधायें प्रदान करता है जिसका लक्ष्य होता है कि देश में सन्तुलित विकास सुनिश्चित किया जाये। निजी क्षेत्र की तुलना में, विश्व बैंक की ब्याज दरें बहुत नीची हैं। विश्व बैंक अपनी अनुषंगी संस्थाओं के माध्यम से इक्विटी विनियोग, वैश्विक गारण्टी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों का समाधान आदि कार्य करता है। साथ ही, यह वैश्विक व्यापार समृद्धि के लिये देशों को मार्गदर्शन देता है। विश्व व्यापार संगठन का क्षेत्र व्यापार के उदारीकरण के लिये देशों के मध्य समझौतों से सम्बन्धित है, इन समझौतों में प्रमुख हैं– कृषि विषयों पर समझौता, गैर–कृषि बाजार विषयक समझौता (Non Agricultural Market Access: NAMA), व्यापार निवेश सम्बन्धी उपाय (Trade Related Investment Measures: TRIMS) तथा व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights: TRIPS)। अंकटैड (UNCTAD) ने विकासशील देशों की बहुत सहायता की है कि वे विकसित देशों के बाजार में अपनी पहुंच बना सकें। इसके लिये अंकटैड द्वारा परामर्शी सेवायें और तकनीकी सहायता दोनों उपलब्ध करायी जाती हैं। इस क्षेत्र में, सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली योजना (Generalaised System of Preferences Scheme) का नाम उल्लेखनीय है। अंकटैड की उपलब्धियों में जीएसपी योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके अन्तर्गत विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को निर्यात करने पर कुछ प्राथमिकतायें दी जाती हैं। वैश्विक आर्थिक पर्यावरण को समझने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे – आईएमएफ, डब्लूटीओ, विश्व बैंक और अंकटैड की भूमिका का अध्ययन किया जाये। विदेशी व्यापार का प्रभाव राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पड़ता है। इस इकाई के अगले भाग में वैश्विक आर्थिक संस्थाओं– आईएमएफ, डब्लूटीओ, विश्व बैंक और अंकटैड के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है।

17.2 विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation)

अफ्रीका के मराकेश, मोरक्को में 14 अप्रेल 1994 को व्यापार विषयक वार्ता का आठवां दौर (Uruguay round) सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। डब्लूटीओ ने गैट का स्थान ले लिया । गैट की स्थापना 1948 में हुई थी, यह अस्थाई तौर पर हुआ एक समझौता था जिसका आशय शुल्क और गैर–शुल्क बाधाओं को कम करना था। विश्व व्यापार संगठन स्थाई और बहुपक्षीय व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में है, 159 देश इस संगठन के सदस्य हैं। सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रसार की दिशा में WTO बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। गैट और डब्लूटीओ में उल्लेखनीय अंतर निम्नप्रकार हैं:

गैट और डब्लूटीओ में अन्तर

	GATT	**WTO**
संक्षिप्त और पूर्णरूप	GATT [General Agreement on Tariffs & Trade]	WTO [World Trade Organisation]
स्थापना समय	वर्ष 1948	वर्ष 1995
उद्देश्य	शुल्क एवं गैर शुल्क बाधाओं को समाप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना	व्यापार का वैश्वीकरण करना, पारदर्शी और भेदभाव रहित ढ़ग से सदस्य देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना
प्रशासन संरचना	तदर्थ आधार पर की गई व्यवस्था, जिसका कोई स्थाई और नियमित फ्रेमवर्क नहीं था।	स्थाई और व्यवस्थित संरचना है, कियाविधि और प्रशासन के लिये निश्चित नियमावली है।
क्षेत्र	गैट का उद्देश्य वस्तुओं के व्यापार का उदारीकरण करना था।	WTO अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत क्षेत्र रखता है। इसमें वस्तु व्यापार के उदारीकरण के साथ–साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकार नियम और व्यापार विनियोग मानदण्ड भी सम्मिलित हैं।
विवाद समाधान	गैट की एक अपीलीय बॉडी थी जो मामलों पर पुनर्विचार करने और सदस्यों के परिवाद निवारण का कार्य करती थी।	सदस्यों के मध्य हुये विवादों के निपटारे के लिये डब्लूटीओ की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें समयबद्ध ढ़ग से परिवाद निवारण का कार्य पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाता है।

स्रोत : WTO website www.wto.org पर आधारित

डब्लूटीओ सदस्य देशों का इस बात के लिये प्रेरित करता है कि वे अपने आयात शुल्क की दरों में कमी लायें और दूसरे व्यापार प्रतिबन्धों को समाप्त करें। इस कार्य में पारदर्शितापूर्ण व्यवहार और पक्षपात रहित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिये परस्पर बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन में देश परस्पर बातचीत करते हैं और बाजार को चरणबद्ध ढंग से खोलने के लिये सहमति के रास्ते खोजते हैं। साथ ही, गैर–शुल्क प्रतिबन्धों

को कम करने की दिशा में प्रयास करते हैं। आयात लाइसेन्स, निर्यात अनुदान (subsidy), सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी प्रतिबन्ध आदि गैर–शुल्क प्रतिबन्धों के उदाहरण हैं। डब्लूटीओ की सदस्यता में लगातार विस्तार हो रहा है, चीन और रूस के इसमें शामिल होने के बाद यह संगठन बहुत शक्तिशाली और प्रभावी संस्था बन गई है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों और विदेशी व्यापार के नियम निर्धारण में निर्णायक भूमिका रखती है। विश्व व्यापार संगठन इस बात का पक्षधर है कि वस्तुओं और सेवाओं का विश्व में मुक्त व्यापार हो और यह नियमबद्ध प्रणाली के आधार पर हो जिसमें पक्षपात रहित और पारदर्शी तरीके अपनाये गये हों।

17.2.1 विश्व व्यापार संगठन के कार्य

डब्लूटीओ ने गैट का स्थान लिया। गैट वास्तव में कोई संगठन नहीं था, अपितु एक अस्थाई समझौता मात्र था जिसका कार्य व्यापार सम्बन्धी वार्तायें सम्पन्न करना था। दूसरी ओर, डब्लूटीओ एक बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जोकि एक स्थाई संस्था है जिसका अपना संगठन ढांचा है। इसकी स्थापना सदस्य देशों के मध्य लम्बी बातचीत के बाद हुई है। यह व्यापार सम्बन्धी प्रमुख क्षेत्रों में वॉच डॉग की भूमिका निभाता है, व्यापार के प्रमुख क्षेत्र हैं– वस्तु व्यापार, सेवाओं का व्यापार, बौद्धिक सम्पदा व्यापार, कृषि, अनुदान, सरकारी दखल, व्यापार सम्बर्धन, विदेशी निवेश एवं व्यापार, व्यापार एवं श्रम मामले, व्यावसायिक वातावरण आदि। अनुच्छेद तीन के अनुसार, डब्लूटीओ के अग्रलिखित पांच कार्य हैं:

(ए) डब्लूटीओ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है। समय–समय पर इसके संरक्षण में जो समझौते सम्पन्न होते हैं उनका कार्यान्वयन, प्रशासन और संचालन का दायित्व डब्लूटीओ का होता है। संगठन का प्रयास होना चाहिए कि जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ये समझौते हुये हैं उन्हें प्राप्त करने के लिये हर संभव यत्न किये जायें।

(बी) डब्लूटीओ का सतत् यह प्रयास होना चाहिए कि बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का संचालन, प्रशासन और सुचारू क्रियान्वयन किया जाये। संगठन को विविध राष्ट्रों के मध्य इस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए कि यह आर्थिक वैश्वीकरण में सहायक हो।

(सी) डब्लूटीओ सदस्य देशों के लिये एक प्लेटफॉर्म अथवा फोरम के रूप में कार्य करेगा जहां सदस्य देश परस्पर समझौतों को लेकर विचार विमर्श कर सकें। यह सदस्य देशों में बहुपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धों को लेकर आने वाले विषयों को विचारार्थ स्वीकार करेगा और उनके समाधान का प्रयास करेगा।

(डी) व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिये सदस्यों को प्रबन्धकीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगा जिससे विवाद निवारण सम्बन्धी नियमों एवं विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(ई) डब्लूटीओ व्यापार नीति समीक्षा प्रणाली (Trade Policy Review Mechanism:TPRM) लागू करेगा। अनुपालन न करने वाले मामलों को चिन्हित करेगा ताकि सदस्य की ओर से सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(एफ) डब्लूटीओ इस प्रकार कार्य करेगा कि अन्य वैश्विक संस्थाओं के नीतिगत निर्णयों के साथ समन्वय स्थापित हो और बृहत आर्थिक नीति विकसित करने और लागू करने का कार्य सुगम हो सके। इस आशय से विश्व व्यापार संगठन दूसरी वैश्विक आर्थिक संस्थाओं– आईएमएफ, अंकटैड, विश्व बैंक और इसकी अनुषंगी संस्थाओं के साथ सहयोग बनाये रखेगा।

17.2.2 विश्व व्यापार संगठन (WTO) के उद्देश्य

विश्व व्यापार संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है कि विश्व अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार में उदारीकरण किया जाये। संगठन का लक्ष्य है

उदारीकरण की गति पर निगरानी रखना। यह विविध व्यापार समझौतों को आकार देने के लिये नियम आधारित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जिससे विचार विनिमय के बाद समझौते सम्पन्न हो सकें। इस कार्य में निष्पक्षता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह व्यापारिक परिवाद निवारण के लिये एक सुव्यवस्थित नियम आधारित प्रणाली प्रस्तुत करता है जो डब्लूटीओ के संरक्षण में किये गए समझौतों के सन्दर्भ में उपयोग में लाई जाती है। व्यापार समझौतों पर सदस्य देश के राजदूत के हस्ताक्षर होते हैं, बाद में इसका अनुमोदन सदस्य राष्ट्र की संसद से कराया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के उल्लेखनीय उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(अ) सदस्य देशों के मध्य जो समझौते सम्पन्न हुये हैं, उन्हें लागू करना और उनका अनुपालन सुनिनिश्चित करना डब्लूटीओ का प्राथमिक उद्देश्य है।

(ब) विश्व व्यापार का सुनियोजित विकास हो। साथ ही, विकास का लाभ प्रत्येक सदस्य देश तक पहुंचे।

(स) विश्व व्यापार में अभिवृद्धि के फलस्वरूप होने वाले लाभ में विकासशील देशों को अधिक भाग मिल सके, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

(द) वैश्विक व्यापार आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण उपकरण है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्जागरण के लिये पारदर्शी वैश्विक व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से, मुक्त व्यापार की दिशा में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना है।

(य) विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है कि सदस्य देशों में व्यापार प्रतिस्पर्धा की क्षमता में अधिकतम वृद्धि हो। बाजार में प्रतिस्पर्धा से ग्राहक वर्ग लाभान्वित होता है। इससे वैश्विक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। सदस्य देशों का मार्गदर्शन किया जाता है कि वे अपने तुलनात्मक लागत लाभ, स्वतन्त्र लागत लाभ, फैक्टर एन्डोमेण्ट लाभ का उपयोग अपने पक्ष में कर सकें।

(र) डब्लूटीओ का लगातार यह प्रयास होता है कि सदस्य देशों में उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हो। इसका परिणाम होता है कि सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

(ल) डब्लूटीओ का लक्ष्य है कि संसार में संसाधनों में बढ़ोत्तरी हो। साथ ही, संसाधनों का उपयोग सर्वोत्तम रीति से किया जाये।

(व) संगठन का उद्देश्य है कि सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आये। सदस्य ऐसी नीति अपनायें जिससे उनके आर्थिक विकास को गति मिल सके।

17.2.3 विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सिद्धान्त

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर हुई है। गैट के विविध दौर के विचार विनिमय के माध्यम से सर्वमान्य सिद्धान्त निर्धारित किये गए। डब्लूटीओ समझौते काफी विशद और जटिल हैं, इनकी विषय वस्तु कानून सम्बन्धी है। साथ ही, ये काफी विस्तृत विषयों से सम्बद्ध हैं जिनका प्रभाव एक दूसरे की गतिविधियों पर पड़ता है। कभी–कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि समस्या कहां है और इसका समाधान कैसे खोजा जाये। इसका कारण होता है, गतिविधियों का परस्पर सम्बद्ध होना और एक दूसरे को प्रभावित करना। डब्लूटीओ समझौतों को सम्पन्न करने और लागू करने के लिये आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर संगठन द्वारा कार्य किया जाता है। ये सिद्धान्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिये आधार बनते हैं। प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन आगे किया गया है:

(अ) पक्षपात रहित– विश्व व्यापार संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है– निष्पक्षता। इसका आशय है कि कोई देश अपने व्यापारिक साझेदार के साथ भेदभाव नहीं करेगा, अपने उत्पाद और विदेशी उत्पाद अथवा सेवाओं में भेद नहीं करेगा।

(ब) उदारवादिता – संगठन की कार्यशैली इस बात पर आधारित है कि अधिकाधिक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। सदस्यों के मध्य वैश्वीकरण का सर्वाधिक स्पष्ट उपाय है कि देश अपने व्यापार प्रतिबन्धों को कम करें। मुक्त व्यापार की दिशा में बढ़ने का उपाय है कि शुल्क दरों में कमी लाई जाये। साथ ही, गैर शुल्क प्रतिबन्धों, जैसे– आयात लाइसेन्स, अनुदान, कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाये।

(स) अपेक्षानुरूप एवं पारदर्शी– विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के मध्य एक ऐसे व्यापारिक वातावरण को सुनिश्चित करता है जिसमें सभी आशान्वित रहें और पादर्शिता को अपनायें। इसका आशय यह है कि देश व्यापार करने एवं विनियोग निर्णय करते समय आशवस्त रह सकें कि विदेशी कम्पनियां, विनियोगकर्ता और सरकारें व्यापार प्रतिबन्धों को लागू नहीं करेंगे और शर्तों में परिवर्तन नहीं कर देंगे। यह मेजबान देश पर दायित्व है कि वह बाद में भी अड़चनें न खड़ी करे। इस प्रकार डब्लूटीओ व्यापार और विनियोग के क्षेत्र में स्थायित्व और निश्चितता लाने को प्रतिबद्ध है। इससे विदेशी विनियोक्ताओं, कम्पनियों और सरकारों को अधिक विनियोग करने और व्यापार करने की प्रेरणा मिलती है। फलस्वरूप, बाजार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता, रोजगार अवसरों का सृजन होता है, उपभोग स्तर में वृद्धि होती है, देश की जीडीपी विकास दर में बढ़ोत्तरी होती है।

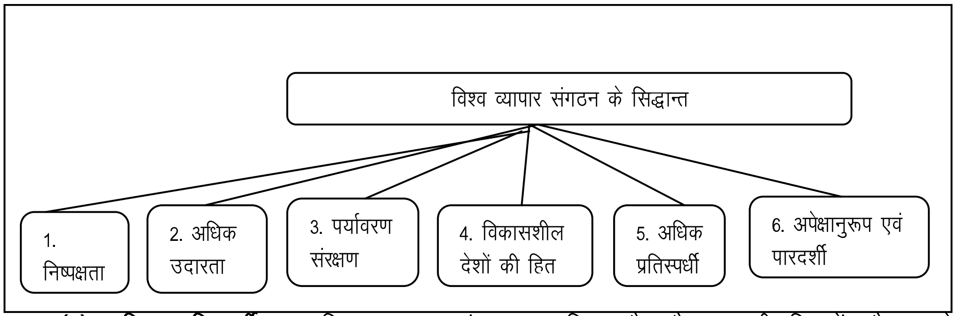

(द) अधिक प्रतिस्पर्धी – विश्व व्यापार संगठन अनुचित और गैर कानूनी नियमों और दूसरे प्रतिबन्धात्मक व्यवहारों को हतोत्साहित करता है, उदाहरण के लिये– कोटा प्रणाली, निर्यात अनुदान, लक्ष्य देश का बाजार हासिल करने के लिये उत्पाद को लागत से कम पर डम्प पर देना। डब्लूटीओ के नियमों एवं कार्य प्रणाली में स्पष्ट किया गया है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस सम्बन्ध में संगठन अपना निर्णय देता है जोकि सदस्य देश को मानना चाहिए।

(य) पर्यावरण संरक्षण– पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को लेकर हमारा समाज चिन्तित है। डब्लूटीओ समझौतों और नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सदस्य देश पर्यावरण सुरक्षा के लिये समुचित उपाय करें। साथ ही, जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पादप स्वास्थ्य के संरक्षण के लिये प्रयत्नशील रहा जाये। संगठन इस बात पर जोर देता है कि देशी और विदेशी उपक्रमों पर पर्यावरण विषयक समान नियम लागू किये जायें। किसी देश को यह करने की छूट नहीं होगी कि वह पर्यावरण सुरक्षा नियमों को व्यापार प्रतिबन्धात्मक व्यवहार के रूप में प्रयोग करने लगे और अपने देश के उद्योगों को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर दे।

17.2.4 डब्लूटीओ की संगठन संरचना

1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) अस्तित्व में आया। डब्लूटीओ ने गैट का स्थान लिया। अब, सदस्य देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन के लिये डब्लूटीओ सचिवालय पूरी तरह से उत्तरदायी है। विश्व व्यापार संगठन संरचना के छः प्रमुख अवयव हैं– 1. मंत्री परिषद 2. जनरल काउसिंल 3. व्यापार नीति समीक्षा समिति 4. परिवाद निवारण समिति 5.

वस्तु व्यापार एवं सेवा व्यापार समितियां 6.सचिवालय। डब्लूटीओ की संगठन संरचना को निम्न चार्ट के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है–

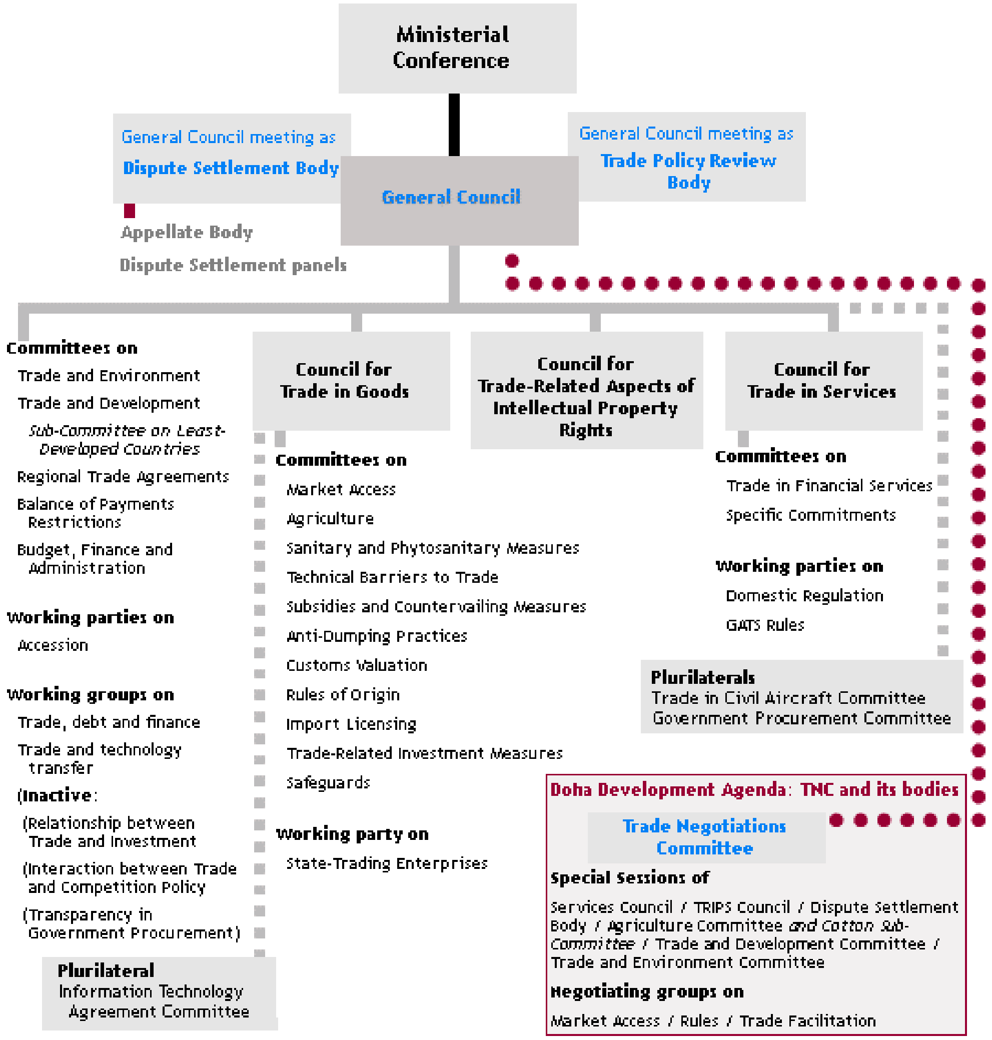

Source: Understanding the WTO 2011

(ए) मंत्री परिषद (Ministerial Conference) . यह संगठन की शीर्षस्थ संस्था है जिसमें सदस्य देशों के व्यापार मामलों के मंत्री होते हैं। सभी विचार विमर्श मंत्री परिषद में सम्पन्न होते हैं और सहमति बनाने के प्रयास किये जाते हैं। यह डब्लटीओ की नियामक समिति है। यह संगठन के लिये नीति निर्धारित करती है, व्यापार समझौतों के लिये नियम बनाती है, समझौतों को अन्तिम रूप देती है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अन्तिम फैसला मंत्री परिषद में ही लिया जाता है। प्रत्येक दो वर्ष में परिषद की एक बार बैठक होना अनिवार्य है। सदस्यों की आश्यकतानुरूप अथवा आपातकालिक विषय होने की स्थिति में यह मीटिंग पहले भी बुलाई जा सकती है। अधिकांश मामलों में निर्णय सर्व सम्मति के आधार पर होते हैं। किसी विषय पर आम राय न बन पाने की स्थिति में मतदान कराया जाता है, क्योंकि 159 सदस्य देशों के विविध आर्थिक हित और भिन्न प्राथमिकतायें होती हैं।

(बी) जनरल काउंसिल (General Council)– सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को शामिल करके काउंसिल बनती है, ये प्रायः राजदूत स्तर के व्यक्ति होते हैं। जनरल काउंसिल संगठन का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। यह डब्लूटीओ के दिन–प्रतिदिन के कार्यों और प्रबन्ध के लिये

उत्तरदायी है। काउंसिल की मीटिंग प्रायः विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय, जिनेवा में सम्पन्न होती हैं। कभी–कभी विषयों को अनौपचारिक ढंग से रखने के लिये रीट्रीट मीटिंग भी आयोजित की जाती हैं। व्यापार समझौतों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय काउंसिल में लिये जाते हैं। मंत्री परिषद के अतिरिक्त सभी अन्य समितियां एवं संगठन के अन्य अंग अपने कार्यों के विषय में काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं।

(स) व्यापार नीति समीक्षा समिति (Trade Policy Review Body)– समीक्षा समिति में सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। व्यापार नीति की समीक्षा व्यापार समझौता वार्ता के उरुग्वे राउण्ड के आधार पर की जाती है। समिति का दायित्व है कि समीक्षा पद्धति का अनुपालन सुनिश्चित करे। समिति के लिये आवश्यक है कि सदस्य देशों की व्यापार नीति और व्यवहारों की सामयिक समीक्षा करे। व्यापार नीति समीक्षा रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इनसे यह मालूम होता है कि सदस्य देश समझौतों का पालन किस प्रकार कर रहे हैं। वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन उचित रीति से कर रहे हैं अथवा नहीं। समीक्षा का उद्देश्य यह है कि सदस्य समझौते के नियमों और शर्तों का पालन सही प्रकार से करें

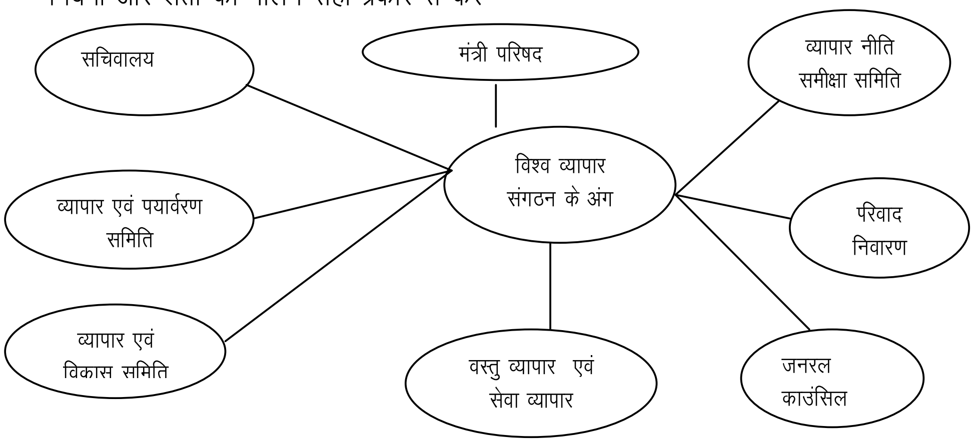

(डी) परिवाद निवारण समिति (Dispute Settlement Body)– समिति में, विश्व व्यापार संगठन के सभी 159 सदस्य देश हैं। यह समिति परिवाद निवारण के कार्य के लिये उत्तरदायी है। सदस्यों के विवादों की सुनवाई की जाती है और उन्हें हल करने का प्रयास किया जाता है। मामलों के लिये विशेष पैनल का गठन किया जाता है। डब्लूटीओ के निर्णयों को लागू करने में जो विवाद होते हैं उनके विषय में भी यह समिति समाधान देती है। परिवाद निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में, सदस्य देश स्थाई अपीलीय समिति के पास जा सकते हैं। अपीलीय समिति 1994 में अस्तित्व में आई थी। परिवाद निवारण समिति के निर्णय सदस्यों के लिये मानना अनिवार्य है और ये पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं। सदस्यों के द्वारा समिति के आदेश का सदभावना के साथ अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

(ई) वस्तु व्यापार समिति एवं सेवा व्यापार समिति (Councils on Trade in Goods and Trade in Service)– ये जनरल काउंसिल के अधीन कार्य करती हैं। इनका कार्य वस्तु और सेवा व्यापार के समझौतों से सम्बन्धित होता है। उदाहरण के लिये, वस्त्र उद्योग और कृषि से सम्बन्धित समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, जिनमें सदस्य देशों का निर्यात बहुत होता है और रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये समितियां व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौतों की प्रगति पर भी निगरानी रखती हैं।

(एफ) सचिवालय (Secretariate) – विश्व व्यापार का सचिवालय जिनेवा में स्थित है, इसका सर्वाच्च अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता है। छः सौ से अधिक व्यक्तियों का स्टाफ सचिवालय

में काम करता है। सचिवालय में कार्यरत स्टाफ में विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, व्यापार विश्लेषक, परामर्शदाता और संवाद विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। संगठन के सभी प्रशासनिक कार्य सचिवालय में सम्पन्न होते हैं। समग्र संगठन को व्यवस्थित ढंग से चलाने और सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिये सचिवालय उत्तरदायी होता है। सचिवालय के पास निर्णय लेने के कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं, किन्तु समझौतों को प्रस्तुत करने से लेकर सम्पन्न कराने और क्रियान्वयन में सचिवालय की भूमिका अहम होती है। वर्तमान में, विश्व व्यापार संगठन सचिवालय में डायरेक्टर जनरल के पद पर श्री पास्कल लैमी आसीन हैं। सदस्य देश डायरेक्टर जनरल का चयन करते हैं।

17.3 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। ब्रेटन वुड्स समझौते के आधार पर 44 देशों ने मिलकर कोष की स्थापना की। आईएमएफ की स्थापना का प्रधान लक्ष्य था कि विश्व अर्थव्यवस्था को ठीक जाये जोकि युद्ध के दुष्चक्र में फंसी थी, आर्थिक मन्दी के दुष्प्रभाव चल रहे थे और आर्थिक संसाधनों का विनाश हुआ था। देश स्वर्णमान प्रणाली की ओर वापस लौटने के लिये प्रयासरत थे, किन्तु परस्पर विश्वास का नितान्त अभाव था। इस पृष्ठभूमि में देश, आर्थिक मन्दी का सामना कर रहे थे। आर्थिक पर्यावरण दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना, कट्टरपंथी शक्तियों ने अपने समाज को एकत्र करके युद्ध के लिये प्रेरित किया। इनमें जर्मनी और इटली के नाम उल्लेखनीय हैं। देशों का एक दूसरे पर भरोसा न होने के कारण, आपस में व्यापार के लिये शर्तें तय कर पाना सम्भव नहीं हो रहा था। परस्पर संदेह के वातावरण में सभी देश राष्ट्रवादी नीति अपना रहे थे जिसके अन्तर्गत भारी व्यापार प्रतिबन्ध, विनिमय नियन्त्रण, निर्यात सम्बर्धन, आयात नियन्त्रण आदि उपाय किये जा रहे थे। फलस्वरूप, राष्ट्रों के मध्य भारी व्यापार असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी।

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति को ओर था, तब 44 देशों के नेताओं के मध्य कई दौर की बातचीत के बाद दो आर्थिक संस्थाओं के स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव का मसौदा अर्थशास्त्री मार्शल और व्हाइटमैन ने तैयार किया था। इनमें पहली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थी जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थायित्व बनाना था। साथ ही, देशों की मदद करना जिससे कि वे अपनी आर्थिक कठिनाईयों को दूर कर सकें। गरीबी उन्मूलन भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राथमिकता थी। दूसरी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक थी जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक का पहला लक्ष्य कि युद्ध प्रभावित देशों में पुनर्निर्माण का कार्य सम्पन्न कराया जाये। दूसरा प्रमुख लक्ष्य था कि एशिया एवं अफ्रीका में नये आजाद हुए देशों में विकास की गतिविधियां शुरू की जा सकें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य से 1 जुलाई से 22 जुलाई तक 1944 में ब्रेटन वुडस, न्यू हैम्पशायर (यूएसए) में संयुक्त राष्ट्र संघ की मौद्रिक एवं वित्तीय कांफ्रेस आयोजित की गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 मार्च 1947 से अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को परामर्शी सेवायें भी उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से जब वे किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे हों। ऐसी स्थिति में, वित्तीय विकल्पों और उपायों पर नीतिगत सुझाव देता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों का प्रमुख आशय है कि विकासशील देशों में व्यापक आर्थिक स्थिरता आये और गरीबी निवारण हो। श्रम, व्यापार और टैक्स उपायों के सन्दर्भ में मुद्रा कोष के नीतिगत सुझाव देशों के लिये बहुत उपयोगी होते हैं। आईएमएफ के परामर्श से वे समय रहते अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से देश वैश्वीकरण के

प्रतिकूल प्रभावों से अपने को सुरक्षित करने में कामयाब हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- डब्लूटीओ देश विशेष और समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों की आर्थिक स्थिति और रूझान का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर सदस्यों को तथा उनके केन्द्रीय बैंक को नीतिगत उपायों के विषय में सुझाव देता है।
- डब्लूटीओ के द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंकों के आधार पर शोध अध्ययन सम्पादित किये जाते हैं। संकलित समंकों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के लिये पूर्वानुमान करके उपायों की खोज की जाती है। वैश्विक, क्षेत्रीय और अर्थव्यवस्था विशेष के लिये शोध आधारित नीतिपरक सलाह प्रस्तुत की जाती है।
- कठिनाई के समय में, आर्थिक समस्याओं से निबटने के लिये अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को ऋण देता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लक्ष्य है कि विकासशील और पिछड़े देशों में गरीबी का स्तर कम किया जाये। इस उद्देश्य से गरीबी उन्मूलन के निमित्त यह सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है।
- सदस्य देशों में दक्षता अभिवृद्धि, प्रभावशीलता और उत्पादकता में सुधार के लिये तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराता है।

17.3.1 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक कार्य है कि वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली में समष्टि आर्थिक स्थायित्व कायम रहे। आईएमएफ का तत्कालीन उद्देश्य था कि उस समय के आर्थिक संकट में सदस्य की सहायता की जाये, साथ ही आर्थिक उन्नति, समाज सुधार और गरीबी उन्मूलन के कार्य में उनकी मदद की जाये। आईएमएफ के चार्टर में इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निर्धारित कार्यों का उल्लेख है। आईएमएफ के प्रमुख कार्य चार्ट में दर्शाये गए हैं:

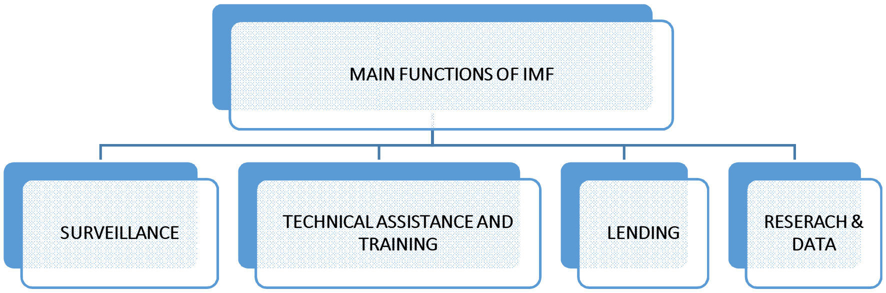

Source: International Monetary Fund

- निगरानी – आईएमफ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि आर्थिक स्थिरता बनाये रखने का प्रयास किया जाये। साथ ही, वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास दर तीव्रतर हो और संतुलित सामाजिक–आर्थिक विकास घटित हो। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को परामर्श करता है कि सदस्य सुस्थिर विकास के लिये किस प्रकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियां अपनायें। आईएमफ वैश्विक, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तनों पर लगातार नजर रखता है, आर्थिक नीतियों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रभावों की परीक्षा करता है।

आईएमएफ व्यापक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विषयक विश्लेषण सम्पादित करता है, इनमें विकास के वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के समंकों का अध्ययन किया जाता है और रूझान स्पष्ट किया जाता है। यह बहुपक्षीय निगरानी का उपाय है। इस विश्लेषण और अध्ययन के आधार पर तीन अर्धवार्षिक प्रकाशन जारी किये जाते हैं:

(i) World Economic Outlook

(ii) Global Financial Stability Report

(iii) Fiscal Monitor

इनके अतिरिक्त, क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक श्रंखला भी प्रकाशित होती है, जिसका उद्देश्य है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के विविध पहलुओं को समझा जा सके और उनके समाधान खोजे जा सकें। विगत वर्षों में, आईएमएफ ने प्रयास किया है कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तीय निगरानी के उद्देश्य से विश्लेषण के कार्य को और अधिक विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाये।

- **तकनीकी सहायता एवं ट्रेनिंग–** आईएमएफ का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। इस सहायता और प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि देश अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये प्रभावी नीतियां डिजाइन कर सकें और उन्हें लागू कर सकें। इन नीतियों के लक्ष्य होते हैं– आर्थिक स्थिरीकरण, संतुलित और सतत् विकास, प्रगति के साथ रोजगार सृजन, वैश्विक और क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाना। इन सबके साथ, अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि गरीबी के स्तर में सुधार लाया जाये। आईएमएफ द्वारा जिन क्षेत्रों में प्रमुखता से तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

  (ए) राजकोषीय नीति

  (बी) मौद्रिक नीति

  (सी) विनिमय दर नीति

  (डी) आर्थिक एवं वित्तीय कानून रचना

  (ई) बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षण और नियमन

  (एफ) विश्वसनीय समंकों का संग्रहण

- **ऋण प्रदान करना–** अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है – सदस्यों को ऋण के रूप में वित्त उपलब्ध कराना। प्रायः ये ऋण दीर्घ अवधि के होते हैं। वर्तमान समय आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का युग है, इसमें सदस्यों को अपनी घरेलू आर्थिक चुनौतियों के साथ उन चुनौतियों का भी सामना करना होता है जो दूसरे देशों के खराब आर्थिक हालात की वजह से उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिये, 2011 के ग्रीक आर्थिक संकट से कई यूरोपीय देश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुये। संकटग्रस्त देशों को आईएमएफ की आर्थिक सहायता से अपना भुगतान संतुलन ठीक करने में सहयोग और समय मिल जाता है। ऋण राशि पर ब्याज की दर इस पर निर्भर करती है कि ऋण किस उद्देश्य के लिये लिया जा रहा है। प्रायः कम आय वाले देशों को रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराया जाता है।
- **समंक समेकन एवं शोध–** अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रधान कार्यों में सम्मिलित है– समंकों का संकलन एवं शोध। आईएमएफ के शोध कार्यों का उद्देश्य होता है कि देशों के लिये उपयुक्त आर्थिक नीतियां विकसित करने में मदद की जा सके। आईएमएफ के प्रकाशनों को विश्व भर में सन्दर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके प्रकाशनों

को दो देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तुलना करने के लिये बेन्चमार्क के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आईएमएफ सदस्य देशों के साथ मिल कर श्रेष्ठ लेखांकन मानक और कोड विकसित करने की दिशा में कार्य करता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सतत् यह प्रयत्न रहता है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ बने ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट के सम्भावना को कम किया जा सके।

17.3.2 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकाल के विविध चरण

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये विविध महत्वपूर्ण कार्य अलग–अलग समय पर सम्पादित किये हैं, जिन्हें निम्न प्रकार पांच चरणों में विभाजित कर संक्षेप में समझा जा सकता है–

- **सहयोग एवं पुनर्निर्माण (1944–71)** – आईएमएफ के पहले चरण को आर्थिक सहयोग और पुनर्निमाण का काल कहा जाता है। इस समय आईएमएफ का लक्ष्य था कि युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाये, इनमें जर्मन, फ्रान्स, यूके, इटली और जापान प्रमुख रूप से थे। आईएमएफ ने पुनर्निर्माण के इस कार्य पर लाखों डालर की राशि व्यय की, इस अभियान को मार्शल प्लान का नाम दिया गया था। वैश्विक मौद्रिक प्रणाली की निगरानी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बहुत व्यापक भूमिका का निर्वहन किया और जहां भी विनिमय दर स्थिरीकरण के लिये आवश्यक हुआ, तुरन्त प्रभावी उपाय किये। आईएमएफ ने सदस्य देशों को विनिमय प्रतिबन्धों में कमी लाने को सहमत किया जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जा सके।
- **ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भंग (1972–81)**– वर्ष 1971 में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली ध्वस्त हो गई, अब डॉलर मानक मुद्रा नहीं रही। अब देश अपने पृथक विनिमय प्रबन्ध करने के लिये स्वतन्त्र हो गए, अब विनिमय दर केवल डॉलर पर आधारित न होकर कई प्रमुख मुद्राओं पर निर्भर थी। तेल उत्पादक देशों के संगठन, ओपेक ने अधिक कीमत लेने के आशय से तेल आपूर्ति पर नियन्त्रण कर लिया। फलस्वरूप, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई। तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर हुआ, इनकी भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ गई जिससे इनका आर्थिक विकास बाधित हो गया। विश्व अर्थव्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संरचनागत असंतुलन उत्पन्न हो गया। स्थिर विनिमय दर प्रणाली भंग होने और तेल मूल्यों से पैदा हुए संकट के समय, आईएमएफ सदस्य देशों की मदद के लिये आगे आया और प्रभावित देशों की सहायता की।
- **ऋण के कठिन वर्ष एवं सुधार (1982–89)**– तेल मूल्यों में वृद्धि का दुष्प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक हुआ। भारत सहित, बहुत देशों ने तेल संकट का सामना किया। परिणामस्वरूप, इन देशों पर भारी विदेशी ऋण हो गया। कुछ देशों के सम्मुख भुगतान संतुलन की समस्या गम्भीर हो गयी। विदेशी ऋणग्रस्तता से निबटने के लिये कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिये खोल दिया। इन देशों में प्रमुखता से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया के नाम उल्लेखनीय हैं। अपनी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का तालमेल वैश्विक आर्थिक स्थितियों के साथ बिठाने में आईएमएफ ने देशों की काफी मदद की।
- **यूएसएसआर विघटन, जर्मन एकीकरण, एशियन संकट(1990–2004)**– यूएसएसआर का विघटन हुआ और यह 15 स्वतन्त्र देशों में तब्दील हो गया। रूस सहित इन सभी देशों

ने गहन आर्थिक संकट का सामना किया। इसीप्रकार पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ, जबकि दोनों देशों के आर्थिक विकास स्तर में काफी असमानता थी। दक्षिण पूर्व के देशों में विनिमय दर की समस्या उत्पन्न हुई जोकि थाईलैण्ड से शुरू होकर क्षेत्र के सभी देशों में फैल गई। फलस्वरूप, इन क्षेत्र में आर्थिक मन्दी आ गई और रोजगार अवसरों में कमी हो गई। आईएमएफ ने सभी देशों की मदद में अहम् भूमिका निभायी। सोवियत संघ के विघटन के बाद, केन्द्रीय आर्थिक नियोजन का युग समाप्त हुआ और बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं का उदय हुआ। आईएमएफ ने पूर्वी जर्मनी के आर्थिक विकास के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहयोग प्रदान किया। वर्ष 1997 में दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक संकट से प्रभावित देशों की भी आईएमएफ द्वारा मदद की गई।

वैश्वीकरण, आर्थिक मन्दी एवं यूरोप ऋण संकट (2005 से वर्तमान तक)– वैश्विक पूंजी का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को निरन्तर प्रवाह बने रहने के विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होंगे, अर्थशास्त्री इस अध्ययन में लगे हुये हैं। अनियन्त्रित विदेशी विनिमय प्रवाह, डैरिविएटिव्स जैसे हैजिंग उपायों का सृजन, नियमन विहीन वित्तीय बाजार मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था के सम्मुख बड़ी आर्थिक चुनौतियां पैदा करते हैं। यूएसए के सब्प्राईम संकट (subprime crises) और इसके बाद वैश्विक मन्दी का विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा। भारत पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव हुआ। यूरोपीय ऋण संकट के कारण आर्थिक परिदृश्य बदतर हुआ, आर्थिक पुनरुत्थान के परम्परागत उपाय बिल्कुल विफल रहे। अब प्रतीक्षा और अवलोकन करने का समय है क्योंकि कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि विश्व में आर्थिक और व्यापार वृद्धि दर कब तक सामान्य स्तर तक पहुंच जायेगी। व्यापक आर्थिक संकट से निबटने में आईएमएफ की भूमिका सराहनीय रही है, देशों को नीति निर्धारण में उपयोगी परामर्श दिया गया और उन्हें उदार आर्थिक सहायता दी गई। आईएमएफ द्वारा प्रभावित देशों में गरीबी उन्मूलन योजनायें चलाई गयीं जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

17.4 विश्व बैंक (World Bank)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का लक्ष्य है कि मध्य आय समूह देशों में गरीबी में कमी लाई जाये। साथ ही, ऋण के लिये विश्वासपात्र देशों को स्थाई एवं सतत् विकास के लिये उधार, गारण्टी, जोखिम प्रबन्धन उत्पाद, विश्लेषण एवं परामर्शी सेवायें उपलब्ध करायी जायें। वर्ष 1944 में, विश्व बैंक समूह की मूल संस्था के रूप में आईबीआरडी की स्थापना 188 सदस्य देशों के द्वारा की गई, इसका स्वामित्व और संचालन दायित्व सदस्यों के पास है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लाभ के लिये काम करना है। अतः यह संगठन सहकारिता सिद्धान्त पर आधारित है।

आईबीआरडी अपने संसाधनों की व्यवस्था वैश्विक वित्त बाजार से करता है। 1947 में सर्वप्रथम, बॉण्ड जारी करने के बाद से विश्व बैंक बाजार में एक सुदृढ़ ऋणग्राही के रूप में स्थापित है। आईबीआरडी ने विगत लम्बी अवधि में जो आय अर्जित की है उससे वह विकास गतिविधियों के लिये उधार देने की स्थिति में है। साथ ही, अपनी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के आधार पर सस्ता ऋण लेने में सक्षम है। परिणामस्वरूप, अपने लाभ्यार्थियों को भी रियायती और सुगम शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा सकता है।

17.4.1 विश्व बैंक का इतिहास

आईबीआरडी की स्थापना 1944 में इस उद्देश्य के साथ हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित यूरोप का पुनरूत्थान हो सके। आईबीआरडी विश्व बैंक समूह की पांच संस्थाओं में एक

प्रमुख संस्था है। आईबीआरडी विश्व बैंक के प्रधान अंग के रूप में कार्य करता है, यह मध्य आय वर्ग देशों और उधार के लिये विश्वासपत्र गरीब देशों के लिये काम करता है। यह उन देशों में सतत् विकास, समतापूर्ण नीति, रोजगारपरक विकास, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय और वैश्विक पहचान जैसे विषयों पर सहायता और सहयोग प्रदान करता है।

आईबीआरडी एक सहकारी संगठन संरचना है जोकि 187 सदस्य देशों के परस्पर हित के लिये कार्यरत है। इसका स्वामित्व और संचालन दोनों ही सहकारिता सिद्धान्त पर आधारित हैं। आईबीआरडी द्वारा अपने सदस्य देशों को दी जाने वाले उत्पाद और सेवायें अत्यधिक गुणवत्तापरक होते हैं, इनमें समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बैंक के लचीले वित्तीय उत्पाद, विशिष्टतापूर्ण उत्पाद, तकनीकी सेवायें, ज्ञान और रणनीतिपरक परामर्श से सदस्य को अत्यधिक लाभ होता है। आईबीआरडी के माध्यम से सदस्यों को किसी भी दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की तुलना में अधिक मात्रा में, अधिक लम्बी अवधि के लिये, अधिक सुगम शर्तों पर निरन्तर ऋण मिल जाता है। विश्व बैंक निधि से आईबीआरडी देशों को जो पूंजी मिलती है वह वैश्विक वित्तीय बाजार से मिलने वाले साधनों की अपेक्षा सस्ती, सुलभ और सरल पड़ती है। आईबीआरडी अपने सदस्य देशों के लिये विशेष रूप से जो कार्य करता है, वे इस प्रकार हैं–

(ए) मानवीय और समाज विकास के ऐसे प्रयोजनों के लिये मदद देता है जिनके लिये निजी उद्यम ऋण नहीं देते हैं।

(बी) संकट के समय ऋणग्राहियों को वित्तीय सहायता देता है जिससे वे कठिनाई से उबर सकें। यह सहायता गरीब लोगों की मदद के लिये दी जाती है जो किसी मुसीबत में फंस गए हों।

(सी) वित्तीय साधनों का उपयोग इस प्रकार करता है कि महत्वपूर्ण नीतिगत और संस्थागत विविध सुधार प्रोत्साहित हों, उदाहरण के लिये भ्रष्टाचार विरोध उपाय।

(डी) निवेश के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करता है जिससे कि निजी पूंजी का भी लाभ मिल सके।

(ई) सभी देशों में गरीब जनसंख्या के कल्याण के लिये विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता देता है। यह अनुदान राशि आईबीआरडी की शुद्ध आय से दी जाती है।

संसार की कुल गरीब जनसंख्या के लगभग 70 प्रतिशत लोग मध्य आय वर्ग देशों में बसते हैं, ये देश ही आईबीआरडी का कार्यक्षेत्र हैं। पिछले दो दशकों में, इन देशों में आर्थिक प्रबन्धन और प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। यहां रणनीतिक, बौद्धिक और वित्तीय संसाधनों की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है जिन्हें विश्व बैंक उपलब्ध कराता है। आईबीआरडी के समक्ष चुनौती यह होती है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुये जरूरतमन्द देशों को मदद पहुंचायी जाये।

मध्य आय वर्ग समूह देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, आईबीआरडी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। इन संस्थाओं में उल्लेखनीय हैं– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), बहुपक्षीय विनियोग गारण्टी एजेन्सी (MIGA), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक। अब, आईबीआरडी का प्रयास है कि सदस्य देश अपने संचित ज्ञान, विकास के अनुभव, सहयोगियों, दानदाताओं, नागरिक समाज के साझेदारों और विकास समुदाय के आधार पर आत्मनिर्भर हो जायें।

17.4.2 विश्व बैंक का वित्तीय प्रबन्ध

आईबीआरडी अपने संसाधनों का प्रबन्ध विश्व वित्त बाजार से करता है। 1947 में, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित यूरोप के पुनर्निर्माण के लिये वित्त व्यवस्था हेतु आईबीआरडी ने पहली बार बॉण्ड जारी किये, तभी से आईबीआरडी को बाजार में एक सुस्थापित ऋणग्राही के

रूप में स्वीकृति मिल गई। विनियोगकर्ता अपनी पूंजी आईबीआरडी बॉण्ड्स में सुरक्षित मानते हैं। साथ ही, उनके लिये यह एक लाभप्रद विकल्प होता है। इसके अतिरिक्त, यह राशि जरूरतमन्द देशों के विकास के लिये उपयोग में लाई जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में आईबीआरडी का अहम् स्थान है। आईबीआरडी के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाता है– नए आधुनिक ऋण उत्पादों का विकास; बॉण्ड जारी करने के लिये नए बाजारों का विस्तार; पेन्शन फण्ड, बीमा कम्पनियों, केन्द्रीय बैंक और निजी क्षेत्र में विनियोग करने वाले निवेशकों का व्यापक आधार तैयार करना।

विश्व बैंक की उधार सम्बन्धी आवश्यकतायें मुख्य रूप से विकास परियोजनाओं के लिये ऋण देने की गतिविधियों पर निर्भर करती है। कालान्तर में, आईबीआरडी के उधार लेने और ऋण देने के तरीकों में बदलाव आया है, अब वार्षिक आधार पर उधार कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। उदाहरण के लिये, 1998 में आईबीआरडी की उधार राशि 28 बिलियन डॉलर के चरम स्तर पर थी, इसका कारण था –एशियन वित्तीय संकट। अब, यह राशि 10 से 15 बिलियन डॉलर के मध्य रहती है।

वर्ष 1959 से आईबीआरडी को क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीज से ''ट्रिपल ए'' स्टेटस हासिल है, इसलिए आईबीआरडी को बहुत आकर्षक दरों पर आसानी से पूंजी बाजार से ऋण मिल जाता है। बैंक यूएस डॉलर में ऋण लेता है। बैंक को उसी लागत पर फंड मिल जाते हैं जो लागत यूएस कोषागार के लिये होती है। आईबीआरडी को इसलिये भी ऊंची क्रेडिट रेटिंग मिलती है क्योंकि इसको अपने 186 सदस्य देशों का समर्थन हासिल है और स्वाभाविक रूप से उनकी सरकारों की सम्मति प्राप्त है। आईबीआरडी की बैलेंस शीट से इसकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का संकेत मिलता है। यदि कोई सदस्य अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, आईबीआरडी प्राथमिकता से ऐसे देश की सहायता करता है। आईबीआरडी निवेशकों की पसन्द में सम्भावित बदलाव पर भी नजर रखता है और उसके अनुरूप विनियोग निर्णय लेता है, इसका लाभ उसे मिला है। इस नीति के आधार पर जोखिम प्रबन्धन के क्षेत्र में निवेश किया गया।

आईबीआरडी अभिनव ऋण उत्पाद विकसित करने के लिये जाना जाता है। 1981 में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहला मुद्रा विनिमय (currency swap) प्रयोग अत्यन्त सफल रहा। बाद में, 1989 में, पहले अन्तर्राष्ट्रीय बॉण्ड जारी करने का श्रेय भी आईबीआरडी को मिला। वर्ष 2000 में आईबीआरडी द्वारा इण्टरनेट आधारित बॉण्ड लाये गये। विश्व बैंक ने सन् 2003 में बाजार में पूर्णतया इलैक्ट्रोनिक स्वैप ऑक्शन क्रियान्वित किया। आईबीआरडी के नवोन्मेष व्यवहार वैश्विक विकास को गति देने में सहायक हुए हैं। यद्यपि इसकी अधिकांश उधारी यूएस डॉलर में है, फिर भी 40 से अधिक मुद्राओं में यह बॉण्ड जारी कर चुका है। नये पूंजी बाजारों में आईबीआरडी के निर्गम बाजार की संरचना और क्षमता में सुधार लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुये हैं।

आईबीआरडी की वार्षिक आय के दो प्रमुख स्रोत हैं – पहला, समता अंशों पर प्रत्याय और दूसरा, दिये गए ऋणों पर रखा गया थोड़ा मार्जिन। लाभ की इस राशि से बैंक के संचालन व्यय पूरे होते हैं और शेष राशि संचित कोष का हिस्सा बनती है। संचित कोष से बैंक की बैलेंस शीट मजबूत होती है। इसी लाभ राशि में से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिये भी वार्षिक अन्तरण किया जाता है। आईबीआरडी ने बहुत बड़ी राशि विश्व बैंक से इस आशय से ली हुई है कि विश्व में गरीबी का उन्मूलन किया जाये। आईबीआरडी ने अपना कार्य निष्पादन बहुत कम लागत पर सम्पन्न किया है। सरकारों ने 1946 से अब तक 11 बिलियन डॉलर की राशि पूंजी के रूप दी है, बैंक अब तक 400 बिलियन डॉलर से भी अधिक राशि का ऋण स्वीकृत कर चुका है।

17.4.3 विश्व बैंक के उत्पाद और सेवायें

आईबीआरडी का लक्ष्य कि मध्य आय वर्ग के गरीब और साख विश्वस्त देशों में स्थिर और सतत् विकास सुनिश्चित किया जाये। इस उद्देश्य से बैंक इन्हें ऋण, गारण्टी, जोखिम प्रबन्धन उत्पाद, विश्लेषण और परामर्शी सेवायें मुहैया कराता है। जैसा कि चार्ट में अंकित किया गया है, आईबीआरडी के कार्य कलापों की तीन प्रमुख धारायें हैं–

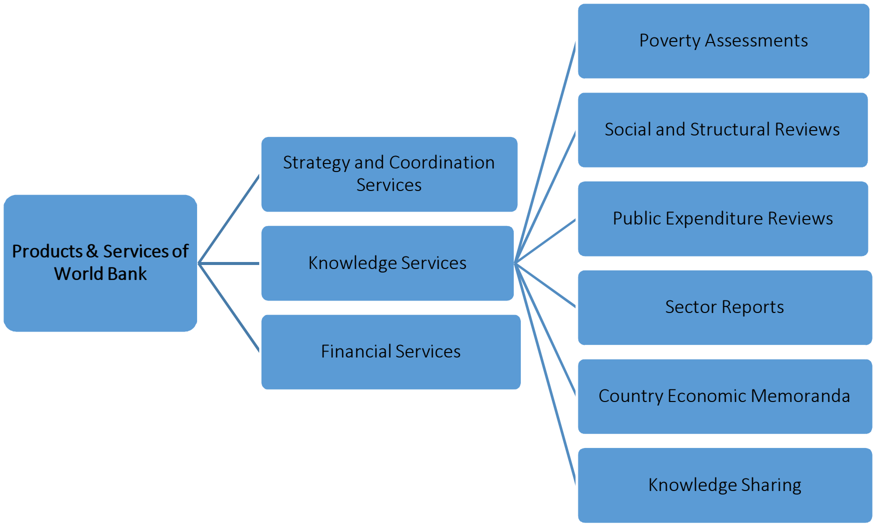

Source: World Bank

सितम्बर 2006 में सम्पन्न हुई विश्व बैंक की वार्षिक सभा में अंशधारी सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव किया गया कि बैंक की सेवाओं में और सुधार किया जायेगा। विश्व बैंक ने मध्य आय वर्ग देशों के लिये अपनी सेवाओं के विस्तार के लिये वर्ष 2002 में एक कार्यक्रम तैयार किया, इसमें प्रमुख आयाम थे– वित्तीय और जोखिम प्रबन्धन उत्पादों की पुनर्संरचना, शुल्क मुक्त ज्ञान सेवाओं का विस्तार, सदस्यों के लिये लेनदेन प्रक्रिया का सरलीकरण करके सुगम बनाना। वर्तमान में भी, बैंक ने यह स्वीकार किया है कि देशों की बदले हुये परिवेश में नई और यथार्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

17.4.4 संगठनात्मक संरचना और सहयोगी संस्थायें

वर्ष 1957 से 1988 के मध्य आईबीआरडी की चार अनुषंगी संस्थाओं का उदय हुआ। समूह के सभी सदस्यों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईबीआरडी एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका स्वामित्व सदस्य देशों की सरकार के पास है। यद्यपि यह लाभार्जन करती है, किन्तु लाभों का उपयोग निरन्तर चल रहे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिये किया जाता है।

एक दृष्टि से, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र का अंग है, लेकिन इसका प्रशासन और संरचना भिन्न हैं। विश्व बैंक समूह की प्रत्येक संस्था का स्वामित्व इसके सदस्य देशों की सरकार के पास है, सदस्य इनकी आधार पूंजी में अंशदान करते हैं। अंश पूंजी के अनुपात में इन्हें वोट का अधिकार मिलता है। एक निश्चित मतदान शक्ति सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त है, इसके बाद अतिरिक्त मताधिकार उन्हें संगठन के लिये किये गए वित्तीय अंशदान के आधार पर मिलता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम यूएस राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है और इसका निर्वाचन बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं। 15 नवम्बर, 2009 को सदस्य राष्ट्रों के मताधिकार की स्थिति इस प्रकार थी– कुल मतों का 16.4 प्रतिशत यूएस के पास, जापान 7.9 प्रतिशत, जर्मनी 4.5 प्रतिशत, यूके 4.3, फ्रान्स 4.3 प्रतिशत। यदि बैंक के चार्टर में कोई परिवर्तन करना हो, इसके लिये 85 प्रतिशत के सुपर बहुमत की आवश्यकता होती है। यूएस, बैंक के नियामक

ढांचे में किसी भी बड़े परिवर्तन पर रोक लगा सकता है। विश्व बैंक परिवार के सदस्य इस प्रकार हैं–

(ए) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1945 में हुई, यह सार्वभौम गारण्टी के आधार पर ऋण वित्त उपलब्ध कराता है।

(बी) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई, यह बिना सार्वभौम गारण्टी के कई प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है। निगम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को पूंजी उपलब्ध कराता है।

(सी) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) की स्थापना 1960 में हुई, संघ रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराता है। कई बार ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान भी दिया जाता है। प्रायः इसके लिये सार्वभौम गारण्टी ली जाती है।

(डी) अन्तर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केन्द्र की स्थापना 1966 में हुई, यह केन्द्र सरकारों के साथ मिलकर निवेश जोखिम कम करने की दिशा में काम करता है।

(ई) बहुपक्षीय निवेश गारण्टी अभिकरण (MIGA) की स्थापना 1988 में हुई, एजेन्सी कतिपय जोखिमें के विरुद्ध बीमा उपलब्ध कराती है, इसमें राजनैतिक जोखिम भी शामिल है। इसकी सुविधायें मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के लिये हैं।

सामान्यतया, विश्व बैंक का आशय आईबीआरडी और आईडीए से लिया जाता है। किन्तु, जब विश्व बैंक समूह कहा जाये, तब इसका अर्थ सामूहिक रूप से पांचों संस्थाओं के रूप में लिया जाता है।

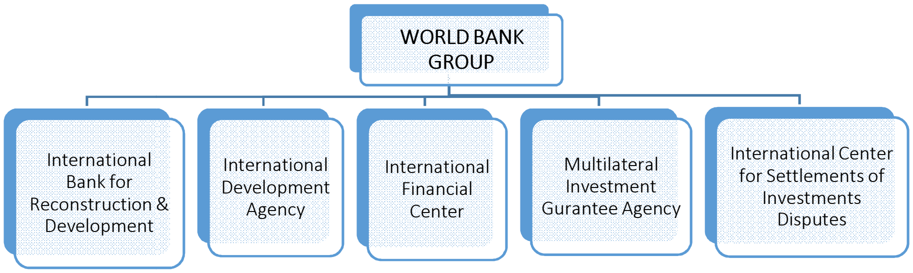

17.5 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद (United Nations Conference on Trade & Development)

विकासशील देशों की विश्व व्यापार में भूमिका वृद्धिमान रही है, विशेष रूप से ऐसे देश जिन्होंने अपने विकास के लिये ही स्वतन्त्रता हासिल की। परिणामस्वरूप, संसार भर के विकासशील देशों ने औपचारिक और अनौपचारिक कई दौर की बातचीत की। ये विचार विमर्श जिन राजनेताओं के नेतृत्व में ये वार्तायें हुई, उनमें उल्लेखनीय हैं– भारत के पं0 जवाहर लाल नेहरू, मिस्र के नासेर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो। कई देशों ने व्यापार और विकास की योजनाओं के लिये विस्तृत विचार विनिमय के लिये कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया। इन देशों की दलील थी कि उन्हें व्यापार में कुछ रियायतें मिलनी चाहिए क्योंकि उनके उत्पाद विकसित देशों के साथ स्पर्धा नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि उनकी उत्पादन प्रक्रियाओं का उतना मशीनीकरण नहीं हो सका है। विकसित देशों ने इनकी कठिनाईयों को स्वीकार किया और वैश्विक स्तर पर उनके समाधान खोजने का आश्वासन दिया।

अंकटैड का पहला सम्मेलन 1964 में जिनेवा में सम्पन्न हुआ। अलग–अलग देशों की कई प्रकार की समस्यायें थीं, जो उनकी विकास की अवस्था, विकास मॉडल और उनके विगत इतिहास से जुड़ी हुई थीं। कई राष्ट्र ऐसे थे जो पिछले कई दशकों से औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा रहे थे जिसका प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था और समाज पर बहुत ज्यादा था। विविध समस्याओं को देखते हुए नेताओं ने यह निर्णय लिया कि संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में अंकटैड को स्थाई संस्था बनाया जाये और प्रत्येक चार वर्ष में इसकी एक मीटिंग अवश्य बुलाई जाये। अंकटैड के अन्दर ही उप समूह उभर आये, 77 देशों का एक प्रभावशाली ग्रुप बना जिसने वार्ता के दौरान अपना एजेण्डा रखा और अपने लिये अधिक बाजार सुलभ करने और आर्थिक विकास की मांग रखी। अंकटैड के प्रथम सेक्रेटरी जनरल राउल प्रीबिश बने, जोकि अर्जेन्टाइना के विख्यात अर्थशास्त्री थे। राउल प्रीबिश ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक कमीशन की अध्यक्षता की थी जो लैटिन अमेरिका और केरेबियन के लिये बनाया गया था।

बीती अवधि में, अंकटैड एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्थापित हुआ, जहां सदस्य सरकारों के मध्य विचार विनिमय सम्पन्न होते हैं। अंकटैड विशेषकर विकासशील देशों को नीति निर्माण के लिये बहुत उपयोगी सामग्री और सुझाव देता है। विगत कुछ वर्षों में, अंकटैड की भूमिका में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब यह छोटे द्वीपीय राष्ट्रों, स्थल सीमा वाले देशों, सबसे कम विकसित देशों को नीति निर्माण में उपयोगी सहयोग और सुझाव उपलब्ध करा रहा है। अंकटैड का लगातार प्रयास यह है कि वर्तमान नीतिपरक विषयों पर चिन्तन हो और वैश्विक आर्थिक विकास पर विचार किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई से प्रभावित और सबसे कम विकसित देशों का विशेष ध्यान रखा जाये। अंकटैड विकासशील देशों को उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिये आर्थिक नीति विषयक परामर्श और सुझाव देता है ताकि उनका सतत् और स्थिर विकास हो और वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी लाभार्जन कर सकें। अंकटैड के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं–

- अंकटैड एक अन्तर्राष्ट्रीय फोरम है जहां सदस्य देश विचार विनिमय करते हैं, इसका लाभ दूसरी आर्थिक संस्थाओं जैसे डब्लूटीओ आदि में भी मिलता है। अंकटैड में विचार विमर्श के लिये क्षेत्र विशेष के जानकार और विशेषज्ञ रहते है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण, तर्क सम्मत सुझाव, अनुभवजनित राय देते हैं जिससे निर्णय प्रक्रिया में सर्वसम्मति बनाने में सहायता मिलती है।
- अंकटैड, विकासशील देशों के रणनीतिकारों का प्रबुद्ध मण्डल है, यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी शोध सम्पादित करता है। राष्ट्रीय नीतियों का विश्लेषण इस सन्दर्भ में करता है कि वैश्विक विकास पर इनका क्या प्रभाव होगा। अंकटैड प्रधान संस्था है जो सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को चर्चा करने के लिये समंकों का संग्रह और विश्लेषण करती है।
- अंकटैड विकासशील देशों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशिष्ट तकनीकी सहायता देता है। वर्तमान में, अंकटैड सबसे कम विकसित और आर्थिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे देशों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दे रहा है। अंकटैड अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी संस्थाओं और दानदाताओं के साथ सहयोग और समन्वय बनाता है। स्थल सीमा वाले देश, छोटे द्वीपीय राष्ट्र, सबसे कम विकसित देशों तक तकनीकी सहायता पहुंचाने के लिये अंकटैड दूसरे संगठनों से भी सहयोग लेता है।

17.5.1 अंकटैड की प्रमुख गतिविधियां

अपने सदस्य देशों के लिये अंकटैड द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों को निम्न शीर्षकों में रखकर समझा जा सकता है–

- **वैश्वीकरण एवं विकास रणनीतियां** – अंकटैड का आजकल प्रधान लक्ष्य यह है कि देशों को वैश्वीकरण का परस्पर लाभ मिले। साथ ही, सतत् और समावेशी विकास सम्भव हो। इसके अतिरिक्त, पूरे देश लाभान्वित हो और आम जनता विशेष रूप से लाभान्वित हो। यह देशों को व्यापक आर्थिक रूझान समझने और विश्व अर्थव्यवस्था में भावी सम्भावनाओं को पता लगाने में मदद करता है, उदाहरण के लिये जैसे – दक्षिण–दक्षिण व्यापार में अभिवृद्धि हुई है। यह अफ्रीकी देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं के समाधान ढूंढने की दिशा में काम करता है। अंकटैड सबसे कम विकसित देशों में अन्तर्राष्ट्रीय मदद के प्रभाव का अध्ययन करता है और उन्हें देश विशेष के अनुरूप आर्थिक प्रगति के लिये नीति निर्धारण के लिये सुझाव प्रस्तुत करता है। यह विकासशील देशों की ऋण संरचना परिवर्तित करने में सहायता करता है।
- **वस्तुओं एवं सेवाओं का विस्तार**– अंकटैड विकासशील देशों की व्यापार विषयक वार्ताओं में मदद करता है। विकासशील और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिस्पर्धापरक कानून और नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करता है। अंकटैड देशों को इस बात के लिये प्रेरित करता है कि वे पर्यावरण के मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के विषयों को व्यापार और विकास की नीतियों का हिस्सा बनायें।
- **वस्तु बाजार**– वैश्विक वस्तु बाजार को प्रभावित करने वाले घटकों के परीक्षण में अंकटैड की भूमिका उल्लेखनीय रही है। यह विकासशील देशों की इस बात में मदद करता है कि वे वस्तुओं के निर्यात को बनाये रख सकें और वृद्धि कर सकें। ऐसे देश जो वस्तु व्यापार पर निर्भर करते हैं उन्हें अर्थव्यवस्था में विविधीकरण करने में अंकटैड सहायता करता है, ताकि वे चक्रीय रूझानों से होने वाली हानि और दुष्प्रभावों से अपने को बचा सकें।
- **निवेश एवं उद्यमिता विकास**– अंकटैड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वैश्विक रुझान का विश्लेषण करता है और विकासशील तथा संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रभाव का परीक्षण करता है। यह देशों का सहयोग करता है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय निवेश समझौते में शामिल हों। निवेश को अपने देश में वे आकर्षित कर सकें और समझौते में अपनी शर्तें रख सकें इसके लिये उनका मार्गदर्शन करता है। अंकटैड सदस्य देशों की निवेश नीति की समीक्षा कर देता है और उसके आधार पर परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करता है। लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों की स्थापना और वित्त पोषण में अंकटैड की भूमिका बहुत कारगर रही है। हाल ही के वर्षों में, अंकटैड विविध देशों की मदद कर रहा है कि वहां अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों की स्थापना और अनुपालन हो सके।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार**– अंकटैड सदस्य देशों की सहायता करता है कि वे नीति चयन इस प्रकार कर सकें जिससे उन्हें नई टैक्नॉलॉजी का फायदा मिल सके। इनमें ई–बिजिनेस और इण्टरनेट आदि विकल्पों का नाम उल्लेखनीय है। विज्ञान, तकनीक एवं नवोन्मेष विषयों पर प्रभावी नीति बनाने के लिये अंकटैड सरकारों को व्यवहारिक सलाह मशबिरा देता है। अंकटैड देशों की इस बात में भी मदद करता है कि वे नई लाभप्रद तकनीक तक पहुंच बना सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जायें।

- **व्यापार संभारतंत्र (Trade Logistics) एवं मानव संसाधन विकास–** अंकटैड देशों के साथ उन अवसरों और चुनौतियों को साझा करता है जो वैश्वीकरण के युग में व्यापार में परिवहन और सुविधाकरण से जुड़ी हुई हैं। यह व्यापार सुविधा सुधारों और सीमा शुल्क स्वचालन आदि के लिये सदस्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अफ्रीका और एशिया के स्थल सीमा देशों में व्यापार संचार और परिवहन सुविधाओं के विस्तार में सहयोग के लिये अंकटैड विशेष सक्रिय भूमिका अदा करता है। अंकटैड समुद्रतटीय एवं सुस्थिर सतत् परिवहन प्रणाली पर शोध कर रहा है ताकि सदस्य देशों को समुचित सलाह दी जा सके और इस क्षेत्र में कोई दुष्परिणाम सम्भावित हों, उनका समाधान भी खोजा जा सके। परिवहन सम्बन्धी पहलुओं के लिये कानूनी और नियमन ढांचा बनाने और उसके अनुपालन की योजना बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी से काफी मदद मिल रही है। अंकटैड प्रशिक्षण के लिये एक सुदृढ़ तन्त्र विकिसित कर रहा है। इसके द्वारा सभी जगह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाते हैं। इसमें सबसे कम विकसित देशों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

17. 6 सारांश

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, यह व्यापार वार्ताओं के सफल आठवें दौर (उरुग्वे राउण्ड) का परिणाम था जोकि 4 अप्रेल, 1994 को मर्राकेश, मोरक्को (अफ्रीका) में सम्पन्न हुआ। डब्लूटीओ ने गैट का स्थान लिया जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। गैट एक अस्थाई प्रणाली थी जिसमें प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधायें कम करने का समझौता हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में है, 159 देश इस संगठन के सदस्य हैं। डब्लूटीओ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। सदस्य देशों में मुक्त व्यापार और वाणिज्य सम्भव करने की दिशा में इसकी भूमिका बहुत प्रभावी रही है।

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 44 देशों द्वारा ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में हुई। आईएमएफ की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य था कि विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाये, जहां आर्थिक मन्दी थी और युद्ध का वातावरण था। भौतिक संसाधनों का भारी विनाश हुआ था। इस परिदृश्य में, संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में जो ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर (यूएसए) में 1 जुलाई से 22 जुलाई 1994 के दौरान हुआ, दो आर्थिक संस्थायें स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आईएमएफ ने 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) का लक्ष्य है कि सतत् विकास के जरिए मध्य आय वर्ग समूह देश तथा गरीब साख योग्य देशों में गरीबी में कमी लाई जाये। इस उद्देश्य से उन्हें ऋण, गारण्टी, जोखिम प्रबन्धन उत्पाद, विश्लेषण एवं परामर्शी सेवायें उपलब्ध कराई जायें। 1944 में स्थापित आईबीआरडी, विश्व बैंक समूह की मूल संस्था है। इसकी संगठन संरचना सहकारिता पर आधारित है, इसके 188 सदस्य देश इसके स्वामी हैं। सभी सदस्यों के परस्पर हित के लिये इसका संचालन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास परिषद (UNCTAD) की पहली बैठक 1964 में जिनेवा में सम्पन्न हुई। दुनिया के देशों की अलग–अलग समस्यायें थीं। उनकी विकास की अवस्था, विकास मॉडल पृथक–पृथक थे। कुछ देश ऐसे थे जोकि कई दशकों से औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा थे, उनक सामाजिक अवस्था भिन्न थी। विविध समस्याओं के निराकरण के लिये, नेतृत्व कर रहे देशों ने स्वीकार किया कि व्यापार और

विकास पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य मीटिंग की जाये और संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में अंकटैड को स्थाई संस्था बना दिया जाये।

17.7 शब्दावली

आईएमएफ – आईएमएफ एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था है जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर , यूएसए में 1944 में हुई। आईएमएफ का उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता लाना और मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को सुगम बनाना था।

डब्लूटीओ – विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया। यह एक मात्र अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के मध्य व्यापार सम्बन्धी नियम तय करता है। डब्लूटीओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में है।

आईबीआरडी – अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) की स्थापना आईएमएफ के साथ ही 1944 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर (यूएसए) में हुई। यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। यह मध्य आय वर्ग समूह के विकासशील देशों को ऋण देती है ताकि वे अपने आर्थिक विकास के लिये कार्य कर सकें।

विश्व बैंक अपनी प्रमुख सहयोगी संस्थाओं– आईबीआरडी और आईडीए के साथ काम करता है। विश्व बैंक विकासशील देशों को पूंजी कार्यक्रमों के लिये ऋण देता है। यह सदस्य देशों का व्यापार और विनियोग नीति बनाने में मार्गदर्शन करता है ताकि वे आर्थिक गतिविधि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को गति दे सकें।

अंकटैड (UNCTAD) 1964 में अस्तित्व में आया। यह अफ्रीका और एशिया के नये आजाद हुए देशों को शोध एवं तकनीक सम्बन्धी सहायता मुहैया कराता है। अंकटैड संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली का प्रमुख अंग है। यह विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार, विनियोग और विकास के मुद्दों को देखता है।

17.9 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान की पूर्ति करें

1. .... के आठ राउण्ड विचार विनिमय के बाद, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई।
2. डब्लूटीओ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में .... संस्था है।
3. ब्रेटन वुड्स समझौते के आधार पर .... देशों ने मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की।
4. अंकटैड का पहला सम्मेलन 1964 में .... में सम्पन्न हुआ।

17.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. गैट 2. शीर्षस्थ 3 44 4. जिनेवा

17.11 स्वपरख प्रश्न

1. डब्लूटीओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, और अंकटैड की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
2. डब्लूटीओ की स्थापना का इतिहास लिखिए। डब्लूटीओ के क्या कार्य हैं?
3. डब्लूटीओ की संगठन संरचना समझाइए।
4. डब्लूटीओ में व्यापार समझौता वार्ताओं के आधारभूत सिद्वान्त क्या हैं?
5. आईएमएफ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आईएमएफ के क्या कार्य हैं?
6. आईएमएफ की उपलब्धियों के विविध चरणों पर प्रकाश डालिए।

7. विश्व बैंक के इतिहास और इसकी कार्य प्रणाली पर निबन्ध लिखिए। विश्व बैंक के प्रमुख उत्पाद और सेवायें क्या हैं?
8. विश्व बैंक की संगठन संरचना स्पष्ट कीजिए।
9. अंकटैड की स्थापना की आवश्यकता क्या थी? अंकटैड की प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख कीजिए।

17.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. International Economics, Raj Kumar, Excel Publication, 2008
2. International Economics, Francis Cherunilam, The McGraw Hill Publication, 5th Edition,
3. International Economics, Steven Husted and Michael Melvin, Pearson Publication, 9th Edition.
4. International Economics, James Gerber, Pearson Publication, 6th Edition
5. International Economics, D.M. Mithani, Himalaya Publishing House; Edition 11th ISBN No. 8178660962
6. International Economics: Theory And Policy, 8th Edition, Paul R. Krugman, Pearson Education India
7. International Economics, Dr Nirmal Bhalerao & SSM Desai, Himalaya Publishing House, 1st Edition
8. International Economics, M.L. Jhingan, Vrinda Publishing House
9. International Economics, D. N. Dwivedi, ISBN : 8122005349
10. International Economics, Steven L. Husted, Michael Melvin , Harper-Collins Press
11. Johan Daniel, and Lee H. Radebaugh, International Business Environment and Operations, Pearson Publication, 14th Edition.
12. Rakesh Mohan Joshi, International Business, Oxford Press, India Edition.
13. WTO Reports on Agreement on Textile.

इकाई 18 वस्त्र एवं परिधान समझौता, जीएसपी, जीएसटीपी एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौते

इकाई की रूपरेखा

18.1 प्रस्तावना
18.2 वस्त्र एवं परिधान समझौता
18.3 सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली
18.4 वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली
18.5 अन्तर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां
18.6 सारांश
18.7 शब्दावली
18.8 बोध प्रश्न
18.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
18.10 स्वपरख प्रश्न
18.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- व्यापाक आर्थिक वातावरण में शुल्क वरीयता के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की विभिन्न वरीयता योजनाओं का वर्णन कर सकें।
- वस्त्र एवं परिधान समझौता और विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत इसकी अनुपालन रीति को समझ सकें।
- विभिन्न शुल्क वरीयता योजनाओं, जैसे– सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली(GSP), सामान्यीकृत व्यापार वरीयता प्रणाली (GSTP) का वर्णन कर सकें।
- विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और विश्व व्यापार में इन समझौतों के प्रभाव को स्पष्ट कर सकें।

18.1 प्रस्तावना

प्रशुल्क वरीयता और कोटा प्रणाली ऐसे उपाय है जिनके द्वारा देश परस्पर आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाते हैं, गरीब और कमजोर देशों को सहायता उपलब्ध कराते हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुस्थिर एवं संतुलित विकास संभव हो। विश्व व्यापार में गैर प्रशुल्क प्रतिबन्ध, जैसे– कोटा प्रणाली, परिमाणात्मक प्रतिबन्ध, अपारस्परिक ड्यूटी वरीयता आदि लम्बे समय से चलन में रहे हैं। किन्तु, अब विश्व व्यापार संगठन के कार्यकाल में इन प्रतिबन्धों में उल्लेखनीय कमी हुई है। विश्व व्यापार संगठन की नीति निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। तथापि, विश्व व्यापार संगठन के नियमों में विशेष एवं विभेद उपखण्ड है जिसके अनुसार सदस्य दूसरे विकासशील, बहुत कम विकसित और कमजोर देशों के लिये प्रशुल्क वरीयता और शून्य प्रशुल्क योजना अपना सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग में विकसित देशों द्वारा विशेष रूप से कोटा प्रणाली बहुत समय तक अपनाई गई। जब से विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, कोटा व्यवस्था को समाप्त करने के लिये पारदर्शिता के साथ सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रयास किय गए। साथ ही, यह ध्यान रखा गया कि सभी देशों के आर्थिक हित सुरक्षित रखे जायें। इसी उद्देश्य से, वस्त्र एवं परिधान समझौते पर विचार विनिमय किया गया और इस पर सहमति

बनी। नए समझौते का लक्ष्य था कि पुराने मल्टी फाइबर समझौते को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाये जिसका उद्देश्य वैश्विक कपड़ा उद्योग में कोटा प्रणाली लागू करना था। विकासशील देशों के लिये प्रशुल्क वरीयता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी पहुंच विकासशील देशों के बाजार में हो जाती है। सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली एक प्रमुख योजना है जिसके अन्तर्गत विकासशील देशों को अपारस्परिक और निष्पक्ष ढंग से विकसित देशों के बाजार में अपनी जगह बनाने का अवसर मिल जाता है, उदाहरण के लिये– विकसित देश विकासशील देशों को प्रशुल्क वरीयता प्रदान करते हैं। इसके बाद, विकासशील देश परस्पर प्रशुल्क वरीयता अथवा शून्य प्रशुल्क के द्वारा विदेशी व्यापार को विस्तार देने की कोशिश करते हैं ताकि वे विदेशी मुद्रा अर्जन कर सकें, रोजगार अवसरों का सृजन कर सकें और अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित कर सकें।

आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां सदैव महत्वपूर्ण उपकरण रहे हैं। चुनिंदा विकासशील देशों, बहुत कम विकसित देश, गरीब और कमजोर देशों को विकसित देश कुछ रियायतें देते हैं, जैसे– प्रशुल्क मुक्ति, वरीयता प्राप्त बाजार पहुंच आदि। इस सन्दर्भ में, अफ्रीका विकास एवं अवसर अधिनियम 2000 के प्रावधान उल्लेखनीय हैं जिनके अन्तर्गत सब सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को अपना माल यूएस बाजार में बेचने के लिये प्रशुल्क मुक्त व्यवस्था दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के तहत ईयू देशों ने 49 अत्यन्त कम विकसित देशों को प्रशुल्क मुक्त, वरीयता प्राप्त, प्रतिबन्ध रहित बाजार प्रवेश की अनुमति दी है। अन्य महत्वपूर्ण समझौते हैं – भारतीय शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना, कैरेबियन बेसिन इनीशियेटिव्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंडीन व्यापार वरीयता अधिनियम, कैनेडियन व्यापार, विनियोग एवं औद्योगिक सहयोग कार्यक्रम, लोम कन्वेन्शन एवं साउथ पैसिफिक रीजनल ट्रेड एण्ड इकोनोमिक कोओपरेशन एग्रीमेण्ट।

18.2 वस्त्र एवं परिधान समझौता

मल्टी फाइबर समझौता एक भेदभावपूर्ण समझौता था जिसमें विकसित देशों ने विकासशील देशों पर एक निर्यात के लिये निश्चित कोटा सीमा तक प्रतिबन्ध लगाये हुए थे और इस प्रकार अपने घरेलू कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया हुआ था। कपास का उत्पादन विकासशील देशों में ही होता है, जैसे – चीन, भारत, पाकिस्तान, मिस्र, उप सहारा अफ्रीकी देश। बस, यूनाइटेड स्टेट्स इसका एक अपवाद है। पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में श्रम और दूसरी इनपुट लागतें भी परम्परागत रूप से काफी कम हैं।

विकसित देशों ने मल्टी फाइबर समझौते के तहत वस्त्र और परिधान के आयात पर 1974 से 2004 तक परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाये। विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद, एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था कायम हुई। वस्त्र एवं परिधान समझौते पर हस्ताक्षर हुए और जिसमें यह तय हुआ कि चरणबद्ध ढंग से मल्टी फाइबर व्यवस्था को 2004 तक समाप्त कर दिया जायेगा। इसप्रकार, मल्टी फाइबर समझौते का अस्तित्व 1 जनवरी 2005 को समाप्त हो गया।

पहली बार, मल्टी फाइबर समझौता 1975 में विकसित देशों द्वारा लागू किया, यह एक अल्पकालिक उपाय था जिसके द्वारा विकासशील देशों से अपने आयात को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसका कारण यह था कि कुछ विकासशील देशों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि ये देश कपास उत्पादक हैं और इन्हें सस्ते श्रम के आधार पर काफी बढ़त हासिल है। विकसित देशों ने अपने आयात समायोजन के लिये देश विशेष से आयात की मात्रा की सीमा तय कर दी, भले ही उस देश का उत्पादन कीमत और गुणवत्ता की स्पर्धा में श्रेष्ठतर ही क्यों न हो।

विविध अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि वस्त्र उद्योग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक तुलनात्मक लागत के आधार पर संचालित हो रहा था। किन्तु, विकसित देशों ने अपने अन्य आर्थिक हितों के कारण और चुनिंदा देशों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अपना एजेण्डा लागू किया। मल्टी फाइबर समझौते के विकासशील देशों पर प्रभाव के अध्ययन के लिये एक शोध विश्व बैंक और आईएमएफ के तत्वाधान में कराया गया, इसके परिणामों से संकेत मिला कि इस समझौते के कारण विकासशील देशों में 27 मिलियन रोजगार अवसरों में कमी तथा 40 बिलयन डॉलर प्रतिवर्ष निर्यात में कमी देखी गई। यह समझौता चीन और भारत के बहुत प्रतिकूल था, किन्तु यह सबसे कम विकसित देशों के पक्ष में था, जैसे – बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस गणराज्य। इन देशों को प्रशुल्क मुक्त अथवा रियायती प्रशुल्क पर विकसित देशों के बाजार में प्रवेश की अनुमति थी। वस्त्र एवं परिधान उद्योग में बांग्लादेश की सफलता और निर्यात में इसके वर्चस्व के पीछे मल्टी फाइबर समझौता ही सबसे बड़ा कारण रहा है।

उरुग्वे राउण्ड के समापन के साथ ही, वस्त्र एवं परिधान समझौता सम्पन्न हुआ। यह समझौता न्यायसंगत, पारदर्शी और निष्पक्ष है, इसमें वस्त्र एवं परिधान उद्योग के सुव्यवस्थित और सुस्थिर विकास का लक्ष्य रखा गया है। मल्टी फाइबर समझौते में जो कोटा प्रणाली थी, उसे नए वस्त्र एवं परिधान समझौते में क्रमशः समाप्त करने की योजना थी। कोटा प्रणाली समाप्त करने के लिये समय सीमा तय की गई – 1 जनवरी 2005।

मल्टी फाइबर समझौते के तहत लागू कोटा प्रणाली को निम्न प्रकार चार चरणों में समाप्त किया जाना था:

AGREEMENT ON TEXTILES & CLOTHING: PHASE WISE ABOLITION OF MFA QUOTA REGIME

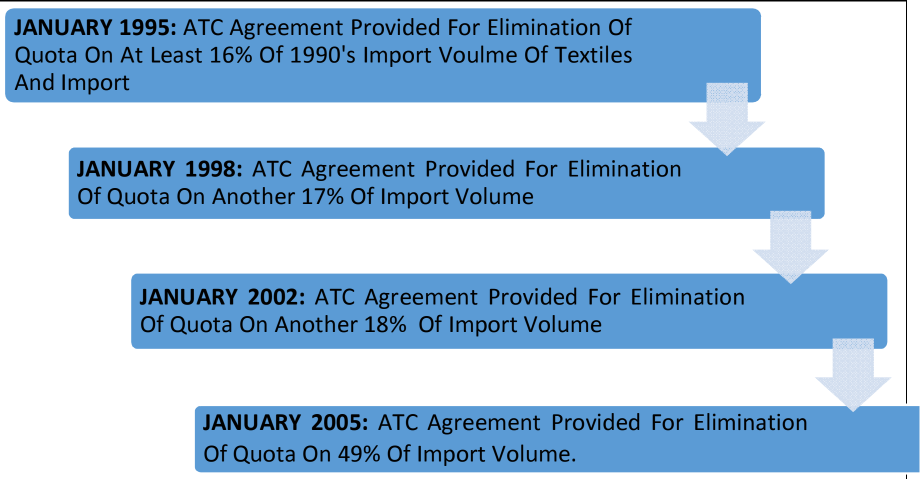

Source: World, Trade Organization Geneva

18.3 सामान्यीमृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of Trade:GSP)

पश्चिम के विकसित देशों और नये स्वतन्त्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों के बीच आर्थिक खाई बढ़ती जा रही थी। व्यापार विस्तार, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और विनिर्माण आदि क्षेत्रों में दोनों समूहों में भारी विषमता थी। यह चर्चा का विषय रहा कि एशिया और अफ्रीकी देशों के उत्पादन विकसित देशों के कम मूल्य के उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की उत्पादन रीतियों में बहुत ज्यादा अन्तर है। विकसित

देशों में उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, उन्हें बड़े पैमाने पर होने लाभ मिलते हैं। साथ ही, वहां मशीनों और आधुनिकतम तकनीक का उपयोग होता है। दूसरी ओर, नए आजाद हुए देश और ऐसे देश जो अभी भी विदेशी साम्राज्य का हिस्सा हैं, वहां औद्योगीकरण अभी बहुत प्रारम्भिक अवस्था में था। इन देशों में उत्पादन के परम्परागत तरीके, अधिक श्रम निर्भरता, निम्न उत्पादकता का स्थिति थी। साथ ही, इनके उत्पादों में एक सौन्दर्यपूर्ण आकर्षण भी देखने को मिलता है।

विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य आर्थिक विषमता को कम करने के लिये संयुक्त राष्ट्र में गहन चिन्तन हुआ और विकासशील देशों के लिये प्रशुल्क वरीयता का विचार रखा गया। इस विचार विमर्श के फलस्वरूप, 1964 में जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में अंकटैड (UNCTAD) की स्थापना हुई। विकासशील और विकसित देशों के मध्य अंकटैड में समझौता वार्ता के बाद, विकासशील देशों के लिये व्यापार वरीयताओं का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विकासशील देशों की प्रमुख मांग थी कि उन्हें प्रशुल्क दरों में और दूसरे व्यापार प्रतिबन्धों में रियायते दी जायें। साथ ही, यह भी अपेक्षा रखी गई कि टैरिफ दरों में कमी और प्रतिबन्धों को समाप्त करने का कार्य तेजी से किया जाये ताकि विकासशील देशों को फायदा पहुंच सके। इस परिप्रेक्ष्य में, सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली की घोषणा की गई। इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार में पहुंच बनाने का आसान अवसर देने की व्यवस्था की गई। इस योजना में विकसित देशों ने विकासशील देशों को सामान्यीकृत, गैर पारस्परिक, और निष्पक्ष प्रशुल्क वरीयता देना स्वीकार किया। सर्वप्रथम, यूरोप के देश विकासशील देशों को जीएसपी लाभ देने के लिये आगे आये। यूएसए ने 1971 में विकासशील देशों को जीएसपी लाभ देना शुरू किया, जब गैट ने अंकटैड के रास्ते को अपनाया और मल्टी फाइबर समझौते में छूट का प्रावधान किया गया, इससे विकासशील देशों के माल को प्रशुल्क वरीयता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रारम्भिक प्रस्ताव में गैट ने प्रशुल्क वरीयता के लिये एमएफन वेवर (MFN waiver) की अनुमति केवल दस वर्षों के लिये दी थी किन्तु एनेबलिंग क्लॉज (Enabling clause) के माध्यम से यह सुविधा स्थाई रूप से विस्तारित हो गई। प्रशुल्क वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली अत्यधिक कारगर सिद्ध हुई है, इससे विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार में अपनी पहुंच बनाना सुगम हुआ है। नीचे उन देशों की सूची दी गई है जो विकासशील और अत्यधिक कम विकसित देशों को जीएसपी लाभ उपलब्ध कराते हैं:

भारत को जीएसपी लाभ देने वाले देश

(LIST OF COUNTRIES OFFERING GSP BENEFIT TO INDIA)	
1. Australia	2. Republic of Bulgaria
3. Canada	4. Republic of Hungary
5. Czech Republic	6. Republic of Poland
7. Ireland	8. Russian Federation
9. Japan	10. Slovakia
11. New Zealand	12. Switzerland
13. Norway	14. United States of America
15. Republic of Belarus	16. Italy
17. Austria	18. Netherlands
19. Denmark	20. Portugal
21. Finland	22. Spain
23. France	24. Sweden
25. Germany	26. United Kingdom

27. Greece	

Source: Export Inspection Council of India, New Delhi

जीएसपी (Generalised System of Preferences) योजना के पीछे आधार यह था कि एक आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार विकसित देशों के बाजार में वरीयता प्रशुल्क दरों से विकासशील देशों में निर्यातोन्मुख उद्योगों के विकास में तेजी आयेगी। इस आशय से यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों के बाजार विकासशील देशों के लिये आकर्षक थे। इससे विकासशील देशों को अपना व्यापार संतुलन ठीक करने में मदद मिलेगी और उनके लिये इंजीनियरिंग माल खरीदने में कठिनाई नहीं होगी। साथ ही, ये देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और मुद्रा प्रणाली में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाने में कामयाब हो सकते हैं। जीएसपी योजना का आधार यह भी था कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्थायें जिनका पर्याप्त औद्योगीकरण हो चुका है, वहां के विस्तृत बाजार में पर्याप्त क्षमता है कि वे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये प्रभावी उत्प्रेरक बन सकें। परिणामस्वरूप, इन देशों में विदेशी व्यपार का समुचित विकास हो सके और दूसरे बड़े आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकें। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को व्यापार वरीयता दिये जाने के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे–

Source: United Nations Conference on Trade & Development, Geneva

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली के लाभ– विकासशील देशों के निर्यातक जिनमें भारतीय निर्यातक भी शामिल हैं जीएसपी योजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुये हैं। इस योजना के अन्तर्गत निर्यातक के माल को आयातक देश में प्रशुल्क वरीयता अथवा शून्य प्रशुल्क की सुविधा मिलती है। भारत को भी जीएसपी योजना में चयनित वस्तुओं पर विकसित देशों के बाजार में कम प्रशुल्क दर अथवा शून्य प्रशुल्क का लाभ मिलता है। प्रशुल्क दरों में कमी के आधार पर भारतीय निर्यातकों को लागत स्पर्धा में फायदा पंहुचता है। औद्योगिक राष्ट्रों के प्रतिस्पर्धापूर्ण बाजारों में भारतीय उत्पादों को लागत स्पर्धा का मुकाबला करने में मदद मिलती है। यदि गुणवत्ता आदि में समान हो, तब यह माल कीमत के आधार पर आयातकों के लिये आकर्षक हो जाता है। प्रशुल्क वरीयता से नये निर्यातकों को बहुत मदद मिलती है, वे विकसित देशों के बाजार में अपनी जगह बना सकते हैं। पुराने पहले से स्थापित निर्यातकों को अवसर मिलता है कि वे अपने बाजार अंश में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही, वे अपने मुनाफे की सीमा बढ़ा सकते हैं। उन्हें यह अवसर उन देशों में उपलब्ध हैं जहां भारत को जीएसपी लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2012 में, जीएसपी प्रशुल्क वरीयता से जिन देशों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा, उनकी सूची नीचे दी गई है–

प्रमुख जीएसपी लाभ्यार्थी देश 2012

Top GSP Beneficiary Developing Countries in the Year 2012	
India	$4.5 Billion

Thailand	$3.7 Billion
Brazil	$2.7 Billion
Indonesia	$2.2 Billion
South Africa	$1.3 Billion
Philippines	$1.2 Billion
Turkey	$1.1 Billion
Angola	$632 Million
Russia	$544 Million
Argentina	$233 Million

Source: Office of US Trade Representative 2013

सभी यूरोपीय देशों ने 1968 से पात्र देशों को जीएसपी लाभ देना स्वीकार कर लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1971 से जीएसपी लाभ देना स्वीकार किया। भारतीय निर्यातकों को इस अवधि में बहुत अधिक फायदा हुआ है, इन उद्योगों में कपड़ा, इंजीनियरिंग माल, रत्न एवं आभूषण, हथकरघा, हस्तशिल्प के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ भारतीय वस्तुओं को जीएसपी लाभ के दायरे से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इनके निर्यात में भारत का अंश वैश्विक बाजार में 3.3 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। ऐसे उद्योग जो निर्यात के क्षेत्र में पहले से सुस्थापित हैं उन्हें जीएसपी नियमों के अन्तर्गत लाभ के लिये पात्र नहीं माना जाता है। बहुत से देशों ने भारत को जीएसपी रियायत देना बंद कर दिया है, कुछ देश यह लाभ भारत को अभी दे रहे हैं। बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में, अब ज्यादा जीएसपी लाभ सबसे कम विकसित देशों (Least Developed Countries) को देने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जीएसपी का फायदा उठाने वालों में कुछ ही देश हैं जिनमें चीन, भारत, मलेशिया, इण्डोनेशिया, ब्राजील और चिली आदि हैं। भारत के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ सीआईएस देशों (Commonwealth of Independent States) ने चुनिंदा भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क वरीयता नीति जारी रखी है। इन देशों में कजाकिस्तान, क्रिग्स्तिान, लिथुआनिया और यूक्रेन शामिल हैं।

पात्र उत्पाद (Eligible Product): जीएसपी योजना के अन्तर्गत लाभ के लिये उद्गम मानदण्ड को माना जाता है फिर भी दो देशों के नियमों में उनकी अपनी जीएसपी योजना के अनुसार थोड़ा अन्तर हो सकता है। आयातक देश में केवल ऐसी वस्तुओं पर ही प्रशुल्क वरीयता मिलती है जो उद्गम मानदण्ड नियमों (origin criteria) के अन्तर्गत योजना में पात्र हों। उदाहरण के लिये, केवल उन्हीं भारतीय उत्पादों पर प्रशुल्क छूट उपलब्ध होगी जोकि मेजबान आयातक देश के नियमों के अनुसार उद्गम मानदण्ड पात्रता पूरी करते होंगे। यूरोपियन यूनियन के पन्द्रह देश भारत को प्रशुल्क वरीयता देते हैं, वहां केवल उन्हीं भारतीय उत्पादों को छूट मिलती है जो उद्गम मानदण्ड नियमों को पूरा करते हैं। उद्गम मानदण्ड पात्रता शर्तों की व्याख्या ईईसी नियम संख्या 2454/93, संशोधित ईसी नियम 12/97 एवं संशोधित ईसी नियम 1602/2000[1] में दी गई है। उद्गम मानदण्ड नियमों के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का वर्णन आगे किया गया है।

European Union Notification Excerpted from www.eicindia.gov.in

उद्गम नियम ;**Rules of Origin)**: जीएसपी प्रशुल्क वरीयता लाभ लेने के लिये आवश्यक है कि आयातक देश के नियमानुसार सन्दर्भगत उत्पाद वरीयता के लिये निर्यातक पात्रता पूरी करता हो। जीएसपी के उद्गम नियमों में उन सभी शर्तों का उल्लेख रहता है जिन्हें निर्यात किये जाने वाले उत्पाद के सम्बन्ध में निर्यातक देश की ओर से पूरा किया जाना अनिवार्य है, ये नियम आयातक देश द्वारा तय किये जाते हैं। जीएसपी के उद्गम विषयक नियम इस तथ्य पर आधारित होते हैं कि जीएसपी योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। जीएसपी योजना का लक्ष्य है कि प्रशुल्क वरीयता का लाभ केवल विकासशील और सबसे कम विकसित देशों को मिले ताकि

वे अपना आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्यात सम्वर्धन, व्यापार घाटे में कमी और व्यापक आर्थिक स्थिरता की दिशा में प्रयास कर सकें और उनका व्यवस्थित आर्थिक विकास सम्भव हो सके।

जीएसपी उद्गम नियमों में विशेष सावधानी यह रखी गई है कि प्रशुल्क रियायतों का दुरुपयोग न हो सके, कोई देश जीएसपी का अनुचित लाभ न उठा सके। जीएसपी योजना का कुशल उपयोग आयातक और निर्यातक दोनों देशों के लिये बहुत प्रासंगिक है क्योंकि कुछ देश आयात कोटा और आयात सीलिंग अपनाते हैं। जीएसपी के उद्गम विषयक नियम एक अर्थ में लोचपूर्ण हैं क्योंकि यह आयात के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराते हैं, जीएसपी के तहत कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्यात होने वाले माल के लिये पुर्जे आदि आयात किये जा सकते हैं। ऐसे मामलों में मूल्य सम्वर्धन (value addition) को प्रोत्साहन दिया जाता है। जीएसपी के उद्गम नियम बनाने और लागू करने के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नप्रकार हैं–

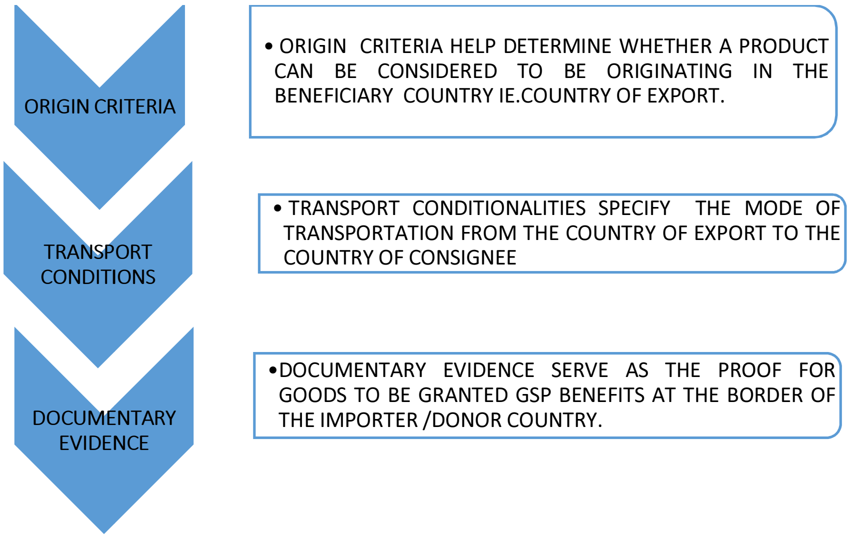

Source: Adapted from "Handbook of Rules of Origin of GSP Scheme" Export Inspection Council, Government of India

18.4 वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली

जीएसपी योजना के तहत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रशुल्क वरीयता दी जाती है। सत्हत्तर देशों (G-77) के समूह के एक मसौदे पर वार्ता हुई और समझौता सम्पन्न हुआ जिसमें व्यवस्था दी गई कि विकसित देश, विकासशील देशों को प्रशुल्क वरीयता देंगे। इसका लक्ष्य था कि विकासशील देश अपने व्यापार का विस्तार और विविधीकरण करने में सफल हो सकें। इस समझौते को वैश्विक प्रशुल्क वरीयता प्रणाली (Global System of Trade Preferences) कहा जाता है। यह समझौता 13 अप्रेल 1988 को बेलग्रेड में पहले राउण्ड के व्यापार वार्ता दौर के बाद सम्पन्न हुआ।

प्रशुल्क वरीयता की जीएसटीपी योजना काफी लम्बे विचार विनिमय के बाद अस्तित्व में आई, इस कार्य में काफी समय लगा। इसके लिये जी 77 देशों के विदेश मामलों के मंत्रियों की कई दौर की बैठकें हुईं। प्रमुख समझौता वार्तायें जोकि मंत्री स्तर की बैठकें थीं, उनमें उल्लेखनीय हैं– मैक्सिको सिटी 1976, अरुषा (तंजानिया) 1979, कैराकस (वैनेजुला) 1981। इन विचार गोष्ठियों के उपरान्त, जी 77 समूह देशों के विदेश मामलों के मन्त्रियों ने न्यू यॉर्क में 1982 में जीएसटीपी वार्ता समिति गठित की। इसके बाद, 1985 में नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय घोषणा

से जीएसटीपी समझौते का मार्ग और आगे प्रशस्त हुआ और इसके मसौदे को अन्तिम रूप देने की दिशा में काम आगे बढ़ सका।

जीएसटीपी समझौता वार्ता का पहला दौर मई 1986 में ब्रेसिलिया (ब्राजील) में सम्पन्न हुआ। इस वार्ता में जी– 77 समूह राष्ट्रों के नेताओं में यह आम सहमति बन गई कि विकासशील देशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों को विस्तार दिया जायेगा और इन्हें अधिक प्रगाढ़ बनाया जायेगा। प्रशुल्क रियायतों पर समझौता वार्ता 1988 के प्रारम्भ में सम्पन्न हुई। जी–77 देशों की मंत्री स्तरीय मीटिंग ब्रेलग्रेड (पूर्व यूगोस्लाविया) में अप्रेल 1988 में आयोजित हुई, इस बैठक में जीएसटीपी समझौते के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हुये। इसप्रकार, 19 अप्रेल, 1989 को जीएसटीपी समझौता अस्तित्व में आ गया। जी–77 समूह के 41 देशों ने इस समझौते की पुष्टि की और वे इस योजना के प्रतिभागी बने, उनकी सूची निम्न प्रकार है–

जी–77 समूह देश जो जीएसटीपी समझौते के सदस्य हैं

MEMBER COUNTRIES TO GSTP AGREEMENT UNDER MANDATE OF G-77		
1. Algeria	**15.** Ghana	**28.** Pakistan
2. Argentina	**16.** Guinea	**29.** Peru
3. Bangladesh	**17.** Guyana	**30.** Republic of Korea
4. Benin	**18.** India	**31.** Romania
5. Bolivia	**19.** Indonesia	**32.** Singapore
6. Brazil	**20.** Iran (Islamic Republic of)	**33.** Sri Lanka
7. Cameroon	**21.** Iraq	**34.** Sudan
8. Chile	**22.** Libyan Arab Jamahiriya	**35.** Thailand
9. Cuba	**23.** Malaysia	**36.** Trinidad and Tobago
10. Democratic People's	**24.** Morocco	**37.** Tunisia
11. Philippines	**25.** Mozambique	**38.** United Republic of Tanzania
12. Republic of Korea	**26.** Nicaragua	**39.** Viet Nam
13. Ecuador	**27.** Nigeria	**40.** Yugoslavia
14. Egypt		**41.** Zimbabwe

Source : Group of 77 (G-77)

जीएसटीपी प्रशुल्क वरीयता योजना में जी–77 ग्रुप के देशों में प्रशुल्क में छूट की व्यवस्था की गई। जीएसटीपी समझौते में यह तय हुआ कि परस्पर व्यापार के लिये आपस में वार्ता करके ऐसे नियम, सिद्धान्त और क्रियाविधि निर्धारित की जायेंगी जिन पर दोनों पक्ष सहमत हो जायें। जीएसटीपी योजना के क्षेत्र को नीचे दिये गए चार्ट में स्पष्ट किया गया है–

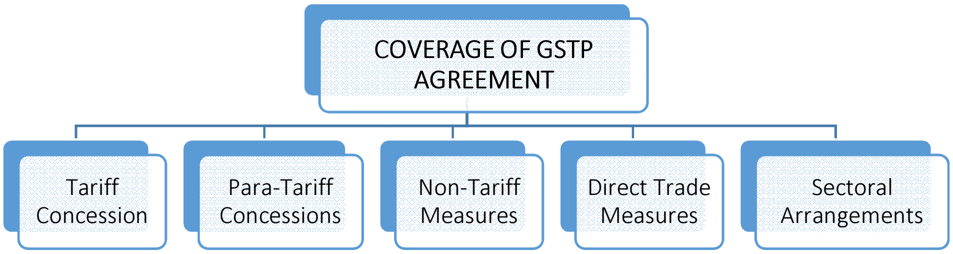

Source: Adapted from Draft GSTP Agreement, Group of 77 (G-77)

जीएसटीपी प्रशुल्क वरीयता योजना के सदस्य देशों ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया कि वे आपसी व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों को और दृढ़ बनाने के लिये चरणबद्ध ढंग से प्रयास करेंगे। जीएसटीपी को अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार सफलता मिली है और इसमें उत्तरोत्तर प्रगति देखने को मिली है। सदस्य देशों द्वारा जीएसटीपी के लिये स्थापित उद्देश्यों का उल्लेख नीचे किया गया है–

(1) जीएसटीपी योजना का लक्ष्य है कि सदस्य देशों के मध्य आपसी व्यापार को बढ़ाया जाये और इसमें सुस्थिर विकास के लिये प्रयास किये जायें।

(2) जीएसटीपी योजना का दूसरा लक्ष्य है कि विकासशील देशों के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि हो और इसको विस्तार दिया जाये।

हाल ही के वर्षों में, जीएसटीपी वार्ता समिति की बैठक एक्रा (घाना) में हुई, इसमें अंकटैड के 12वें मंत्री स्तरीय राउण्ड के विचार विमर्श का सन्दर्भ लिया गया। प्रशुल्क वरीयता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये समिति ने निम्न बिन्दुओं पर अपनी सहमति व्यक्त की है–

(1) सदस्य देश इस बात पर राजी हुये कि प्रशुल्क बाधायें समाप्त करने के लिये वे बातचीत जारी रखेंगे। प्रशुल्क नीति के विषय में यह सूत्र स्वीकार किया गया कि सभी प्रशुल्क दरों में क्रमशः कमी लाई जायेगी और 20 से 40 प्रतिशत की रेखीय कटौती (linear cut) की जायेगी।

(2) सदस्यों ने स्वीकार किया कि निवेदन और प्रस्ताव (Request & Offer) की नीति जारी रखी जायेगी तथा क्षेत्रीय आधार पर प्रशुल्क में कमी और प्रशुल्क की समाप्ति के लिये समझौतों का प्रयास किया जायेगा।

(3) सदस्य देश परस्पर कम से कम 70 प्रतिशत प्रशुल्क रियायत देने को सहमत हुये।

एक देश द्वारा दूसरे देश को प्रशुल्क वरीयता देने का आधार होता है– उद्गम प्रमाणपत्र (certificate of origin) । भारत में उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिये निम्न संगठन अधिकृत हैं–

	संगठन	उत्पाद
1	निर्यात निरीक्षण परिषद अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जिन्हें निर्यात निरीक्षण एजेन्सी कहा जाता है जोकि देश भर में कार्यरत हैं।	सभी उत्पाद
2	तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद

18.6 अन्तर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां

प्रशुल्क वरीयता की प्रमुख योजनाओं– जीएसपी/जीएसटीपी का वर्णन किया जा चुका। इन योजनाओं के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई हैं जिनका लक्ष्य वैश्विक सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रशुल्क वरीयता के सन्दर्भ में विकसित देशों ने एकपक्षीय घोषणायें भी की हैं जिनमें गैर पारस्परिक प्रशुल्क रियायतों की व्यवस्था है। इसी प्रकार कुछ घोषणायें विकासशील देशों के द्वारा भी की गईं जोकि दूसरे विकासशील अथवा अत्यन्त कम विकसित देशों के पक्ष में थीं। इसप्रकार के समझौतों और संधियों की एक लम्बी सूची है, इनमें कुछ प्रमुख समझौतों का वर्णन आगे किया गया है–

a. Everything but Arms (EBA) of European Union
b. The African Growth and Opportunity Act (AGOA) of United States
c. Duty Free Tariff Preference Scheme of India
d. Caribbean Basin Initiatives (CBI) of United States
e. The Andean Trade Preference Act (ATPA)
f. Canadian Trade, Investment and Industrial Cooperation program (CARIBCAN)
g. Lomé Convention
h. South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA)

सभी समझौते और संधियां जिनका उल्लेख किया गया है इस तथ्य पर केन्द्रित हैं कि विकसित देश अपने यहां विकासशील देशों और कम विकसित देशों से कम शुल्क पर अथवा बिना शुल्क के आयात की अनुमति प्रदान करें। साथ ही, सभी देश विदेशी व्यापार की बाधाओं को कम करना स्वीकार करें। विदेशी व्यापार के बदलते परिदृश्य में, विकासशील देशों ने भी पहल की है और वे अत्यन्त कम विकसित देशों को गैर पारस्परिक प्रशुल्क वरीयतायें प्रदान कर रहे हैं। इस क्रम में भारत ने भी सबसे गरीब देशों के लिये एक योजना प्रस्तुत की है, इस योजना का नाम है – "Duty Free Tariff Preference for Least Developed Countries" । इस स्कीम के तहत भारत की 92 प्रतिशत प्रशुल्क लाइन पर 49 सर्वाधिक गरीब देशों को शून्य शुल्क का लाभ दिया जाता है। ये व्यापार वरीयता समझौते और संधियां सिद्धान्ततः किये जाते हैं, अनन्यतः (exclusively) नहीं होते हैं। इन सभी का प्रधान लक्ष्य है कि विकासशील और अत्यधिक गरीब देशों के लिये औद्योगिक देशों के बाजार में पहुंच बनाना आसान किया जाये। औद्योगिक देशों में यूरोपियन यूनियन, यूएसए, कनाडा, जापान, और आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन (OECD) देशों का नाम उल्लेखनीय है। चीन ने सबसे अधिक गरीब देशों को अनेक प्रशुल्क रियायतें प्रदान की हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों के माध्यम से प्रशुल्क रियायतों के लिये विविध योजनायें प्रस्तुत की हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, मैक्सिको, चिली, रूस और दक्षिण अफ्रीका आदि प्रमुख देश हैं। कुछ चुनिंदा वैश्विक समझौतों और संधियों का वर्णन आगे किया गया है–

1. **ईबीए (Everything But Arms)** : यह यूरोपियन यूनियन की अत्यन्त गरीब देशों के लिये एक प्रशुल्क रियायत योजना है जिसमें आयुध एवं रक्षा उपकरण के अलावा सभी उत्पादों का आयात यूरोपियन यूनियन बाजार में प्रशुल्क मुक्त एवं कोटा रहित है। इस प्रकार के विश्व में लगभग 49 देश हैं जिन्हें अत्यन्त कम विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है, इन्हें इस समझौते के तहत लाभ मिलता है। वस्तुतः, ईबीए भी यूरोपियन यूनियन देशों की वर्तमान जीएसपी योजना का ही एक अंग है। जीएसपी और ईबीए योजनाओं में अन्तर यह है कि जीएसपी केवल 15 देशों द्वारा दिया गया है जबकि ईबीए के अन्तर्गत सभी 27 यूरोपियन यूनियन सदस्य देशों ने प्रशुल्क वरीयता देना स्वीकार किया है। जीएसपी और ईबीए में एक अन्य अन्तर यह भी है कि जीएसपी विकासशील देशों एवं सर्वाधिक कम विकसित देश दोनों श्रेणियों के राष्ट्रों के लिये है जबकि ईबीए केवल सर्वाधिक कम विकसित देशों के लिये ही उपलब्ध है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के मध्य विचार विमर्श के बाद ईबीए समझौते का अनुमोदन हुआ, यह समझौता 5 मार्च, 2001 को अस्तित्व में आया।

ईबीए समझौते का लाभ सर्वाधिक कम विकसित देशों को मिले, यह चर्चा का विषय रहा है क्योंकि उद्गम नियम काफी सख्त हैं और ऐसा कोई भी तैयार माल जिसमें किसी आयातित कच्चे माल, उत्प्रेरक अथवा अवयव का उपयोग हुआ योजना के अन्तर्गत लाभ का पात्र नहीं होता और उसे यूरोपियन यूनियन के बाजार में शुल्क मुक्त पंहुच का फायदा नहीं मिलता। उदाहरण के लिये, बांग्लादेश एलडीसी (Least Developed Countries) श्रेणी में आता है, इसके निर्यात में वस्त्र एवं परिधान प्रमुख उत्पाद हैं, किन्तु बांग्लादेश को प्रशुल्क रियायत नहीं मिलती है क्योंकि इसके उत्पादों में दूसरे देशों से आयातित कॉटन अथवा कुछ अन्य आयातित इन पुट प्रयुक्त होते हैं। यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के मध्य काफी समय से विचार विनियम के आधार पर यह प्रयास किया जा रहा है कि केले, चावल और चीनी में चरणबद्ध तरीके से कोटा व्यवस्था को समाप्त किया जाये। इस दिशा में काम चल रहा है तथा सफलता के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे रवाण्डा गणराज्य के शहद एवं फूलों के निर्यात का मामला है। ईबीए का व्यापक आर्थिक लक्ष्य यह है कि निर्धनतम देशों के निर्यात को बढ़ावा मिले और इनके विकास को गति मिल सके।

2. **अफ्रीका विकास एवं अवसर अधिनियम (AGOA)** : अफ्रीकन ग्रोथ एण्ड अपौरच्युनिटी एक्ट वर्ष 2000 में यूएस कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का प्रधान लक्ष्य है कि उप सहारा अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं की मदद की जाये ताकि वे निर्यात सम्वर्धन, विदेशी विनिमय सृजन, रोजगार सृजन और दूसरी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें जिससे इन देशों का सर्वांगीण विकास हो। इस अधिनियम का यह भी उद्देश्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चुनिंदा अफ्रीकी देशों के आर्थिक सम्बन्धों में सुधार आये। अन्य प्रशुल्क वरीयता समझौतों की तरह ही, इस अधिनियम में भी कुछ अफ्रीकी देशों के चयनित उत्पादों के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में प्रशुल्क रियायतों का प्रावधान है। इसप्रकार यह अधिनियम जीएसपी योजना के तहत दिये जाने वाले लाभों का ही विस्तार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में वस्त्र एवं परिधान उद्योग के विकास में अफ्रीका विकास एवं अवसर अधिनियम की भूमिका बहुत प्रभावकारी रही है। मल्टी फाइबर समझौता समाप्त होने के बाद, अफ्रीकी आपूर्तिकर्ता प्रतिस्पर्धा के नए वातावरण में खड़े रहने की स्थिति में नहीं हैं, यह प्रतियोगिता उन्हें चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की और भारत से मिल रही है। हाल ही के वर्षों में, अफ्रीकी देशों को अपने निर्यात का विविधीकरण करने में सफलता मिली है, इन्होंने अपने निर्यात में फूल, औद्यानिकी उत्पाद (horticulture product), ऑटोमोटिव्स और स्टील को शामिल किया है। नाइजीरिया और अंगोला सबसे बड़े निर्यातक हैं जिन्होंने एजीओए के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने उत्पाद निर्यात किये हैं। दक्षिण अफ्रीका के निर्यात बहुत वैविध्यपूर्ण (diversified) हैं जबकि दूसरे अफ्रीकी देशों के निर्यात केवल ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित हैं। लेसोथो, स्वाजीलैण्ड, कीन्या और मैडागास्कर प्रमुख देश हैं जोकि एजीओए योजना से काफी लाभान्वित हुये हैं। अफ्रीकी देशों के उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के व्यापार में इस योजना के अन्तर्गत बहुत अधिक सम्भावनायें हैं, बशर्ते कि अफ्रीकी निर्यातक यूएस अपेक्षाओं के अनुरूप एसपीएस एवं टीबीएस मानकों को पूरा कर लें। एजीओए योजना के अन्तर्गत यूएस सरकार ने तीन क्षेत्रीय व्यापार हब बनायें हैं, इनका उद्देश्य है कि आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित किया जाये, भाड़े में अधिकतम किफायत हासिल हो और परिवहन मे बड़े पैमाने पर संचालन का लाभ मिल सके। इन तीनों हब के केन्द्र हैं– एक्रा (घाना), गैबोरोन (बोत्सवाना) एवं नैरोबी (कीन्या)।

3. **भारतीय शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना (Duty Free Tariff Preference Scheme of India)**– भारत ने कम विकसित देशों के लिये गैर पारस्परिक प्रशुल्क वरीयता योजना प्रस्तुत की है ताकि वे निर्यात सम्वर्धन, रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि और विकास कर सकें। विश्व व्यापार संगठन के हांगकांग मन्त्री स्तरीय घोषणापत्र में व्यवस्था दी गई है कि अत्यन्त गरीब देशों को बाजार में पहुंच बनाने के लिये रियायतें दी जायेंगी। भारत की डीएफटीपी योजना 49 कम विकसित देशों को भारतीय बाजार में कुल टैरिफ लाइन पर 94 प्रतिशत शुल्क मुक्त पहुंच का अवसर प्रदान करती है। इस योजना को पांच वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाना है। भारतीय डीएफटीपी योजना इस अर्थ में विशेष है कि इसमें कम विकसित देशों के कुल निर्यात के 92.5 प्रतिशत पर बाजार में पहुंच बनाने के लिये प्रशुल्क रियायतें दी जाती हैं। भारत ने अफ्रीकी देशों को प्रशुल्क रियायतें उन उत्पादों पर दी है जोकि उनकी अत्यधिक रूचि के है। इनमें प्रमुख उत्पाद हैं– कॉटन, कोको, एल्म्युनियम खनिज, तांबा खनिज, काजू, गन्ना, रेडीमेड वस्त्र, मछली पित्ती (fish fillets) और गैर–औद्योगिक हीरे।

डीएफटीपी योजना के तहत सभी 49 सर्वाधिक कम विकसित देशों के लिये प्रशुल्क रियायतें उपलब्ध हैं, इनमें 33 सर्वाधिक कम विकसित अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। ऐसे देश जो इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक हैं, उन्हें इस आशय का एक पत्र भारत सरकार को देना

होता है जिसके आधार पर कस्टम अधिकारियों को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। अभी तक 13 सर्वाधिक कम विकसित देशों से आशय पत्र (letter of intent) मिल चुका है जिनमें मुख्य रूप से अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। सम्भावित लभ्यार्थी 49 देशों की सूची इस प्रकार है–

अत्यन्त कम विकसित अफ्रीकी देश

(34 LDCS COUNTRIES FOR AFRICA)	
1. Angola	**18.** Madagascar
2. Benin	**19.** Malawi
3. Burkina Faso	**20.** Mali
4. Burundi	**21.** Mauritania
5. Central African Republic	**22.** Mozambique
6. Chad	**23.** Niger
7. Comoros	**24.** Rwanda
8. Democratic Republic of the Congo	**25.** São Tomé and Príncipe
9. Djibouti	**26.** Senegal
10. Equatorial Guinea	**27.** Sierra Leone
11. Eritrea	**28.** Somalia
12. Ethiopia	**29.** South Sudan
13. Gambia	**30.** Sudan
14. Guinea	**31.** Togo
15. Guinea-Bissau	**32.** Tanzania
16. Lesotho	**33.** Uganda
17. Liberia	**34.** Zambia
अत्यन्त कम विकसित एषियन देष **14 LDCS COUNTRIES FROM ASIA**	
1. Afghanistan	**8.** Myanmar
2. Bhutan	**9.** Nepal
3. Bangladesh	**10.** Samoa
4. Cambodia	**11.** Solomon Islands
5. East Timor	**12.** Tuvalu
6. Kiribati	**13.** Vanuatu
7. Laos	**14.** Yemen
अत्यन्त कम विकसित अमरीकी देश (1 LDC COUNTRY FROM AMERICA)	
1. Haiti	

Source: United Nations

4. **कैरेबियन बेसिन इनीशिएटिव (CBI)** : कैरेबियन बेसिन इनीशिएटिव एक व्यापार सम्वर्धन एवं सुगमता कार्यक्रम है जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित होता है। सर्वप्रथम 1983 में यूएस सरकार द्वारा कैरेबियन बेसिन रिकवरी एक्ट (CBERA) पारित किया गया जिसका प्रयोजन व्यापार सम्वर्धन एवं विकास था। इसके बाद, कैरेबियन देशों के साथ आर्थिक सहयोग को और विस्तार देने के उद्देश्य से यूएस सरकार ने दूसरा अधिनियम, यूएस–कैरेबियन ट्रेड पार्टनरशिप एक्ट (CBTPA) 2000 पारित किया। कैरेबियन बेसिन इनीशिएटिव को इन दोनों अधिनियमों की विरासत के रूप में देखा जाता है। अब इन दोनों कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से सीबीआई के रूप में जाना जाता है जोकि यूएस और कैरेबियन देशों के आर्थिक हितों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य कैरेबियन देशों में आर्थिक वृद्धि एवं विकास को सुगम बनाना है और इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं – निर्यात सम्वर्धन, निर्यात विस्तार एवं विविधीकरण, रोजगार

सृजन, नई आर्थिक गतिविधि। सीबीआई समझौता कैरेबियन देशों को संसार के सबसे बड़े यूएस बाजार में प्रशुल्क मुक्त प्रवेश उपलब्ध कराता है। CBERA एवम् CBTPA के तहत जिन देशों को लाभ मिलता है उनकी सूची इस प्रकार है–

EXISTING BENEFICIARY COUNTRIES UNDER CBERA AGREEMENT		EXISTING BENEFICIARIES UNDER CBTPA AGREEMENT	
1	Antigua and Barbuda	**1**	Barbados
2	Aruba	**2**	Belize
3	The Bahamas	**3**	Guyana
4	Barbados	**4**	Haiti
5	Belize	**5**	Jamaica
6	British Virgin Islands	**6**	Panama
7	Dominica	**7**	St. Lucia
8	Grenada	**8**	Trinidad and Tobago
9	Guyana		
10	Haiti		
11	Jamaica		
12	Montserrat		
13	Panama		
14	St. Kitts and Nevis		
15	St. Lucia		
16	St. Vincent and the Grenadines		
17	Trinidad and Tobago		

Source: Office of the US Trade Representative 2013

5. **एण्डीन व्यापार वरीयता अधिनियम (ATPA)** : एण्डीन ट्रेड प्रेफरेन्स एक्ट वर्ष 1991 में पारित हुआ जिसका उद्देश्य चार एण्डीन देशों (बोलीविया, कोलम्बिया, इक्वाडोर एवं पेरू) की मदद करना है, ताकि वे मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी के विरुद्ध कार्य करते हुये अपने लिये दूसरे आर्थिक विकल्प अपना सकें। बाद में, एण्डीन ट्रेड प्रमोशन एण्ड ड्रग एडिक्शन एक्ट (ATPDEA), 6 अगस्त, 2002 को पारित हुआ। यह एटीपीए 1991 का संशोधित रूप है। कुछ उत्पाद जो एटीपीए में शुल्क मुक्त सूची में नहीं थे, उन्हें एटीपीडीईए में शुल्क मुक्त सूची में शामिल किया गया। एक्ट के अन्तर्गत लाभ लेने के इच्छुक देश के लिये अनिवार्य है कि वह योजना में निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरे करता हो। कार्यक्रम के कियान्वयन की रिपोर्ट प्रत्येक दो वर्ष में कांग्रेस को प्रस्तुत की जाती है। नवीनतम रिपोर्ट 30 अप्रेल, 2009 को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख रहता है, समयावधि विशेष में इसके कियान्वयन का विस्तृत वर्णन होता है, पात्रता मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में लाभ्यार्थी देशों की भूमिका के बारे में बताया जाता है।

6. **कनाडा व्यापार, विनियोग एवं औद्योगिक सहयोग कार्यक्रम (CARIBCAN)**: यूएस और ईयू की तरह ही अंतराष्ट्रीय गैर पारस्परिक प्रशुल्क वरीयता समझौता कनाडा द्वारा किया गया है, यह समझौता है – कैरिबकैन (CARIBCAN)। इसके तहत कनाडा, कैरेबियन देशों को शुल्क मुक्त, प्रशुल्क रियायतें और निर्बाध बाजार प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। यह कनाडा सरकार का कार्यक्रम है, इसका अनुमोदन कनाडा संसद द्वारा 1986 में किया गया। इसका लक्ष्य व्यापार और विनियोग को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से कैरेबियन देशों को कनाडा के विशाल बाजार में शुल्क मुक्त अथवा रियायती प्रशुल्क पर प्रवेश का अवसर मिलता है। कैरिबकैन समझौते की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं–

Organizing Seminar For Businesspersons Of The Caribbean Region

Training On Market & Product Identification

Workshop On Intenritonal Business Entry Strategy To Canada Market

Expanding Export Capabilitites Of Carribean Industry In Canada

Assistance Of The Canadian Department Of Industry to Carribean Exporters

Technology In The Caribbean Region

Source: Canada Trade Commissioner Service

CARIBCAN समझौते की प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- कैरेबियन देशों के वर्तमान व्यापार और निर्यात आय में अभिवृद्धि करना।
- क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक विकास की परिस्थितियों में सुधार करना।
- निवेश के नये अवसरों को विकसित और प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना।

CARIBCAN समझौते के अन्तर्गत लाभ्यार्थी देशों की सूची निम्नवत् है–

1. Anguilla,	**10.** Republic of Guyana,
2. Antigua and Barbuda,	**11.** Jamaica,
3. The Bahamas,	**12.** Montserrat,
4. Bermuda,	**13.** Saint Kitts and Nevis,
5. Barbados,	**14.** Saint Lucia,
6. Belize,	**15.** Saint Vincent and the Grenadines,
7. The British Virgin Islands,	**16.** The Republic of Trinidad and Tobago,
8. The Cayman Islands,	**17.** The Turks and Caicos Islands
9. The Commonwealth of Dominica, Grenada,	

Source: Canada Trade Commissioner Service

7. **लोम समझौता (Lome Convention)** : लोम समझौता एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है जोकि यूरोपियन समुदाय और 71 दूसरे देशों के साथ सम्पन्न हुआ जिनमें अफ्रीकी, कैरेबियन और पैसेफिक देश शामिल हैं। इस कन्वेन्शन का लक्ष्य है कि 71 गरीब देशों में व्यापार सम्वर्धन और सुगमता लाई जाये और इनको मदद पहुंचाई जाये। इस समझौते पर फरबरी 1975 में लोम, टोगो (अफ्रीका) में हस्ताक्षर हुये, इसलिये इसे लोम समझौता कहा जाता है। यह समझौता अप्रेल 1976 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य है कि यूरोपियन समुदाय के देशों और विकासशील देशों के बीच व्यापार और सहयोग में वृद्धि हो, इसके लिये अफ्रीकी, कैरेबियन और पैसिफिक देशों को नया आर्थिक वातावरण मुहैया कराया जाये। यह बात उल्लेखनीय है कि ये देश गरीब हैं, राजनैतिक अस्थिरता के माहौल में हैं और किसी साम्राज्यवादी शक्ति के उपनिवेश रहे हैं। इन पर यूके, डच, बेल्जियम अथवा फ्रान्स का नियन्त्रण रहा है।

लोम कन्वेन्शन के दो पहलू प्रमुख हैं– पहला, निर्धन एसीपी (अफ्रीकी, कैरेबियन और पैसिफिक) देशों को प्रशुल्क रियायत; दूसरा, यूरोपियन समुदाय की ओर इन देशों को आर्थिक मदद और निवेश। इस समझौते के अनुसार यूरोपियन कम्युनिटी में एसीपी देशों के अधिकांश

कृषि और खजिन उत्पाद रियायती अथवा शून्य प्रशुल्क पर आयात किये जाते हैं। यूरोपियन कम्यूनिटी में वरीयता लाभ कोटा प्रणाली पर आधारित है। उदाहरण के लिये, कुछ उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाये गए हैं, जैसे– चीनी एवं गोमांस। इससे उनके घरेलू उत्पादकों को स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। दूसरी श्रेणी में, यूरोपियन समुदाय ने यह वायदा किया है कि वह एसीपी देशों के लिये तीन बिलियन डॉलर का निवेश और सहायता करेगा।

8. **दक्षिण पैसिफिक क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौता (South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement)**. आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड ने भी दूसरे विकसित देशों की भांति पैसिफिक क्षेत्र के विकासशील देशों के चयनित उत्पादों के लिये गैर पारस्परिक प्रशुल्क वरीयता और निर्बाध बाजार प्रवेश प्रदान किया। इस आशय से SPARTECA समझौता सम्पन्न हुआ, प्रदाता देश और लाभ्यार्थी पक्षों की ओर से 1980 में तारावा (किरबाती) में हस्ताक्षर किये गए। यह समझौता 1 जनवरी, 1981 से लागू हुआ। इस समझौते में उद्गम नियम (rules of origin) लागू होते हैं। लाभ्यार्थी देश के लिये जरूरी है कि वह उद्गम नियमों के अनुसार उत्पाद विशेष के लिये पात्रता मानदण्ड पूरे करता हो, तभी शुल्क मुक्त एवं निर्बाध बाजार प्रवेश का फायदा मिल सकता है। पैसिफिक क्षेत्र के विकासशील देशों के लिये यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दो पक्षों के असमान व्यापार सम्बन्धों में संशोधन करने के प्रावधान हैं। पैसिफिक फोरम के विकासशील देश SPARTECA समझौते से काफी लाभान्वित हुये हैं, इन्हें वस्त्र तथा परिधान, फुटवीअर क्षेत्र में अधिक लाभ मिला है। SPARTECA अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में लाभ्यार्थी देशों की सूची इस प्रकार है–

SPARTECA समझौते के लाभ्यार्थी देश

LIST OF BENEFICIARY COUNTRIES UNDER SPARTECA AGREEMENT

1	Cook Island	**9**	Samoa
2	Australia	**10**	Solomon Islands
3	Fiji	**11**	Tonga
4	Marshall Islands	**12**	Tuvalu
5	Micronesia	**13**	Vanuatu
6	Nauru	**14**	Kiribati
7	New Zealand	**15**	Niue.
8	Papua New Guinea		

Source: www.austrade.org

18.6 सारांश

वैश्विक व्यापार के सुव्यवस्थित, संतुलित और सतत् विकास के लिये प्रशुल्क वरीयता और कोटा प्रणाली का आश्रय लिया गया। इनकी सहायता से देशों के आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने और कमजोर देशों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया गया। गैर प्रशुल्क प्रतिबन्ध, कोटा प्रणाली, मात्रात्मक प्रतिबन्ध, गैर–पारस्परिक शुल्क वरीयता उपाय विश्व व्यापार में काफी समय से अस्तित्व में रहे हैं।

मल्टी फाइबर समझौता 1974 में पहली बार, विकसित देशों द्वारा अल्पकालिक उपाय के तौर पर लागू किया गया जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ आयात समायोजन करना था। विकासशील देशों को कुछ बढ़त हासिल हैं, जैसे– कॉटन का बड़े पैमाने पर उत्पादन और

सस्ते श्रम की उपलब्धता। इन घटकों के कारण इनके निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विकसित देशों ने अपने आयात को व्यवस्थित करने के लिये एक देश से होने वाले आयात के लिये सीमा निर्धारित कर दी। इसके लिये उन्होंने कीमत और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा आदि कारकों की भी उपेक्षा करना स्वीकार किया।

सामान्यीकृत वरीयता योजना की घोषणा अंकटैड के दूसरे सम्मेलन में 1968 में की गई जिसमें विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिये सामान्यीकृत, गैर–पारस्परिक और भेदभाव रहित प्रशुल्क वरीयता प्रदान करना स्वीकार किया, ताकि उन्हें विकसित देशों के बाजार में पहुंच बनाना आसान हो। जीएसपी योजना के तहत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रशुल्क वरीयता दी जाती है। इसी प्रकार की एक समान व्यवस्था के लिये 77 देशों के समूह, जी–77 में विचार विमर्श किया गया और सहमति बनी कि विकासशील प्रशुल्क वरीयता देंगे जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में विश्व व्यापार का विस्तार और विविधीकरण करना है। इस समझौते को वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (GSTP) कहा जाता है। बेलग्रेड में पहले दौर की बातचीत के समापन के बाद, अप्रेल 13, 1988 को जीएसटीपी की पुष्टि हुई और इस पर हस्ताक्षर हुये।

विविध देशों के मध्य, कई महत्वपूर्ण दूसरे समझौते और संधियां हैं जिनका उद्देश्य विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। विकसित देशों की ओर से गैर पारस्परिक व्यापार वरीयता के लिये एकपक्षीय घोषणायें की गईं और उन्हें लागू किया गया। इसीप्रकार, विकासशील देशों की ओर से भी अन्य विकासशील देशों और अत्यन्त कमजोर देशों के लिये व्यापार वरीयता योजनायें शुरू की गईं। इसप्रकार की अनेक संधियां और समझौते अस्तित्व में हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण योजनओं के नाम नीचे दिये गए हैं–

1. Everything but Arms (EBA) of European Union
2. The African Growth and Opportunity Act (AGOA) of United States
3. Duty Free Tariff Preference Scheme of India
4. Caribbean Basin Initiatives (CBI) of United States
5. The Andean Trade Preference Act (ATPA)
6. Canadian Trade, Investment and Industrial Cooperation program (CARIBCAN)
7. Lomé Convention
8. South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA)

18.7 शब्दावली

- **मल्टी फाइबर समझौता** – एमएफए वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित एक अन्तराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जोकि 1974 में अस्तित्व में आया और 2004 तक लागू रहा। इसके बाद, वस्त्र एवं परिधान समझौता हुआ जिसमें मल्टी फाइबर समझौता के तहत प्रभावी कोटा प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से 1995 से 2004 तक समाप्त करना स्वीकार किया गया।
- **जीएसटीपी**– यह एक व्यापार वरीयता समझौता है जिसमें विकासशील देश, दूसरे विकासशील अथवा अत्यन्त कम विकसित देशों को प्रशुक्ल वरीयता प्रदान करते है। भारत जीएसटीपी योजना के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित देश है। यह योजना 13 अप्रेल 1988 को लागू हुई और यह अभी तक प्रभावी है। भारत सहित अन्य सदस्य देश इस योजना में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं।
- **जीएसपी** – यह गैर–पारस्परिक प्रशुल्क वरीयता योजना है जिसमे विकसित देश, विकासशील देशों को शुल्क मुक्त अथवा रियायती शुल्क पर अपने यहां आयात की अनुमति देते हैं। निर्यातक देश को उत्पाद के विषय में निर्धारित उद्गम नियमों के

तहत पात्रता मानदण्ड पूरा करना अनिवार्य है। अब, इस योजना में सर्वाधिक कम विकसित देशों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

- **एजीओए–** अफ्रीका विकास एवं अवसर अधिनियम, यूएस कांग्रेस का एक प्रयास है जिसमें चयनित गरीब अफ्रीकी देशों को प्रशुल्क वरीयता प्रदान की जाती है ताकि वे यूएस के विस्तृत बाजार में अपनी जगह बना सकें।
- **ईबीए–** एवरीथिंग बट आर्म्स, यूरोपियन यूनियन की प्रशुल्क वरीयता योजना है जिसमें संसार के अत्यधिक गरीब और कमजोर देशों को आयुध एवं रक्षा उपकरणों के अलावा सभी उत्पादों पर प्रशुल्क रियायतें दी जाती हैं।
- **डीएफटीपी–** ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेन्स, यह एक भारतीय योजना है जिसमें विश्व के सर्वाधिक कम विकसित देशों को प्रशुल्क वरीयता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाना आसान हो जाये। वर्तमान में, लगभग 94 प्रतिशत प्रशुल्क पंक्ति इस योजना से आच्छादित है। उद्गम नियम (rules of origin) अन्तर्गत, पात्रता शर्तें लागू रहती हैं।

18.8 बोध प्रश्न

1. विकसित देशों ने मल्टी फाइबर समझौते के तहत वस्त्र और परिधान के आयात पर 1974 से 2004 तक .... लगायें ।
2. जीएसपी और ईबीए योजनाओं में अन्तर यह है कि जीएसपी केवल 15 देशों द्वारा दिया गया है जबकि ईबीए के अन्तर्गत सभी .... यूरोपियन यूनियन सदस्य देशों ने प्रशुल्क वरीयता देना स्वीकार किया है।
3. कैरेबियन बेसिन इनीशिएटिव एक व्यापार सम्वर्धन एवं सुगमता कार्यक्रम है जोकि .... द्वारा संचालित होता है।
4. दक्षिण पैसिफिक क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौता .... से लागू हुआ।

18.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. परिमाणात्मक प्रतिबन्ध 2. 27 3. संयुक्त राज्य अमेरिका 4. 1 जनवरी, 1981

18.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रशुल्क वरीयता एवं कोटा प्रणाली पर प्रकाश डालिए।
2. मल्टी फाइबर समझौते को समझाइए एवं वैश्विक वस्त्र व्यापार पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
3. मल्टी फाइबर समझौते के समापन के विविध चरणों पर प्रकाश डालिए।
4. जीएसपी योजना क्या है? इस योजना में मिलने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए।
5. जीएसटीपी योजना का वर्णन कीजिए। जीएसटीपी के उद्देश्य बताइए।
6. वैश्विक व्यापार में प्रशुल्क वरीयता के उद्देश्य से लागू समझौतों, संधियों और योजनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–
   (ए) एवरीथिंग बट आर्म्स (Every Things But Arms)
   (बी) अफ्रीका विकास एवं अवसर अधिनियम (African Growth & Opportunity Act)
   (सी) कर मुक्त प्रशुल्क वरीयता (Duty Free Tariff Preference)
   (डी) कैरेबियन बेसिन योजना (Caribbean Basin Initiative)

18.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. International Economics, Raj Kumar, Excel Publication, 2008
2. International Economics, Francis Cherunilam, The McGraw Hill Publication, 5th Edition,
3. International Economics, Steven Husted and Michael Melvin, Pearson Publication, 9th Edition.
4. International Economics, James Gerber, Pearson Publication, 6th Edition
5. International Economics, D.M. Mithani, Himalaya Publishing House; Edition 11th ISBN No. 8178660962
6. International Economics: Theory And Policy, 8th Edition, Paul R. Krugman, Pearson Education India
7. International Economics, Dr Nirmal Bhalerao & SSM Desai, Himalaya Publishing House, 1st Edition
8. International Economics, M.L. Jhingan, Vrinda Publishing House
9. International Economics, D. N. Dwivedi, ISBN : 8122005349
10. International Economics, Steven L. Husted, Michael Melvin , Harper-Collins Press
11. Johan Daniel, and Lee H. Radebaugh, International Business Environment and Operations, Pearson Publication, 14th Edition.
12. Rakesh Mohan Joshi, International Business, Oxford Press, India Edition.
13. WTO Reports on Agreement on Textile.

इकाई 20 यूरोपीय समुदाय, नाफ्टा एवं क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग(EC, NAFTA & Regional Economic Cooperation)

इकाई की रूपरेखा

20.1 प्रस्तावना
20.2 यूरोपीय समुदाय
20.3 नाफ्टा (NAFTA)
20.4 क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग
20.5 आसियान
20.6 सार्क
20.7 सारांश
20.8 शब्दावली
20.19 बोध प्रश्न
20.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
20.11 स्वपरख प्रश्न
20.12 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- यूरोपीय समुदाय के उद्भव के विविध चरणों से परिचित हो सकें और वर्तमान व्यापार प्रवृत्तियों को जान सकें।
- नाफ्टा के उद्देश्यों एवं व्यापार व्यवहार को समझ सकें।
- क्षेत्रीय आर्थिक समूहन के महत्व को स्पष्ट कर सकें और वर्तमान व्यावसायिक वातावरण में क्षेत्रीय एकीकरण का औचित्य बता सकें।
- दक्षिण पूर्व एशिया देशों के क्षेत्रीय एकीकरण के इतिहास से परिचित हो सकें।
- आर्थिक एकीकरण की विविध अवस्थाओं और उनमें निहित अवसरों की पहचान कर सकें।

20.1 प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज हुए। विशेष रूप, से यूरोप के देशों ने क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के विषय में सोचा। इन देशों ने अनुभव किया कि क्षेत्र के प्राकृतिक एवं दूसरे संसाधनों के उपयोग के लिये प्रयास किये जाने चाहिए जिससे परस्पर संघर्ष को भी टाला जा सकेगा। इस क्रम में सर्वप्रथम 1952 में,पहला क्षेत्रीय आर्थिक समझौता सम्पन्न हुआ जिसके तहत यूरोपीय कोयला एवं स्टील समुदाय की स्थापना हुई। इससे आर्थिक सहयोग में और वृद्धि हुई, जब रोम में 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। बाद में, कुछ और देश भी इसमें शामिल हुए और कुछ संस्थायें बनाई गई जिनका उद्देश्य यूरोपीय देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना था।इस क्षेत्र में, उल्लेखनीय घटना हुई, जब यूरोप के 28 देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ का गठन किया जिससे एक बृहत एकल बाजार का उदय हुआ।

यूरोपीय क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के महत्व और प्रभाव को देखने के बाद, उत्तरी अमेरिका का देश भी प्रेरित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने मिलकर मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया। क्षेत्र के आधार पर नाफ्टा संसार का सबसे बड़ा आर्थिक गुट है। बाद

में दक्षिण पूर्व के देशों ने भी, आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता अनुभव की और आसियान का गठन हुआ। नब्बे के दशक में, पूरे संसार में यह बात स्वीकार की जाने लगी कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय आर्थिक गुटों की निर्णायक भूमिका हो सकती है और इनके माध्यम से देशों में निर्यात सम्वर्धन, रोजगार सृजन, आर्थिक प्रगति को काफी गति दी जा सकती है। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक बाजार में एकल बाजार तन्त्र की स्थापना की जिससे संसार की अर्थव्यवस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण की सुस्थिर प्रक्रिया शुरू हुई। सभी महाद्वीपों के देशों ने अपने आर्थिक एकीकरण के स्तर के मुताबिक वरीयता व्यापार समझौते, मुक्त व्यापार समझौते, सीमा शुल्क संघ अथवा साझा बाजार समझौते हस्ताक्षर करना शुरू किया।

समय के साथ, विकासशील देशों के अनेक क्षेत्रीय व्यापार गुट बन गए जिनमें आसियान, कैरीकॉम और मरकूजर के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें ज्यादतर गठबन्धन शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में बने थे। इसके अलावा, विकासशील देशों का उद्देश्य था कि क्षेत्रीय आर्थिक गठबन्धन से फायदा उठाकर अपनी आर्थिक प्रगति की समस्याओं से निपट सकें। ये देश उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद की कठिनाईयों का सामना कर रहे थे। पश्चमी देशों की ओर से जो प्रयास क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में हुए उनका उद्देश्य था कि सदस्य देशों के मध्य व्यापार सृजन हो जबकि दक्षिण गोलार्धीय देशों का लक्ष्य शीत युद्ध शक्तियों का अनुगमन करना था अथवा आधिपत्यवादी ताकतों के प्रभाव से लड़ना था जोकि पड़ोसी देशों के तौर पर विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रहे थे। विश्व व्यापार संगठन की वेब साइट के मुताबिक, 10 जनवरी 2013 को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की 546 अधिसूचनायें दर्ज थीं जोकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से सम्बद्ध हैं। इन समझौतों में से लगभग 354 व्यापार समझौते वर्तमान में भी प्रभावी हैं। यहां अध्ययन की दृष्टि से यूरोपीय समुदाय, नाफ्टा और कुछ प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को चुना गया है।

20.2 यूरोपीय समुदाय (European Community)

यूरोपीय समुदाय ही बाद में यूरोपीय संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके उद्भव और विकास का लम्बा इतिहास है। प्रारम्भ में यह मात्र औद्योगिक समझौता था जोकि बाद में समग्र आर्थिक सहयोग का विराट गठबन्धन बना जिसका साझा बैंक और साझा मुद्रा हुई। वर्ष 1952 में यूरोपीय कोयला एवं स्टील समुदाय (ECSC) का गठन हुआ जिसमें यूरोप के छः प्रजातान्त्रिक देश थे। सर्वप्रथम, इसके गठन का प्रस्ताव फ्रान्स के विदेश मन्त्री रोबर्ट शुमैन द्वारा 9 मई, 1950 को रखा गया जिसका उद्देश्य था कि फ्रान्स और जर्मनी के मध्य चल रही लड़ाई को रोका जाये। ECSC को अगला मुकाम तब हासिल हुआ जब रोम में 1957 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें छः यूरोपीय देशों ने पूर्व में ECSC के रूप में चल रहे सहयोग को विस्तार देने का निर्णय लिया और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के गठन को स्वीकृति मिली। इन छः देशों के मध्य मुक्त बाजार की अवस्था बन गई। साथ ही, इन देशों ने गैर सदस्य देशों के लिये समान बाह्य प्रशुल्क दर अपना ली जिससे कि यह एक सीमा शुल्क संघ (custom union) बन गया। इसके बाद, इन छः देशों ने एक और संधि पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत EURATOM की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और आपसी मुनाफे को अधिकतम करना था।नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र का यह समझौता भी बेहत कारगर रहा। दोनों ही, EEC और EURATOM संधियां 1958 में लागू हो गयीं।

यूरोपीय कोयला एवं स्टील समुदाय से पृथक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरेटॉम दो संस्थाओं का गठन किया गया।सन् 1967 में, ब्रूसेल्स में विलय संधि पर हस्ताक्षर हुए और इन तीनों संस्थाओं का एकीकरण हुआ। एकीकृत संगठन का नाम यूरोपीय समुदाय रखा गया।इसके विस्तार के लिये प्रयास किये गए, समान सरोकार रखने वाले और यूरोपीय देशों को शामिल

किया गया। वर्ष 1973 में, डेनमार्क, आयरलैण्ड यूरोपियन समुदाय में शामिल हुए, जबकि यूके और ग्रीस 1981 में समुदाय के सदस्य बने। पुर्तगाल और स्पेन ने 1986 में सदस्यता ली। वर्ष 1993 में तीनों समुदाय को मिलाकर एक आर्थिक संघ की स्थापना की गई जिसे यूरोपीय संघ का नाम दिया गया। यूरोपीय संघ में निम्न देश सम्मिलित हैं:

Name of Country	Year of Entry	Name of Country	Year of Entry
Austria	1995	Italy	1952
Belgium	1952	Latvia	2004
Bulgaria	2007	Lithuania	2004
Croatia	2013	Luxembourg	1952
Cyprus	2004	Malta	2004
Czech Republic	2004	Netherlands	1952
Denmark	1973	Poland	2004
Estonia	2004	Portugal	1986
Finland	1995	Romania	2007
France	1952	Slovakia	2004
Germany	1952	Slovenia	2004
Greece	1981	Spain	1986
Hungary	2004	Sweden	1995
Ireland	1973	United Kingdom	1973

Source: European Parliament, Belgium

यूरोपीय संघ का प्रशासन सात संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है, ये संस्थायें हैं–यूरोपीय संसद, यूरापीय परिषद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीयन कमीशन, यूरोपियन संघ न्यायालय, यूरोपियन केन्द्रीय बैंक, यूरोपियन संघ अंकेक्षक। आगे दिए गए डायग्राम के माध्यम से यूरोपीयन संघ की कार्यप्रणाली और इसकी नियामक संस्थाओं के अन्तर्सम्बन्धों को सरलता से समझा जा सकता है।

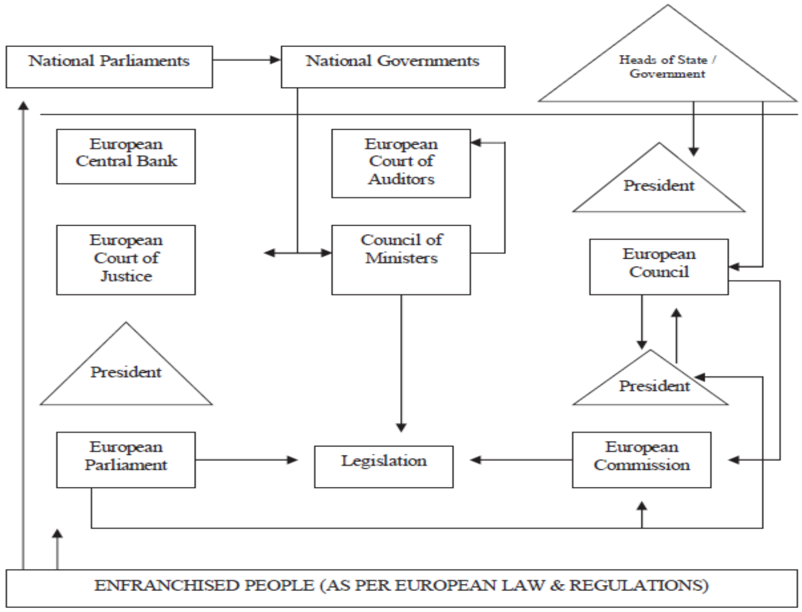

Source: European Commission, EU Brussels, Belgium

यूरोपीयन संघ का विश्व व्यापार में प्रथम स्थान है। संसार की कुल आबादी का केवल 7 प्रतिशत यूरोपियन संघ में है जबकि संघ के पास कुल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 20 प्रतिशत भाग है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों का व्यापार शामिल है। संसार में, 28 देशों के एकल संघ के रूप में यह वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा आयातक है। यद्यपि संघ का 70 प्रतिशत व्यापार अन्तः यूरोप ही है, लेकिन फिर भी यह किसी भी देश के लिये महत्वपूर्ण बाजार है। उदाहरण के लिये, भारत के आयात और निर्यात को जोड़कर देखें, तब सबसे बड़ा एकल व्यापार साझेदार यूरोपीयन संघ ही है। यही कारण है कि भारत का प्रयास है कि यूरोपीय संघ के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न हो जाये। इसके लिये बातचीत का दौर जारी है। यूरोपीय देशों की स्थिति इस संघ की वजह से बहुत मजबूत हुई है। विश्व व्यापार पटल पर इनकी संगठित और संयुक्त आवाज बहुत महत्व रखती है, जबकि अलग–अलग 28 देशों की आवाज कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं बन सकती थी। संघ की व्यापार रणनीति को चुनौती देना आसान नहीं होता। यूरोपीयन संघ किसी भी देश के लिये आकर्षक बाजार है, जिसके प्रमुख कारण आगे रेखाचित्र में दर्शाये गए हैं।

- European Union has 500 million consumers with percapita of more than $35000.
- European Union is World Largest Single market with Transperent Rules and Regualtions
- European Union strong logistics networlks, port infrasturcutre and easy movement of cargo from one country to anotehr with EU
- European Union has storng legal and distpute rederessal system protectign investor/ exproter interest
- European Union is the most open market for developing countries like India
- 18 Countries with in EU has Single Currency thus help exporter manage exchange rate risks

वर्ष 2012 में, यूरोपीय संघ का केवल वस्तुओं का आयात व्यापार 1791 बिलियन डॉलर और निर्यात 1689 डॉलर था। यूरोपीय यूनियन सेवाओं के निर्यात में अग्रणी है और इसका चालू खाता शेष अनुकूल है। यद्यपि, विविध देशों के स्तर पर यूरोप में आयात और निर्यात में निष्पादन समंकों में बहुत विषमता है। समूह के सभी देशों में, सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक भी जर्मनी है। सर्वाधिक निर्यात करने वाले देशों की श्रेणी में, फ्रान्स का दूसरा स्थान है, इसके बाद क्रमशः नीदरलैण्ड, इटली और यूके का नम्बर आता है। जहां तक आयात व्यापार की बात है, यूके का दूसरा स्थान है और इसके बाद फ्रान्स, नीदरलैण्ड और इटली का स्थान है। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख व्यापार साझेदारों के आयात और निर्यात के वर्ष 2012 के आंकड़े आगे तालिका में दिए गए हैं।

Main Trading Partners of European Union in 2012							
Rank	**Partners**	**Imports (million euro)**	**% (of total)**	**Exports (million euro)**	**% (of total)**	**Total trade (million euro)**	**% (of total)**
-	**Total EU**	**1,791,727**	**100%**	**1,686,774**	**100%**	**3,478,501**	**100%**

1	United States	205,778	11.5%	291,880	17.3%	497,658	14.3%
2	China	289,915	16.2%	143,874	8.5%	433,789	12.5%
3	Russia	213,212	11.9%	123,262	7.3%	336,474	9.7%
4	Switzerland	104,544	5.8%	133,341	7.9%	237,885	6.8%
5	Norway	100,437	5.6%	49,821	3.0%	150,258	4.3%
6	Turkey	47,789	2.7%	75,172	4.5%	122,961	3.5%
7	Japan	63,813	3.6%	55,490	3.3%	119,303	3.4%
8	Brazil	37,090	2.1%	39,595	2.3%	76,685	2.2%
9	India	37,295	2.1%	38,468	2.3%	75,764	2.2%
10	South Korea	37,861	2.1%	37,763	2.2%	75,624	2.2%

Source: www.ec.europa.eu

भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, लेकिन यूरोपीय संघ के कुल आयात में भारतीय मूल के उत्पादों का प्रतिशत केवल 2.1 है। इसी प्रकार, यूरोपीय देशों के निर्यात में भारतीय भाग केवल 2.2 प्रतिशत है। यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों के आयात एवं निर्यात के समंकों नीचे तालिकाबद्ध किया गया है।

European Union Total Exports to World including the 5 Top Exporters from 2008-12 (in Thousand Dollars)					
Exporters	**Value in 2008**	**Value in 2009**	**Value in 2010**	**Value in 2011**	**Value in 2012**
European Union (EU 27)	5,817,364,355	4,497,281,842	5,057,960,129	5,883,285,488	5,685,422,286
1. Germany	1,466,137,413	1,127,839,933	1,271,096,329	1,482,202,274	1,416,184,199
2. France	594,504,995	464,112,811	511,651,043	581,541,871	556,575,682
3. Netherlands	545,853,405	431,502,452	492,645,872	530,575,759	554,677,907
4. Italy	542,949,393	406,861,961	448,041,394	523,574,762	501,221,676
5. United Kingdom	457,743,376	351,163,468	405,868,895	473,757,115	481,225,754

European Union Total Imports From World including the 5 Top Importers from 2008-12 (in Thousand Dollars)					
Importers	**Value in 2008**	**Value in 2009**	**Value in 2010**	**Value in 2011**	**Value in 2012**
European Union (EU 27) Aggregation	6,092,657,707	4,563,157,341	5,172,135,871	6,020,724,429	5,727,202,132
1. Germany	1,204,209,307	938,363,080	1,066,816,752	1,260,297,537	1,173,287,645

2.	United Kingdom	634,448,968	482,893,374	562,501,058	637,243,366	689,137,011
3.	France	695,004,283	540,502,283	599,171,506	700,851,646	663,268,640
4.	Netherlands	494,936,571	382,190,422	439,986,633	492,837,632	501,134,302
5.	Italy	562,126,240	415,054,892	487,854,121	559,124,701	487,118,338

Source: UN Comtrade

20.3 नाफ्टा (NAFTA)

संसार में नाफ्टा सबसे बड़ा व्यापार गुट है। भू–भाग और जीडीपी दोनों ही आधार पर नाफ्टा विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक गठबन्धन है। नाफ्टा एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समझौता है जिसे कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की सरकारों ने हस्ताक्षर किया है। यह उत्तरी अमेरिका क्षेत्र का एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया और अभी तक सफलतापूर्वक चल रहा है। इस गठबन्धन का उद्देश्य था कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में सभी स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाये। इस समझौते के सम्पन्न होने के बाद, कनाडा और यूएसए के मध्य पूर्व में हुए सभी समझौते निष्प्रभावी हो गए। नाफ्टा समझौते के दो पूरक समझौते और हैं–

(a) North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC)

(b) North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC)

इस त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग समझौते के प्रमुख उद्देश्य थे– व्यापार लागतों में कमी लाना, उद्यमों में विनियोग वृद्धि, उत्तरी अमेरिका को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिये सक्षम बनाना। उत्तरी अमेरिका के प्रत्येक देश में आर्थिक संसाधनों की विविधता है। उदाहरण के लिये, यूएस में भूमि और पूंजी की बहुलता है जबकि कनाडा में कृषि योग्य भूमि बहुत है जिसे विकसित किए जाने की जरूरत है। मैक्सिको में श्रम बाहुल्य है। यूएस के टैक्नॉलॉजी प्रधान उद्योग और मैक्सिको का सस्ता श्रम मिलकर सम्पूर्ण क्षेत्र लिये बहुत लाभप्रद स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2008 के प्रारम्भ में, नाफ्टा क्षेत्र में सभी प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त किया गया। उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में आयात और निर्यात सम्बन्धी परिदृश्य को नीचे दी गई तालिका से सरलता से समझा जा सकता है।

NAFTA EXPORT TO WORLD FROM 2008-2012 (IN THOUSAND US DOLLAR)					
Exporters	**Value in 2008**	**Value in 2009**	**Value in 2010**	**Value in 2011**	**Value in 2012**
World	15,989,372,712	12,327,153,144	15,055,401,572	17,999,547,615	17,981,277,146
NAFTA Countries Export to World	2,046,795,870	1,601,601,246	1,961,994,137	2,279,729,226	2,369,772,912
United States of America	1,299,898,877	1,056,712,078	1,277,109,162	1,479,730,169	1,545,565,186
Canada	455,632,184	315,176,831	386,579,900	450,430,008	453,380,895
Mexico	291,264,809	229,712,337	298,305,075	349,569,049	370,826,831
NAFTA IMPORT FROM WORLD FROM 2008-2012 (IN THOUSAND US DOLLAR)					
Importers	**Imported**	**Imported**	**Imported**	**Imported**	**Imported**

	value in 2008	value in 2009	value in 2010	value in 2011	value in 2012
World	16,393,518,947	12,591,039,320	15,325,394,862	18,333,981,514	18,192,973,477
NAFTA Imports from World	2,882,179,319	2,157,507,915	2,660,087,186	3,064,007,529	3,166,920,534
United States of America	2,164,834,031	1,601,895,815	1,966,496,750	2,262,585,634	2,333,805,233
Canada	408,762,168	321,227,568	392,108,702	450,579,509	462,369,245
Mexico	308,583,120	234,384,532	301,481,734	350,842,386	370,746,056

Source: UN Comtrade

उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) के विविध उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, किन्तु इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ही है कि व्यापार उदारीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण के अवसरों का लाभ उठाया जा सके जिसके लिये जरूरी है कि सभी प्रशुल्क बाधाओं और गैर–प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त किया जाये। इस समझौते का लक्ष्य है कि सदस्य देशों में आर्थिक प्रगति हो जिसके लिये आवश्यक है कि क्षेत्र में अन्तःविनियोग में वृद्धि हो और सर्वांगीण आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाये। इसमें सभी स्तरों पर–द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग और समन्वय की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार नाफ्टा एकल बाजार के रूप में विकसित हुआ है जो अपने उद्योगों को विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इससे सदस्य देश अपने उद्योगों में बड़े पैमाने पर होने वाले लाभ प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक उद्योग को वहां विकसित और केन्द्रित होने का मौका मिलता है जहां उसे स्थानीयकरण और बड़े पैमाने के लाभ अधिकतम मिल सकें। नाफ्टा का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये देश अपने उद्योगों को वैश्विक स्पर्धा के योग्य बना सकें और इसके परिणामस्वरूप अपने आयात को नियन्त्रित करके अपने निर्यात में वृद्धि कर सकें जिससे कि इनका व्यापार शेष अनुकूल रहे। नाफ्टा देश व्यापार नियमों में पारदर्शिता और पक्षपातहीन व्यवहार के लिये प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, इन देशों ने पर्यावरण सुरक्षा और श्रमिक हित रक्षा और समानता को अपने एजेण्डे का हिस्सा बनाया है जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और श्रम सुधारों पर भी काम हो सके। सदस्य देशों के मध्य व्यापार सम्बन्धी विवादों के समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित तन्त्र विकसित किया गया है जो सभी स्तरों पर मतभेदों का निवारण कर सके। इस गठबन्धन का प्रयास है कि बाहरी निवेशकों को सुस्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण मिले और वे इस क्षेत्र में विनियोग करने को प्रेरित हों और फर्मों को सुविधाजनक ढांचा मिले जिसमें उन्हें उन्नत भविष्य परिलक्षित हो। नाफ्टा के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रत्याशित हैं और वहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार की सम्भावना है। नाफ्टा के अनुच्छेद 102 के अनुसार, इस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समझौते के अन्तर्गत जो उद्देश्य प्रस्तावित किए गए, उन्हें एक रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है–

Source: Adapted from NAFTA Secretariat (NAFTA FAQ) 2013

नाफ्टा के पक्ष में तर्क– क्षेत्रीय आर्थिक गठबन्धन के रूप में नाफ्टा एक सफल प्रयोग रहा है। कार्य निष्पादन के आधार पर, नाफ्टा के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं–

- **प्रशुल्क बाधाओं का समापन**–प्रशुल्क का आशय एक ऐसे कर से है जोकि आयातक को अपना माल प्राप्त करने पूर्व सीमा शुल्क विभाग को चुकाना होता है। नाफ्टा की सबसे प्रमुख उपलब्धि यह है कि 1 जनवरी, 2008 से सभी प्रशुल्क बाधाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार, संसार में सबसे बड़े एकल बाजार का उदय हुआ जोकि भू–क्षेत्र और जीडीपी दोनों मानदण्डों के आधारों पर विशालतम एकल बाजार है।
- **देशों में मजदूरी दरों में वृद्धि**– नाफ्टा समझौते के बाद, सदस्य देशों में मजदूरी दरों में वृद्धि हुई। इसे समझौते के एक बड़े लाभ के रूप में देखा जाता है कि तीनों सदस्य देशों में कर्मचारियों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी हुई। इसका निहित अर्थ यह है कि इन देशों में कार्मिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और उनकी जीवन गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव हुआ।
- **सदस्य देशों के व्यापार में अभिवृद्धि**– समझौते में शामिल देशों के व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई है, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से भी स्पष्ट है। प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार में लाभ हुआ और इन्हें विदेशी व्यापार के अनुषंगी लाभ प्राप्त हुए। उदाहरण के लिये, केवल यूएस का ही वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार अपने नाफ्टा साझेदारों के साथ 1.7 बिलियन डॉलर का 2012 में हुआ।
- **नाफ्टा देशों का औद्योगिक एकीकरण**–इस समझौते का बहुत अधिक प्रभाव क्षेत्र के उद्योगों पर पड़ा। विशेषकर, यूएस और कनाडा के उद्योगों को इस गठबन्धन से बहुत लाभ हुआ। इन दोनों देशों के उद्योग मैक्सिको में स्थानान्तरित हुए, जहां इन्हें सस्ते श्रम का फायदा पहुंचा। सस्ते श्रम के आधार पर ये प्रतियोगिता में बहुत आगे निकल गए। नाफ्टा बाजार के अलावा, इन उद्योगों को पड़ौसी देशों को निर्यात करने का अवसर भी मिला।

नाफ्टा के विपक्ष में तर्क–उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की कुछ असफलतायें भी रही हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- **मैक्सिको प्रत्याशित लाभ से वंचित**– इस बात की बहुत सम्भावना जताई गई थी कि जब यूएस कारखाने मैक्सिको के सीमावर्ती इलाकों में लगेंगे, तब मैक्सिको के लोगों को इनमें रोजगार मिलेगा और तैयार माल पूरे नाफ्टा क्षेत्र में बेचा जायेगा। ऐसी कम्पनियों को मैक्युिलेडोर्स (Maquiladoras) कहा जाता है जो किसी दूसरे देश से आकर मैक्सिको में उत्पादन करती हैं और अपने उत्पाद अपने मूल देश को भेज देती हों।

मैक्सिको को कनाडा और यूएस से बहुत निवेश मिलने की उम्मीद थी। लेकिन, अपेक्षा के अनुरूप निवेश मैक्सिको को नहीं मिला। इसी प्रकार, रोजगार के मामले में भी मैक्सिको को फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही देशों, कनाडा और यूएस ने एशिया के लोगोंको रोजगार देने में रूचि ली क्योंकि चीन, भारत और फिलिपीन्स के श्रमिक उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध थे। इसप्रकार, मैक्सिको के मध्यम वर्ग को इस क्षेत्रीय गठबन्धन का कोई लाभ नहीं पंहुचा और न ही मैक्सिकन कार्मिकों की प्रति व्यक्ति आय में कोई इजाफा हुआ।

- **प्रकियापरक औपचारिकताय** ें(procedural formalities) **नहीं घटीं**–समझौते के अन्तर्गत प्रशुल्क बाधाओं को अवश्य समाप्त किया गया, किन्तु विदेशी व्यापार की प्रक्रिया की जटिल औपचारिकताओं को कम नहीं किया गया। व्यापार विशेषज्ञों, आयातकों और निर्यातकों की ओर से बड़ी शिकायत रही है कि एक देश से दूसरे देशे को होने वाले आयात और निर्यात की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली औपचारिकताओं को कम करने की दिशा में प्रयास नहीं हुए। इस सन्दर्भ में उद्गम के नियम (rules of origin) और उद्गम प्रमाणपत्र की बाध्यता उल्लेखनीय है जिसको लेकर सीमा शुल्क अधिकारी जांच चौकियों पर माल को रोकते हैं और कई तरह के सवाल–जबाब करते हैं, इससे परिवहन में काफी विलम्ब होता और एक अड़चन आती है। आयात किए गए माल के विषय में, सीमा शुल्क विभाग द्वारा अपनाये जाने वाले मूल्यांकन नियम काफी जटिल और कम व्यवहारिक हैं। इसलिए, किसी सदस्य देश से माल आयात करने पर, आयातक को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और परिवहन में विलम्ब बढ़ता है। प्रशुल्क बाधाओं के अलावा कुछ और विषय हैं जो विदेशी व्यापार में रूकावट डालते हैं, जैसे–व्यापार में स्वच्छता मानदण्ड, जैविक स्वच्छता मानदण्ड और तकनीकी प्रतिबन्ध। व्यवसायियों का सीधा मानना है कि प्रशुल्क बाधायें अवश्य समाप्त की गई हैं, लेकिन इन क्षेत्र में अभी काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे– समझौते वाले देशों में सीमा पार व्यापार में औपचारिक नियमों और प्रक्रिया सम्बन्धी विधि में बहुत सरलता लाना जरूरी है।

20.4 क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (Regional Economic Cooperation)

क्षेत्रवाद का अर्थ क्षेत्रीय आर्थिक समूहन अथवा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से होता है जिसमें देश मुक्त व्यापार का लाभ उठाने का लक्ष्य रखते हैं। आर्थिक गठबन्धन के परिणामस्वरूप, आर्थिक सहयोग में वृद्धि होती है, वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ती हैं, सेवाओं और वस्तुओं का निर्बाध प्रवाह होता है। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से, क्षेत्र की अर्थव्यवस्थायें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनती हैं और इनमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण के युग में देश इस बात की कोशिश में है कि किसी तरह लागत स्पर्धा में आगे निकल सकें। इसके लिये एक रास्ता है कि राष्ट्र क्षेत्रीय आर्थिक समूह बनाकर अपनी शक्ति और तुलनात्मक बचतों का अधिकतम फायदा उठा सकते हैं।

क्षेत्रवाद की शुरूआत् प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। क्षेत्रवाद के उद्भव के क्रम में पहली घटना थी, जब यूरोपीय कोयला एवं स्टील संघ का 1951 में गठन हुआ। इस संघ की यात्रा विभिन्न स्तर के आर्थिक सहयोग से होती हुई 1970 तक जारी रही। यूरोपीय कोयला एवं स्टील संघ के बाद, इस क्षेत्र में उल्लेखनीय घटना थी, वर्ष 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। इसके बाद, 1960 में यूरोपियन मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया। वर्ष 1949 में, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद (Council for Mutual Economic Assitance) का गठन

हुआ।विकासशील देशों के मध्य बहुत क्षेत्रीय व्यापार गुट बने और क्षेत्रीय व्यापार गठबन्धनों की बहुतायत हो गई। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय समूह हैं– आसियान, कैरीकॉम, मरकूजर। अधिकांश क्षेत्रीय व्यापार समझौते शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में सम्पन्न हुए। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद, विकासशील देशों के समाने आर्थिक विकास की चुनौतियां थीं। ये देश क्षेत्रीय आर्थिक समूहन के लाभ जल्दी से जल्दी उठाना चाहते थे। अधिकांश पश्चिमी देशों का आर्थिक एकीकरण का लक्ष्य था कि सदस्य देशों के मध्य व्यपार सृजन हो, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों का प्रयोजन था कि यूएस और यूएसएसआर के शीत युद्ध के कारण पड़ौसी देशों की आधिपत्यवादी नीतियों से पैदा कठिनाईयों का समाधान खोज सकें।

क्षेत्रवाद के सिलसिले में गैट के तहत व्यापार समझौतों के आठ दौर जिन्हें उरुग्वे राउण्ड कहा जाता है, बहुत उल्लेखनीय हैं। इन समझौता वार्ताओं के बाद, क्षेत्रीय एकीकरण का सन्दर्भ ही बदल गया। अब, राष्ट्रों में एक गम्भीरता देखी गई कि वे क्षेत्रीय एकीकरण के लिये ज्यादा उत्सुक हैं और वे इस गठबन्धन को आर्थिक विकास के लिये एक इंजन के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं। इस नए क्रम का आरम्भ हुआ, जब 1991 में यूरोपियन संघ बना। इसके बाद, 1992 में नाफ्टा समझौता हुआ जिसमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको शामिल हुए। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाले देश क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में भागीदार बने और विश्व में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को गति मिलने लगी। इसप्रकार क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की एक सशक्त लहर उठी और कुछ नए समझौते सम्पन्न हुए जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

- US-Israel Free Trade Area
- MERCOSUR
- Australia-New Zealand Closer Economic Relations Agreement (ANZCERTA),
- Asean Free Trade Agreement (AFTA)
- Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
- South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)
- Free Trade Area of the Americas (FTAA)

आर्थिक एकीकरण के कई स्वरूप हैं जिनके अन्तर्गत क्षेत्रीय समझौते किए जाते हैं। प्रमुख समझौतों को श्रेणीबद्ध करके नीचे वर्गीकृत किया गया है।

Level of Integration	**Examples**
Preferential Trade Agreement	India's DFTP Scheme for LDCs, India-Afghanistan Preferential Trade Agreement, India- Chile PTA, India- Mercusor PTA
Free Trade Area	India- Srilanka FTA, India-Asean FTA, GCC, India-Japan Comprehensive Economic Cooperation
Custom Union	SACU, East Africa Community, Andean Community, EU-Turkey, EU- Andorra, Mercusor
Common Market	COMESA, Caricom, , CACM, EEA, EFTA, CES

Economic Union	EU
Political Union	Not Available

Source: World Trade Organisation

बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को सफलतापूर्वक आर्थिक समेकन और विकास के लिये अपनाया जा रहा है। साथ ही, ये समझौते सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक और राजनैतिक सुधारों के लिये बहुत प्रेरक भूमिका निभा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यूरोपियन संघ का उदाहरण बहुत सटीक है। यदि कोई देश यूरोपीय संघ की सदस्यता लेना चाहता है, तब उसे पूर्व–अनिवार्यता के रूप में, कतिपय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी कुछ बेन्चमार्क पूरे करने होंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि सभी क्षेत्रों में उस देश को सुधार सुनिश्चित करने होंगे। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के सन्दर्भ में यह बहुत उल्लेखनीय है कि वर्तमान में गठबन्धनों के सदस्यों के मध्य एक उच्च स्तरीय एकीकरण हुआ है और इस स्थिति में देशों की परस्पर निर्भरता बहुत बढ़ी है। किसी एक सदस्य की समस्या का प्रभाव दूसरे देश को संक्रामक रोग की तरह प्रभावित कर सकता है। किसी देश को दूसरे सदस्य देश के कारण भारी हानि सहन करनी पड़ सकती है। इसका उपयुक्त उदाहरण ग्रीक का है, ग्रीक के आर्थिक संकट का प्रभाव इटली, स्पेन, पुर्तगाल और दूसरे समीपवर्ती देशों पर भी बहुत प्रतिकूल रूप से हुआ। साथ ही, यूरोपियन संघ के देशों पर भी बहुत खराब प्रभाव देखने को मिला।

विश्व व्यापार संगठन के नेतृत्व में, आर्थिक वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते एक अनिवार्यता बन चुके हैं। यद्यपि डब्लूटीओ एक बहुपक्षीय फोरम है, लेकिन यह भी मुक्त व्यापार समझौतों, सीमा शुल्क संघों, साझा बाजार, आर्थिक संघों और द्विपक्षीय व्यापार सम्वर्धन संधियों के महत्व को स्वीकार करता है। क्षेत्रीय आर्थिक समूहन अब डब्लूटीओ के अन्तर्गत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का अनिवार्य अंग बन चुका है जिसकी प्रासंगिकता अब कभी कम नहीं होगी।यह कारण है कि देश नए–नए मुक्त व्यापार समझौते और वरीयता व्यापार समझौते कर रहे हैं जिससे जल्दी आर्थिक एकीकरण हो सके। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय उदाहरण है, चिली जोकि एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, वर्ष 2008 तक 56 मुक्त व्यापार समझौते कर चुका है और यह संख्या आगे भी वृद्धिमान है। दोहा विकास एजेण्डा के अन्तर्गत बहुपक्षीय वार्ता के किसी निष्कर्ष तक न पहुंचने की स्थिति में, क्षेत्रीय व्यापार समझौते ही विश्व व्यापार के लाभ उठाने का एकमात्र माध्यम हैं। विश्व व्यापार संगठन की वेबसाइट के अनुसार, 10 जनवरी, 2013 तक क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की 546 अधिसूचनाएं जारी हो चुकी थीं। इनमें 354 समझौते पहले ही अस्तित्व में आ चुके हैं।क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की दिशा में पूरे संसार में काम हुआ है, लेकिन प्रमुख रूप से जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय एकीकरण हुआ है, वे हैं– दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व, मध्य अमेरिका एवं अफ्रीका।

20.5 आसियान-दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (Asean: Association of South East Asian Nations)

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जोकि आसियान के नाम से विख्यात है, एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें सम्मिलित देश हैं– इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, म्यांनमार, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपीन्स, लाओस गणराज्य, थाईलैण्ड। इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 को हुई। आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है जहां से इसकी सभी गतिविधियां संचालित होती है। आसियान क्षेत्रीय व्यापार समूह की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों का संचालन इसके मुख्यालय से होता है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण

समूहों में आसियान, यूरोपीय संघ के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली संगठन है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यह अपनी स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत सफल रहा है। इसकी सफलता का रहस्य, इसके तीन प्रमुख सिद्धान्त माने जाते हैं जिनके आधार पर यह काम करता है। आसियान के सहयोग के आधारभूत सिद्धान्त हैं– सुरक्षा, सामाजिक–सांस्कृतिक सहयोग, आर्थिक एकीकरण।

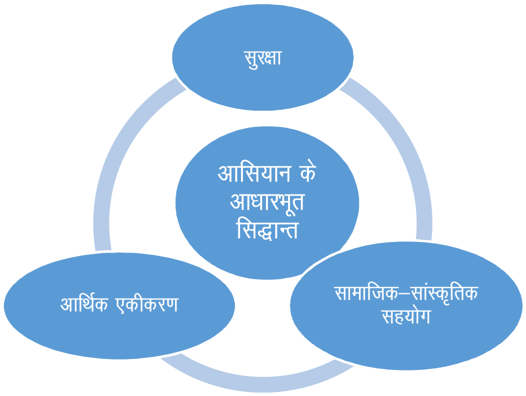

Source: Asean Secretariat, Jakarta, Indonesia

आसियान ने आर्थिक एकीकरण के दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आसियान की योजना है कि आसियान आर्थिक संघ की स्थापना की जाये। यदि आसियान आर्थिक संघ की स्थापना हो जाती है, तब यह 560 मिलियन जनसंख्या और 1.2 ट्रिलियन जीडीपी वाला संगठन होगा। समय के साथ–साथ, आसियान क्षेत्रीय आर्थिक समूह परिपक्व होता जा रहा है। आसियान ने अपने क्रिया–कलापों को सम्पादित करने के लिये कई संस्थाओं का गठन किया है जिन्हें निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

VARIOUS INSTITUTIONS WORKING UNDER THE ASEAN FORUM		
ASEAN POLITICAL – SECURITY COMMUNITY	**ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**	**ASEAN SOCIO - CULTURAL COMMUNITY**
• ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) • ASEAN Ministerial Meeting (AMM) • ASEAN Regional Forum (ARF) • ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) • ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)	• ASEAN Economic Ministers (AEM) • ASEAN Free Trade Area (AFTA Council) • ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) • ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF) • ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) • ASEAN Investment Area (AIA) Council • ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin) • ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST)	• ASEAN Ministers Responsible for Culture & Arts (AMCA) • ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) • ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) • ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME) • COP to AATHP (Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Trans-boundary Haze Pollution) • ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) • ASEAN Ministers

• ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)	• ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) • ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) • ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN) • ASEAN Tourism Ministers Meeting (M-ATM) • Initiative for ASEAN Integration (IAI) and Narrowing the Development Gap (NDG) • Sectoral Bodies under the Purview of AEM	Responsible for Information (AMRI) • ASEAN Labor Ministers Meeting (ALMM) • ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE) • ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST) • ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) • ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) • ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY)

इन सभी संस्थाओं में, आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA) सर्वाधिक सफल है जिसमें आसियान देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आवागमन होता है। आसियान की नियमावली में विशेष अनुच्छेद है जोकि यह व्यवस्था देता है कि सबसे कम विकसित देशों के हितों का विशेष ध्यान रखा जायेगा जिनमें लाओस गणराज्य, म्यांनमार और कम्बोडिया हैं। आसियान ने सदस्य देशों के मध्य निवेश और सेवाओं के मुक्त प्रवाह की अनुमति प्रदान की है और सभी प्रकार के गैर–प्रशुल्क प्रतिबन्धों को कम करने को प्रतिबद्ध है। क्षेत्रीय आर्थिक समूह, आसियान के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख नीचे किया गया है–

- आसियान की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर की गई कि क्षेत्र में आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक तरक्की हो जिसके लिये संयुक्त प्रयास किए जायेंगे और इन प्रयासों में समता और साझेदारी का आधार लिया जायेगा ताकि दक्षिण एशियाई देशों के समुदाय में समृद्धि और शान्ति को बढ़ावा मिले।
- आसियान की स्थापना का लक्ष्य रखा गया कि क्षेत्र में शान्ति के साथ–साथ स्थिरता आये जिसका आधार न्याय और कानून का शासन हो। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

आसियान के आधारभूत सिद्धान्त जिन पर सदस्य राष्ट्रों की सहमति बनी, उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री एवं सहयोग संधि (Treaty of Amity and Cooperation) के रूप में स्वीकार करके हस्ताक्षर किए गए। पहले आसियान सम्मेलन में 24 फरवरी, 1976 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि आसियान चार्टर में शामिल देशों को आसियान के आधारभूत सिद्धान्तों का पालन करना होगा। आसियान चार्टर के निम्न प्रमुख सिद्धान्त हैं–

- आसियान का सिद्धान्त है कि सदस्य राष्ट्र परस्पर एक–दूसरे की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे।
- आसियान चार्टर में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा, बाहरी हस्तक्षेप का अवरोध, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई, उत्पीड़न के प्रतिकार का अधिकार रखता है।

- आसियान चार्टर में स्पष्ट आदेश है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में जरा भी हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- चार्टर निर्देश करता है कि आपसी मतभेद और विवादों का शान्तिपूर्ण हल तलाश किया जायेगा।
- चार्टर में धमकी देने अथवा बल प्रयोग आदि पर मनाही की गई है।
- आसियान अपने सदस्यों को सार्थक सहयोग के लिये प्रेरित करने को प्रतिबद्ध है।

20.6 सार्क-दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग संघ (SARC: South Asia Association for Regional Cooperation)

दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग संघकी स्थापना 8 दिसम्बर, 1985 को ढाका, बंग्लादेश में हुई। संघ में सम्मिलित सदस्य देश थे– बंग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तालिबान से मुक्त होने के बाद अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य बन गया। सार्क एक क्षेत्रीय गठबन्धन के तौर पर, सदस्य देशों में आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए काम करता है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास के सम्वर्धन के लिये प्रतिबद्ध है। साथ ही, क्षेत्र में भाईचारा और सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसका मुख्यालय काठमाण्डू, नेपाल में है। सार्क का लक्ष्य है कि सदस्य देशों में आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो। सार्क की नीति है कि सदस्य देशों को बराबरी का दर्जा मिले। सार्क के चार्टर में इस बात पर जोर दिया गया है कि क्षेत्र में एक सामूहिक आत्मनिर्भरता बने। सार्क देशों के प्रमुख वर्ष में एक बार सम्मेलन में एकत्र होते हैं। वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी का दायित्व सदस्यों के नाम के आधार पर वर्णमाला अनुक्रम के आधार पर दिया जाता है। देशों के विदेश सचिवों की मीटिंग वर्ष में दो बार की जाती है। इन बैठकों का उद्देश्य होता है कि सार्क के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में देशों के प्रयास की समीक्षा की जा सके और आगे के लिये सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। सार्क के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख आगे किया गया है:

- सार्क की स्थापना का हेतु था कि दक्षिण एशियाई जन समुदाय समृद्ध बने और इनके जीवन स्तर में सुधार आये।
- सार्क का प्रमुख लक्ष्य रहा कि दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक प्रगति, सामाजिक तरक्की और सांस्कृतिक उन्नयन हो। साथ ही, यहां की आबादी को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले और वे अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनें।
- इस क्षेत्र के देशों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जायें।
- सार्क संगठन का लक्ष्य है कि सदस्य देशों के मध्य आपसी विश्वास बढ़े और वे एक दूसरे के लिए भरोसेमन्द हों। साथ ही, देश एक–दूसरे की समस्यों को समझें और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान मे सहयोग करें।
- सार्क देशों के मध्य आर्थिक, समाजिक,सांस्कृतिक, तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और परस्पर एक दूसरे की सहायता को बढ़ावा दिया जाये। क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं के मध्य सहयोग बढ़ाने के उपाय किए जायें।
- सार्क का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन यह भी है कि सार्क देशों के दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनें। यह सहयोग सभी क्षेत्रों में अपेक्षित है, जैसे– आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, विज्ञान और पर्यावरण सम्बन्धी।

- सार्क का एक सरोकार है कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में साझा हित के विषयों को प्रस्तुत करते समय क्षेत्र के देश एकजुटता दिखायें ताकि अपने हितों को सुरक्षित और पोषित कर सकें।
- सार्क का एक उद्देश्य है कि अपने सदस्यों के हित रक्षा परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बनाये रखा जाये।

20.7 सारांश

यूरोपीय संघ संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है जिसमें आर्थिक सहयोग की सर्वोच्च अवस्था है और जिसका एक साझा बैंक और साझा मुद्रा है। यूरोपीय संघ के उद्भव और विकास की लम्बी कहानी है। अपनी मूल अवस्था में यह मात्र एक औद्योगिक उत्पादन समझौता था जिसके क्रमिक विकास के बाद यह यूरोपियन संघ बना। सन् 1952 में यूरोपियन कोयला एवं स्टील समुदाय की स्थापना हुई जिसमें छः प्रजातान्त्रिक यूरोपीय देश शामिल थे। सर्वप्रथम, यूरोपियन कोयला एवं स्टील समुदाय की स्थापना का प्रस्ताव फ्रान्स के विदेश मंत्री रॉबर्ट शूमैन की ओर से 9 मई 1950 को आया था जिसका मकसद फ्रान्स और जर्मनी के मध्य युद्ध को रोकना था। वर्ष 1957 में, रोम द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस गठबन्धन ने एक अगला स्तर पार किया और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हो गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना से सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गया। इसके साथ ही, सदस्य देशों ने बाहरी देशों के लिये एक समान प्रशुल्क दर रखना स्वीकार कर लिया जिसके आधार पर अब यह सीमा शुल्क संघ बन गया।

भू–क्षेत्र और जीडीपी दोनों आधारों पर, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा), संसार का सबसे बड़ा व्यापार गुट है। नाफ्टा एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समझौता है जिसे तीन देशों की सरकार ने हस्ताक्षर किये है जिसमें कनाडा, मैक्सिको और यूएस शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका क्षेत्र का यह एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट है जोकि 1जनवरी, 1994 को अस्तित्व में आया और अभी तक सफलतापूर्वक चल रहा है।

विकासशील देशों में भी, बहुत क्षेत्रीय गठबन्धन हुए हैं जिनकी संख्या काफी अधिक है। इनमें उल्लेखनीय नाम लिये जा सकते हैं– आसियान, कैरीकॉम, मरकुजर।

20.8 शब्दावली

नाफ्टा –यह एक त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें यूएसए, कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं, यह 1 जनवरी, 1994 को प्रभावी हुआ।

ईसीएससी– यूरोपीय कोयला एवं स्टील संघ 1952 में अस्तित्व में आया जिसमें छः प्रजातान्त्रिक यूरोपीय देश शामिल थे। इस संघ का उद्देश्य था कि क्षेत्र के कोयला एवं स्टील संसाधनों की पूलिंग की जाये और विश्व युद्ध को रोका जाये और क्षेत्र में शान्ति कायम हो।

यूरेटॉम– यह समझौता 1957 में सम्पन्न हुआ जिसका उद्देश्य था कि संसाधनों की पूलिंग हो और आणविक ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सके।

मुक्त व्यापार क्षेत्र–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की दिशा में, मुक्त व्यापार क्षेत्र महत्वपूर्ण अवस्था है। द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते के आधार पर प्रशुल्क और गैर–प्रशुल्क सभी प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जाता है, तब वह क्षेत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है।

आर्थिक संघ–क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की यह एक उच्च अवस्था है। आर्थिक संघ के सभी सदस्य देश आर्थिक, बैंकिंग और व्यापार प्रणाली पर एक समान नीति अपनाते हैं। यूरोपीय संघ इसका उत्तम उदाहरण है, यूरोपीय संघ का साझा बैंक है और संघ में साझा व्यापार और आर्थिक नीति अपनाई जाती है।

क्षेत्रीय आर्थिक समूहन– आर्थिक एकीकरण के विविध स्वरूप हैं जिनमें वरीयता व्यापार समझौते, मुक्त व्यापार समझौते, सीमा शुल्क संघ, साझा बाजार, आर्थिक संघ प्रमख हैं। देश अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि आर्थिक फायदों के साथ–साथ सामाजिक लाभ भी ले सकें। इस उद्देश्य से वे विविध प्रकार के समझौते करने को प्रेरित होते हैं।

व्यापार पथांतरण (Trade Diversion)– क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की वजह से जब व्यापार गैर–सदस्य देशों की ओर जाने लगे, तब इसे व्यापार पथांतरण की स्थिति कहा जाता है। क्षेत्रीय एकीकरण के दुष्प्रभावों के रूप में, ऐसा होने की एक सम्भावना रहती है।

20.9 बोध प्रश्न

1. यूरोपीय संघ का प्रशासन .... संस्थाओं द्वारा किया जाता है ।
2. नाफ्टा यह समझौता 1 जनवरी .... को अस्तित्व में आया ।
3. आसियान का सचिवालय ....में है जहां से इसकी सभी गतिविधियां संचालित होती है।
4. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की वजह से जब व्यापार गैर–सदस्य देशों की ओर जाने लगे, तब इसे .... की स्थिति कहा जाता है।

20.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सात, 2. 1994, 3. जकार्ता, इंडोनेशिया, 4. व्यापार पथांतरण

20.11 स्वपरख प्रश्न

1. वैश्विक पटल पर उभरते हुए आर्थिक एकीकरण के वातावरण को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए।
2. यूरोपीय समुदाय के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। विश्व में निर्यातकों के लिये यूरोपीय संघ इतना महत्वपूर्ण बाजार क्यों है? स्पष्ट कीजिए
3. नाफ्टा (NAFTA) के विकास का क्रम समझाइए। नाफ्टा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
4. नाफ्टा (NAFTA) के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
5. वैश्वीकरण के युग में, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्वर्धन में भूमिका स्पष्ट कीजिए।
6. विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय आर्थिक समूहों का वर्णन कीजिए। संगत उदाहरणों का उल्लेख कीजिए।
7. आसियान (ASEAN) की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहां है? आसियान के प्रमुख उद्देश्य बताइए।
8. आसियान फोरम के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं का उल्लेख कीजिए।
9. सार्क (SARC) का गठन कब और कहां हुआ? सार्क के उद्देश्यों को समझाइए।

20.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. International Economics, Raj Kumar, Excel Publication, 2008
2. International Economics, Francis Cherunilam, The McGraw Hill Publication, 5th Edition,
3. International Economics, Steven Husted and Michael Melvin, Pearson Publication, 9th Edition.
4. International Economics, James Gerber, Pearson Publication, 6th Edition

5. International Economics, D.M. Mithani, Himalaya Publishing House; Edition 11th ISBN No. 8178660962
6. International Economics: Theory And Policy, 8th Edition, Paul R. Krugman, Pearson Education India
7. International Economics, Dr Nirmal Bhalerao & SSM Desai,Himalaya Publishing House, 1st Edition
8. International Economics, M.L. Jhingan, Vrinda Publishing House
9. International Economics, D. N. Dwivedi, ISBN : 8122005349
10. International Economics, Steven L. Husted, Michael Melvin , Harper-Collins Press.
11. Johan Daniel, and Lee H. Radebaugh, International Business Environment and Operations, Pearson Publication, 14th Edition.
12. Rakesh Mohan Joshi, International Business, Oxford Press, India Edition.
13. WTO Annual Reports, 2012, Geneva.

इकाई–21 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रबन्ध की जटिलताएं, विषयवस्तु (मुद्दे) एवं दृष्टिकोण

इकाई की रूपरेखा

21.1 प्रस्तावना
21.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विषय एवं चुनौतियां
21.3 परिवर्तनीय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थान
21.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की जटिलतायें
21.5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रबन्ध के दृष्टिकोण
21.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन
21.7 सारांश
21.8 शब्दावली
21.9 बोध प्रश्न
21.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
21.11 स्वपरख प्रश्न
21.12 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विषय एवं चुनौतियां का वर्णन कर सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थान का परिवर्तनीय परिदृश्य को समझ सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की जटिलताओं को समझ सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रबन्ध के दृष्टिकोण की व्याख्या कर सकें।

21.1 प्रस्तावना

जैसा कि विदित ही है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से आशय देश की सीमाओं से बाहर वाणिज्यिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं उन्नयन, तकनीक का हस्तान्तरण, वस्तु (माल), सेवाओं, संसाधनों व्यक्तियों एवं विचारों के हस्तान्तरण से है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न प्रारूपों के अन्तर्गत होता है– एक देश से दूसरे देश को माल का हस्तान्तरण (निर्यात एवं व्यापार); अनुबांधिक ठहराव जिनके द्वारा किसी फर्म को वैधानिक अनुमति प्रदान की जाय जिससे वह उत्पादों, सेवाओं एवं प्रक्रिया का किसी अन्य देश में उपयोग कर सके (फ्रैन्चाइजी, लाइसेंसिंग, उपठेका, उत्पादन); कम्पनियों द्वारा विदेशी बाजार में विक्रय, निर्माण, शोध एवं अनुसंधान एवं वितरण व्यवस्थायें स्थापित करना आदि। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि क्यों एवं कैसे तकनीक, वस्तु (माल), सेवायें एवं विचार देश की सीमाओं के बाहर जाते हैं और उनकी विदेशी बाजार में स्वीकृति एवं अस्वीकृति को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। बाजार में व्यक्तियों, कम्पनियों, सरकारों एवं देश को वस्तु (माल), सेवाओं, तकनीकों, संसाधनों, व्यक्तियों एवं विचारों का प्रवाह प्रभावित करता है। राष्ट्र–राज्य स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रतिभाग करना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्तर्गत वस्तु एवं सेवा निर्गत करने में विशेषज्ञता उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय बाजार में नवीन प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का विकास होता है तथा

उपभोक्ता नवीन जीवन शैली एवं विचारों से अवगत होते हैं। वर्ष एवं समय के साथ यह प्रदर्शन राष्ट्रीय संस्कृति को प्रभावित करता है। साथ ही उनके राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थानों, समाज की प्रवृत्ति, मनोभाव एवं जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रियाओं को मुख्यतः प्रभावित करती है। उसे यह निर्धारित करना होता है कि विदेशी व्यापार एवं विनियोग के बाह्य पक्षकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार खोला (या बन्द) किया जाय। कम्पनियों की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घरेलू व्यापार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है तथा विदेशों में अवसर प्रदान करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा फर्मों को और अधिक नवाचार और प्रभावी विधि से संसाधनों को प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु एवं सेवाओं की किस्मों एवं विधियों में वृद्धि करता है तथा जीवन स्तर के सुधार में सहायक होता है। अतिमहत्वपूर्ण तथ्य सीमाओं को खोले जाने का अर्थ नवीन विचारों, तकनीक एवं कार्य करने की विधियों का विस्तार एवं प्रदर्शन है।

21.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय एवं चुनौतियां

वर्तमान में किये गये व्यापारिक व्यक्तियों के सर्वेक्षण में जिसमें 200 राष्ट्रीय बाजारों तथा 6 अरब से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विविधता एवं परिवर्तन से परिचित एवं प्रभावित हुए। यह वह बाज़ार है जहां यह समझना अनिवार्य है कि बढ़ती हुयी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के चलते वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण वैश्विक ग्राहक के अनुसार होना आवश्यक है। सफल अन्तर्राष्ट्रीय संगठन वह है जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की विविधताओं तथा नित्यप्रति परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण से सामन्जस्य स्थापित कर लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषयों एवं मुद्दों को समझना अपने आपमें एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी अधिकारी को निम्न में सक्षम होना चाहिये –

1. राजनीतिक विविधता :–

राजनीतिक विविधताओं की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार या तो राजतंत्र (मुखिया/ प्रमुख, राजा, निदेशक, एकमेव सरकार) या प्रजातन्त्र से निर्देशित एवं प्रभावित होते हैं।

2. आर्थिक विविधता :–

आर्थिक विविधता राष्ट्रीय सम्पत्ति के असन्तुलन से होती है अर्थात एक देश के प्रति व्यक्ति आय एवं दूसरे देश की प्रति व्यक्तिआय में बहुत अन्तर हो सकता है।

3. सम्पत्ति एवं जनसंख्या वितरण में क्षेत्रीय असन्तुलनः–

उदाहरणार्थ उत्तरी अमेरिका में विश्व की 5% से 6% जनसंख्या है जो विश्व के एक तिहाई सकल घरेलू उत्पाद पर नियन्त्रण रखती है; एशिया की आबादी विश्व जनसंख्या का 60% है लेकिन वह विश्व सकल घरेलू उत्पादन के 1/4 से भी कम पर प्रभावशील है।

4. सांस्कृतिक एवं भाषागत विविधता :–

पूरे विश्व के लगभग 200 देश 10,000 क्षेत्रीय/भाषायी समूहों में विभाजित है। एक मोटे अनुमान के अनुसार औसतन एक देश में 50 भाषा समूह होते हैं।

सूडान में 31 लाख की जनसंख्या में 600 सजातीय समूह तथा 400 भाषा समूह निवास करते हैं। भारत में प्रमुखतः हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रयुक्त होती है परन्तु अन्य सैकड़ों भाषायें क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग की जाती है।

5. देश के आकार एवं जनसंख्या सम्बन्धी विविधता :—

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्व अर्थव्यवस्था में 60 देश लगभग थे। 1960 में इनकी संख्या 96 हुई तथा शताब्दी के अन्त तक कुल देशों की संख्या 200 हो गयी। इनमें अरबों की जनसंख्या वाले भारत एवं चीन जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश भी है तथा 1 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले भी देश है।

6. विकासात्मक विविधता :—

औद्योगिक विकसित देशों के मध्य विकासात्मक विविधता (80% शहरी जनसंख्या, 3% सकल घरेलू उत्पाद का कृषि क्षेत्र से) एवं विकासशील औद्योगिक देश जो कि अफ्रीका उपमहाद्वीप या एशिया के कुछ भाग जो कि 30% शहरीकृत तथा अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 30% कृषि से प्राप्त करते हैं।

21.3 परिवर्तनीय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थान

निरन्तर परिवर्तनशीलता अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थान की विशिष्टताओं में है जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वित्तीय अनिश्चितता है। किसी भी देश में राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर स्थायित्व स्थापना की दृष्टि से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। प्रजातान्त्रिक देशों में राजनीतिक दिशा का निर्धारण आम जनता अपने वोटों के माध्यम से करती है जिससे अनिश्चितता रहती है। औसत आधार पर विश्व में एक सप्ताह में किसी न किसी देश में राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। वे कम्पनियां जो वृहद् रूप से बाजार में व्यापार करना चाहती हैं या विनियोग की इच्छुक होती हैं। वह स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय चुनावों पर अपनी दृष्टिरखती है कि उनसे व्यवसाय पर क्या प्रभाव होगा, क्या नयी सरकार वाणिज्यिक विकास को प्रोत्साहित करेगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं की मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ विकासशील देशों में, विशेषकर उनमें जिनमें प्रजातन्त्र स्थापित नहीं है, सजातीय, धार्मिक या सामाजिक प्रतिद्वन्द्वी समूह अपनी राजनीतिक पहचान के लिये संघर्षरत रहते हैं जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। (उदाहरणार्थ— सोमालिया, सूडान, इथोपिया) प्रजातान्त्रिक देशों में छोटे और बिखरे समूह उल्लेखनीय हैं।(जैसे पश्चिमी यूरोप में पर्यावरणीय ग्रीन आन्दोलन ईरान में कट्टरपंथी मुसलमान समूह, कोलम्बिया में वामपंथी गुरिल्ला समूह) जहां राजनीतिक विकल्पों में वृहद् अन्तराल है वहीं राजनीतिक विश्वास की भी संभावनायें हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यस्थाओं की बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता के साथ आर्थिक परिवर्तनों की वृद्धि भी महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्तरी अमरीका या पश्चिमी यूरोप में आये आर्थिक मोड़ों की गूंज रही है। विकासशील देशों की समस्याये (अमरीका—इराक युद्ध 1990—91) एवं एशिया का वित्तीय संकट 1997—1999) के कारण वैश्विक आर्थिक क्रियाओं में विभिन्न मोड़ आये। किसी भी कार्यकारी को क्षेत्रीय एवं वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण में निपुण होना चाहिये कि वह निगमीय गतिविधियों पर इनके प्रभाव का आंकलन कर सके। राज्य राष्ट्र स्तर पर प्रबन्धकों को अर्थव्यवस्था में सरकारी कुप्रबन्ध, असन्तुलन बजट (करों से अपर्याप्त आय सरकारी सहायता हेतु) भ्रष्टाचार (सरकारी

ठेकों एवं व्यय में) अनुचित कर ढांचा, भुगतान संतुलन की समस्यायें आदि के लक्षणों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिये। दो प्रमुख आर्थिक समस्यायें है मुद्रास्फीति (जिसके कारण बचतों, ग्राहक की क्रय शक्ति तथा जीवन स्तर में कमी होती है) तथा उच्च बेरोजगारी। दोनों का ही परिणाम जन असन्तोष एवं राजनीतिक अस्थिरता होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन भी राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण को अस्थिर करते हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेषकर धार्मिक समस्यायें विवाद एवं संघर्ष का कारण होती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी धार्मिक संघर्ष बहुत विध्वंसकारी और विनाशकारी होते हैं (हिन्दू एवं मुसलमान कश्मीर में, इसाई एवं मुस्लिम नाइजीरिया एवं इन्डोनेशिया में, कट्टरपंथी एवं मुख्यधारा समर्थक मुस्लिम समूहों में ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अलजीरिया, फिलस्तीन इसके उदाहरण हैं। विश्व के विभिन्न भागों में कुछ लोग धर्म को रूपये, सम्पत्ति, जीवन, देश या अन्य विश्व संदर्भों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह एक समस्या को जन्म देता है क्योंकि धर्म राष्ट्रीय निष्ठा से ऊपर चला जाता है और धार्मिक उन्मादी झगड़ों एवं विवादों को निपटाना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में 180 से अधिक देश विभिन्न मुद्राओं के साथ संलग्न रहते हैं जिसके कारण वित्तीय परिवर्तन होते हैं। जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक लेनदेन तीव्र होते हैं तो विनिमय दर (एक मुद्रा का मूल्य दूसरी के सम्बन्ध में) संलग्न हो जाती है। विभिन्न संस्थायें दो प्रकार के वित्तीय परिवर्तनों का संज्ञान लेती हैं। प्रथम – विभिन्न मुद्राओं के मूल्यों में परिवर्तन दूसरी मुद्राओं के सन्दर्भ में जिससे मूल्य, सम्पत्तियों एवं वस्तुओं का मूल्यांकन एवं अन्य संसाधन आदि की लागतें देश की सीमा पार करने में प्रभावित होती हैं। द्वितीय – विभिन्न देशों की विदेशी भुगतान की परिवर्तनीय क्षमता। कुछ अल्प राष्ट्रीय मुद्रायें (डॉलर, येन, यूरो एवं कुछ अन्य) ही सभी विश्व बाजारों में पूर्णतः स्वीकृत (परिवर्तनीय) हैं। विभिन्न विकासशील देशों की मुद्रायें अनिवासियों द्वारा भुगतान के माध्यम के रूप में अस्वीकृत होती हैं। विभिन्न विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई संख्या ने एक प्रमुख मुद्दे को जन्म दिया कि वह अपने लिये आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान विश्व बाजार में किस प्रकार करें। उनमें से अधिकांश (जैसे अर्जेन्टीना) की देनदारियां अत्यन्त वृहद् हो गयी क्योंकि उनके आयातित बिलों का भुगतान लम्बित हो गया। अन्य उल्लेखनीय आर्थिक उथल पुथल का भाग हो गये क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को स्वीकृत (परिवर्तनशील) कराने के लिये प्रयासरत हो गये। 1997–99 में एशिया में वित्तीय संकट गहरा गया जब इस क्षेत्र के विभिन्न देशों ने पुनः संगठित रूप से अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति के प्रयास किये। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं एवं परिवर्तनों से सम्बद्ध हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धक का यह लक्ष्य रहता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को समझे तथा अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों को सुगम बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिद्वन्दता का सामना करने के लिये रणनीति तैयार करे। इसके लिये सैद्धान्तिक रूप से दृढ़ व्यावसायिक नीति की ही आवश्यकता नहीं होती वरन् अन्तर्राष्ट्रीय बाजार, उसकी विशेषतायें, व्यवहार एवं चलन का गहन ज्ञान होना भी आवश्यक है।

21.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की जटिलतायें

देश के अन्दर एवं देशों में परस्पर विकास विभिन्नतायें उन तकनीकों एवं विचारों को प्रदर्शित करती हैं जो सम्पूर्ण विश्व बाजार में परिवर्तित मूल्य का विस्तार करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कम्पनियों की उत्तोलन तकनीक, उत्पाद एवं सेवाओं को सम्पूर्ण बाजार में प्रभावित करते हैं। नवोन्मेष का प्रसार दो स्तरों पर रहता है– बाजारों के मध्य एवं बाजार के अन्दर।

1 अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार प्रक्रिया

विस्तार प्रक्रिया आधुनिक बाजारों से प्रारम्भ होती है जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान एवं पश्चिमी यूरोप। सम्पूर्ण विश्व में आजकल यदि नवोन्मेष की प्रक्रिया होती है तो उस क्षेत्र में वाणिज्यिकरण का प्रभाव पहले दिखायी देता है। इन बाजारों में प्रतियोगिता एवं उच्च अध्ययन स्तर के कारण नवीन उत्पादों एवं तकनीक की विकास प्रक्रिया निरन्तर बनी रहती है। जब निगमित संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय या विदेशी बाजार में वाणिज्यिक अवसर देखती हैं तो नवीन उत्पाद एवं तकनीक निर्यात विक्रय के माध्यम से अन्य औद्योगिक देशों को हस्तान्तरित कर दी जाती हैं। समय के साथ, निर्यात के माध्यम से तथा सीधे विदेशी विनियोग के माध्यम से उत्पाद एवं तकनीकें विकासशील देशों एवं विश्व बाजार में प्रसारित हो गयी हैं।

2 राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार प्रक्रिया

विभिन्न देशों में आन्तरिक एवं व्यक्तिगत रूप से विस्तार प्रक्रिया सामान्यतः शहरी क्षेत्रों से प्रारम्भ होती है। विशेषकर औद्योगिक देशों में वृहद् मैट्रोपोलिटन क्षेत्र सरकारी निगरानी में होते हैं तथा विकसित संरचना (शक्ति संयंत्र, संचार, सड़क, रेल, व्यवस्था, एयरपोर्ट) एवं आर्थिक रूप से विशिष्ट ग्राहकों से युक्त रहते हैं। उभरते हुए बाजारों में नवीन उत्पाद एवं तकनीक के विस्तार के लिये यह शहर आदर्श का कार्य करते हैं। समय के साथ जैसे मध्यकालीन यूरोप में हुआ उसी प्रकार संरचना विकास, अध्ययन का सामान्य स्तर एवं प्रभावी विकास एवं नवोन्मेष प्रक्रिया अर्द्ध शहरी क्षेत्रों (जहां ग्रामों से विस्थापित लोग रहते हैं) तथा साथ ही ग्रामीण बाजारों में ही विस्तृत रूप से फैली। तकनीक, उत्पाद विस्तार, आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण के क्रमिक विकास की लहर प्रारम्भ होकर स्थापित हो गयी। विकसित बाजारों में यह प्रक्रिया पहले ही स्थापित थी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कम होते अन्तराल एवं शिक्षा के स्तर में न्यून अंतर होने के कारण संरचना सुविधायें, नवीन विचार, उत्पाद एवं सेवायें तीव्रता से स्थापित हुई।

नवीन विचारों एवं तकनीक के विस्तार से मूल्यों को विभिन्न कारणों ने प्रभावित किया जिनमें निम्न प्रमुख कारण सम्मिलित हैं–

(i) बाह्य प्रभावों के लिये देशों का खुलापन :–

राष्ट्रीय बाजारों में नवीन तकनीक एवं नवीन विचारों के विस्तार को बाह्य विश्व से राष्ट्रीय सम्पर्क ने प्रभावित किया। कुछ प्रकरणों में देश की भौगोलिक स्थिति ने उसे पृथक रखने में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया (उदाहरण के लिये 19वीं शताब्दी के अंत तक चीन एवं जापान)। कुछ अन्य प्रकरणों में देशों ने अपने राष्ट्रीय उद्योगों एवं संस्कृति को अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों से बचाने के प्रयास किये (उदाहरण के लिये व्यापार एवं विनियोग प्रतिबन्धों द्वारा), अन्य देशों में हो रहे नवीनीकरण के लाभों की योग्यता के स्थान पर अपने आपको सीमित किया। पूर्व मध्य एवं कुछ एशियन देश पश्चिमी (पाश्चात्य) जीवन शैली के प्रति आयात में

भयभीत एवं सशंकित थे और उनके विचार में यह उनकी राष्ट्रीय संस्कृति के लिये हानिकारक हो सकता था। तकनीक को अपनाने के लिये शिक्षित कर्मचारी आवश्यक हैं अतः शिक्षा एवं साक्षरता का अपना महत्व ळें किसी देश की दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था तीन प्रमुख कारणों से समस्यात्मक है – प्रथम वह राष्ट्रीय योग्यताओं की खोज में बाधा उत्पन्न करता है तथा उद्योगों में नवीनताओं को लागू नहीं होने देता, द्वितीय शैक्षिक एवं योग्यता प्राप्त कर्मचारी देश के विकास की तकनीकों को स्वीकार करने की योग्यता रखते हैं तथा तृतीय कम पढ़ा लिखा ग्राहक नवीन विचारों एवं तकनीक को समझ और स्वीकार नहीं कर पाता।

(ii) साक्षरता दर :–

साक्षरता दर नवीन विचारों के विस्तार को भी प्रभावित करती है क्योंकि सीमित साक्षरता ग्राहक को व्यक्तिगत अनुभव एवं स्थानीय चर्चा तक ही सीमित रखती है। संचार माध्यम का विकास जैसे रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से साक्षरता की समस्याओं को कम किया जा सकता है। अल्प साक्षरता दर एवं गरीबी का संयोजन, विशेषकर विकासशील देशों में, साक्षरता के अवसरों, नवीन विचारों एवं तकनीक के विस्तार को सीमित कर देता है। राष्ट्रीय अवसंरचना की महत्ता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर नवीन विचारों, तकनीक एवं नवोन्मेष का प्रचार एवं विस्तार किस तीव्रता से होता है (सड़क, शक्ति, ग्रिड, यातायात संसाधन, जल संसाधन)। किसी देश की अवसंरचना के विकास की सुगमता जहां उसके समुदायों एवं जनसंख्या से सम्बद्ध होती है वहीं राष्ट्र के आकार, राष्ट्रीय संसाधनों, स्थलाकृति एवं वातावरण (मौसम) पर भी निर्भर करती है।

(iii) संजाति विषयक एवं भाषागत संरचना के प्रभाव :–

भाषागत एवं सांस्कृतिक अन्तर विभिन्न देशों में परस्पर रहते हैं जो कि पारस्परिक व्यवसायिक लेनदेनों को प्रभावित करते है। ऐसे ही विभिन्न देशों में परस्पर सांस्कृतिक विविधता (जैसे विभिन्न संजातीय एवं भाषागत समूह) नवीन विचार, उत्पाद, तकनीक के प्रसार को प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत एक भाषा एवं संस्कृति सजातीय देश नवीन विचारों एवं तकनीक के प्रसार में कम बाधायं अनुभव करते हैं।

नवीनीकरण के प्रसार की दर इस पर निर्भर करती है कि विभिन्न उत्पाद एवं सेवायें कितनी हैं तथा ग्राहकों का लागत और लाभों के प्रति कितना रूझान है। नवीनीकरण के मार्ग की सम्पूर्ण विश्व बाजार में दो प्रमुख बाधायें है। प्रथम जब वह देश की सीमा से बाहर बाजार में आये तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं विकास की विविधताओं से पृथक हों। द्वितीय जब वह ग्रामीण परिक्षेत्र में प्रवेश करें, विशेषकर विकासशील बाजारों में, शहरी ग्रामीण बाजार के अन्तराल को दृष्टिगत रखा जाना चाहिये। उदाहरण के लिये एक नवीन ब्रांड का टूथपेस्ट विकासशील देश के शहरों एवं नगरों में प्रसारित करना एक लघु एवं अल्प नवीनीकरण प्रक्रिया है। जबकि इसी का ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार एक भिन्न विषय है जिसमें परम्परागत दांत साफ करने की तकनीक चुनौती हो सकती है (उदाहरण के लिये भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में राख या कोयला दांत साफ करने के लिये सामान्यतः प्रयोग किया जाता है)।

निष्कर्ष रूप में, नवीन उत्पाद, तकनीक व्यावसायिक विधियों के लागू किये जाने का राष्ट्रीय संस्कृति एवं मानसिकता पर निरन्तर प्रभाव पड़ता है। जिनमें अनेकों का स्वागत होता है तो कुछ का नहीं। जब नवीन उत्पादों एवं तकनीकों को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजार में प्रथमतः उतारा जाय तो प्रसार व्यवस्था में रणनीति चयन में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।

21.5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रबन्ध के दृष्टिकोण

1 सांस्कृतिक ज्ञान दृष्टिकोण :–

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह आवश्यक है कि बाजार सम्बन्धी कोई भी रणनीति तैयार करते समय राष्ट्रीय संस्कृति एवं अन्तर्राष्ट्रीय चलन का का गहन अध्ययन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में कोई भी विभिन्न प्रसार माध्यमों से सुगमता से ज्ञात कर सकता है कि किसी देश विशेष में क्या घटनाचक्र चल रहा है, लेकिन इस सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन मात्र संसाधन वितरण या रणनीति निर्णय ही इस दिशा में महत्वपूर्ण नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसाय प्रबन्धक को यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि क्या घटनाक्रम है वरन् यह क्यों है यह भी संज्ञान लेना चाहिये। उसे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को विश्लेषित करना चाहिये और उनको क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक संदर्भ में लागू करना चाहिये। किसी भी प्रबन्धक के लिये यह असम्भव है कि प्रत्येक राष्ट्र के सांस्कृतिक परिवर्तन या अन्तर्राष्ट्रीय चलन के सम्बन्ध में संज्ञान रखे परन्तु सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारियों को विश्व बाजार में होने वाले सतत् संचयी अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों एवं चलन को संज्ञान में रखना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। वह अध्ययन को सतत् रखते हैं कभी बन्द नहीं करते। बाजार के चलन एवं घटनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता एवं विश्लेषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्रबन्धक के पास उचित संरचना होनी अति आवश्यक है।

जब किसी व्यक्ति को सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ज्ञान नहीं होता तो सांस्कृतिक अज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति किसी भी कम्पनी का दायित्व है और वह विदेशी अनुबन्धों के सम्बन्ध में अच्छे के स्थान पर दुष्परिणाम प्रदान कर सकते हैं। जब व्यक्तियों को सांस्कृतिक भिन्नताओं का संज्ञान होता है और वह उन पर दृष्टि रखते हैं तो सांस्कृतिक सजगता उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक व्यक्तियों से सांस्कृतिक गलतियां होने की सम्भावनायें अल्प हो जाती हैं। सांस्कृतिक ज्ञान सांस्कृतिक जागरूकता का ही विस्तार है। इस स्तर पर व्यावसायिक व्यक्ति यह ज्ञान रखते हैं कि लोगों को अभिवादन कैसे किया जाय (जैसे जापान में झुकना) एवं विदेशी बाजार में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। वे निरीक्षण एवं विश्लेषण कर विदेशी व्यवहारों को सूचीबद्ध करते हैं तथा उसके पीछे निहित कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक संज्ञान एवं समझ उत्पन्न होती है जब व्यावसायिक व्यक्ति केवल यही न जाने कि कौन सा व्यवहार उपयुक्त है वरन् यह भी जाने कि उस संस्कृति में यह व्यवहार क्यों उपयुक्त है। इस स्तर परव्यक्ति स्थानीय भाषा में पारंगत होता है तथा स्थानीय व्यवहार के ज्ञान के साथ सांस्कृतिक परम्परागत व्यवहार के ठोस कारण से भी अवगत होता है।

2 बहुविष्यक प्रकृति दृष्टिकोण :–

अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के सम्बन्ध में जानने के लिये विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। व्यक्ति, समाज एवं निगमीय अध्ययन एवं परीक्षण हेतु विभिन्न सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान का व्यावसायिक अध्ययन गहनता से आवश्यक है। जब व्यावसायिक अध्ययन देश की सीमाओं से बाहर जाता है, सैद्धान्तिक आधार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में अग्रांकित क्षेत्रों तक विस्तृत हो जाते हैं। राजनीतिक शास्त्र राजनीतिज्ञों के तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन हेतु एवं उनके व्यवसाय एवं समाज पर प्रभाव के अध्ययन हेतु। विभिन्न देशों में प्रजातन्त्र है, परन्तु 30 प्रतिशत जनता निरकुंश शासन में निवास करती है जैसे– अनुवांशिक राजतन्त्र, तानाशाही, प्रमुख, शाह या अन्य के आधीन। प्रजातन्त्र में राजनीतिक नियंत्रण राष्ट्र का भाग्य निर्धारण करते है परन्तु उनकी जवाबदेही मतदाता के प्रति होती है। इन कारणों से यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सामान्यतः चुनावी राजनीतिक परिस्थितियों, युद्धों एवं क्रान्तियों पर दृष्टि रखी जाये। राष्ट्रीय बाजारों का विकास हो अथवा उन्हें अनुबंधित किया जाना हो राजनीतिक व्यक्ति आर्थिक परिस्थितियों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं (निगमीय विक्रय एवं लाभों पर व्यापक प्रभाव)। निगमीय क्षेत्र को राष्ट्रीय बाजार में व्यापार एवं विनियोग नीतियों के माध्यम से सरकार भी नियन्त्रित करती है। राष्ट्रीय सीमाओं में व्यापार व्यवहार पर अन्तिम नियन्त्रण के उद्देश्य से सरकार वैधानिक संरचना भी लागू करती है। मनुष्य जाति के विज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न वातावरणों, पर्यावरणों एवं परिस्थितियों में मनुष्य (मानव) की क्रमिक उन्नति का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास की परम्परागत से लेकर आधुनिकता की यात्रा में मानव व्यवहार के क्रमिक विकास ने राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के व्यापक विघटन को बल प्रदान किया, साथ ही व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार भी विकसित हुए। तीव्रता से औद्योगिकरण की ओर बढ़ते बाजार में आर्थिक विकास के परिवर्तन किस प्रकार व्यापार व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस तथ्य को समझने के लिये भारत एवं चीन के विकसित होते बाजार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जैसे–जैसे उनका जीवन स्तर, रहन सहन विकास कर रहा है राष्ट्रीय संस्थाओं एवं व्यवहार में भी उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव किये जा सकते हैं। यह राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थागत परिवर्तन सामाजिक व्यवहार एवं मूल्यों को भी प्रत्येक स्तर पर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार का संस्थागत ज्ञान एवं विकास प्रक्रिया व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को विदेशी बाजार में होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक होती है तथा एक अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है कि किस प्रकार एक देश का भूतकाल उसके वर्तमान तथा भावी सम्भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया को समझने के लिये यह आवश्यक है कि मानव विज्ञान, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से लेकर परिवर्तनों की बहुमुखी प्रकृति के प्रति अन्तर्दृष्टि उत्पन्न की जाय जिससे राष्ट्र राज्य साधारण से स्वयं सम्पन्न समाज तक विकसित हो तथा राष्ट्र राज्य उनके अनुसार विभिन्न प्रकृति के उत्पाद एवं सेवायें प्रदान करें। समाज शास्त्र के अन्तर्गत समाज के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परम्परागत आधारित समाज में संयुक्त परिवार इकाईयां सामान्य हैं तथा पारिवारिक प्राथमिकतायें व्यापार व्यवहार, अनुबन्धों का दिया जाना, रोजगार अवसर आदि को गहनता से प्रभावित करती हैं। एक अन्य व्यवहार समूह सामाजिक वर्ग सामाजिक

पदानुक्रम निर्धारित करता है। परम्परागत समाज में अनुवांशिक एवं ज्ञान आधारित वरिष्ठतायें सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमुख भाग होते हैं। परन्तु शहरीकृत, औद्योगीकृत एवं आधुनिकता वाले देशों में मुद्रा एवं संचित सम्पदा सामाजिक वर्ग प्रभुता के प्रमुख भाग माने जाते हैं। अन्तिम रूप से औद्योगीकृत देशों में पुरूष प्रधान (पारिवारिक वरिष्ठ पुरूष) आदि अवधारणायें क्षीण होती हैं क्योंकि महिलाओं के घर के बाहर भी सामाजिक योगदान को स्वीकार किया जाने लगता है। सभी देशों में व्यवहार एवं अभिवृत्ति का प्रमुख मापदंड धर्म है। उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप में इसाई धर्म (रोमन एवं कैथोलिक रोमन सहित) अपने अनुयायियों को नैतिक एवं व्यावहारिकता के दिशा निर्देश जारी करता है परन्तु उनकी इन नैतिकताओं का प्रभाव विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा दैनिक जीवन पर कम दिखायी देता है। विकसित होते विश्व में भी धार्मिक आस्थायें दैनिक जीवन पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। बिना इस्लामिक आस्था एवं विश्वास का ज्ञान प्राप्त किये मध्य पूर्व की व्यवस्थाओं को नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार भारतीय अभिवृत्ति एवं व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से समझने के लिए हिन्दू पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। एक अरब से अधिक लोग हिन्दू एवं इस्लामिक अनुयायी हैं। कुछ धर्म नास्तिकता की प्रवृत्ति वाले हैं परन्तु उनके जीवन दर्शन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शताब्दियों से चीनी व्यवहार कन्फ्यूशीवाद एवं दाओवादी परम्पराओं से प्रभावित हैं। एक अन्य नास्तिक पंथ बुद्ध परम्परा है जो अनेकों एशियन देशों (जैसे कोरिया, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, चीन, जापान) के दैनिक व्यवहारों को प्रभावित करता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के गहन अध्ययन के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि विश्व के प्रमुख धर्मों का गहराई से अध्ययन किया जाय। भौगोलिक व्यवस्था का अर्थ है कि पड़ोसी बाजारों में कितनी राष्ट्रीय कम्पनियां प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। आधुनिक विकसित राष्ट्रीय बाजारों में तकनीक (पुल, सुरंग, सिंचाई व्यवस्था आदि) भौगोलिक बाधाओं को पार कर चुकी हैं और वहां वस्तु एवं सेवाओं को पर्यावरणीय दशाओं द्वारा सुगमता से आत्मसात कर लिया जाता है। परन्तु व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति द्वारा नवीन अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के अध्ययन में भौगोलिक व्यवस्था, वातावरण, स्थलाकृति (क्षेत्रों एवं भूमितल का अध्ययन) आदि को बाजार विश्लेषण के प्रमुख अंग के रूप में माना जाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए भौगोलिक संसाधनों (खनिज, कृषि) की उपलब्धता प्रमुख निर्माणक के रूप में कार्य करती है। स्थलाकृति का तलरूप अध्ययन एवं वातावरण, चिन्हित बाजारों (जहां जनसंख्या निवास करती है), वितरण (ग्राहकों तक वस्तु एवं सेवाओं की पहुंच) एवं सामान्य रूप में, जीवन के प्रति अभिवृत्ति (जैसे गहन या कठोर वातावरण में जीवन यापन को मूल प्रकृति निर्धारित करती है) आदि का निर्धारण करता है। व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों द्वारा विश्व व्यवसाय में ऐतिहासिक योगदान को अपेक्षाकृत कम मूल्यांकित किया गया है जिससे वर्तमान और भविष्य निर्धारित होता है परन्तु अभी भी किसी भी देश के बाजार के अध्ययन के लिये उसकी वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को जानने के लिये यहां तक पहुंचने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाने बिना समझ पाना अत्यन्त कठिन है। किसी भी बाजार की वर्तमान दशाओं एवं व्यवहार के अध्ययन के लिये उसका ऐतिहासिक विश्लेषण कि क्यों एवं कैसे

उसके भूतकाल से वर्तमान दशायें प्रभावित हैं, जानना अत्यन्त आवश्यक अवयव है।

21.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन

ऐतिहासिक रूप से विभिन्न देश विभिन्न प्रकार से विभिन्न मूल्य निर्धारित करते हैं। उनके विभिन्न संसाधन, वातावरण, स्थलाकृति, भाषायें, मूल्य अभिवृत्ति एवं व्यवहार रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक कार्यकारी अधिकारियों के सम्मुखये चुनौती होती है कि वह रणनीति को अपरिवर्तित रखते हुए अथवा अल्पपरिवर्तन के साथ किस प्रकार अन्य बाजार में हस्तान्तरित करे (एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप रणनीति जो एक से ग्राहकों का लाभ ले सकें) एवं इस रणनीति के माध्यम से ग्राहकों की स्वीकृति प्राप्त करें और उसका सफल प्रयोग करें (एक स्वीकृत अथवा बहु–घरेलू रणनीति)।

1 प्रमाप रणनीति के तर्क :–

प्रमाप उत्पाद का प्रलोभन कभी भी अतिसशक्त नहीं होता। वैश्विक ग्राहक का ज्ञान नवीन उत्पाद एवं तकनीक के सम्बन्ध में कभी भी उच्च नहीं होता। अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया, व्यापार, इन्टरनेट एवं विश्व बाजार में बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय निगमित संस्थायें सम्पूर्ण बाजार में ग्राहकों की रूचि की दृष्टि से एकरूपता ले आते हैं जिससे राष्ट्रीयताओं के अन्तर को पीछे छोड़ा जा सके। तकनीक, उत्पाद एवं सेवाओं का विकसित बाजारों में स्थिर प्रतिभाग ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीयताओं के अन्तर को कम करता है। यह वैश्वीकरण की प्रकृति सम्पूर्ण बाजार में प्रमाप उत्पादों एवं सेवाओं के विचार को दृढ़ करती है। अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां इसी वैश्विक विचारधारा के आधार पर विदेशों में अपनी वस्तु, सेवायें एवं तकनीक हस्तान्तरित करते हैं। किसी भी उत्पाद की मूल मांग की विकसित देशों में प्रथम आपूर्ति की जाती है तथा समान मांग वाले देशों में इसका विस्तार किया जाता है (जैसे उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप)। जबकि कम्पनी कुछ परिवर्तन स्वीकार करती है (इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं में वोल्टेज परिवर्तन, ऑटोमोबाइल दांये–बायें का अथवा कुछ शैलीगत परिवर्तन, सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं में लेबल परिवर्तन) जबकि मूलतः उत्पाद या सेवा का स्वरूप बाजारों में वही रहता है। यह बहुबाजारीय प्रमाप रणनीति वैश्विक स्तर पर है। शहरी क्षेत्रों में विकसित बाजारों में भी बाह्य अनुवाद एवं भाषागत परिवर्तनों के अतिरिक्त ग्राहकों की रूचि विकसित बाजारों की भांति आधुनिक विचारधारा को स्वीकृति प्रदान करती है। वैश्विक एवं बहुबाजारीय रणनीति के अनेकों लाभ हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

(i) वैश्विक, क्षेत्रीय या बहुबाजारीय प्रक्रिया के अन्तर्गत विस्तार से नवीन उत्पाद के लिए प्रतियोगी प्रभाव अधिकतम होता है। सम्पूर्ण बाजार में उत्पाद, वस्तु एवं ब्रांड इमेज के विस्तार के पर्याप्त अवसर रहते हैं तथा विभिन्न परिमाणों के साथ मूल्य एवं वितरण नीतियों को प्रमापित किया जा सकता है। कार्ल्सबर्ग बीयर 30 से अधिक देशों में बनायी एवं वितरित की जाती है एवं हॉलीवुड फिल्में भाषा परिवर्तन एवं उपशीर्षक के न्यूनतम परिवर्तन के साथ सम्पूर्ण विश्व बाजार में प्रसारित होती है।

(ii) देश से बाहर पूर्ति श्रृंखला क्रियायें एवं प्रबन्ध मनोविज्ञान एकीकृत हो सकता है। इसमें वैश्विक स्तर पर उत्पाद, कच्चा माल एवं अवयवों के संसाधन जुटाना सम्मिलित है। घरेलू बाजार की योग्यता एवं विशिष्टता को पूंजीकृत करने के उद्‌देश्य से निर्माण तकनीकों को विदेशों में हस्तान्तरित किया जा सकता है। टोयोटा सामान्य रूप से जापानी निर्माण तकनीक एवं मानक अपने सुदूर स्थित संयंत्रों को हस्तान्तरित करती है। जहां भी विदेशी बाजार संरचना अनुकूल दृष्टिगोचर हो, प्रबन्ध प्रक्रिया जैसे सम्पूर्ण गुणवत्ता, प्रबन्धन, तत्काल वितरण श्रृंखला निर्मित करते हैं जिससे अवसरों की पहचान कर उनका लाभ उठाया जा सके। वैश्विक शोध एवं अनुसंधान वैश्विक स्तर पर नवीन उत्पाद विकास प्रक्रिया को समन्वित कर सकता है और विभिनन देशों एवं संस्कृतियों के आधार पर प्रबन्धकीय सहयोग से समन्वित या उभयनिष्ठ निगमित संस्कृति को विकसित कर सकता है।

2 स्थानीय रणनीतियों के सम्बन्ध में तर्क :–

विदेशी बाजारों एवं ग्राहकों द्वारा सीमापार के प्रभाव एवं व्यवहार को समान रूप से ग्रहण नहीं किया गया है। शतकों और कभी कभी शताब्दियों की राष्ट्रीय संस्कृति एवं स्वीकृत आदतों एवं व्यवहार को सुगमता से नकारा नहीं जा सकता। जहां स्थानीय बाजारों में परम्परागत राष्ट्रीय संस्कृति हो, नवीन आधुनिक उत्पाद एवं तकनीक मंथर (धीमी) गति से ही स्वीकार होती है (उदाहरण के लिये मध्य पूर्व एवं एशिया जहां राष्ट्रीय संस्कृति ने गहराई से जड़ें जमा रखी हैं)। यह प्रदर्शित करता है कि जहां सुरक्षावादी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जहां आधुनिक तकनीकों के प्रसार को चुनौती देने या रोकने के लिये स्थानीय परम्परायें सशक्त हैं एवं जहां व्यावसायिक कुशल व्यक्ति यह निर्देश करते हैं कि स्थानीय रणनीतियां सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे बाजारों में वैश्विक प्रवृत्तियों से राष्ट्रीय परीक्षण अल्प प्रभावी होते हैं एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान सफलता से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसमें राष्ट्रीय संस्कृति, मूल्यों एवं व्यवहारों को पूर्णतः दृष्टिगत रखना होता है। ऐसे में स्थानीयकृत रणनीति मुख्य प्रतियोगिता उपकरण होती है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को न केवल अन्य वैश्विक कम्पनियों से प्रतियोगिता करनी होती है वरन् स्थानीय प्रतियोगियों को भी दृष्टिगत रखना होता है जो कि स्थानीय परम्पराओं एवं व्यवहारों का बेहतर ज्ञान रखते हैं। लेकिन मात्र स्थानीय रणनीतियों पर आश्रित होने के लिए प्रेरित होना अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिये तीन कारणों से समुचित या श्रेष्ठ विकल्प नहीं हो सकता। प्रथम स्थानीय रणनीतियां सामान्यतः खर्चीली तथा अधिक समय लेने वाली होती हैं, जबकि प्रत्येक नवीन बाजार में उपभोक्ता आवश्यकताओं का नख से शिख (सम्पूर्ण) अवलोकन आवश्यक है। द्वितीयतः स्थानीय रणनीति निगमीय उत्पादों एवं स्थानीय प्रतियोगियों में पृथकता नहीं कर पाती। और तृतीय स्थानीय रणनीति के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के वैश्विक अनुभवों का लाभ नहीं उठाया जा सकता जबकि अर्थव्यवस्था दर का पैमाना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वोत्तमता की दृष्टि के लिए प्रमुख कारक है। ऐसी स्थिति में रणनीति अपनाये जाने के लिये संतुलन हेतु स्थानीय घटकों को दृष्टिगत रखना होता है। स्थानीय रणनीतियों को निम्नवत् बताया जा सकता है–

(i) आयातित उत्पाद विचार एवं परम्परागत वस्तु एवं सेवा निर्माण जिससे स्थानीय रूचि के साथ अधिकतम सामंजस्य हो सके। टी0वी0 नेटवर्क का माध्यम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में एम0टी0वी0 तथा एशिया में स्टार टी0वी0 परम्परागत कार्यक्रमों की पहचान है तथा बाजार में सफलता का प्रमुख कारक भी।

(ii) राष्ट्रीय प्रमुखता वाली उत्पादन प्रक्रिया (उदाहरण के लिये गहन मजदूरी उत्पादन प्रक्रिया), स्थानीय स्रोतों एवं वितरण पद्धति, स्थानीय प्रबन्धकीय शैलियों को स्वीकार करना एवं वितरण श्रृंखला पद्धति आदि को प्रयोग करना। हैण्डकुक टायर विश्व की 5 शीर्ष में टायर निर्माता कम्पनी अपनी विदेशी सहभागी कम्पनियों को निर्णय की स्वतन्त्रता प्रदान करती है जिससे वह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल प्रतिक्रिया दे सकें।

(iii) स्थानीय विपणन रणनीतियों को विज्ञापन एवं विस्तारण परक रणनीतियों को स्थानीय एवं राष्ट्रीय मूल्यों एवं परम्पराओं को स्वीकार करना साथ ही प्रमुख स्थानीय वितरण एवं मूल्य नीतियों को भी अंगीकार किया जाना। चीन में Mcdonald और Kentucky Fried Chicken दोनों ही बसंत उत्सव में स्थानीय परम्पराओं एवं रूचि के अनुसार अपने संस्थानों को सजाते हैं जिससे स्थानीय लोगों की भावनाओं का लाभ अधिकतम उठाया जा सके जबकि कोका कोला सर्प वर्ष में अपनी बोतलों पर सर्प के कार्टून प्रिंट करती है। ऐतिहासिक रूप से मानकीकरण एवं स्वीकृति दो विपरीत रणनीतियां हैं। वास्तव में कम्पनियां अपने कुछ बिन्दुओं एवं रणनीतियों को प्रमापित करती हैं (उदाहरण के लिये विश्व स्तरीय भवन या बहुबाजारीय ब्रांड) एवं अन्य संचालन सम्बन्धी बिन्दुओं को भी स्वीकार करती हैं (उत्पादन विधियां, प्रवर्तन, वितरण)। जहां विदेशी बाजार की सुविधायें उपलब्ध हैं आमने सामने के लेनदेनों के लिये कार्यरत अधिकारियों को स्थानीय परम्पराओं को स्वीकार करना अनिवार्यता है, मानव संसाधनों, उत्पादन एवं वितरण में स्थानीय नियमों एवं प्रथाओं को समुचित आदान प्रदान करना होता है। उद्योग एवं कम्पनी को वैश्विक एवं स्थानीयकृत के मध्य चयन करना होता है। प्रबन्धकीय स्तर विदेशी संचालन में यह सुनिश्चित करना एक प्रमुख लक्ष्य है कि परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय वैश्विक समुचित रणनीति तैयार करें।

21.7 सारांश

विभिन्न संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश एवं ज्ञान के लिये विभिन्न रणनीति प्रयोग करती हैं। रणनीति निर्माण की प्रक्रिया तब प्रारम्भ होती है जब उद्योग एवं कम्पनी की निगमीय योजना प्रक्रिया प्रारम्भ होती है एवं विश्लेषित की जाती है। प्रबन्धकीय इस अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया में निगमीय उद्देश्यों या लक्ष्यों, सम्पत्तियों एवं क्षमताओं को अवलोकित किया जाता है एवं व्यवसाय एवं बाजार में अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों का आकलन किया जाता है। इन मूल्यांकनों से कम्पनी अपनी गतिविधियों एवं क्रियाओं को वैश्विक स्तर पर संचालित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्पर हो जाती हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संस्था के पास समुचित संगठन एवं प्रबन्धकीय क्षमता है जो कि व्यवसाय के विस्तार एवं बाजारों की बढ़ती हुई संख्या के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त यह

प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि उपलब्ध कर्मचारी, निगमीय प्रक्रिया एवं संगठन संरचना व्यापार उद्योग एवं बाजार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हों। एक बार आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संस्था अपनी रूचि के बाजार का चयन करती है जहां उसे प्रवेश करना है एवं सेवायें प्रदान करने हेतु रणनीति तैयार करती है। संस्थायें विश्व बाजार में दो प्रमुख मूल रणनीतियों के आधार पर कार्य करती हैं। ऐसे देश जिनमें वैश्वीकरण प्रगति पर है बाजार एवं ग्राहक ऐसे देशों के समकक्ष होते हैं जहां व्यापार एवं वाणिज्य पर कुछ प्रतिबन्ध लागू हों। ऐसी स्थिति में कम्पनियां अपने उत्पाद एवं सेवायें अल्प परिवर्तनों के साथ विभिन्न बाजारों में प्रस्तुत करती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमाप रणनीति के आधार पर स्थानीय रणनीतियों से सामन्जस्य स्थापित करती हैं।

21.8 शब्दावली

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसायः देश की सीमाओं से बाहर वाणिज्यिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं उन्नयन, तकनीक का हस्तान्तरण, वस्तु (माल), सेवाओं, संसाधनों व्यक्तियों एवं विचारों के हस्तान्तरण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय है।

21.9 बोध प्रश्न

1. .... के प्रसार की दर इस पर निर्भर करती है कि विभिन्न उत्पाद एवं सेवायें कितनी हैं तथा ग्राहकों का लागत और लाभों के प्रति कितना रूझान है।
2. .... समाज में अनुवांशिक एवं ज्ञान आधारित वरिष्ठतायें सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमुख भाग होते हैं।

21.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. नवीनीकरण, 2. परम्परागत

21.11 स्वपरख प्रश्न

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बिन्दुओं एवं चुनौतियों पर एक विस्तृत आलेख लिखिए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्थल में होने वाले परिवर्तनीय परिदृश्य का वर्णन कीजिए।
3. वैश्विक स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता की दृष्टि से प्रबन्धकों के विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए।
4. सांस्कृतिक संज्ञान दृष्टिकोण एवं बहुविषयक प्रकृति दृष्टिकोण में अन्तर बताइये।
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रबन्धकों के समक्ष आने वाली जटिलताओं का वर्णन कीजिए।
6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में रणनीति निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है?
7. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमापित एवं स्थानीय रणनीतियों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

21.12 संदर्भ पुस्तकें

1. Hill, Charles W.L. (2005). Internatioanl Business. Botson, MA: McGraw Hill / Irwin.
2. Paul, Justin (2008). Internatioanl Business (4^{th} Ed.). New Delhi: PHI Learning Private Limited.
3. Sharan, Vyuptakesh (2010). Internatioanl Business: Concept, Environment and Strategy (3^{rd} Ed.). New Delhi: Pearson Education India.
4. Borck, J.R. (2001, February 5). Currency conversion, fraud prevention are hurdles to successful global commerce. InfoWorld, 55-58.
5. D' Amica, E. (2001, September 26). Wanted : A multilingual Web presence. Chemical Week, 20-30.
6. D' Amico, E., with Hunter, D., & Seewald, N. (2001, September 26). Global e-commerce. Chemical Week, 24-29.
7. Gareiss, D. (2000, December 11). Business on the Worldwide Web. Information Week, 69-78.
8. Lessin, R. (2001, February). Shifting Ingternet geo-centers: Will you lose your balance? Chief Executive, D11-D13.
9. Prince, C.J. (2001, March). US lags on globalization, Chief Executive, 12-13.

इकाई–22 पर्यावरणीय अवलोकन (क्रमवीक्षण) नियन्त्रण (निगरानी) एवं प्रबन्ध सूचना तन्त्र (प्रणाली)

इकाई की रूपरेखा

22.1 प्रस्तावना
22.2 स्कैनिंग का अर्थ एवं परिभाषा
22.3 पर्यावरणीय स्कैनिंग की आवश्यकता
22.4 पर्यावरणीय स्कैनिंग सम्बन्धी घटक
22.5 पर्यावरणीय स्कैनिंग के दृष्टिकोण
22.6 पर्यावरणीय स्कैनिंग के सूचना स्रोत
22.7 पर्यावरणीय स्कैनिंग एवं निगरानी विधियां
22.8 PESTELविश्लेषण
22.9 SWOT विश्लेषण
22.10 SWOT का चित्रमय विश्लेषण
22.11 अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध सूचना तन्त्र का परिचय
22.12 परिभाषा
22.13 प्रबन्ध सूचना प्रणाली की विशेषतायें
22.14 प्रबन्ध सूचना प्रणाली की पिरामिड संरचना
22.15 कम्प्यूटर आधारित सूचना तन्त्र
22.16 सूचना वास्तु या तकनीक
22.17 बहुराष्ट्रीय कम्पंनियों में सूचना तन्त्र के कार्य
22.18 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना तन्त्र के मुद्दे
22.19 सारांश
22.20 शब्दावली
22.21 बोध प्रश्न
22.22 बोध प्रश्नों के उत्तर
22.23 स्वपरख प्रश्न
22.24 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- पर्यावरणीय स्कैनिंग की प्रकृति के विवरण की व्याख्या कर सकें।
- पर्यावरणीय स्कैनिंग के प्रकार की व्याख्या कर सकें।
- पर्यावरणीय स्कैनिंग के स्रोतों का चिन्हीकरण कर सकें।
- SWOT विश्लेषण की अवधारणा का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

22.1 प्रस्तावना

कोई संस्थान रिक्तता के साथ संचालित नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व पर्यावरण से होता है। ग्राहक की अभिरूचि में परिवर्तन, वितरक की स्थितियां, सरकारी नीतियां एवं वैधानिकता, राजनीतिक परिस्थितियां, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि व्यावसायिक नीतियों एवं रणनीतियों पर अपना व्यापक प्रभाव डालती हैं। अतः उच्च प्रबन्ध की दृष्टि से व्यावसायिक पर्यावरण का अवलोकन एक प्रमुख

संवेदनशील क्षेत्र है। एक बार संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्णय होने के पश्चात् प्रबन्ध का अगला कदम संगठन के वातावरण का निरीक्षण एवं अवलोकन करना होता है जहां संगठन की संचालनीय क्रियायें निष्पादित की जाती हैं। किसी भी निगमित रणनीति के निर्माण एवं व्यावसायिक उद्देश्यों को चिन्हित करने में भी उच्च प्रबन्ध पर्यावरणीय अवसरों एवं चुनौतियों को दृष्टिगत रखता है। अवसर एवं चुनौतियों के निर्माण में विभिन्न शक्तियां एवं तत्व सम्मिलित होते हैं। इन सभी क्रियाओं को निष्पादित करने की दृष्टि से प्रबन्ध पर्यावरणीय अवलोकन पर विश्वास करता है।

22.2 स्कैनिंग का अर्थ एवं परिभाषा

स्कैनिंग शब्द का अर्थ जानने अथवा इसका परीक्षण करने के लिये गहराई से इसे समझना होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय स्कैनिंग का अर्थ व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना है। पर्यावरणीय स्कैनिंग मात्र एक बार की जाने वाली क्रिया न होकर एक सतत् प्रक्रिया है। व्यावसायिक पर्यावरण की निरन्तर परिवर्तनीय प्रवृत्ति के कारण प्रबन्ध भी पर्यावरण सम्बन्धी मूल्यांकन एवं विश्लेषण निरन्तर करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन व्यवसाय को प्रभावित करने वाले सम्बन्धित पर्यावरणीय तत्वों को चिन्हित कर अवसर एवं चुनौतियों की विवेचना करता है। ''पर्यावरणीय लक्ष्य के लिये सामान्यतः पर्यावरणीय स्कैनिंग अत्यन्त वृहद स्तरीय क्षेत्र के रूप में अपनायी जाती है। यह निर्धारित समय, विशिष्ट, निर्धारित सूत्रों से पृथक प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों की मनोदशा के आधार पर परिस्थितिजन्य उन तत्वों पर निर्मित की जाती है जिनसे कम्पनी की प्रक्रिया एवं कार्य प्रभावित होते हैं।''

22.3 पर्यावरणीय स्कैनिंग की आवश्यकता

अनुभवजन्य अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि जो संस्थायें पर्यावरण विश्लेषण करती हैं उनकी वित्तीय निष्पादनता वृहद होती है। उन कम्पनियों की तुलना में जो इस बात से सन्तुष्ट हैं कि वह अजेय हैं और उन्हें बाजार में घटित होने वाली गतिविधियों के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कम्पनी पर्यावरण की मांग को देखते हुए अपनी रणनीति को स्थिर रखती है और समायोजन नहीं करती है तो निगमित उद्देश्यों की प्राप्ति की क्रिया शिथिल प्रायः हो जाती है। पर्यावरणीय स्कैनिंग की आवश्यकता निम्न कारणों से आवश्यक होती है।—

1. संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग :—

किसी भी व्यवसाय की सफलता का प्रमुख तत्व उसके उपलब्ध वर्तमान संसाधनों एवं आवश्यकता अतिरिक्त संसाधनों का अधिकतम प्रभावशाली उपयोग है। इस सारी प्रक्रिया में पर्यावरणीय अवसरों एवं चुनौतियों के संदर्भ में कम्पनी की शक्तियों एवं कमजोरियों का मूल्यांकन एवं तद्नुसार रणनीति का निर्माण करना है। ऐसी कम्पनी जो ऐसा करने में असफल रहती हैं समाप्त हो जाती है।

2. पर्यावरण का निरन्तर निरीक्षण :—

पर्यावरणीय स्कैनिंग विद्यमान पर्यावरण के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान उपलब्ध कराती है। पर्यावरणीय स्कैनिंग के बिना ग्राहकों की रूचि, प्राथमिकताओं, आधुनिक नवोन्मेष, नवीनतम नीतिगत विकास आदि के सम्बन्ध में जान पाना संभव नहीं है।

बिना पर्यावरणीय स्कैनिंग के पर्यावरण का निरन्तर निरीक्षण किया जाना संभव नहीं है।

3. रणनीति निर्माण :–

पर्यावरणीय स्कैनिंग विविधता एवं विकास के क्षेत्रों को चिन्हित करती है तथा समस्याओं का सामना करने के उपायों को भी बताती है। रिलायंस ने आयात विकल्पों के विविध क्षेत्रों में कार्य किया। पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान एवं समझ एक फर्म के रणनीति सम्बन्धी निर्णयों को और प्रभावी बनाती है भविष्य के परिवर्तनों के आधार पर व्यवसाय के सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय लिये जा सकते हैं।

4. अवसरों एवं चुनौतियों का चिन्हीकरण :–

पर्यावरणीय विश्लेषण किसी भी संस्था को अवसरों एवं चुनौतियों को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करता है। इनके उचित चिन्हीकरण के पश्चात पर्यावरणीय अवसरों का लाभ उठाने हेतु रणनीति बनायी जाती है तथा चुनौतियों का सामना करने की रणनीति भी तैयार की जाती है।

5. प्रबन्धकों के लिये उपयोगी :–

पर्यावरणीय विश्लेषण विभिन्न प्रकार से करने में प्रबन्धकों को उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि हम सम्पूर्ण आर्थिक मूल्यांकन की दृष्टि से कम्पनियों की तुलना करें तो ज्ञात होगा कि जिन कम्पनियों ने यह विश्लेषण नहीं किये उनकी तुलना में विश्लेषण करने वाली कम्पनियों के परिणाम श्रेष्ठ है।

6. भविष्य के अनुमान :–

भविष्य के अनुमान लगाना प्रबन्ध के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है जो उसकी योग्यता भी प्रदर्शित करता है। भविष्य के लिये सजग प्रबन्धक प्रतिक्रियावादी के स्थान पर अनुमानों के आधार पर समस्या निस्तारक होते हैं। अतः ऐसे प्रबन्धक जो पर्यावरणीय स्कैनिंगकी सहायता से कर्तव्य निष्पादन करते हैं अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

22.4 पर्यावरणीय स्कैनिंग सम्बन्धी घटक

बाह्य पर्यावरण जिसमें कोई भी संगठन स्थित होता है विभिन्न तत्वों को अंगीकार किये हुए होता है। इन घटकों या तत्वों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :–

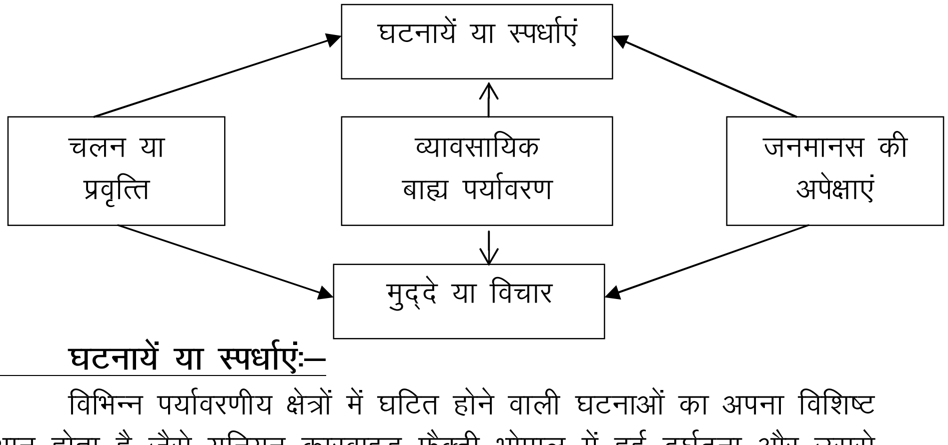

1. घटनायें या स्पर्धाएं:–

विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं का अपना विशिष्ट स्थान होता है जैसे यूनियन कारबाइड फैक्ट्री भोपाल में हुई दुर्घटना और उससे होने वाला सर्वनाश घटित एक घटना थी।

2. चलन या प्रवृत्तिः–

चलन अथवा प्रवृत्तियां घटना के घटित होने से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिये भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात रासायनिक क्रिया वाली सभी प्रक्रियाओं, विनियमित प्राधिकरणों, संगठनों एवं संस्थाओं में सजगता एवं सावधानी की प्रवृत्ति या चलन होने लगा।

3. मुद्दे या विचारः–

घटनाओं एवं चलन के कारण वर्तमान संदर्भ में विभिन्न विचार या मुद्दे उदित होते हैं। उदाहरण के लिये वर्तमान समय में पर्यावरण का दूषित होना एक मुख्य मुद्दा है।

4. जनमानस की अपेक्षाएंः–

सामान्य जनमानस सरकार से यह अपेक्षा करता है वह विधि विधान में नियम उपनियम में परिवर्तन करके सुरक्षा व्यवस्थाओं को कठोरता से लागू करने की तकनीकों को व्यवहार में लाये। उचित पर्यावरणीय स्कैनिंग के माध्यम से कोई भी संस्थान उक्त तथ्यों के प्रभाव को अपनी प्रबन्ध रणनीति प्रक्रिया पर मूल्यांकित कर सकता है। इसके लिये किसी एक विधा या संयुक्त विधाओं को पर्यावरणीय स्कैनिंग के लिये प्रयोग करना चाहिये।

22.5 पर्यावरणीय स्कैनिंग के दृष्टिकोण

पर्यावरणीय स्कैनिंग की दृष्टि से सूचनाओं के चयन की विभिन्न विधियां एवं दृष्टिकोण है।KUBR ने इस सम्बन्ध में तीन निम्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं :–

1. व्यवस्थित दृष्टिकोण :–

इस दृष्टिकोण के प्रमुख तथ्य निम्न हैं –

- इस विधि में पर्यावरणीय स्कैनिंग के लिये सूचनायें व्यवस्थित तरीके से एकत्र की जाती हैं।
- व्यापार एवं उद्योग से सम्बन्धित सूचनायें उचित रूप में लगातार एकत्र होती रहें इसके लिए सम्बन्धित तथ्यों एवं परिवर्तनों को दृष्टिगत रखा जाता है।
- लगातार इस प्रकार की नवीनतम सूचनायें रणनीतिक प्रबन्ध के लिये ही नहीं संचालनीय गतिविधियों के लिये भी आवश्यक है।

इस विधि में सामान्यतः बाजार, ग्राहकों एवं सरकार द्वारा किये जाने वाले वैधानिक एवं नीतिगत परिवर्तनों के सम्बन्ध में वह सूचनायें एकत्र की जाती हैं जो सांगठनिक गतिविधियों पर सीधा प्रभाव डालती हों।

2. तदर्थ दृष्टिकोण :–

इस विधि में संलग्न महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं –

- इस विधि में विभिन्न विशिष्ट पर्यावरणीय तथ्यों का आकलन करने हेतु समय–समय पर विशिष्ट सर्वेक्षण एवं अध्ययन निष्पादित किये जाते हैं।
- किसी भी संगठन द्वारा किसी विशिष्ट परियोजनों के लिये अपनी विद्यमान रणनीति का मूल्यांकन करने के लिये अथवा नवीन रणनीति निर्माण के लिये इस प्रकार के अध्ययन एवं सर्वेक्षण आयोजित किये जाते हैं।

- परिवर्तन एवं अनेपक्षित विकास प्रक्रियाओं के संगठन पर प्रभाव की दृष्टि से अनुसंधानित किया जाता है।

3. संसाधित दृष्टिकोण :–

- संगठन द्वारा सामान्यतःविकसित या संसाधित सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है जैसे सरकारी संस्थाओं या निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें।
- संगठन द्वारा द्वितीयक समंकों का उपयोग भी किया जाता है जो कि आन्तरिक एवं बाह्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं।

संगठन सामान्यतः विभिन्न संयुक्त व्यवहारिक दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं जिससे सम्बन्धित पर्यावरण पर दृष्टि रखी जा सके। चाहे किसी भी विधि का उपयोग किया जाय पर्यावरणीय स्कैनिंग के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध होनी आवश्यक है।

22.6 पर्यावरणीय स्कैनिंग के सूचना स्रोत

किसी भी संगठन में पर्यावरण अध्ययन के लिये संगठनात्मक प्रबन्ध चाहे जो भी रहे परन्तु पर्यावरणीय स्कैनिंग के स्रोत समान ही रहते हैं। यह प्रमुख स्रोत निम्नवत् हैं –

अ) दैनिक समाचार पत्रः–

(iii) इकोनोमिक टाइम्स
(iv) बिजनस स्टैन्डर्ड
(v) फाइनेन्सियल एक्सप्रेस
(vi) टाइम्स ऑफ इंडिया
(vii) दि हिन्दू

ब) पत्रिकायें/जर्नलस :–

(i) बिजनस इंडिया
(ii) बिजनस वर्ल्ड
(iii) अपडेट
(iv) फारचून इंडिया
(v) संडे ऑब्सरवर
(vi) दि इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
(vii) मेन स्ट्रीम
(viii) इंडिया टुडे
(ix) कॉमर्स
(x) सेमीनार
(xi) हावर्ड बिजनस रिव्यू
(xii) स्लोन मैनेजमेंट जर्नल
(xiii) लौंग रेंज प्लानिंग जर्नल
(xiv) फॉरचून इन्टरनेशनल
(xv) फाइनेन्स एण्ड डेवलेपमेंट (विश्व बैंक प्रकाशन)
(xvi) इकोनोमिस्ट
(xvii) आई0एम0एफ0 वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक

स) सरकारी प्रकाशन :–

- सरकारी सूचना स्रोत जैसे भारतीय जनगणना प्रतिवेदन, पंचवर्षीय योजना प्रतिवेदन, भारतीय सांख्यिकीय सार आदि।
- आवधिक प्रतिवेदन जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, मंत्रालयों का वार्षिक प्रतिवेदन आदि।
- आकस्मिक प्रतिवेदन जो कि विभिन्न वैधानिक संस्थाओं द्वारा दिशा निर्देशों के रूप में औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में जो कि आयात निर्यात नीतियों और विशिष्ट उद्योगों से सम्बद्ध हो।
- अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकीय विभाग द्वारा भी विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में समय समय पर मूल्यवान जानकारी प्रकाशित की जाती है।
- सूचना मंत्रालय द्वारा संदर्भ हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाती है जिसमें भारतीय भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति का विस्तृत वर्णन होता है, इसकी राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं का विवरण तथा आर्थिक अर्थव्यवस्थाएवं संस्कृति सम्बन्धी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है।

द) संस्थागत प्रकाशन :–

- मुंबई स्कन्ध विपणि निर्देशिका
- भारतीय अर्थव्यवस्था का निरीक्षण केन्द्र
- Kolhare की भारतीय औद्योगिक निर्देशिका
- संचालन अनुसंधान केन्द्रों के रूप में संचालित विपणनअनुसंधान एजेंसियों द्वारा प्रकाशन
- व्यापार एवं उद्योगकी फेडरेशन FICCI, ASSOCHAMद्वारा प्रकाशन तथा औद्योगिक एसोसिएशन जैसे ATMAद्वारा
- वार्षिक कम्पनी प्रतिवेदन

य) औद्योगिक गुप्तचर एजेंसी :–

निजी एजेंसियां प्रतियोगी संस्थाओं की योजनाओं एवं क्रियाओं के विषय में सूचनायें एवं प्रतिवेदन प्रदान करती हैं रणनीतिक प्रबन्ध की दृष्टि से यह अनिवार्य है।

22.7 पर्यावरणीय स्कैनिंग एवं निगरानी विधियां/तकनीकें

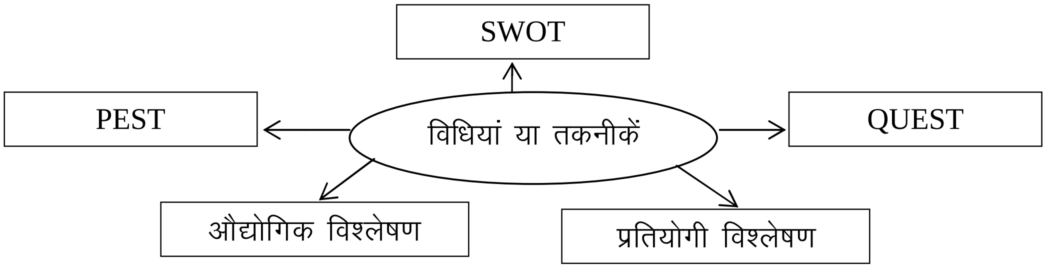

22.8 PESTEL विश्लेषण

PESTEL विश्लेषण के छः पर्यावरणीय तत्व निम्नलिखित हैं –

राजनीतिक तत्व :–

- कर नीति
- व्यापार विनियमन
- सरकारी स्थायित्व
- बेरोजगारी नीति आदि

आर्थिक तत्व :–

- स्फीति दर
- व्यय शक्ति का विकास
- पेंशन योग्य उम्र में जन दर
- मंदी या तेजी
- ग्राहकीय तरलता

सामाजिक–आर्थिक तत्व :–

- आयु वितरण
- शिक्षा स्तर
- आय स्तर
- उपभोक्तावाद
- जनसंख्या विकास
- जीवन सम्भावना
- व्यवसाय से समाज की अपेक्षा

तकनीकी तत्व :–

- इन्टरनेट
- ई0 कॉमर्स
- इलैक्ट्रोनिक मीडिया

पर्यावरणीय तत्व :–

- प्रतियोगी/प्रतिस्पर्धी लाभ

- अविशिष्ट निस्तारण
- शक्ति प्रयोग
- जनसंख्या निगरानी आदि

वैधानिक तत्व :–

- बेरोजगारी विधान
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- उत्पाद सुरक्षा
- विज्ञापन विनियमन
- उत्पाद लेबलिंग
- श्रम सन्नियम आदि

22.9 SWOT विश्लेषण

S – Strength (शक्ति)

W – Weakness (कमजोरी)

O – Opportunity (अवसर)

T – Threat (चुनौती)

व्यावसायिक नीति निर्माण की आधारशिला अवसरों एवं चुनौतियों को बाह्य पर्यावरण में चिन्हित कर संस्थान की शक्तियों एवं कमजोरियों का आकलन करना है। यह वह तत्व एवं बिन्दु हैं जो कार्य प्रक्रिया में संस्था का अस्तित्व एवं विकास निश्चित करते हैं।

22.10 SWOT का चित्रमय प्रदर्शन

	उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक	उद्देश्यों की प्राप्ति में अहितकर
आन्तरिक (संगठन के गुण)	शक्तियां	कमजोरियां
बाह्य (पर्यावरण की विशेषताएं)	अवसर	चुनौतियां

22.11 अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध सूचना तन्त्र का परिचय

सूचनायें किसी भी व्यवसाय के लिए जीवन रक्त एवं रणनीति संसाधन हैं जिनमें प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होते हैं। सूचनाओं का एकत्रण, भंडारण एवं उनकी विश्लेषण योग्यता समय पर उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। कार्यकारियों का 80% समय विभिन्न लक्ष्यों के निष्पादन के लिये सूचनाओं को प्राप्त करने, उनको संचारित करने एवं उनका प्रयोग करने में व्यतीत होता है। संस्थाओं की सभी

सांगठनिक गतिविधियां सूचनाओं पर निर्भर करती हैं। इनको एकत्र, विकसित एवं प्रबन्धकीय रूप से विकसित किया जाना चाहिये। कोई भी संस्था बिना सूचना तंत्र के विशिष्ट रूप से कार्य नहीं कर सकती है। ''एक सूचना तन्त्र, एक व्यक्ति, समंक एवं प्रक्रिया से है जो संयुक्त रूप से उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं।'' संस्था की सफलता मुख्यतः प्रभावी सूचना प्रबन्ध एवं उसके विस्तार पर निर्भर करती है।

किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के अस्तित्व एवं सफलता के लिये एक प्रभावी प्रबन्ध सूचना तन्त्र की क्रियाशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तन्त्र की अनिश्चितताओं की चपेट में आ जाती हैं जहां उन्हें अपनी गतिविधियां संचालित करनी होती हैं। अतः एक एकीकृत एवं प्रभावी प्रबन्ध सूचना तन्त्र किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिये अनिवार्य है। किसी भी संस्था में प्रबन्ध सूचना तन्त्र सूचनाओं को प्राप्त करता है, विश्लेषित करता है एवं उन सूचनाओं को प्रदान करता है जिससे उन्हें संगठनात्मक प्रबन्ध हेतु प्रयोग किया जा सके। सूचना तन्त्र का लक्ष्य एवं उद्देश्य सूचना तकनीक के प्रयोग के माध्यम से संगठन में संलग्न व्यक्तियोंकी कार्यक्षमता में सुधार करना होता है। कम्प्यूटरों की उत्पत्ति से पूर्व प्रबन्ध सूचना तन्त्र विभिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे लेखांकन, उत्पादन एवं विपणन से सम्बन्धित विभिन्न प्रतिवेदनों को तैयार करता था। इन सूचनाओं की विश्लेषण प्रक्रिया अत्यन्त शिथिल एवं लम्बी अवधि वाली थी। सूचनाओं के उत्पन्न होने से लेकर उनके प्रयोग तक एक वृहद् समय अन्तराल होता था। यहां पर सूचना के स्रोत एवं प्रयोगकर्ता के मध्य भौतिक दूरी के आधार पर यह समय अन्तराल कुछ घंटों से कुछ सप्ताह भी हो सकता था। प्रबन्ध सूचना तन्त्र की इस सीमा के रहते, सूचनाओं के मुख्य कार्यालय से ज्यादा बड़ी दूरी के भौतिक अन्तर के कारण सहायकों के स्वशासन की संभावना अधिक रहती थी। आज वर्तमान में सूचना तकनीक कम्प्यूटर्स एवं दूर संचार साधनों का प्रयोग करती है जिससे सूचनाओं की तात्कालिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है, इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि सूचना उपलब्धकर्ता एवं प्रयोगकर्ता के मध्य भौतिक दूरी कितनी है। नवीनतम प्रबन्ध संचार तन्त्र के माध्यम से समय से निर्णय क्षमता में ही सुधार नहीं हुआ वरन् दूरस्थ क्रियाओं को भी बेहतर ढंग से संचालित किया जाता है। इस क्षमता से विशेषकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लाभान्वित हुई है। सूचना तकनीक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दो प्रकार से प्रभावित करती है। प्रथम, यह भौगोलिक आधार पर बिखरी हुई क्रियाओं को वैश्वीकरण की क्रियाओं को सुगम बनाने की दृष्टि से संयुक्त एवं समन्वित करता है। द्वितीय, यह वैश्विक क्रियाओं को और अधिक लागत प्रभावी बनाने की दृष्टि से विभिन्न प्रथम संगठनों को संयुक्त और सहयोगी बनाने की तकनीक प्रदान करता है।

अतः प्रबन्ध सूचना प्रणाली का विश्लेषण किया जा सकता है।

1. प्रबन्ध :–

किसी भी संस्थान में प्रबन्ध नियोजन, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक क्रियायें करता है। सर्वोच्च प्रबन्ध नियोजन करता है; मध्यवर्गीय प्रबन्ध नियन्त्रण पर केन्द्रित रहता है; तथा निम्न प्रबन्ध का सम्बन्ध वास्तविक प्रशासन से होता है।

2. सूचना :–

प्रबन्धकीय सूचना तकनीक की दृष्टि से सूचना का अर्थ ऐसे प्रक्रिया या विश्लेषित समंकों से है जो प्रबन्ध को नियोजन, नियन्त्रण एवं संचालन में सहायक होते हैं। समंकों का अर्थ संचालन सम्बन्धी सभी तथ्यों से है। प्रक्रिया समंकों का अर्थ अभिलेखित, संकलित, तुलनात्मक एवं अन्तिम रूप से प्रबन्ध के समक्ष प्रबन्ध सूचना तन्त्र प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुतिकरण से है।

3. व्यवस्थातन्त्र :–

समंकों को जिस प्रक्रियान्तर्गत सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है उसे तन्त्र कहते हैं। प्राप्त समंक, प्रक्रिया, उत्पादन एवं प्रतिक्रिया आदि का संयुक्त स्वरूप तन्त्र कहलाता है।

अतः प्रबन्ध सूचना तन्त्र का आशय समंकों की उस प्रक्रिया से है जो प्रबन्ध तन्त्र को अपने कार्य संचालन को उचित रूप से करने के लिए प्रदान की जाती है।

22.12 परिभाषा

''एक ऐसी एकीकृत मशीनी प्रयोग तन्त्र जिसके माध्यम से सूचनायें प्रदान की जाती है जो किसी भी संगठन को संचालन, प्रबन्ध, निर्णयन प्रक्रिया आदि क्रियाओं में सहायक होती है। एक तन्त्र जिसको मानव प्रक्रिया एवं कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया, विश्लेषण मॉडल आदि के माध्यम से नियोजन, नियन्त्रण एवं निर्णयन प्रक्रिया में समंकों के आधार पर प्रयोग किया जाता है।''

22.13 प्रबन्ध सूचना प्रणाली की विशेषतायें

एक सामान्य प्रबन्ध सूचना तन्त्र में अनेकों विशेषतायें होती हैं जिनमें प्रमुखतः निम्न सम्मिलित हैं –

1. स्थायी एवं प्रमापित सूचना सहित प्रतिवेदन :–

उदाहरण के लिये स्कन्ध नियन्त्रण के निर्धारित प्रतिवेदन में इस प्रकार की सूचनाएं नियत स्थान पर उपलब्ध रहती हैं।

2. सूचनाओं को सेविवर्गीय सूचना तन्त्र, सूचना विश्लेषणक एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर के माध्यम से विकसित कर प्रतिवेदन :–

विशिष्ट विश्लेषक एवं प्रोग्रामर प्रबन्ध सूचना तन्त्र के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार करने में एवं सूचनायएं विकसित करने में संलग्न रहते हैं। सूचनाओं के प्रयोगकर्ता विशिष्ट प्रकार से कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से सूचनायें विकसित करने में संलग्न नहीं रहते वरन् प्रतिवेदन संरचना में संलग्न रहते हैं।

3. प्रयोगकर्ता द्वारा औपचारिक निवेदन की आवश्यकता :–

यह सूचना तन्त्र क्योंकि विशिष्ट कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध सूचना प्रतिवेदन के रूप में विकसित किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में प्रबन्ध सूचना विभाग को ऐसे प्रतिवेदन हेतु सामान्यतः औपचारिक रूप से आवेदन किया जाना होता है।

4. निर्धारित एवं मांग प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण :–

प्रबन्ध सूचना तन्त्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमुख प्रतिवेदन सामान्यतः निर्धारित एवं मांग आधारित होते हैं।

5. बाह्य समंक संस्था द्वारा एकत्र नहीं किये जाते वरन् प्रबन्ध सूचना तन्त्र द्वारा प्रयोग किये जाते हैं (जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता एवं प्रतियोगी सम्बन्धी सूचनायें)।

22.14 प्रबन्ध सूचना प्रणाली की पिरामिड संरचना

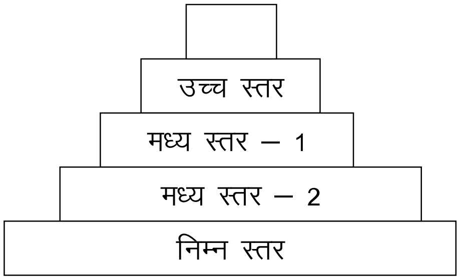

22.15 कम्प्यूटर आधारित सूचना तन्त्र

वर्तमान व्यवसाय में कम्प्यूटर आधारित सूचना तन्त्र एक विशिष्ट एवं व्यापक भूमिका का निर्वाह करता है। कम्प्यूटर आधारित सूचना तन्त्र के माध्यम से संगठन द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लाभों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है – (1) दक्षता प्राप्ति; (2) प्रभावशीलता प्राप्ति; एवं (3) प्रतियोगी लाभ।

दक्षता का सम्बन्ध विद्यमान अथवा अल्प संसाधनों में बेहतर कार्य करने से है। कम्प्यूटर आधारित सूचना तन्त्र के माध्यम से स्वचालित व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्यस्थल अथवा कारखाने में क्रियाओं में प्रभावशीलता प्राप्त की जा सकती है। प्रभावशीलता प्राप्ति का अर्थ उचित प्रकार क्रियाओं के निष्पादन के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। कम्प्यूटर सूचना तंत्र के आधार पर न केवल आन्तरिक वरन् बाह्य संचार व्यवस्था भी प्रभावी एवं सुदृढ़ होती है तथा प्रबन्धकीय निर्णयन क्षमता बेहतर एवं प्रभावी हो जाती है। प्रतियोगी लाभों के लिये संगठन को प्रतियोगी संगठनों के सम्बन्ध में सूचनायें दूरगामी लाभ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। कम्प्यूटर सूचना तंत्र के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न लागत की वस्तुओं को बाजार स्थल पर प्रस्तुत कर प्रतियोगियों की तुलना में श्रेष्ठता बनायी जा सकती है, नवोन्मेषित सेवाओं अथवा उत्पादन के आधार पर बाजार में संगठन को स्थापित किया जा सकता है। किसी भी संयत्र का उपयोग निर्भरता उत्पन्न करता है और कम्प्यूटरों का प्रयोग पहले से ही मानव द्वारा बहुतायत में किया जा रहा है। इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट में कुल विनियोजित पूंजी का लगभग आधा सूचना तकनीक में विनियोग किया जाता है। अतः सूचना तकनीक का विनियोग एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि सूचना तकनीक के तीव्र विकास के कारण, शिथिलता, अयोग्य सांगठनिक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने का जोखिम संलग्न रहता है।

22.16 सूचना वास्तु या तकनीक

1980 के अन्त में परिवर्तन के तीव्र दौर में सूचना तकनीक के माध्यम से प्रभावी ढंग से समाधान ढूंढने के प्रयास हुए तथा सूचना वास्तु का प्रयोग हुआ तथा परिवर्तित तकनीक के माध्यम से सांगठनिक वर्तमान या भविष्य की संरचना

को दोषमुक्त करने की आवश्यकताओं हेतु संरचना निर्मित की जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यद्यपि सूचना वास्तु को भूतकाल की त्रुटियों से भी अक्सर निबटना पड़ा। सूचना प्रणाली अव्यवस्थित ढंग से विकसित हुई। सूचना प्रणाली के निर्माण में हम बाह्य सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन यदि हम आन्तरिक व्यवस्थाओं को वर्तमान सन्दर्भ में परिवर्तित एवं परिमार्जित नहीं करते (सूचना की आवश्यकता) तो सूचना प्रणाली की उपयुक्तता का और कोई विकल्प नहीं है। निम्न प्रदर्शित आंकड़े सूचना वास्तु का एक नमूना हैं। यह सूचना तकनीक के संविभाग विकसित करने (विभिन्न प्रयोग तन्त्र जो कि क्रय आदेश लेखे से शोध एवं अनुसंधान नियोजन तक हैं) तथा सूचना एकत्रीकरण ही नहीं आंकड़े एकत्रीकरण से सम्बद्ध संरचना विकसित करने पर आधारित है। इसके अतिरिक्त उक्त मॉडल सूचना प्रणाली से सम्बद्ध चार प्रयोगात्मक संविभागों पर भी बल देता है –

1. संस्थागत संविभाग :–

सूचना प्रणाली व्यावसायिक क्रियाओं के संग्रहण एवं प्रतिवेदन को निर्देशित करती है। उदाहरणार्थ इसमें व्यवहार प्रक्रिया प्रणाली जैसे भुगतान रजिस्टर, आदेश लेखा, क्रय, उत्पादन अनुसूचीयन एवं सूचना प्रणाली लेखा सम्मिलित हैं।

2. पेशेवर सहायक संविभाग :–

सूचना प्रणाली द्वारा प्रबन्धकीय समस्याओं का हल किया जाना एवं निर्णयन, प्रतियोगी ज्ञान एवं कर्मचारी उत्पादकता को निर्देशित किया जाता है। उदाहरणार्थ समीक्षात्मक सफलता तत्व प्रतिवेदन प्रणाली, निर्णयन सहयोग प्रणाली विशेषज्ञ प्रणाली एवं प्रपत्र तैयार करने सम्बन्धी तन्त्र, कम्प्यूटर आधारित संदेश, इलैक्ट्रोनिक सभायें एवं कार्य समूह गणनायें इसमें सम्मिलित हैं।

3. शारीरिक स्वचालन संविभाग :–

सूचना प्रणाली न केवल कारखाना स्थल पर वरन् कार्यालय में भी मानव शक्ति को सूचना तकनीक में परिवर्तित करने को निर्देशित करती है। इसके उदाहरण में कम्प्यूटर आधारित संरचना एवं इन्जीनियरिंग, कम्प्यूटर गणना क्षमता, स्वचालित प्रतिक्रिया इकाई एवं कार्य प्रवाह स्वचालन सम्मिलित हैं।

4. बाह्य संविभाग :–

सूचना प्रणाली प्रयोग संगठन (फर्म) को पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों या अन्य फर्मों से रणनीति आधारित गठजोड़ के लिये किया जाता है। इसके उदाहरणों में ERP, SCM, EDI एवं आन्तरिक संगठन प्रणाली सम्मिलित हैं।

संचार
आंकड़े
बाह्य संविभाग
शारीरिक संविभाग
पेशेवर संविभाग
औद्योगिक संविभाग

S T R U C T U R E

सूचना वास्तु का मॉडल

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त मॉडल को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रबन्ध के प्रत्येक स्तर पर सूचनायें आवश्यक हैं, एक संरचना या वास्तु निर्माण के लिये किसी विशिष्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अथवा केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत संरचना की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह विकल्प संभावित सूचना तकनीक संरचना के लिये रहते हैं, जिनके आधार पर विशेषज्ञ संगठन की परिस्थिति अनुसारविशिष्ट संरचना का सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जबकि ERP, SCM एवं EDI की विशिष्ट भूमिका के कारण इनकी सहायता से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी क्रियाओं को विश्व भर में संचालित करती हैं।

(अ) पूर्ति श्रृंखला प्रबन्ध :–

पूर्ति श्रृंखला प्रबन्ध को किसी कम्पनी की कच्चे उत्पाद की उत्पादन निर्माण के लिए आवश्यकता या सेवाओं का निस्तारण करने के लिए विधियों का चयन एवं उस उत्पाद निर्माण को एवं सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के क्रम में परिभाषित किया जा सकता है। बेहतर पूर्ति श्रृंखला प्रबन्ध के लिये अधिकांश कम्पनियां पांच निम्न मूलभूत कदम लागू करती है –

1. नियोजन/योजना :–

ग्राहकों की मांग के अनुसार उत्पाद या सेवाओं के लिए सभी संसाधनों को नियोजित करने के लिए योजना निर्माण करना।

2. स्रोत :–

उन पूर्तिकर्ताओं का चयन करना जो आवश्यक तत्वों जैसे सामग्री, भाग या सेवाओं को प्रदान करेंगे। मूल्य, पूर्ति एवं भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्तिकर्ताओं के साथ एक समूह का निर्माण करना जिससे उनके साथ सम्बन्ध सुधार हो सकें।

3. निर्माण :–

उत्पादन, परीक्षण, पैकेजिंग एवं माल और सेवाओं के वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक क्रियाओं को निर्धारित करना।

4. वितरण :–

ग्राहकों को आदेश वितरण की प्राप्ति का समन्वय, भण्डारण का नेटवर्क विकसित करना, ग्राहकों को उत्पाद वितरण के लिए माध्यम का चयन करना एवं भुगतान प्राप्ति के लिए चालान प्रक्रिया की व्यवस्था निर्धारित करना।

5. वापसी :–

जिन ग्राहकों को प्राप्त माल से कोई समस्या है, दोषपूर्ण एवं आधिक्य माल जो ग्राहकों को वितरित किया गया है कि वापसी के लिए नेटवर्क का निर्माण किया जाना।

उदाहरणार्थ वाल–मार्ट ने विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखला प्रबन्ध व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के माध्यम से वाल–मार्ट के प्रत्येक स्टोर में उनके सभी उत्पादों की रहतिया स्थिति का सम्पूर्ण ज्ञान उनके प्रमुख पूर्तिकर्ताओं द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है।

(ब) उद्यम संसाधन नियोजनः–

उद्यम संसाधन नियोजन का मूल उद्देश्य कम्पनी सम्बन्धी सभी विभागों की क्रियाओं एवं कार्यों को कम्प्यूटर के माध्यम से एकीकृत करना है जिससे सभी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उदाहरण के लिए एक अकेला

सॉफ्टवेयर कार्यक्रम जो कि वित्तीय विभाग के साथ मानव संसाधन विभाग एवं भण्डारण की क्रियाओं में लगे कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। उद्यम संसाधन नियोजन के माध्यम से एक ऐसा एकीकृत कार्यक्रम उद्यम के व्यापक आंकड़ों से सम्बन्धित बनाया जाता है जिसके माध्यम से विभिन्न विभाग आपस में सूचनाओं का सम्प्रेषण सरलता से कर पारस्परिक सहयोग निर्मित कर सकें। उद्यम संसाधन नियोजन सॉफ्टवेयर को व्यावसायिक प्रक्रिया में स्वीकृत करने से संगठन स्तर पर सभी क्रियाओं को व्यापक रूप से एकीकृत किया जाता है। प्रत्येक विभाग की अपनी विशिष्ट कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था होती है जो कि विभागीय क्रियाओं के संचालनों को अनुकूल बनाती है। उदाहरण के लिये जनरल मोटर्स द्वारा अपने विश्वव्यापी कार्यों के संचालन के साथ पूर्तिकर्ताओं एवं डीलरों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिये उद्यम संसाधन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से दैनिक एवं प्रतिपल की विस्तृत सूचनायें कम्पनी प्राप्त करती है।

(स) इलैक्ट्रोनिक आंकड़ों का परस्पर विनिमय :–

EDI आंकड़ों, प्रपत्रों एवं सूचनाओं को प्रमापित रूप में स्वचालित व्यवस्था के आधीन कम्प्यूटर के माध्यम से एक संस्था से दूरी संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जाता है। EDI की जड़ें काफी समय पूर्व शान्ति युद्ध के समय से जुड़ी हैं। 1948 में सोवियत यूनियन द्वारा जर्मनी तथा बर्लिन के कुछ भाग जो कि यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड एवं फ्रांस द्वारा नियंत्रित थे से व्यवहार 1 वर्ष के लिये बन्द कर दिया गया। इस संक्रमण एवं विपत्ति काल से निबटने के लिए अमेरिकन आर्मी के मास्टर सार्जेंट एडवर्ड ए0 गिलबर्ट एवं अन्य अधिकारियों द्वारा एक प्रत्यक्ष व्यवस्था विकसित की गयी जिसके माध्यम से सूचनायें टैलेक्स, रेडियो–टेलीटाइप एवं दूरभाष के माध्मय से संचारित हो सकें। 1968 तक औद्योगिक पारस्परिक मानक निर्मित करने के उद्देश्य से ट्रक, एअरलाइन्स एवं समुद्री शिपिंग यातायात कम्पनियां प्रत्यक्ष रूप से इलैक्ट्रोनिक साधनों का प्रयोग करती थी तथा यातायात समंक समन्वय समिति को समस्त समंक हस्तान्तरित करती थीं, इस समिति द्वारा अपनी प्रथम EDI मानकों का प्रकाशन किया गया। EDI द्वारा मिलने वाले विस्तृत लाभों को देखते हुए व्यापार व्यवहार में भी विभिन्न व्यापारिक सहयोगियों द्वारा भी इसको प्रमुखता से प्रयोग किया जाने लगा। EDI के प्रमुख लाभ निम्न हैं –

1. उच्च प्रक्रिया गति, अल्प समय एवं उच्च कार्यक्षमता।
2. पुनः लेखे एवं प्रतिलिपि की अल्पता, त्रुटियों का कम होना एवं उच्च एवं अधिकतम शुद्धता।
3. इलैक्ट्रोनिक हस्तान्तरण एवं लेनदेनों के अभिलेख रखने के लिए न्यूनतम कागज का उपयोग।

EDI के लिये स्वचालित उद्योग सर्वश्रेष्ठ है। आदेशों की प्रक्रिया में तुलनात्मक रूप से कम समय लगना, ऑटोमेटिव पार्ट्स में समय प्रबन्धन के कारण EDI के माध्यम से लागतों में भी कमी आयी। इसी प्रकार यातायात उद्योग ने भी निरन्तर मार्ग एवं ग्राहक अभिलेखों के विनिमय के कारण EDI को अंगीकार किया।

22.17 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में सूचना तन्त्र के कार्य

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने सूचना तन्त्र कार्यों के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करती हैं। कुछ केन्द्रीकृत, कुछ विकेन्द्रीकृत तथा कुछ वितरित का प्रयोग करती हैं। कुछ एकीकृत भी होती हैं परन्तु सामान्यतः नहीं। आन्तरिक सूचना तन्त्र के अनेकों वर्गीकरण होते हैं। निम्नलिखित प्रारम्भिक लाभ प्रदान करने वाले वर्गीकरण हैं –

1. बहुराष्ट्रीय सूचना तन्त्र :–

प्रत्येक राष्ट्र राज्य स्तर पर कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिये यह अधिक प्रचलित मॉडल है जिसके माध्यम से स्वायत्तशासी समंक प्रक्रिया केन्द्र अनिवार्यतः विकसित किये जाते हैं। इस मॉडल के माध्यम में समंक, प्रयोग एवं संचालन में अतिरेक एवं दोहराव की समस्या रहती है। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति के अनुरूप (विनियमन, भाषागत समस्यायें, सुविधाओं की समस्या आदि) सरलतम समाधान प्रस्तुत करता है। जिससे प्रत्येक देश में व्यवसाय संचालन में स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना तन्त्र :–

इस मॉडल में एक से अधिक देशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर नेटवर्क विकसित किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार लेनदेनों की प्रक्रिया को सम्पूर्ण करता है। यह मॉडल प्रमुख रूप से इन्टरनेट पर आधारित है जिसके माध्यम से समंक हस्तान्तरण किया जाता है।

3. वैश्विक सूचना तन्त्र :–

यह अपेक्षाकृत एक नया मॉडल है जो कि सिद्धान्ततः समंकों के एकीकरण पर आधारित है। इस मॉडल की स्थापना से विभिन्न देशों में स्थित उत्पादक क्रियाओं के संचालन कच्चा माल एवं तैयार माल से सम्बद्ध संचालनीय शक्तियों को समयबद्ध आधार पर समन्वित किया जाता है।

22.18 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना तन्त्र के मुद्दे

सूचना तकनीक एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है जिसके माध्मय से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम पोषित एवं विकसित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सूचना तन्त्र मुद्दों को आन्तरिक निगमित, आन्तरिक सरकारी, सम्बन्धित सरकार एवं अन्य प्रतिक्रियावादी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना तंत्रीय मुद्दों में विभाजित किया जा सकता है।

(अ) अन्तः निगमित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे :–

अन्तः निगमित संवाद निगमित इकाई (एवं इसके सूचना तन्त्र के कार्य)एवं उसके सीमा पार सहायकों (एवं उनके सूचना तंत्र के कार्य) जो इस श्रेणी में आते हों, के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में दो सूचना तंत्रीय मुद्दे हैं : (1) जो केवल सूचना तन्त्र सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में हों एवं (2) जो प्रतियोगी रणनीति तैयार करने में सूचना तन्त्रकी भूमिका के सम्बन्ध में हों। वह मुद्दे जो केवल सूचना तंत्र सम्बन्धी क्रियाओं से सम्बद्ध होते हैं वह निगमित इकाई एवं इसके सूचना तंत्रीय कार्यों की इसकी सीमा पार सहायकों से पारस्परिक समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। यह पारस्परिक सम्बन्ध तीन प्रकार का होता है –

1. संगठनात्मक सम्पर्क योजना सहायकों की सूचना तन्त्र संगठन संरचना को सम्बोधित होनी चाहिये, यह उनकी नियन्त्रण व्यवस्था एवं प्रतिवेदन प्रक्रिया

और निगमित संस्था की सम्पूर्ण सूचना तन्त्र सहभागिता से सम्बद्ध होती है। इस संगठन सम्पर्क योजना में कम्पनी स्तरीय चर एवं सहायक स्तरीय विशिष्ट चरों को सम्पर्क योजना निर्माण में दृष्टिगत रखा जाना चाहिये। प्रथमतः सम्पूर्ण संगठन संरचना एवं संगठनात्मक रणनीति तथा बाद में सहायकों पर सूचनाओं की निर्भरता, इसकी महत्ता, इसका स्वामित्व आदि को सम्मिलित करना चाहिये।

2. वास्तु सम्बन्धी सम्पर्क योजना संवाद एकीकरणके मुद्दों को सम्बोधित होनी चाहिए इसके साथ समंक एकीकरण, प्रयोग पोर्टफोलियों एवं हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर मंच भी सम्मिलित हैं। संयोजकता का ऐच्छिक स्तर क्या है? एक सर्वस्वीकार्य मानक संहिता (संहिता का संजातीय विषयक वर्गीकरण) क्या है? इन्टरनेट इन सबको प्रभावित करता है।

3. कर्मचारी सम्पर्क योजना चयन, स्टाफिंग, मूल्यांकन एवं सहायक संस्था में सूचनातंत्र कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से सम्बद्ध होना चाहिए। स्थानीय कर्मचारियों का सम्मिश्रण क्या होना चाहिए, जो स्थानीय भाषा, संस्कृति एवं राजनीतिक परिस्थितियों का संज्ञान रखते हो एवं प्रवासी कर्मचारी जो कि फर्म को व्यापक प्रभुत्व दें स्थानीय उद्देश्य के स्थान पर।

सूचना तंत्र की सहायक प्रतियोगी रणनीति उद्योग स्तरीय तत्वों के साथ राष्ट्र–स्तरीय तत्वों से भी प्रभावित होती है यह मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनी उसी उद्योग तथा उसी देश में क्रियाएं संचालित करती है तो संसाधनों के प्रतियोगी लाभ (कम श्रम दर, कच्चा माल आदि एक देश से दूसरे देश में) प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरी ओर, यही बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपनी क्रियायें दूसरे देश में संचालित करती हैं सूचना तंत्र कार्यो का केन्द्र बिन्दु संसाधनों के प्रतियोगी लाभों को प्राप्त करने का प्रयास होता है।

(ब) अन्तः सरकारी सूचना तंत्रीय मुद्दे :–

सूचना तंत्र क्रियाओं एवं सरकारी इकाईयों के मध्य संवाद या तो तकनीकी मुद्दों पर होता है अथवा वैधानिक सम्बन्ध में। मानक निर्धारण संस्थाओं के प्रतिभाग से अनेकों लाभ प्रयोग में प्राप्त होते हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। यद्यपि इन लाभों में सर्वाधिक लाभ खुली मानक व्यवस्था में संचालकों को प्राप्त होता है जिसका सीधा प्रभाव सूचनातंत्रीय संरचना पर होता है और मानक एवं तकनीक संस्थान के मूल्यांकन में अपना स्पष्ट प्रभाव रखते हैं। जबकि स्पष्ट रूप से विकसित होते अन्तर्राष्ट्रीय मानक सूचना तंत्रीय क्रियाओं के लिये अतिमहत्वपूर्ण हैं यह वैश्विक संस्थाओं को सूचनाएं हस्तान्तरित करने के लिए भी आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि दूर संचार एवं सूचना तंत्रीय मुद्दे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रायोजित वार्ताओं के सम्बन्ध में भी यह प्रमुख है। वैश्विक संचार में उदारीकरण विशेषतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये अत्यन्त लाभप्रद हैं।

(स) स्थानीय सरकार के सूचनातंत्रीय मुद्दे :–

सूचना तंत्रीय क्रियाओं एवं स्थानीय सरकार से निर्गत मुद्दे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सूचना तकनीक के विस्तार से सम्बद्ध स्थानीय सरकार की प्रतिक्रिया आधारित होते हैं। इन मुद्दों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : (1) राजनीतिक (2) आर्थिक (3) तकनीकी एवं (4) सामाजिक सांस्कृतिक।

1. राजनीतिक मुद्देकिसी भी देश के संसाधनों, सूचना संसाधनों सहित इसकी प्रभुसत्ता एवं स्वामित्व से सम्बन्धित होते हैं। सूचना तकनीक, उपग्रह संचार के रूप में, उदाहरण के लिये सूचना अप्रभावशीलता पर राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करता है। समान रूप से, यह भय रहता है कि विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मुख्य कार्यालय द्वारा सूचना तंत्र का सीमा पार सूचना प्रवाह एवं व्यावहारिक संचालन, कारखानों आदि का संचालन कम विकसित देशों के लिए अवरोध उत्पन्न करेगा।
2. आर्थिक मुद्दे सूचना तंत्र की प्रतिबंधित नीतियों के प्रति भय अनुभव करते हैं कि सूचना तंत्र के उपयोग से कर्मचारियों में बेरोजगारी फैल सकती है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी सूचनातंत्रीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा स्थानीय देश में आउट सोर्सिंग एवं श्रेष्ठ नीतियों के विस्तार को प्रतिबन्धित करने को बाध्य करते हैं।
3. तकनीकी मुद्दे स्थानीय सरकार की सूचना तंत्रीय नीति, संचार सुविधाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क से सम्बन्धित होते हैं। स्थानीय सरकार सूचना तंत्र में विशिष्ट रूचि रखती है कि किस माध्यम से तकनीक हस्तान्तरण किया जाता है।
4. सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दों में स्थानीय सरकार व्यक्तिगत आवश्यकताओं बनाम सामाजिक आवश्यकताओं की सुरक्षा हेतु सजग रहती है। जबकि इन दोनों में सन्तुलन स्थापित करने के वैश्विक स्तर पर कोई मानक नहीं हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं एवं संचालित व्यवहारों के सम्बन्ध में समूहों एवं समाज के लिए की जाने वाली विपरीत क्रियाओं के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार सजगता से कार्य करती है।

(द) प्रतिक्रियावादी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे :–

बहुधा सूचना तंत्र सम्बन्धी आर्थिक राष्ट्रीय नीतियां अन्य देशों की इस प्रकार की नीतियों के परिवर्तनों के आधार पर निर्मित होती है। यह नीतियां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सूचना तंत्रीय कार्यों पर स्थायी प्रभाव रखती है। जैसा कि राष्ट्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रशासन (एनटीआईए) द्वारा चिन्हित किया गया है, ''विभिन्न नीतिगत निर्णयों सीधे लाभान्वित या पीड़ित, निजी संस्थाएं सरकारी निर्णयों से प्रभावित होकर प्रमुख रूप से दांव पर रहती हैं।'' दूरसंचार सेवाओं एवं उपकरण सम्बन्धी यूरोपीय नीतियांएवं मानक जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन को उपविभाजित एवं प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ यू0एस0 सरकार द्वारा लिये गये सम्बन्धित त्वरित निर्णय।

सूचना तन्त्र से सम्बन्धित उपरोक्त चारों बिन्दुओं के अतिरिक्त सरकारों के मध्य आन्तरिक संवाद तथा सरकार तथा सरकार द्वारा गठित विभिन्न संस्थाओं के मध्य विचार या संवाद भी होता है। यह सभी संवाद या विचार प्राथमिक रूप से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय रूप से अनुवादित होते हैं जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सूचना तंत्र को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले विभिन्न बिन्दुओं से सम्बद्ध होते हैं। उदाहरण के लिये उत्तरी अमेरिका स्वतंत्र व्यापार समझौता (NAFTA) मेंकम्प्यूटर एवं दूरसंचार सेवाओं से सम्बन्धित समझौता भी था जिससे गैर भेदभाव पूर्ण विधि द्वारा पहुंच संभव हो, वर्तमान अधिकार तक पहुंच बनी रहे

गैर प्रतियोगितात्मक सीमा एवं समंकों के भंडारण तक सभी प्रावधानों के माध्यम से पहुंच स्थिर की जा सके।

22.19 सारांश

पर्यावरणीय स्कैनिंग का प्रयोग अत्यन्त व्यापक स्तर पर सामान्यतः पर्यावरणीय योजनाओं के लिये किया जाता है। इसके अन्तर्गत कम्पनी अथवा संस्था से सम्बन्धित सभी क्रिया– कलापों जो कि अत्यन्त प्रभावी हो निर्धारित समय में प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों की घटक क्षमता के आधार पर बिना किसी निर्धारित सूत्र के नियोजन किया जाता है। व्यावसायिक नीतियों एवं रणनीतियों पर ग्राहकों के रूचि परिवर्तन, पूर्तिकर्ताओं की स्थिति, सरकारी नीतियां एवं विधान, राजनीतिक परिस्थितियां, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि का व्यापक प्रभाव होता है। अतः व्यवसाय पर्यावरण की स्कैनिंग उच्च प्रबन्ध की दृष्टि से एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है। एक बार जब संगठन का लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं अगले कदम के रूप में प्रबन्ध द्वारा संगठन में संचालित पर्यावरण को स्कैन करने का कार्य किया जाता है। उच्च प्रबन्ध द्वारा निगमित रणनीति का निर्माण एवं व्यावसायिक उद्देश्यों का चिन्हीकरण भी पर्यावरणीय अवसरों एवं चुनौतियों के आधार पर किया जाता है।

तकनीकी परिवर्तन एवं नवोन्मेष हमारे जीवन एवं व्यावसायिक क्रियाओं को सर्वागीण रूप से प्रभावित करते हें। वर्तमान सांगठनिक ढांचे को अल्प समय में जितना प्रभावित कम्प्यूटर्स एवं दूरसंचार ने किया है उतना प्रभावित अन्य किसी तकनीकी परिवर्तन ने नहीं किया है। अपार मात्राओं में सूचनाओं को प्राप्त करना, भेजना, प्रक्रियागत कार्य एवं अन्य प्रकार प्रतिबन्धित करने की योग्यता के विकास ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपनी विदेशी सहयोगी संस्थाओं पर निकटता से नियन्त्रण स्थापित करने में सक्षम बनाया है। सूचना तंत्र प्रबन्ध का प्रयोग न केवल आंतरिक संचालन में व्यापकता लाता है वरन् प्रतियोगितात्मक लाभों को प्राप्त करने के अवसर भी उपलब्ध कराता है। परिस्थितिजन्य सूचना विनिमय के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन में वैश्विक भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं तथा सहायक संस्थाओं की पारस्परिक निकटता में भी वृद्धि हुई है। सूचना तंत्र ने केन्द्रीयकरण की बाधाओं को कम किया है तथा विकेन्द्रीयकरण के अवसर उत्पन्न किये हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनी के मुख्य कार्यालय एवं उनकी सहायक संस्थाओं के मध्य सूचनाओं का निरन्तर प्रवाह उन्हें स्थानीय रूप से कार्य करने के लिए और सशक्त बनाता है और साथ ही मुख्य कार्यालय को वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण एवं रणनीति निर्माण के लिये भी सक्षम बनाता है।

22.20 शब्दावली

पर्यावरणीय स्कैनिंगः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन व्यवसाय को प्रभावित करने वाले सम्बन्धित पर्यावरणीय तत्वों को चिन्हित कर अवसर एवं चुनौतियों की विवेचना करता है।

22.21 बोध प्रश्न

1. भारतीय जनगणना प्रतिवेदन, पंचवर्षीय योजना प्रतिवेदन, भारतीय सांख्यिकीय सार आदि स्रोत ....के अंतर्गत आते है ।

2. सूचनाओं का एकत्रण, भंडारण एवं उनकी विश्लेषण योग्यता समय पर ....के लिए आवश्यक है।

22.22 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सरकारी सूचना स्रोत, 2. उचित निर्णय

22.23 स्वपरख प्रश्न

1. पर्यावरणीय स्कैनिंग को परिभाषित कीजिये। प्रबन्धकों के लिये पर्यावरणीय स्कैनिंग क्यों आवश्यक है?
2. पर्यावरणीय स्कैनिंग के संदर्भ में कौन से तत्व संलग्न होते हैं?
3. पर्यावरणीय स्कैनिंग की विधियां बताइये।
4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रबन्ध कठिन क्यों हैं?
5. स्थानीय संस्थाओं की तुलना में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सूचना आवश्यकतायें पृथक क्यों हैं?
6. बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विभिन्न सूचना तंत्र प्रयोग करती हैं? इन विभिन्नताओं का कारण स्पष्ट कीजिए।
7. पूर्ति श्रृंखला प्रबन्ध क्या है? बहुराष्ट्रीय कम्पनियां को इनसे क्या लाभ हैं?
8. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन में इन्टरनेट की क्या भूमिका है?
9. संगठन संसाधन नियोजन क्या है? बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इससे कैसे लाभान्वित होती हैं?

22.24 संदर्भ पुस्तकें

1. Suresh Bedi – Business Environment (Excel Books, 1st Edition)
2. Francis Cherunilam – Business Environment, Text and Cases (Himalaya Publishing House, 8th Edition)
3. Crowe, T., & Avison, D.E. 1982, Management Information from Databases, London Macmillan.
4. Kumar, H. 1989, Management Information Systems: A conceptual and Empirical Approach, New Delhi : Ashish Publishing House.
5. Lucas, H.C., Jr. 1978, Information Systems Concepts for Management, New York, NY: McGraw - Hill.

इकाई–23 अन्तर्राष्ट्रीय संचालन के सांगठनिक एवं नियंत्रणीय तत्व

इकाई की रूपरेखा

23.1 प्रस्तावना
23.2 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संरचना की प्रकृति
23.3 वैश्विक संगठन संरचना
23.4 वैश्विक संगठन संरचना सम्बन्धी बिन्दु
23.5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रणीय तत्व
23.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण कार्यों का प्रबन्ध
23.7 आवश्यक नियंत्रण तकनीकें
23.8 अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के व्यवहारिक तत्व
23.9 नियंत्रण प्रतिरोधों के उपचार
23.10 अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सांस्कृतिक तत्व
23.11 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अतिरिक्त नियन्त्रण समस्यायें
23.12 सारांश
23.13 शब्दावली
23.14 बोध प्रश्न
23.15 बोध प्रश्नों के उत्तर
23.16 स्वपरख प्रश्न
23.17 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संरचना की परिभाषा एवं प्रकृति तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की प्राथमिक क्रियाओं के संगठन संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कर सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संरचना के पांच आधुनिकतम प्रारूपों तथा वैश्विक प्रारूप का वर्णन कर सकें।
- वैश्विक संगठन प्रारूप से सम्बन्धित बिन्दुओं की चर्चा कर सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा नियंत्रण कार्यों का प्रबन्ध कैसे किया जाता है, का वर्णन कर सकें।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिये निर्यात के अतिरिक्त अन्य विधियों की आवश्यकता कम्पनी को क्यों होती है, की व्याख्या कर सकें।
- कम्पनियां क्यों और कैसे विदेशी सीधे निवेश करती हैं, की व्याख्या कर सकें।
- विविध सहयोगी व्यवस्थाओं को कम्पनी द्वारा कैसे प्रतिबन्धित किया जाता है, का वर्णन कर सकें।

23.1 प्रस्तावना

एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को इस रूप में तभी स्वीकृति प्राप्त होती है जब वित्तीय नियमन के आधीन वह निम्न शर्तों को पूरा करे –

- वह अन्तर्राष्ट्रीय हो;
- वह एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन हो; एवं
- वह सरकारों की आन्तरिक सहमति समझौते के आधीन हो।

एक संगठन वैश्विक जनादेश के साथ सामान्यतः राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अंशदान द्वारा कोष प्रदत्त हो। संगठन प्रारूप को संगठन संरचना के रूप में भी जाना जाता है। सम्पूर्ण संगठन के प्रबन्ध में संगठनात्मक तत्वों एवं विन्यासों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिये रेड क्रॉस की समिति को सम्मिलित किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्रजन संगठन एवं यूनाइटेड नेशन्स एजेन्सियों को भी आई ओ कहा जाता है।

23.2 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संरचना की प्रकृति

1. कोई भी फर्म अपनी संरचना के आधार पर संगठनात्मक संसाधनों को चिन्हित करती है, कर्मचारियों के लिये लक्ष्य निर्धारण करती है, सम्बन्धित कर्मचारियों को संस्था से सम्बद्ध नियमों एवं प्रक्रिया के विषय में बताती है इसके अतिरिक्त सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं आवश्यक सूचनाओं का हस्तान्तरण करती है जिससे समस्या समाधान एवं निर्णयन हो सके।
2. कोई भी एक सर्वश्रेष्ठ प्रारूप सभी संगठनों के लिये नहीं हो सकता, संगठन अपनी परिस्थितियों के आधार पर यह निश्चित करते हैं कि कौन सा प्रारूप उनके लिये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। किसी संगठन के प्रारूप का चयन करते समय उसे प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे आकार, रणनीति, तकनीक, पर्यावरण एवं उस देश की संस्कृति जहां क्रियायें संचालित होनी हैं आदि को दृष्टिगत रखा जाता है।
3. संगठन संरचना एक सतत् प्रक्रिया है जो संगठन की परिवर्तित रणनीति को प्रभावित करती है।
4. फर्म के वैश्विक स्तर पर व्यापक होने में संगठन संरचना परिवर्तित होती है। प्रारम्भ में अनेकों संगठन अपनी रणनीति में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान नहीं देते हैं, वास्तव में वह अप्रत्यक्ष निर्यात के माध्यम से विदेशी बाजार में अपना प्राथमिक प्रवेश सुनिश्चित करते हैं। जैसे ही अप्रत्यक्ष निर्यात विक्रय में वृद्धि होती है, संगठन नवीन बाजार में अवसर और संभावनाएं तलाश करते हैं।
5. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राथमिक रूप से परिणाम दृष्टिकोण के अनुसार क्रियाएं की जा सकती हैं इसके द्वारा एक संस्था अपने अन्तर्राष्ट्रीय आदेश प्रक्रिया को स्थापित विभागों जैसे वित्तीय एवं विपणन के आधार पर संचालित करती है।
6. जब निर्यात विक्रय में वृद्धि होती है एक संस्था पृथक निर्यात विभाग बना सकती है जो सीमा पार के अन्तर्राष्ट्रीय संचालन का उत्तरदायित्व, उत्पादों के विपणन, आदेश प्रक्रिया, विदेशी वितरणकर्ताओं से व्यवहार एवं जब भी आवश्यक हो वित्त प्रबन्ध आदि क्रियाओं का संचालन करे।

आवश्यकतानुसार यह विभाग समान स्थिति में अन्य कार्यक्षेत्र का कार्यभार भी संचालित करता है।

23.3 वैश्विक संगठन संरचना

1. जब एक संस्था अपने घरेलू प्रारूप से बहुराष्ट्रीय प्रारूप में अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेशित होती है तो संस्था का अन्तर्राष्ट्रीय विभाग विशिष्ट रूप से वर्तमान स्वरूप से वैश्विक प्रारूप में परिवर्तित हो जाता है।
2. एक संस्था अपनी बाजार स्थिति के अनुसार पांच सामान्य प्रचलित वैश्विक संगठन प्रारूपों (उत्पाद, क्षेत्र, कार्यात्मक, ग्राहक या मैट्रिक्स) में से किसी एक का चयन करती है जिससे प्रबन्धकीय मनोविज्ञान पर आधारित सम्बन्धित सांगठनिक लाभों को प्राप्त किया जा सके।

23.4 वैश्विक संगठन संरचना सम्बन्धी बिन्दु

संस्था को न केवल एक उचित प्रारूप का चयन करना होता है वरन् केन्द्रीयकरण बनाम विकेन्द्रीयकरण के बिन्दुओं को तर्कसम्मत आधार पर दृष्टिगत रखना होता है। संस्था के विविध संचालन में सहयोगी एवं समन्वय बिन्दुओं की दृष्टि से सहायक संस्थाओं के संचालक मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

1. <u>केन्द्रीयकरण बनाम विकेन्द्रीयकरणः–</u>

एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अपने सांगठनिक प्रारूप के निर्धारण में सहायक संस्थाओं को दिए जाने वाले स्वायत्त, अधिकार एवं नियंत्रण के सम्बन्ध भी समीक्षात्मक निर्णय लेने होते हैं। केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीयकरण दोनों के अपने लाभ एवं दोष हैं अतः अधिकांश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों दोनों के मिले जुले स्वरूप को प्राथमिकता देती है।

2. <u>सहायक संस्थाओं के संचालक मंडल की भूमिकाः–</u>

अधिकांश देशों में प्रत्येक निगम अपनी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की सहायक संस्था के लिये संचालक मंडल को आवश्यक समझता है। इन संचालक मंडल को निर्णयन प्रक्रिया के लिये आनुपातिक अधिकारों का प्रारूप निर्धारित हो सकता है अथवा विशिष्ट निर्णयों के लिए पूर्ण सशक्त अधिकार भी प्रदान किए जा सकते हैं।

- संचालक मंडल को पूर्ण अधिकृत करने से विकेन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है तथा परिवर्तित पर्यावरण में विदेशी सहायक तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। विकेन्द्रीयकरण का दूसरा लाभ यह है कि संचालित बोर्ड की अभिभावक संस्था के प्रति जवाबदेही एवं प्रतिवेदनात्मक उत्तरदायित्व होता है। इसके अतिरिक्त यदि संचालक मंडल में स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो स्थानीय स्तर (अपने देश) पर व्यवसाय के विकास में सहयोगी होते हैं। Apple ने जापान के बाजार में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए वहां संचालक मंडल में अनेकों प्रमुख स्थानीय कार्यकारियों को सम्मिलित किया है।
- सहायक संचालक मंडल को अधिकार देना अलाभकारी भी होता है उदाहरण के लिए अगर संचालकों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो तो

सहायकों के संचालक मंडल अति स्वतन्त्र होकर अभिभावक संस्था के प्रति जवाबदेही पूर्ण करने में सफल नहीं होते।

- यदि सहायक संस्था की प्रबन्ध संरचना अभिभावक संस्था से पूर्णतः पृथक हो और उन्हें व्यावसायिक अस्तित्व प्रदान कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में सहायक संस्था के संचालक मंडल की स्वायत्तता सर्वाधिक उपयोगी होती है।

3. **वैश्विक संगठनों में समन्वयः–**

किसी भी संगठन में प्रभावशाली प्रारूप संरचना के लिये अंतिम बिन्दु समन्वय है। समन्वय का अर्थ विभिन्न ग्रुप (समूहों), इकाईयों एवं विभागों को जोड़े जाने की प्रक्रिया एवं कार्यों एवं क्रियाओं को एकीकृत किये जाने से है। विभिन्न संस्थाओं के क्रियाकलापों में अन्तः निर्भरता के पैमाने के लिये समन्वय एक आवश्यक क्रिया है।

- अन्तः निर्भरता के तीन स्तर है। सर्वाधिक/सर्वोच्च समन्वय की आवश्यकता वहां पायी जाती है जहां संगठनात्मक कार्य पारस्परिक अन्तः निर्भरता पर हों (एक विभाग और क्रिया अन्य सभी विभागों और क्रियाओं पर निर्भर हो क्योंकि कार्य का प्रवाह विभागों में पारस्परिक आदान प्रदान के रूप में हो।)
- संतुलित समन्वय को क्रमबद्ध अन्तः निर्भरता के रूप में चिन्हित किया जाता है (प्रत्येक विभाग एवं क्रिया आंशिक रूप से अन्य पर निर्भर हो क्योंकि कार्यप्रवाह विभागों के मध्य क्रमबद्ध रूप में हो।)
- अन्त में वह संगठन जिनमें निम्न समन्वय की आवश्यकता हो अर्थात साझा समन्वय (प्रत्येक विभाग एवं क्रिया की अन्य पर अत्यन्त अल्प रूप से निर्भर हो क्योंकि सबके अपने स्वतन्त्र कार्य हो पर परिणाम की दृष्टि से साझा समन्वय हो।)
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इच्छित समन्वय स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की रणनीतियां उपयोग कर सकती है जिसमें संगठनात्मक अनुक्रम एवं अस्थायी या तदर्थ समन्वय नीति भी सम्मिलित हो सकती है जैसे कर्मचारियों की पारस्परिक मेलजोल वृद्धि की भूमिका। एक अनौपचारिक प्रबन्ध नेटवर्क को समूह के रूप में क्रियाशील करना जो अन्य को किसी रूप में अपने साथ जोड़े। ऐसे नेटवर्क प्रभावी होते हैं क्योंकि इनके माध्यम से नौकरशाही में होने वाले विलम्बों से बचा जा सकता है और संस्था अत्यन्त त्वरित एवं प्रभावी ढंग से क्रियाशील हो सकती है।

23.5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रणीय तत्व

कोई भी संगठन अपने लक्ष्यों को बिना विधिवत् नियंत्रण के प्राप्त नहीं कर सकता। यह सांगठनिक नियंत्रण तब अनिवार्यता की ऊंचाई पर होता है जब संस्था राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अपरिचित विदेशी बाजार में विस्तार करती है। यह बिन्दु पूर्णरूप से इस सम्बन्ध में है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाओं एवं विदेशी सहायकों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। हम प्राथमिक रूप से विभिन्न नियंत्रण तकनीकों की चर्चा करेंगे तथा तीन नियंत्रण तकनीकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण का संस्कृति सम्बन्धी पक्ष, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताओं एवं जटिलताओं में प्रभावी होता है, अध्ययन किया गया है। अन्तिम रूप से, अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के ऐतिहासिक विकास के सम्बन्ध में सम्बन्धित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का समन्वय एवं नियंत्रण तन्त्र संक्षेपित किया गया है। एक घरेलू संस्था एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनी में अन्तर है। यह अन्तर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में व्याप्त अनिश्चितताओं एवं जटिलताओं के कारण होते हैं। स्थानीय सरकार से सम्बद्ध अतिरिक्त समस्यायें उत्पन्न करते हैं। निम्न के द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नियंत्रण समस्याओं की तथा स्थानीय सरकार की क्रियाओं का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण पर प्रभाव विश्लेषित किया गया है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सांगठनिक सतत् प्रदर्शन को निरीक्षित किया जाता है एवं लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से संगठन क्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। नियंत्रण रणनीतिक, सांगठनिक एवं संचालन के स्तर पर लागू किया जा सकता है।

1. <u>रणनीतिक नियंत्रण :–</u>

रणनीतिक नियंत्रण के माध्यम से द्विस्तरीय निगरानी या जांच की जाती है – अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिये रणनीति निर्माण कैसे हो और इनको किस प्रकार लागू किया जाय। रणनीति नियंत्रण यह देखता है कि किस प्रभावी ढंग से लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है और ऐच्छिक रणनीतिक समन्वय वातावरण के साथ किस प्रकार हो रहा है। रणनीतिक नियंत्रण कम्पनी के विदेशी बाजार में प्रवेश एवं विस्तार को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिये यूनीलीवर ने भारतीय बाजार में संभावनाएं/अवसर तलाश करने के लिये रणनीतिक नियंत्रण की मदद ली। नियंत्रण विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह कम्पनी के वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में होता है। प्रतियोगी क्षेत्र में अपेक्षाकृत नियंत्रण की कमी रहती है। वेन कैम्प सी फूड के क्रय के समय वित्तीय नियंत्रण के अशक्त होने के कारण मानसिक विश्वास की कमी की समस्याएं उत्पन्न हुई। वित्तीय नियंत्रण करने के लिए विशिष्ट प्रबन्धकीय व्यवस्था निर्मित की गयी। यह व्यवस्था सामान्यतः एक नियंत्रक की होती है। एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रक के प्राथमिक उत्तरदायित्वों में, विभिन्न मुद्रायें जो कि कम्पनी के निर्विघ्न संचालन के लिये आवश्यक हो, के रहतिये का समुचित प्रबन्ध करना है। कुछ परिस्थितियों में, विनिमय दर के परिवर्तन का प्रबन्ध निगमीय अभिभावक स्तर पर केन्द्रीयकृत रहता है। जबकि कुछ अन्य परिस्थितियों में यह सहयोगी स्तर पर विकेन्द्रित रहता है। सूचना तंत्र का अर्थ नियंत्रक को सम्बन्धित, त्वरित एवं समुचित सूचनाएं प्रदान करना है। रणनीतिक नियंत्रण संयुक्त उपक्रम एवं रणनीतिक सहयोगों के लिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अधिकांश परिस्थितियों में प्रत्येक संयुक्त उपक्रम या रणनीतिक सहयोग के लिये स्वतन्त्र नियंत्रण व्यवस्था विकसित की जाती है।

2. <u>संगठनात्मक नियंत्रण :–</u>

संगठनात्मक नियंत्रण संगठन संरचना पर ही केन्द्रित होता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि संस्था की संरचना परिस्थिति के अनुसार (आन्तरिक एवं बाह्य पर्यावरण) परिवर्तित हो सकती है। उत्तरदायित्व केन्द्र नियंत्रण संगठनात्मक नियंत्रण व्यवस्था में सर्वाधिक प्रचलित एवं सामान्य व्यवस्था है। यह व्यवस्था, एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है, मूलभूत उत्तरदायित्वों को एक संगठन के अन्तर्गत

सम्मिलित करती है जैसे रणनीतिक व्यावसायिक इकाई। इसके बाद व्यक्तिगत केन्द्र मूल्यांकित किए जाते हैं कि वह लक्ष्य प्राप्ति में किस हद तक सफल रहे हैं। नेस्ले ने किस प्रकार अपने उत्तरदायित्व केन्द्र नियंत्रण व्यवस्था को संचालित किया यह एक उदाहरण है। कुछ व्यवसाय अनुवांशिक संगठन नियंत्रण व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। यदि बाजारों के मध्य रणनीतिक परिवर्तन नही है तो नियंत्रण व्यवस्था मुख्य कार्यालय केन्द्रित रहती है और प्रत्येक इकाई के लिये एक सी नियंत्रण व्यवस्था रहती है। इस सम्बन्ध में यूनाइटेड डिस्टलरी का उदाहरण है जिसमें सार्वजनिक उपक्रम नियंत्रण व्यवस्था प्रयुक्त की गयी। नियोजन प्रक्रिया नियंत्रण व्यवस्था में, जिसका प्रयोग उत्तरदायित्व केन्द्र या अनुवांशिक नियंत्रण के संयोजन के लिये हो सकता है, संस्थाएं अपनी सांगठनिक नियंत्रण व्यवस्था को वास्तविक तंत्र तथा प्रक्रिया के आधार पर रणनीतिक नियंत्रण व्यवस्था विकसित करती है। नॉदर्न टेलीकॉम द्वारा नियोजन प्रक्रिया नियंत्रण व्यवस्था का उपयोग किया गया। संगठनात्मक नियंत्रण बहुस्तरीय केन्द्रित रहता है। न केवल सम्पूर्ण संगठन द्वारा संगठन की परिस्थिति के आधार पर समुचित संरचना स्वीकार की जाती है वरन् प्रत्येक सहयोगी या संचालित इकाई का भी समुचित रूप से संगठित होना आवश्यक होता है।

3. **संचालनीय नियंत्रण :–**

किसी भी संगठन में संचालनीय नियंत्रण व्यवस्था विशेषकर संचालन प्रक्रिया एवं तंत्र से तथा व्यक्तिगत सहयोगी एवं संचालनीय इकाईयों से सम्बद्ध होती है। संचालन नियंत्रण रणनीतिक एवं सांगठनिक नियंत्रण व्यवस्था की तुलना में अधिक विशिष्ट एवं केन्द्रित रहता है तथा सामान्यतः सम्बन्धित क्रियाओं पर अल्पकालीन समयावधि के लिये केन्द्रित रहता है।

23.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण कार्यों का प्रबन्ध

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण व्यवस्था की स्थापनाः–

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में नियंत्रण व्यवस्था चार मूलभूत कदमों पर निर्भर होती है। यह कदम नियंत्रण के किसी भी क्षेत्र एवं किसी भी स्तर पर लागू होते हैं।

1. **निष्पादन हेतु नियंत्रण प्रमाप स्थापना :–**

किसी भी नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना का अर्थ संगठन की उस व्यवस्था जिसको नियंत्रित किया जाना है अर्थात लक्ष्य प्राप्ति व्यवस्था हेतु नियंत्रण प्रमाप स्थापित करना होता है। नियंत्रण प्रमाप किसी भी कम्पनी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने वाले होने चाहिये।

2. **वास्तविक निष्पादन आकलन :–**

नियंत्रण व्यवस्था का द्वितीय कदम निष्पादन तत्वों की नियंत्रण व्यवस्था के विकास के सम्बन्ध में वैध उपाय करने से है।

3. **निष्पादन बनाम प्रमाप तुलना :–**

किसी भी नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित करने की प्रक्रिया में तीसरा कदम आकलित निष्पादन की मूल नियंत्रण प्रमापों की तुलना से सम्बद्ध होता है। यह इस बात पर निर्भर है कि नियंत्रण प्रमाप एवं निष्पादन उपाय कितने उचित ढंग से परिभाषित हैं। यह कदम साधारण उचित अथवा उचित रूप से जटिल हो सकता है।

4. **विचलन प्रतिक्रिया :–**

नियंत्रण व्यवस्था का अंतिम कदम विचलन प्रतिक्रिया की प्रक्रिया का अध्ययन है। इस तुलनात्मक विवेचन के तीन परिणाम संभावित हैः नियंत्रण प्रमाप प्राप्त हो गये, नियंत्रण प्रमाप प्राप्त नहीं हुए एवं नियंत्रण प्रमाप अधिक हो गए। प्रतिक्रिया इस तथ्य पर आधारित होती है कि नियंत्रण की कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है।

23.7 आवश्यक नियंत्रण तकनीकें

कुछ प्रमुख नियंत्रण तकनीकों को निम्न प्रकार बताया जा सकता है –

1. **लेखांकन विधि :–**

लेखांकन एक विस्तृत विधि है जिसके माध्यम से संस्था के वित्तीय संसाधनों सम्बन्धी सूचनाओं का संग्रह व विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया उच्चतम नियमित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्थानीय राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के मध्य तुलना सुगम होती है। जबकि स्थानीय राष्ट्र के लेखांकन प्रमाप एवं प्रक्रिया त्वरित रूप से अन्य देश की कम्पनियों से कहां तक समन्वित है यह परिस्थितिजन्य आकलन होता है। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को न केवल अपनी प्रत्येक सहायक कम्पनी के अभिलेख अपनी अभिभावक कम्पनी की मुद्रा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करनी चाहिये वरन् एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके सहायक अपने आपको बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लेखांकन व्यवहारों के आधार पर मूल्यांकित करें।

2. **प्रक्रिया :–**

अधिकतर संस्थायें अपनी प्रभावी नियंत्रण प्रक्रिया को बनाए रखने के लिये विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाती हैं, परन्तु कुछ परिस्थितियों में प्रक्रिया परिवर्तन संभव है उदाहरण के लिये फोर्ड/फायरस्टोन की पुनः याचना का उदाहरण दिया जा सकता है।

3. **निष्पादन अनुपात :–**

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा सामान्यतः निष्पादन अनुपात में रहतिया उत्पादन का प्रयोग होता है। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने एयरलाइन्स संचालन में अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिये निष्पादन अनुपात का प्रयोग किया।

23.8 अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के व्यवहारिक तत्व

नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दृष्टि से मानव व्यवहार एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

- **नियंत्रण का प्रतिरोध :–** नियंत्रण का प्रतिरोध अनेक कारणों से होता है। उदाहरण के लिये अधिकांश व्यक्ति नियंत्रण का प्रतिरोध करते हैं जब कोई भी संगठन व्यक्तियों की अपेक्षा से अधिक नियंत्रण का प्रयत्न करता है।
- व्यक्ति नियंत्रण का प्रतिरोध तब भी करते हैं जब वह अनुभव करते हैं कि नियंत्रण समुचित रूप से केन्द्रित नहीं है। उदाहरण के लिये जब वह यह अनुभव करते हैं संगठन द्वारा व्यक्तियों को अनुचित रूप से नियंत्रित किया जा रहा है।

- अन्त में व्यक्ति जवाबदेही में वृद्धि होने पर भी नियंत्रण का प्रतिरोध करते हैं।

23.9 नियंत्रण प्रतिरोधों के उपचार

नियंत्रण प्रतिरोधों को अनेक विधियों द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित परिस्थिति एवं संस्कृति किस प्रकार की है। प्रथमतः यदि नवीन नियंत्रण व्यवस्था से प्रभावित कर्मचारियों को यदि व्यवस्था के नियोजन एवं कार्यान्वयन में प्रतिभाग का अवसर प्रदान किया जाये तो प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। द्वितीय नियंत्रण व्यवस्था समुचित केन्द्रीयकरण एवं समुचित जवाबदेही के साथ विकसित की जानी चाहिये। तृतीयतः नियंत्रण व्यवस्था अस्वीकृत विचलनों को सम्बोधित करने वाली निदानकारी तकनीक होनी चाहिये। अन्तिम रूप से कम्पनियों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वह राष्ट्रीय संस्कृति के अनुसार व्यवहार परिवर्तन कर व्यक्तियों को रोजगार के लिये जोड़ने का प्रयत्न करें जो कि निगमित संस्कृति के भी अनुरूप हो इसके लिये कम्पनी की नियमित संस्कृति सम्बन्धी प्रबन्ध विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

23.10 अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सांस्कृतिक तत्व

संस्कृति नियंत्रण की अत्यन्त महत्वपूर्ण तकनीक है। समाज विभिन्न सांस्कृतिक नियंत्रण विधियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से व्यक्तियों पर प्रबन्ध एवं नियंत्रण रखती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इसके सदस्य सामाजिक मूल्य एवं मानदण्डों को स्वीकार करते हैं जिसके माध्यम से उनके सामाजिक व्यवहार का आकलन किया जाता है। यह स्वीकृत एवं समावेशित मूल्य अभिप्रेरणा के सशक्त माध्यम के रूप में व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं कि वह समाज की अपेक्षा अनुरूप क्रियायें करें। संगठन भी संस्कृति एवं समाजीकरण को नियंत्रण विधि के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनी को भी संस्कृति आधारित वातावरण की चुनौतियों के आधार पर संस्कृति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी नियंत्रण व्यवस्था का निर्माण करना होता है। निगमीय समाजीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सदस्यों का कार्य वातावरण के आधार पर क्या व्यवहार ऐच्छिक है, का अध्ययन किया जाता है। निगमीय समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नवीन सदस्य को कार्यविधि एवं प्रक्रिया को सीखना एवं समझना होता है जिससे संगठन के लक्ष्य प्राप्ति की भावना विकसित हो सके। लक्ष्य प्राप्ति के प्रमुख साधन, सदस्यों का उत्तरदायित्व, प्रभावी प्रदर्शन एवं निष्पादन के लिये व्यवहार स्वभाव, निगमीय पहचान एवं ईमानदारी आदि सभी तथ्यों का ज्ञान नवीन सदस्यों के लिये आवश्यक है। निगमीय समाजीकरण स्पष्ट एवं उचित संयोजन से निर्मित होता है। निगमीय समाजीकरण के स्पष्ट अर्थ में रोजगार चक्र, प्रबन्ध विकास एवं कम्पनी प्रायोजित अनौपचारिक कार्यक्रम सम्मिलित हैं। कर्मचारी व्यवहार को स्वरूप प्रदान करने एवं सांगठनिक प्रक्रिया प्रवर्तन हेतु निगमीय प्रतिफल एवं क्षतिपूर्ति व्यवस्था भी निश्चय ही एक सशक्त माध्यम है।

23.11 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अतिरिक्त नियंत्रण समस्याएं

आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में बिखरी हुई अपनी सहायक कम्पनियों की नियंत्रण समस्याओं के साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनेकों विविध नियंत्रण समस्याओं से भी आमना–सामना करना होता है।

1. भाषागत एवं सांस्कृतिक विविधता
2. मुख्य कार्यालय एवं सहायकों के मध्य भौगोलिक दूरी
3. वैधानिक विविधता
4. सुरक्षा बिन्दु
5. मुद्रा विनिमय दर उतार–चढ़ाव

1. <u>भाषागत एवं सांस्कृतिक विविधता :–</u>

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुख्य कार्यालय को विभिन्न विदेशी संचालनों में भाषागत एवं सांस्कृतिक विविधता सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का सामना करना होता है। प्रवासी व्यक्ति जो मुख्य कार्यालय की संस्कृति से परिचित हों, को प्रमुख प्रबन्धकीय स्थिति में एवं स्थानीय प्रबन्धक जो मुख्य कार्यालय की भाषा में पारंगत हो को सहायक संस्थाओं में नियुक्ति प्रदान कर इन समस्याओं को एक सीमा तक कम किया जा सकता है। विशेषकर, जबकि मुख्य कार्यालय में कर्मचारी सीमित हों तथा विदेशी भाषा से अनभिज्ञ हों और भाषागत समस्या वास्तविक रूप से स्थित हों। परिणामस्वरूप मुख्य कार्यालय एवं विदेशी सहायकों के कर्मचारियों के मध्य संवाद सीमित हो जाता है और जो विदेशी सहायकों के कर्मचारी मुख्य कार्यालय की भाषा जानते हैं उन्हीं तक होता है। यह वास्तविकता मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने एवं उनकी प्रक्रिया को अल्प कर देती हे। सूचनाओं तक सीधे पहुंच न होने के कारण निर्भरता सहायक कम्पनी के उन कर्मचारियों पर हो जाती है जो भाषा जानते हैं अथवा भाषा परिवर्तन कर सकते हैं। यह समस्या अधिक विस्तृत तब हो जाती है जब स्थानीय कर्मचारियों द्वारा विविध भाषाएं बोली जाती हों। जैसे यह अफ्रीका और भारत में है। यहां तक कि यूरोपीयन देशों में भी जहां पर अधिसंख्य रूप से अतिथि कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है भाषागत विविधता के कारण नियंत्रण की समस्या उत्पन्न होती है। भाषागत विविधता से कुछ रणनीतिक एवं संचालनीय नियंत्रण समस्याएं भी उत्पन्न होती है। कुछ भाग में उच्च प्रबन्ध में संलग्न प्रबन्धक जो रणनीतिक नियंत्रण में संलग्न होते हैं को कठिनाई होती है अतः इस वर्ग में विदेशी भाषा में पारंगत प्रबन्धकों का समूह होता है। विशेषकर विकसित देशों में संचालनीय नियंत्रण में भाषागत आधार पर विभिन्न कारणों से कठिनाई उत्पन्न होती है।

2. <u>भौगोलिक दूरी :–</u>

दूरसंचार तकनीक एवं यातायात संसाधनों में सुधार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन को विस्तार प्रदान किया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं सहायक कम्पनियों के मध्य बड़ी भौगोलिक दूरी के कारण नियंत्रणीय समस्याएं होती हैं, वर्तमान आधुनिक दूरसंचार व्यवस्था एवं यातायात सुगमता के बाद भी इन समस्याओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका है। आमने–सामने के संवाद अथवा व्यक्तिगत दौरों का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। लिखित संचार, दूरभाष वार्ता एवं कम्प्यूटर संदेश भी व्यक्तिगत भेंट जैसे नहीं हैं। यद्यपि मुख्य कार्यालय से विदेशी सहयोगी की यात्रा में कई दिन का समय तथा व्यापक अग्रिम तैयारी आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर भी दूरी का अपना स्थान है। यदि एक

बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने देश में ही विभिन्न स्थानों पर व्यापार संचालन करती है, भौगोलिक दूरी मुख्य कार्यालय द्वारा नियंत्रण की सुगमता में नकारात्मक प्रभाव रखती है। कुछ मामलों में मुख्य कार्यालय के कर्मचारी यात्रा समय के आधार पर व्यक्तिगत यात्रा करके संचालनों के भिन्न आनन्दायी चित्र प्रस्तुत कर देते हैं।

3. वैधानिक विविधता :–

अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध की वैधानिकता के संबंध में पूरा एक अध्याय संभव है, यहां हम संक्षेप में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्मुख आने वाली कुछ प्रमुख वैधानिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे। सांगठनिक नियंत्रण की अवधारणा में अधिनियम एवं वैधानिक तथ्य केन्द्र हैं। किसी भी व्यावसायिक फर्म का नियंत्रण स्थानीय देश की वैधानिक संस्थाओं एवं व्यवहार पर निर्भर होता है। कोई भी व्यवहार जो एक देश में भी स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है आवश्यक नही कि दूसरे देश में भी स्वीकार या अस्वीकार किया जाये। किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी का उसकी सहयोगी विदेशी कम्पनी पर नियंत्रण स्थानीय देश द्वारा स्वीकृत व्यावसायिक नियमों पर आधारित होता है। प्रभाव रूप में स्थानीय देश का वैधानिक तंत्र मुख्य कार्यालय द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण व्यवस्थाओं को सीमित कर सकता है। स्थानीय देश की वैधानिक आवश्यकतायें सम्पूर्ण व्यवसाय संचालन जिसमें श्रम संबंध, वित्त, विपणन, उत्पादन आदि सम्मिलित हैं के संबंध में बहुराष्ट्रीय कम्पनी का इसकी सहयोगियों पर नियंत्रण सीमित कर सकती है। कुछ देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा स्थानीय संस्थाओं के समता स्वामित्व को सीमित किया गया है। समता स्वामित्व पर सीमितता विकासशील देशों में सामान्य है। इन देशों में सहयोगी संस्थाओं के संचालन पर सीधे नियंत्रण के स्थान पर बहुराष्ट्रीय कम्पनी अल्पसंख्यक स्थिति में होती है तथा उसे सलाह एवं प्रोत्साहन के लिये विश्वास करना होता है।

4. सुरक्षा बिन्दु :–

अनेक देश वैश्वीकरण से लाभान्वित हुए हैं। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, सूचना क्रान्ति इन्टरनेट प्रयोग सहित तथा दूसरे देशों में जाने की सुगमता ने आतंकवाद में संलग्न समूहों को भी सुगमता प्रदान की। आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। लम्बे समय से विकासशील देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इस नियंत्रण हानि से सम्बद्ध है। अब विकासशील देश भी इसी प्रकार की कुछ अन्य प्रकार की शंकाओं से ग्रस्त हैं। अमेरिकन भी इससे त्रस्त हैं, विदेशी संस्थाओं को सम्पूर्ण प्रबन्ध देने के पूर्णतः विरोधी न होते हुए भी वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग हैं। उदाहरणार्थ बहुत सारे यूरोपियन देशों में विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा भी अपने यहां स्थानीय संस्थाओं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ग्रहणाधिकार प्रतिबंधित किया है। सितम्बर 11 की घटना के पश्चात आतंकवादी घटनाओं की वृद्धि की संवेदनशीलता को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अतिमहत्वपूर्ण रूप से सजग एवं जागरूक हैं। विशेषज्ञों को राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा विशेषकर बन्दरगाहों की सुरक्षा हेतु सजग किया गया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण बिन्दु को आर्थिक लाभों की दृष्टि के साथ कम सहयोगी देशों की दृष्टि से भी निर्धारित किया जाता है। प्रथमतः आर्थिक लाभ की दृष्टि से

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन नियंत्रण के संबंध में निर्णयन अधिकार एवं अन्ततः राजस्व का प्रयोग एवं वितरण सम्बन्धी अधिकारों को प्रदान किया जाना। पूर्व में नियंत्रण का आशय मात्र स्वामित्व संबंधी अधिकारों से लगाया जाता था। यह परिकल्पना यदि जब परखी गयी तो स्थानीय सरकार के संप्रभुता अधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में अधिक सक्षम प्रमाणित नहीं हुई। विकासशील देशों को संज्ञान हुआ कि बिना स्वामित्व अधिकारों के भी वह अपनी संप्रभुता प्रयोग कर रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन नियंत्रण को एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संचालनीय क्रियाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जबकि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अत्यन्त गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। योग्य और अयोग्य परिभाषा के इतर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने मुख्य कार्यालय सहित अथवा विभिन्न देशों में उनके स्वामी इस मुद्दे से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को व्यावसायिक संस्था को नियंत्रित करने के अवसर नहीं प्रदान किये जाने चाहिये। उदाहरण के लिये IBM के लैपटॉप कम्प्यूटर विभाग पर यू0एस0 कांग्रेस के नियंत्रण को रेखांकित किया जा सकता है। अन्य उदाहरण DPW का प्रकरण है।

5. <u>मुद्रा विनिमय दर उतार–चढ़ाव :–</u>

एक बाजार आधारित विनिमय दर तब परिवर्तित होती है जब दो देशों के मध्य किसी एक मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। जब किसी भी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है तो मुद्रा के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। जब मांग कम हो और तुलनात्मक रूप से पूर्ति अधिक हो जाय तो मुद्रा के मूल्य में भी कमी आ जाती है (इसका यह अर्थ नहीं कि सामान्यजन को मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती, इसका मात्र अर्थ यह है कि सम्पत्ति को अन्य किसी रूप में या किसी अन्य मुद्रा के रूप में संग्रह करते हैं।) किसी भी मुद्रा की मांग में वृद्धि या तो मुद्रा लेन–देन व्यवहार में वृद्धि होने से हो सकती है अथवा मुद्रा की मांग में काल्पनिक वृद्धि के कारण हो सकती है। लेन–देन व्यवहार की मांग उच्चतम रूप से किसी भी देश की व्यावसायिक क्रियाओं, सकल घरेलू उत्पाद एवं रोजगार स्तर से सम्बद्ध होती है। जितने अधिक व्यक्ति बेरोजगार होंगे जनता समग्र रूप से वस्तु एवं सेवाओं पर उतना ही कम व्यय करेगी। व्यापार व्यवहारों के कारण मुद्रा की मांग में हुए परिवर्तनों को मुद्रा की मांग से समायोजित करने में केन्द्रीय बैंकों को सामान्यतः अल्प कठिनता होती है। काल्पनिक मांग को समायोजित करना केन्द्रीय बैंकों के लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है इसको वह ब्याज दरों में समायोजन के माध्यम से प्रभावित करते हैं। एक सट्टेबाज यदि प्रतिफल काफी अधिक (जो कि ब्याज दर है) है तभी मुद्रा का क्रय करता है।

6. <u>अन्तः संस्था व्यापारिक लेनदेन (मूल्य हस्तांतरण) :–</u>

संस्थायें विदेशी बाजार में प्रवेश, निर्यात सहित, अनुबन्धनीय समझौतों एवं प्रत्यक्ष निवेश की क्रियाओं के लिये अनेकों रणनीतियों का प्रयोग कर सकती है। एक निर्यात उन्मुख संस्था स्थानीय देश से विदेशी बाजार को वस्तु प्रवाह पर प्रभुत्व रखती है। अपने देश से स्थानीय देश को पूंजी प्रवाह विनियोगी कम्पनी की रणनीति की विशेषता होती है। लाइसेंसिंग एवं अनुबंधनीय समझौतों में बहुराष्ट्रीय

कम्पनी से स्थानीय देश को ज्ञान प्रवाह की विशिष्टता रहती है। कुछ देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने सम्पत्ति अधिकार का सम्पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकती। कुछ स्थानीय सरकारें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सहयोगी संस्थाओं पर संसाधनों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रखती हैं। स्थानीय सरकार द्वारा लाभों के प्रत्यावर्तन को भी प्रतिबंधित किया जाता है। उदाहरण के लिये जब निगमीय प्राप्तियों के सम्बन्ध में सम्पत्ति अधिकार का उपयोग सीमित कर दिया जाए। कुछ देश और भी आगे बढ़कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उत्पादन एवं निर्यात आवश्यकताएं स्थापित करते हैं जो प्रभावी रूप से सहयोगियों पर उनके संचालनीय नियंत्रण में कमी लाता है। उदाहरण के लिये चीन, जो यह चाहता है कि प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने उत्पादन का एक मूलभूत भाग चीन में निर्यात करे।

23.12 सारांश

किसी भी संगठन के सफलतापूर्वक प्रबन्ध एवं संचालन के लिये एक प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी में घरेलू व्यवसाय की तुलना में नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक जटिल होता है। घरेलू संचालन की भांति एक विदेशी सहायक दीर्घ अवधि तक व्यावसायिक आवश्यकताओं को नहीं रख सकती जो कि स्थानीय/मेजबान देश द्वारा निर्देशित हो अथवा प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिये निर्धारित हों। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था में मेजाबन देश के वातावरण के अनुसार स्थानीय परिस्थितियों की स्वीकार्यता एवं उनके प्रति उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिये। किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के उच्च प्रबन्ध के लिये सभी निगमीय प्रतियोगियों की स्थिति के अनुसार नियंत्रण व्यवस्था का निर्माण करना एक चुनौतीपूर्ण क्रिया है। यह व्यवस्था सभी सहयोगियों के लिये लाभकारी होनी चाहिये। अन्य शब्दों में यदि सहयोगी रणनीतिक प्रक्रिया को समझते हैं तथा उचित रूप से नियंत्रीय व्यवस्था से जुड़े हैं तो वह इसे तात्कालिक रूप से स्वीकार करेंगे।

23.13 शब्दावली

रणनीतिक नियंत्रण : इसमें यह देखा जाता है कि किस प्रभावी ढंग से लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है और ऐच्छिक रणनीतिक समन्वय वातावरण के साथ किस प्रकार हो रहा है।

लेखांकन विधिः लेखांकन की इस विधि के माध्यम से संस्था के वित्तीय संसाधनों सम्बन्धी सूचनाओं का संग्रह व विश्लेषण किया जाता है।

23.14 बोध प्रश्न

<u>बहुविकल्पीय प्रश्न –</u>

1. एक संगठन की रणनीतिक प्रक्रिया में होता है –
   (अ) उत्पादन एवं कार्यक्षमता पर दीर्घकालीन प्रभाव
   (ब) परिवर्तनीय रणनीति के समान
   (स) विभिन्न बिन्दुओं, लागत समेत को प्राप्त करना
   (द) संसाधन को किस प्रकार माल एवं सेवाओं में परिवर्तित किया जाय
   (य) उपरोक्त सभी सत्य
2. निम्न में से क्या प्रक्रिया नियंत्रण व्यवस्था में विशिष्ट हैं?

(अ) संवेदनशीलता का होना
(ब) डिजिटाइस्ड आंकड़ों का कम्प्यूटर द्वारा विश्लेषण जिनके माध्यम से फीडबैक प्राप्त होता है
(स) आवधिक आधार पर संवेदनशील मूल्यांकन
(द) उपरोक्त सभी

23.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. (य) 2. (द)

23.16 स्वपरख प्रश्न

1. संगठनात्मक ढांचे पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाओं के प्राथमिक प्रभावों को बताइये।
2. वैश्विक उत्पादन ढांचा क्या है? इसके लाभ एवं कमजोरियां बताइये।
3. एक स्थानीय संस्था एवं एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की नियंत्रण प्रक्रिया में क्या अन्तर है?
4. उन विभिन्न नियंत्रण तकनीकों को बताइये जिनका प्रयोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है?
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में नियंत्रण व्यवस्था एक प्रमुख प्रबन्धकीय क्रिया क्यों है?

23.17 संदर्भ पुस्तकें

1. Sundaram, Anant K. and J. Stewart Black, The International Business Environment: Text and Cases, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.
2. Terpestra, Vern, International Marketing, Halt, Reinhart and Winsten Inc.
3. Cateora Philip R., International Marketing, 9^{th} Edition, Irwin / Mc Graw, HIU.
4. Keegan, Warren J., Global Marketing Management, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Cherunilam Francis, International Business: Text and Cases, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.

इकाई–24 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी व्यवस्था का कौशल एवं प्रबन्ध

इकाई की रूपरेखा

24.1 प्रस्तावना

24.2 सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के उद्देश्य

24.3 सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के प्रकार

24.4 सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था की समस्याएं

24.5 विदेशी सहयोगों का प्रबन्ध

24.6 सारांश

24.7 शब्दावली

24.8 बोध प्रश्न

24.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

24.10 स्वपरख प्रश्न

24.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के उद्देश्यों की व्याख्या कर सकें।
- सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के प्रकार का वर्णन कर सकें।
- सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था की समस्यायों की व्याख्या कर सकें।

24.1 प्रस्तावना

विभिन्न संस्थायें जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित करती है। उद्देश्य निर्माण एवं विभिन्न देशों के भिन्न पर्यावरण के अनुसार रणनीति लागू करने के लिये या तो स्वयं ही निर्माण, संचालन एवं प्रयत्न करती है अथवा इस कार्य के लिये अन्य कम्पनी का सहयोग प्राप्त करती है। यद्यपि निर्यात की दशा में विकल्पों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है क्योंकि इसमें उत्पादन गृह देश में होता है तथा प्रतिभागिता अन्य बाजारों में विभिन्न समताओं अथवा गैर समताओं व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। यह पूर्णतः स्वयं संचालित से लेकर स्वयं की सहयोगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रम, समता अनुबंध, लाइसेंसिंग, प्रबन्ध अनुबंध अथवा पूर्व नियत परियोजनाओं तक विस्तृत रहते हैं।

24.2 सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के उद्देश्य

प्रत्येक सहयोगी व्यवस्थाओं में प्रतिभाग करने वाले के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाओं को संचालित करने के अपने मूलभूत उद्देश्य होते हैं और साथ ही सहयोगी संस्था से साझेदारी के अन्य पृथक उद्देश्य होते हैं।

(अ) <u>**सहयोगी व्यवस्था के उद्देश्य :–**</u>

कोई भी कम्पनी चाहे वह घरेलू अथवा विदेशी संचालन किसी भी प्रकार से किसी अन्य संस्था से संचालनीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करती है तो उसका उद्देश्य लागत में कमी, किसी विशिष्ट विधा में पारंगतता, प्रतिस्पर्धा में कमी लाना, लम्बवत् या क्षैतिज सम्पर्कों की सुरक्षा एवं अन्य कम्पनियों के अनुभवों का लाभ प्राप्त करना होता है।

1. **विस्तार एवं लागत में कमी :–**

जब एक संस्था के व्यवसाय की मात्रा अल्प है और उसका सहयोगी साझेदार अपेक्षाकृत वृहद क्षमता का है तो ऐसी स्थिति में संस्था के लिये सहयोगी साझेदारी करना अत्याधिक व्ययशील नही होगा। परन्तु यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समझौते में एवं तकनीक हस्तान्तरण की लागत को नजर अंदाज नही किया जाना चाहिए।

2. **क्षमताओं का विशिष्टीकरण :–**

यदि किसी भी संस्था का संसाधनयुक्त परिदृश्य अवलोकित किया जाये तो प्रत्येक संस्था के पास विशिष्ट पृथक क्षमतायें होती हैं। अतः एक संस्था अपनी विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग एवं विस्तार की दृष्टि से अपने आप को केन्द्रित करती है तथा तद्नुसार अपने सहयोगियों को उत्पाद, सेवाओं एवं सहायक क्रियाओं को पूर्ति के लिये विश्वस्त कर सकती है।

3. **प्रतिस्पर्धा से बचाव या प्रतिकार :–**

जब विविध प्रतियोगिताओं की दृष्टि से बाजार अति विस्तृत एवं विशाल न हो और संस्था बाजार के शीर्ष नेतृत्व से प्रतिस्पर्धा करने की इच्छुक हो तो ऐसी दशा में क्रियाशील विभिन्न संस्थायें अपनी उपस्थिति में वृद्धि की दृष्टि से अपने संसाधनों को संयुक्त कर लेती है।

4. **लम्बवत् एवं क्षैतिज सम्पर्को की सुरक्षा :–**

यदि कोई संस्था स्वयं अपनी क्षमताओं एवं संसाधनों को पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नही होती। स्वयं और अपनी सभी क्रियाओं का प्रबन्ध मूल्य संवर्द्धित श्रंखला के आधार पर करती है, ऐसी स्थिति में वृहद लम्बवत् नियंत्रण के लिये सहयोगी व्यवस्था उत्तम होती है। क्षैतिज स्तर पर वितरण में अर्थशास्त्र का क्षेत्र आय एवं निर्विघन विक्रय की दृष्टि से किसी भी परियोजना में क्षमताओं के विस्तार की दृष्टि से किसी संस्था का एकल रूप में कार्य करने के बजाय संयुक्त एवं सहयोगी रूप में क्रियाएं किया जाना अधिक सार्थक एवं लाभदायक सिद्ध होता है।

5. **ज्ञान अर्जन :–**

विभिन्न संस्थाएं अपनी साझेदार संस्थाओं की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने के उद्‌देश्य से भी सहयोगी व्यवस्था को प्राथमिकता देती है। इसके अतिरिक्त सहयोगी संस्था की संचालनीय विधियां, स्थानीय बाजार में अपनी स्वयं क्षमताओं का विस्तार एवं प्रतियोगिता का सामना आदि भी सहयोगी व्यवस्था का उद्‌देश्य होते हैं।

(ब) **सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय उद्‌देश्य :–**

विभिन्न कम्पनियां विदेशी संचालन में स्थान विशिष्ट सम्पत्ति, वैधानिक बाध्यताओं, भौगोलिक विभिन्नता एवं उच्च जोखिम वातावरण को न्यूनतम करने के उद्‌देश्य से अन्य संस्थाओं के साथ सहयोगी व्यवस्था स्वीकार करती हैं।

1. **स्थान विशिष्ट सम्पत्ति का लाभ :–**

सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्रतियोगी एवं आर्थिक विभिन्नतायें विभिन्न कम्पनियों के समक्ष देश के बाहर संचालन में चुनौतियां उत्पन्न करती है। इन बाधाओं को दूर करने और स्थानीय लाभों को प्राप्त करने (वितरण व्यवस्था और सक्षम कार्यशक्ति) के उद्‌देश्य से अन्य संस्थाओं से सहयोगी व्यवस्थायें की जाती है।

2. **वैधानिक बाध्यताओं को दूर करना :–**

विभिन्न देश विदेशी संस्थाओं तथा विशिष्ट उद्योगों की प्रतिभागिता की सीमायें निर्धारित कर देते हैं अथवा कर की दरों एवं लाभों के देश प्रत्यावर्तन की दृष्टि से विदेशी संस्थाओं को पृथक श्रेणी प्रदान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं को दूर करने के लिये स्थानीय साझेदार से सहयोग स्थापित करना एक श्रेष्ठ विकल्प होता है।

3. **भौगोलिक विभिन्नतायें :–**

विभिन्न देशों में अपनी क्रियाओं को संचालित करने से संस्था की विक्रय एवं आय की स्थिति बेहतर होती है। सहयोगी व्यवस्थायें विविध बाजारों में स्थापित होने के लिये तथा विविध वितरण व्यवस्थाओं को स्थापित करने तथा क्रियाओं में तीव्रता लाने के उद्देश्य से सार्थक सिद्व होती है।

4. **जोखिम पूर्ण वातावरण में न्यूनता :–**

प्रबन्धक विदेशी संचालनों के संदर्भ में जितना अधिक उच्च जोखिम अनुभव करते हैं उतनी ही अधिक उनकी सहयोगी प्रबन्ध की भावना बलवती होती है।

24.3 सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के प्रकार

जब सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्थायें देश के बाहर सम्पत्तियों के फैलाव को स्वीकृत करती हैं तो विभिन्न उद्देश्यों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के व्यापारिक समझौते भी किए जाते हैं। एक ऐच्छिक साझेदार का मिलना एक समस्या है। यदि स्थानीय प्रतियोगिता अल्प है और ऐच्छिक, विशिष्ट संसाधनों का दोहराव नही है तो किसी भी संस्था को सहयोगी प्रबन्ध के चयन के विकल्प व्यापक होते हैं।

(अ) **सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के कुछ ध्यानाकर्षक :–**

किसी भी संस्था द्वारा सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में दो प्रमुख तत्व हैं जो सहयोगी विकल्पों पर प्रभाव डालते हैं– प्रथम संस्था द्वारा विदेशी संचालनों के ऊपर नियंत्रण की इच्छा तथा द्वितीय विदेशी का पूर्व में विस्तार।

1. **नियंत्रण :–**

विदेशी संचालन में सहयोगी विकल्प के लिये लोचपूर्णता पर नियंत्रण हानि, राजस्व एवं प्रतियोगिता प्रमुख प्रभावी तत्व होते हैं। एक संस्था सहयोगी प्रबन्ध पर जितना निर्भर होगी उतना ही गुणवत्ता, नवीन उत्पाद निर्देशन एवं उत्पादन विस्तार की दृष्टि से उसका नियंत्रण भी कम होगा।

2. **कम्पनी का पूर्व विस्तार :–**

यदि कोई संस्था विदेशी राष्ट्र में पूर्व से ही संचालन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में सक्रिय है तो विदेशी सहयोग के परिणाम सम्भवतः उतने आकर्षक न सिद्व हों।

(ब) **लाइसेंसिंग :–**

लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत एक संस्था (लाइसेंस प्रदाता) अदृश्य सम्पत्ति के प्रयोग अधिकार विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र एवं विशिष्ट समायवधि के लिये अन्य कम्पनी या संस्था (लाइसेंस प्राप्तकर्ता) को प्रदान करती है। प्रतिफल में प्रयोगकर्ता कम्पनी लाइसेंस प्रदाता कम्पनी को अधिकार शुल्क का भुगतान करती है। यह अधिकार विशिष्ट और गैर विशिष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः लाइसेंस प्रदाता संस्था तकनीकी सहायता एवं सूचना प्रदान करती है जबकि प्राप्तकर्ता कम्पनी अधिकार

के प्रभावी उपयोग की क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रदाता कम्पनी को करती है। अदृश्य सम्पत्तियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है–

- पेटेंट, आविष्कार, फार्मूला, प्रक्रिया, डिजाइन, पैटर्न
- संगीत, साहित्य एवं कला सम्बन्धी कॉपीराइट
- ट्रेडमार्क, व्यापार का नाम, ब्रांड का नाम
- फ्रैन्चाइजी, लाइसेंस, अनुबंध
- विधियां, कार्यक्रम, प्रक्रिया, प्रणालियां

1. **लाइसेंसिंग के प्रमुख उद्देश्य :–**

लाइसेंस का सामान्यतः आर्थिक उद्देश्य होता है जैसे–तीव्रता से प्रारम्भ की इच्छा, निम्न लागत या अतिरिक्त सम्पत्ति अधिकार (तकनीक) प्राप्त करना। लाइसेंस लेने वाले के लिये वर्तमान उद्यम में जोखिम एवं लागत कम हो जाती है जबकि लाइसेंसप्रदाता यदि स्वयं उत्पादन करे या विकसित करे उसकी तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करता है। संकर (क्रॉस) लाइसेंसिंग उस परिस्थिति को प्रदर्शित करती है जहां विभिन्न देशों से तकनीक परस्पर हस्तांतरित की जानी हो तथा प्रत्येक बाजार में प्रत्येक उत्पाद के सम्बन्ध में पारस्परिक प्रतियोगिता से बचना हो।

2. **भुगतान :–**

लाइसेंसिंग व्यवस्था में रकम तथा भुगतान विधियां विभिन्न हो सकती हैं। प्रत्येक अनुबंध में लेनदेन उसकी विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर होता है तथा परस्पर अपेक्षाओं के अनुसार सौदेबाजी होती है।

किसी भी लाइसेंस के मूल्य को अनुबंध की सामान्य विशिष्टतायें तथा पर्यावरणीय विशिष्टतायें प्रभावित करती हैं।

3. **नियंत्रित संस्थाओं को विक्रय :–**

विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस आंशिक या पूर्ण रूप से प्रदानकर्ता के स्वामित्व में रहते हैं। वैधानिक दृष्टिकोण से सहायक कम्पनी का पृथक अस्तित्व होता है और ऐसी स्थिति में अदृश्य सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के लिये पृथक लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

(स) फ्रैन्चाइजिंग :–

फ्रैन्चाइजिंग लाइसेंस का ही एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें फ्रैन्चाइज देने वाला अपने व्यापार की अमूर्त सम्पत्तियों के प्रयोग का स्वतन्त्र अधिकार फ्रैन्चाइजी को प्रदान करता है। साथ ही फ्रैन्चाइजी प्रदान करने वाला निर्धारित शर्तों के आधार पर फ्रैन्चाइजी को संचालन में भी सहयोग प्रदान करता है। एक अर्थ में दो साझेदार लम्बवत् रूप में एकीकृत होते हैं क्योंकि दोनों स्वतंत्र रहते हैं तथा आंशिक उत्पादन दोनों ही करते हैं जो अन्ततः ग्राहकों तक पहुंचता है।

1. **फ्रैन्चाइजिंग का संगठन :–**

एक फ्रैन्चाइजर अपने विदेशी फ्रैन्चाइजी से सीधे व्यवहार के लिये किसी अन्य राष्ट्र या देश में प्रवेश करता है अथवा एक मास्टर फ्रैन्चाइजी बनाता है जिसे यह अधिकार दिया जाता है कि वह विभिन्न निर्गम केन्द्र खोले अथवा उस देश या क्षेत्र में उप–फ्रैन्चाइजी प्रदान करें।

2. **संचालनीय संशोधन :–**

फ्रैन्चाइजी की सफलता तीन तत्वों पर निर्भर करती है : उत्पादों का प्रमापीकरण, प्रभावी लागत नियंत्रण तथा उच्च मान्यता। फिर फ्रैन्चाइजर के सम्मुख परम्परागत शंका रहती है–वह उत्पाद को वैश्विक स्तर के अनुसार जितना प्रमापीकृत करते हैं, सम्बन्धित देशों में उत्पाद की स्वीकार्यता कम होती है। यदि फ्रैन्चाइजर कम फ्रैन्चाइजी देता है तो लागत में वृद्धि तथा नियंत्रण में कमी होती है।

(द) प्रबन्धकीय अनुबंध :–

प्रबन्धकीय अनुबन्ध एक व्यवस्था को परिलक्षित करता है जिसमें निर्धारित शुल्क के प्रतिफल में एक संस्था दूसरी संस्था को क्रियायें संचालित करने के लिये योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराती है। सामान्यतः कोई भी संस्था इस प्रकार के प्रबन्ध अनुबन्ध तब करती है जब उसे यह विश्वास हो कि उसकी स्वयं की तुलना में सहयोगी संस्था क्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबन्धित एवं संचालित कर सकती है।

(य) तैयारशुदा परियोजना संचालन :–

इस प्रकार की व्यवस्था सहयोगी प्रबन्ध को दर्शाती है जिसमें एक संस्था से कार्य की पूर्णता के लिये अनुबन्ध किया जाता है जिससे तैयार सुविधाओं के आधार पर तत्काल संचालन प्रारम्भ हो सके। सामान्यतः इस प्रकार तैयारशुदा परियोजना में औद्योगिक संयंत्र एवं निर्माण कम्पनियां संचालन करती है जहां परियोजनाओं की लागत अत्यधिक होती है तथा ग्राहक सरकारी संस्थाएं अथवा अति विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियां होती हैं।

(र) संयुक्त उपक्रम :–

संयुक्त उपक्रम सीधे निवेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें दो या अधिक साझेदार स्वामित्व साझा करते हैं। यदि समता में संस्था की हिस्सेदारी कम होती है तो उसकी संचालनीय गतिविधियों की नियंत्रण क्षमता में भी कमी होती है। एक सहयोगी संघ व्यवस्था विभिन्न स्तरों (कम्पनियों एवं सरकार) पर संयुक्त होती है। संसाधनों को एकीकृत करने तथा सम्भावनाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से यह संयुक्त उपक्रम बनाए जाते हैं। संयुक्त उपक्रम के विभिन्न प्रारूपों में निम्न सम्मिलित हैं–

- एक ही देश के दो कम्पनी जब एक साथ विदेशी बाजार में कार्य करें जैसे NEC तथा Misubishi (Japan) इंग्लैंड में कार्य करती है।
- एक विदेशी कम्पनी किसी स्थानीय कम्पनी के साथ संयुक्त उपक्रम बनाए जैसे Great Lakes Chemical (US) एवं A.H. Al Zamil सऊदी अरब में।
- एक या अधिक देशों की कम्पनियां किसी तीसरे देश में संयुक्त उपक्रम स्थापित करें जैसे Dimond Shamrock (US) एवं Sol Petroleo (अर्जेन्टीना) का संयुक्त उपक्रम बोल्विया में।
- एक निजी कम्पनी तथा स्थानीय सरकार मिलकर संयुक्त उपक्रम का निर्माण करे (इसको मिश्रित उपक्रम भी कहते हैं) जैसे Philips (Dutch) एवं इन्डोनेशिया की सरकार का उपक्रम।
- एक निजी कम्पनी और किसी सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी का किसी तीसरे देश में संयुक्त उपक्रम जैसे B.P. Ameco (Private British –

US)एवं Eni (Italian Government Owned)द्वारा मिस्र में संयुक्त उपक्रम।

(ल) **समता गठबन्धन –**

एक समता गठबन्धन ऐसी सहयोगी व्यवस्था को प्रदर्शित करता है जिसमें कम से कम एक कम्पनी स्वामित्व की स्थिति में होती है जैसे सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनी। इस प्रकार की गठबंधन व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ प्रबन्ध होता है और उसको सुगमता से तोड़ा नहीं जा सकता।

24.4 सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्था की समस्यायें

सहयोगी व्यवस्थाओं के निर्णय से असन्तुष्ट होने का परिणाम व्यवस्था का भंग होना हो सकता है। समस्यायें विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है।

7. **सांझेदारों के लिए सहयोगी की महत्ता :–** एक साझेदार दूसरे की तुलना में सहयोगी व्यवस्था को अधिक महत्व प्रदान करे ऐसा आकार के अन्तर के कारण हो सकता है। एक सक्रिय साझेदार दूसरे को उसके कम महत्व देने का दोष देगा तो दूसरा कम सक्रिय साझेदार पहले को उसके कमजोर निर्णयों के लिये दोषारोपित करेगा।

8. **उद्देश्यों की भिन्नता :–** संस्थायें विभिन्न पूरक क्षमताओं तथा उद्देश्यों के लिये सहयोगी व्यवस्थाएं बना सकती है, उनके विचार जैसे पुनर्विनियोग बनाम लाभों का देश प्रत्यावर्तन समय के साथ ऐच्छिक मानक प्रदर्शन के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं।

9. **नियंत्रण की समस्या :–** जब नियंत्रण किसी एक पक्ष के पास नहीं रहता तो सहयोगी व्यवस्था निर्देशन भ्रमित हो सकती है, यदि एक पक्ष का वर्चस्व होता है तो दूसरी के हित प्रभावित होते हैं। एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था की सम्पत्तियों को साझा करने की दशा में सम्पत्तियों के प्रयोग की गुणवत्ता एवं नियंत्रण प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण किसी एक संस्था के पास होने में भी समस्याओं के लिये दोनों ही उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

10. **साझेदारों का अंशदान एवं विनियोग :–** एक सहयोगी या साझेदार की तकनीक, पूंजी एवं अन्य सम्पत्तियों के आधार पर अंशदान योग्यतायें समयानुसार ह्रासित (कम से कम सापेक्ष आधार पर) होती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग सभी सहयोगी व्यवस्थाओं में एक साझेदार द्वारा दूसरे के द्वारा अंशदानित सम्पत्तियों का उचित अंश से अधिक प्रयोग एवं संचालन का भय बना रहता है जिससे वह सीधे प्रतियोगी रूप में हो जाते हैं। यह वह कमजोरियां या कमियां हैं जो किसी भी उद्यम संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं और अन्ततः सहयोग अनुबन्ध को समापन की ओर ले जाती हैं।

11. **सांस्कृतिक विभिन्नता :–** राष्ट्रीय एवं निगमीय संस्कृति का अंतर सहयोगी प्रबन्ध एवं अनुबन्धों में समस्यायें उत्पन्न कर सकता है। विशेषकर संयुक्त उपक्रम में। किसी भी संचालन की सफलता का मूल्यांकन में संस्था की राष्ट्रीयता के अनुसार विभिन्नता हो सकती है (जैसे– लाभदायकता, रणनीतिक बाजार स्थिति एवं/या सामाजिक उद्देश्य)। फिर भी संयुक्त उपक्रम को अस्तित्व बनाये रखने के लिये समान संस्कृति वाले साझेदारों से सहयोग आवश्यक है।

24.5 विदेशी व्यवस्थाओं/सहयोगों का प्रबन्ध

सहयोगी व्यवस्था के विकसित किए जाने में यह आवश्यक है कि सहयोगी अपने पास उपलब्ध संसाधनों एवं बाह्य पर्यावरण के आधार पर अपने द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को पुनर्मूल्यांकित करें।

1. **सहयोगी व्यवस्था की विशिष्टतायें :—**

किसी भी संस्था की विदेशी संचालन की क्रमिक विकास सम्बन्धी लागत अत्यन्त उच्च होती है क्योंकि एक संचालनीय व्यवस्था से दूसरी संचालनीय व्यवस्था में परिवर्तन होता है विशेषकर यदि समाप्ति शुल्क भुगतान भी करना हो तो लागत और भी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में एक संस्था को नियंत्रीय एवं अनियंत्रीय तत्वों के पृथक रूप से योग्यता मूल्यांकन की पद्धति विकसित करनी होती है जिससे विभिन्न लाभ स्तरों का मूल्यांकन हो सके।

2. **अनुरूप/अनुकूल साझेदार को ढूंढना :—**

विदेशी संचालनों के लिये किसी भी संस्था को एक सक्रिय साझेदार की आवश्यकता है अथवा सहयोग हेतु किसी अन्य संस्था के प्रस्ताव को स्वीकार करना होता है। सशक्त साझेदार की साथ कार्य करने की इच्छा की तीव्रता एवं उसके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों के आधार पर उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। समकक्ष परिस्थितियों को पूर्व में भी नियंत्रित करने का अनुभव सहयोग के लिये अतिरिक्त पेशेवर योग्यता मानी जाती है।

3. **समझौता प्रक्रिया :—**

निश्चित तकनीक हस्तान्तरण का विचार किसी भी सहयोगी अनुबन्ध में विशिष्ट होता है, तद्नुसार सहयोगियों में पक्षकारों की सुरक्षा हेतु पूर्व अनुबन्ध किए जाते हैं। वित्तीय मदों की गोपनीयता, विशेषकर तब जब सरकारी स्तर पर दूसरे देशों में अपने समकक्षों से सलाह को जाय, एक संवेदनशील क्षेत्र है। बाजार की स्थितियों के आधार पर भी विभिन्न देशों में विभिन्न शर्तों का निर्धारण आवश्यक होता है।

4. **अनुबंधनीय प्रावधान :—**

समझौते में असहमति को न्यूनतम करने के उद्देश्य से संविदात्मक निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से दृष्टिगत रखा जाना चाहिये—

- यदि पक्षकार निर्देशों का अनुपालन नहीं करते तो अनुबंध समाप्ति का प्रावधान
- गुणवत्ता परीक्षण विधियां
- सम्पत्तियों के प्रयोग की भौगोलिक सीमाएं
- कौन सी कम्पनी समझौते के निर्देशानुसार किस भाग का प्रबन्ध एवं संचालन करेगी?
- किस कम्पनी की भविष्य की प्रतिबद्धता क्या होगी?
- सहयोगी प्रबन्ध व्यवस्थाओं के अनुसार अदृश्य सम्पत्तियों के प्रयोग की विधि एवं व्यवस्था तथा किस प्रकार प्रत्येक कम्पनी क्रय एवं विक्रय व्यवस्था करेगी?

5. **निष्पादन मूल्यांकन :—**

सभी पक्षकारों को साझा लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये तथा सभी को इसमें संलग्न होकर यह देखना चाहिए कि क्या अपेक्षित है एवं अनुबंध में इन अपेक्षाओं

का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त उपक्रम के प्रदर्शन के निरन्तर मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिये, एक संस्था को आवधिक रूप से सहयोगी प्रबन्ध में संभावित परिवर्तनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिये।

24.6 सारांश

सहयोगी प्रबंधक व्यवस्थाओं को और अधिक आकर्षक रूप से स्वीकार करेंगे यदि नीतिगत रूप से उनके हितों को भी महत्व प्रदान किया गया हो। यद्यपि जब तक निगमीय उद्देश्यों के प्रवर्तन के लिये सहयोगियों के हितों को पूर्णतः परित्याग नहीं कर दिया जाता तब तक रणनीतिक प्रक्रिया उचित रूप से स्वीकार्य होती है। प्रतिफलस्वरूप अपने हितों के दृष्टिगत सहयोगियों की नियंत्रण व्यवस्था की स्वीकार्यता सुगम हो जाती है। यह भी सत्य है कि एक उचित रणनीतिक प्रक्रिया में नियंत्रण तकनीक स्वयं सम्मिलित होती है और यह उचित भी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनी की सम्पूर्ण संचालन व्यवस्था पर मुख्य कार्यालय द्वारा इस हेतु लाभ के लिए लिये जाने वाले निर्णय विनियोगों पर प्रत्याय के मूल्यांकन के निर्णयों से प्रभावित नहीं होते। ऐसे निर्णय सहयोगियों की आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्वीकार्य विभिन्न नियंत्रण व्यवस्थाएं एवं विधियां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लागू की जानी चाहिये। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण की विभिन्नता इन नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्वीकार करने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनी की प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था औपचारिक, अनौपचारिक एवं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का संयोजन होनी चाहिये जिससे प्रत्येक सहयोगी के हितों को पृथक रूप से दृष्टिगत रखा जा सके और बहुराष्ट्रीय कम्पनी की सम्पूर्ण रणनीतिक एवं संचालनीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके।

24.7 शब्दावली

लाइसेंसिंग : लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत एक संस्था (लाइसेंस प्रदाता) अदृश्य सम्पत्ति के प्रयोग अधिकार विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र एवं विशिष्ट समायवधि के लिये अन्य कम्पनी या संस्था (लाइसेंस प्राप्तकर्ता) को प्रदान करती ळें

फ्रैन्चाइजिंग : फ्रैन्चाइजिंग लाइसेंस का ही एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें फ्रैन्चाइज देने वाला अपने व्यापार की अमूर्त सम्पत्तियों के प्रयोग का स्वतन्त्र अधिकार फ्रैन्चाइजी को प्रदान करता है।

24.8 बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न –

1. वैश्वीकरण व्यवसाय के लिये निम्न में से कौन सा प्रमुख संचालक है–
   (अ) यू0एस0 एवं यूरोप में उच्च रहन–सहन स्तर
   (ब) तकनीक
   (स) NAFTAव्यापार समझौता
   (द) देशों के मध्य बढ़ती हुई संजाति विषयक भिन्नता
   (य) संशोधित राजनीतिक स्थिरता
2. संचालनीय प्रबन्ध लागू होता है –
   (अ) मुख्यतः सेवा क्षेत्र में

(ब) केवल सेवाओं में
(स) प्रमुख निर्माणी क्षेत्र में
(द) निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में
(य) केवल निर्माणी क्षेत्र में

24.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. (ब) 2. (द)

24.10 स्वपरख प्रश्न

1. एक एकीकृत बहुराष्ट्रीय कम्पनी में कार्य की श्रेष्ठता के लिये कौन सी नियंत्रण तकनीक अपनायी जाती है?
2. एक स्थानीय व्यापार के नियंत्रण से बहुराष्ट्रीय कम्पनी की नियंत्रण व्यवस्था क्यों कठिन होती है?
3. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण में भौगोलिक दूरियां क्या किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती हैं?

24.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Sundaram, Anant K. and J. Stewart Black, The International Business Environment: Text and Cases, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.
2. Terpestra, Vern, International Marketing, Halt, Reinhart and Winsten Inc.
3. Cateora Philip R., International Marketing, 9th Edition, Irwin / Mc Graw, HIU.
4. Keegan, Warren J., Global Marketing Management, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Cherunilam Francis, International Business: Text and Cases, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.